

नयी तालीम

सर्व-ज्ञान-संघ की मासिकी

वर्ष : १९

सं. : १

- १● शिक्षा और जनशक्ति
 - शिक्षा में लोकतंत्रीकरण
- २● परीक्षा—नकल की परीक्षा
 - सिमेस्टर-प्रणाली : शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम



अगस्त, १९७०

ग्रामस्वराज्य-कोष
में
दान दें

२ अक्टूबर १९७०

वर्धा में आचार्य विनोबा
को
ग्रामस्वराज्य-कोष का समर्पण

सम्पर्क स्थापित करें :
ग्रामस्वराज्य-कोष
६ राजघाट कालोनी
नयी दिल्ली-१

बगावत का यह साल

इस महीने से 'नयी तालीम' का नया साल शुरू हो रहा है। लगता है शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की ओर से बनाया जानेवाला यह अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा वर्ष, भारत में बगावत का साल सिद्ध होगा। स्वतंत्रता के इन तेईस वर्षों में बुजुर्गों को शिक्षा में कोई परिवर्तन न करते देख अब मैदान में तरुण आ गये हैं। गत मई में अहमदाबाद में भारतीय तरुण शान्तिसेना ने प्रचलित शिक्षण-विरोधी मौन जुलूस निकाला। शिक्षा में क्रान्ति की मांग करने के लिए भारत में पहली बार तरुणों ने आवाज उठायी। अपनी मांगों को जनता के सामने रखने के लिए उन्होंने कुछ सूचना फलक तैयार किये थे— 'आज का पाठ्यक्रम पानी में डालो, 'बबलो आज की शिक्षा, नहीं तो मांगनी पड़ेगी शिक्षा,' 'शिक्षण और जीवन के बीच दोवार क्यों?' 'बालकों के कारखाने बंद करो', 'परीक्षा-पद्धति बदलो' आदि-आदि। इन फलकों को उठाये हुए तरुण अहमदाबाद की गरमी में जलती हुई सड़कों पर मौन चलते रहे। और उन्हें देखने के लिए अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों की भीड़ लग गयी थी। यह शान्त तरुणों की विधायक आवाज थी, परन्तु बगावत की आवाज थी।

वर्ष : १९

अंक : १

अभी हाल में तरुणों के एक दूसरे समूह ने, अपेक्षाकृत अधिक उम्र वर्ग में, तालीम के खिलाफ बगावत का ऋण्डा उठाया है। वाराणसी में 'युवजन सभा' के तरुणों ने शिक्षा समस्या-सम्मेलन का आयोजन किया था। शिक्षा बदलो आन्दोलन

का प्रारम्भ कहते हैं वे इसे । इस सम्मेलन में मौजूदा शिक्षा-पद्धति के रोगी होने के सात कारण गिनाये गये हैं—

(१) सीमित शिक्षा, (२) रद्दी और पिछड़े किस्म का पाठ्यक्रम, (३) अंग्रेजी माध्यम, (४) शिक्षितों को बेकार बनानेवाली शिक्षा, (५) नौकरशाही का ढाँचा (६) अनैतिक परीक्षा प्रणाली, और (७) शिक्षा का महँगी होते जाना । इसका परिणाम यह हुआ है कि समाजवाद लाने के लिए कृतसंकल्प देश में, जिस शिक्षा को समता और सम्पन्नता का माध्यम होना चाहिए था, वह असमता और अन्याय का कारण बन गयी है । और इस समस्या को हल करने की रणनीति की व्याख्या करते हुए सम्मेलन ने घोषणा की है कि—“हमें तत्काल इस अपमानकारी शिक्षा चला रहे मंत्री, उपकुलपति, प्राचार्य और सेठ का सम्मान बढ़ करना चाहिए । मौजूदा कुव्यवस्था को जगह सुव्यवस्था लाने के लिए हमें भारी अव्यवस्था का दौर प्रारम्भ करना चाहिए । इसके लिए हम समाज के हर पीड़ित और दुखी हिस्से का सहकार जुटावेंगे ।”

तरुण की इस आवाज में अधिक परमी है, स्वर में निराशा है और शोभ अभयार्थित होकर व्यक्त हुआ है । शिक्षा के एक सनातन मूल्य विनय की अवहेलना से ही लड़ाई प्रारम्भ करने की बात कही गयी है । और, अगर लड़ाई प्रारम्भ हुई तो इस युद्ध की वहिया में भारतीय शिक्षा के अनेक शाश्वत मूल्य सदा के लिए बह जायेंगे । और, यह बहुत उचित नहीं होगा । इसीलिए इसी सम्मेलन में बिना किसी निश्चित योजना और विकल्प के आंदोलन प्रारम्भ न करने की बात भी कही गयी और यह भी आवाज उठी कि पहले बल रही पढाई स्थगित हो, तभी नयी पढाई का ब्योरा तय हो सकेगा । (बीस वर्ष पहले विनोबा ने भी यही कहा था ।)

जो कुछ भी हो आज की वाहियात निकम्मी शिक्षा-पद्धति का समियाजा सबसे अधिक तरुण को ही भुगतना पड़ता है । अतः वह उठे, बोले, और बगावत करे और इस निष्ठा के साथ बगावत करे कि समाज को बदलने के लिए शिक्षा को बदलना होगा, तो ठीक ही होगा ।

परन्तु उसके बगावत करने का ढंग विधायक होना चाहिए—

जो सड़ा-गला है उसे अवश्य काटकर निकाल दिया जाय, परन्तु जो नया लाना है उसका चित्र तो स्पष्ट रहे। यह ठीक है कि ग्राज की शिक्षा एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए—समाजवाद के लिए कृतमकल्प राष्ट्र में तो एक क्षण के लिए भी नहीं चलनी चाहिए—और अगर देश के सारे स्कूल प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक के, कल ही दो साल के लिए बंद कर दिये जायें तो देश का कोई भी काम क्षण भर के लिए भी नहीं रुकेगा। भूत. विद्यार्थी संगठित रूप से इस शिक्षा के आलयों को बंद करने का प्रयास करें। यह एक काम है, जो होना चाहिए।

दूसरा काम यह है कि जो विकल्प हमें रखना है—उसका रूप धूँधला न पड़े, उस विकल्प का चित्र स्पष्ट रहे। और मैं, कहूँ कि वह विकल्प राष्ट्रपिता ने ३३ वर्ष पहले, नयी तालीम के रूप में देश के सामने रखा था—‘जिसे इस देश के नेताओं, विद्वानों और प्रशासकों ने मिलकर खतम कर दिया’, तो एक रचनात्मक सुझाव मानकर इसका स्वागत होना चाहिए।

शिक्षा के इस अन्तरराष्ट्रीय वर्ण में हमारे तरुण यदि विधायक और अहिंसक ढंग से प्रचलित शिक्षा-पद्धति को समाप्त करने और नयी तालीम को प्रतिस्थापित करने का सफल आन्दोलन करें तो नयी तालीम उनकी बगावत का स्वागत करेगी।

— यशोधर धीवास्तव

विशेष सूचना

प्रेस को जलुविषा तथा बिजली की हड़ताल के कारण यह अंक १५ दिन विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है। पाठक क्षमा करेंगे। —स०

शिक्षा में लोकतंत्रीकरण

श्रीनिवास आचार्य

‘शिक्षा में लोकतंत्रीकरण’ से हमारा आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षा लोकतान्त्रिक हो जाती है।

सविधान के जिन विशेषज्ञों ने हमारे सविधान का प्राारूप बनाया उन्होंने भारत को विधिवत एक प्रभुता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणतंत्र के रूप में गठित करते हुए उसकी प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, धारणा, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, पद और श्रमसुर की समानता, मातृभाव वृद्धि, हर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आशय दिया।

शिक्षा की व्याख्या करते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आदर्शों के माध्यम से लोकतंत्र की सृष्टि है।

लोकतंत्र यह विश्वास करता है कि मानवजीवन महत्त्वपूर्ण है। इसमें एक व्यक्ति की भी गरिमा और उपयोगिता है। लोकतंत्र की दृष्टि में हर व्यक्ति साध्य है साधन नहीं। अतः शिक्षा की सार्थकता इस बात में है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास की ऊँचाई तक पहुँचाये जहाँ वह अपनी समस्त विशेषताओं का साक्षात्कार करके उनका भरपूर उपयोग कर सके।

हर व्यक्ति अपने-आपमें एक स्वतंत्र ईकाई है। वह स्वतंत्र रूप में कार्य कर सकता है। वह स्वयं अपने-अपने अभिव्यक्ति का निर्माण कर सकता है। वह स्वयं अपना जीने का तरीका तय कर सकता है। शिक्षा को चाहिए कि वह व्यक्ति की स्वायत्तता के इस विचार की जड़ों को गजबूत बनाये। इस विचार के अनुसार कार्य करनेवाला शिक्षक व्यक्ति के विकास में प्रेरक और सहयोगी के रूप में सामने आता है। इस सदर्भ में शिक्षा ‘साली पात्रों को भरनेवाली न होकर दीमों को जलाने वाली’ प्रक्रिया हो जाती है। चूँकि शिक्षा का सम्बन्ध व्यक्ति और उसके विकास से है अतः शिक्षक को व्यक्ति के भासिक व्यक्तित्व के बदले उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का ध्यान रखना होगा। कोई व्यक्ति विभिन्न क्षमताओं और कुशलताओं का ढेर मात्र नहीं है, वह वस्तुतः अपने-आपमें एक ईकाई है जिसमें उसकी सभी विशेषताएँ समायी हुई हैं। अतः उसकी समस्त कायिक, मानसिक, कलात्मक और आध्यात्मिक शक्तियाँ उसकी समग्रता का भाग हैं और शिक्षा का

उसके समग्र व्यक्तित्व से ही नाता है। व्यक्ति के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं में से किसी एक पर अन्धी तरह ध्यान न दिया जाय तो व्यक्ति का शैक्षिक जागरण नहीं हो पाता। इस धारणा के अनुसार शिक्षण ऐसा होता चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम पूरा करने पर व्यक्ति का बौद्धिक विकास, व्यावहारिक कुशलता, कलात्मक भानन्द प्राप्ति और नैतिक उत्थान का कार्य साथ-साथ होता रहे।

समाज-रचना में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा ऐसी समाज रचना करे जिसमें धनी और गरीब की खाई न हो, जो शोषण को बढ़ावा न दे और जो हर नागरिक का, जो सुखी और स्वस्थ होने का भवसर दे, यह सामाजिक समाज-व्यवस्था की भांग है। समाज में करोड़ों लोग गरीबी, बीमारी, भूख और अज्ञान के बोझ से कराह रहे हों तो लोकतंत्र एक दिखावा मात्र हो जाता है। सबको खाना मिले, सबको रहने के लिए आवास हो, सबको कुछ-न-कुछ काम करने का अवसर मिले और सबको जीवन की साधारण सुविधाएँ मिलें यह लोकतंत्र का आवश्यक और सर्वाधिक महत्व का काम है। यह लोकतंत्र को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब कि सेतो और उद्योग शिक्षा के पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग बनें और विज्ञान तथा मनशास्त्र मानव को रहन-सहन और मानवीय उत्थान का दायित्व वहन करें। 'जब तक विश्व की प्रकट और दबी हुई शक्तियाँ केवल विनाश-कारी कार्यों में प्रयुक्त होती रहेंगी तब तक गरीबी समाप्त करने की दिशा में कोई सफलता नहीं मिलेगी'। श्री नारमन कजिस के ये वाक्य इस सन्दर्भ में सहज ही स्मरण हो जाते हैं।

व्यक्ति सामाजिक समाज की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट पहचान है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में यह परम्परा रही है कि शिक्षा के मामले में राजनीति या किसी अन्य क्षेत्र का हस्तक्षेप नहीं होता था। शक्तिशाली शासक और सम्राट भी संत और कुलपतियों से विचार विमर्श करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और उनकी बतायी गयी राह को बड़े आदर के साथ सुनते थे। प्राचीन काल के बुद्धिमान व्यक्ति राजनैतिक सत्ता के साथ अपनी बुद्धिमत्ता को जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। महान् शिक्षक और संत जब शासकों को कोई सलाह देते थे तो उससे अपने को हटा लेने की स्वतंत्रता भी रखते थे। सामाजिक समाज में शिक्षा को यह जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक विचार कर सके, स्वतंत्रतापूर्वक योजना बनाकर उसे कार्यान्वित कर सके और अपने निर्धारित रास्ते पर स्वतंत्रतापूर्वक अग्रिम बढ़ सके। हमारी

शिष्टा-प्रणाली ने महान् विचारक, उच्चनेता, सृजनशील कलानार, विचारक, संत और दार्शनिकों की एक बड़ी जमात नहीं तैयार की उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी शिष्टा-प्रणाली में स्वातंत्र्य की चेतना का अभाव है। शिष्टा-प्रणाली में से स्वतंत्रता की चेतना के निर्वासित हो जाने का एक मुख्य परिणाम यह हुआ है कि शिष्टा के क्षेत्र में नव-चिंतन और मौलिकता के बदले एकरूपता कायम रखने और बनी-बनायी लीक पर चलने की परिपाटी प्रतिष्ठित हो गयी।

आज जिम्मेदार शिष्टाशास्त्री भी यह कहते हैं कि पाठ्यक्रम, पुस्तकें और परीक्षाओं के मामले में पूरे देश की हर स्तर की शिष्टा में एकरूपता होनी चाहिए। यह स्थिति अत्यंत दुःखद है। इससे अधिक भौतिक और भौतिक-तांत्रिक बात कोई और नहीं हो सकती। कोई कारण नहीं है कि एक प्रदेश के भीतर भी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षाओं की उत्तम विविधता न होनी चाहिए।

स्वतंत्र व्यक्ति और समाजवादी समाज

लोकतंत्र में शिष्टा ऐसी होनी चाहिए कि उससे मानव की महत्ता और स्वतंत्रता का बीज अंकुरित होकर फले फूले। आमलोग सच्चाई की खोज में नगें, इसकी प्रेरणा और सहायता उन्हें शिष्टा द्वारा मिलनी चाहिए। यह विलकुल ठीक ही कहा गया है कि शिष्टा की अन्तरात्मा किसी प्रश्न के उत्तर या निष्कर्ष में नहीं, खोज में नीहित है। शिष्टा की जो प्रणाली भिन्न राय रखनेवाले का मुँह बन्द कर देती है उसके दित लड़ चुके हैं, वह अपने मूल्य और महत्त्व का विरवाध ही खो चुकी है। शिष्टाको, और साथ ही छात्रों को भी इस बात की योग्यता और समता होनी चाहिए कि वे जिसे ठीक और सच्चा समझते हैं उसे प्रकट कर सकें। उनके मुँह पर ताला लगने का अर्थ होता है उनके दिमाग पर ताला लगना। जिस आदमी को सच्ची शिष्टा मिली है वह किसी विचार से डरता नहीं और सबसे सोचने के लिए तैयार रहता है। वह सच्ची बात करने में डर का अनुभव नहीं करता और अपने विश्वास के लिए हर प्रकार के परिणाम भुगनने की तैयारी रखता है। अगर लोकतंत्र को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सच्चाई के रास्ते पर बिना भय के आगे बढ़ें तो तोता रटत विश्वासों और निरंकुश पद्धतियों का शिष्टा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विचारों के अंधानुगमन से न तो जागरूक नागरिकता तक पहुँचा जा सकता है और न तो व्यक्तिगत दायित्व निभाने की प्रवृत्ति को ही पतपाया जा सकता है।

हमारे शिक्षक ही में ही मिलाते चले तो वे हार्जिज ऊपर नहीं उठ सकेंगे । उनका उत्तमन तो सत्य-प्रेम और मौलिकता की भावना द्वारा ही होगा ।

लोकतन्त्र एक जीवन-मूढति है । यह जीवन-मूढति अपने अनुयायियों से यह अपेक्षा रखती है कि उनमें मात्र अपने अधिकार के लिए ही नहीं, बल्कि औरों के अधिकार के प्रति भी उत्तमी ही कद की भावना हो जितनी अपने अधिकार के प्रति । लोकतन्त्र के इस रत के पीछे तात्विक आधार यह है कि नागरिक का धर्म जाति, धर्म, पद, जातिका, और समुदाय चाहे जो हो लेकिन लोकतन्त्र में उसकी स्वतंत्रता और अधिकार की हंसियत औरों के बराबर होगी । समाज में जिन साधनों से नागरिकों की सामाजिक मुक्ति और समानता का प्रादुर्भाव होता है उनमें शिक्षा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है । समानता का अर्थ एकत्पता नहीं है । अत व्यक्तित्त गुणा को समाप्त करनेवाली प्रवृत्ति को समानान्तर साधक नहीं माना जायेगा । शिक्षा में समानता को एक महत्वपूर्ण सिद्धात के रूप में स्वीकार करने का अर्थ यह कदापि नहीं है, जैसा कि प्राध्यापक टाउनी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की समताओं में स्वाभाविक रूप से पाये जानेवाले अन्तर को नहीं मानती । शिक्षा यदि मनुष्य में विद्यमान स्वाभाविक समताओं को अल से अमल रखेगी तो व्यक्ति की विविधता और उसकी अपनी ही प्रेरणा से कार्यरत होने की प्रवृत्ति के बदले एक निर्जोव और उदासोन्ता की स्थिति उत्पन्न होगी । अत शिक्षा को ऐसे तरीकों का अवलम्बन करना है जिसमें मेधावी और मद बुद्धि धनी और गरीब, सबको विकास का समान अवसर मिले । शिक्षा को राज्य की ओर से प्राप्त होनेवाले पुरस्कार के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित होना है । जो शिक्षा-मूढति धनी परिवार के लडकों को शिक्षा प्राप्त करने की अधिक और उत्तम व्यवस्था प्रदान करती है और निर्धन परिवार के लडकों के प्रति सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती है वह निन्दनीय है । किसी लडके ने धनी घर में जन्म लिया या गरीब घर में इस कारण उसकी शिक्षा में कोई ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए कि उसका विकास न हो सके । वह ऊँचे विकास का अवसर पायेगा तो समाज की ऊँची सेवा करेगा । आज पब्लिक स्कूल या इसी प्रकार की जो दूसरी शान-शौकतवाली शिक्षण-संस्थाएँ हैं, उनक खिलाफ मह आरोप काफी महत्व रखता है कि वे सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया से अलग अलग हैं और समाज में समानता के आदर्श से उनका कोई ताल-मेल नहीं है । इसलिए आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि समाज को पिछडो जातियों, और निर्धन परिवार के

लडकों को विशेष सुविधाएं और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें । चूँकि भाज नगरों और महानगरों में रहनेवाले लोगों के लिए वरीयता के आधार पर राज्य द्वारा विशेष सुविधा-सम्पन्न शिक्षण-संस्थाएँ खलायी जा रही हैं, यह मेरा मुभाव है कि अब सरकार प्रदेश के पिछड़े और गरीब लोगों की आबादोवाले क्षेत्रों में अच्छी इमारतों और शैक्षिक साधनों से सम्पन्न शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना को प्रथम वरीयता प्रदान करे । अब नगरों की इतनी आर्थिक समृद्धि हो रही है कि वे अपनी स्वयं ही चिंता कर सकते हैं ।

लोकतांत्रिक समाज का विकास

अतएव एक लोकतांत्रिक जीवन पद्धति का अर्थ होता है पारस्परिक सहिष्णुता, विश्वास, समझदारी, सहयोग और निरपेक्ष सेवा, और शिक्षा वह क्षेत्र है जहाँ नागरिक को विवेकमयून राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकात्मकता और अन्तर्राष्ट्रीय भावना की दीक्षा प्राप्त होती है । जो शिक्षा अपने लोगों के बीच में हमें अजनबी जैसा बना देती है वह निकम्मी है । 'चूँकि शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मत उसे दूसरों के कल्याण और दूसरों के जीवन की समृद्धि के प्रति चिंता और सहानुभूति पैदा करना चाहिए' यह डाक्टर टेलर का मत है । आज विद्यालय और महाविद्यालय सिर्फ ऐसी कच्चाई हैं जहाँ अभ्यासकण केवल पढाते हैं । इसके बदले इन संस्थाओं को एक सामाजिक-समुदाय के रूप में रहना चाहिए । शैक्षिक संस्थाओं और महाविद्यालयों में सामुदायिक जीवन-पद्धति की शुरुआत करके, छात्रों में विद्यालय अथवा महा-विद्यालय की विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को पतपाकर और शैक्षिक संस्था द्वारा पास-पड़ोस के लोगों की सामाजिक सेवा के कार्यक्रम तय में लेकर शिक्षण संस्था के सभी सम्बन्धित लोगों में चरित्र, आत्मानु-शासन, और सामाजिक दायित्व की भावना का उत्कर्ष किया जा सकता है । तिलसिलेवार सही शिक्षण, और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना को जिसने हृदयगम किया हो वह मन की शुद्धता, अघमक्ति और अपनी संस्कृति को ऊँचा मानने की अहवृत्ति से अपना छुटकारा पाने में समर्थ हो जाता है । शिक्षा का दायित्व है कि वह छात्रों में विश्व-समाज के लिए एक ऐसी ललक पैदा करे जिससे दुनिया के हर हिस्से के लोगों में भाषण में न्यायपूर्ण और मानवीय सम्बन्ध स्थापित होने का मार्ग खुल जाय । दुनियाभर के मनुष्य स्वस्थ और खुशहाल सभी हो सकते हैं जबकि वे भाषणी-एकता की अनिवार्य आवश्यकता का अनुभव करने लगे ।

लोकतंत्र की राजनैतिक दृष्टि से व्याख्या की जाय तो वह शिष्टा की दृष्टि से कोई बहुत आकर्षक साध्य नहीं रहता । लोकतंत्र शासन करने का एक ढंग है, जिसमें वोट, चुनाव और बहुमत-प्राप्त दल के शासन का विधान है । इस प्रकार के किसी लोकतांत्रिक राज्य में हमारी उतनी दिलचस्पी नहीं है । हमारी दिलचस्पी तो लोकतांत्रिक समाज में है जिसकी ऊपर की पंक्तियों में व्याख्या प्रस्तुत है ।

—(मूल प्रश्नों से)

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जायगी, कार्यरूप देने का काम पिछड़ गया है। १९६८-६९ में ६ वर्ष से १४ वर्ष की आयुवाले बच्चों में से केवल ६३ प्रतिशत बच्चे ही स्कूलों में जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों और क्षेत्रीय असमानताओं की ओर ध्यान देना भी आवश्यक हो गया है।

चौथी योजना के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें पिछड़े वर्गों और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जायेगा, के प्रसार को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षा के स्तरों, अनुसंधान और प्रशिक्षण, भारतीय भाषाओं के विकास और पाठ्यपुस्तकों के तैयार करने व छापने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

स्कूल-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षण-विधियों में सुधार करने पर बल दिया जायेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजना में ८ करोड़ ६८ लाख छात्र-छात्राओं को स्कूलों में भर्ती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से ३ करोड़ ४१ लाख ४० हजार लड़कियाँ होंगी। चौथी योजना में ३८ लाख और छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त कराने का लक्ष्य है। योजना के अन्त तक ७४ लाख ४० हजार लड़के और २९ लाख ६० हजार लड़कियाँ माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने और शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने पर भी जोर दिया जायेगा।

चौथी योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ६ लाख ४४ हजार और माध्यमिक स्तर पर १ लाख ५३ हजार अध्यापकों की ओर जखूरत होगी। कुछ राज्यों को छोड़कर शेष में आवश्यक अध्यापक चौथी योजना के दौरान प्रशिक्षित किये जाने की मारा है।

जहाँ तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, १० लाख प्रतिरिक्त छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण की सुविधाएँ जुटानी पड़ेंगी। इनमें से डेढ़ लाख को पत्राचार तथा साध्य कानेजों द्वारा शिक्षा की सुविधाएँ मिलेंगी। विज्ञानेतर विषयों के साथ साथ अन्य विषयों में भी शिक्षा की सुविधाएँ पत्राचार द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान का स्तर ऊँचा करने की ओर चौथी योजना में बहुत ध्यान दिया जायेगा। समाज-विज्ञान में शोधकार्य

शिक्षा और जनशक्ति

शिक्षा के प्रसार के लिए चौथी योजना में ५५० करोड़ के वार्षिक गैरयोजना-व्यय के प्रतिरिक्त ८०२ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। कुल परिव्यय में से ५४३ करोड़ रुपये के लिए, २८ करोड़ केन्द्र द्वारा चालू की गयी योजनाओं के लिए और २३१ करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र के लिए रखे गये हैं। लगभग १५० करोड़ रुपये को राशि गैरसरकारी साधनों से प्राप्त होगी।

कोठारी-धायन (१९६४-६६) की सिफारिशों के आधार पर ही शिक्षा-सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति तैयार की गयी है। चौथी योजना में इसीके अनुरूप ही शिक्षा-सम्बन्धी योजनाएँ तैयार की जायेंगी। चौथी योजना में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी जायेगी। विछड़े क्षेत्रों और वर्गों तथा लड़कियों की शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्राप्त कराने पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण स्नातकोत्तर शिक्षा तथा शोध-कार्य की सुविधाएँ बढ़ाने, भारतीय भाषाओं के विवास, पुस्तक-प्रकाशन (विशेषकर पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन) और उद्योगों की आवश्यकताओं और स्वयं काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा के समेकीकरण, युवक सेवाओं के विस्तार आदि की ओर भी ध्यान दिया जायेगा। थोड़ी लागत और अधिक लोगो को काम देने की संभावना वाले कार्यों को भी बढ़ावा दिया जायेगा। शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किये व चलाये जायेंगे।

पिछले ८ वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का व्योम निम्न अनुसार है :

	१९६०-६१	१९६८-६९
स्कूलों में विद्यार्थी	४ करोड़ ५० लाख	७ करोड़ ६० लाख
कालेजों और वि० वि० में विद्यार्थी	७ लाख ४० हजार	१६ लाख ६० हजार
इंजीनियरी और तकनीकी शिक्षा- संस्थानों में विद्यार्थी	४०,०००	७३,६००
शिक्षा पर कुल व्यय	३४४ करोड़	८५० करोड़
व्यय में सरकार का भाग	६८ प्रतिशत	७५ प्रतिशत

शिक्षा के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद अभी तक सुविधान में दिखे गये इस निर्देश को कि १० वर्ष के अन्दर अन्दर १४ वर्ष से कम आयुवाले

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जायगी, कार्यरूप देने का काम विरुद्ध गया है। १९६५-६६ में ६ वर्ष से १४ वर्ष की आयुवाले बच्चों में से केवल ६३ प्रतिशत बच्चे ही स्कूलों में जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों और क्षेत्रीय असमानताओं की ओर ध्यान देना भी आवश्यक हो गया है।

चौथी योजना के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा, जिसमें पिछड़े वर्गों और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जायेगा, के प्रसार को प्राथमिकता दी जायेगी। शिक्षा के स्तरों, अनुसंधान और प्रशिक्षण, भारतीय भाषाओं के विकास और पाठ्यपुस्तकों के तैयार करने व धापने और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

स्कूल-पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-सामग्री, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षण-विधियों में सुधार करने पर बल दिया जायेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिए योजना में ८ करोड़ ६८ लाख छात्र-छात्राओं को स्कूलों में भर्ती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से ३ करोड़ ४१ लाख ४० हजार लड़कियाँ होंगी। चौथी योजना में ३८ लाख और छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त करने का लक्ष्य है। योजना के अन्त तक ७४ लाख ४० हजार लड़के और २६ लाख ६० हजार लड़कियाँ माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने और शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने पर भी जोर दिया जायेगा।

चौथी योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ६ लाख ४४ हजार और माध्यमिक स्तर पर १ लाख ५३ हजार अध्यापकों की ओर जख्तर होगी। कुछ राज्यों को छोड़कर शेष में आवश्यक अध्यापक चौथी योजना के दौरान प्रशिक्षित किये जाने की आशा है।

जहाँ तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, १० लाख प्रतिरिक्त छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण की सुविधाएँ जुटानी पड़ेंगी। इनमें से डेढ़ लाख को पत्राचार तथा साध्य बालेजो द्वारा शिक्षा की सुविधाएँ मिलेंगी। विज्ञान-क्षेत्र विषयों के साथ-साथ अन्य विषयों में भी शिक्षा की सुविधाएँ पत्राचार द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।

स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान का स्तर ऊँचा करने की ओर चौथी योजना में बहुत ध्यान दिया जायेगा। समाज-विज्ञान में शोधकार्य

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय परिषद् का गठन किया जायेगा। स्नातकोत्तर शिक्षा को सुविधाओं के प्रसार के लिए ऐसे शहरों में, जहाँ बहुत-से कालेज हों और जहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक होगी, विश्व-विद्यालय होने जायेंगे।

इसी तरह विद्युत् बलों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद दी जानेवाली वृत्तियों की संख्या १९७३-७४ तक १ लाख ४५ हजार से बढ़कर २ लाख हो जायेगी।

अधिक उपज देनेवाली किस्में पैदा करनेवाले इलाकों के किसानों को काम-चलाऊ पढ़ना-लिखना सिखाने के कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा, ताकि १०० जिलों के १० लाख वयस्क किसान साक्षर हो सकें।

इसी प्रकार अन्तर्भाषायी अनुसंधान, अनुवादको के प्रशिक्षण तथा भारतीय भाषाओं में उपयुक्त साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने के लिए भाषा-संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इसके साथ ही भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग तथा राज्य सरकारों के सहयोग से हाथ में लिया जायेगा।

तकनीकी शिक्षा

चौथी योजना में कई नयी तकनीकी संस्थाएँ खोलने की योजना है। इन संस्थानों में उपाधि-स्तर पर २५ हजार और डिप्लोमा स्तर पर ४८ हजार ६०० विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। योजना में पढ़ाई के स्तर और पाठ्यक्रम के सुधार पर विशेष बल दिया जायगा। वैमानिकी (एयरोनाटिक्स) समवाय विज्ञान (मैटीरियल साइंसेज) तथा भोजार प्रौद्योगिक (इन्स्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी) में उच्च अध्ययन के लिए केन्द्रों का विकास किया जायेगा।

जनशक्ति

उच्च शिक्षा का विकास मोटे तौर पर काम-बंधो और शिक्षित जनशक्ति के लिए अर्थस्यवस्था की भावी माँगों से सम्बद्ध होना चाहिए।

चौथी योजना के अंत तक देश में मैट्रिकल कालेजों की संख्या बढ़कर १०३ हो जायेगी, जिनमें १३ हजार विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। इसी तरह डॉक्टरों की संख्या भी बढ़कर १ लाख ३८ हजार हो जायेगी। १९६८-६९ में ५,२०० व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर या जबकि चौथी योजना के अंत तक ४,३०० व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर और इसके ५ साल बाद ३,७०० व्यक्तियों

के पीछे एक डाक्टर होगा। इसी प्रकार नर्सों तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों (डाक्टरों के भलाबा) की संख्या जो १९६८-६९ में १ लाख ७० हजार ५०० थी, योजना के अंत तक बढ़कर २ लाख ५९ हजार ९०० हो जायेगी।

१९६०-६१ में कुपि तथा पशु-विक्रिसा-स्नातकों की संख्या जो क्रमशः १४ हजार तथा ५ हजार थी, १९७३-७४ तक बढ़कर क्रमशः ७१ हजार तथा १५ हजार २०० हो जायेगी।

तीसरी योजना की अवधि में डिप्लोमा तथा उपाधि-पाठ्यक्रमों में दोनों स्तरों पर इंजीनियरी शिक्षा को बड़ी मात्रा में काफी सुविधाएँ दी गयीं। १९६२ में चीनी भाषा के बावजूद १९,१०० उपाधिधारकों तथा ३७ हजार ४०० डिप्लोमाधारकों को तैयार करने का तीसरी योजना का जो आरम्भिक लक्ष्य था वह केवल पूरा ही नहीं हुआ बल्कि १९६३-६४ तक पहुँचते-पहुँचते इससे ज्यादा उपाधि डिप्लोमाधारक तैयार किये गये। यद्यपि १९६७-६८ में इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिले में गिरावट जरूर आयी और पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा १९६८-६९ में ३० प्रतिशत कम विद्यार्थियों ने ही दाखिला लिया, लेकिन १९६०-६१ में स्नातक इंजीनियरों की संख्या जहाँ ५८ हजार थी वहाँ वह १९६८-६९ में बढ़कर कुल १ लाख ३४ हजार है। इसी तरह जहाँ १९६०-६१ में ७५ हजार डिप्लोमाधारक थे वहाँ १९६८-६९ में उनकी कुल संख्या बढ़कर १ लाख ९८ हजार हो गयी।

चौथी और पाँचवी योजनाओं की भीसत आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इंजीनियरी में वर्तमान शिक्षा-सुविधाएँ पर्याप्त होगी। शुरू में समस्या केवल उपलब्ध कर्मचारियों को कारगर ढंग से काम में लगाने तथा उनका बेहतर ढंग से उपयोग करने की होगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान

चौथी योजना में वैज्ञानिक तथा भौद्योगिक अनुसंधान परिपद के लिए ७४ करोड़ ६ लाख रुपये के अतिरिक्त गैरयोजना व्यय के साथ ५० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। तीसरी योजना में इस संगठन के लिए २५ करोड़ ३० लाख रुपये के गैरयोजना व्यय के साथ ३३ करोड़ रुपये के परिष्वय की व्यवस्था की गयी थी।

परिपद अनुसंधान और विकास के लिए ऐसी परियोजनाएँ चुनेगी जिनका भौद्योगिक उत्पादन पर काफी तथा स्पष्ट प्रभाव पड़े। अनुसंधान शालाओं और उद्योगों में अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना भी प्रस्ताव है। तकनीकी

विज्ञान के विकास को जिसमें काँच और मिट्टी के वर्तन, अलौह धातुओं को जैसे मैग्नेशियम और टाईटेनियम, मिश्रधातु (अतौय) पौलीमर्स और बायोकेमिकल्स शामिल हैं, प्राथमिता दी जायेगी।

चौथी योजना में जो परियोजनाएँ शामिल की गयी हैं उनमें राणा प्रताप सागर तथा कलपक्कम (प्रथम चरण) स्थित परमाणु शक्ति परियोजनाओं को पूरा करना भी शामिल है। इनमें बड़ी मात्रा में देश में बनी सामग्री का इस्तेमाल किया जायेगा और अपने इन्जीनियर ही इनके डिजाइन आदि तैयार करेंगे। एक दूसरी परियोजना है कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ मट्टो अनुसंधान केन्द्र तथा कलकत्ते में एक वेरीएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन खोलने की। कलपक्कम स्थित केन्द्र थोरियम के इस्तेमाल के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य करेगा।

अनु विज्ञान (मिट्टीभोरॉलोजी) तथा विपुवद् वृत्तीय वैमानिकी (इक्वी-टोरियल एयरोनामी) से सम्बन्धित अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए उन्नत राकेट विकसित किये जायेंगे। पूर्वी तट पर मध्यम ऊँचाईवाले अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए राकेट छोड़ने का केन्द्र स्थापित करने का काम भी चालू किया जायेगा।

चौथी योजना में परमाणु शक्ति विभाग के लिए ८५ करोड़ १९ लाख रुपये के परियोजना व्यय के साथ ६१ करोड़ १८ लाख रुपये का व्यय निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान-शालाओं में किये गये अनुसंधानों और नयी खोजी हुई परिष्कृत कार्यविधियों के उपयोग करने का काम सौंपा गया है। इस कार्य के लिए योजना में २ करोड़ रुपये की राशि रसी गयी है।

[चौथी पंचवर्षीय योजना, संक्षिप्त प्रारूप से]

सीमेस्टर-प्रणाली : शिक्षा के क्षेत्र में नया कदम

वेदप्रकाश सिंह

“जी हाँ, यह सत्य है कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘सीमेस्टर’-प्रणाली अपनायाने का फैसला कर लिया है—फैसला ही क्यों, १९७१ तक विश्वविद्यालय में यह प्रणाली सभी विषयों में लागू भी हो जायेगी। अमेरिका की सीमेस्टर-प्रणाली को हमने अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। एक प्रकार से, उसमें पुरानी और नवीन प्रणाली का सम्मिश्रण है। यहाँ की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक था।”

ये विचार दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के रीडर डा० रणधीर बहादुर जैन ने उस समय प्रकट किये जब उनसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अमेरिका में प्रचलित, सीमेस्टर प्रणाली अपनाये जाने के बारे में पूछा गया।

हंसमुख स्वभाव के युवा डा० रणधीर जैन स्वयं उन गिने-बुने शिक्षाशास्त्रियों में से हैं, जो वर्तमान शिक्षा-मदति की कमियों से भली प्रकार परिचित हैं और उन त्रुटियों को दूर करने में छात्रों से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

जब डा० जैन से मैंने पूछा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सीमेस्टर-प्रणाली ही अपनाने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा करने के कई कारण हैं। सबसे पहला तो यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली पुरानी पड़ गयी है और समय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। इस युग में, जबकि जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रान्ति हो रही है और मनुष्य के समस्त ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी विद्या के क्षेत्र में असीम सम्भावनाओं के द्वार उन्मुक्त हो गये हैं, हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली को भी आधुनिक रूप देना अनिवार्य हो गया है ताकि वह समय की गति के साथ चल सके और उन भाषाओं और भाषावाचकों को पूर्ति कर सके जो हम उससे करते हैं। सीमेस्टर-प्रणाली हमारी इन आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और शिक्षा-प्रणाली को आधुनिक बनाने के साथ साथ उसे उद्देश्य एवं मय प्रदान करती है।

डा० जैन के अनुसार, सीमेस्टर प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

सीमेस्टर-प्रणाली में समय की काफी बचत होती है। पुरानी शिक्षा-प्रणाली में छात्र को एक वर्ष में एक ही वार्षिक परीक्षा देनी पड़ती है और यदि वह

किसी कारणवश उसमें असफल हो जाता है तो उसे पुनः एक वर्ष तक उसी कक्षा में अध्ययन करना पड़ता है। दुबारा परीक्षा पास करने पर ही, वह दूसरी कक्षा में प्रवेश पा सकता है। लेकिन, सीमेस्टर-प्रणाली में यह दोष नहीं है। इसके अन्तर्गत एक वर्ष के अध्ययनक्रम को दो सीमेस्टरो में बाँट दिया गया है। पहला सीमेस्टर १५ जुलाई से प्रारम्भ होकर १४ नवम्बर तक चलता है तथा दूसरा १२ दिसम्बर से ३१ मार्च तक। प्रत्येक सीमेस्टर के लिए विषयों का निर्धारण कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, प्रथम सीमेस्टर में चार विषय पढ़ाये जाते हैं और दूसरे में ६ विषय। यदि प्रथम सीमेस्टर में अध्ययन करने-वाला छात्र किसी कारणवश 'सीमेस्टर' में निर्धारित सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसे रुकना नहीं पड़ता। वह दूसरे सीमेस्टर में प्रवेश कर जाता है तथा दूसरे सीमेस्टर की पढ़ाई करता हुआ प्रथम सीमेस्टर की कमी को भी पूरा कर सकता है। और, यदि छात्र चाहे कि वह प्रथम सीमेस्टर में शामिल किसी विषय की परीक्षा प्रथम सीमेस्टर में न देकर दूसरे सीमेस्टर में दे, तो वह ऐसा भी कर सकता है।

अध्ययन-क्रमों की विविधता सीमेस्टर-प्रणाली की एक दूसरी विशेषता है। डा० जैन ने बताया कि जहाँ हम पहले छात्रों को केवल कुछ विषय ही पढ़ा सकते थे, वहाँ अब एक ही विषय में ५० से भी अधिक विविध अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था करना तथा विभिन्न पेशों को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन-क्रमों की रचना करना सम्भव हो गया है। अब इस प्रकार की शिक्षा में लेक्चरों और पाठ्य-पुस्तकों के बजाय गोष्ठियों, परिचर्चाओं, और अनुसन्धानात्मक अध्ययन पर काफी जोर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अकेले राजनीतिविज्ञान में ५८ विभिन्न अध्ययन-क्रमों की व्यवस्था की गयी है।

डा० जैन ने बताया कि इस सीमेस्टर-प्रणाली की एक बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ इसने छात्रों के बोझ को घटाया है और उनके समय की बचत की है, वहाँ उन्हें पूरे वर्ष अध्ययन करने के लिए विवश कर दिया है। अब तक जो प्रणाली प्रचलित थी उसके अन्तर्गत वार्षिक परीक्षा निकट आने पर छात्र एक महीने तक घुमावदार पढ़ाई कर किसी प्रकार परीक्षा पास कर लेते थे। अब ऐसा करना सम्भव न होगा, क्योंकि अब उन्हें हर विषय की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके सम्बन्धित परिचर्चाओं और गोष्ठियों में भाग लेना पड़ेगा, पुस्तकालयों में बैठकर गहन अध्ययन करना होगा। अब जो प्रश्न-पत्र उन्हें हल करने पड़ेंगे उसमें अपेक्षा परत संज्ञा-सूचक न होकर समस्यामूलक होंगे। इस प्रकार

के प्रश्नों को वह तभी हल कर पायेगा, जब वह उस विषय में गहन और व्यापक जानकारी रखता हो ।

इस प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि छात्रों को हो नहीं, शिक्षकों को भी शिक्षण के ढग में परिवर्तन करना पड़ेगा । भव शिक्षक का काम कक्षाओं में लेक्चर देने तक ही सीमित नहीं रहेगा । भव उसे छात्रों के लिए गोष्ठियों, परिचर्चाओं और समस्यामूलक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना पड़ेगा । इसका फल यह होगा कि छात्रों और शिक्षकों में अधिक निकट और घनिष्ठ सम्बन्ध कायम होंगे ।

यह पूछने पर कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी गयी सीमेस्टर-प्रणाली अमेरिका में प्रचलित सीमेस्टर-प्रणाली के ही ढग की है, डा० जैन ने कहा कि अमेरिका की हुबहु नकल करना न तो हमारा उद्देश्य है और न ऐसा कर पाना हमारे लिए सम्भव है ।

सबसे पहली बात तो यह है कि हमने अपने देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके स्वरूप में संशोधन और परिवर्तन कर लिये हैं । उदाहरणार्थ, अभी हमने छात्रों को योग्यता को भाँकने के लिए अमेरिकी सीमेस्टर-प्रणाली में प्रचलित ढग 'मान्तरिक मूल्यांकन' को नहीं अपनाया है । हम भव भी पुरानी प्रणाली की 'परीक्षा' द्वारा ही छात्रों की योग्यता को भाँकते हैं । इसके अलावा और भी कई परिवर्तन किये गये हैं ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चाह कर भी सीमेस्टर-प्रणाली को पूरी तरह नहीं अपना सकते, क्योंकि इसके लिए निम्नलिखित बातों का होना बहुत जरूरी है :

- (१) प्रचुर परिमाण में पाठ्य-सामग्री की उपलब्धि तथा अच्छे पुस्तकालय,
- (२) छात्रों और शिक्षकों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध,
- (३) शिक्षकों की प्रचुरता,
- (४) छात्रों और शिक्षकों में छाल मेल तथा शिक्षकों का तटस्थ दृष्टिकोण,
- (५) गोष्ठियों, परिचर्चाओं और गहन अध्ययन की सुविधाएँ,

भारत में अभी इन सब चीजों का अभाव है, इसलिए सीमेस्टर-प्रणाली को उसके मूल रूप में लागू नहीं किया जा सकता ।

सीमेस्टर प्रणाली के प्रति छात्रों में व्याप्त असन्तोष की चर्चा करने पर डा० जैन ने कहा कि इस सम्बन्ध में छात्रों का भय निर्मूल है । लेकिन, इसके

लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अब तक छात्रों को सीमेस्टर-प्रणाली और उसकी अच्छाइयों से परिचित नहीं करा पाये हैं। मेरा यह दृढ़ मत है कि सीमेस्टर प्रणाली छात्रों के लिए हितकर है और वह निश्चय ही सफल होगी। वह शिष्टा का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ छात्रों में आत्म-विश्वास पैदा करने तथा विभिन्न पेशों के अनुकूल शिष्टा प्रदान करने की दृष्टि से बहुत ही कारगर है।

—‘अमेरिकन रिपोर्टर’ से

शिक्षा का स्वरूप एवं प्रशासन

डा० मंगल प्रसाद अग्रवाल

भाज गणतंत्र को गुणतंत्र में (भवगुणतंत्र में नहीं) रूपान्तरित करने की तीव्र आवश्यकता है। वस्तुतः देश की सुरक्षा, एकता, धर्मनिरपेक्षता और विकास की सभी समस्याओं के केन्द्रबिन्दु में—मूल में मनुष्य है। मनुष्य बिगड़ा तो पूरा देश बिगड़ा और मनुष्य बना तो पूरा देश बना। मनुष्य ही सृष्टि का मुकुट है। अतः वास्तविक रूप से भाज मनुष्य, स्वावलम्बी मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य, बनाने की ही तीव्र आवश्यकता है। मनुष्य बनाने या मनुष्यता का विकास करने के सबसे अधिक कठिन कार्य का प्रमुख एवं सबल माध्यम है शिक्षा—सर्वधिक शिक्षा एवं अधिविक शिक्षा। किन्तु अपने देश की वर्तमान शिक्षा ऐसी है कि भाज घर के चिराग से ही घर में भाग लग रही है। भाज हमारे अधिकांश बालक शरीर, मस्तिष्क, भावना, ज्ञान, कौशल, रुचि तथा विचार एवं व्यवहार सबमें दीन होन-दुर्बल है। इसमें भारभर्य नहीं। यह हम सब अभिभावकों, प्रशासकों एवं शिक्षकों की कृतिमो या विवृतिमो का परिणाम है। कोई भी बालक या बालिका जन्म या स्वभाव से विध्वंसक या पापात्मा नहीं है। स्पष्टतया हम अपने चिराग एवं भावस्वरूप बच्चों को सुविकसित करने हेतु अधिविक एवं अधिविक रूप से जो शिक्षा देते हैं उससे भाज बालक का विकास कम और विनाश अधिक हो रहा है। सचेत वर्तमान शिक्षा की गुणात्मक दृष्टि से ज्वलन्त समस्याएँ निम्नवत हैं—

१—पढाई के बाद बेकारी।

२—मातृक या डबे के बल पर पढाई के प्रमाण-पत्र एवं उपाधियों की प्राप्ति।

३—चलचित्रों के अधिशास से फैशन, कामुकता और अपराध प्रवृत्ति की प्रबलता।

शिक्षा के ये प्राणघातक कैन्सर हैं। ये ऐसे दोष हैं जैसे किसी मनुष्य के सब अंग त्रय्य हो, परन्तु उसकी साँस नहीं चलनी हो। भव क्या चीज बची? लाश। वस्तुतः भाज शिक्षा निष्प्राण है। भव चाहे जितने करोड़ रुपये खर्च करके इस शिक्षारूपी लाश का ढाँचा बनाये रहें।

माता-पिता के कर्तव्य

शिक्षा को भव सजीवनी चाहिए और यह सभी मिलेगी जब अपने मेरूदण्ड

लक्ष्मण के लिए राम और हनुमान जैसी आन्तरिक तडपन हो। यह तडपन अपने प्राणप्रिय बालक के लिए यदि माता-पिता में नहीं हुई तो दुनिया में किसीको नहीं हो सकती। बालक हमेशा दिन के १८ घण्टे और २० घण्टे अपने माता-पिता या अभिभावक के पास ही तो रहता है। इसलिए यदि शिचा को प्राणवान बनाना है तो सर्वोच्च प्राथमिकता में यह जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों का जिस प्रकार रक्षण और पोषण यथाशक्ति करते हैं उसी प्रकार उसके शिचा के लिए भी वे सतत जागरूक रहें और प्रतिदिन १ घण्टा या आधा घण्टा का समय इस कार्य हेतु दें। हम माता-पिता आज पूरे देश और दुनिया की शिचिक बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं और उस पर बहस करते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें अपने प्राणप्रिय बच्चे की पढाई और उसकी आदतों को जानने-समझने के लिए कोई समय नहीं, स्थान नहीं, शक्ति नहीं। सब तो यह है कि हममें बाल-चेतना का भयंकर अभाव है। आज भी पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक शिचा को देश के केवल १०-१५ प्रतिशत तक बालक-बालिकाएँ ही प्राप्त कर रहे हैं। उच्च शिचा तो प्रायः ५ प्रतिशत युवक ही प्राप्त करते हैं। यह भी बहुत अंशों तक बाल-चेतना के अभाव का ही परिचायक है। अतः यदि देश के केवल ५ प्रतिशत अभिभावक ही अपने बच्चे की शिचा के बारे में जागरूक हो जायें, बच्चे से घर में खेती, उद्योग, व्यापार या सेवा का कार्य लें, भवसर विद्यालय जायें, अपने बालक की आदतों, उसके दिनन्दिन व्यवहारों और उसके छाथियों को जानने-समझने एवं सुधारने की चेष्टा करें तो निरचय ही शिचा का मुरझाया हुआ कल्पवृक्ष पुनः पल्लवित होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने से ही प्रारम्भ करें और अपने सम्पर्क में आनेवाले अभिभावकों को इस ओर उत्प्रेरित करें।

शिचा-संहिता बने

इस दिशा में अभिभावकों के अतिरिक्त शासन और समाज को भी अब शासनाग्रही नहीं मनाग्रही प्रयत्न करने होंगे और सर्वप्रथम प्रशासन को स्वयं अपना शुद्धिकरण करना होगा। वर्तमान काल में अग्रणी शिचा के लिए स्वच्छ एवं गुद्गु प्रशासन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। श्री रामबद्रन् सन्धि ने एक वाक्य में अपना निष्कर्ष लिखा—“हमें अच्छी प्रशासन दीजिये, हम आपकी अच्छी शिचा (बुनियादी) देंगे।” प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित शोध कार्य का भी यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जनतंत्र की वर्तमान अवस्था एवं स्वरूप में शुद्धिकरण अनुभव से कठिन प्रतीत होता है। अतः श्रेयस्कर होगा यदि

न्याय-विभाग के समान शिष्टा-विभाग को भी स्वतंत्र कर दिया जाय जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव से शिष्टा मुक्त हो सके और जनतंत्र के आधार-स्वरूप मानसिक स्वातंत्र्य के लिए निष्पक्ष हो सके। यहाँ इसका उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि शासन स्वयं शिष्टा का भार पचायतों को सौंपकर मुक्त होना चाहता है और यह हस्तांतरण शीघ्र ही पचायतराज के अन्दर हो रहा है। तब इससे निश्चित रूप में यह अनेकानेक गुना श्रेष्ठ होगा कि शिष्टा-विभाग को, न्यूनतम रूप से प्रारम्भिक शिष्टा-विभाग को, न्याय-विभाग के समान स्वतंत्र कर दिया जाय। आज की पचायतें स्पष्टतया निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ और वैचारिक तथा आर्थिक दृष्टि से समर्थ नहीं हैं। किन्हीं कारणों से यदि यह स्वीकार्य न हो, तब वस्तुनिष्ठ मापदण्डों पर अत्यन्त सुस्पष्ट और सुविस्तृत रूप से 'शिष्टा संहिता' निर्मित की जाय और इसके आधार पर न्यायालयों में प्रत्येक शिष्टक, शिष्टार्थी और अभिभावक को न्याय पाने हेतु जाना समभव हो। प्रस्तुत लेखक ने शिष्टा-संहिता समिति के लैखिक अनुरोध पर मूमचे प्रदेश के लिए स्वयं शिष्टा-संहिता बनाकर तैयार किया। किन्तु अभी तक यह संहिता निर्णीत नहीं की जा सकी। यह कार्य गुणात्मक शिष्टा हेतु तत्काल पूर्ण किया जाना चाहिए।

द्वितीय—स्वच्छ प्रशासन के लिए जरूरी है कि शिष्टा की अनेकानेक समितियों में राजनीतिक महानुभावों को न रखा जाय। इनमें शिष्टा-विरोध, विषय-विरोध, मनोवैज्ञानिक, समाज-शास्त्री, शिष्टक एवं सर्वाधिक अक प्राप्त करने-वाने धात्र रहे जायें।

शिष्टा में सुधार के सुझाव

प्रशासन की व्यवस्था उक्त प्रकार से करते हुए शिष्टा की वर्तमान उल्लिखित समस्याओं के निराकरण-हेतु निम्नांकित प्रकार से प्रयत्न किये जायें—

१—शिष्टा के अनेक प्राप्य लक्ष्यों में एक लक्ष्य प्रमुखता के साथ यह स्वीकार किया जाय कि कम-से-कम १० या ११ वर्षों की माध्यमिक शिष्टा प्राप्त शिष्टार्थी स्वावलम्बी होगा। शिष्टार्थी आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी तो हो, साथ ही मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी वह स्वावलम्बी होगा। अर्थात् शिष्टार्थी अपने पेट, मस्तिष्क और आत्मा को भूल को तृप्त करने के लिए आवश्यक खुराक स्वयं के सद्प्रयत्नों से अर्जित कर सकेगा।

२—इस लक्ष्य को सेवाप्राप्त, गांधीप्राप्त एवं खादीप्राप्त आदि अनेक समस्याओं ने वर्तमान काल में भी प्राप्त किया है। अतः यदि एक स्थान में हाइड्रोजन और आक्सिजन मिलाने से आगो जला है जो यह अन्वय भी बनेगा। तदनुसार

इस स्वावलम्बन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यह सुभाष है कि हाफ-हाफ स्कूल चलाये जायें। इसका अर्थ है कि छात्र प्रतिदिन ३ घण्टे उत्पादक एवं शिक्षाप्रद कार्य करें और ३ घण्टे विषयो का अध्ययन करें। उत्पादक कार्यों में स्वावलम्बन हेतु कृषि, वागवानी, कताई-धुनाई एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य शिक्षाप्रद उत्पादक उद्योग हो सकते हैं। यदि विद्यालय में इन उद्योगों की व्यवस्था एवं संचालन सम्भव नहीं हो तो छात्रों को अपने अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ ही अपने परिवार की कृषि, उद्योग, व्यापार या अन्य सेवा-कार्य करने दिया जाय। छात्र यह कार्य व्यक्तिगत रूप से या टोलियों में कर सकते हैं। सम्बन्धित शिक्षक इनके कार्यों का निरीक्षण करें, रेकार्ड रखें तथा अभिभावक के हस्ताक्षर प्राप्त करें। इस प्रकार छात्र जो उत्पादन करें वह सब उनके अभिभावक का हो, किन्तु उत्पादित भ्रश में से चौथाई या छठा हिस्सा भयवा एक न्यूनतम निर्धारित राशि जो कम हो, शिक्षण-शुल्क के रूप में जमा किया जाय।

यहाँ पूज्य महात्मा गांधी का एक निर्देश उल्लेखनीय है—

“मैं मंत्रियों से कहूँगा कि वे खेराती तालीम देकर बच्चों को असहाय और अपाहिज बनायेंगे जबकि उसकी तालीम के लिए उनसे मेहनत कराकर उन्हें वे बहादुर और आत्मविश्वासी बनायेंगे।”

३—शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानवीय गुणों का शिक्षण भी विधिवत् रखा जाय—जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असभ्रह, धस्तेय, धस्वाद, भ्रमय, प्रेम, परोपकार, मित्रता, बन्धुता, विनम्रता, सेवा आदि। इन गुणों के अनुसार छात्र भाषण करें और इनके परीक्षण हेतु ‘नान-नेपर-पेन्सिल-टेस्ट’ की पद्धति अपनायी जाय।

४—शिक्षा का पर्यवेक्षण समग्र, वस्तुनिष्ठ, जतनात्रिक और सहकारी ढंग से अधिकाधिक भावृत्तियों में किया जाय। हमारी पीढ़ी का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है और कक्षाभा या कक्षा शिक्षण के सुधार की नींव में है पर्यवेक्षण। शिक्षकों की दक्षता का मापन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परिणाम के वस्तुनिष्ठ मापदण्डों पर स्वयं शिक्षकों तथा छात्रों के हित में किया जाय, और शिक्षक-दक्षता की वृद्धि की जाय। प्रस्तुत लेखक ने दक्षता-उपकरणों की रचना प्रयोग एवं सप्रामाणिकता आदि का कार्य पूर्ण किया है। अतः दक्षता-उपकरणों का अभाव भव नहीं है।

५—प्रत्येक विद्यालय के साथ एक विद्यालय-विवास-समिति का गठन किया जाय। इसमें प्रयत्नाध्यक्ष, प्राचार्य, एक से पाँच तक शिक्षक (दक्ष) तथा

प्रत्येक कक्षा से एक-एक सर्वाधिक भक्त प्राप्त करनेवाले छात्र और ३ से ५ तक ऐसे अभिभावक रखे जायें जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों ।

इस समिति के निर्णयों को पर्याप्त महत्त्व दिया जाय ।

६—शिक्षकों की सुरक्षा हेतु विशेषतया परीक्षा-प्रवधि में प्रबन्ध किया जाय । यदि किसी शिक्षक को चोट पहुँचे या उसकी हत्या हो तो उसके परिवार के पोषण हेतु समुचित प्रबन्ध किया जाय और अपराधियों को सख्ती के साथ दण्डित किया जाय । किसी भी समय शिक्षक की रिपोर्ट पर, सुरक्षात्मक प्रभाव पूर्ण कार्यवाही तत्काल ही की जाय । विद्यालय या महाविद्यालय में १% या २% ऐसे जो सबसे अधिक हिंसक छात्र हैं उनकी सूची रखी जाय और उन पर विशेष निगाह रखी जाय ।

७—उच्च शिक्षा के महाविद्यालय (मेडिकल व ऐसे ही अन्य व्यावसायिक महाविद्यालयों के अतिरिक्त) प्रायः कालीन ७ से १० या सायंकालीन ६ से ८ रखे जायें । अधिकाधिक शिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा हो, जिससे शिक्षार्थी अपनी जीविकोपार्जन करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने-अपने स्थान में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें । सायं ही नियमित महाविद्यालयों में केवल प्रतिभावान एव उपप्रतिभावान सामान्य से अधिक बुद्धि स्तर के छात्रों को ही प्रवेश दिया जाय । भवकाश विद्यालयों एव महाविद्यालयों में न्यूनतम हो । यह शिक्षा वस्तुतः स्वावलम्बन के द्वारा होनी चाहिए ।

८—चलचित्रों में इस प्रकार सुधार किया जाय कि उसमें योनि-उत्प्रेरकता तथा अपराध-प्रवृत्ति का पोषण न रहे । फिल्मों का नियमन भारतीय संस्कृति, सदाभिष्टि तथा सामान्य चरित्र पर पड़नेवाले प्रभाव की दृष्टि से किया जाय ।

भाज की शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभाव यह भी है कि सिद्धान्त को व्यवहार में हम रूपान्तरित नहीं कर पाते । भूत यदि इस अभाव से मुक्त होकर उक्त सुझावों को हम अभिभावकों ने ही अपने प्राणप्रिय बच्चों के हित में और अपने हित में कार्यान्वित किया तो मनुष्यता का विकास होगा, अनुकूल जनमत बनेगा और 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' का मार्ग प्रशस्त होगा ।

परीक्षा—नकल की परीक्षा

वंशीधर श्रीवास्तव

परीक्षा प्रारम्भ हुई। लडके मेज घपघपाने लगे—कहा, “हम शातिपूर्वक परीक्षा देने को तैयार हैं, परन्तु परीक्षा देने का हमारा हंग अपना होगा। इसमें किसी प्रकार का भयरोध हम नहीं चाहते।” उन्होंने कहा, “हर कालेज में यही हंग चल रहा है। हम चाहते हैं, यहाँ विपिबत चले। हमें भी नकल करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इसका परिणाम भयकर होगा।” प्राचार्य परीक्षा-भवन से बाहर चले गये। इन्वीजिलेटर खामोश बंठे रहे। छात्रों ने मनमानी की। यह एक विश्वविद्यालय की परीक्षा में हुआ।

दूसरी घटना इसी वर्ष ४ अप्रैल की है। मैनपुरी (उ० प्र०) के एक कालेज के उपप्राचार्य ने कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा और उनकी कापियाँ छीन लीं। परीक्षार्थियों ने परीक्षा-भवन से बाहर जाते हुए कहा, “इसका भयकर परिणाम होगा।” और, दूसरे दिन उपप्राचार्य पर लाठियों और चाकुओं से धाकमण किया गया। उन्हें गभीर चोटें भायीं और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी।

मुरादाबाद (उ० प्र०) के एक कालेज में एक प्राध्यापक ने एक परीक्षार्थी को परीक्षा-भवन में नकल करते हुए पकड़ा। साथी परीक्षार्थियों ने उनकी धमकी दी। किसी कच्चा की धोर गोली मारी गयी। गोली प्राध्यापक के सिर में लगी और उनकी अस्पताल पहुँचाया गया।

जौनपुर (उ० प्र०) में कुछ परीक्षार्थियों को नकल करने के आरोप में परीक्षा-भवन से निकाल दिया गया तो विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और कालेज में आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के ही आजमगढ़ जिले में एक परीक्षा-केन्द्र पर एक विद्यार्थी एक भयकर भ्रूलसेरिपन कुत्ते को लेकर परीक्षा देने भाया। कुत्ता परीक्षार्थी की मेज के नीचे बँठा रहा और उसने निरीक्षकों को अपने मालिक के नजदीक नहीं आने दिया। परीक्षार्थी मजे से पाठ्यपुस्तकों और नोटों से नकल करता रहा। कुत्ता धुरे से अधिक नारगर साबित हुआ। दूसरे दिन वह फिर कुत्ता लेकर भाया। उस दिन जाने-भनजाने कुछ निरीक्षक उसकी मेज के पास पहुँच गये। कुत्ता उन पर झपटा। कुछ तो जान बचाकर भागे, परन्तु एक पकड़ गया। कुत्ते ने उसके कपड़े फाड़ डाले। बड़ी कठिनाई से कुत्ते को परीक्षा-भवन से बाहर निकाला जा सका।

हाजीपुर (बिहार) के हाईस्कूल के एक परीक्षार्थी ने पकड़े जाने पर धुरे से निरीक्षक को घायल कर दिया। एक साथी परीक्षार्थी ने अध्यापक को बचाने की कोशिश की तो उसे भी धुरे मारे। बिहार का ही समाचार है। सकरा नाम के एक केन्द्र पर लगभग ४०० परीक्षार्थियों की नकल में सहायता के लिए उनके लगभग २५०० अभिभावक आये। निरीक्षकों ने सहायता की और परीक्षार्थियों ने जो खोलकर नकल की। एक दूसरे केन्द्र में परीक्षार्थी अपने अभिभावकों या मित्रों के साथ पहुँचे, जिन्होंने नकल करने में उनकी मदद की। निरीक्षक या लोग टुकुर-टुकुर देखते रहे या उन्होंने सक्रिय सहायता की। बिहार के ही एक दूसरे केन्द्र में अभिभावक ने परीक्षा-हाल में घूम घूमकर परीक्षार्थियों की नकल करने में सहायता की। कई केन्द्रों में लाउडस्पीकरों का प्रयोग भी किया गया। लाउडस्पीकर बाहर लगाये गये। पर्चे बाहर पहुँचा दिये गये। बाहर से प्रश्नों के उत्तर बोले गये और परीक्षार्थियों ने उन्हें अपनी उत्तरपुस्तिकाओं में अंकित किया।

नागपुर विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में १६० परीक्षार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया। उसमें एक के पास लम्बा रामपुरी चाकू था—यह दूसरी बात है कि उसे चाकू के प्रयोग करने का या तो साहस नहीं हुआ या मौका नहीं मिला। सतना (मध्यप्रदेश) में कुछ छात्रों को जब नकल करते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया और परीक्षा भवन से बाहर जाने से इन्कार किया तो पुलिस बुलायी गयी। पुलिस और विद्यार्थियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने छात्रों की मोड़ को वितर वितर तो कर दिया, परन्तु बाहर फिर एकत्र होकर विद्यार्थियों ने रेलवे स्टेशन पर पथराव किया और टेलीफोन एक्सचेंज को नुकसान पहुँचाया।

गोहाटी (असम) का समाचार है कि गणित के पर्चे में नकल करते हुए दो परीक्षार्थियों को परीक्षाभवन से निकाल दिया गया। इस पर एक हजार से अधिक युवकों ने एक परीक्षा-केन्द्र पर आक्रमण किया और परीक्षा-पत्रों और उत्तर-पुस्तकों को फाड़कर फेंक दिया। पत्थरबाजी में कई अध्यापक और अध्यापिकाएँ घायल हुईं। गनीमत है किसीकी जान नहीं गयी।

इसी प्रकार कलकत्ता (बंगाल) में एक केन्द्र के परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से इन्कार किया और दूसरे केन्द्रों पर आक्रमण कर परीक्षा को स्वगित करा दिया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से छह छात्रों और दो छात्राओं को निष्कासित कर दिया गया है। इन पर रिवास्वर और धुरे रखने के आरोप थे।

लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र चाकू-धुरा लेकर घडल्ले से परीक्षा-भवन में घाते हैं और नकल करते हैं। कोई कुछ कहे तो परिणाम भयकर हो सकता है। अपने को शरिचित पाकर प्रवचताओं ने निरीक्षण करने से इन्कार कर दिया और जब तक उनकी सुरक्षा का आश्वासन न मिले, निरीक्षण करना अस्वीकार कर दिया।

विश्व विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय केन्द्र पर परीक्षार्थियों ने जब खुलकर नकल करना शुरू किया तो परीक्षाएँ रोक दी गयीं। परीक्षाओं के पुनः प्रारम्भ होने के पहले ही छात्रों ने उपकुलपति का घेराव किया और परीक्षाएँ पुनः स्वगित कर दी गयीं।

परीक्षा के सम्बन्ध में भाये दिन के ये उपद्रव जो अब किसी प्रदेश में सीमित नहीं रह गये हैं, एक ही बात सिद्ध करते हैं कि परीक्षा में नकल करने में जो अनैतिकता की भावना जुड़ी हुई थी, अब वह बिलकुल निकल गयी है। परीक्षार्थी अब नकल करने को अनैतिक नहीं मानता। जो अनैतिक नहीं है उसे अपना 'अधिकार' मानने लगने की बात भी सहज मालूम पड़ती है। अब परीक्षार्थी जब अपने इस अधिकार के मार्ग में बाधा पड़ते देखता है तो वह किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रयोग को जायज समझता है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से धुरे और पिस्तौल का प्रयोग हो अथवा सामूहिक रूप से पथराव और भागजमी का।

इन सारी घटनाओं का परिणाम यह हुआ है कि परीक्षाएँ अध्यापक के लिए चुनौती हो गयी हैं। चुपचाप तडको को नकल करने दीजिए, नहीं तो आपकी जान का खतरा है। और आज के जमाने में कौन इतना बड़ा सिद्धान्त-वादी है जो झूठमूठ यह खतरा मोल लेने बैठे। सच्चे में, आज की परीक्षा-व्यवस्था के सामने एक चुनौती उपस्थित हुई है। जैसे इस चुनौती का मुकाबला किया जाय, यही मूल प्रश्न है।

निरीक्षकों की सुरक्षा के लिए पुलिस की सगोती की छाया में परीक्षा हो, यह समस्या का हल नहीं है। अतः हल तो कोई दूसरा ही ढूँढ़ना होगा। निःसन्देह, एक हल होगा परीक्षा-व्यवस्था में सुधार। सभी केन्द्रों में शिवा मयी ने परीक्षाओं में सुधार के लिए जो समिति गठित की है उसकी रिपोर्ट चाहे जो हो, वह भी परीक्षा-व्यवस्था में कुछ सुधार सुभायेगी। सुधार पहले भी सुभाये गये हैं। अक्षयवारा में रोज मये-नये सुझाव आते भी हैं। परन्तु इन सुझावों पर ध्यान नहीं होता—समस्या के न सुलझने का सबसे बड़ा कारण यही है।

हमें यह मानकर चलना चाहिए कि शिक्षा-संस्थाओं में पूरी पढाई नहीं होती, पढ़ाने के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं, पुस्तकें नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, पाठ्यक्रम संतोषपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं हुआ है, परीक्षा भी आदर्श ढंग से नहीं होती। परन्तु होता यह है—पढ़ाई हो चाहे न हो, पढ़ाने के साधन हो या न हों—परीक्षा आदर्श ढंग से ही हो। वैसे ही पर्व बनाये जायेंगे, कसकर माइडेशन होगा, निरीक्षण और गोपनीयता का प्रयास होगा। फलस्वरूप परीक्षा-पियों में परीक्षा के प्रति आक्रोश और अनिष्ठा का भाव उत्पन्न होता है। परीक्षा का स्वरूप आदर्श रखना है तो पढ़ाई का रूप भी आदर्श होना चाहिए।

परन्तु पढ़ाई हो या न, परीक्षा होगी। कारण है 'परीक्षा' एक रचित स्वार्थ बन गयी है। पर्व बनाना, कापियाँ जाँचना, माइडेशन, टेबुलेशन, स्क्रूटिनो आदि अनेक घन्टे जिसमें लाखों लोग लगे हैं, इस परीक्षा के साथ जुड़ गये हैं। परीक्षा परीक्षार्थी को रोटी-रोजी दे, न दे, दूसरे अनेक की रोटी-रोजी का सहारा है। अतः परीक्षा के क्षेत्र में स्टेटसको नहीं बदलता। मैं परीक्षा के प्रति विद्रोह को, चाहे वह नकल करके हो अथवा कापियाँ जलाकर, इसी 'स्टेटसको' के विद्रोह के रूप में देखता हूँ।

इसलिए परीक्षा के क्षेत्र में जो 'नकल' और उपद्रव आदि के अनैतिक तत्व दालित हो गये हैं उसको रोकने का सबसे पहला उपाय है कि परीक्षा-पद्धति के रूप को इस प्रकार बदल दिया जाय जिससे 'नकल' करने की 'प्रवृत्ति' समाप्त हो। सभी सुधारक कहते हैं कि परीक्षाएँ शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा ली जायें और साल में एक बार न होकर हर माह हो—पढ़ाई-लिखाई के साथ चलनेवाली वह सतत-प्रक्रिया 'बन्दीन्युप्रस प्रोसेस' हो, जचि करनेवाले वही हो जो पढ़ानेवाले हो, परीक्षा केवल स्मरण-शक्ति की न हो, व्यक्तित्व के हर पहलू की हो। परन्तु होता नहीं है। शाह-परीक्षा पूर्ववत् चलती रहती है। रचित स्वार्थ कुछ होने नहीं देते। समाज तब बदलेगा जब शिक्षा-पद्धति बदलेगी। शिक्षा-पद्धति तब बदलेगी जब परीक्षा-पद्धति बदलेगी। जब तक परीक्षा-पद्धति नहीं बदलेगी शिक्षा पद्धति नहीं बदलेगी। जब शिक्षा-पद्धति नहीं बदलेगी, समाज नहीं बदलेगा। यह एक दुश्चक्र है, जिसे रचित स्वार्थ टूटने नहीं देता। बिना तोड़े काम नहीं चलेगा।

एक सुझाव यह दिया गया है कि परीक्षापियों को सदर्म-गुस्तकें देखने दी जायें। पाठ्य-गुस्तकें, नोट्स, कुजियाँ, गेसपेपर्स, सभी सदर्म-गुस्तकें मान लिये जायें और परीक्षार्थी उत्तर देने के लिए चाहे जिसे देखें। परन्तु इससे

समस्या हल नहीं होती। अगर प्रश्न ऐसे हुए, जो परीक्षार्थी के किसी सदस्य-ग्रन्थ में तत्काल धने-धनाये उत्तर के रूप में नहीं मिलते, तो इस बात की क्या गारन्टी कि परीक्षार्थी अपने साथी से पूछताछ नहीं करेंगे भयवा पचें छोड़कर चठ न जायें और उपद्रव न करें। अतः यह नकल करने की छूट समस्या का हल नहीं है।

‘नकल’ का सबसे घृणित पहलू है—प्रतिभावाको और शिक्षको द्वारा परी-क्षाथियों को नकल करने में सहायता देना। सामूहिक नकल आम बात हो गयी है। उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षा में हर साल हजारों परीक्षार्थी नकल करने के अपराधी घोषित होते हैं और सैकड़ों शिक्षक नकल कराने के लिए दंडित होते हैं। बिहार में प्रतिभावाको द्वारा नकल कराने का ऊपर उल्लेख हो चुका है। परीक्षा-फल का सम्बन्ध जब तक अध्यापक के प्रमोशन से जुड़ा रहेगा और परीक्षा जब तक नौकरी पाने की कुञ्जी बनी रहेगी तब तक शिक्षको और प्रतिभावाको का यह मोह नहीं छूटेगा। पहला काम तो भाषानी से हो सकता है। परन्तु दूसरे काम का सम्बन्ध शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन से ही है। परीक्षा नौकरों को पासपोर्ट न हो।

दीक्षा-विद्यालयों (महिला और पुरुष) द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों का उन्नयन

प्रारम्भिक विद्यालयों का गुणात्मक विकास निम्नलिखित विषयों में किया जाना चाहिए —

- (१) स्वच्छता ।
- (२) स्वास्थ्य ।
- (३) भाषा शिक्षण ।
- (४) गणित-शिक्षण ।
- (५) सामाजिक विषय-शिक्षण ।

स्वच्छता

(१) समस्त प्रधानाचार्यों को राजकीय दीक्षा विद्यालयों की स्वच्छता के सभी पहलुओं पर विचार करके पूर्ण वर्ष के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए ।

(२) इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दिया जाय । प्रथम तीन महीनों में व्यक्तिगत स्वच्छता को ही अपनाया जाय ।

(३) व्यक्तिगत स्वच्छता में नासून, दाँत, भ्रूष, नाक, कान तथा वस्त्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ।

(४) छाना या नारता बाँधकर लान का कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए ।

(५) छात्रों एवं छात्राओं की कापियों तथा किताबों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(६) व्यक्तिगत स्वच्छता-कार्यक्रम के साथ विद्यालय-भवन, क्षेत्र तथा कचरा-कचो की स्वच्छता एवं सजावट की ओर ध्यान दिया जाय ।

(७) छात्रा को स्वच्छ रहने तथा स्वच्छता-कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहन देने तथा आपस में इस विषय में स्पर्धा रखने का प्रयत्न किया जाय ।

(८) विद्यालय की स्वच्छता तथा उसके वातावरण को आकर्षित बनाया जाय । छात्रा को विद्यालय की सजावट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ।

(९) स्वच्छता के साथ ही साथ छात्रों की आदतों, नैतिक एवं सामाजिक व्यवहार के सुधार को ओर भी ध्यान दिया जाय ।

(१०) स्वच्छता-सम्बन्धी बातों का सम्पूर्ण सम्प्रदाय राजकीय आदर्श

विद्यालयों तथा घपनाये गये ३ प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्राभ्यापको द्वारा नियमित रूप से कराया जाय ।

स्वास्थ्य

(१) दीक्षा-विद्यालयों के व्यायाम-शिक्षकों की देख-रेख में शारीरिक व्यायाम आयु के अनुसार नियमित तथा अनिवार्य रूप से कराया जाय ।

(२) व्यायाम का कार्य गमियों में प्रातःकाल के प्रारम्भ के चार घण्टों में तथा सन्धियों में सायंकाल के अन्तिम चार घण्टों में कराया जाय । स्थान तथा समय के अनुसार यह कार्य एकसाथ भी हो सकता है और अलग-अलग घंटों में भी कराया जा सकता है । साप्ताहिक व्यायाम भी कराया जाय ।

(३) राष्ट्रीय पर्वों पर स्वास्थ्य-प्रतियोगिताएँ करायी जायें । प्रतियोगिताओं में अन्य विद्यालयों के छात्रों को भी सम्मिलित किया जाय । स्वस्थ छात्रों को पुरस्कृत किया जाय । दीक्षा-विद्यालय पुरस्कारों का प्रबन्ध करें ।

(४) दीक्षा-विद्यालयों को सम्बन्धित विद्यालयों में तौलने की मशीन का प्रबन्ध कराना चाहिए । छात्रों को प्रवेश के, त्रैमासिक, षट्-मासिक तथा वार्षिक परीक्षा के समय तौला जाय और उनका वजन परीक्षाफल में अंकित किया जाय ।

(५) शैक्षिक सत्र में समय-समय पर छात्रों के चैक, हेजा तथा अन्य स्वास्थ्य-वर्द्धक टीके लगवाये जायें ।

(६) समय-समय पर स्वास्थ्य-अधिकारी को बुलाकर छात्रों का परीक्षण कराया जाय । यदि किसी छात्र के स्वास्थ्य में दोष हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाय ।

(७) स्वास्थ्य-वर्द्धक भ्रूपाहार की व्यवस्था की जाय । उपलब्ध भूमि में गाजर, मूली, टमाटर उगायी जाय और उन्हें छात्रों में वितरित किया जाय ।

(८) दीक्षा विद्यालय घपनाये गये विद्यालयों में खेलकूद-कार्यक्रम आकर्षक ढंग से चलवाने के लिए प्रयास करें । आवश्यकतानुसार अपने भण्डार से क्रीडा-सामग्री भी मुलभ करायें ।

(९) कक्षाओं में छात्रों की घनावश्यक भीड़ रोकी जाय और निर्धारित प्रवेश-संख्या तक ही प्रवेश स्वीकृत किया जाय ।

(१०) सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न कार्यक्रमों में दूगरे विद्यालयों के छात्र तथा अध्यापको को आमंत्रित किया जाय । स्थानाभाव की दशा में दीक्षा-विद्यालयों के छात्रों का उपयोग किया जाय ।

(११) स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यक्रमों में छात्राध्यापको तथा राजकीय प्रादर्श विद्यालयों के अध्यापको से नियमित रूप से सहयोग लिया जाय ।

भाषा, गणित तथा सामाजिक-अध्ययन-शिक्षण

(१) दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाचार्य, उप विद्यालय-निरीक्षक तथा नगर-पालिकाओं के शिक्षा-अधीक्षकों से अपना सम्पर्क स्थापित करके, दीक्षा-विद्यालय के समीपस्थ तीन प्राथमिक विद्यालयों को इस प्रकार चुनें कि विद्यालयों में प्रशिक्षको व छात्राध्यापको को जाने में अधिक समय व्यय न हो तथा इन विद्यालयों के छात्र भी सुगमता से अन्य विद्यालयों के कार्यक्रमों में जाकर भाग ले सकें ।

(२) प्रादर्श विद्यालय तथा सम्बन्धित विद्यालयों की एक परामर्शदात्री समिति बनायी जाय, जिसमें दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाचार्य, सम्बन्धित प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं निकटवर्ती नगरपालिकाओं के शिक्षा-अधीक्षक, सहायक-उपस्थिति-अधिकारी, मध्यम जिला-परिषद् तथा उप विद्यालय-निरीक्षक हों ।

(३) प्रादर्श विद्यालय तथा सम्बन्धित ३ प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान एवं सहायक-अध्यापको को एक गोष्ठी आयोजित करके, जिसमें दीक्षा-विद्यालय के प्रशिक्षक भी उपस्थित रहें, वर्ष भर के कार्यक्रम को निम्नलिखित आधार पर पूर्वनिश्चित किया जाय ।

(अ) शैक्षणिक-पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्न विषयों के अध्यापन की कार्य-योजना ।

(ब) शारीरिक उत्कर्ष एवं खेलकूद, व्यक्तिगत तथा विद्यालय के एवं घर के वातावरण की स्वच्छता, सम्बन्धित खेलकूद, व्यायाम, पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रमलाप, जैसे स्काउटिंग, जूनियर रेडक्रॉस इत्यादि ।

(स) आचार-सम्बन्धी व्यावहारिक ढंग के अवसरों का लाभ उठा करके नागरिकता एवं नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम ।

(द) सामाजिक पर्व एवं त्योहारों का मनाना, सामाजिक सस्यामों (विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, रेलवे स्टेशन) तथा व्यक्तियों (कमानायक, मुखिया, चौकीदार आदि) से कौनसी सुविधाएँ मिलती हैं तथा उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ।

(ह) इस समिति द्वारा दैनिक कार्यक्रम की एक योजना भी बनायी जाय, जिसमें प्रभावशाली ढंग पर गृहसर्च का संकेत रहे । इस समिति की मासिक

बैठकों में विद्यालय की शैक्षणिक समस्याओं पर विवेचन काय प्रगति प्रस्तुत की जाय ।

(४) दीक्षा विद्यालयों में पुरान (छात्राध्यापको) की गोष्ठी का आयोजन समय समय पर किया जाय, जिसमें इस प्रकार की योजनाओं को सफल बनान में सहयोग प्राप्त हो और उनका ज्ञान-वृद्धन हो ।

(५) अध्यापका के मौलिक प्रयास तथा अध्ययन का निवरण, एवं रचनाओं का पठन आदि हो ।

ये बैठकें धारी धारी से प्रत्येक विद्यालय में हो ।

(६) प्रशिक्षकों तथा प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों एवं छात्राध्यापकों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में आदर्श-भाठ, सहायक सामग्री प्रदर्शन आदि हो ।

(७) इन विद्यालयों में छात्राध्यापकों द्वारा निमित्त सहायक सामग्री एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ (छात्रजटिव टस्टस) धीरे धीरे प्रयोग में लायी जायें । पट एवं वार्षिक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रहें ।

(८) सभी छात्राध्यापका द्वारा कृपि एवं सामुदायिक काय की प्रभावशाली योजना बनाकर इन विद्यालयों में प्रदर्शनी आयोजित की जाय ।

(९) विशेष अध्यापकों विज्ञान क्राफ्ट, कला अथवा किसी प्रकारण को उत्तम विधि से पढ़ानेवाले अध्यापकों का विभिन्न विद्यालयों में कुछ समय के लिये आगान प्रदान हो ।

(१०) अच्छे प्रयास करने वाले अध्यापकों को अगल वष अध्यापक दिवस पर इन विद्यालयों की एक सभा बुलाकर 'प्रशस्ति पत्र किसी गण्यमान व्यक्ति द्वारा दिलाय जाय ।

(११) सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न कार्यक्रमों में दूसरे विद्यालयों के छात्र एवं अध्यापक आमंत्रित किय जाय । स्थानाभाव की दशा में दूरस्थ विद्यालयों के साधना का उपयोग किया जाय ।

(१२) दीक्षा विद्यालय में उपलब्ध साधन-जैसे पुस्तकालय मानचित्र, मूगोल एवं विज्ञान शिक्षण के उपकरण इत्यादि को इन सभी विद्यालयों में उपयोग की समुचित सुविधा प्रदान की जाय ।

(१३) इन विद्यालयों के छात्रों की समस्त क्षेत्रों में सम्मिलित प्रविद्योगिताएँ आयोजित की जायें और विजयताओं को यथासम्भव पुरस्कृत किया जाय ।

(१४) विषयानुसार शिक्षण के गुणात्मक सुधार के विषय में भागरा-मण्डल की विचारगोष्ठी की संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं :

अ—भाषा-शिक्षण

(१) दीक्षा-विद्यालय के अध्यापकों तथा छात्राध्यापकों की भाषा-सम्बन्धी कहानियों का सकलन हितोपदेश, पद्यतंत्र तथा ईसप-टैल्स, साप्ताहिक पत्रों भादि से कराना चाहिए। कक्षा १ से ५ तक के बच्चों को सुन्दर एवं सुवचि-पूर्ण कहाहियाँ सुनायी जायें।

(२) पाठखटेनपेन से लिखना बन्द करा दिया जाय। विद्यालयों में कलमों का गट्टर रहना चाहिए। आवश्यकतानुसार छात्रों को कलमों दी जायें।

(३) छात्रों के लिखित कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाय। उसे दीक्षा विद्यालय के सहायक अध्यापक देखें।

(४) श्रुतलेख का कार्य प्रतिदिन कराया जाय। श्रुतियों का सुधार ५ बार, पुनः भूल करने पर १० या १५ बार लिखने का अभ्यास कराया जाय। इस प्रकार के शब्दों की तालिका छात्राध्यापकों तथा अध्यापकों के सहयोग से प्रस्तुत की जाय, जिनके लिखने तथा शुद्ध उच्चारण में बहुधा बालक भूल करते हैं।

(५) हिन्दी भाषा में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक विषय में सुलेख पर ध्यान दिया जाय। कक्षानुसार प्रति सप्ताह सुलेख की प्रतियोगिताएँ करायी जायें। सुलेख का कार्य घर से भी करने को दिया जाय।

(६) छात्रों से कामज एकत्र कराये जायें और दीक्षा विद्यालय के छात्राध्यापकों से उनकी कवियाँ बनाकर, उन कवियों के ऊपर पक्तियाँ शुद्ध और स्वच्छ ढग से अच्छे छात्राध्यापकों द्वारा लिखवायी जायें—छात्रों से उनका प्रस्तुत करवाया जाय।

आ—गणित-शिक्षण

(१) गिनती तथा पहाड़ा-सम्बन्धी सहायक सामग्री तथा चार्ट दीक्षा-विद्यालय में बनवाये जायें तथा सम्बन्धित पाठशालाओं में भेजे जायें और उनका प्रयोग कराया जाय।

(२) तौल के बाट, नाप के फीते तथा धारिता के पात्रों का छात्रों को ज्ञान कराया जाय। छात्राध्यापक बाट, फीता तैयार करें तथा प्रयोग के लिए विद्यालयों में पहुँचायें।

(३) लिखित गणित कराने से पूर्व मौखिक गणित का अनिवार्य एवं नियमित

सम्मोचन कराया जाना चाहिए। लिखित कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाय। राजकीय दीक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सहयोग से सप्ताह में एक बार उसका निरीक्षण करें।

(४) गृह-कार्य का निर्धारण उसके निमित्त पुस्तिका में किया जाय तथा उसकी जानकारी अभिभावक को नियमित रूप से करायी जाय।

(५) प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में कार्य का सिद्धावलोकन करने के लिए तथा त्रुटियों एवं कठिनाइयों के निराकरण हेतु समस्त अध्यापकों की एक बैठक बुलाई जाय। कठिनाइयों के निवारण हेतु विचार विमर्श किया जाय।

(६) छात्राध्यापकों के कार्य का मूल्यांकन प्रधानाचार्य को अपने सहयोगी-अध्यापकों के सहयोग से आदर्श विद्यालय एवं निकटस्थ प्राथमिक पाठशालाओं में किये कार्य के आधार पर करना चाहिए।

इ—सामाजिक विषय-शिक्षण

इतिहास में कक्षा १ से ५ तक इतिहास की कहानियाँ भाषा की पुस्तकों के आधार पर स्मरण करायी जायें। छात्राध्यापक एवं अध्यापक स्वयं बीर पुरुषों की तथा देश और राष्ट्रोत्थान की कहानियाँ प्रस्तुत करें।

भूगोल के शिक्षण में तहसील, जिला, नदी, ऐतिहासिक भवन, नगरपालिका तथा जिला-परिषद् की जानकारी उनसे सम्बन्धित व्यावहारिक वस्तुओं को आधार मानकर करायी जायें। भूगोल-शिक्षण में मानचित्रों का अनिवार्य रूप से प्रयोग कराया जाय।

भूगोल शिक्षण में दीक्षा-विद्यालय के अध्यापकों तथा छात्राध्यापकों की देखरेख में पर्यटन की व्यवस्था करायी जाय।

ई—नागरिक शिक्षा-शिक्षण

(१) व्यक्तिगत वार्तालाप एवं शिष्टाचार तथा नैतिक भावनाओं का व्यावहारिक पक्ष अपनाया जाय। बच्चों के समस्त बोलने के आदर्श प्रस्तुत किये जायें।

(२) शिष्टता-सप्ताह मनाया जाय और शिष्ट छात्रों को पुरस्कृत किया जाय।

(३) भ्रष्टाचार के प्रयोग का उचित ज्ञान बालसभा के चुनाव के माध्यम से कराया जाय। विद्यालय में पोलिंग स्टेशन बनाये जाय तथा छात्रों को चुनाव-प्रणाली से अवगत कराया जाय। छात्राध्यापकों को एक कक्षा के स्थान पर बहुकक्षा शिक्षण का सम्मोचन दिया जाय।

दीक्षा-विद्यालयों द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के उन्नयन का वार्षिक कार्यक्रम

मास	कार्य-विवरण	विशेष विवरण
मई	दीक्षा-विद्यालय प्रागण में, उपविद्यालय निरीक्षक, प्रति उपविद्यालय-निरीक्षक, शिक्षा अधीक्षक, नगरपालिका एवं सम्बद्ध विद्यालयों के अध्यापकों की संयुक्त बैठक, जिसमें वर्ष भर के कार्य की रूपरेखा तैयार की जायगी और आवश्यकतानुसार सम्बद्ध विद्यालय के अध्यापकों से पूछताछ करके शैक्षिक उपादानों को सुलभ करने या कराने के लिए व्यवस्था की जायगी।	
अगस्त	दीक्षा-विद्यालय के अध्यापकों द्वारा सम्बद्ध विद्यालयों के प्रागण में भादर्श-पाठ-समायोजन, विभागीय निर्देशिका-नुसार उनकी दैनन्दिनी तैयार कराना तथा दीक्षा-विद्यालय में सम्पन्न होनेवाले भादर्श-पाठों के अवलोकनार्थ सम्बद्ध विद्यालयों के अध्यापकों को एक-एक करके समझान्तर से बुलाना और तदनुकूल कार्यान्वयन की प्रेरणा देना।	१५ अगस्त, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह।
सितम्बर	सम्बद्ध-विद्यालयों में दीक्षा-विद्यालय के शिक्षक-शिष्यों के जाने का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में ७ अक्टूबर तक की योजना-पाठ के रूप में पढ़ाने की यथावश्यक रूपरेखा, दीक्षा विद्यालय के सामान्य अध्यापक द्वारा तैयार की जायगी। सामान्य रूप से मास अगस्त के कार्यों की जाँच की जायगी और लिखित कार्य का संशोधन किया जायगा।	५ सितम्बर, शिक्षक-दिवस-समारोह। बालसभा की बैठक, २ अक्टूबर मनाने की तैयारी
अक्टूबर	प्रथम सप्ताह में योजना पाठ समापन समारोह होगा। इसी मास में दशहरा-भवकाय रहने के नाते समय कुछ कम मिलेगा, फिर भी जो समय मिलेगा उसमें दीक्षा-विद्यालय के कृपि अध्यापक, सम्बद्ध विद्यालयों की उपसभ्य यादिका में कुछ पीप्लिक आहार-सम्बन्धी वस्तुएँ उगाने का उपक्रम करायेंगे और व्यायाम-शिक्षक छात्रों के स्वास्थ्य-सम्बन्धी (भार लेना, लम्बाई आदि लेना) सधारात्मक कार्य करेंगे।	गांधी-जयन्ती समारोह, रबी-अभियान

मास	कार्य-विवरण	विशेष विवरण
नवम्बर	त्रैमासिक परीक्षा ली जायगी। कलात्मक-कार्य हेतु दोहा विद्यालय के कलाध्यापक सम्बद्ध विद्यालयों में जायेंगे और छात्रों में कलात्मक अभिवृत्ति पैदा करेंगे। दोपावली अवकाश के कारण समय कुछ कम ही मिलेगा। क्षेत्रीय एवं जनपदीय बाल-युवक समारोहों को तैयारियाँ भी की जायेंगी।	बाल-दिवस, क्षेत्रीय एवं जनपदीय बाल-युवक-समारोह।
दिसम्बर	दोहा विद्यालय के कृषि-अध्यापक, पूर्व निर्देशित कार्य की जाँच एवं सुधार हेतु सम्बद्ध विद्यालयों में जायेंगे और आवश्यक सरस्रण प्रदान करेंगे। सामान्य अध्यापक भी एक बार जायगा, जो अनुवर्धित पाठ की योजना का कार्यान्वयन करेगा और छात्रों के लिखित कार्यों के सुधारार्थ कुछ उपाय बतायेगा।	झंडा-समारोह, अभिभावकों सहित बाल-सभा की बैठक जिसमें परीक्षा द्वारा ज्ञात सफलता से उन्हें प्रवृत्त कराया जा सके।
जनवरी	दोहा-विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उनके सहायकों के कार्यों एवं अन्य विद्यालयीय कार्यों की प्रगति का निरीक्षण, सशोधन एवं सुझाव। सम्बद्ध विद्यालयों के अध्यापकों की दैनन्दिनी की जाँच तथा भगले सत्र के लिए दैनन्दिनी बनवाना। जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक पट्-मासिक परीक्षा समाप्त करने का यत्न। यथासम्भव २६ जनवरी को भी योजना-पाठ बनाकर पढ़वाना।	२६ जनवरी, गणतंत्र-दिवस समारोह। ३० जनवरी, शहीद-दिवस-समारोह।
फरवरी	ध्यापाम-शिस्त, दोहा-विद्यालय छात्रों के स्वास्थ्य की प्रगति की जानकारी करने हेतु, सम्बद्ध विद्यालयों में जायेंगे और छात्रों के स्वास्थ्य से सम्बन्धित कुछ सुधार के उपाय इंगित करेंगे। शिल्प-शिस्त भी, शिल्प-विज्ञान के लिए इन विद्यालयों में जाकर अपने विद्यार्थ्य में संसार या प्राप्त कुछ अच्छे सामान लेकर छात्रों का मनोबल बढ़ायेंगे।	बचतसोत्सव, बालसभा की बैठक जिसमें पट्-मासिक परीक्षा की सफलता-सफलता के प्रति यथावश्यक निर्देश-प्रसारण

मास	कार्य विवरण	विशेष विवरण
-----	-------------	-------------

मार्च वापिकोत्सव के रूप में, सम्बद्ध विद्यालयों के अध्यापकों एवं छात्रों को दीक्षा-विद्यालय प्राणख में एकत्र कराना । वर्ष भर के कार्यों का मूल्यांकन करना । पुरस्कार-विधि से प्रोत्साहन देना । प्रति-उप-विद्यालय-निरीक्षक, अधीक्षक नगरपालिका एवं अन्य क्षेत्रीय गण्यमान लोगों की उपस्थिति में यह समारोह सम्पन्न होगा ।

अप्रैल माध्यमिक शिक्षा परिषदीय परीक्षाएँ

अप्रैल-मई विभागीय परीक्षाएँ

दीर्घकालीन संस्तुतियाँ

प्राथमिक विद्यालयों की दशा जो वर्तमान काल में दृष्टिगोचर होती है वह अत्यन्त ही शोचनीय है । उचित भवनों की साज-सज्जा एवं अन्य उपकरणों की कमी के अतिरिक्त निष्ठाहीन अध्यापकों के बाहुल्य के कारण प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन उचित दिशा में सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है । अतः प्राथमिक आवश्यकता इस बात की है कि इन पाठशालाओं के लिए उचित भवनों की व्यवस्था की जाय तथा अध्यापक को सन्तुष्ट करने के लिए उसकी आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जाय । विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण अध्यापकों का मन शिक्षण की ओर उतना उन्मुख नहीं होता जितना कि उनसे अपेक्षित है । अतः वस्तुस्थिति यह है कि पहले हम शिक्षा प्रदान करनेवाले उस अध्यापक को उचित सुविधाओं, यथा-भावास की, विकित्सा की, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें । इसीके साथ-साथ हम यह भी देखें कि विद्यार्थियों के बैठने के लिए भवन स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद एवं आकर्षक वातावरण में स्थित है ।

प्राथमिक पाठशालाओं के उन्नयन करने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों का ध्यान योग्यता के आधार पर किया जाय । वर्तमान काल में प्राथमिक-शिक्षा निःशुल्क है, अतः प्राथमिक विद्यालयों में सम्पन्न एवं उन्नत परिवारों से विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते । ऐसे परिवारवाले अपने बच्चों का बौद्धिक स्तर गिर जाने के भय से उन्हें प्राथमिक पाठशालाओं में नहीं भेजते । इसका परिणाम यह है कि प्राथमिक पाठशालाओं के विद्यार्थियों का स्तर निम्न-

कोटि का रह जाता है और स्वस्थ सामाजिक वातावरण का अभाव रहता है। प्राथमिक पाठशालाओं में कुछ शुल्क लेने की व्यवस्था की जाय, जिससे वहाँ के छात्रों की जलपान आदि की समुचित व्यवस्था हो सके। इसके प्रतिरिक्त शिक्षण-सहायक-सामग्री के लिए भी आवश्यक शुल्क की व्यवस्था की जाय। ग्रन्थशा-शिक्षा-विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के लिए ग्रूनोफार्म, शिक्षण-सहायक-सामग्री, लेखन-सामग्री तथा पुस्तकों आदि की निःशुल्क व्यवस्था आवश्यक है।

दोचा-विद्यालयों के साथ उन्नयन हेतु कम-से-कम ३ प्राथमिक विद्यालयों को सम्बद्ध किया जा रहा है। उन विद्यालयों के सम्बन्ध में शासकीय आदेश दिये जायें कि —

(१) उन विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तर, व्यवस्था आदि के सम्पूर्ण अधिकार दोचा-विद्यालय के प्रधानाचार्य की सम्मति से केवल जिला-विद्यालय-निरीक्षक को ही हों।

(२) साज-सज्जा, उपकरण आदि के निर्माण एवं रखरखाव की व्यवस्था उन विद्यालयों में होनी चाहिए।

(३) इन विद्यालयों के भवन स्वास्थ्यप्रद, स्वच्छ एवं आकर्षक वातावरण में हों।

(४) इन विद्यालयों का निरीक्षण प्रति विद्यालय-निरीक्षक के प्रतिरिक्त दोचा-विद्यालय के अध्यापक तथा क्राफ्ट-टीचर की समिति द्वारा किया जाय।

(५) विभाग ऐसे आदेश पारित करे कि इस प्रकार के निरीक्षण आख्या में दिये सुझावों का अनुपालन अर्घ्यतः, जिला-परिषद् द्वारा किया जाय।

(६) समय-समय पर इन विद्यालयों के अध्यापक दोचा-विद्यालयों में अभि-नवीकरण एवं अनुसरण-गोष्ठियों के लिए भेजे जायें।

(७) मासिक परीक्षाओं के आधार पर ही वार्षिक उन्नति दी जाय।

['शैक्षिक उन्नयन राजकीय शिक्षा-संस्थान' से साभार]

भाषा, लिपि और विनोबा

काका कालेलकर

हम दोनों (विनोबाजी और मैं) करीब एक ही समय गांधीजी के आश्रम में गये। मैं मानता हूँ कि गांधीजी के आश्रमवासियों में सबसे पुराने हम दो ही हैं। गांधीजी की भाषा-नीति हम दोनों को एक-सी जँच गयी।

आश्रम में गुजराती

आश्रम के प्रारम्भ में सवाल उठा था कि आश्रम की भाषा कौनसी? स्वयं गांधीजी हिन्दी बहुत कम जानते थे, तो भी वे हिन्दी वे पच के थे। मैंने कहा, [उन दिनों विनोबा सस्कृत सीखने के लिए 'प्राज्ञ पाठशाला', वाई चले गये थे] "नहीं, आश्रम गुजरातीप्रधान शहर में स्थापित है। आश्रम में अधिकांश व्यक्ति गुजराती हैं। भासपास का सारा समाज गुजराती है, इसलिए आश्रम की भाषा गुजराती ही होनी चाहिए।" मेरी बात का स्वीकार हुआ और आश्रम में सब लोग गुजराती ही चलाने लगे।

हिन्दी राष्ट्रभाषा क्यों?

यह इसलिए कहता हूँ कि हम सब लोग गांधीजी के साथ पूरे सहमत थे कि भारत की एकता के लिए राष्ट्रभाषा का प्रचार आवश्यक होना चाहिए। हम सब एकमत थे कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है। भ्रूष (भडौच) में जो शिष्टा परिषद् हुई थी, उसमें गांधीजी अध्यक्ष थे और गांधीजी ने मुझे राष्ट्रभाषा पर एक लेख लिखने के लिए प्रेरित किया था। मेरी प्रथम दलील थी कि राष्ट्रभाषा का स्थान कोई एक स्वदेशी भाषा ही ले सकती है। मेरी दूसरी दलील थी कि इस सवाल का हल भारत के सत्ता न और यात्रियों ने कब का किया है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। इस निष्पत्ति पर दृढ़ होते हुए भी जब मैंने आश्रम की ओर गुजरात विद्यापीठ की बोसभाषा गुजराती ही ऐसा आग्रह चलाया तब मुझे अपनी सब बातें स्पष्ट करनी पड़ी। वे ही बातें आज भारत के लोगों के सामने रखना जरूरी हो गया है। सुना की बात है कि इस सम्बन्ध में थी विनोबाजी और मैं सी प्रतिशत सहमत हैं।

प्रादेशिक भाषाएँ

हमारा कहना है कि भारत की प्रादेशिक भाषाएँ छोटी हों या बड़ी, पूर्ण विकसित हो या अर्धविकसित—जनता की भाषाएँ हैं। उनकी जड़ें लोकजीवन में पड़े-पकर मजबूत हुई हैं। इनका अधिकार सबसे अधिक है। और अगर

भारत में प्रजाराज चलाना है तो जनता की भाषाओं के द्वारा ही जनता में हम जागृति और एकता तथा स्वराज-निष्ठा उत्पन्न कर सकते हैं ।

इसलिए जनता की प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा लोक-जागृति का काम करते हुए, हमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के लिए हिन्दी भाषा का सहारा लेना चाहिए । मैंने यहाँ तक कहा कि हिन्दी तो इस देश में प्रादेशिक भाषाओं की सेवा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही पनप सकती है ।

भाषा सीखने का पुरुषार्थ

यही बात विनोबाजी ने केवल शब्दों से नहीं, लेकिन अपने प्रसाधारण पुरुषार्थ से देश के सामने रखी है । विनोबाजी ने सब प्रादेशिक भाषाएँ सीखने का पुरुषार्थ किया है ।

विनोबा का संकल्प

हम दोनों पुराने आश्रमवासी थे सही, लेकिन जेल में हम एक-दूसरे के साथ बहुत अधिक नजदीक आ गये । विनोबा ने पूछा, “भारत की सब भाषाएँ क्यों न सीख लूँ ?” मैंने कहा, “उदार कल्प (उत्तम सकल्प) । इसमें मैं आपको पूरी सहायता दे सकूँगा ।”

तमिल से श्रीगणेश

विनोबा कहने लगे—“राजाजी हमें उलाहना देते हैं कि ‘हमें हिन्दी सीखने को बहते हो, परन्तु हमारी भाषा क्यों नहीं सीखते ?’ राजाजी के कहने में सार है तो मैं तमिल से ही क्यों न प्रारम्भ करूँ ?” मैंने कहा, “बहुत अच्छा है । आप तमिल भाषा सीख गये तो आपकी मलयालम भाषा ही गयी समझिए और तेलुगु और कन्नड भी आसान होगी ।” मैंने उनको समझाया कि दक्षिण की चार द्रविड भाषाओं में संस्कृत शब्दों का परिमाण अच्छा है । केरल की मलयालम में फीसदी प्रस्थी शब्द संस्कृत के हैं । कन्नड और तेलुगु में भी फीसदी साठ संस्कृत के शब्द हैं । एक तमिल ऐसी है जिसमें संस्कृत के शब्द फीसदी शायद चालीस से अधिक नहीं हैं । तमिल के अधिक-से अधिक शब्द लिये हैं मलयालम ने । प्रत्यय भी द्रविडी भाषाओं में एक-दूसरी के साथ मिलने होंगे । तमिल सीख ली हो तो द्रविड भाषाओं का सवाप्त मानो हल ही हो गया ।

कैदी को न देने की कितायें

बेतोर जेल में विनोबा ने दक्षिण की चार भाषाएँ हस्तगत और मुखोद्गत कर डालीं ।

जब अपनी पदयात्रा के सिलसिले में किसी भी प्रदेश में वहाँ की भाषा में विनोबा जनता से कह सकते थे कि 'भाषा अपनी भाषा में बोलिए, मैं समझ सकूँगा।' सचमुच भाषा तो लोक-हृदय को पूरा-पूरा खोलने की देवी कुञ्जी है। किसी भी भादमी के साथ उसकी भाषा बोलिए और उसकी आँखों की चमक देखिए। प्रसन्न होकर वह दिल खोल ही देता है।

विनोबा की हिन्दी को देन

मेरे जैसे यात्री अपना प्रचार का विषय लेकर एक-एक प्रान्त में घाठ-दस दिन घूमते हैं। स्थानिक भाषा सोखने का हमें मौका नहीं मिलता। विनोबा जब कहीं जाते हैं, वहाँ के हो जाते हैं। वहाँ वे काफी रहते हैं, स्थानिक साहित्य थोड़ा पढ़ लेते हैं और स्थानिक भाषा को सेवा भी कर लेते हैं। मैं स्वयं घाठ-दस बार असम (आसाम) गया हूँ। वहाँ के लोग मुझे अपना ही समझने हैं। अनेक असमीया परिवारों में मुझे आत्मीयता का स्थान मिला है। मैं असमीया थोड़ी-थोड़ी समझ सकता हूँ। बंगला लिपि और असमीया लिपि में दो-तीन अक्षरों का ही फरक है। तो भी मैंने असमीया साहित्य को छुपा भी नहीं है और विनोबा ने वहाँ के प्रधान सत साहित्यिक शकरदेव-भाषवदेव का साहित्य पढ़कर नामचीन का सार निकाला और हिन्दी को दे दिया। यही हालत पंजाबी भाषा और सिख साहित्य की है। मैंने 'जपुजी' के गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना लिखी है सही, लेकिन विनोबा ने जपुजी का सारा अनुवाद तैयार करके हिन्दी जपुत् को दिया है।

राष्ट्रभाषा की दो लिपियाँ

भाषा और लिपि के सवाल में गांधीजी पहचान गये थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करनेवाली भाषा है अंग्रेजी। इसके भक्त अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में काफी थे। ब्रिटिश राज्य भारत में चलानेवाले नौकरों को भी अंग्रेजी भाषा अनुकूल थी। और देश में उनका प्रभाव कम नहीं था। ऐसी हालत में अंग्रेजी को हटाना है तो भारतीय एकता का धारण रखनेवाले सब लोगों को एकत्र आकर मजबूत करना चाहिए।

भारत में धर्म भेद के कारण उन-उन धर्मों के समाज इतने भलग-भलग रहते हैं कि मानो हर एक समाज अलग राष्ट्र ही है।

जब हिंदुओं में जाति-भेद के कारण रोटी-बेटी-व्यवहार भी सांख्यिक नहीं है तो धर्मसमाजों में एक सामाजिकता उत्पन्न कैसे की जाय ?

देशी भाषाओं में संतों के कारण और यात्रियों के कारण हिन्दी भाषा का

प्रचलन भारत में थोड़ा-थोड़ा सर्वत्र था ही। इसी स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें हिंदी को अखिल भारत के व्यवहार की भाषा बनानी थी।

जब गांधीजी के प्रयत्न से हिंदी का प्रचार और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और अंग्रेजी भाषा के साम्राज्य के लिए खतरा दीख पड़ा तब विरोधी लोग जागे।

इनमें मुसलमान लोग कहने लगे—

जब पठानों का और मुगलों का राज्य था तब राज्यभाषा पंशियन थी। बाद में जनता की भाषा को प्रधानता देने के लिए खड़ी बोली को प्रतिष्ठित बनाया। उन दिनों देश के हिंदु-मुसलमान सब फारसी और अरबी कमोवेश सीखते थे। ऐसी हालत में राज्यभाषा और लोकभाषा एकत्र करके उर्दू बनायी गयी। उर्दू अखिल भारतीय देशी भाषा है। उसी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाते? जिनको राष्ट्रीय एकता चाहिए, स्वराज्य चाहिए उनका यह काम है।

गांधीजी ने देखा कि जो भाषा भारत की नहीं है और जिसे भारतीय जनता जानती नहीं ऐसी अंग्रेजी को हटाकर अगर हिंदी को वह स्थान देना है तो मुसलमानों के साथ और उर्दू के साथ समझौता किसे बिना चारा नहीं है।

अगर समझौता नहीं किया, एकता के लिए उसकी कीमत नहीं दी तो अंग्रेजों का और अंग्रेजी का राज्य मजूर करना पड़ेगा। मजूर न हो तो उर्दू के काफी शब्दों को हिंदी में लेना पड़ेगा। और काफी समय तक नागरी और उर्दू, दोनों लिपियों का स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। बाद में जब दोनों लिपियों का परिचय सबको होगा तब दो में से किसी एक लिपि पर ही सारा देश आ जायेगा।

हमारे अखिल भारतीय देशी भाषा को मुसलमानों ने ही हिंदी का नाम दिया था। लेकिन जब हिंदी हिंदुओं की भाषा बनी तब हिंदी और उर्दू को मिलानेवाली भाषा को कोई नाम देना पड़ा। यह भासान नहीं था। लेकिन समझौते के बिना एकता स्थापित नहीं होती। और समझौते के लिए हिंदी को हिंदुस्तानी कहना और फिनहाल दो लिपियों का स्वीकार करना अत्यन्त जरूरी था। गांधीजी ने राष्ट्रहित के लिए इन बातों का स्वीकार किया और प्रचार का काम मुझे सौंप दिया।

मैंने देखा कि जितना हम दो लिपियों का प्रचार करते हैं, विरोध बढ़ता है, साम्प्रदायिकता बढ़ती है। हिंदुस्तानी के प्रचार से दस-बोस मुसलमान राजी हुए। इससे अधिक हम कुछ न कर सके। और कांग्रेस की स्वराज्य सफरत कोरे से बढ़ रही थी। अगले में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव कम हुआ था। इस सारी

परिस्थिति से लाभ उठाकर कांग्रेस ने प्रथम भारत का विभाजन किया। और दोनों हिस्सों को स्वराज्य देकर वे यहाँ से चले गये। जिन्ना साहेब ने कहा था, 'First split and then quit' कांग्रेस ने बात मान्य की। गांधीजी इसका खतरा जानते थे। लेकिन उनकी नहीं चली। कांग्रेस के नेता देश के बंटवार के लिए, भले साधारी से, अनुकूल हो गये।

और तब विनोबा ने भी देखा कि गांधीजी की दो लिपियों की बातें चलने-वाली नहीं हैं। इसलिए उन्होंने नागरी का ही प्रचार चलाया।

लिपि-सुधार के बारे में विनोबा मेरे साथ हुए और भागे बड़े। और जब उन्होंने देखा कि जनता की ओर से उसका स्वागत नहीं हो रहा है तब वे आज तक चलती आयी रुढ़ नागरी लिपि पर ही पहुँच गये और अपने लिपि-सुधार को लोकनागरी के नाम से अपने हस्तलिखित पत्रव्यवहार तक ही उन्होंने सीमित किया।

लिपि का प्रश्न

भारत की भाषाएँ ज्यादातर संस्कृत कुटुम्ब की हैं। दक्षिण की द्रविड भाषाएँ भा संस्कृत से प्रभावित हैं। इसलिए अगर भारत की सब भाषाओं के लिए संस्कृत की नागरी लिपि का स्वीकार हो जाय तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। इतना ही नहीं, प्रादेशिक भाषाओं का प्रचलन भी भाषाओं से सर्वत्र बढ़ेगा। यह खयाल नया नहीं है। देश के कई मनीषियों ने इसका प्रचार किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ थे न्यायभूति शारदाचरण मुखर्जी। इनके प्रयास से एक लिपि विस्तार परिषद् की स्थापना हुई थी। उन्होंने भारत भर में नागरी का प्रचार करने का विचार फैलाया। उस समय अनेक प्रांत के नेताओं ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे। उनमें मैने पंजाब के सिखों के और मुसलमानों के भी हस्ताक्षर पड़े थे। उन दिनों इस विचार का कड़ा विरोध कहीं नहीं था। [यह प्रचार नहीं चला। किसी के विरोध के कारण नहीं, लेकिन सार्वजनिक अनास्था के कारण।] उन दिनों जोर किया होता तो भारत में भाषाओं के लिये नागरी लिपि का स्वीकार हो ही जाता। उर्दू भाषा के लिए भी शायद विरोध कठिनाई नहीं होती, लेकिन वह जमाना 'विचार मन में लाने का था, लोगों को सुनाने का था।' अमच के प्रयत्न करने की किसी को सूझती ही नहीं थी।

रवि धावू का मत

जब मैने अखिल भारतीय नागरी-प्रचार की बात हाथ में ली, तब अपनी-

अपनी प्रादेशिक लिपि का आग्रह और अभिमान बढ़ गया था। ऐसी हालत में मैंने सोचा कि सब प्रान्तों में जाकर सांस्कृतिक और साहित्यिक नेताओं से मिलूँ, उनके चर्चा कहे, लेकिन घड़वारी प्रचार नहीं करूँगा। घड़वारी प्रचार में नाटक के विरोध को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक अनुभव कहूँ। कविवर रवीन्द्रनाथ की सस्य में मैं पाँच महीना रहा था। कविवर से अच्छा परिचय था। मैंने उनसे एक-लिपि की बात की। उत्पत्तः उन्होंने एक-लिपि के प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर मैंने कहा कि आपके साहित्य में से उत्कृष्ट ग्रंथों को 'भाषा बंगला, लिपि नागरी'—ऐसी आवृत्तियाँ तैयार करेंगे तो आप सम्मति देंगे? उन्होंने कहा—'बड़ी खुरी से। सम्मति तो आज ही दे रहा हूँ, लेकिन मेरे साहित्य के सारे अधिकार विरयभारती को दिये हैं। उनसे आप बातें करें मैं, उनसे कहूँगा।' तो भी मैंने कहा, 'इस तरह नागरी बंगाली में आपकी किताबें छापने से अगर अधिक नुकसान हुआ तो हमारी सस्य भुगत लेगी। मुनाफा हुआ तो आपकी संस्था को देने में मुझे प्रसन्नता होगी।'

बंगला लिपि से प्रेम

इतना सब होने के बाद उन्होंने कहा—'जानते हो कि मैं नागरी लिपि से पूरा परिचित हूँ। संस्कृत ग्रंथ पढ़ता हूँ, हिन्दी पढ़ता हूँ। नागरी की मुझे कठिनाई नहीं है। लेकिन मेरा साहित्य बंगला लिपि में पढ़ते मुझे जो आनंद आता है, वही आनंद आज नागरी श्रद्धों में पढ़ते हुए नहीं आता। सब बात तो कहनी ही चाहिए।' कविवर की इस अंतिम बात से मैं बड़ा प्रभावित हो गया। एकता का हमारा आग्रह बढ़ना चाहिये, किन्तु जिस तरह लोग अपनी-अपनी संस्कृति का प्रेम रखते हैं, वैसे ही अपनी लिपि के प्रति भी मनुष्य की भाव्यता होती है, प्रेम होता है। इसलिए अपनी लिपि छोड़ने का विरोध करनेवाले लोगों के प्रति प्रेमादर से ही मुझे पेश आना चाहिए। सभी जाकर हम अपनी बातें सिद्ध कर सकेंगे। राज्यकर्तियों की बातों का खयाल भलग है। उनसे डरनेवाले और लाभ उठानेवाले लोग अपनी भावनाओं को दबाकर राज्यकर्तियों की बातें मानने को तैयार होते हैं। इस तरह से अगर एकता हो जाय तो एकता का लाभ तो हमें मिलेगा, लेकिन साथ-साथ चारित्र्य की हानि भी करनी होगी।

एकमात्र उपाय—प्रेम

लोगों को प्रेम से समझाकर उनका मन-परिवर्तन करना और अपना एकता का उत्साह उनमें खाना यही एकमात्र उपाय है। बाकी के सब उपाय हीन हो सकते हैं, घटरनाक भी हो सकते हैं।

तब से एकता का प्रचार पूरे हृदय से करता आया है और जितनी सकलता मिलती है, उससे मतोप मानना सीखा है।

लिपि-सुधार का प्रयत्न

इसके बाद धा गया नागरी-लिपि-सुधार का प्रश्न। महाराष्ट्र ने नागरी-लिपि-सुधार में बहुत काम किया है। न्यायमूर्ति रानडे जैसे राष्ट्रपुरुष का समर्थन इसमें मिला था। वह सब इतिहास ढूँढ करके मैंने पढ़ लिया। बंगाल में बंगला लिपि-सुधार के प्रयत्न हुए थे, उनका भी अध्ययन किया। तमिलनाड में लिपि-सुधार का खयाल बड़ा टेढ़ा था। उसे भी समझ लिया। राजाजी जैसों के साथ चर्चा करके उनके प्रयत्न भी समझ लिये। सारे भारत में घूमकर मैंने जबरदस्त प्रचार किया। लेकिन बख्तवारों में कुछ भी नहीं लिखा।

इसके बाद मेरे खयाल से जो लिपि-सुधार आवश्यक था उसके अनुसार टाइप भी तैयार करवाये।

मेरे सुधार में दो विचार प्रधान थे (१) नागरी लिपि को अधिक वैज्ञानिक करते हुए सामान्य जनता को नागरी सीखना आसान बनाना चाहिए। नागरी की वर्ण-व्यवस्था यानी ध्वनि-व्यवस्था वैज्ञानिक है, संस्कृत भाषा के लिए पर्याप्त है, किन्तु वर्ण-व्यवस्था (ध्वनि-व्यवस्था) और लिपि व्यवस्था एक नहीं है। ध्वनि-व्यवस्था में आज भारत की सब भाषाओं के लिए चन्द ध्वनियों के लिए नये अक्षर बनाने होंगे। तब नागरी लिपि परिपूर्ण होगी। एक उदाहरण दे दूँ। नागरी लिपि में दीर्घ 'म' नहीं है, ह्रस्व 'मा' नहीं है। भारतीय भाषाओं में 'ए' और 'ओ' दोनों ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। लेकिन नागरी में ह्रस्व 'ए' और 'ओ' की व्यवस्था नहीं है।

(२) दूसरा उदाहरण 'च' वर्ण का। च तालव्य भी है और दत्य भी है। मराठी में और उर्दू में, अन्य भाषाओं में भी दत्य च, ज काफ़ी मात्रा में है। इसके लिए नागरी में कोई व्यवस्था नहीं है। नागरी के अभिमानी अध्ययन करते नहीं और अपूर्णता की बात सुनकर चिढ़ते हैं। उनको तो चमा ही करनी चाहिए।

सामान्य जनता के लिए नागरी लिपि आसान बनानी चाहिए यह है मेरा दूसरा उद्देश्य। स्वर और स्वरालंघी में साम्य लाना अत्यंत जरूरी है। धोप और मधोप का भेद बताने के लिए एक सर्वसामान्य बिह्व हो तो सीखना कम हो जायगा। पचवर्गीय अक्षरों में कठोर और मुद्दु व्यंजनों का फरक हम वैज्ञानिक ढंग से बता सकते हैं। इसका विस्तार यहाँ नहीं करूँगा।

मुख्य उद्देश्य नागरी अक्षरों को प्रेस में छपवाने के लिए विचार करना चाहिए। आज की नागरी में ककहरा बताने अक्षरों के सिर पर इ ए ऐ उपा अनुस्वार के चिह्न ि े विठाने पड़ते हैं और अक्षरों के पाँव के नीचे उ ऊ ऋ ऋ षादि के ु ू चिह्न देने पड़ते हैं, इस तरह नागरी कम्पोजिंग तीन मजिल का है। इससे खर्च बहुत बढ़ता है। ब्लैंक टाइप बढाने पड़ते हैं। खर्चा बेहद होता है। अंग्रेजी टाइप एक मजिल का है। इसमें कुछ अक्षर ऊपर उठते हैं, खद नीचे जाते हैं, लेकिन कम्पोजिंग एक ही मजिल का होता है (leg)। नागरी में भी उच्चारण क्रम से युक्ताक्षर और ककहरा सब कुछ एक पक्ति में आ सकता है।

इस विषय का मैंने बरसों तक अध्ययन किया है असह्य लोगो से चर्चा की है प्रेस का सारा विस्तार समझ लिया है, खर्च का हिसाब किया है और सबसे ज्यादा धैर्य के साथ चन्द लोगों में इसका प्रचार करता हूँ।

अब जब हम सिवनी जल में थे, तब मेरे प्रचार को और तीन आदमी आकर्षित हुए। विनोबा, किशोरलाल मशरूवाला और भारतन कुमारप्पा। इनके अलावा श्री शिवाजीराय पटवर्धन जैसे जिज्ञासु अनेकानक थे। लेकिन प्रथम के तीनों अपनी पूरी लगन से मेरी बातें सुनने लगे। हमारी चर्चाएँ हुईं। किशोरलाल भाई ने अंग्रेजी की रोमन लिपि का स्वीकार भारतीय भाषाओं के लिए करने का पक्ष उठाया। महीनो तक हम सुबह, दोपहर और रात को भी चर्चा करने लगे। इन तीनों ने मेरी दृष्टि का पूरी तरह से स्वीकार किया। केवल अमल में लाने की पद्धतियों में अतभद चालू रहा।

व्यवहार पक्ष

आखिरकार जेल से मुक्त हुए, तब विनोबा ने सिवनी जेल के अध्ययन का लाभ दुनिया को देने की ठानी। मैंने उनसे कहा कि मैं व्यवहार पक्ष को जानता हूँ। नागरी के स्वरों में इ ई, उ ऊ, ऋ, लृ, ए, ऐ इतने अक्षरों को ओ ओ के जैसे स्वराक्षरी में लाना चाहिए। इतना सुधार मैं भारत भर में कर रहा हूँ। इसका समर्पण आप कीजिए। बड़ा लाभ होगा। और आप युक्ताक्षर तोड़कर हलत चिह्न के साथ अक्षर एक के बाद एक ऐसा वैज्ञानिक प्रचार चलाना चाहते हैं उसे स्पष्ट कर दीजिए। मैंने विनोबा को तरह-तरह से समझाया, लेकिन मन के साथ अपना निर्णय होने के बाद किसीकी सूचना मानें तो वे विनोबा नहीं। उन्होंने अपनी बात जोरों से चलायी। देवनागरी लिपि को अधिक

वैज्ञानिक बनाने के बाद उसे उन्होंने नाम दिया 'लोकनागरी'। यह तो अच्छा ही हुआ। मैंने इस नामकरण का अभिनन्दन किया, किंतु युक्ताचरो में जो सुधार विनोदा कर रहे थे, उसका मैंने विरोध किया।

नतीजा ? विनोदा ने अपना साहित्य अपनी लोकनागरी में चलाकर देखा। अनुभव हुआ कि लोग साहित्य खरीदने को तैयार नहीं हैं।

स्वराखड़ी

इस अनुभव के बाद अगर मेरी बात मान जात—युक्ताचर की बात छोड़कर स्वराखड़ी की बात चलाते तो अच्छा होता, क्योंकि स्वराखड़ी महाराष्ट्र में अत्यन्त लोकप्रिय हुई ही थी। गुजरात में, बंगाल में, आसाम में और पंजाब में कई लोगों ने स्वराखड़ी का स्वीकार किया था। दक्षिण के द्रविड प्रांत स्वराखड़ी पर सतुष्ट थे ही। लेकिन जब विनोदा ने अनुभव किया कि अपनी लोकनागरी नहीं चल रही है तब सोचा मैं तो ग्रामदान, भूदान आदि महान सुधार चलाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, लिपि-सुधार के प्रयत्न में अगर मेरा विचार-प्रचार कुठित हुआ तो यह किस काम का ! बस कटु अनुभव से वे ऐसे पबडा गये कि उन्होंने जहाँ तक ध्यापने का सवाल है, लोकनागरी का त्याग करके पुरानी लोकखंड लिपि चलाने का तय किया और अपनी सपूर्ण, विशुद्ध परिशुद्ध लोकनागरी अपने हस्तलिखित पत्र-पत्रिकाएँ तक सीमित बना दी। उनको अपने क्षेत्र में चाहे जो करने का पूरा अधिकार था, लेकिन जब उन्होंने हारकर स्वराखड़ी भी छोड़े हुए साहित्य में छोड़ दी तब सारे देश में इसका असर हुआ और मेरा स्वराखड़ी का सुधार जो सकन हो रहा था, मरद हो गया।

इस परिवर्तन का लाभ उठाकर खंडिवादी उत्तर प्रदेश (यू० पी०) के हिन्दीवालों ने उनके नेता श्री गोविन्द वल्लभ पंत का सहारा लिया और एक विशाल अखिल भारतीय लिपि परिषद् बुलायी। फिर तो पूछना ही क्या ? मेरे उत्तमोत्तम सहायक और समयक भी राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने के कारण गोविन्द वल्लभ पंत के पीछे चले और हमारा सारा प्रयास गोविन्दपण्य हो गया।

पत्र-परिषद् का परिणाम

पत्रवाली परिषद् ने ख, भ आदि अक्षरों में थोड़े सुधार किये, जो सारे भारत में एकदम प्रचलित हुए, लेकिन न नागरी लिपि नागरी ध्वनि के जैसी वैज्ञानिक हुई, न प्रेस का खर्चा कम हुआ, न अक्षरों के विरोध में हम हिन्दी की शक्ति बढ़ा सके।

[विनोदा की 'भाषा का प्रश्न' किताब के लिए लिखी गयी प्रस्तावना से उद्धृत।]

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजुमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १९

अंक : १

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

बगावत का यह साल	१ श्री वंशीधर श्रीवास्तव
शिक्षा में लोकतंत्रीकरण	४ श्री श्रीनिवास भाचार्य
शिक्षा और जनशक्ति	१० —
सीमेस्टर-प्रणाली • शिक्षा के क्षेत्र में नये कदम	१५ श्री वेदप्रकाश सिंह
शिक्षा का स्वरूप एवं प्रशासन	१९ डा० मंगल प्रसाद भद्रवाल
परीक्षा—नकल की परीक्षा	२४ श्री वंशीधर श्रीवास्तव
शिक्षा-विद्यालयों द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों का उन्नयन	२९ —
भाषा, लिपि और विनोबा	३९ वाका कालेलकर

अगस्त, '७०

निवेदन

- 'नयी तारीख' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तारीख' का वार्षिक खर्चा ६ रुपये है ।
- पत्र-आवृत्त करने के समय साहूकर भारती साहूकर-संस्था का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीहरप्रसाद भट्ट, सर्व सेवा संघ की ओर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

आप अवश्य ग्राहक बनिए

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

ग्रहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक, साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक चन्दा : १० रुपये

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक, पाक्षिक

सम्पादक : राममूर्ति

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की भावना का मन से है तो 'गाँव की आवाज' अवश्य पढ़िये।

वार्षिक शुल्क . ४ रुपये

पत्रिका विभाग

सर्व सेवा संघ

राजगढ़, वाराणसी-१

नयी तालीम : अग्रस्त, '७०

पढ़ने में बाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

निवेदन

२ अक्टूबर १९६६ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी चालू है। गांधीजी की बाणी घर-घर में पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जीवनी, कार्य तथा विचारों से सम्बद्ध लगभग १५०० पृष्ठों का उच्चकोटि का ग्रंथ चुना हुआ साहित्य-सेट केवल रु० ७-०० में देने का निश्चय किया गया है तथा लगभग १००० पृष्ठ का रु० ५-०० में।

सेट नं० २, पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६६-१९१६ .	गांधीजी	१-००
२-बापू-कथा १९२०-१९४८ :	हरिभाऊजी	२-५०
३-तीसरी शक्ति : १९४८-१९६६	विनोबा	२-५०
४-गीता-बोध व मंगल प्रभात	गांधीजी	१-००
५-मेरे सपनों का भारत संक्षिप्त :	गांधीजी	१-५०
६-गीता प्रवचन	विनोबा	२-००
७-संघ प्रकाशन की एक पुस्तक		१-००


११-५०

यह पूरा साहित्य सेट केवल रु० ७-०० में प्राप्त होगा। एक साथ २८ सेट लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगा

सेट नं० १, पृष्ठ १०००, रु० ५-००

उपर की प्रथम पांच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य सेट केवल रु० ५-०० में प्राप्त होगा। एक साथ ४० सेट लेने पर फ्री डिलीवरी जायगा। अन्य कमोशन नहीं।

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१



विनोबाजी अपने पवित्र जीवन का ७५वाँ वर्ष ११ सितम्बर, '७० को पूरा कर रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है कि इस अनुपम वेल में साक्षात् दर्शन देते हुए आप हमारे बीच सुखासीन हैं। विनम्र भाव से नतमस्तक हो, इस शुभ अवसर पर हम आपका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। परमात्मा से हमारी यह याचना है

विनोवा तुम्हारी जय हो !

जैसे विजली घूमती है घन में
ऐसे भाजकल घूमता है मन में
तुम्हारा नाम !

अंधेरा रह-रहकर भर जाता है
लेकिन क्या इससे
उत्तका कुछ घट जाता है ?

तुम बीस बरस तक सूरज रहे
घोर धावत जो उठे हैं
वे तुमने उठाये हैं
और बरसोंगे जब वे
अंधेरे के बावजूद
तो हरी हो जायेगी
देश की घरती !
तुम्हारी जय हो !

मेरे मन का अंधेरा भूटा है
सब देखेंगे
भ्रम नहीं कल
तुम्हारा तेज
होले हलके घनजाने
बजर विस्तारों पर
भापाङ्ग-साधन धनकर टूटा है !

कोई कोरी कामना नहीं है, क्योंकि
धामना नहीं है जिन्हें,
गिरते हुए स्तम्भ
देश के, जगत् के, मानवना के
बेखते रहना है केवल गुमसुग
उनमें नहीं हो तुम !

तित पर बल नहीं है तुम्हारे पास कोई
राम के सिवा
इसलिए तुम कुछ करते नहीं हो
राम के कान के सिवा ।
और विनम्र हो
सफलता के क्षण में
ग्राम धूलों से भी ज्यादा
बाधा जो दीसती है लोगों को
वह इसीलिए छोटी है
सारी दुनिया तुम्हारे ढगों के आगे
छोटी है !

तुम्हारी जय हो !
निर्भय हो किताब घरती पर
लहराए सर्वोदय
बजर में, पहाड पर, परती पर !

“तुम्हारी जय हो” कहना

—भवानीप्रसाद मिश्र

मुक्ति का मसौहा

विनोबा अब व्यक्ति नहीं रह गये हैं। जिस शरीर को हम विनोबा नाम से जानते हैं—उठने-बैठने, बोलने-चालने, खाने-पीनेवाला शरीर—विनोबा उससे बड़े, सूक्ष्म, सौम्य हो गये हैं। विनोबा अब एक प्रकाश है, प्रेरणा है, इसलिए जीवन की सामान्य सीमाओं से परे है विनोबा एक विभूति है।

विनोबा ने जो शक्ति जीवन की साधना से कमायी वह उन्होंने हमें यो ही दे दी। उस शक्ति के स्पर्श से हम सशक्त हुए हैं। उससे हमारा सकल्प सुदृढ़ हुआ है। उस शक्ति से हमें अपनी साधना की दिशा और प्रक्रिया दोनों स्पष्ट हैं। विनोबा ने हमें लाकर क्रान्ति के एक रावपथ पर खड़ा कर दिया है। उन्होंने इतना तो किया ही है, साथ ही यह भी किया है कि हमारे ऊपर अपना 'बोझ' नहीं रखा है, उन्होंने कभी हमें बाँधा नहीं, दबाया नहीं, हमेशा जगाया, उठाया, बढाया। हम स्वतंत्र हैं उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए। इस त्याग की दूसरी कोई मिसाल नहीं है।

वर्ष : १६

अंक : २

आज की दुनिया में हर जगह विचार बदी है—कहीं अन्धी स्वीकृति का, कहीं अन्धी अस्वीकृति का। विनोबा ने विचार को इस दोहरे अघेपन से मुक्त किया है। इस युग में विज्ञान ने मुक्ति को प्रेरणा दी, लोकतंत्र ने मुक्ति का भवसर दिया, और विनोबा ने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया।

मुक्ति के ऐसे मसौहा को क्या हम कभी भूल सकेंगे? क्या दुनिया कभी भूल सकेगी? —सबमूर्ति

विनोबा : सज्जन, संत, स्कूलमास्टर

जॉन पापवर्थ, सम्पादक, 'रीसर्जेन्स', लन्दन

मैं विनोबा के सामने खो-सा गया। मैंने उनके बारे में जो कुछ सुन रखा था, उससे मैं उनके व्यक्तित्व की इस नाटकीयता के लिए तैयार नहीं था। पर्चा में उनका निवास ऊँची टेकरी पर है जहाँ से चारों ओर का देहात अच्छी तरह दिखायी देता है। यह स्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत के मध्य में भी है।

मैंने सोचा था कि मुलाकात के लिए मैं किसी कमरे में बुलाया जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बरामदे में लगभग एक दर्जन लोगों के बीच, दरी पर मुझे बिठा दिया गया। मैं पैर मोड़कर बैठ गया। हम सब लोग दीवाल से सटे एक तख्त की ओर मुँह करके बैठे हुए थे। तख्त पर विनोबा लेटे हुए थे। उनका चेहरा एक हरे कपड़े से ढका हुआ था। विनोबा ने करबट बदली एक सेवक ने कटोरी में दही दिया। विनोबा ने उसे बड़े चाव से खा लिया। साकर उपस्थित लोगों को देखा। लगा, जैसे सबको आँसो में समेट लिया। और, एक किताब उलटने लगे। विनोबा ने अपनी दाढ़ी मनवा दी है। वह गाढ़े रंग का चश्मा पहनते हैं, और अक्सर चेहरे पर हरा कपड़ा लपेटे रहते हैं। देखनेवाले को यह सब रहस्यपूर्ण सा लगता है। विनोबा का खाना-पीना, उठना-बैठना, सब सबके सामने ही होता है।

अचानक विनोबा ने अपनी घड़ी देखी और उनके सचिव ने हमसे से एक को बुलाया। मुलाकात शुरू हुई। दूसरे लोग देखते रहे, सुनते रहे। मैं कुछ नहीं समझ सका। चर्चा हिन्दी में थी। उसके बाद मेरी बारी आयी। विनोबा अब पदयात्री नहीं रहे, लेकिन उनका मस्तिष्क उतना ही सजीव और स्पष्ट है। चर्चा के दौरान उन्होंने मेरे पत्र 'रिसर्जेन्स' के एक पाठक के पत्र का एक अद्य पत्र जिसमें उसने लिखा था कि यह पत्रिका कितनी नीरस और शब्द-जाल से भरी हुई है। पत्र पढ़कर उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा : 'बोलो'। इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, बैठे हुए लोग हंस पड़े।

जो लोग मानते हैं कि कौनूक का युग नहीं रहा, उनके लिए विनोबा चुनौती के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने नम्रता किन्तु दृढ़ता के साथ भारत के धर्मियों को राखी किया है कि वे अपनी भूमि का एक भाग भूमिहीनों को दें।

विनोबा ने जितनी भूमि बाँटी है उतनी भारत की सरकार आज इतने वर्षों में भी नहीं बाँट सकी है। भूदान और ग्रामदान से विनोबा ने ऐसी ज्योति जलायी है जो शानदार तो है ही, चमत्कारपूर्ण भी है। अगर इसके साथ परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प जुड़ जाय तो यह ज्योति भारत का स्वरूप बदल देगी। भारत की सबसे बड़ी समस्या गाँवों की निष्क्रियता है। इस निष्क्रियता की बात सभी कहते हैं, लेकिन उपाय क्या है? मजँ पहचानना एक बात है, इलाज ढूँढना दूसरी। आज तक जितने इलाज ढूँढे गये हैं वे सब फेल हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सामाजिक समस्या हो, उसके समाधान में एक तत्त्व जरूरी है, वह है प्रसाधारण व्यक्ति का नेतृत्व। लोग आजकल इसका महत्त्व कम मानते हैं, चायद इसलिए कि कुछ पश्चिमी नेता नैतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से मानव नहीं, दानव हुए हैं। स्वेतलाना ने अपने पिता स्टालिन का इन्हीं शब्दों में उल्लेख किया है। लेकिन हम न भूलें कि मानव के विकास-क्रम में बड़े कदम ऊँचे आशय और प्रेरणा के व्यक्तियों ने ही उठाये हैं। क्या सत पॉल के गिरजाघर को किसी कमेटी ने बनाया था? उसके निर्माता रैन ने कभी निर्माण-कला के किसी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा था। डिप्री-डिप्लोमा की दृष्टि से वह 'क्वालिफाइड' भी नहीं था।

विनोबा भी 'क्वालिफाइड' समाजशास्त्री नहीं हैं, और न तो वह 'रूल डेवलपमेंट' के विरोधज्ञ ही हैं। लेकिन अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से उन्होंने ग्रामीण जीवन में परिवर्तन की वह प्रक्रिया शुरू की है, जो पीढ़ियों तक चरती रहेगी। विनोबा के व्यक्तित्व को स्वीकार करना व्यक्ति-पूजा नहीं है, और अगर हो तो भी मैं विनोबा के व्यक्तित्व को कहीं अधिक हर्ष से स्वीकार करूँगा बनिस्वत उन लोगों के व्यक्तित्व के, जो आज राजनीति पर हावी हैं।

विनोबा को देखने पर तुरन्त कोई यह सोच सकता है कि यह एक स्कूल-मास्टर है जिसकी अभी ऊँची और अच्छी-भाँड़ी बातें कहने की आदत नहीं छूटी है। लेकिन नहीं, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक शक्ति है जिसका अनुभव किया जा सकता है, शून्य नहीं। मैं जॉन कालिंग्स, और उनकी पत्नी डायना से पर्चा कर रहा था। वे भी दिल्ली की गोष्ठी के बाद विनोबा से मिलने आये थे। वे विनोबा के बारे में मेरी राय से सहमत थे। महान व्यक्ति? हाँ, सज्जन, एक सत! लेकिन क्यों? कैसे? उनके व्यक्तित्व के गुण को शब्दों में उतारना सम्भव नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे सगीत का आनन्द उसके विवरण से नहीं लिया जा सकता।

विनोबा ने अनेक गाँवों में भूमि के स्वामित्व का स्वरूप बदल दिया है। भूमि के स्वामियों ने उन्हें भूमि दी है। ऐसा कब, किस भूमिपति ने किया है ? स्टालिन जैसा लौह-पुरुष भी रूस के किसानों से यह नहीं करा सगा !

भूदान धामदान की आलोचनाएँ हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि उनमें सार नहीं है। लेकिन विनोबा को एक सफलता मिल गयी है। भारत की नैतिक कल्पना में उन्होंने एक व्यावहारिक लक्ष्य का प्रवेश करा दिया है, जो देश की एक कठिन से-कठिन समस्या के समाधान का रास्ता दिखा सकता है। वह समस्या है भारत के ग्रामीण जीवन की निष्क्रियता को समाप्त करना। जो भूमि दान में मिली है वह भ्रष्टाचार है, बुरी है, या दाताओं ने जिग नीमट से दी है वह भ्रष्टाचार है या बुरी है, या भ्रष्टाचार तक बहुत परिवर्तन नहीं दिखायी देता, आदि प्रश्न बहुत महत्व के नहीं हैं। विनोबा ने पैदल चलकर देश की यात्रा की है। वह जानते हैं कि बड़ी-से बड़ी यात्रा में एक पैर के बाद दूसरा पैर उठाने से ही यात्रा शुरू होती है। और भ्रष्टाचार में किसी जगह रुककर सोचिए कि किसनी यात्रा पूरी हुई और एक बिन्दु से आगे-पीछे कुछ ही कदम गिनिए तो क्या चलेगा ? लगेगा कि इतना ही चले। इस तरह प्रगति भ्रष्टाचार लगेगी, लेकिन सही दिशा में कदम उठा गया, यह बड़ी बात है।

मुत्ताकात के अन्त में उन्होंने कहा 'हम लोग सहमत हैं।'

मैंने कहा 'भादचर्म है कि जीवन भर का पापी और जीवन भर का सत, दोनों पूर्ण सहमत हैं।'

विनोबा ने उत्तर दिया 'ईश्वर ही बता सकता है कि कौन सत है, कौन पापी।' यह कहकर वह रुक गये, फिर बोले : 'किन्तु पापी के सामने भविष्य है, जब कि सत के लिए भूत ही भूत है।' (मूल अंग्रेजी से)

विनोबा के शिक्षण-विचार

स्वतंत्रता के बाद एक दिन के लिए भी पुरानी शिक्षा-पद्धति चलनी नहीं चाहिए थी। एक सप्ताह के लिए शिक्षा-संस्थाएँ बन्द कर दी जाती, देश के शिक्षा-शास्त्री बैठकर स्वतंत्र देश की आवश्यकता के अनुरूप हिन्दुस्तान की तालीम का ढाँचा तैयार करते तो तालीम शुरू होती। जैसे विदेशी राज्य गया तो एक दिन के लिए भी विदेशी झंडा नहीं चला वैसे ही विदेशी राज्य गया तो विदेशी शिक्षा पद्धति को एक दिन के लिए भी टिकना नहीं चाहिए था। अगर पुराना षंडा चले तो उसका अर्थ होगा पुराना राज्य ही चल रहा है। अगर पुरानी तालीम भी चल रही है तो समझना चाहिए कि पुराने राज्य का ही 'एक्सटेंशन' चल रहा है।

शिक्षा में ऐसा सुधार करना चाहिए, जिससे ज्ञान और कर्म का समन्वय हो। इस प्रकार का समन्वित व्यक्तित्व विकसित करना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। कर्म और ज्ञान अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। नयी तालीम कर्म और ज्ञान की एकता पर ही आधारित है।

× × × ×

शिक्षा में ब्रह्मविद्या और उद्योग का समावेश होना चाहिए। एक आत्मा की भूख शान्त करे और दूसरा शरीर की।

× × × ×

भाजकल जैसा समाज है उसे वैसा रखते हुए नयी तालीम को चलाया नहीं जा सकता। नयी तालीम तो सामाजिक मूल्यों में प्रान्ति है। उसका लक्ष्य तो एक नये समाज का निर्माण है जो वर्गविहीन और शोषणमुक्त हो। इस नये समाज का निर्माण ज्ञान और कर्म के समन्वय के बिना सम्भव नहीं है। ज्ञान और कर्म का समन्वय विच्छेद सामाजिक अन्याय को जन्म देता है। इस नये समाज का एक लक्षण है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शरीररक्षक करे। ऐसा नहीं होता तो परिणाम शोषण होगा। इसीलिए नयी तालीम में भाषा समय पढ़ने और भाषा समय हाथ के काम करने की बात कही गयी है।

नयी तालीम अहिंसा की शिक्षा है। उसका लक्ष्य समाज को हिंसा से मुक्त करना है। नयी तालीम छात्रों को ऐसी योग्यता दे कि वे कह सकें कि वे देश की अहिंसात्मक भाग से सुरक्षा कर सकेंगे। नयी तालीम का लक्ष्य भय से मुक्ति है। नयी तालीम के विद्यार्थी को भय से मुक्त होना चाहिए।

× × × ×

कृषि के ज्ञान के बिना जीवन झूठा रह जाता है। हमारा भूमि से सम्पर्क होना चाहिए। हमारी जड़ें धरती में होनी चाहिए। इससे सृष्टि के साथ तादात्म्य का बोध होता है।

× × × ×

शिक्षा-धर्मशा का सगठन एक अच्छे परिवार के तमूने पर होना चाहिए। उसका आचार आत्मसंपन्न और श्याम हो भोग नहीं।

× × × ×

नयी तालीम नित्य नयी है। उसमें जड़ता नहीं आनी चाहिए। वह देश और काल के अनुसार भिन्न होगी। उसे नित्य नयी रहना चाहिए। दस वर्ष पहले का ढाँचा पुरानी तालीम है। पुराना ढाँचा नयी तालीम का नहीं चलेगा। नित्य नये प्रयोग होना चाहिए। नयी तालीम केवल प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा नहीं है। उसके उसूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू होने चाहिए। वह केवल गाँव के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसके विकास के प्रत्येक स्तर के लिए है।

× × × ×

नयी तालीम शिक्षा-पद्धतिमात्र नहीं है। वह एकविधि एजुकेशन नहीं है। बाल्टन पद्धति 'प्रोजेक्ट पद्धति' की भाँति वह शिक्षा-पद्धति नहीं है। वह तो नया दृष्टिकोण है—नया एप्रोच है—जीवनयापन की एक पद्धति है। नयी तालीम चलानी हो ही पूरी नयी तालीम चलाइए, नहीं तो पुरानी ही तालीम चलाइए। आज जो नयी तालीम चल रही है वह नयी तालीम का बानगीकरण है। उसे छोड़ देना ही ठीक होगा।

× × × ×

शिक्षक शान्तिसेनिक है। तालीम का महकमा शान्ति का महकमा है। हिंसा पर बंधे जिम्मेदारी है। दुनिया देख रही है। आप हंस और धमे रिका की सैनिक प्रतिद्वन्द्विता नहीं कर सकते। धाक आभ्यासिन सेना ही तैयार कर सकन है।

नयी तालीम पुराने मूल्यों के प्रति विद्रोह करना सिखाती है। वह शाइ की तालीम है—पुराने मूल्यों को झाडकर फेंक देने की तालीम। अगर वह पुराने जर्जर मूल्यों को झाडकर फेंक नहीं देती तो वह नयी तालीम नहीं है।

× × × ×

तामील सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तालीम एक ढांचे में ढाली जायगी और दिमाग स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए शिक्षा शासन-मुक्त रहनी चाहिए। न्यायालय की भांति शिक्षा विभाग भी शासन से ऊपर रहना चाहिए। न्याय-विभाग को शासन की तरफ से तन्त्रबन्ध मिलती है, लेकिन फिर भी उस पर शासन का असुरा नहीं है। यह बात न्याय विभाग के बारे में जिस तरह मान्य हो गयी है उसी तरह शिक्षा के बारे में भी मान्य होनी चाहिए।

× × × ×

शिक्षा पर सरकार का नहीं समाज का नियंत्रण हो। शिक्षा पर समाज के विद्वानों का नियंत्रण हो। राज्य सबके अनिवार्य अध्ययन के पाठ्यपुस्तक निश्चित न करे। राज्य शिक्षा-संस्थाओं को जनरल गाइडेन्स दे और उन पर थोड़ा दे कि वे स्वीकार भयवा प्रस्वीकार करें। राज्य पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की सस्तुतियाँ करे, परन्तु अनिवार्यतः लागू न करे। शिक्षा-संस्थाएँ विद्यापियों को ऐसी शिक्षा देने के लिए, जिसे वे प्रच्छा समझती हों, स्वतंत्र हैं।

× × × ×

जो विभाग नौकरी दे वह अपनी परीक्षाएँ स्वयं ले ले यह आवश्यक नहीं रखा जाय कि नौकरी के लिए हाईस्कूल पास करना भयवा प्रेजुएंट (स्नातक) होना जरूरी है।

× × × ×

समवाय उस पद्धति की सजा है, जिसमें ज्ञान और कर्म का इस तरह समन्वय हो कि छात्र को पता नहीं चले कि स्कूल में जो हो रहा है वह 'ज्ञान' है भयवा कर्म।

× × × ×

तालीम के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। मातृभाषा का पूरा ज्ञान हो जाय तब दूसरी भाषा सिखायी जाय। कम से-कम बुनियादी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जरूरत हो तो पढ़ायी जाय।

स्कूल को परिधमालय होना चाहिए। शरीर-श्रम सेवा है, पूजा है, आनन्द है, वह दिमाग को ताजा रखता है और बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता है। उद्योग के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से सोचने की भावत डालनी चाहिए। उद्योग के माध्यम से तीन लक्ष्य पूरे होते हैं (१) व्यक्तित्व का समन्वित विकास होता है (२) गाँव के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है, (३) जीवन के लिए हुनर हासिल होती है। परन्तु नयी तालीम में उद्योग शिक्षण मात्र नहीं है। वह तो व्यक्ति की क्षमताओं का पूण विकास है—शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का।

+ + + + +

शिक्षकों के हाथ में सारे देश का मागदर्शन होना चाहिए, परन्तु यह तभी होगा जब शिक्षक सत्ता के पीछे न भागकर स्वयं अपनी स्वतंत्र शक्ति का विकास करें। शिक्षक को दल तथा सत्ता एवं सघप की कलुषित राजनीति से ऊपर उठकर विश्वव्यापक मानवीय राजनीति तथा जनशक्ति पर आधारित लोकनीति को अपनाना चाहिए। राजनीति से अलग हुए बिना वे राजनीति पर असर नहीं डाल सकते। लेकिन राजनीति से अलग रहकर भी शिक्षकों को जनता से सम्पर्क रखना चाहिए। अगर शिक्षक ऐसा मानते हैं कि हमने स्कूल-कालेजों में पढ़ा दिया, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो चलेगा नहीं। जनता के साथ सम्पर्क नहीं हो, लोकसेवा द्वारा लोकमानस का साक्षात्कार नहीं हो, तो राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा।

राजनीति और धर्म पुराने पड़ गये हैं। भिन्न भिन्न मजहबों की जगह अध्यात्म धाना चाहिए और राजनीति की जगह विज्ञान। राजनीति को छोड़ना होगा। धर्म को छोड़ना होगा। व्यापक विज्ञान और व्यापक अध्यात्म को स्वीकार करना होगा, तभी बुनियादी मसले हल होंगे।

प्रस्तुतकर्ता बशीर अलीवास्तव

रूसो, मानव-विज्ञान के पिता

कॉण्ड लेवि-स्ट्रॉस

[कॉण्ड-लेवि स्ट्रॉस सभ्यत आजकल संसार के श्रेष्ठ मानव-वंशान्तिको मे से एक हैं । वे कालेज डि ग्रास मे प्रोफेसर और उसकी सामाजिक मानव विज्ञान की प्रयोगशाला के निदेशक हैं ।—स०]

रूसो कृपक जीवन के एक गम्भीर सूक्ष्म निरीक्षक से ज्यादा और बुद्ध थे । वे विदेश यात्रा सम्बन्धी पुस्तको के एक जसाही पाठक विदेशी रिवाजो और विधासो के एक चतुर और निष्पन्न अन्वेषक थे । निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि मानव विज्ञान के वास्तविक आरम्भ के एक शताब्दी पहले उन्होंने इसकी कल्पना, जिनासा और भविष्यवाणी की उस सीधे उस जमाने में विद्यमान प्राकृतिक एव मानव विज्ञानो की श्रेणी तब पहुंचा दिया ।

यह भविष्यदर्शो धारणा, जिस उहाने एक दलील एव एक क्रिया, दोनो रूपो मे व्यक्तियत किया 'डिसकोस इन ए आरिजिन आफ इनइवर्नैलिटी' (असमानता के उद्भव पर एक लेख) की एक लम्बी पाठ-टिप्पणी मे प्रकट होती है । रूसो ने लिखा, 'मेरी समझ में यह कम आता है कि कबो स्वयं शिक्षा पर गर्व करनेवाले इस युग मे, ऐसे दो मनुष्य नहीं दिखाई देने जिन्मे पहला अपनी सम्पत्ति से दो हजार पाउन और दूसरा अपने जीवन से दस वर्ष केवल प्राकृतिक पत्थरो और पौरो को नहीं, अस्तित् मनुष्यो और रिवाजो को एक बार पढ़ते हुए दुनिया के चारो ओर एक एतिहासिक यात्रा करने के लिए दान दे सकता है ।'

और कुछ आगे चलकर वे विस्मित होते हैं 'सारी दुनिया राष्ट्रो का जाना-बाना है जिसके बारे मे हम केवल नाममात्र जानते हैं और हम मानवजाति को आँसने का गर्व करते हैं ।'

'कल्पना करें कि एक मोडेन्व्यू, एक बफून, एक डिडेरोट, एक डी अग्वेर्ट, एक काटिनाक, या उसी फार के आदमी जितना वे जानत हैं सिर्फ उसीको मानकर एवं बताते हुए अपने गतिवाजो को यह मिलाते निवल्ते हैं कि टर्की ईजिप्ट व खेरी, मोराक्को मात्र उन जिनो काफिरो का प्रदेश अफ्रीका के भीतरी एव पूरु छत के प्रदेश गंगासर, मुगल गंगा के तट, स्याम, पेगु और अजा के साम्राज्य, चीन, टारटारी, और सब्ब ऊपर जापात और दूनरे गाल्पन क संविशको, पेरू, चिनी, मगजन प्रदेश, वास्तविक या काल्पनिक पाएगोनि को न भूलते हुए,

टुकुमान, पेरुवे तथा अजर सम्भव हो तो ब्राजील, कैरेबियन, फ्लोरिडा और सारे असम्य प्रदेश वैसे हैं। ऐसी एक यात्रा दूसरो की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण होगी तथा सबसे अधिक ध्यान से की जानी चाहिए।

‘कल्पना करें कि ये नये हरकुलिस उन अविस्मरणीय यात्राओ से वापस आने पर अपने अवकाश के समय उन्होंने जो देखा था, उस प्राकृतिक, नैतिक और राजनीतिक इतिहास को लिखनेवाले थे, तो हम अपने आप देखेंगे कि उनकी लेखनी से एक नयी दुनिया उभर आती है, और हम यह समझना सीखेंगे कि हमारा अपना’ (असमानता के उद्भव पर एक लेख, टिप्पणी १०)।

क्या यह आधुनिक मानव विज्ञान के विषय के अलावा काथवाल्डन की विधि भी नहीं है?

किन्तु रूसो केवल मानव विज्ञान का दूरदर्शी हो नहीं बल्कि वास्तव में उसका निर्माता है। पहले उन्होंने ‘डिपकोस आफ दी ओरिजिन एण्ड फाउण्डेशंस आफ इन्डिविजुअल अमंग मैन’ (मनुष्य के बीच की असमानता के रहस्य पर एक लेख) लिखकर असल में वंसा ही किया। विताब ने प्रकृति और संस्कृति के बीच के सम्बन्ध के प्रश्न सामने रखे, और यह शायद सामान्य मानव विज्ञान पर लिखा पहला प्रबन्ध है। दूसरा उन्होंने मानव विज्ञान के लक्ष्यों को नीतियों और इतिहासकार के लक्ष्यों से पृथक् करके उत्प्रेक्षणीय स्पष्टता एवं सूक्ष्मता से उस विज्ञान को सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

“अब कोई मनुष्य का अध्ययन करना चाहता है तो उसे नजदीक से देखना चाहिए। उसका अध्ययन करने के लिए उसके अन्तराल तक देखना है, विशेषताओं को समझने के लिए, पहले उसकी विषमताओं को समझना चाहिए।” (भाषाओं के उद्भव पर लेख, अध्याय ८)

मानव-विज्ञान के प्रति रूसो के उपगम की यह रीति एक नये विज्ञान का उदय सूचित करती है और इसे स्पष्ट करने में सहायता करती है जो प्रथम दृष्टि में दोहरा विरोधाभास लगेगा, कि रूसो एक ही समय में पृथ्वी के सबसे सुदूर कोने में जोरित मनुष्य के अध्ययन का समयन कर रहे किन्तु वस्तुतः उन्होंने सबसे अधिक ध्यान अपने सबसे पासवाले मनुष्य पर अर्थात् स्वयं पर केन्द्रित किया और उनकी सभी रचनाओं में दूसरों के साथ तादात्म्य की उनकी मुख्यवस्थित इच्छा करने ही साथ तादात्म्य के पूर्ण निषेध के साथ साथ चली।

अब हरेक मानवविज्ञानी को क्रिष्ठी न-क्रिष्ठी प्रकार अपने जीवनकाल में, समान शिखारं देनेवाले इन दो विरोधाभासों को समझना चाहिए जो वास्तव में एक शिखर के परिवर्तन योग्य दो पाशव के अन्धा और बुद्ध नहीं हैं।

हर समय जब मानवविज्ञानी मैदान में उतर जाता है, ऐसी दुनिया को पहचानता है जहाँ उसके चारों ओर सारी बातें अपरिचित तथा अकसर विपरीत लगेंगी। वह अपने को अकेले कुछ नहीं देखता, बल्कि अपने आपको, अपने विषय से सम्बद्ध करके देखता है, जो अपने को और अपने काम को जारी रखने में मदद करेगा।

शारीरिक और मानसिक रूप से, यकान, भूख और कठिनाइयों से जर्जरित होने के कारण, अपनी सामान्य आदतों के विघटन से और पूर्वाग्रहों की एकाएक प्रतिक्रिया—जिसके होने की उसे कल्पना तक नहीं थी—के कारण उसकी आत्मा इन अपरिचित परिस्थितियों में अपने आपको ऐसे रूप में प्रकट करती है मानो वह उसके उस व्यक्तिगत जीवन के सारे आघातों और सघातों से पीड़ित और जर्जरित हो चुकी है, जिसने न केवल उसकी जीविका के वरण पर प्रभाव डाला, बल्कि उसके बाद के जीवन-प्रवाह को भी गहराई से प्रभावित किया।

इस महान् सिद्धान्त के आविष्कार के लिए हम रूसो के प्रति आभारी हैं—और यही एकमात्र सिद्धान्त है जिस पर मनुष्य का ज्ञान आधारित हो सकता है। किन्तु जब तक यह स्वोक्त दर्शन कोजिटो (कोजिटो एगो सम) के डेसकार्टे के सिद्धान्त पर आधारित है, वह पहुँच और समझ के बाहर और अव्यवस्थित रहा और जिस अर्थ पर, यद्यपि समाजविज्ञान और प्राणिविज्ञान को छोड़कर क्यो न हो, भौतिक विज्ञान का भ्रम खड़ा किया था, उसके तथाकथित तर्कशास्त्रीय प्रमाण को रोक दिया गया।

डेसकार्टेस का विश्वास था कि मनुष्य के अन्तर से बाहरी दुनिया में वे सीधे पहुँच सकते हैं। यह देखते हुए कि इन दोनों सीमाओं के बीच समुदाय और सम्बन्ध विद्यमान हैं, अर्थात् मनुष्यों से बनी दुनिया।

रूसो भावपूर्ण ढंग से अपने को अन्य पुरुष में समझते हैं जैसे 'वह' (कभी-कभी इस 'वह' को दो विभिन्न भागों में विभक्त करके, जैसे सवालों में किया है) और इस प्रसिद्ध नियम 'मैं दूसरा आदमी हूँ' की घोषणा करते हैं। (मानव-विज्ञानी यह बताने के पहले कि अब लोग भी उन्हींके समान आदमी हैं, या दूसरे शब्दों में, दूसरा आदमी मैं ही हूँ, यही करते हैं।)

रूसो, इस प्रकार, अतिबद्ध वास्तविकता के विचार के महान् प्रवर्तक के रूप में आते हैं। अपने पहले प्रोमिथीड में, वे अपने उद्देश्य को, 'मेरी आत्मा एवं उसके परिणामों के सुनारों का अध्ययन करना' बताते हैं और भाग कहते हैं:

“एक दृष्टि से, मुझे अपने पर वही प्रयोग करना है जो कि भौतिक विज्ञानी वायुमंडल में उड़ती दैनिक स्थितियों को सम्पन्न के लिए करते रहते हैं।”

रूसी हमसे यह कहना चाहते हैं (और यद्यपि आधुनिक मनोविज्ञान और मानव-विज्ञान ने हमको और अधिक साधारण बना दिया है, तो भी यह एक सबसे आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन है) कि एक तीसरा आदमी ‘वह’ है जो मेरे अन्तर में सोचता है और पहले-पहल इस भ्रम की ओर ले जाता है कि वह मैं ही हूँ जो सोचता है।

मोंटाइन के प्रश्न पर ‘मैं क्या जानता हूँ?’ (जिसने सारी चर्चा का प्रारम्भ कराया) डेमकार्टेस ने सोचा कि वे यह उत्तर दे सकते हैं ‘मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ।’ इस पर रूसी ने प्रत्युत्तर दिया ‘मैं कौन हूँ?’ इसका उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि दूसरा और भी आधारभूत प्रश्न ‘क्या मैं हूँ?’ का समाधान नहीं दिया जाया है। वैयक्तिक अनुभव से इसका जवाब, ‘वह’ की धारणा है जो रूसी का आविष्कार है और जिसे उत्कृष्ट सुबोध गम्यता के साथ उद्यान सुरन्त ध्यानवीन के लिए पेश किया ..

अब अगर हम विधान करता है कि जब पहला मानव-समुदाय पृथ्वी पर आया, तब प्रकृति की स्थिति से सृष्टि की ओर भावुकता से ज्ञान की ओर और पारिविकता की अवस्था से मानवीयता की ओर गया मनुष्य ने एक त्रिकोणी परिवर्तन किया (जिस वस्तुतः रूसी अपने ‘डिस्कोर्स ऑन इन्डिविजुअलिटी’ में बताने लगेंगे), हम तभी ऐसा कर सकते हैं जब हम मनुष्य की सबसे पहले की अवस्था पर कुछ अनिवार्य मनीषा या गुण जिन्होंने उसे इस त्रिविध परिवर्तन की प्रेरणा दी, का आरोप लगायें।

इस प्रकार पहला आदमी अपनी सहज बुद्धि से अपने को सहजीवों से अभिन्न महसूस करने लगा। और जबकि बढ़ती आबादी ने उसे नये प्रदेशों में बसने की मजबूर किया, और जीवन के नये मोहों को अपनाते को विवश किया और उसे अपनी निजी पहचान का उद्घोषण दिया, फिर भी वह कभी भी इस संवेदनशीलता को पूरी तरह नहीं भूला।

सेरिन में उद्घाटन लग तभी मिया जबकि उसन समय ओरा क व्यक्तित्व का तथा अनेक जानवरों की उनकी जानियों के अनुसार, पारिविक स्थिति से मानव स्थिति का, दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व से अपनी निजी व्यक्तित्व को, पहचानना सीख लिया।

यह पहचान कि सारे मनुष्य तथा जानवर सवेदनशील प्राणी हैं (यही तो पहचान व्यक्त करता है) उनकी भिन्नताओं के सम्बन्ध में मानव की जानवारी के काफी पहले घटित हुई थी, पहले सारे जीवित प्राणियों की सामान्य विरोधताओं के सम्बन्ध में, और बाद में ही मानव के सम्बन्ध में जिसे अमानवीय गुण माना गया है। इसी सुस्पष्ट नियम पर ही रूसो ने कोजिटो के डसकोर्ट के सिद्धान्त को बन्द कर दिया।

रूसो के विचार, इस प्रकार, दो तरफ से बने हुए हैं, दूसरे के साथ प्राणिजगत के सभी जीवा सहित सभी दूसरों से निकाले गये 'दूसरे' के साथ पहचान और अपने साथ पहचान करने का निराकरण। अर्थात् जो अपने को 'सुयोग्य' दिखा सकेगा उन सबका निराकरण। ये दोनों मनोभाव पूरक हैं, दूसरा वास्तव में पहले का प्रेरक है, मैं मैं नहीं हूँ, किन्तु 'दूसरो' से सबसे अधिक कमजोर तथा विनीत हूँ। यही स्वोक्ति की नैसर्गिकता रहती है।

रूसो की त्राति मानव विज्ञान सम्बन्धी क्रान्ति का एक पुरोगामी तथा प्रारम्भिक रूप है जो धानी हुई एकता का खडन करती है चाहे वह एकता अपनी निजी सस्कृति के साथ एक सस्कृति की हो या किसी सस्कृति के व्यक्तिगत सदस्य की जनसामान्य या उस कार्य के साथ हो जिसे वह सस्कृति उस पर थोपना चाहती है।

दोनों मामलों में, सस्कृति एवं व्यक्ति अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के अधिकार का दावा करते हैं, और यह केवल मनुष्य से परे, अर्थात् सभी जीवों के साथ और इसलिए दुखी जीवों के साथ, प्राप्त किया जा सकता है और जन सामान्य या कार्य के पहले भी, अर्थात् ऐसे ही किसी जीव के साथ और उसके साथ नहीं जो पहले ही से व्यवस्थित और वर्गीकृत है।

इस दृष्टि से मैं और 'वह' जो उस भिन्नता से मुक्त हैं जिसे केवल दर्शन से ही प्रोत्साहन मिल सकता है, एक बार फिर मिल गये हैं और एक हो गये हैं। इस प्रकार प्रथम प्राप्त इस मूल एकता से वे 'हमको' और 'उनको' अर्थात् मनुष्य के प्रति विरोधात्मक एवं प्रतिकूल समुदाय को जिसे अस्वीकार करने के लिए मनुष्य जल्दी ही तैयार हो जाता है, एकमात्र मिला सकते हैं क्योंकि रूसो ने अपने निजी उदाहरण में मनुष्य को सिखाया है कि सम्य जीवन के असहनीय विरोधाभासों से कैसे रक्षा की जाय।

यद्यपि यह सच है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा बहिष्कृत है और समाज उस पर अत्याचार करता रहता है वह कम से कम अपने निजी शायदे के लिए अपनी

दुनिया के सिरो को, समुदाय की प्रकृति पर विचार करने के लिए प्रकृति के समाज की तलाश करते हुए भोड सकता है। मुझे लगता है कि यह सोशल 'मांड्रैवट' (सामाजिक अनुभव) 'लैटर्स आन बाटनो' (वनस्पतिशास्त्र पर पत्र) और रेवेरीज (दिवा स्वप्न) आदि के शायतन संदेश हैं।

किन्तु आज यह हम सब पाठको के लिए है, जिन्होंने रूतों को उस भविष्य-वाणी का जो 'उन अभागों के आतक, जो आपके बाद जीवित रहेंगे' के विषय में है, का अनुभव किया है, कि उनके विचार अपनी पूरी ताकत से मन में जमते हैं और उनकी सीमाओं में समेटकर प्रवट होते हैं।

इस दुनिया में, मनुष्य के प्रति सभी प्रकार के विध्वंस से युक्त ज्यादा दूर, शायद पहले ऐसी दूरता नहीं रही, हरयाबाड और उत्पीडन की हमेशा अस्वीकृति हुई है, इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु हमने सरलता से इन्हे महत्वपूर्ण न समझकर समाप्त कर दिया है, क्योंकि वे उन दूरस्थ लोगों से सम्बन्धित हैं जिन्होंने, जैसा कि हमें बताया गया है, हमारी भलाई के लिए और कम-से-कम हमारे नाम पर दुःख उठाये हैं। जैसे-जैसे हमारे सदस्य संगठित होकर बढ़ते जाते हैं, और मानवता का छोटा-सा भी भाग भीतरी आक्रमणों से युक्त नहीं होता, हमारी इस दुनिया में हत्याबाड और उत्पीडन कम होते जा रहे हैं, और हम सबसे समाज में रहने की आकुलता बढ़ रही है।

रूतों ने सम्यता के अस्माचारों और दुरुपयोगों की ओर जैंगली उठाते हुए उसका परीक्षण किया और इनकार किया कि ये कदाचित ही मनुष्य में नैतिकता का अभ्यास करायेंगे, इसलिए मैं पुन कहता हूँ कि आज रूतों उस भ्रान्ति को मिटाने में सहायता कर सकते हैं, जिसके भयंकर प्रभाव आज हम अपने में, और अपने ही ऊपर छाये हुए यातावरण में देखते हैं। क्या यह मानवीय प्रकृति की अनन्य महिमा को गलत धारणा के कारण तो नहीं है कि स्वयं प्रकृति ने उसकी पहली विकृति को, अपरिहार्य रूप से अन्य विकृतियों का अनुकरण करते हुए सह लिया था ?

छिन्नी चार शताब्दियों में कभी भी, पश्चिम के लोग यह समझने की अच्छी स्थिति में नहीं थे कि मानव समाज और प्रकृति में विद्यमान जानवरों की पृथक् करनेवाली एक दीवार को खड़ा करने की स्वयं अनधिकार चेष्टा करने से, और सारे गुणों के लिए, जिन्हे दूसरों में नहीं माना, अपने को सुयोग्य मानने से, उसने एक नाटकीय चक्र को चलाया है।

कुछ लोगों को दूसरे लोगों से अलग करके उस दीवार को और मजबूत बनाना था और हमेशा बतलानेवाले लोगों के मन में अपने दावे का, कि उन्हींकी

एकमात्र मानव-संस्कृति है, समर्पन करता था। जो अभिमान के सिद्धान्त एवं लक्ष्य पर आधारित है। ऐसी एक संस्कृति शुरू से ही दूषित थी।

सिर्फ रूसो ने इस प्रकार के अहंकारवाद के विरुद्ध आवाज उठायी। उपर्युक्त डिस्कॉर्स की पाद-टिप्पणी में, रूसो बताते हैं, कि मुसाफिरो के फूहड़ विवरणों से, उन्होंने प्राणियों की तुलना में जिस किसीमें भी विद्यमान मानव प्रकृति को इनकार करने की अपेक्षा, अफ्रीका और एशिया के बड़े जानवरों को किसी अज्ञात वर्ग के मनुष्यों के रूप में पहचानना पसंद किया है।

हमसे प्रत्येक यही आशा कर सकता है कि एक दिन हम अपने साथियों द्वारा जानवरों जैसे व्यवहृत नहीं होंगे, यह आशा अपने सब साथियों में है। उनमें हमको सबसे पहले अपने आपको दुखी जीवों के समान समझना है और अपने मे सहानुभूति की प्रवृत्ति जगानी है जो प्रकृति में 'नियम, नैतिकता और सदाचार' कहलाती है, और जिसके बिना, जैसे अब हम समझने लगे हैं समाज में न कोई नियम रहेगा, न नैतिकता और न सदाचार।

सम्भवतः यह अच्छा है कि मुद्गर पूर्व के महान् घर्मों में यह तत्त्व पहले से ही विद्यमान हैं। किन्तु पश्चिम की परम्परा में, जहाँ प्राचीनकाल से यह विचार रहा है कि कोई भी व्यक्ति दुहरा जीवन बिता सकता है और इस प्रमाण में हस्त-क्षेप कर सकता है कि मनुष्य एक जीवित और दुखी प्राणी है, जब तक सहायक कारण मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग सिद्ध न करें तब तक सभी प्राणी समान हैं उस जैविक रूसो के अलावा किसने हमें यह सदेश दिया है ?

रूसो ने मोनशिपर डी मेन्शेबेस के चौथे पत्र में लिखा है, "दूसरों पर अधिकार पतनवाली सामाजिक व्यवस्थाओं से मैं सख्त घृणा करता हूँ। मैं महान् से घृणा करता हूँ। मैं उसकी स्थिति से घृणा करता हूँ।" क्या यह कथन पहले मनुष्य पर लागू नहीं होता जिसने दूसरे जीवित प्राणियों पर अधिकार करना और एक अलग राज्य बनाये रखना चाहा और इस तरह लोगों के प्रति इसी प्रकार का व्यवहार करने की बहुत कम स्वतंत्रता दी, और जैसे पिछले व्यापक प्रसंग में था, उतने ही सज्जनक रूप से इस उपर्युक्त दृष्टान्त में भी, एक दृष्टि से फायदा उठाना चाहा।

एक सुसंस्कृत समाज में, मनुष्य को स्थायी या क्षणिक रूप से योग्य व्यक्ति मानते हुए, या जाति, सम्पत्ता, विजय या सिर्फ औचित्य के कारण मनुष्य को किसी विषय के रूप में मानकर उसके एकमात्र वास्तविक अक्षम्य अपराध के लिए कोई माफी नहीं दी जा सकती है।

('पूनेस्को कूरियर' के संप्रह विरोधाक से पुनर्मुद्रित)

ग्राम-स्वराज्य और नयी तालीम

प्रिय सिद्धराज,

पिछले नवम्बर मे एक पत्र भेजा था । उसमे सिर्फ जनाधार के पहलू पर धपना अनुभव बताया था । आज समग्र नयी तालीम की दिशा मे क्या-क्या हो सका है, उसका विवरण भेज रहा हूँ ।

जून के पत्र मे बच्चो की सपाई के वाम पर कुछ प्रकाश डाला था । वैसे तो मैं यहाँ जो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी नयी तालीम का काम है, बयोकि आज गाँव की जो परिस्थिति है, उसमे तालीम के सिवाय और कोई काम हो ही नहीं सकता है । सरकार द्वारा या सरकारी मदद से हमारे द्वारा कुछ काम गाँवो मे हो रहे हैं, उहे हम ग्राम विकास या ग्राम निर्माण का नाम देते हैं लेकिन गहराई से देखने पर स्पष्ट मालूम होगा कि इसमे गाँव मे कुछ काम भले ही लडे हो, पर उसका विकास नहीं हो पाता है । गाँव मे हम लोग अपनी और से कुआँ, तालाब, सडक आदि का निर्माण अवश्य कर देते हैं, पढाकर साक्षर भी बना देते हैं, घन संग्रह करके कुछ लोगो के खाने की व्यवस्था भी कर देते हैं या पानी का इन्तजाम करके खेती की पैदावार बढा देते हैं । अर्थात् गाँव मे कुछ सामग्री बना देते हैं, लेकिन गाँव का निर्माण नहीं कर पाते । यह इसलिए नहीं होता है कि हमारा काम तालीम-मूलक नहीं होता और बिना तालीम के साधन और समृद्धि का निर्माण भले हो जाय, सम्बन्धो का निर्माण नहीं हो सकता ।

जब हम नयी तालीम की बात सोचते हैं तब भी सदियों के सस्कार के अनुसार ही बच्चो की पढाई पर विचार करते हैं । कोई ज्यादा गहराई से विचार करनेवाले हों तो अधिक-से अधिक उनकी शिक्षा की बात सोचते हैं । लेकिन इतने भर से नयी तालीम नहीं होती । अत नयी तालीम के सेवको को अपनी धारणा स्पष्ट कर लेने की आवश्यकता है । जो गेण सन् १९३७ से ही गांधीजी की बतायी तालीम से कुछ सम्बन्ध रखते हैं, वे जानते हैं कि शुरू मे इसकी बल्यना दुनियावी शिक्षा के रूप में आयो अर्थात् ऊपर लिखित धारणा के अनुसार साठ साठ से चौन्ह माठ तक के बच्चो की शिक्षा की बात आयी । लेकिन गांधीजी ने सन् १९४४ मे जेल से लौटने के बाद दुनिया के सामने राष्ट्रीय शिक्षा की

नयी तालीम की सना देकर और उसकी परिधि गभ से मृत्यु तक बताकर तालीम की कल्पना ही बदल दी। फिर तालीम समाज निर्माण का आधार बन गयी। इस कल्पना का सहज मतलब ही नित्य नयी तालीम है, जैसा कि विनोबाजी कहते हैं।

नयी तालीम का वास्तविक अर्थ

इस प्रकार नयी तालीम का वास्तविक अर्थ नयी बुनियाद की तालीम हुई अर्थात् तालीम हमेशा समाज की नयी बुनियाद ढालने का जरिया बनी रहेगी। अतः हम देखना है कि आज ग्राम निर्माण के लिए हम करना क्या है? निर्माण का काम पुरानी और नयी दोनों बुनियादों पर हो सकता है। जो लोग पुरानी मान्यता के अनुसार चलना यानी बुनियाद बदलना नहीं चाहते उनके सामने भी प्रश्न यह है कि हमारे देश के देहाता में कोई ऐसी पुरानी बुनियाद है क्या, जिस पर से नव निर्माण हो सकता है। मैं आजकल देहातों में दौरे करता हूँ और भाषण में हमेशा की तरह अकसर कहा करता हूँ कि आज का गाँव गाँव नहीं है जगत है। वह एक बस्तीमात्र है, यानी केवल एक भौगोलिक ईकाई है। इससे स्पष्ट है कि आज के समाज में पुरानी बुनियाद के नाम की कोई चीज रह ही नहीं गयी है।

अतः आज की भारतीय परिस्थिति के सन्दर्भ में ग्राम निर्माण का मतलब कुआँ, तालाब, खेत या खेती का सुधार आदि का कार्यक्रम नहीं है बल्कि नयी बुनियाद ढालकर गाँव को ग्राम समाज में परिणत करने का प्रयास है। निर्माण के उपरोक्त कार्यक्रम जरूर रहेंगे लेकिन वे कार्यक्रम ग्राम समाज की नयी बुनियाद ढालने के माध्यममात्र होंगे। यानी यह काम नयी बुनियाद की नयी तालीम का प्रसंगमात्र होगा।

ग्राम स्वराज्य के आठ कदम

इसलिए मैंने ग्राम-स्वराज्य के कार्यक्रम के साधारणतः आठ कदम माने हैं जिसे तुम लोग नयी तालीम का पाठ्यक्रम कह सकते हो—

- | | |
|---------------|------------------|
| १—ग्राम भावना | २—ग्राम-सहकार |
| ३—ग्राम-संगठन | ४—ग्राम-शक्ति |
| ५—ग्राम सवल | ६—ग्राम-ज्ञान |
| ७—ग्राम भारती | ८—ग्राम स्वराज्य |

समग्र नयी तालीम के उपरोक्त कदमों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रौढ़ शिक्षा ही समग्र नयी तालीम का प्रारम्भिक कार्यक्रम हो सकता है।

शुरू-शुरू में जो हमलोग बच्चों में सफाई का तस्कार डालने की कोशिश करते थे, उसके लिए भी बच्चों के साथ साथ विशेष रूप से उनकी माताओं से ही झगड़ते थे। साप्ताहिक श्रमदान में जब कुछ स्त्रियाँ काम करने आती थीं तो विद्या बहन उन्हें बच्चों को ठीक ढंग से कैसे समाला जाय, इसका शिक्षण देती थीं। इसके बारे में भी लिख चुका हूँ। जब हमलोगों ने यहाँ की स्थानीय संस्था सर्वोदय व्याथम के सहारे न रहकर जनाधार पर रहने का आग्रह बताया तो उस प्रसंग से भी प्रौढ़ शिक्षण ही, इसकी भी योजना सहज बन गयी। नरेन्द्र भाई व विद्या बहन लोगों के घरों में जाकर बैठते थे, गप करते थे और अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा होती थी। खेती-बारी, सफाई, परस्पर-सम्बन्ध, झगडा-झ्यार, सभी विषय आ जाते थे। मैं भी अपनी जगह बैठे-बैठे जो लोग आते थे, उन्हें विचार समझाता रहता था। उसके उपरान्त एक-एक दिन एक एक टोले में जाकर गप की बैठक भी होती थी, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि प्रौढ़-शिक्षण के लिए मेरा मूल-उद्योग गप ही है।

नयी तालीम का प्राथमिक उद्योग

देहात में नयी तालीम के माध्यम के रूप में प्राथमिक उद्योग खेती ही हो सकती है। हम जो नया समाज बनाना चाहते हैं, उसका रूप भी कृषिमूलक ग्रामीणोद्योग-प्रधान होगा, ऐसी कल्पना करते हैं। अतः हम लोगों ने कृषि सुधार के प्रसंग को ही तालीम का माध्यम बनाने का निश्चय किया। यह केवल वाछनीय ही है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि नयी तालीम यत्सुत जिज्ञासाजनित ही हो सकती है। ज्ञान का आरोपण नयी तालीम नहीं है, यह ज्ञान लेना चाहिए। आज गाँव की मूल समस्या अन्न-समस्या है और कृषि उनको जीविका का एकमात्र साधन है। अतएव कृषि के प्रसंग में ही उनमें स्वतः जिज्ञासा जाग्रत हो सकती है। इसलिए हमलोगों ने यह निर्णय किया कि घूम घूमकर खेती की तालीम देने के बजाय अगर सामूहिक खेती में एक-दो प्लाट लेकर हम अपने हाथ से नमूने की खेती करें तो उसके उदाहरण में जो जिज्ञासा पैदा होगी, उसमें हमें एक छोर मिल जायेगा। तदनुसार हमने एक एकड़ के एक प्लाट पर मकई की खेती की और एक प्लाट पर गेहूँ की खेती करने के लिए नौमास छोड़ दिया। इस साल पान का प्लाट नहीं लिया, क्योंकि हमलोग सदा म घोड़े हैं।

शुरू-शुरू में हम लोगों को खेती देखकर लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि हमको खेती आती है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते थे कि एक डुकड़ा खिलवाड़

के लिए इन्होंने लिया है। लेकिन जब भुट्टा लगने लगा और लोगो ने देखा कि और खेतो से बहुत ज्यादा भुट्टा लगा है, तो वे मान गये कि हमको खेती आती है। फिर उसकी शोहरत हुई और लोग नरेन्द्र भाई के पास आकर चर्चा करने लगे। जब लोगो की दिलचस्पी और आकर्षण हमारी तरफ हुआ तो व्यापक रूप से चर्चा शुरू हुई और खेती के अलावा भी प्रसंग आने लगे। इसकी दिलचस्पी इतनी दूर तक फैली कि बीच में खादोषण गया था तो लौटते समय भवानीपुर में शाम को घुमने पर वहाँ के बीस-पच्चीस लोग भुट्टासे आकर मिले और खेती-सम्बन्धी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। चर्चा देर तक चली, और खेती में से हम समाज-शास्त्र की ओर चले गये।

शिक्षण-कार्य के आरम्भ के लिए इतना समय खर्च करना नयी तालीम के सेवकों के लिए आवश्यक है। हम प्रायः यह भूल करते हैं कि जब नयी तालीम का कार्यक्रम लेकर गाँव में जाते हैं तो अपने को शिक्षक के रूप में ही पेश करते हैं। लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है, जब लोगो में सेवक को गुरु मानकर उससे तालीम लेने की आकांक्षा पैदा हो जाय। नयी तालीम मुख्यतः कृषि और उद्योगमूलक होने के कारण सेवक को पहले अपने कार्यक्रम से यह साबित करना होगा कि वह इन विषयों में सज्ज है, और उसके लिए आवश्यक समय देना होगा। पुरानी तालीम के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने जिस स्तर तक की परीक्षा पास की है, उसके नीचेगले लोगों को वह पढ़ा सकता है, यह मान्यता पहले ही से मौजूद है। तो वह प्रथम दिन से ही अपना गुणत्व जाहिर कर सकता है।

अतएव जब लोगो ने नरेन्द्र भाई की योग्यता परख ली तो उन्हें अपने खेत में जाकर दिखलाने लगे और उनमें क्या कमी है, इत्यादि पूछने लगे। उनके साथ जाने में, खेत देखने में, वे भौतिक विज्ञान तथा समाज विज्ञान के अनेक पहलुओं को कह देते हैं। साथ-ही-साथ जापान, चीन, इजराइल आदि मुल्कों में कितनी पैदावार होती है, यह भी बतलाते हैं। हमारे पास कुछ सुनरे हुए औजार हैं। उन्हें इस्तेमाल करके बताते हैं कि खेती को उन्नत करने के लिए औजार सुनार की कितनी आवश्यकता है। खाद बनाने के प्रसंग में सड़ाई और स्वास्थ्य की भी बातें आ जाती हैं। इस गाँव में पहले के काम के कारण जब कभी सम्मेलन आदि होता है तो 'ट्रेंच' पालाने बनाये जाते हैं। इसमें लोक-मानस में इसकी धारणा थी और एकान्तर घर में इसका इस्तेमाल भी होता था। कृषि सुधार के सिन्धितले में खाद के लिए व्यापक चर्चा से इस चीज के लिए उत्साह

पैदा हुआ और आज बड़े घरों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ की अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि 'ट्रेंच' पासाने को अगर 'ड्राइव' दिया जाय और बनाकर विश्व में बेचा जाय तो काफी लोग इसे लेंगे। लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे हम खुद ही बना लें, इसलिए उसे बनाकर बेचने पर जोर नहीं दे रहे हैं। जोर सिर्फ़ सुबरे हुए बीजारी को बनाकर बेचने पर ही दे रहे हैं, क्योंकि चर्चा तथा प्रदर्शन में उसकी माँग पैदा हो गयी है।

कृषि-सुधार के प्रसंग में मैं उन्हें अपनी शान्ति की बात भी समझाता हूँ। साथ-साथ वर्ग-परिवर्तन की चर्चा भी करता हूँ। भूदान और प्राग्दान की बात भी आ जाती है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपके पास १०० बीघा जमीन है, पाँच मन के हिसाब में पाँच सौ मन अनाज घर में आता है। अगर हम एक बीघा में पचीस मन पैदा कर दें तो बीस बीघा से पाँच सौ मन भूदान में दे देने में आपको उज़्र क्या है? भूदान के सामाजिक न्याय के अलावा इस पहलू की चर्चा भी स्वतः आ जाती है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने देखा कि इस तरह की पैदावार के लिए दिल से काफी मेहनत करने की जरूरत है। और इतनी मेहनत मजदूर भेजकर नहीं हो सकती है। बापू लोगों को सपरिवार खेत में जानकर मेहनत करने की आदत डालनी होगी।

इस तरह जब लोग यह कहने लगे कि यह कैसे सहकारी लेती है कि हम ही से बीज माँगा जाता है और हम ही को जाकर काम करना पड़ता है तो हम उन्हें समझाते हैं कि सहकारी खेती एक प्रसंगमात्र है। हम तो सहकारी समाज बनाना चाहते हैं। वे हमसे ऐसा प्रश्न इसलिए करते हैं कि आज जो सहकारी खेती के नाम से व्यापक प्रचार तथा कहीं-कहीं आचार हो रहा है, उसका स्वरूप खेती को मिलाकर एक जगह किसी व्यवस्थापक द्वारा खेती कराकर भूमिपतियों में मुनाफा बाँटने का है। जिन लोगों का खेत है उनमें और जो जगहों में मेहनत करते हैं उनमें आपस में तथा एक-दूसरे में आपस में सहकार की कोई प्रणिया नहीं रहती है। मैं जब इस बात की कोशिश करता हूँ तो उन्हें यह चीज अटपटी मालूम होती है। और स्वाभाविक जिज्ञासा भी पैदा होती है। इसी प्रसंग में पूरा समाज-विज्ञान समझाने का अवसर मिल जाता है।

प्रौढ-शिक्षण की प्रणिया

दस्तुन प्रौढ शिक्षा का नाम भी बरोब बरोब उसी प्रकार का है, जिस प्रकार बच्चों के पढ़ाने का है। बच्चों की क ख ग लिखना बताया जाता है, फिर उमें तल्ली और जल्म हाथ में देकर कहा जाता है कि अब तुम लिखो। जब

उसे लिखने को छोड़ दिया जाता है तो वह लिखने के बजाय सख्ती पर हिजिर-विजिर लक़ीर खींचता है बीरा बाटी करता है। थोड़ी देर उसे बैसे ही खींचने दिया जाता है। फिर गुरुजी बच्चों के साथ उनकी कलम का ऊपरी हिस्सा पकड़कर लिखवाते हैं और समझाते रहते हैं। यहाँ उसी प्रकार से हमको प्रौढ़ों के साथ करना पड़ता है। जब हमने उन्हें सहकारी सेती के काम का तरीका समझाकर उसको चलाने के लिए उनको ही सौंठा तो जितना करने का उनका अभ्यास था उतना तो उन्होंने ठीक से किया, लेकिन जितनी नयी बात थी उसमें हिजिर-विजिर करने लगे। हल से खेत जोतना, बोआई करना तथा दूसरी प्रक्रियाओं को चलाना, सब ठीक किया। लेकिन सबका खेत है, सबको उसमें दिलचस्पी लेने का, मजदूर वर्ग को बिना तुरन्त मजदूरी लिये खेत में काम करके पैदावार तक और मालिकों का आखिर तक व्यवस्थित रूप से पूरी फसल तैयार होने तक इन्तज़ार करने इत्यादि का अभ्यास उन्हें कभी नहीं था। तो उसमें वे चूफते रहे। फलस्वरूप अच्छी सेती भी बर्बाद हुई। केवल अभ्यास के अभाव से खराबी हुई, ऐसी ही बात नहीं है बल्कि मालिक मजदूर के सद्व्यो के पूंजीभूत अविश्वास भी उसी तरह उमड़ आये, जिस तरह होमियोपैथी की डोज से भीतर भरा हुआ रोग उमड़ आता है। हम अगर धुद संभालत होत तो ऐसी बर्बादी नहीं होती। लेकिन जिस तरह से बच्चों को हिजिर-विजिर करने के लिए छोड़ दिया जाता है उसी तरह उनको छोड़ दिया गया। फिर जब खादीग्राम से लौटकर आया और उन्हें हिम्मत-यस्त देखा तो गुरुजी न कलम क ऊपर अपना हाथ लगाकर उन्हें लिखवाने की प्रक्रिया शुरू की। अर्थात् अज्ञान आदि बटोरना, सामूहिक सेती को पुनर्जीवित करना आदि कामों में मैं खुद दिलचस्पी लेने लगा और वहीं-कहीं अभिक्रम भी मैं ही करने लगा।

गुरु का गुहत्व इमीम है कि वह समझे कि कितनी देर बच्चों को अनाप ज्ञान लक़ीर खींचने देना है और कब कलम को अपने हाथ में पकड़कर बच्चे के हाथ को दायम स्थिति में रखकर पीछे से खुद लिखना है। उसी तरह कार्य-कर्ता को भी इस बात में माहिर होना पड़ेगा कि वे कब किस काम को कितनी देर जनाघार पर छोड़कर बर्बाद तब होने दें और कब उसे अपने अभिक्रम में लेकर सम्भाल लें। इसका कोई फार्मूला (बना-बनाया नियम) नहीं हो सकता है। कार्यकर्ता का विवेक ही भागिरी गणित है। मैन मापन-प्राप्ति के काम में अभिक्रम पूर्ण रूप से गाँव के लोगों पर छोड़कर भूले रहने की स्थिति तक चुप बँठने की नीति रखी। वह विलकुल सही था, मैं यह स्पष्ट रूप से मानता हूँ। लेकिन मानिक-मजदूर के सम्बन्ध में इतना अधिक अविश्वास के रहने सामू-

हिक खेती मे व्यक्तिगत मालिको ने जब अपना खेत काटा तो अपने अभिप्रेम से उन्हें रोककर खेत काटना और बँटवारे की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लेकर यर्बावी तक लोगो पर छोडना, फिर बाद को अपने से उसे पुनः प्रतिष्ठित करने के काम को अपने हाथ मे लेना सही या ना नहीं, इस पर गुझको कभी-कभी सन्देह होता है। साथ ही, यह भी लगता है कि नीति सही थी, क्योंकि जहाँ एक ओर अविश्वास की परिस्थिति थी वहाँ दूसरी ओर 'धीरेन्द्र भाई कर देंगे', लोगो मे यह अपेक्षा भी थी। अतः अगर अविश्वास वा उभाट रोकने की कोशिश मे मैं व्यवस्था अपने हाथ मे ले लेता तो शायद दूसरी अपेक्षा अधिक उभड़ जाती और जनाधार के मानस को पुनः स्थापित करने मे अधिक मेहनत लगती। अतएव मैंने, जो हुआ ठीक ही हुआ, उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भागे बढना शुरू किया।

पिछले पत्र मे मैंने लिखा था कि कटनी और खादीग्राम के अनुष्ठान के कारण एक माह गैरहाजिर रहकर जब लौटा तो पूरे गाँव के लोगो मे निराशा देखी। उस समय इस इलाके मे प्रतिवर्षा के कारण हमारी नदी मे बाढ आ गयी थी और अपनी कुटिया डूब गयी थी। उस समय नरेन्द्र भाई और विद्या-बहन खादीग्राम मे अम्बर चरखा का अभ्यास कर रहे थे। मुझे लोगो ने गाँव के एक भाई के मकान पर ठहरा दिया। गाँव मे ही रहने से सभी लोगो से काफी घनिष्ठता हुई। दिन भर बीच मचान पर बँठे रहने से लोग वहाँ जुटते थे और मैं अपने मूलोद्योग के मार्फत प्रौढ-शिक्षा का काम चलाता था। उन्ही दिनों खेती की वर्बादी को लेकर काफी चर्चा चलती थी और उस प्रसंग से जनाधार का विचार समझाने वा काफी अचसर मिलता था। एक महीना गाँव मे रहने से करीब-करीब सर्वोदय-विचार के सभी अर्थों की मीमासा कर सका। राज-नीति कैसी होगी, क्यों होगी? विज्ञान ने मानव समाज के सामने क्या-क्या समस्याएँ खडी कर दी हैं? शासनमुक्त यानी सैनिक-मुक्त समाज क्यों? वर्म-सधर्म का खतरा कहाँ तक जा सकता है—इत्यादि प्रश्नों पर विशेष चर्चा होती रही। इस इलाके मे सामतवादी मानस भरपूर है। इस प्रति-आधुनिक युग मे भी मजदूर वर्ग वस्तुतः गुलाम है। इस परिस्थिति के प्रसंग मे भी काफी व्योरे से विवेचन कर सका। तालीम के प्रश्न पर पहले से चर्चा चलती थी। लेकिन इस बार काफी व्योरे से लोग समझ पाये। इस प्रौढ-शिक्षण प्रक्रिया के फल-स्वरूप दो-तीन भाई ऐसे हो गये, जो हमारे विचार को दूसरो को भी समझाने लगे।

इस प्रसंग से समग्र नयी तालीम के सेवक को शिक्षा के सम्बन्ध में देश की आम मान्यता के बारे में सोचना होगा। मैंने पहले पत्र में लिखा था कि देश में शिक्षा या ज्ञानार्जन की चाह नहीं है, यद्यपि स्कूलों की माँग दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है। माँग शिक्षा की नहीं है बल्कि नौकरी के लिए 'लेबिल' प्राप्त करने की है। अतः, शिक्षा का मतलब नागरिक की सर्वाङ्गीण तालीम से है, यह तो मानने ही नहीं बल्कि बच्चों का जीवन-शिक्षण आवश्यक है, यह भी नहीं मानते हैं। मानते यह हैं कि बिना पढ़े कह-सुनकर, या दे दिलाकर सर्टिफिकेट मिल जाय तो ज्यादा अच्छा है। उत्तरप्रदेश के हाईस्कूल के एक हेडमास्टर ने एक बार मुझे एक दिलचस्प बात सुनायी। उन्होंने कहा कि सात के अग्र में परीक्षा के बाद नतीजा निकलने समय 'गाजियन (अभिभावक) लोग मुझे घेरे रहते थे। फेल किए हुए बच्चों को ऊपर के क्लास में बँटाने का आग्रह करते थे। लडकों के बारे में जब मैं समझाता था कि बुनियाद कच्ची होने से भागे चलकर फेल हो जायेगा तो कुछ 'गाजियन' तो मान जाते थे, लेकिन लडकियों के बारे में वे तब तक आग्रह करते थे जब तक मैं उन्हें 'प्रमोशन' न दे देता। वे कहते थे कि मेट्रिक में फेल कर जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमें लडकियों को नौकरी कराकर पैसा नहीं कमाना है लेकिन आजकल शादी के बाजार में लडकी मेट्रिक फेल है इतना तक कहा जा सके तो तिलक-रहेज में सुविधा हो जाती है। तो इस प्रकार, शिक्षा के बारे में यह मान्यता है कि शिक्षा बच्चों की पढायी और वह भी ज्ञान के लिए नहीं है, नौकरी या शादी की पात्रता हासिल करने के लिए है।

यही कारण है कि राष्ट्रपति से लेकर देश के सभी नेताओं और जनता को मौजूदा शिक्षा प्रणाली से असंतोष होने पर भी यह प्रणाली चल रही है, और कांग्रेस तथा सरकार की मायता, तथा देश के अनेक निष्ठावान सेवकों द्वारा सातत्य के साथ नयी तालीम की सेवा के बावजूद वह देश में यशस्वी नहीं हो रही है। क्योंकि नयी तालीम के अन्तर्ग में सोचनेवाले नेता और कार्यकर्ता के मानस में भी तालीम का अर्थ केवल बच्चों की ही शिक्षा है और बुनियादी शिक्षा से निकलकर अपने बच्चों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो उनके मन में भी असंतोष होता है। क्योंकि आखिर हमलोग भी इसी समाज के सदस्य हैं। बुद्धि से चाहे जो विचार करें, सत्कार तो यही है जो आम जनता के हैं।

अगर हमें इस परिस्थिति में नयी तालीम की ओर जाना है तो वहीं से घटना शुरू करना होगा जहाँ देश की जनता बँठी हुई है। यात्रा का प्रारम्भ

बूदकरे में के कदम से नहीं हो सकता। दिल्ली के निवासी को अगर कलकत्ता जाना होगा तो उसे अपने घर पर से ही चलना होगा और काफी दूर तक दिल्ली की सड़कों से ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए यद्यपि हम जनाधार, खेती या भ्रम प्रसंग से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाते रहे लेकिन उसे जाहिर में हमने नयी तालीम की सझा नहीं दी। अपने मानस में हम उस नयी तालीम की प्रक्रिया के रूप में व्यवस्थित करने की निरन्तर कोशिश करते रहे, क्योंकि वास्तव में वे सब शिक्षण की ही प्रक्रियाएँ हैं। लेकिन यह बात तत्काल किसीके के गले उतर नहीं सकती है। इसीलिए जब कभी तालीम के बारे में समझाते हैं तो यह बताते हैं कि गाँव भर के सारे काम तालीम के माध्यम से होने चाहिए और इसी बात को बार बार कहते रहते हैं। इस प्रकार समग्र नयी तालीम के विचार का प्रचार हमेशा करते रहते हैं। ग्रामभारती की कल्पना को समझाते समय यह एक ग्राम विश्वविद्यालय का रूप है, ऐसा समझाते हैं।

उन्हें यह बताता हूँ कि ग्राम विश्वविद्यालय से यह मतलब नहीं है कि हम गाँव के अन्दर कोई विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं, बल्कि गाँव को ही विश्वविद्यालय में परिणत करना चाहते हैं। फिर वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में इस विचार का विवेचन करता हूँ।

शिक्षा के प्रश्न पर वर्तमान परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति यह है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति से नेता शिक्षक शिक्षार्थी तथा जनता सभी को असन्तोष है। फिर भी सभी असहाय बनकर उसीको चला रहे हैं। नाना प्रकार के सुधार की कोशिश करते हैं, लेकिन यह नहीं समझते हैं कि केवल सुधार से काम नहीं चलेगा, सन्दर्भ ही बदलना होगा अर्थात् सुधार की खोज न कर विकल्प की खोज करनी होगी। दूसरी बात यह है कि आज समस्त जनता की आकांक्षा और जमाने की आवश्यकता, दोनों की मर्ग यह है कि बच्चे, युवक, बूढ़े, सबको ऊँची शिक्षा मिले। पुराने जमाने में जब राजतंत्र था तो राजा का लडका ही सत्तारूढ़ हो सकता था, दूसरा नहीं। लेकिन आज जब बालिग मताधिकार की बुनियाद पर लोकतंत्र प्रतिष्ठित है तो हरेक अट्ठारह वर्ष के स्त्री पुरुष के लिए यह सम्भावना निर्माण हो गयी है कि वह भी सत्तारूढ़ हो सकेगा। इस सम्भावना से हरेक स्त्री पुरुष के अंतरमन में ऊँची महत्वाकांक्षामो का पैदा होना सहज हो गया है। अर्थात् हरेक आदमी ऊपर उठना चाहता है। कल्याणकारी राज्यवाद ने अपने को जन जीवन के अंग प्रत्यग में फैलाकर इतना अधिक व्यापक और प्रतिष्ठित कर लिया है कि

हरेक मनुष्य उसीम नोकरी करने के लिए व्याकुल है। इसने भी हरेक बे दिल मे शिक्षा की मागना पैदा कर दी है। लोकतन्त्र की आवश्यकता यह है कि प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारो के घोषणा-पत्रो का सम्पक् विश्लेषण कर राय कायम कर सके। काफी ऊपर तक की शिक्षा द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई धन से मत खरीदकर, कोई लाठी से डराकर या कोई धोखा देकर मत सपट कर लोकतन्त्र को पूण रूप से विफल कर सकता है।

इस प्रकार विश्लेषण कर में उहे कहता हूँ कि अगर आज की परिस्थिति की भाँव यह है कि हरेक भादमी को उच्च शिक्षा मिले तो यह सम्भव नहीं है कि वर्तमान स्कूल की प्रथा से जरूरत पूरी हो सकेगी। न तो स्कूलों की इमारत इतनी बड़ी हो सकती है और न हरेक व्यक्ति सब काम से मुक्त होकर स्कूल के कमरों मे जाकर बैठ सकता है। फिर किस तरह कृषि-गोपालन, ग्रामोद्योग तथा समाज के सभी अन्य कायन्मो के समवाय से शिक्षक का काम चल सकता है यह बताता हूँ। इस प्रकार ग्राम भारती के लिए जनाधारित साधन सग्रह के प्रसंग से समग्र नयी तालीम के विचार का काम सध रहा है। अब हम इलाके के लोगो मे इसकी चर्चा होने लगी है। बलिया गाव के लोगो मे तो ग्राम भारती का काम शुरू हो धीरे धीरे ऐसी दिलचस्पी पैदा हो रही है।

इस सिलसिले मे जब मैं उनसे कहता हूँ कि भंस चराने का काम भी तालीम का माध्यम कैसे हो सकता है तो इसे समझाने मे भूमि की परिस्थिति पर चर्चा करनी पडती है। इस चर्चा मे वे अपने माप कहने लगते हैं कि आयोजित कृषि के बिना कुल भंसो के लिए एक प्लाट छोडना सम्भव नहीं है। और यह चर्चा निरन्तर होने के कारण ग्रामदान का विचार समझाने का काफी अवसर मिलता है। फिर मैं उहे कहता हूँ कि अगर ग्रामदान के लिए मोह और ममता के कारण तैयारी नहीं है तो कम से कम जिस तरह एक प्लाट को सामूहिक बनाया है उसी तरह से तीन चार प्लाट सामूहिक बनाइए ताकि एक प्लाट भंस चराने के लिए हर साल छोडा जा सके। फिर पैदावार पूरी कैसे होगी, इस प्रसंग से हम उनको कहते हैं कि अगर नियमित रूप से वे अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें तो चरागाह छोडने के बाद बाकी खेतो मे टोटल भूमि से ज्यादा पैदा हो सकता है। यह बात ध मानते भी हैं क्योंकि हमउाग पैदावार बडा सकते हैं यह विश्वास उह हो चुका है। लेकिन ममता तथा

परस्पर भविष्यवास्त इतना गहरा है कि वे तत्काल उसे नहीं कर सकते हैं। पर विचार सही है और उससे उन्नति होगी, यह वे मानते हैं और भाषण में इसकी चर्चा भी करते हैं।

ग्राम-भारती का आरम्भ

इस प्रकार की चर्चा से गाँव में काफी उत्सुकता पैदा हुई है। लोग हमसे काफी व्योरे के साथ सवाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो कहने भी लगे हैं कि ग्रामभारती शुरू ही की जाय। मजदूर वर्ग के कुछ लोग पूछने भी रहते हैं कि कब शुरू होगा। हमारा एक ही उत्तर रहता है कि जब आप चाहेगे तब शुरू होगा। भाखिर हम जिस टोले में रहते हैं उस टोले के लोगों ने एक दिन नरेन्द्र भाई से कहा कि आप लोग जिस ग्राम-भारती की चर्चा करते हैं उसके लिए हमारे टोले के साठ लठके तैयार हैं। और जब नरेन्द्र भाई ने मुझसे जिक्र किया तो मैंने कहा कि तुरन्त खोल देना चाहिए।

किसी भी नयी चीज के प्रारम्भ के लिए यह आवश्यक है कि पहले उस चीज का व्यापक जप होना चाहिए। यही कारण है कि बिनोबा चरवेति, चरवेति की बात कहते हैं। जन-मानस रुढ़िग्रस्त होता है। जन-मानस रुढ़िग्रस्त होता है, ऐसा कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि इस देश में मैंने देखा है कि जो लोग अपने को पढ़े-लिखे कहते हैं उनके मानस में तो रुढ़ि भी नहीं बल्कि वे तो बिल्कुल शून्य ही हैं। अतः रुढ़िग्रस्त मानस है ऐसा न कहकर केवल रुढ़ि आचरण है, ऐसा कहना सही होगा। अतएव कोई नयी ज्ञान्ति की बात स्वीकार करने से पहले उनके सामने कुछ समस्या है, इसका बोध दिलाना और ज्ञान्ति का संदेश उस समस्या का हल है, ऐसा कहना ही ज्ञान्ति का पहला कार्यक्रम हो जाता है। जहाँ-हाँ कुछ रचना का प्रयास करना भी जरूरी होगा। लेकिन उस प्रयास का लक्ष्य रचना नहीं होगी, बल्कि विचार-प्रचार का आनुषंगिक कार्यक्रम होगा। जिस तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ माडल और तस्वीर बनानी पड़ती है, उसमें माडल बनाना कार्यक्रम नहीं होता है बल्कि शिक्षा के उपादानस्वरूप वह बनाना होता है। उसी तरह रचनात्मक काम विचार-प्रचार का उपादान माध्य है, ऐसा समझना चाहिए।

बन्तुत सर्वोदय ज्ञान्ति के विचारानुसार हम जितनी बातें करते हैं, जनता अपने लिए उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करती है। जिन चीजों को हम बदलना चाहते हैं वे उसके लिए समस्याएँ हैं, यह भी जनता नहीं मानती है।

समस्याएँ नहीं हैं इतना ही नहीं मानती, बल्कि यह मानती है कि ये सारी पुरानी चीजें उसके लिए कल्याणकारी हैं। हम शासनमुक्त समाज बनाना चाहते हैं, सैनिक-शक्ति के बदले प्रत्यक्ष सहकारी जन शक्ति की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षित-प्रशिक्षित सारी जनता उन सैनिक शक्ति को समाज के लिए वरदान मानती है। हम केन्द्रीय उद्योगवाद को बदलना चाहते हैं, उसे भी वे अपने लिए वरदान ही समझते हैं। वर्तमान काल की जितनी चीजें हम बदलना चाहते हैं उसमें से शिक्षा-वृद्धि ही ऐसी है जिसके लिए आज प्रसतोप है। और जिसकी बदल की बात लोग सुनने को तैयार भी होते हैं। लेकिन नयी तालीम के व्यापक तथा सघन-प्रचार के बिना उसे स्वीकार करना तो दूर की बात है, उसे वे समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए जब गाँव के लोग हम लोगों के गुजारे के लिए भ्रष्टदान माँगने के लिए निकल रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि यह सही है कि इस वक्त मेरे नाम से ही भ्रष्टदान मिलेगा, लेकिन आप माँगिए ग्राम-भारती के नाम से। ग्राम-भारती की कल्पना के बारे में लोगों से चर्चा करने के लिए, उनकी माँग के अनुसार मैंने रामावतार भाई को उनके साथ भेज दिया। इससे पासपास के दूसरे गाँवों के लोगो में भी काफी जिज्ञासा पैदा हुई। वे मानते हैं कि ऐसा हो तो अच्छा है। लेकिन साथ साथ वे यह भी मानते हैं कि वह सरकार की ओर से चले या कम-से-कम सरकारी मान्यता प्राप्त हो, क्योंकि सरकार आज जनमानस में केवल वरदान ही नहीं है, बल्कि माई बाप भी है। जे हो, इतना तो स्पष्ट है कि सर्वोदय-विचार के अनुसार जितनी प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं उसमें से शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके बारे में चालू पद्धति के बदल की माँग है। और हमारे लिए भी नयी तालीम ही ऐसा कार्यक्रम है, जो क्रान्ति के लिए सक्रिय रचनात्मक कदम है। इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि भूदान-ग्रामदान आदि का विचार-प्रचार, अशोभनीय पोस्टर, सर्वोदयनगर, धाराब-बन्दी इत्यादि सब हमारे भ्रान्दोलनात्मक कार्यक्रम हैं, और नयी तालीम ही क्रान्ति के भारोहण में एकमात्र रचनात्मक कार्यक्रम है।

समग्र नयी तालीम की टेकनीक

नयी तालीम का मतलब है समग्र जीवन की तालीम और सर्वोदय समाज का मतलब है तालीम-मय समाज। इसके लिए आवश्यक है कि समाज का समस्त कार्यक्रम तालीम का माध्यम हो। इसकी टेकनीक निकालनी होगी। अन्यथा खाना में केवल उद्योग और कृषि दाखिल करने से उद्योगयुक्त पुरानी तालीम होगी, नयी तालीम नहीं। अभी जब मैं ग्राम-भारती के लिए कटनी

करने जाता हूँ तो घरने भायण मे यह कहता हूँ कि भैंस को पीठ का बच्चा उतरकर स्कूल में नहीं जा सकता है, इसलिए स्कूल को भैंस की पीठ पर जाना होगा। गाँव के लोग इतने ही मे ग्रामभारती की धारणा कर लेते हैं।

अतएव मैंने नरेन्द्र भाई से कहा कि अब तुमको हरेक बच्चे की गृह-कार्य योजना बनानी होगी। प्रत्येक 'गाजियन' के साथ चर्चा करके इसकी एक विरोध टैकनीक निकालनी होगी कि किस तरह घर के काम को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। आज बच्चे जो घर का काम करते हैं उसमें कोई तिसलिला नहीं है। अत्यन्त गरीबी और साधन-हीन परिस्थिति में, जिन्दगी की कायम रखने के सपर्प की आवश्यकता में, जब जो काम आ जाये, उन्हे करना पड़ता है। जिन क्षोण्डियों मे वे लोग रहते हैं उनमें दरवाजा नहीं होता है तो जब माता-पिता, बड़े भाई-बहन सब सेत मे कमाने चले जाते हैं तो बच्चा घर पर ही रहता है, ताकि घर की रखवाली हो। वह कभी घास लाने जाता है, कभी भैंस चराने, कभी बच्चा सन्हालता है, तो कभी घर का साना भी बनाता है, ताकि जो लोग खेत में कमाने गये हैं वे लोग लौटकर बना-बनाया खाना खा सकें। जिस तरह सस्यागत बुनियादी शाता मे शिक्षकों का प्रथम काम उद्योग के अोजार, सेती, बागवानी, आदि कामो को व्यवस्थित और सयोजित करना होता है, उसी तरह ग्रामभारती मे शिक्षक का पहला काम दून तमाम फुटकर कामो का अध्ययन तथा उतका सयोजन करना होगा, ताकि काम बेतरतीब ढंग से न होकर आयोजित ढंग से ही और इस आयोजन मे बच्चे के समग्र परिवार की तालीम भी निहित हो।

धलिमा, पूरिया, (बिहार)

२०-१-१९६१

तुम्हारा
घोरुभाई

तृतीय योजना-काल में कुल १८,७३० विद्यालय खोले गये तथा २६,७०० को नियुक्ति की गयी। विद्यालयों में छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने रहने के कारण अध्यापक-छात्र-अनुपात में अन्तर बढ़ता गया, फलतः अध्यापकों की कमी बनी रही। इस अभाव को दूर करने के लिए वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में १६,८४८ अध्यापक नियुक्त किये गये। वर्ष १९६८-६९ तक प्रदेश में ६१,९५ जूनियर बेसिक स्कूल थे, जिनमें ६२४२ लाख बालक तथा ३८८१ लाख बालिकाएँ अर्थात् ६७२३ लाख बच्चे भर्ती थे। चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में ६,७०० तथा नगर-क्षेत्रों में २०० प्रति-रिक्त अध्यापकों की भोर नियुक्ति की जा रही है। वर्ष १९६८-६९ तथा १९६९-६९ में ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के २६८ नये जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये हैं। चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में ३५० नये मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल तथा नगर-क्षेत्रों में ५५ जूनियर बेसिक स्कूलों की स्थापना की जा रही है।

जिन-जिन क्षेत्रों में माँग विशेष है और उसकी पूर्ति के लिए व्यग्रता है वहाँ जनता को उदारता और स्वावलम्बन की भावना से स्कूल खुले हैं, इन स्कूलों को स्वावलम्बी स्कूल कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का जनसहयोग विशेष उपयोगी है। परत स्वावलम्बी स्कूलों को उदारता के साथ मान्यता प्रदान करने की नीति अपनयी गयी है। वाराणसी मंडल के जिलों में अधिकांश स्वावलम्बी स्कूल हैं। इस वर्ष ६०० स्वावलम्बी स्कूलों को अनुदान देने के लिए १,८०,००० रु० स्वीकृत किया गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा में प्रगति लाने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं। इस बात का भरसक प्रयत्न किया गया है कि मिश्रित स्कूलों में अधिक-से-अधिक संख्या में बालिकाओं का प्रवेश हो। तृतीय योजना में ८२ प्रतिशत बालकों तथा ४३ प्रतिशत बालिकाओं के प्रवेश कराने का लक्ष्य था, किन्तु विशेष प्रयास करके इन लक्ष्यों को क्रमशः १०० प्रतिशत तथा ६२ प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। बालिकाओं को अधिक-से-अधिक संख्या में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों में भर्ती करने के प्रयास जारी हैं। बालि-

कार्मों को अधिक-से-अधिक सख्या में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालयों में भर्ती करने के प्रयास जारी हैं। इस वर्ष प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कुल ३६'०४ करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है।

बालिकाओं की शिक्षा

बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रयास किये गये उनमें अध्यापिकाओं के लिए प्राचीण भत्ते, भावास-गृह, स्कूल-माताओं की नियुक्ति, सेवानालोन प्रशिक्षण और प्रशिक्षण-काल में छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि मुख्य हैं। प्रशिक्षित अध्यापिकाओं को १५ रु० तथा अप्रशिक्षित को १० रु० मासिक भत्ता अपने गाँव से बाहर प्राचीण क्षेत्रों में कार्य करने पर दिया जाता है। तृतीय योजना-काल में ४,८४४ अध्यापिकाओं के भावास-गृहों के निर्माण के लिए शासकीय अनुदान दिया गया। मिश्रित स्कूलों में छात्राओं की सुविधा के लिए २,५०० स्कूल-माताओं की नियुक्ति की गयी। इस वर्ष १२५ स्कूल-माताओं की और नियुक्ति की जा रही है। साथ ही बालिकाओं के लिए ५,००० शौचालय निर्माण कराने के लिए भी अनुदान दिया गया है। राजकीय बोर्ड विद्यालयों में महिलामो को प्रशिक्षण-काल में पहले केवल २५ रु० मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी, उसे अब ३० रु० मासिक कर दिया गया है। इस वर्ष प्राचीण क्षेत्रों के ५६ स्कूलों को भवन-सुधार एवं ७५ विद्यालयों के भवन-निर्माण हेतु क्रमशः १४० लाख रु० की आर्थिक सहायता दी गयी।

चार पूर्वी जिलों—देवरिया, जोनपुर और गाजीपुर—में इतृगायी कार्यक्रम (एक्सीलिटरेटेड प्रोग्राम) के अन्तर्गत अब तक ११६ बालिकाओं के जूनियर बेसिक स्कूल खोले जा चुके हैं तथा २६६ स्कूल-माताओं की नियुक्ति की गयी है। आशा है, इससे उन जिलों में बालिकाओं की शिक्षा का अधिक प्रसार होगा।

प्रशिक्षण

प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करने के लिए तृतीय योजना-काल के अन्त में प्रदेश में कुल मिलाकर १५२ नार्मल स्कूल थे जिनमें बालकों के ११४ (१११ शासकीय तथा ३ अशासकीय) तथा बालिकाओं के ३८ (३३ शासकीय तथा ५ अशासकीय) थे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं के साथ एच० टी० सी० इकाइयाँ सलज्ज की गयीं। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त में प्रदेश में कुल ५१ एच० टी० सी० इकाइयाँ (२०

बालकों की तथा ३१ बालिकाओं की) थी। इन सभी इकाइयों में छात्र की वार्षिक प्रवेश-संख्या प्रति इकाई ३० है। किन्तु इस स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापकों का उत्पादन अधिक बढ़ जाने की संभावना के कारण जुलाई १९६६ से ३६ इकाइयाँ (१६ बालकों की तथा १७ बालिकाओं की) समाप्त कर दी गयी। वर्ष १९६६ के सत्र में एच० टी० सी० के पाठ्यक्रम में भ्रामूल परिवर्तन करके एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० कोर्स के स्थान पर एक नवीन एक वर्षीय बी० टी० सी० कोर्स प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण रखी गयी है। किन्तु महिला छात्राध्यापिकाओं तथा स्थानीय निकायों में सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रवेश की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जूनियर हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर दी गयी है। ऐसी छात्राध्यापिकाओं/छात्राध्यापकों के लिए बी० टी० सी० का पाठ्यक्रम दो वर्ष के लिए कर दिया गया है। प्रदेश में १२ सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र पुरुष-अध्यापकों के लिए तथा २ केन्द्र महिलाओं के लिए हैं। वर्ष १९६६-६७ में राज्य शिक्षा सस्थान, इनाहाबाद में एक ऐसे केन्द्र की स्थापना की गयी है, जो प्राथमिक स्कूलों के सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्र-व्यवहार-पद्धति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त अब इस स्तर पर भी ४ विस्तार सेवा केन्द्र संचालित हैं, उनमें से एक केंद्र राज्य शिक्षा सस्थान से सम्बद्ध है। वर्ष १९६६ की परीक्षा में उत्तीर्ण बी० टी० सी० परीक्षार्थियों (संस्थागत) की कुल संख्या १५,८६२ है।

जिला परिषद्, नगरपालिका तथा महापालिका के अन्तर्गत कार्य करनेवाले अध्यापकों के प्रवकाश-ग्रहण करने की वय ५८ से ६० कर दी गयी है।

जिला परिषद् की कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं के अभाव में प्रवकाश-प्राप्त पुरुष-अध्यापकों को जिनकी आयु ५५ वर्ष या उससे अधिक हो, बालिका विद्यालयों में कतिपय प्रतिबन्धों के साथ ६० वर्ष की आयु तक अध्यापन-कार्य हेतु नियुक्त करने की स्वीकृति दी गयी है।

जन्मसहयोग प्राप्त करने के लिए पाठशाला प्रबन्ध समितियों के गठन का आयोजन किया गया। पाठशाला प्रबन्धक समितियाँ प्रायः सब स्कूलों के लिए बन गयी हैं और उन विद्यालयों के विकास में बहुत सहायता मिल रही है।

इस स्तर पर पुस्तकें शिक्षा-विभाग के पाठ्य-पुस्तक अधिकारी के निर्देशन में तैयार की जाती हैं और विभाग द्वारा ही उनका प्रकाशन किया जाता है। १९६६-७० के लिए राजकीय पाठ्य पुस्तकों की लगभग दो करोड़ प्रतियों की

व्यवस्था की गयी है। जूनियर वैदिक स्कूलों में निर्धन छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती हैं। मत वर्ष में शासन को पाठ्यपुस्तकों की रायस्वी वे रूप में ६,२६,६५२ रु० की धारा प्राप्त हुई।

जूनियर वैदिक स्कूलों को शिल्प-सामग्री और पुस्तक आदि के लिए १०० रु० प्रति स्कूल की दर से वर्ष १९५६-५७ से अनुदान दिया जा रहा है। इस धाराशि में से २१ रु० शासन द्वारा स्वीकृत पुस्तक और मासिक पत्रिका खरीदने तथा ७९ रु० शिल्प एवं शिबिर सामग्री तथा उपकरण के लिए व्यय किया जाता है। जिला परिषदों के पथ-प्रदर्शन के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत शिल्प एवं उपकरणों की एक सूची वितरित की गयी है। प्रत्येक जिले में इस सामग्री के क्रय करने के लिए स्थानीय निगमों के स्कूलों के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है, जिससे सामग्री का सदुपयोग हो सके। कुशल अध्यापकों ने इस अनुदान का बहुत सफल उपयोग किया है।

इस वर्ष प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के ८ अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य सरकार की ओर से भी अध्यापकों को प्रदेशीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित विभिन्न आयोजनों के सम्पादन के लिए निरीक्षण को सुदृढ़ किया गया है। इस समय प्रदेश में ५४ विज्ञान उभनिरीक्षक, २० उपविद्यालय निरीक्षक, ६३६ विद्यालय प्रतिउपनिरीक्षक और २४४ सहायक बालिका-विद्यालय निरीक्षक हैं। पाठन स्तर में निरन्तर सुधार लाने के दृष्टिकोण से निरीक्षण व्यवस्था में सतुनन बनाये रखना आवश्यक है। अस्तु इस वर्ष चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में १० उप बालिका विद्यालय निरीक्षकों के पद सृजित हुए हैं तथा ६ सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षकों एवं २५ विद्यालय प्रतिउपनिरीक्षकों के पदों के सृजन का प्राविधान है। सभी प्रतिउपविद्यालय निरीक्षकों को उहसीलों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

“केयर” के सहयोग से बालाहार योजनान्तर्गत वर्ष १९६६-७० में ८७,७२,१६१ बच्चों को निःशुल्क बालाहार दिया जा रहा है।

शासन द्वारा गठित भाषा समिति की सन्तुतियों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य में जिन जूनियर वैदिक विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष १९६६-७० में अनुदान अनुदान देने हेतु रु० १०,००,००० की धाराशि का प्राविधान किया गया है।

राज्य शिक्षा सस्थान ने फरवरी १९६४ से कार्य प्रारम्भ किया है । इसके उद्देश्य निम्नोक्त हैं :—

- १—निरीक्षक वर्ग सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- २—प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ानेवाले अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसंधान करना ।
- ३—प्रदेश के प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रसार-सेवाओं का आयोजन ।
- ४—प्राथमिक पाठशालाओं के छात्रों तथा अध्यापकों के लिए साहित्य-निर्माण ।
- ५—निरीक्षक वर्ग तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए अभिनवीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन ।
- ६—शिक्षकों के लिए प्रकाशन ।

—शिक्षा की प्रगति १९६६-७० से सामार

प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण को प्रभावकारी कैसे बनाया जाय ?

अल्पकालीन सस्तुतियाँ

(१) शिदा में गुणात्मक सुवार लाने एव निरीक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए निरीक्षक-वर्ग को अपना मनोभाव बदलना होगा। वे अपने को अधिकार-सम्पन्न प्रशासनिक अधिकारी की अपेक्षा अध्यापको का सच्चा हितैषी एव मार्ग-दर्शक समर्थ, विद्यालय की समस्याओं को समझकर उनको हल करने का प्रयास करें।

(२) निरीक्षण रचनात्मक होना चाहिए, निरीक्षण में अध्यापक की त्रुटियाँ ही न दर्शायी जावें, अपितु ठोस सुझाव देते हुए मार्ग-प्रदर्शन किया जाय।

(३) प्रथम निरीक्षण के समय दिये गये सुझावों का अनुपालन सन्तोषजनक रूप में हुआ है या नहीं, यह देखना आवश्यक है। निम्न सुझावों के कार्यान्वयन में अध्यापको को जो कठिनाइयाँ हुईं हो उनको यथासम्भव दूर करने की चेष्टा करें।

(४) केन्द्रीय पाठशाला के प्रधानाध्यापक के पास भी अन्य विद्यालयों को दिये गये सुझावों की सक्षित आख्या निरीक्षक-वर्ग को देनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय को सुचारु-हेतु दिये गये निर्देश क्रमानुसार एक पंजिका में अंकित होने चाहिए तथा उस दिशा में की गयी मासिक प्रगति का पूर्ण विवरण भी इसमें अंकित करना चाहिए। केन्द्रीय पाठशाला के माध्यम से निरीक्षक-वर्ग प्रत्येक विद्यालय की मासिक प्रगति-आख्या प्राप्त करें।

(५) निरीक्षण-कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने अधीनस्थ विद्यालयों का सामान्य निरीक्षण एव नियंत्रण करें। उनका यह निरीक्षण प्रति-उप-विद्यालय निरीक्षक के दो नियमित निरीक्षणों के अतिरिक्त होगा। इन कार्य के लिए माह में अधिक से-अधिक दो दिन ध्यतीत किये जायें।

(६) केन्द्रीय विद्यालयों की आदर्श बनाया जाय, जिससे अन्य विद्यालय उनका अनुकरण कर सकें।

(७) निरीक्षक के सुझावों के अनुसार प्रगति दिखानेवाले शिक्षकों को प्रशस्ति-पत्र दिये जायें।

(८) निरीक्षण प्रान्या के महत्वपूर्ण अंशों को सम्बन्धित अधिकारी, जैसे-अध्यक्ष,

शिखा-अधिकारी, अभियन्ता, वित्त अधिकारी आदि को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जाय ।

(९) एक विद्यालय के निरीक्षण में निरीक्षक पूरा एक दिन लगवें तथा निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण आख्या प्रधानाध्यापक को उसी दिन देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लें । निरीक्षणोपरांत विद्यालय-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों पर अध्यापकों से विचार विमर्श करें ।

(१०) निरीक्षण के समय निम्नांकित बातों पर विशेष बल दिया जाय ।

(अ) टोली द्वारा क्रमानुसार पाठशाला भवन तथा प्रांगण की सफाई ।

(ब) सामूहिक प्राथना, राष्ट्रीय गान प्रवचन, सूचना, व्यायाम आदि का कार्यक्रम ।

(स) छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का निरीक्षण (हाथ, पाँव, नाखून, दाँत, इत्यादि की सफाई) ।

(द) विलम्ब से आनेवाले छात्रों की रुख्या कम करने का प्रयास ।

(य) समय-विभाग चक्र तथा (शिक्षक-डायरी) अध्यापकों को दैनन्दिनी के अनुसार कार्यक्रम का संचालन ।

(र) विद्यालय की प्रगति का पंचवर्षीय चार्ट ।

(ल) कक्षा एक के बालकों की प्रगति का मासिक-लेखा तथा उसके आधार पर कक्षा की जाँच ।

(व) बालकों के बैठने व लेखनी पकड़ने का ढंग ।

(श) कक्षा १ और २ में अनिवार्य रूप से तस्ती व कलम का प्रयोग ।

(घ) श्यामपट्ट, चाटें, चित्र, मञ्जिल तथा जो मानचित्र विद्यालय में उपलब्ध हैं उनका उचित प्रयोग ।

(स) अध्यापक व छात्र द्वारा शुद्ध भाषा के प्रयोग पर बल ।

(ह) खेल कूद, स्कार्टिंग, सांस्कृतिक एवम् साहित्यिक कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन ।

(ध) छात्रों के ज्ञान के स्तर की जाँच मौखिक, लिखित एवं त्रियारमक कार्य द्वारा ।

(न) शिल्प एवं सम्बन्धित कला के सामान का निर्माण, स्रष्टृ व बालकों में प्रसारण ।

(त) अभ्यास पुस्तिकाओं की जाँच तथा लेख व धतनी-सम्बन्धी अरुद्धियों में सुधार का प्रयास ।

(११) शिक्षकों द्वारा स्वयं निर्मित शिक्षण उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाय ।

(१२) गणित तथा भाषा को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया जाय क्योंकि अन्य विषयों की गान प्राप्ति में यही विषय सहायक होते हैं । निरीक्षण के समय इन विषयों के शिक्षण की नवीन विधियों से अध्यापक को परिचित कराया जाय ।

निरीक्षण में जो विद्यालय आदर्श पाये जायें उनसे सम्बन्धित निरीक्षण-आख्या सभी विद्यालयों में प्रसारित की जाय ।

(१३) निरीक्षक निरीक्षण के समय विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश पुस्तकों को पढ़ने व उनके अनुसार कार्य करने पर बल दें ।

(१४) निरीक्षकों को प्रत्येक कक्षा के पाठ्य ग्रन्थ तथा विषय-वस्तु का पूर्ण गान होना चाहिए तथा निरीक्षण आख्या में प्रत्येक विषय पर रुक्षेप में सुझावों सहित टिप्पणी दी जानी चाहिए ।

(१५) वष में प्रत्येक अध्यापक कम से-कम १० पाठ योजनाएँ तैयार करे तथा निरीक्षण के समय इन पाठ योजनाओं को निरीक्षक वर्ग द्वारा देखा जाय । इन पाठों का शिक्षण प्रधानाध्यापक की देख रैख में ही । यदि निरीक्षक उचित समझें तो अपने समय भी उनमें से किसी पाठ का शिक्षण अध्यापकों से अपने सामने करायें ।

(१६) निरीक्षक भी समय-समय पर अध्यापकों के समक्ष आदर्श पाठ दें ।

(१७) विभागीय योजनाओं तथा छात्र वृद्धि अभियान, स्वावलम्बी विद्यालय, मध्याह्न स्वल्गाहार आदि पर बल दिया जाय ।

(१८) प्रति-उप विद्यालय निरीक्षक अपने कार्यक्रम की सूचना विद्यालयों को पहले से ही दें जिससे पाठशाला प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से सम्पर्क किया जाय और समस्याओं का अध्ययन कर निराकरण किया जा सके ।

(१९) दीर्घित व अदीर्घित सभी अध्यापकों की चरित्र-पत्रिका प्रतिवर्ष लिखी जाय । कार्य सम्बन्धी टिप्पणियाँ बहुत शीघ्र में न कर स्पष्ट होनी चाहिए । असन्तोष जनक कार्य सम्बन्धी अंकन की सूचना सम्बन्धित अध्यापक को अवश्य दी जाय ।

(२०) हास एवम् अवरोप की रीत-यान के लिए प्रत्येक वष विद्यालय में कार्य तैयार कराया जाय तथा निरीक्षण के समय प्रति विद्यालय निरीक्षक इसका अध्ययन करके निरीक्षण आख्या में संकेत करें । यदि सम्भव हो तो अवरोप-बाले छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जाय ।

(२१) प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में एक दिन बाल सभा की बैठक का आयोजन किया जाय। इसकी कार्यवाही पंजिका में अवश्य होनी चाहिए।

(२२) राष्ट्रीय पंचमूर्ति कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रयास होना चाहिए।

दीर्घकालीन सस्तुतियाँ

१—उपविद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय से उपयोगी पुस्तकें जैसे शिक्षा संहिता, पाइनेशियल हेल्थबुक, विभिन्न शिक्षा-आयोगों की आख्याएँ, सस्थाओं द्वारा प्रकाशित 'निर्देश पुस्तिका', विद्यालयों के पाठ्यक्रम आदि अवश्य रहें। विज्ञापनपरिपदों की बचत से प्रतिवर्ष ५०० रु० की पुस्तकें क्रय करने की व्यवस्था की जाय।

२—क्षेत्र-स्तर पर समय-समय पर अध्यापकों की विचार-मोष्ठियाँ प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय-निरीक्षिकाओं की अध्यक्षता में आयोजित की जाय। अध्यापिकाओं के विषय-ज्ञान-वृद्धि के लिए कम-से-कम चार सप्ताह के क्षेत्रवार शिविर आयोजित किये जायें।

३—राठघाला प्रबन्धक-समिति को और अधिक क्रियाशील बनाने के निमित्त अतिरिक्त जिम्मेदार, जिम्मेदार नियोजन अधिकारी के माध्यम से पंचायत-राज विभाग से पूर्ण सहयोग प्राप्त किये जायें।

४—निरीक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि के लिए समय-समय पर सेवा-कालीन प्रशिक्षणों का सर्वेक्षण किया जाय, जिससे वे निरीक्षण की नवीनतम विचार-धाराओं से परिचित होते रहें।

५—निरीक्षकों को अन्य प्रदेशों में जाकर वहाँ की प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था, उनकी समस्याओं तथा निरीक्षण की विधियों के अध्ययन का अवसर भी प्रदान करना चाहिए।

६—निरीक्षकों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं के बीच प्रतिसपुगमन (Interchangeability) होना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षण-संस्थाओं के क्षेत्र की समस्याओं से तथा निरीक्षक-वर्ग शिक्षण की नवीनतम विधियों से परिचित होते रहें।

७—जिस भी जिसे में प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक के पद की एक माह से अधिक समय तक रिक्त न रखा जाय।

८—आश्चर्य-वशा एवम् आदर्श-राठ पर 'डाकुमेट्री फिल्म' तैयार करायी जायें तथा दृश्य-श्रव्य उपकरणों द्वारा उनका प्रदर्शन स्थान-स्थान पर किया जाय।

९—विद्यालय-भवन राजकीय अनुदान द्वारा जिला-परिषद सार्वजनिक निर्माण विभाग (Public works Department) के माध्यम से बनाया जाय तथा भवन वा नवस्था संस्थान बनाकर दे ।

१०—विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप जो अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को दिये गये हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में केवल नीति-निर्धारण तक ही सीमित हो और दैनिक प्रशासन में उनका हस्तक्षेप शिक्षा के हित में अवाञ्छनीय है ।

११—निरीक्षक-वर्ग को पूर्व-सेवा-प्रशिक्षण दिया जाय ।

१२—जिला-परिषद् के शिक्षा-कार्यालय में जो लिपिक हों, उन पर उप-विद्यालय-निरीक्षक का पूर्ण नियंत्रण हो ।

१३—वर्तमान ढाँचे में प्रति-उप-विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पदोन्नति प्राप्त करने में काफी समय लगता है, जिसके कारण उनमें उदासीनता बनी रहती है । इसके लिए निम्न सस्तुतियों की जाती हैं ।

(क) उप विद्यालय निरीक्षक/बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पद पर सीमांकी भर्ती बन्द की जाय ।

(ख) सभी जिलों में अतिरिक्त उप-विद्यालय-निरीक्षकों के पद पुनः चासू किये जायें ।

(ग) सभी जिलों में उप-विद्यालय-निरीक्षकों का पद होना चाहिए तथा उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाय ।

(घ) प्रति-उप-विद्यालय-निरीक्षक को कोठासे-शिक्षा-आयोग के अनुसार गुण-याइजरी स्टॉक का वेतन-मान दिया जाय ।

—शैक्षिक उन्नयन, राज्य शिक्षा-संस्थान से साभार

छात्र-संघों-की सदस्यता : एक दृष्टिकोण

अजित कुमार

['छात्र-सभ अध्यादेश' पर इस लेख में जो विचार प्रकट किये गये हैं— वे 'नयी तालीम' के विचार नहीं हैं। 'बादे बादे जायते तस्वबोध' की वृत्ति से हम इस लेख को प्रकाशित कर रहे हैं। इस विषय पर दूसरे लेखों का भी स्वागत होगा।—सम्पादक]

छात्र-संगठनों की सदस्यता को र्वैच्छिक बना देने के कारण कुछ प्रतिक्रियाएँ देखने में आ रही हैं। यह प्रचार किया जा रहा है कि सरकार छात्र-संगठनों की स्वतंत्रता अपहरण करना चाहती है। यह प्रचार भ्रामक ही नहीं, बरन् सत्य से पूर्णतया परे है। वास्तविकता तो यह है कि इस प्रकार दूषित प्रचार व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है तथा छात्रों के भारी बहुमत के हित के विरुद्ध भी है। साथ ही-साथ प्रजातांत्रिक प्रणाली की कसौटी पर किसी भी प्रकार सही नहीं उतरता। सरकार ने छात्र-सभ की सदस्यता को केवल र्वैच्छिक बनाया है। अर्थात् जो छात्र चाहे वह सभ में रहे और अपनी इच्छा से चाहे एक संगठन बनाये, चाहे अनेक। अब उनके लिए किसी एक संगठन का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है और न यह आवश्यक है कि उनसे उनकी इच्छा के विरुद्ध सदस्यता की फीस वसूल की जाय।

छात्र-संघ की सदस्यता को ऐच्छिक रूप प्रदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह एक विचारणीय प्रश्न है। छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, उनमें बढ़ती हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के स्तर में आती हुई गिरावट जन-जन की चर्चा का विषय हो गये हैं। प्रत्येक अभिभावक आज इन तीनों समस्याओं से त्रस्त है। इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष १९६४ में इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर तथा आगरा विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की बैठक हुई। इस बात पर सभी एकमत थे कि छात्र-संघों के विधान में इस प्रकार परिवर्तन कर दिये जायें कि सम्बन्धित सुराश्या कम हो जायें। कोठारी-आयोग ने भी वर्ष १९६६ में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुछ विश्वविद्यालयों, विशेषकर लखनऊ विश्वविद्यालय में हाल ही में ऐसी घटनाएँ हुईं जिनके कारण परोक्षार्थों के निर्धारित कार्यक्रम पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गये और छात्रों के एक वर्ग ने हिंसात्मक कार्य भी किये। कोठारी-आयोग के मत में

इसका मूल कारण छात्र-सघ की व्यापक कार्यवाहियाँ हैं। पुनः प्रदेश के उप कुम्पनिया की एक बैठक जनवरी १९६९ में हुई जिसने एक प्रस्ताव द्वारा छात्र-धनुशासनहीनता के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति बनाने का निर्णय किया।

यह समिति मेरठ विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० आर० के० सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई। यह समिति भी एक मत से इस निर्णय पर पहुँची कि छात्र सघों में कोई भी ठोस और लाभदायक काम नहीं किया। उनका मुख्य काम हड़तालें कराना और छात्रों तथा विधिपूर्वक स्थापित सत्ता में सघष कराना ही रहा है। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि यदि इस स्थिति को रोकने का प्रयास न किया गया तो देश में अराजकता की परिस्थिति अन्त में उत्पन्न हो जायगी।

परिनियम बनाने की पृष्ठभूमि में शिक्षाविदों तथा अभिभावकों की मही बिन्ता है। वर्तमान सरकार ने यह कदम उठाकर राष्ट्रहित की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिसके लिए सामान्य से अधिक साहस, आत्मविश्वास और सिद्धान्तों के लिए अपनी लोकप्रियता और भविष्य के लिए सतर्क उठाने की शहापनीय भावना निहित है।

शासन का यह कदम प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्त पर आधारित है। प्रजातंत्र में जोर-जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है। इस प्रणाली में चूना देनेवाले या वोट देनेवाले के प्रति पदा लेनेवाले या वोट लेनेवाले उत्तरदायी होते हैं। अनिश्चित सदस्यता और उसकी फीस बसूलना जनतंत्र नहीं, बरत तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक है। सरकार ने संगठनों की सदस्यता को स्वैच्छिक बनाकर इस तानाशाही और अनुत्तरदायी मनोवृत्ति को रोकने का प्रयास किया है।

छात्रों को यह समझना चाहिए कि वे देश की सम्पदा हैं। यदि इस सम्पदा का सही उपयोग होगा तो निश्चय ही राष्ट्र समृद्धिशाली और शक्तिवान बनेगा अथवा देश दरिद्रता और भु्रमरी की ओर ठीक उसी प्रकार जायगा जिस प्रकार पत्नी का दुरुपयोग होने से स्याहार नष्ट होता है। आज चंद स्वार्थी छात्र और अमानसिक सख उहें सख माग पर ले जान की चेष्टा में हैं। वे छात्रों को अज्ञान शक्ति का शिष्यतात्मक कार्यों में लगाकर उस नष्ट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसे स्वार्थी छात्रों से सखन रहना चाहिए।

यदि छात्र, जीवन में ज्ञान और शक्ति को अर्जित करने के स्थान पर समय का अव्यय्य करेंगे और स्वार्थी तथा असामाजिक तत्वों के इशारे पर चलकर अपनी शक्ति का नाश करेंगे तो निश्चय ही हम उन छात्रों-बरोहों गरीब किसानों, मजदूरों, निम्नतम वेतनभोगी वर्गों के साथ विश्वासघात करेंगे जिनसे प्राप्त टैक्स से विश्वविद्यालय अपना डिग्री कालेजों में उच्च शिक्षा दी जाती है। छात्रों को यह स्मरण रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा का व्यय उनके दिये गये शिक्षण-शुल्क से पूरा नहीं होता, बल्कि सरकारी कोष द्वारा दिये गये धन से, और यह धन सरकारी कोष में उत्तरप्रदेश की गरीब जनता से आता है। जनता इसी आशा पर टैक्स देती है कि छात्र शिक्षित होकर उसकी दरिद्रता को दूर करने में सहायक होंगे। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा का दुरुपयोग न केवल उत्तरप्रदेश की गरीब जनता के प्रति विश्वासघात ही होगा बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा चलायी गयी मायताओं के विरुद्ध भी होगा।

विश्वविद्यालय ही वे स्थान हैं जहाँ एकाग्रचित्त होकर छात्र आगे आनेवाले अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर सकते हैं। छात्र-जीवन का एक-एक क्षण बहुमूल्य है। उसका अव्यय्य राष्ट्र के साथ विश्वासघात है। प्रत्येक छात्र को यह याद रखना चाहिए कि न कोई ऐसा मनुष्य हुआ है और न कोई ऐसा राष्ट्र, जिसने समय का अव्यय्य करके भी स्याति अर्जित की हो। सरकार स्वयं इस बात के लिए जागरूक है कि संस्थाओं में शान्ति का वातावरण हो और विद्यार्थी तामय होकर अध्ययन कर आगे आनेवाले उत्तरदायित्व को मानसिक रूप से सहन करने में सक्षम बनें।

छात्र-संगठनों, जिन्हें शिक्षा-मन्दिरों में ऐतिसिक वातावरण बनाना चाहिए था, अपने ध्येय से पथभ्रष्ट हो गये हैं। अतः सरकार ने छात्र-संघ की सदस्यता को स्वैच्छिक बनाया। लेकिन, सरकार द्वारा इतने विवेकपूर्ण कदम उठाने पर इसका विरोध क्यों? स्पष्ट है कि इससे कुछ छात्रों को सस्ती नेतागिरी करने और दूसरे छात्रों का धन शोषण कर स्वयं आगे बढ़ने का अवसर न मिल सकेगा।

छात्र संगठनों का विगत दो दशकियों का इतिहास बताता है कि विश्व-विद्यालयों और डिग्री कालेजों के छात्रों का भारी बहुमत अधिक-से-अधिक अध्ययन कर अपने भविष्य को बनाने का इच्छुक होता है पर प्रत्येक सस्था में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनका ध्येय दूसरे छात्रों के पैसे पर मौज करना होता है। अभी तक अनिवार्य सदस्यता के कारण सदस्यता की पीस के रूप में लाखों रुपये एकत्रित

होते रहते हैं। इन रुपयों पर कब्जा करना, उनको अपने निजी स्वार्थ में व्यय करना, इन कुछेक छात्रों का ध्येय रहा है। ये छात्र-नेता इस धनराशि को हथियाने के लिए ही मुख्यतः छात्र-संगठनों का सहारा लेते रहे हैं। इसके लिए वे कभी भी उन छात्रों के प्रति अपने को उत्तरदायी नहीं समझते रहे, जिनसे यह धन फीस के रूप में वसूल किया जाता था। यदि यही धनराशि संगठनों द्वारा छात्रों से उनकी स्वेच्छा से ली गयी होती तो श्रमका अपव्यय करने का साहस उन तत्प्राकृतिक छात्र-नेताओं को न होता जो आज अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उन्हें छात्रों को व्यय का हिसाब देना पड़ता। इस धन के अपव्यय की झलक उस समय मिलती है जब छात्र-संगठनों के चुनाव होते हैं और प्रतिद्वन्द्वी एक-दूसरे का भेद खोलने में नहीं हिचकते। छात्र-संगठनों के चुनाव हिसा, अस्लीलता और द्रोप का बीज शिक्षा-मन्त्रियों में बोते हैं। छात्र-नेता चुनावों में अन्धाधुन्ध व्यय करते हैं। यह धन कहीं से प्राप्त होता है और किस आशा में? यह भी ध्यान देने योग्य है।

अपने इसी एकाधिकार की कायम रखने के लिए ये तत्प्राकृतिक छात्र-नेता विश्वविद्यालयों में हिसात्मक कार्यों को प्रोत्साहित कर बाहरी असामाजिक तत्त्वों से गठबन्धन कर आतंक का वातावरण बनाये रखने की बराबर कोशिश करते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में चाकू, छुरों, पिस्तलो आदि अस्त्र-शस्त्रों का छात्रों के पास होने के पीछे इन्हीं तत्प्राकृतिक नेताओं का हाथ होता है।

इन तत्प्राकृतिक छात्र-नेताओं में से अधिकतर: ऐसे हैं जो दस-दस वर्षों से विश्वविद्यालयों में हैं जब कि एक अध्ययनशील छात्र के लिए बी० ए० से पी० एच० डी० तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए केवल सात वर्ष का समय चाहिए। ये छात्र-नेता विवाहिता तथा बाल-बन्धेदार होते हैं और गृहस्थ जीवन के समस्त सुखों का उपभोग करते हुए भी विश्वविद्यालयों में छात्र बनकर घूमते हैं। स्पष्ट है कि इनका शिक्षा और छात्रों से कोई लगाव नहीं होता। इनका एकमात्र ध्येय छात्र-रोपण ही होता है। ये तत्प्राकृतिक छात्र नेता सिनेमाहाल, रेस्टोरेन्ट और शराबखानों में भी प्रायः देखे जाते हैं। इनके स्वर्ण की देखकर आश्चर्य होता है कि ये छात्र हैं अथवा और कुछ।

अपने प्रभाव और आतंक को जमाये रखने के लिए इन छात्र नेताओं का सबसे आसान तरीका संगठनों के माध्यम से हड़ताल कराना और सार्वजनिक सम्पत्ति का नाश कराना है। सदैव यह देखा गया है कि इन विध्वंसात्मक कार्यों के पीछे इन्हीं नेता बने जानेवाले छात्रों का हाथ होता है। इन तत्प्राकृतिक नेताओं को लेनामत्र भी ध्यान नहीं होता कि शिक्षा-संस्थाओं की हड़ताल से कितनी

अपार क्षति राष्ट्र और उन छात्रों की होती है जो शिक्षा का एकमात्र ध्येय लेकर आते हैं। और इन तथाकथित नेताओं को चिन्ता हो भी तो क्यों? वे तो अपना गठबन्धन अन्य दलों से किये रहते हैं और उनके सहारे अपना भविष्य बनाते हैं। कुछ राजनीतिक दल विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को अपनी पार्टी के लिए रगस्ट भरती करने का अच्छा स्थान (recruiting ground) समझते?। अतः उन्हें भी अध्ययनरत छात्रों के भविष्य में कोई भी रुचि नहीं रहती और वे भी छात्र-सघों के माध्यम से अपनी स्वार्थ पूर्ति में ही लगे रहते हैं।

हानि होती है केवल उन छात्रों की जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, और जिन पर आशा लगाकर उनके गरीब अभिभावक धन व्यय करते हैं। ऐसे ही छात्र किसी भी संस्था में भारी बहुमत में होते हैं यह राष्ट्रीय क्षति है।

स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी देन है देश के गरीब वर्ग में नवीन जागृति का होना। आज हमारे विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में भारी संख्या में गरीब वर्ग के छात्र आ रहे हैं। उनके मस्तिष्क में यह विचार बैठ गया है कि शिक्षित बन, तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर, वे अपनी अधिक से अधिक उप्रति कर सकेंगे। लेकिन ये तथाकथित छात्र-नेता जो अधिकांशतः घनिक वर्ग से आते हैं, नहीं चाहते कि गरीब वर्ग के लोग शिक्षा में भागे बढ़ें। वे इन छात्रों की शैक्षिक ज्ञान्ति का गलत मार्गदर्शन कर उनकी प्रगति में रोड़ा बटका रहे हैं। शिक्षा-संस्थाओं में हड़तालों द्वारा सबसे अधिक क्षति आज गरीब वर्ग के मेधावी छात्रों की होती है।

समठन का ध्येय

छात्र समठनों की स्थापना का वास्तविक ध्येय छात्रों का रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सर्वांगीण विकास करना है। वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, स्वस्थ मनोरंजन, कवि सम्मेलन, मुशायरे, विद्वानों का सम्मान तथा उनके व्याख्यानो का आयोजन उनका प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ अपनी संस्थाओं में छात्र कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन और विद्यालयों के अधिकारियों की सहृदयता से उनकी व्यवस्था करना और कराना भी है। परन्तु किसी भी विश्वविद्यालय अथवा डिग्री कालेज के छात्र समठन के किसी एक वर्ष के कार्यवलाप का अध्ययन करें तो मालूम होगा कि रचनात्मक कार्य के नाम पर सैरमार्ग कार्य नहीं हुआ, लेकिन विष्वसात्मक कार्यों की सूची अवश्य दीवार हो जायगी जिनमें गुडजनों का अपमान, हड़ताल, परीक्षा में नकल, आपसी छुरेबाजी, छात्राओं के प्रति अश्लील व्यवहार, गुंडागर्दी आदि प्रमुख होंगे।

छात्र-संघों ने वर्तमान समय में 'ट्रेड यूनियनों' का रूप ले लिया है। छात्रों के हितों में प्रयत्नशील होने के स्थान पर इनका प्रयोग अभ्यापको और उपकुलपतियों को बाध्य करने के लिए ही किया जाता है। छात्र-संगठनों के माध्यम से ये छात्र-नेता उनका धराव करते हैं और धमकियाँ देते हैं।

यह सर्वविदित है कि छात्रों की सामूहिक शक्ति अपार है। स्वतंत्रता-युद्ध में छात्रों ने रचनात्मक एवं देशभक्ति के कार्य में अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने स्वतंत्रता-युद्ध में अपना पूर्ण योगदान किया। परन्तु खेद है कि विगत दो दशकियों में इन अनुकरणीय परम्पराओं में गिरावट आयी और आज तो ये परम्पराएँ लगभग लुप्त-सी हो गयी हैं। आज बाढ़ व सूखा-जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय छात्र-संगठनों द्वारा किसी रचनात्मक कार्य को सबरें सनापार-पत्रों में पढ़ने को नहीं मिलती। वॉलेन्टियरों के रूप में आज छात्रों के दर्शन दुर्लभ हो गये हैं। यूनियनों द्वारा छात्रों की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन, दुकानें चूटने, सार्वजनिक सम्पत्ति का नाश कराने, हड़तालें कराने, एवं कानून और व्यवस्था तोड़ने में ही होते देखा गया है। छात्रों के प्रति होनेवाले अशिष्ट व्यवहार के समय अथवा किसी गूंडे द्वारा सताये गये व्यक्ति की रक्षा के समय यह सामूहिक शक्ति सामूहिक कायरता में परिणत हो जाती है। रैगिंग (Ragging) अथवा इंट्रोडक्शन नाइट (Introduction night) जैसी अवाञ्छनीय प्रथाओं के विरुद्ध किसी छात्र नेता ने आवाज नहीं उठायी।

यह उल्लेखनीय है कि गत १२ जुलाई, जिस दिन अभ्यादेश जारी हुआ, वे आज तक किसी भी अभिभावक में इसके विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा और न लिखा। स्पष्ट है कि प्रत्येक अभिभावक यह चाहता है कि छात्र गम्भीरता से शिक्षा प्राप्त करें और वह यूनियनों की इस नयी व्यवस्था का स्वागत करता है। आलोचक सिर्फ वे ही हैं जो विश्वविद्यालय को रंगरूट भरती करने का स्थान मानते हैं अथवा वे छात्र जो दूसरे छात्रों का शोषण कर अपना निजी भविष्य बनाना चाहते हैं। छात्रों को ऐसे दलों, तथा उनके पिछड़े छात्र-नेताओं से अचेत रहना चाहिए।

ऐच्छिक संघों के विरुद्ध एक तर्क यह दिया गया है कि कोई भी धनवान वर्ग या दल छात्रों की ओर से पैसे जमा कर अपना 'पाकेट संघ' खड़ा कर सकता है और उसके माध्यम से अनाचार और अराजकता फैला सकता है। यह तर्क एक सतही धारणा पर आधारित है। यदि पूँजीपतियों या विदेशी धन का उपयोग छात्र-संघ बनाने में बड़े पैमाने पर होगा तो ऐच्छिक संघ बनने पर यह तथ्य

सबके सामने अपने आप आ जायेगा और आज जो इन दोनों प्रकार की शक्तियों के दलाल सभी विद्यार्थियों की अनिवार्य पीस के लाखों रुपये के पीछे छिपकर अपना खेल खेलते हैं वह सम्भव न हो सकेगा। छात्रों का विशाल बहुमत उक्त दोनों प्रकार के दलों से घृणा करता है और फिर उनके द्वारा फैलाये गये जाल में फँसने से बचा रहेगा।

अन्त में एक बार पुन नौजवानों को यह स्मरण दिलाना है कि वे उन छात्र-नेताओं के बहकावे में न आवें जो उनकी सामूहिक शक्ति का अनुचित प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करें। इससे न केवल उनका व्यक्तिगत अहित होगा, बल्कि राष्ट्र की अपार क्षति होगी। छात्रों के गुमराह होने से उनके अभिभावकों, प्रदेश की गरीब जनता तथा राष्ट्र के कर्णधारों को, जो छात्रों की ओर आशा की दृष्टि लगाये बैठे हैं, हार्दिक पीडा होगी। हो सकता है कि 'क्रान्ति' जैसे लुभावने शब्दों का जाल उनके सामने फैलाया जाय, लेकिन छात्रों को सचेत रहना है कि वह क्रान्ति कंठी होगी। हिंसात्मक क्रान्ति से उठनेवाले राष्ट्र आज भी हिंसा के दल-दल में फँसे हुए हैं। उनकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति रुक गयी है। भारत में यही क्रान्ति सफल होगी जिसका बीज महात्मा गांधी और परिष्ठित नेहरू ने बोया है और जो अहिंसात्मक और प्रजातान्त्रिक है।

जीवन की शिक्षा का विद्यालय

गोपालदत्त भट्ट

अनेक वर्षों से सुनता आ रहा था कि बेतूल जिले के करजगाँव में श्री गंगाधर उमराव पाटणकरजी नयी तालीम का विद्यालय चलाते हैं। गापी-शताब्दी शिविर-शृंखला के सन्दर्भ में मेरा वहाँ जाना हो सना और कुछ दिन जयनारायण सर्वोदय विद्यालय करजगाँव के मधुर और जीबत वातावरण में रहने का सुप्रवसर मिला। मैंने अपने मन में करजगाँव के विद्यालय का जो चित्र बना रखा था उससे बहुत अधिक मुझे वहाँ देखने को मिला। अपनी भाकांता से अधिक मैंने वहाँ पाया।

छाठवीं कक्षा तक वहाँ शिक्षा दी जाती है। कुल मिलाकर ९ अध्यापक वहाँ हैं। वहाँ शिक्षा की पहली बर्णमाला सफाई से, गोबर उठाने एवं खाद बनाने से शुरू होती है। जब विद्यार्थी विद्यालय से छाठवीं पास करके निकलता है तो वह एक ऐसा किसान बनकर निकलता है जिसे खेती का पूरा ज्ञान होता है, जो यह जानता है कि कौनसे फल से कौनसा जीवन-सत्त्व एवं शक्ति, सबण दरीर को मिलता है, कम्पोस्ट खाद कैसे बनायी जाती है, तथा मानव मलमूत्र कितना कीमती और उपयोगी होता है। एक साय कैसे दो, तीन फसलें खेत से ली जा सकती हैं। अगर मैं ऐसा कह दूँ कि जयनारायण सर्वोदय विद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी एक वैज्ञानिक कृषि-पण्डित, देश की हर समस्या पर शान्तिपूर्वक सोचने-समझने और उसे सुलझाने के लिए सतत प्रयत्नशील, जागृत जिम्मेदार नागरिक, जाति-भ्राति, रंग भेद छुवा-झूना आदि को मिटाने के लिए उद्यत शान्तिकारी, एव भगवान पर भट्टूट विश्वास और धडा रखनेवाला कर्मयोगी भक्त होता है तो कोई शर्युक्ति न होगी।

सुबह के पाँच बजे मधुर जागरण-गीत सुनकर मैं जागा और मैंने देखा कि विद्यालय के बाल-गोपालों की लम्बी कतार गाँव से गाते हुए विद्यालय की ओर आ रहे हैं। मालूम हुआ कि यह केवल भ्राज का नहीं, अपितु बारिस छोड़कर साल भर का कार्यक्रम है। उस प्रातर्वेला में गीता के श्लोको और गीताई के शब्दों से श्रमृष्टपत्र चरते, चुरा चें चन्दे ऐसे लगते हैं जैसे किसी आत्मीन फाल के गुरुकुलों के विद्यार्थी हों।

श्रापना के बाद सामूहिक अन्न होता है। चट्टान-जैसे घरातल पर मिट्टी बिछा बिछाकर भ्रमरुदों का लहलहाता बगीचा उगाया है। टमाटर, मटर, भानू,

गेहूँ, चना, गाजर कौनसी चीज ऐसी है जो बच्चों ने नहीं जगायी है। विद्यालय के बच्चों ने जो काम वहाँ किया है उसे देखकर भ्रष्टे-भ्रष्टे किसान दग रह जाते हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे मस्ती से किलकते हुए कितना कर सकते हैं, उसका सबूत विद्यालय की खेती है। छोटे बच्चे भी बड़े लोगों की तरह देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं यह मैंने यहीं देखकर जाना। खेलते हुए, मेहनत करते हुए, सीखते हुए उत्पादन बढ़ाना इन बच्चों ने सीखा है। श्रम के बाद हाथ-पाँव धोकर सभी बच्चे पत्तियों में बैठकर अपने पैदा किये हुए चीजों का नाशता करते हैं—घमरुद, टमाटर, मटर, गाजर से भरी प्लेटें। १० बजे के बाद फिर बगों में पढाई होती है।

सौम्यता और नम्रता की मूर्ति थी पाटणकरजी की अथक साधना की फल-श्रुति है यह। विद्यालय के पास के गाँव, नयेगाँववालों ने एकसाथ बैठकर २६ जनवरी के दिन तय किया कि आज से कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जायेगा। लोगों ने घर-घर सण्डास लगाये, गाँव साफ-सुधरा, जगह-जगह कम्पोस्ट खाद के गड्ढे गोबरसे लिपे हुए खेतों में लहराते हुए गेहूँ देखकर मैं मन में गुदगुदा उठा। आप देखना चाहेंगे तो जाइए आदर्श ग्रामदानी गाँव देखिए। यह गाँव करजगाँव विद्यालय की देन है। वहाँ के अधिकांश युवक किसान करजगाँव विद्यालय से विकले हुए हैं। विद्यालय ने उनके जीवन की बुनियाद को मजबूत कर दिया और आज वे लोग स्वतः अपने जीवन का भव्य भवन निर्माण कर रहे हैं।

आज ऐसे ही विद्यालयों की आवश्यकता है जो करजगाँव विद्यालय की तरह खेत से जुड़े हों, श्रम से जुड़े हो, पत्नी और ईमानदारी से जुड़े हो, थका और भक्ति से जुड़े हो, किसानों और मजदूरों से जुड़े हों, जीवन से जुड़े हो, जीवन की शिक्षा से जुड़े हों। देश की समृद्धि और मानवता के भव्य विकास के लिए यह अत्यन्त अनिवार्य है।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार — प्रधान सम्पादक

श्री धशीधर धीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १९

अंक : २

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

मुक्ति का मसीहा	४९ श्री राममूर्ति
विनोबा सज्जन, सत, स्कूलमास्टर	५० श्री जॉन पापवर्थ
विनोबा के शिक्षण विचार	५३ श्री विनोबा
रूसो, मानव-विज्ञान के पिता	५७ श्री मर्तोड लेवि-स्ट्रॉस
ग्राम-स्वराज्य और नयी शालीम	६४ श्री धीरेन्द्र मजूमदार
उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा	७७ —
प्राथमिक विद्यालयों में निरीक्षण की प्रभावकारी वंसे बनाया जाय ?	८२ —
छात्र-संधों की सदस्यता	एक
दृष्टिकोण	८७ श्री मजित कुमार
जीवन की शिक्षा का विद्यालय	९४ श्री गोपालरत्न भट्ट

सितम्बर, '७०

निवेदन

- 'नयी शालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी शालीम' का आर्थिक चक्रा ६ रुपये है ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री गोपालरत्न भट्ट, वर्ष लेखा सचिव की धोर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

आप अवश्य ग्राहक बनिए

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक, साप्ताहिक

सर्वे सेवा संघ का मुख पत्र

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक चन्दा १० रुपये

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक, पाक्षिक

सम्पादक राममूर्ति

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की आकांक्षा मन में है तो 'गाँव की आवाज' अवश्य पढ़िये ।

वार्षिक शुल्क . ४ रुपये

पत्रिका विभाग

सर्वे सेवा संघ

राजघाट, वाराणसी-१

नयी तालीमः सितम्बर, '७०

पहने में डाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

निवेदन

२ अक्तूबर १९६६ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी चालू है।

गांधीजी की बाणी घर-घर में पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जीवनी, कार्य तथा विचारों से सम्वद्ध लगभग १५०० पृष्ठों का उच्चवोटि का और चुना हुआ साहित्य-सेट केवल रु० ७-०० में देने का निश्चय किया गया है तथा लगभग १००० पृष्ठ का रु० ५-०० में।

सेट नं० २, पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६६-१९१६ :	गांधीजी	१-००
२-बापू-कथा : १९२०-१९४८ :	हरिभाऊजी	२-५०
३-तीसरी राक्ति : १९४८-१९६६	विनोबा	२-५०
४-गीता-बोध व मंगल प्रभात	गांधीजी	१-००
५-मेरे सपनों का भारत संक्षिप्त	गांधीजी	१-५०
६-गीता प्रवचन	विनोबा	२-००
७-संघ प्रकाशन की एक पुस्तक		१-००
		<u>११-५०</u>

यह पूरा साहित्य सेट केवल रु० ७-०० में प्राप्त होगा। एक साथ २८ सेट लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगा।

सेट नं० १, पृष्ठ १०००, रु० ५-००

उपर की प्रथम पाँच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य सेट केवल रु० ५-०० में प्राप्त होगा। एक साथ ४० सेट लेने पर फ्री डिलीवरी जायगा। अन्य कमोशन नहीं।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१

नयी नालीम

अपने वास्तव को जानिए

वर्ष : १९

अंक : ३

छात्र-संघ

आचार्यकुल का अमिमत

उत्तरप्रदेश सरकार का अध्यादेश

उ० प्र० आचार्यकुल की गोष्ठी

अक्टूबर, १९७०

६२,५६,२८५ रु० का ग्रामस्वराज्य कोष
२ भवतूवर को विनोवाजी को
समर्पित



ग्रामस्वराज्य कोष की अवधि ३१ दिसम्बर '७०
तक के लिए सर्व सेवा सघ की
प्रबन्ध समिति ने बढ़ायी है।
मुक्त हस्त दान दीजिये और
१ करोड़ पूरा कीजिये

उत्तरप्रदेश सरकार का छात्र-संघ अध्यादेश

उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसेय सस्कृत, कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालयों और इनके सगठक या सम्बद्ध कालेजों में छात्र-संघ की सदस्यता अनिवार्य थी। छात्रों के प्रवेश के समय इन संस्थाओं द्वारा दूसरी फीसों के साथ छात्र-संघ की सदस्यता की फीस भी वसूल कर ली जाती थी। ११ जुलाई १९७० को उत्तर-प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर छात्र-संघों की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी। अध्यादेश में यह भी आदेश था कि संस्थाएँ छात्र-संघों की सदस्यता-शुल्क वसूल न करें।

वर्ष : १९

अंक : ३

अध्यादेश बनाते समय यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सीमित अवधि के लिए राज्य-सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि वह छात्र-संघों के सगठन और कार्य-संचालन के सम्बन्ध में परि-नियम बना सके, जिससे इस प्रकार के बने परि-नियम समानुरूप हों।

इस अध्यादेश से सारे उत्तरप्रदेश का छात्र-जीवन विक्षुब्ध हो गया। छात्र-नेताओं ने इसे छात्र-स्वतंत्रता या अपहरण समझकर इसका उग्र विरोध किया। सरकार-विरोधी राजनैतिक दलों ने छात्र-नेताओं का समर्थन किया। सरकार ने इन नेताओं और कुछ समर्थकों को जेल में बन्द किया। परन्तु कुछ लोगों ने छात्र-संघ की सदस्यता को ऐच्छिक बनाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की अनिवाय सदस्यता लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है और इससे व्यक्ति के मूलाधिकार का हनन होता है। यह भी कहा गया कि छात्र नेताओं को जेल में बंद करने से जो शान्ति दिखाई दे रही है वह अस्थायी है और इस प्रकार का दमन समस्या का स्थायी हल नहीं है। इस प्रकार विभिन्न मत प्रकट किये गये और अखबारों में लेख भी लिखे गये।

इस क्षुब्ध वातावरण में केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की बैठक आगरा में हुई जहाँ यह निश्चय किया गया कि चूँकि इस समस्या का सीधा सम्बन्ध आचार्यों और छात्रों से है अतः आचार्यकुल इस समस्या पर विचार करे और अपना निष्पक्ष अभिमत प्रकट करे। यह भी सोचा गया कि अधिक अच्छा यह होगा कि इस प्रकार का अभिमत प्रकट करने के पहले आचार्यकुल के मंच पर सभी विचार-वालों को आचार्यों को, छात्रों को, और विभिन्न दल के नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकत्र किया जाय और सब मिलकर इस समस्या पर विचार करें। तदनुसार १६, २०, २१, सितम्बर को वाराणसी में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में विभिन्न दल के नेताओं आचार्यों उपकुलपतियों सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। सबकी बातें सुनकर आचार्यकुल ने अपना अभिमत प्रकट किया। सबकी बात और आचार्यकुल का अभिमत 'नयी तालीम' के इस अंक का विषय है।

—दशोधर धीवास्तव

छात्र-संघ-अध्यादेश : उद्देश्य और कारण

राज्य के विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के सम्मेलनों में अन्य बातों के अतिरिक्त छात्र-संघों के कार्य-कलापों के बारे में भी विचार विमर्श होते रहे हैं। शिक्षाविदों का यह मत है कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों के छात्र-संघ छात्रों के बीच स्वस्थ, सगठित जीवन के समुचित विकास में सहायक नहीं हुए हैं। केन्द्र द्वारा नियुक्त कोठारी आयोग (सन् १९६६) ने भी यह मत प्रकट किया है कि पिछले कुछ वर्षों में अनिश्चित छात्र-संघों के कार्य-कलाप ट्रेड यूनियन का रूप धारण कर चुके हैं, जिसे दृढ़ता से निरस्तसाहित करना आवश्यक है। आयोग ने यह सस्तुति की है कि सारे विश्वविद्यालय अथवा कालेज के एक छात्र-संघ की सदस्यता के लिए छात्रों द्वारा अनिवार्य शुल्क दिये जाने का प्राविधान नहीं होना चाहिए। अतएव छात्र-संघों के सगठन और कार्य संचालन को उचित आचार देने के लिए यह प्रस्ताव है कि उनके सम्बन्ध में परिनियम बनाने की व्यवस्था की जाय। आरम्भ में सीमित अवधि के लिए राज्य-सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह इस सम्बन्ध में परिनियम बना सके जिससे कि इस प्रकार बने परिनियम समानुरूप हों। इस प्रयोजन के लिए लखनऊ इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर, बानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों तथा वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अविनियमितियों में संशोधन करना आवश्यक है।

तदनुसार उत्तरप्रदेशीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७० पुनः स्थापित किया जाता है।

श्रीपति मिश्र
शिक्षा मंत्री

इस अविनियम के प्रारम्भ होने से २ वर्ष की अवधि में राज्य सरकार जब भी अपेक्षित हो, विश्वविद्यालयों अथवा उसके सगठक या कालेजों या उसके सगठक कालेजों या संज्ञक कालेजों में छात्र-संघों के सगठन तथा कृत्यों के सम्बन्ध में, गजट में, अविमूचना द्वारा परिनियम बना सकती है।

संख्या ग-१।३३०६-यू-१५-१४-२१-७०

उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० (उत्तरप्रदेश अध्यादेश संख्या ९ १९७०) की धारा ८ के साथ पठित—विश्वविद्यालय अविनियम, १०२६ (संयुक्त प्रांत अविनियम संख्या ८, १९२६) की धारा २६ के

अधीन अधिकारों का प्रयोग करके) राज्यपाल निर्देश देते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय की परिचालनमावली (स्टट्यूटस) में तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित परिवर्द्धन किया जाय अर्थात्—

अध्याय १० के पश्चात्, एक नये अध्याय के अंतगत निम्नलिखित परिचालनमावली में बटा दिया जाय —

“अध्याय १० ए

छात्र-सघ

१—उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी परिचालनमावली या अध्यादेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी छात्र-सघ की (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) सदस्यता अनिवार्य नहीं होगी, और तदनुसार, ऐसे सघ को ऐसी सदस्यता के लिए शुल्क या अभिदान के रूप में (चाहे इसे सदस्यता शुल्क या अभिदान अथवा किसी निधि में अंशदान देना कहा जाय या किसी भी अन्य नाम से क्यों न पुकारा जाय) दिये जाने के लिए अभिप्रेत कोई धनराशि विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किसी छात्र से वसूल नहीं की जायगी । •

सन्देश

छात्र-सघ के बारे में मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उसे बन्द नहीं करना चाहिए बल्कि छात्रों के मन में जो विद्रोह का कारण है उसे समझ लेना चाहिए और उनके सामने जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

स्वराज्य मिलने के बाद जिस प्रकार हमारे देश में कृषि तथा लघु-उद्योगों के प्रति उपेक्षा रही है उसीका परिणाम आज नवयुवकों का विद्रोह तथा असंतुलन है ।

नवयुवकों में जो सोड फोड की भावना देखन में मिलती है उसे सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिए क्योंकि हमारे देश की आत्मतुष्टि सरकारें इतनी मद गति में या कभी-कभी अगति में चलती हैं कि यदि युवकों का मन खोल उठता हो और विश्वसव षाय बरते हो तो यह स्वाभाविक है । युवकों के प्रति मेरे मन में पूर्ण सहानुभूति है और मुझे बार-बार लगता है कि उनके प्रति पाप नहीं किया जा रहा है । यदि छात्र सघ के साथ शिक्षक-वर्ग भी व्यापक दृष्टि से मुवा जीवन का

संचालन करने की ओर प्रवृत्त हो और उपयुक्त असन्तोष के कारणों पर सरकार गभीरतापूर्वक विचार करने का कष्ट करे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि छात्र संघ को तोड़ने से नहीं बल्कि उसके बनाये रखने से छात्रों के जीवन में भविष्य के लिए उरोगो सगठन, एक्य तथा लोक-सेवा की भावना जाग्रत की जा सकती है।

—सुमित्रानन्दन पंत

छात्र संघ छात्र वग के परस्पर-सहयोग, सद्भाव और समानता की वृद्धि के लिए बने थे और उनका लक्ष्य अपने सदस्यों के सामूहिक हित की रक्षा था। उन छात्र-संघों को विघटित करने के उपाय अतत स्वाथ और अवसरवादिता के आधार पर बन गुना को जन्म दोगे जिनमें छात्र वग की समष्टिगत हानि होगी ऐसी भेरी धारणा है।

शरण वग का असन्तोष विश्व-व्यापी है परन्तु उसके देशज कारण हैं जब तक उनके स्थितियों में परिवर्तन न लाया जाय असन्तोष में परिवर्तन सम्भव नहीं है। दोषनाश तक बना रहनेवाला असन्तोष हिंसात्मक उपायों की शरण लेता है। यह सत्य हमारे देश के अनेक भागों में प्रमाणित हो चुका है। छात्र संघों को विघटित करने से अथवा एक ही सस्या में अनेक संघों के बन जाने से संघों का क्षेत्र समाप्त नहीं होता बड़ जाता है। अतः प्रयास असन्तोष को समाप्त करना ही होना चाहिए।

हमारे देश में छात्र वग का असन्तोष बेकारी तथा दूषित शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है शिक्षा का लक्ष्य दुहरा होता है। उसका अन्तर्लक्ष्य मानवीय मूल्यों का बाध और उन मूल्यों में आस्था उत्पन्न करना है और बहिलक्ष्य मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में अपने जीवन-न्यायन की सुविधा प्रदान करना है। अतः अन्तर्लक्ष्य शिक्षा के दर्शन में सम्भव रखता है और बहिलक्ष्य उसके विनाश से।

हमने स्वतंत्र होने के उपरान्त न शिक्षा के लक्ष्य को चिन्ता की न लक्ष्य तक पहुँचनेवाली पद्धति की। परिणामतः हमारे देश के तात्कालिकी ऊर्जा व्यय जा रही है। लक्ष्यहीन क्रियाशीलता अथवा ध्वसात्मक दिशा में चल रही है जो युग के लिए आमघाती प्रवृत्ति सिद्ध होगी। केवल दमन के अस्त्र से इसे पराजित नहीं किया जा सकता। छात्र संघ सम्बन्धी अध्यादेश भी दमन का ही प्रच्छन्न रूप है। अतः इसका परिणाम सम्भवतः विपरीत ही होगा। मागव्यय उपाय और भी हैं, परन्तु उसके लिए चिन्तन और चिन्तन से प्राप्त सत्य के कार्यान्वयन की आवश्यकता है जिसके लिए हमारे पास अवकाश का अभाव है।

—महादेवी वर्मा

छात्र-संघ की रूपरेखा : प्रश्नोत्तर

धीरेन्द्र मजूमदार

थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि मुझे उद्घाटन करना है। मेरी राय श्री वशीमरजी ने मुझसे पूछ ली थी, जो आपको पढ़ने के लिए दी जायेगी। फिर भी कुछ दो-एक मुद्दों पर विचार के लिए कुछ सवाल रख देना मैं उचित समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी अजीब स्थिति है। आप आचार्य भी हैं और व्यवस्थापक भी। आचार्य और व्यवस्थापक का जो 'रोल' है उसको कैसे निभाया जाय, यह आप लोगो की बुद्धि ही बता सकती है। आचार्यों का एक कुलधर्म है, और व्यवस्थापकों का एक दूसरा कुलधर्म है। आचार्यकुल का कुलधर्म है—शिक्षण। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न के हर पहलुओं पर आप विचार करेंगे। आज की परिस्थिति में आज के और पिछड़ी पीढ़ी के सम्बन्धों का जो वैज्ञानिक पहलू है उसको भी आप सोचेंगे ही, लेकिन कुल पहलुओं पर सोचने के लिए जो आधुनिक पहलू—शिक्षण—है उसे आप सामने रखेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि आज के विज्ञान और लोकतन्त्र की प्रगति के परिणाम से जो सार्वजनिक चेतना दिखाई देती है, उस सन्दर्भ में अनिवार्यता और शिक्षण का मेल खाता है क्या? और दूसरा प्रश्न है कि ऐसी परिस्थिति में, और मन स्थिति में, शिक्षण की प्रक्रिया विज्ञानमूलक होगी या आरोपित होगी?

[उत्तरप्रदेश की सरकार ने छात्र-संघ की सदस्यता को एक अध्यादेश द्वारा ऐच्छिक बना दिया है। इस विषय पर श्री धीरेन्द्र मजूमदार से एक 'इन्टरव्यू' में कुछ प्रश्न पूछे गये थे, जिन्हें हम यहाँ दे रहे हैं।—स०]

प्रश्न : उत्तरप्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा छात्र संघ की सदस्यता को विद्यार्थियों के लिए ऐच्छिक बना दी है। पहले छात्र-संघ की सदस्यता अनिवार्य थी। सरकार का यह कदम क्या ठीक है?

धीरेन्द्र भाई : ठीक भी है और नहीं भी है।

विचार की दृष्टि से यह बिल्कुल ठीक है। किसी भी प्रकार के संघ या संगठन को अनिवार्य बनाना भारतीय सविधान के विरुद्ध है। भारतीय सविधान के अनुच्छेद १९-१ (ग) के अनुसार किसी भी प्रकार का संगठन बनाया तो जा सकता है, परन्तु उसे अनिवार्यतः लागू नहीं किया जा सकता।

लोकतंत्र ने हमें साम्य, मंत्री और स्वतंत्रता का नारा दिया है। आज जब लोकतंत्र की माँग सैनिक-भर्तों की अनिवार्यता तक के खिलाफ है और हर आदमी अनिवार्य रूप से बोटर हो, यह मान्यता भी हट रही है, तो विद्यार्थियों के लिए अमुक यूनिवर्सिटी या सच को सदस्यता अनिवार्य हो यह बात कतई लोकतंत्र विरोधी है। मुझे आश्चर्य होता है कि जो लड़के हर प्रश्न पर सरकारी आदेश द्वारा अनिवार्य बनाने के सिद्धान्त का विरोध करते हैं, वही लड़के एक विषय पर सरकारी अनिवार्यता हटाने का विरोध क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट है कि इसके पीछे राजनैतिक पक्षवाद काम कर रहा है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मुझे लगता है कि अनिवार्यता हटाने के सरकार के इस निर्णय के मूल में राजनैतिक पक्षवाद भी रहा है। और उसीकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया से यह विरोध खड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा कि अध्यादेश ठीक भी है और नहीं भी है। अगर अध्यादेश की प्रेरणा पक्षमुक्त होती तो वह सही होता।

प्रश्न निम्नलिखित चाहे पक्षप्रस्तुत हो, परन्तु क्या उसका मूलरूप लोकतांत्रिक नहीं है ?

धीरेन्द्र भाई किसी चीज को वृत्ति उसके बाह्य रूप से नहीं आंकी जा सकती। इसके लिए उसकी अन्तर्चेतना को देखना होता है। लोकतंत्र को जो लोग केवल वैधानिक परिस्थिति मानते हैं वे ठीक नहीं करते। लोकतंत्र समाज की सांस्कृतिक वृत्ति है। इसीलिए लोकतंत्र को कृति से नहीं पहचाना जा सकता—वृत्ति देखनी होती है। अगर अनिवार्य सदस्यता के नियम को हटाने में पक्षवादी प्रेरणा रही है तो कृति देखने में चाहे जितनी भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, उसकी वृत्ति अधिसत्तावादी ही है।

प्रश्न छात्र-संघ की कल्पना छात्रों के लिए 'लोकतंत्र में शिक्षण भूमि' के रूप में की गयी है। इस दृष्टि से उसे लोकतंत्र में अनिवार्य होना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र का लोकतांत्रिक वृत्ति में शिक्षण हो। आपका इस विषय में क्या विचार है ?

धीरेन्द्र भाई शिक्षण में कानूनन अनिवार्यता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आरोपित शिक्षण शिक्षण नहीं प्रशिक्षण होता है—एजुकेशन नहीं ट्रेनिंग होता है। इसलिए शिक्षण (एजुकेशन) जिज्ञासामूलक ही हो सकता है—आरोपण-मूलक नहीं। आज भी आरोपित शिक्षण की कुछ सालक हमारी दूषित शिक्षा पद्धति में दिखाई देती है जहाँ शिक्षार्थी के लिए कुछ विषयों को अनिवार्य रखा गया है। इसलिए हम शिक्षालयों में विषयों को अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं हैं। शिक्षा

धियो को विषय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यद्यपि इतने मात्र से ही शिक्षण-प्रक्रिया का विचार पूरा नहीं होता है, फिर भी इसमें रुचि और विचार की स्वतंत्रता तो हो ही जाती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रचलित लोकतंत्र का यह तकनीकी शिक्षण भी ऐच्छिक होना चाहिए, नहीं तो वह शिक्षण नहीं रहेगा, प्रशिक्षण हो जायगा।

प्रश्न : छात्र संघ चाहे ऐच्छिक हो या अनिवार्य, यदि दलगत राजनीति उसे अपना साधन बनाती है, तो यूनियन बनाने की मूल-भावना ही समाप्त हो जाती है। क्या आप इससे सहमत हैं ?

धरिन्द्र भाई : इसके लिए छात्र-संघ के विषय को लेकर अलग से विचार करने का कोई मतलब नहीं होता। किसी वस्तु के किसी एक टुकड़े को लेकर विचार करने का परिणाम भ्रामक होगा ? वस्तुस्थिति यह है कि जिस साम्य, मंत्री और स्वतंत्रता के विचार से मनुष्य ने वर्तमान लोकतांत्रिक विधानों को बनाया था, उसमें पक्षगत राजनीति का विचार शामिल कर मूलरूप से लोकतंत्र के उद्देश्य को ही विफल कर दिया है। परिणामस्वरूप जब दलगत राजनीति पूरे समाज के अंग-प्रत्यंग में प्रवेश कर गयी है तो छात्र-समाज उससे अछूता कैसे रहेगा, विशेषकर आज की अनिवार्य शिक्षा की आकाशा के जमाने में, जब छात्र-समाज का मतलब है पूरा तरुण-समाज। अतएव दलगत राजनीति को छात्र-समाज से अगर अलग रखना है, तो पूरे समाज के ढाँचे से दलगत राजनीति का निराकरण करना होगा, नहीं तो छात्र-यूनियन को अनिवार्य रखें, ऐच्छिक रखें या पूर्ण रूप से विघटित कर दें, हम छात्र-समाज को दलगत राजनीति से मुक्त नहीं कर सकेंगे। आप लोग इस तरह टुकड़ों पर अपनी किन्तन-शक्ति का अनव्यय न करके पूरे समाज के ढाँचे पर विचार केन्द्रित करें तो अधिक अच्छा होगा।

प्रश्न : जब आप यह मानते हैं कि संघ ऐच्छिक हो या अनिवार्य, वह दलगत राजनीति से मुक्त नहीं हो सकता तो आप यह भी मानते ही कि एक विद्यालय के लिए एक अनिवार्य संघ का रहना अधिक घेष्ठ होगा, क्योंकि उस हात्त में विद्यालय विभिन्न पार्टियों से प्रभावित अलग-अलग सघों की युद्ध-भूमि होने से बच जायगा ?

धरिन्द्र भाई : मैं यह नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि अध्यादेश के कारण एक ही संस्था में अलग-अलग यूनियन बने या अनिवार्य संघ के रूप में एक ही संघ में अलग अलग गुट बनें, युद्ध-क्षेत्र की भूमिका में कोई अन्तर नहीं होगा। लेकिन यूनियन के संकल्पित होने में यह लाभ होगा कि उसमें शिक्षण-संस्था का 'इन्वाल्स-

मट' बच सकता है, जबकि अनिवायता में इस प्रकार का 'इन्वाल्मट' रक नहीं सकता। यूनिपन के सत्या की ओर से अनिवार्य होना का एक फलित (कारोलेरी) यह होता है कि उस सत्या के शिक्षक भी उसमें शामिल हो जाते हैं—ऐच्छिक में उनके इससे बचने की गुंजाइश है।

ऐच्छिक यूनिपन का दूसरा लाभ यह है कि काफी तादाद में विद्यार्थी भी उस रणभूमि से बच सकते हैं, जिसकी चर्चा आपने की है, जबकि अनिवार्य संगठनों का स्वयं यह है कि संगठन का हर सदस्य उसकी हर प्रवृत्ति में शामिल रहे।

प्रश्न छात्र-सघ का दोष उसके अनिवार्य प्रयत्न ऐच्छिक होने में उतना नहीं है जितना उसकी संचालन-पद्धति में। क्या आप यह नहीं मानते हैं कि जिस प्रकार 'डेलिगेट डिमोक्रेसी' के स्थान पर 'पार्टिसिपेटिंग डिमोक्रेसी' लाकर आप राष्ट्र के राजनैतिक ढाँचे में परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार यूनिपन की अनिवार्यता को रखते हुए भी उसकी संचालन पद्धति को 'पार्टिसिपेटिंग' बनाया जाय तो समस्या का अधिक अच्छा समाधान होगा ?

श्रीरेन्द्र भाई आप दलगत राजनीति के स्थान पर लोकनीति की स्थापना की बात कह रहे हैं। समाज में राजनीति को बदलकर लोकनीति की स्थापना में हम कानून का आदार नहीं लेते। अनिवायता के लिए कानून आवश्यक है। जिस तरह हम राजनीति को सुधारना चाहते हैं उसी तरह हम छात्र सघों को भी सुधारना जरूर चाहेंगे, लेकिन उसके लिए भी राजनीति में सुधार की हमारी जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया इसमें लागू होगी। अर्थात् हम कानून की प्रक्रिया को छोड़कर शिक्षण की प्रक्रिया को ही अपनाएँगे और जिस तरह शिक्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप जितने परिवार ग्रामदान में शामिल होते हैं, उन्हींको लेकर सुधार का प्रारम्भ-बिन्दु बनता है, उसी तरह विचार प्रेरणा से जितने विद्यार्थी शामिल होंगे उन्हींको लेकर हमारी सुधार-यात्रा शुरू होगी। इसी प्रकार हम व्याचारकुल को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टि से भी अनिवायता के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्रश्न छात्र-सघों को अनिवाय बनाने के मूल में एक विचार यह भी था कि विरवविद्यार्थियों में पड़नेवाले विभिन्न सम्प्रदायों सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में घटनेवाले और विभिन्न राजनीतिक विचारों में विद्यमान रखनेवाले विद्यार्थियों को जब छात्र सघ का एक अनिवार्य अंग मिलेगा तो पूरी शिक्षा समस्या एक मूत्र में बँध सकेगी। छात्र सघों को ऐच्छिक बना देने से एकसूत्रता में बाँधने का यह काम क्या सम्पन्न नहीं हो जायगा ?

धीरेन्द्र भाई एकसूत्रता का काम तो उसी दिन खतम हो गया जिस दिन सघो में दलगत राजनीति का प्रवेश हुआ और सघ किस्सी विशेष दल की राजनीति के प्रकाशन और प्रचार के माध्यम बने। अतः सघो से यह आशा की जाय कि वे विश्वविद्यालय के विभिन्न विचारवाले छात्रों को एक सूत्र में पिरोयेंगे तो उनसे दलगत राजनीति को और गुटबन्दी को दूर करना होगा और सघ के प्रत्येक सदस्य को अर्थात् अनिवार्य होने की स्थिति में पूरी सस्या के छात्रों को यह सकल्प करना होगा कि भले ही वह राजनीति का शैक्षणिक और शास्त्रीय अध्ययन करे, वह किसी राजनीतिक दल का न सदस्य होगा और न उस दल का प्रचार करेगा।

प्रश्न यह देखा गया है कि बस-चारह प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी छात्र सघ के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते। क्या आप कोई ऐसा सुझाव देंगे, जिससे छात्र इन कार्यक्रमों में भाग लें ?

धीरेन्द्र भाई इसका उत्तर सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम बनाइए जिनका सम्बन्ध किसी दलगत, सम्प्रदायगत, भाषागत आग्रह से न हो। तरुण शक्तिसेना ने जो कार्यक्रम उठाया है, वह इसी प्रकार का कार्यक्रम है। निरक्षर मजदूर किमानों की शिक्षा और सेवा का काम भी इस प्रकार का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं पर तटस्थ दृष्टि से विचार करने के लिए गोष्ठियों का आयोजन और राष्ट्रीय एकता के लिए अन्त-प्रदेशिक सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है।

अध्यादेश तथा युवाविद्रोह

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

छात्रों के बारे में समाज में दो दृष्टिकोण पाये जाते हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार छात्र वह बालक या युवा व्यक्ति है, जो समाज के भौतिक नागरिक के रूप में समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने का प्रशिक्षण ले रहा है। प्रशिक्षण की पद्धतियों में फर्क हो सकता है, किन्तु विभिन्न पद्धतियों में, इस दृष्टिकोण के अनुसार, छात्र या शिष्य को समाज के द्वारा निर्धारित मूल्य-प्रतिमानों को समझने का प्रयास करना होता है और फिर तदनुसार अपने मूल्यों का सामाजिक मूल्यों से तालमेल बिठाना होता है। यह तालमेल सकारात्मक हुआ तो वह समाज स्वीकृत हो जाता है, नकारात्मक हुआ तो वह और समाज परस्पर-संघर्ष की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। इस स्थिति को टारना छात्र तथा समाज दोनों के लिए हितकर है, यह मानकर इस विचार-धारा के लोग कहते हैं कि छात्र को चाहिए कि वह समाज के बुजुर्गों या महापुरुषों का ही अनुगमन करे याने समय विशेष पर धे करते हैं वैसे ही वह भी करे। यह प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण रहा है और आज का पाश्चात्य मनोविज्ञान का एक बड़ा भाग भी लगभग इसी मान्यता को स्वीकार करता है।

किन्तु दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार छात्र वह व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि के विकास के लिए समाज का उपयोग करता है और समाज का यह दायित्व है कि वह उसे इसमें मदद तो करे, पर उस पर कोई पूर्व-निर्धारित मूल्य-प्रतिमान न लादे। जब वह स्वतः निर्णय करने योग्य होगा तो स्वयं के लिए निर्णय कर लेगा। समाज को इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि वह छात्र को समझाने का प्रयास करे और उसके आन्तरिक गुणों का विकास करने का उसे अवसर यानी सुविधा प्रदान करे। इस दृष्टिकोण के अनुसार यह नहीं माना जाता कि छात्र को समाज की मूल्य-परम्परा का न केवल निर्वहन करना है, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाना है। समाज को, इस दृष्टिकोण के अनुसार ऐसी कोई अपेक्षा करने का हक नहीं है, उसे केवल छात्र की मदद करने का हक है और छात्र को यह मदद देने का हक है। इस दृष्टिकोण को अक्सर 'व्यक्ति की नैसर्गिक स्वतंत्रता' के नाम से पुकारा जाता है और पश्चिम से आज जो भी विचारधाराएँ चली—पूँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी—सबने ही इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है।

इन दोनों दृष्टिकोणों में यों तो काफी अन्तर है, किन्तु सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ पहले दृष्टिकोण के अनुसार युवक को और समाज को एक अंगुली के

रूप में देखा गया है, वहीं दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वे दो भिन्न और आमने-सामने की दो स्थितियाँ हैं, जो अस्तर की जाती हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रवाह होता है। मेरे विचार से आज की छात्र या युवा-समस्या इती परिस्थिति में देखी जानी चाहिए।

छात्रों तथा सघों का उद्देश्य

आज न केवल भारत में ही, बल्कि सारे संसार में ही युवा लोगों में एक प्रकार की कृत्रिम उत्तेजना व्याप्त है, कृत्रिम इसलिए कि यह युवावस्था की सहजावस्था नहीं प्रतीत होती। युवावस्था की सहजोत्तेजना में एक उद्देश्य-युक्तता रहती है, वह किसी चीज को समझना चाहता है, उसको अपने सन्दर्भ से मुक्त करना चाहता है और इस अर्थ में वह जिज्ञासु की श्रेणी में रहता है, किन्तु आज की इस निष्क-व्यापी उत्तेजना में युवक जिज्ञासु नहीं लगता। वह किन्हीं निष्कर्षों पर पहुँच गया है, ऐसा युवक को भी लगता है और ऐसा ही वह समाज को भी बताता चाहता है तथा वह केवल अपने निश्चय के अनुरूप समाज को ले जाना या बदल देना चाहता है। पश्चिम में इसे 'एडोलेसेन्ट एक्टिविज्म' नाम दिया गया है किन्तु यह उससे भी पूरी तरह परिभाषित नहीं होता। 'एडोलेसेन्ट' यह मानता है कि वह नाबालिग है, किन्तु वह बालिग के समान व्यवहार प्रतिमानों का हठ करता है और इस क्रम में समाज के साथ टकरा जाने की स्थिति में आ जाता है। किन्तु आज का युवक अपने को 'एडोलेसेन्ट' नहीं मानता, वह इस शब्द से ही बिड़ता है। वह खुद को पूर्ण बालिग और जिम्मेदार नागरिक मानता है और इसलिए उसकी माँग ही यह है कि उसे समाज-व्यापी निर्णयों में दूसरे बालिगों के समान हक मिले। इस मनोवृत्ति को अमेरिका में आजकल 'Demand for Self hood' कहा जा रहा है। किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि यह माँग उसी समाज से की जा रही है जिसे वहाँ का युवक बदलना या नष्ट करना चाहता है। यह 'अस्वीकार का स्वीकार' (Acceptance of negation) का अन्तर्विरोध या विरोधाभास है। मेरे विचार से यह अन्तर्विरोध युवक या समाज को कुछ भी नहीं दे सकेगा।

जनसंज्ञा की समस्या विचार नहीं, सत्या

मूल-प्रश्न यह है कि छात्र क्या चाहते हैं या यह है कि उन्हें क्या चाहना चाहिए? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हर व्यक्ति की स्वतः निर्णय का नैसर्गिक अधिकार है क्योंकि जैसा मनुष्य को परिभाषित किया गया है कि वह चिन्तन-युक्त पशु (Thinking animal) है। इस दृष्टि से कोई किसी भी मनुष्य को किसी बात के मानने या न मानने के लिए विवश नहीं कर सकता, न करना ही

चाहिए। किन्तु यदि हम छात्र-संगठनों को कार्यविधियों व सत्रिणानों का अध्ययन करें तो पता लगेगा कि इन संगठनों का उद्देश्य ही यह है कि वे छात्रों तथा अध्यापिकाओं पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाल सकें। हमें यह समझना चाहिए कि सकारात्मक स्थितियों के लिए दबाव की आवश्यकता नहीं होती है, अतः निष्कर्ष यह निकला कि दबाव से उन बातों को मनवाने का प्रयत्न नहीं होता है जिन्हें लोग स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो उ० प्र० सरकार ने छात्र सभों के बारे में जो अध्यादेश निकाला है, उसमें यही बात कही गयी है कि इन सभों के कारण छात्रों में मजदूर संघवाद (Trade Unionism) व्याप्त हो रहा है। और समाज को इसे रोकना ही चाहिए। सरकार ने समाज के प्रतिनिधियों के नाते यही कार्य किया और अपनी कार्यवाही के समर्थन में उपकुलपतियों के सम्मेलन की इसी धर्य की सिफारिशों का हवाला दिया है। छात्र सभ यह मानता है कि उसकी मददगारता सब छात्रों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए और इस माँग के समर्थन में चाहे जो तर्क दिये जायें, अन्ततः इस माँग का अर्थ यही है कि छात्रों (याने व्यक्तियों) की सभा में चुनाव करने की स्वतंत्रता (और इसीलिए सभ बनाने की स्वतंत्रता भी) को अस्वीकार किया जाय। आश्चर्य की बात है कि इसे जनतांत्रिक माँग कहा जाता है और भारत के राजनैतिक दल इस जनतांत्रिक माँग का समर्थन करते हैं। किन्तु किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात, भले ही वह १०० फीसदी अच्छी ही क्यों न हो अपनी इच्छा के विपरीत स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। कम-से कम जनतंत्र के नाम पर तो इसका समर्थन नहीं ही किया जा सकता है। फिर भी यह माँग होती है और उसकी राजनैतिक समर्थन भी मिलता है, तो इसका अर्थ यह है कि अज्ञान में माँग तथा समर्थन करनेवाले, दोनों ही जनतंत्र के नाम पर दासता के मूल्यों को स्वीकारते हैं। जनतंत्र कोई पद्धति नहीं है, वह मूलतः एक मनोवृत्ति (Attitude) है और उसे केवल व्यवहार देखकर ही नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति या समूह जनतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करता है वह कभी भी यह नहीं चाहेगा, कहेगा या करेगा कि उसकी ही राय दूसरों पर जबरन लाद दी जाय। कभी-कभी यह तर्क दिया गया है कि आजादी के युग में जब हमारा स्वार्थ या तब हमने छात्रों को अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें सभ बनाकर सरकार के विरुद्ध खड़ा किया। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि तब भी कभी किसीने यह नहीं कहा कि छात्रों की अपनी कोई पृथक् सत्ता है याने स्वार्थ या इच्छा है जिसे देश पर लादना उचित है। उस वक्त तो अज्ञान में यह कहा गया कि छात्रों का हित राष्ट्र-हित में निहित है और उन्हें राष्ट्र-हित में

संगठित होना चाहिए। चूँकि ब्रिटिश स्कूलों में राष्ट्र-हित अवमानता थी, अतः ऐसे छात्रों के लिए पृथक् विद्यापीठ, राष्ट्रीय विद्यालय कायम किये गये। आज भी यही बात सही है कि राष्ट्र-हित ही छात्र-हित है। किन्तु आज के छात्र तथा उनके सघ तो राष्ट्र के बजाय दल-हित को प्रधानता देते हैं और प्रत्येक छात्र-सघ का किसी-न-किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध होता ही है। ऐसी हालत में उनका यह दावा व्यर्थ है कि वे राष्ट्र-हित के हेतु हैं। इस दृष्टि से तो यह निष्कर्ष निकलता है कि न केवल सघों की सदस्यता की अनिवार्यता मिटा देना उचित है बल्कि यह भी कि सघ भी व्यर्थ हैं और छात्रों के कोई संगठन ही नहीं होने चाहिए। यहाँ यह तक कोई अर्थ नहीं रखता कि हमारे सविधान में हर नागरिक को संगठन बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है। क्योंकि सविधान यह अधिकार नागरिकों को देता है, छात्रों को नहीं, जो अक्सर नागरिक नहीं होते वे उस उम्र से कम ही होते हैं और वे अक्सर ही दूसरे नागरिकों के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। छात्र-सघ इस तरह, गैर-नागरिकों के संगठन हैं और वे सविधान की सुविधाओं का हक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते।

यह बात सुनने में अक्षर सही है, किन्तु यही वस्तुस्थिति है। संभवतः इसी वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर कुछ लोग मताधिकार की उम्र-सीमा २१ से घटाकर १८ साल करने की माँग भी कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि वह माँग उचित है, क्योंकि नागरिक हो जाने के बाद फिर सविधान की सारी सुविधाओं के उपभोग का हक स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि आज भी सामान्यतः छात्र-संघों के सचालक-छात्र २१ साल से ऊपर के ही होते हैं याने वे दूसरे कम उम्र के छात्रों का अपने नागरिक हित में केवल उपयोग करते हैं, अतः १८ साल की मताधिकार की उम्र मान लेने से छात्रों के इस दुरुपयोग का कारण कभी समुचित हो जायेगा, क्योंकि तब अधिकतर छात्र नागरिक होंगे, यह सब वैधानिकता की दृष्टि से कहा जा रहा है और इसका अपने में एक महत्व है।

छात्र संगठन ऐच्छिक संगठन हैं

किन्तु यहाँ इस प्रश्न को एक और दृष्टि से देखना भी उचित होगा। छात्र-संघों की सदस्यता अनिवार्य रहे या न रहे यह विवाद ही किसलिए है? क्या इसका पीछे कोई नैतिक, सार्वभौम अनिवार्य सामाजिक मूल्य है? ऐसा नहीं है। इस माँग के समर्थक तथा विरोधी दोनों ही गैर-सोचतामिक हैं, क्योंकि वे दोनों ही सरकार या, कानून का याने दबाव का सिद्धान्त स्वीकार करते हैं। यह

सिद्धान्त लोकतंत्र (मनाव) के मूल्यों के विपरीत है। अतः हमारी दृष्टि से इस मार्ग के समर्थक तथा विरोधी दोनों को ही या तो अपनी असल बात सामने रखने की हिम्मत नहीं है या वे फिर धोखे में हैं और धोखा दे रहे हैं। छात्र-सघ बने या न बने, यह फैसला सरकार या कानून क्यों करे? किन्तु इस देश में स्वतंत्रता के नाम पर सरकारपरकता का मूल्य पनपाया गया है। सरकार के समर्थक या विरोधी दोनों ही, सरकार का निर्वाण मूल्य स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से उ० प्र० सरकार का यह अभ्यादेश अनैतिक है क्योंकि उसने अभ्यादेश के समर्थन में जो दलीलें दी हैं, वे उसकी करनी से व्यर्थ हो जाती हैं वह दलील तो देती है छात्रों की स्वतंत्रता की, किन्तु वह यह स्वतंत्रता प्रदान करती है गवर्नर के आदेश से तथा पुलिस के बल पर। स्वतंत्र भारत की सरकारें अपने जन्म से ही ऐसे अनेक अन्तर्विरोधों में पँसी हैं और वे कोठारी-कमीशन या उपकुलपतियों के सम्मेलन की कुछ सिफारिशों का अपने पक्ष में हवाफा देकर इस प्रकार के अन्तर्विरोधों से छुटकारा नहीं पा सकती।

कानून या बल से जनतंत्र का सरकारी प्रयत्न अनैतिक है

हमारे देश में आज तक कोई जनतांत्रिक सरकार बनी ही नहीं है और हम आज की जितनी भी सरकार को जनतांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि जिन सरकारों का काम बिना पुलिस, फौजों तथा कानून के नहीं चल सके, वे वैसे दावा कर सकती हैं कि वे जनेच्छा की प्रतिनिधि हैं। अतः इस दृष्टि से छात्र सघ बने, या न बने, उनकी सदस्यता अनिवार्य ही या ऐच्छिक ही, इससे छात्रों की मलाई या व्यापक समाजवादो भलाई का कोई सम्बन्ध नहीं है। बल्कि इससे एक उल्टा तर्क पैदा होता है कि जब एक तरफ से शक्ति और दमन का सहारा लेगा ही और इस चक्र का वही अन्त नहीं है, समाज को इस व्यर्थ के विवाद से कोई ताल्कुक नहीं रखना चाहिए और यदि यह विवाद समाज के हितों को हानि पहुँचाता हो तो फिर इन दोनों ही पक्षों का न केवल विरोध करना चाहिए वरन् दोनों ही पक्षों को समाज-हित के अनुकूल आचरण के लिए विवश भी करना चाहिए। ऐसी सामाजिक शक्ति का निर्माण होना ही चाहिए। दलीय तथा सुकुचित स्वार्थों में पड़े छात्र-सघ या सरकारें या राजनैतिक दल, कोई भी आज ऐसी सामाजिक शक्ति का निर्माण करने में नितान्त असमर्थ हैं।

दलमुक्त तथा सरकारमुक्त सगठन ही उपाय है

तब समस्या का निदान क्या है? यह एक ही हो सकता है कि समाज की प्रबुद्ध शक्तियाँ जागृत हों। वह शक्ति छात्र, अभ्यापक तथा बौद्धिक समाज

में पडी है। यह शक्ति अभी न तो जागृत है, न सक्रिय है, न ही संगठित है। हाँ, कर्म-श्री दलपतियों के अखाडों में हो रहे तुमुल-द्वन्द्व की दरक मात्र अवश्य बन जाती है और इसमें इन पहलवानों का उत्साह ही बढ़ता है। किन्तु अब यदि इस समस्या का, जो युवा-समस्या की ही नहीं, वरन् व्यापक सामाजिक सन्दर्भ में देखी जानी चाहिए, कोई हल निकालना हो तो फिर सारे अचलित शैक्षणिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक ढाँचे को ही आमूलचूल बदरना होगा। वह वही कर सकता है जो स्वयं दलीय दलदल से बलग हो। अतः श्री विनोबाजी ने आचार्यकुल का जो एक विचार रखा है उसका इस सन्दर्भ में भारी महत्व है। असल बात तो यह है कि वर्तमान शिक्षा, शिक्षक, राजनीति तथा सरकार-प्रणाली के चरते इस तथा ऐसी किसी भी समस्या का हल संभव ही नहीं है। छात्र-सघों को भी इस दिशा में सोचना होगा। जिसे ट्रेड यूनियनिज्म कहा गया है, उन्हें उस प्रवृत्ति से बचना हाँ, और वह प्रवृत्ति असल में वर्तमान शोषित-शोषक प्रणाली की ही एक प्रतिक्रिया है, तथा इस प्रवृत्ति को मिटाने के लिए भी वर्तमान सामाजिक राजनैतिक ढाँचा बदलना आवश्यक है, तो फिर उन्हें ऐसे कार्यक्रम उठाने चाहिए कि छात्र स्वयं ही उनकी ओर आकृष्ट हो। जैसे, सस्या में गरीब तथा कमजोर छात्रों की मुफ्त सहायता करने के कार्यक्रम, शिक्षा में समाज-सेवा के द्वारा सौदेश्यता लाने का कार्यक्रम तथा स्वयं छात्रों के रहन-सहन तथा आदतों में ऐसे परिवर्तन लाने का कार्यक्रम जिनसे कि वे वर्तमान शोषण-प्रणाली के उपभोक्ता न बने रहे। यह वे सादा व स्वच्छ भेष-भूषा अपनाकर तडक-भडक तथा साहबी मनोवृत्ति त्यागकर कर सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि वे वर्तमान समाज में शोषण तथा अन्याय की शक्तियों की निन्दा भी करें, किन्तु उन्हीं कार्यवाहियों के बाहव भी बने रहें। छात्र-सघों को सस्या तथा आसपास शांति बनाये रखने के लिए भी प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा और यह वे तभी कर सकते हैं जब वे स्वतः शांतिपूर्ण व्यवहार की प्रतिज्ञा करें। शान्तिसेना एक ऐसी ही प्रवृत्ति है, जो उन्हें इस तरह के कार्यों में प्रशिक्षण तथा मदद दे सकती है। छात्र सघ उसका उपयोग करें। असल में छात्र कोई वर्ग नहीं हैं, वे समाज का भाग हैं। उन्हें एक वर्ग मानने के विचार के कारण ही य सारी बातें पनपती हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद बहुगुणा सब सेवा सत्र-प्रकाशन राजघाट, धाराणसी-१

छात्र-समस्या एक राष्ट्रीय समस्या

डा० रामजी सिंह

लोकतंत्र के इस युग में जब हर व्यक्ति का शासन बदलने का जन्म-सिद्ध अधिकार स्वीकार किया जा चुका है, उस समय अपने बीच विद्यार्थियों का स्वशासन छीनना युग प्रवाह के विपरीत माना ही जायगा। इसीलिए उत्तर-प्रदेश की राज्य-सरकार ने यहाँ के विश्वविद्यालयों के छात्र-सभों के कार्य संचालन पर, अव्यादेश लागू करके, एकाएक रोक लगा दी तो इस सम्बन्ध में प्रमुख राजनीतिक दलों की कठोर-से-कठोर प्रतिक्रियाएँ हुईं। यत्र तत्र कुछ आन्दोलन भी हुए और शायद आगे भी हों। यह ठीक है कि छात्र सभों के वर्तमान संचालन एवं रीति-नीति से सड़की सतोंप नहीं था और किसी किसी माने में वही-वही इसकी गदगो सोमा के बाहर धली गयी थी। किन्तु फिर भी शिक्षा-जगत् में लोकतंत्र के नाम पर सिद्धान्ततः शायद ही ऐसा कोई होगा जो छात्रों का कोई संगठन नहीं चाहता हो। शायद इसीलिए सरकार ने भी अव्यादेश में छात्र-सभों के कार्यों को अभी केवल स्वगित किया है जिसका शायद यह भी अर्थ ही सकता है कि सरकार के मानस में भी छात्र-सभों के उन्मूलन का प्रयोजन नहीं, उनके रूप-परिवर्तन का प्रश्न है। लेकिन छात्र सभों की रूपरेखा के विषय में यदि सरकार ने केवल शिक्षा विभाग के मार्फत अपने राजनीतिक आग्रहों से प्रभावित होकर कोई फामूला तय किया तो वह सन्मुख विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इसके लिए तो विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य सम्बद्ध लोगों का विचार विनिमय आवश्यक है।

शिक्षण संस्थाओं के संचालन और प्रशासन में शिक्षार्थियों की ही उपेक्षा हो जायगी तो वह प्रशासन ठीक से चलेगा नहीं। कोई भी और कहीं का भी 'शासन हो वह क्यास्थिति (स्टेट्सको) का प्रतिनिधित्व करता है वह मोह के कारण पुराने मूल्यों का और लाभ के कारण निहित स्वार्थों का संरक्षक होना है। आज का युवक उसको बदलना चाहता है, क्योंकि आज के युवक की मानसिक स्थिति हर पुराने मूल्यों का अस्वीकार करने की है। यही है विद्यार्थियों के विक्षोभ का जागतिक रूप।

लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम भले ही सिद्धान्ततः 'आत्म विकास या 'स्वयं प्रकाश के सिद्धान्तों को मानते हों, किन्तु जब व्यवहार की बात होने लगती है तो नीता, बुद्ध एवं ईसा के इन वचनों को युवकों के लिए अपवाद कर

देते हैं। क्या गुरुकुल की ध्यस्य अन्वेषण नहीं करते थे? धानागतन की 'एनेडिमी', अतु क 'लडनिपम' प्रिटोरियो द फोडा के 'प्लेजेन्ट हाउस' और जेसुइट सम्प्रदायों के विद्यार्थियों में विद्यालयों का वहाँ के प्रज्य में रितना योगदान था? शिक्षण-प्रबन्ध में विद्यालयों के सहकार प्राप्त करने के लिए वेस्टालोजी, फोबेल, रूसी और टैंगोर ने रितना जोर दिया है? मूल विचार तो यह है कि शिक्षा की बुनियाद एक सामान्य परातल पर है, जिसमें न केवल शिक्षक और व्यवस्थापक हैं, बल्कि विद्यार्थी भी हैं। रवीन्द्रनाथ ने तो कहा ही है : 'शिक्षण-संस्था के निर्माण में विद्यार्थी अपने जीवन का योगदान दें और यह अनुभव करें कि वे जिस संसार में रह रहे हैं उसका निर्माण उन्होंने भी किया है।' आज भी विडरगार्टन एव मटिसरी पद्धति में इसका प्रयास किया जा रहा है। मध्य-युग में शासकों के उत्पीड़न ने भले ही इस स्वातंत्र्य-प्रवृत्ति को रोक रखा हो, लेकिन जेरुसलम के आदर्शवाद से प्रभावित होकर अमेरिका में रिचर्ड वेसिंग के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय आत्म-विकास परिषद्' की स्थापना हुई जिसने बाद में 'राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद्' को वहाँ जन्म दिया। 'शिक्षण-संस्थाओं के प्रशासन एवं प्रबन्ध' में विद्यार्थियों के सहयोग का इतिहास अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में स्वर्णशरों में लिखा जायगा। कोई भी गृहण बिना स्वतंत्रता एवं आत्म-विश्वास की भावना के संभव नहीं। शिक्षा वस्तुतः एक सृजनात्मक कार्य है। अतः इसमें स्वातंत्र्य-भावना एवं आत्म-विश्वास चाहिए ही। सुतुमार वधों को नागरिकता का शिक्षण, दायित्व-निर्वाह की भावना, नीति-निर्धारण का अभ्यास, अभिव्यक्ति एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण—ये सभी आखिर उन्हें अब और वहाँ मिलेंगे? जिन वधों पर आखिर हम भविष्य की सारी वागडोर देनेवाले हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में स्वशासन का भी अभ्यास नहीं दिला सकें, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

अतः शिक्षण-संस्थाओं में 'स्वशासन' की प्रत्येक माँग को शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से मुक्त कंठ से स्वागत करना हमारा धर्म है।

राजनैतिक घुसपैठ

लेकिन विद्यार्थियों के इस मौलिक अधिकार का जहाँ हम समर्थन करते हैं, वहाँ विद्यार्थी-संगठनों में प्रचलित राजनैतिक घुसपैठ एवं भ्रष्टाचार को भी नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। 'छात्र-सभ' में 'संघ' की प्रचलना हो जाती है, 'छात्र' तो बेचारा गौण हो जाता है। 'छात्रों' के लोकतंत्र के नाम पर वस्तुतः कुछ बुने हुए पेशेवर भ्रष्ट लोगों का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। अधिकांश छात्र भी अपनी उदासीनता से इसको अप्रत्यक्ष रूप से सहारा ही देते हैं। छात्र-सभ

का कोप ही सबसे बड़ा आक्षेपण होता है। अपना अभिन्न, अपनी योजना अपना पुस्त्याय तो कभी प्रकट होता ही नहा। सबसे भयकर बात तो यह है कि बहुत कमहो म इन छात्र सघों की निष्ठाएँ छात्र सघ से बाहर राजनीतिक दलों एव गुटों के पास रहती हैं। फल हीना है कि विभिन्न विचारों एव दलों और गुटों के बीच सघन अनिवाय हो जाता है। इस स्थिति म सृजन के बदले विद्यार्थी-शक्ति का संहार होता है।

मेरे विचार स अभी ऐसी ही स्थिति है। इस दुष्टचक्र का भ्रंश करना ही होगा। विद्यार्थी समस्या को दल विशेष की समस्या के बदले राष्ट्रीय समस्या के रूप म जब तक हम नहीं देखेंगे, यह समस्या बनी रहेगी।

अल्प प्रयास

इमीणिए आचार्यकुल ने इस समस्या के महत्त्व को समझते हुए आप सबको सादर निमानत किया है। हमारी यह भी मशा है कि हम एक-दूसरे के विचार को सादर सुनें और समझें और यदि सम्भव हो सके तो जनता के सामने एक निष्पन्न राय रखें। अभ्यसन-अध्यापन क अतिरिक्त आचार्यकुल का वाय-क्षेत्र लोक शिक्षण एव लोकसेवा का है। देश विदेश या राज्य-स्तर की ज्वलत समस्याओं का आचार्यकुल अध्ययन करता है और परिपदों मे एकत्र होकर निष्पत्ता तथा निर्भिकतापूर्वक अपनी राय भी देता है। यह परिपद उसी दिशा म एक छोटा सा प्रयास है।

डा० रामजी सिंह प्राध्यापक दशनशास्त्र भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर,
बिहार

अध्यादेश का अनौचित्य

कृष्णानाथ

११ जुलाई, १९७० को उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९७० जारी कर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय छात्र-संघों की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर ऐच्छिक बनाया। यह छात्रों के माने हुए अधिकार का हनन है। इसलिए जैसा कोई भी देख सकता था इस पर उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों में उग्र छात्र आन्दोलन छिड़ा। विभिन्न विश्वविद्यालय विभिन्न अवधियों तक बंद रहे। छात्र-नेताओं और उनके सहयोगी छात्रों का प्रदेश की पुलिस ऐसे पीछा करती रही जैसे शिकारी कुत्ते अपने शिकार का करते हैं। गिरफ्तारी, दमन, जामूसी के बीच छात्र-आन्दोलन का एक दौर पूरा हुआ। उत्तरप्रदेश छात्र संघर्ष समिति दूसरे दौर की तैयारी कर रही है। इस अन्तराल में आचार्यकुल इस प्रश्न पर परिसवाद कर रहा है। अगर यह परिसवाद पहले हुआ होता और इसने सरकारी दमन पर अंकुश लगाने और छात्रों के माने हुए अधिकारों की रक्षा के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिये होते तो अच्छा होता। देर से ही सही, इस पर विचार हो रहा है, यह ठीक ही है।

आचार्यकुल से अपेक्षा

परिसवाद में विचार के लिए यह पचाँ प्रस्तुत है। यह मूल रूप से आन्दोलन के पहले दौर में १० अगस्त, '७० को श्री चरण सिंह के वक्तव्य के जवाब में लिखा गया। अन्य वक्तव्यों, लेखों के अलावा, इस लेख के कारण उत्तरप्रदेश सरकार ने मुझे जायदा फौजदारी की दफा १०७।११७ के अन्तर्गत १८ अगस्त, १९७० को गिरफ्तार कर लिया। मैंने २२ अगस्त, '७० को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जिला जेल वाराणसी से तार भेजकर व्यक्ति ह्वातथ्य की याचिका प्रस्तुत की। २ सितम्बर को याचिका की प्रारम्भिक सुनवायी हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार से पूछा कि क्यों न मुझे रिहा कर दिया जाय? १४ सितम्बर को हमारी याचिका की सुनवायी निर्धारित हुई। उत्तरप्रदेश सरकार ने ११ सितम्बर को मुकदमा वापस लेकर मुझे अपने ताबियों सहित रिहा करने का आदेश दिया। सरकार में सर्वोच्च न्यायालय का सामना करने का साहस न हुआ, किन्तु मैं जिसे सही समझता हूँ उसे लिखने-बोलने के लिए लगभग १ मास तक नजरबन्द रहा। मैं नहीं जानता कि आचार्यकुल इस पर क्या सोचता

है ? किन्तु मैं समझता हूँ कि आचार्यकुल को अगर आचार्यकुल जैसा नाम रखना है तो उसे नागरिक-स्वतंत्रता के अङ्ग्रहण की ऐसी घटनाओं पर सरकार की निन्दा करने का साहस होना चाहिए ।

छात्र-सघ की स्वरूपा कौन तय कर ?

उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री श्री चरण सिंह ने १० अगस्त को लखनऊ से दिये गये वक्तव्य में कहा कि छात्र सघों के लिए एक आदर्श सविधान तैयार किया जा रहा है । यह परस्पर-विरुद्ध बात है । छात्र सघों का सविधान कैसा हा, यह छात्र और विश्वविद्यालय ही तय कर सकते हैं । छात्र-सघों का निर्माण ही स्वशासन और छात्र शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए होता है । छात्र-सघों के लिए 'आदर्श सविधान का निर्माण उत्तरप्रदेश सरकार कैसे कर सकती है ? हाँ, सरकार अल्पवृत्ता 'आदर्श घाना' बना सकती है । इसकी अधिकारी सरकार है । छात्र-सघों का सविधान बनाने की अधिकारी सस्था सरकार नहीं, छात्र सघ और विश्वविद्यालय स्वयं है ।

उत्तरप्रदेश का शासन उन्नीसवीं सदी के फुगिस राज की भावनाओं के आन्तर पर चलाया जा रहा है । सरकार इसके लिए एक के बाद एक अव्यादेश जारी कर रही है । गोया, सरकार सपेरे के सिवा कुछ भी नहीं है । गुजरती हुई बीसवीं सदी में विश्वविद्यालय के सञ्चालन और प्रशासन में यहाँ तक कि विश्व-विद्यालय की कल्पना में, छात्रों और छात्र-सघों के महत्त्वपूर्ण रोल को मानकर सारी दुनिया में परिवर्तन के लिए प्रयत्न हो रहे हैं । अकेले श्री चरण सिंह उत्तर-प्रदेश में बालक को उल्टा घुमाने की चेष्टा कर रहे हैं । यह चेष्टा स्वतंत्र शिक्षा के आदर्शों, परम्पराओं और रीति-रिवाजों के विपरीत तो है ही, भारत सरकार की माय शिक्षा नीति के भी प्रतिकूल है ।

इन सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट के छात्र-सघ सम्बन्धी प्रकरण से आवश्यक उद्धरणों से उत्तरप्रदेश सरकार की विपरीत नीति सिद्ध होती है । रिपोर्ट के पृष्ठ ३३६ पर कहा गया है 'छात्र सघ ऐसा महत्त्वपूर्ण माध्यम होते हैं जिनके सहारे छात्र कक्षा के बाहर रहकर भी विश्व-विद्यालय के जीवन में भाग ले सकते हैं । अगर उनका सही ढंग से आयोजन किया जाय तो इनसे स्वशासन और आ-मानुशासन में सहायता मिलती है, छात्रों की अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति का सही मार्ग मिल जाता है और उन्हें लोकतांत्रिक पद्धतियों के उपयोग का अच्छा-सासा प्रशिक्षण मिल जाता है ।'

जाहिर है, छात्र-सघ किस प्रकार काम करें यह विश्वविद्यालय स्वयं तय करेंगे, सरकारी अव्यादेश नहीं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार के शिक्षा-आयोग

की सम्मति है "हर विश्वविद्यालय को स्वयं यह तय करना चाहिए कि उसके छात्र-संघ किस प्रकार काम करें।"

सदस्यता ऐच्छिक या अनिवार्य ?

शिक्षा-आयोग ने उत्तरप्रदेश सरकार के इस तर्क का खण्डन किया है कि आखिर छात्र संघ की सदस्यता ऐच्छिक हो इसमें हज़ क्वा है ? जिसकी मर्जी होगी वह सदस्य बनेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं बनेगा। यह तर्क ऊपर से जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। छात्र संघ की सदस्यता ऐच्छिक हो या न हो, यह भी तो छात्र और विश्वविद्यालय तय कर सकता है। सरकार अध्यादेश लागू कर सदस्यता को ऐच्छिक बनाये इसमें ऐच्छिक कहाँ है ? यह तो विश्वविद्यालय और छात्र-संघों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अपहरण है।

ऐच्छिक सदस्यता और अनिवार्य सदस्यता के बारे में सन् १९४० और '५० की दहाई में बहस चल चुकी है। फैसला अनिवार्य सदस्यता के पक्ष में हुआ। ऐच्छिक सदस्यता में तीन बड़े दोष हैं १—पैसेवाले छात्र और गुट अपनी ओर से पैसा जमा कर सदस्यता करेंगे और छात्र संघ पर कब्ज़ा कर लेंगे। २—सभी विद्यार्थियों का कोई प्रतिनिधि संगठन न होगा। ३—स्वशासन और जनतांत्रिक पद्धतियों का प्रशिक्षण न होगा। इसलिए अगर छात्र-संघों की यह भूमिका है तो सभी छात्रों को इसका सदस्य होना चाहिए।

छात्र संघों की सदस्यता के बारे में भी शिक्षा-आयोग का स्पष्ट मत है कि 'छात्र-संघों की सदस्यता इस अर्थ में स्वतंत्र सिद्ध होनी चाहिए कि हर छात्र को अपने आप उसका सदस्य समझ लिया जाना चाहिए।'

भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा-आयोग छात्र संघों की सदस्यता को 'स्वयं सिद्ध माने और उत्तरप्रदेश सरकार अध्यादेश से इसे खत्म करना चाहे, ऐसा क्यों है ?

इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि शिक्षा-आयोग की संस्तुति के अनुसार छात्र-संघों की सदस्यता को स्वयं सिद्ध मानकर छात्र-संघों को काम करने इच्छे तय करने का अधिकार और कर्तव्य विश्वविद्यालय का ही हो। सरकार इसमें जब भी हस्तक्षेप करती है बुरे के लिए करती है। सन् १९५३ में उत्तरप्रदेश सरकार ने हस्तक्षेप किया, छात्र-संघों की सदस्यता को ऐच्छिक बनाना चाहा। छात्र आन्दोलन और शहादत डाक्टर गणपन्तर की मृत्यु के बाद सरकार को अपना आदेश शारीर करना पड़ा। सन् १९७० में तो उत्तरप्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन सन् १९५३ की तुलना में बहुत कमजोर हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासन

मे छात्रों की भागीदारी की भावना पहले से ज्यादा प्रबल है। इसलिए छात्र-संघों की सदस्यता को ऐच्छिक बनाना अवाञ्छनीय है और असम्भव भी।

सरकार दोषी

अध्यादेश जारी कर प्रदेश में विश्वविद्यालय जीवन और सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त करने का दोष उत्तरप्रदेश सरकार का है। मैंने बहुत से जानकार लोगों से जानना चाहा कि भास्त्रि इस अध्यादेश को इस समय जारी करने का उद्देश्य क्या है? वर्षों से जो सदस्यता अनिवार्य थी उसे अध्यादेश निकालकर ऐच्छिक बनाने की अभी जरूरत क्या थी? इसका कोई सन्तोषजनक जवाब कहीं मिला नहीं। मुझे तो यही लगता है कि 'विनाश वाले विपरीत बुद्धि' के अन्वया इसका और कोई जवाब है नहीं। यह विनाश अब निकट है। इसलिए भी आचार्य-कुल को अपनी राय रखने में डर नहीं होना चाहिए।

मेरा हृदय विश्वास है कि छात्र-शक्ति से टकराकर जब राष्ट्रपति दगल गय, राष्ट्रपति जानसन गय, राष्ट्रपति अयूब खाँ गय, जहाँ बड़े-बड़े बह गय वहाँ चरण सिंह कहाँ टिकेंगे? मुझे ऐसा भी विश्वास है कि छात्र-आन्दोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि उनकी छीनी गयी 'स्वयंसिद्ध' सदस्यता और स्वतन्त्रता वापस नहीं मिल जाती।

मेरी प्रार्थना है कि आचार्यकुल अपने स्वयंसिद्ध अधिकार की प्राप्ति के लिए अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे। 'परिसंवाद' इस दिशा में कारगर योगदान करे।

प्रो० कृष्णनाथ, काशी विश्वविद्यालय धारागंजी

छात्र संघों के सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश की सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है, उसे लेकर छात्रों ने प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों में आन्दोलन एवं प्रदर्शन किया है। समाचार-पत्रों एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी इसकी काफी चर्चा हुई है। अध्यादेश को लेकर पत्र और विपक्ष में अनेक प्रकार की रायें व्यक्त की गयी हैं। अध्यादेश के समर्थन करनेवालों का यह कहना है कि छात्रसंघों के पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं रह गया है, अतएव वे राजनीतिक दलों का अखाड़ा बन गये हैं। फलस्वरूप राजनीतिक दल उन्हें अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यादेश के विरोधियों का यह कथन है कि छात्र-संघ छात्रों को एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से छात्र अपने कठिनाइयों एवं तकलीफों का इजहार कर सकते हैं। साथ ही छात्रसंघ, छात्रों को जनतंत्रीय प्रणाली में शिक्षित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है।

इस लेख में हम छात्र-संघों का जनतंत्रीय सदर्भ में क्या 'रोल' हो सकता है, इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। हम इस पक्ष में नहीं पडना चाहते कि उत्तर प्रदेशीय सरकार का अध्यादेश कहीं तक वैधानिक या अधैधानिक है।

जनतंत्रीय राजनीतिक संस्कृति

किसी भी टिकाऊ राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि उसमें रहनेवाले नागरिकों की उसमें गहरी भावना हो। अर्थात् यदि वह व्यवस्था जनतंत्रीय है तो उसके मूल्यों, उसकी प्रणाली और प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की भावना होनी चाहिए। भावना के इस पुंज को ही हम जनतंत्रीय राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। हम यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की जनतंत्रीय राजनीतिक संस्कृति में गांधीजी की अहिंसा भी समाविष्ट है।

छात्र और राजनीतिक समाजीकरण

अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की जनतंत्रीय राजनीतिक संस्कृति का किस प्रकार निर्माण हो। समाज शास्त्र के विद्वानों ने इस प्रक्रिया का अध्ययन उन देशों में किया है, जहाँ जनसंघ बर्द्ध हो सके थे प्रस्थापित है। उन अध्ययनों का निष्कर्ष यह निकला है कि बच्चा राजनीतिक मूल्यों एवं विधानों को परिवार, मित्र-मंडली, स्कूल और क्लबों, तथा विश्वविद्यालयों के बीच सीखता है। जब वह बचपन होता है तो अनेक प्रकार के समुदायों में भाग लेता है, तथा राजनीतिक

पाटियो के सम्पर्क में आता है। ये सभी राजनीतिक समाजीकरण के उपकरण हैं, जिनके द्वारा बचपन से लेकर अपने वयस्कता तक व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों एवं विचारों को आन्वमात करता है।

बच्चों का जीवन स्कूल और कालेजों में अधिकतर बीतता है। स्वभावतः स्कूल और कालेज राजनीतिक समाजीकरण के एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण साधन हैं। जरूरी यह है कि इन स्कूल और कालेजों में अवश्य ही कोई ऐसा मंच होना चाहिए, जहाँ उनकी शिक्षा जनतथीय मूल्यों एवं विचारों में हो सके। मेरी समझ से छात्रसभ ही ऐसे मंच हो सकते हैं। इस तरह स्कूल, कालेज एवं विश्वविद्यालय के जीवन में छात्रसंघ का होना अनिवार्य हो जाता है।

नवीनीकरण और छात्र

इस समस्या पर एक और दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। आज का भारत नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। नवीनीकरण (माडर्नाइजेशन) को इस प्रक्रिया से इधर शिक्षा में भी वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा का विस्तार उन वर्गों एवं जातियों तक हुआ है, जो कुछ वर्ष पूर्व उसकी परिधि के बाहर थे। जाहिर है कि शिक्षा की इस वृद्धि हुई जनसंख्या का राजनीतिक व्यवस्था तथा विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के साथ एकीकरण (इन्टीग्रेशन) होना चाहिए। वास्तव में नवीनीकरण का यह नियम है कि उनके चरम शिक्षा और औद्योगीकरण की वृद्धि के साथ-साथ नये-नये समुदाय और शक्तियाँ पैदा होती हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था से अनेक प्रकार की अपेक्षाएँ रखती हैं। नवीनीकरण का एक परिणाम अपेक्षा-शक्ति (रेवेल्यूशन इन राइजिंग एक्सेप्टेशन) भी है। इन अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति उतनी ही जरूरी है, जितनी उनकी पूर्ति। विद्यार्थी समुदाय भी इन अपेक्षाओं से अछूता नहीं रह गया है। इन अपेक्षाओं से समुदायों में एक और भावना उत्पन्न हुई है और वह यह है कि व्यवस्था के संचालन में समुदायों का हाथ हो। जिसको समाजशास्त्रियों ने सहभागिता संकट (पाटिसिपेशन क्राइसिस) की संज्ञा दी है, वह इस प्रकार के समाज पर लागू होती है जिसमें नवीनीकरण के परिणामस्वरूप नयी-नयी शक्तियाँ और समुदाय व्यवस्था में उत्तरोत्तर भाग लेने की माँग करती हैं और जो व्यवस्था जहाँ तक इन समूहों आदि को भाग लेने का अवसर देती है, उसी हद तक वह स्थायी एवं मजबूत-भाँति एकीकृत (इन्टीग्रेटेड) मानी जा सकती हैं। सहभागिता (पाटिसिपेशन) के अभाव में व्यवस्था से लोगों का बिलगाव (एलिनेशन) होता है, जिसके कारण व्यवस्था कमजोर होती है। हर प्रकार की विघटनकारी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो व्यवस्था को तोड़कर नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहती हैं।

जो बात व्यापक समाज के सदस्य में परिचित होती है वही छात्रों के सम्बन्ध में भी सही है। शिक्षा की बढ़ती हुई प्रगति के कारण छात्रों में सहभागी होने की भावना प्रबल हुई है। मतलब यह कि छात्र राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के साथ भी एकरस (इटीप्रेटेड) होना चाहते हैं। वह तभी सम्भव है जब उन्हें आत्माभिव्यक्ति का साधन मिले। स्पष्ट है कि यह अभिव्यक्ति उन्हें छात्रों-समूहों द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए छात्र-समूहों का संगठन अनिवार्य हो जाता है।

राजनीतिक दल और छात्र

अब यह भी राजनीतिक दलों की बात। जिस प्रकार का संसदीय जनतंत्र हमारे देश में है उसका आधार राजनीतिक दल है। शायद राजनीतिक दल और इस प्रकार की संसदीय प्रणाली का अकाट्य सम्बन्ध है। अगर ऐसा है तो फिर देशों के समाज के हर वर्ग समुदाय एवं समूह में प्रवेश करना लाजिमी हो जाता है। आखिर उनको समर्थन प्राप्त करने के लिए यह तो करना ही पड़ेगा। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र तब वैसे इन दलों से अछूते रह सकते हैं। चाहे हम कोई भी रोक लगायें, दलों का छात्र समुदाय में प्रवेश करना स्वाभाविक है क्योंकि यह समुदाय बड़ा जागरूक एवं सक्रिय समुदाय है जिसमें से भविष्य के राज-नेता पैदा होते हैं।

इसलिए प्रश्न राजनीतिक दलों के प्रवेश करने का नहीं है। वह तो होगा ही। प्रश्न यह है कि भारतीय राजनीतिक पार्टियाँ जनतंत्रीय पद्धति में कहीं तक विश्वास करती हैं और कहीं तक वे उसके तौर-तरीकों पर एकमत हैं। जिस हद तक राजनीतिक दलों के व्यवहार में जनतंत्रीय मूल्य प्रकट होंगे उसी हद तक छात्र समुदाय में भी जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना होगी। मेरा यह विचार है कि जनतंत्रीय राजनीतिक संस्कृति जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है उसकी सबव्यापक प्रस्थापना किस प्रकार हो किस प्रकार दलों के व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा हो, आदि प्रश्न जनतंत्र के व्यापक प्रश्न से जुड़े हुए हैं। परन्तु मेरा इतना कहना है कि चूंकि विद्यार्थी समुदायों में राजनीतिक दलों का प्रवेश होता है, इसलिए उसे भंग कर दिया जाय या ऐच्छिक बना दिया जाय यह कोई तक नहीं। इस प्रकार के तर्कों की अंतिम परिणति दलों के भंग में हो सकती है जो आज के जनतंत्र के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। स्मरण रहे कि जो कुछ भी मैं जनतंत्र के सम्बन्ध में कह रहा हूँ, उसका सन्दर्भ आज का संसदीय जनतंत्र है। इसलिए मुझे डर है कि इस प्रकार के अध्यादेश जनतांत्रिक पद्धति के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं।

जिन सस्थाओं का जनतंत्र में स्थान है उन्हें तोड़कर नहीं बल्कि उनमें और अधिक प्राण की प्रतिष्ठा करके ही जनतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। हमारा विचार है कि छात्र-संघ एक ऐसी ही सस्था है। इसलिए छात्र-संघों की सदस्यता भी अनिवार्य होनी चाहिए।

उपसंहार

अन्त में मैं यह कहकर अपना लेख समाप्त कर रहा हूँ कि इतिहास में ऐसे भी काल आते हैं जब एक समाज को प्रगति के माग पर बढ़ने के लिए छलाशों (लीप) लेनी होती हैं। जिस प्रकार वे पश्चिम में एक मजिल से लेकर दूसरे मजिल से गुजरते हुए समाज का विकास हुआ है, उसी तरह आज के समाजों का विकास हो, यह कोई आवश्यक नहीं। कल की तीर चगानेवाली आदिमजाति आज बढ़क चगाने लगी है। यानी उसे उन सब मजिलों से गुजरना नहीं पड़ता जिन मजिलों से तीर की तकनीक से लेकर बढ़क की तकनीक तक पहुँचना पड़ा था। उसी प्रकार उत्पादन की पुरानी प्रक्रिया को छोड़कर बहुत-से राष्ट्र आज की उच्चतम प्रक्रिया को अपना रहे हैं। उह उन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना नहीं पड़ा जिनसे पश्चिम में राष्ट्र गुजरते हुए, उत्पादन की आज की प्रक्रिया को प्राप्त हुए हैं। वही बात ससदीय प्रणाली के बारे में भी लागू है। आज के जनतंत्रात्मक ढाँचे को अपनाने के लिए भारत का उन सारे मजिलों से नहीं गुजरना पड़ा जिनसे इंग्लैंड आदि को गुजरना पड़ा था। इसी प्रक्रिया को इतिहास की छात्र-संघ कहते हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि हमें प्रारम्भ में उन सस्थाओं को अवश्य ही अनिवार्य बनाना पड़ेगा जिनसे हम समझते हैं कि जनतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकती हैं। और मेरी समझ से छात्र संघ ऐसी सस्थाओं को भी जनतांत्रिक व्यवस्था में एक अनिवार्य संस्था के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जिन राजनीतिक कणधारों के हाथ में आज सत्ता है वे छात्र संघ की अहमियत को नजर अन्दाज नहीं करेंगे।

श्री नानेडवर प्रसाद गांधी विद्या संस्थान राजघाट धारवाहसी-१

स्वतंत्रता वनाम अनिवार्य सदस्यता

नारायण देसाई

बल स जो चर्चा चल रही है उस पर से ऐसा मालूम होता है, अध्यादेश के विषय में आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक जितने वक्ता बोले वे अध्यादेश के पक्ष में बोले हो, ऐसा दोखता नहीं। अध्यादेश के बारे में आचार्यकुल को सर्वसम्मति से यह राय देनी चाहिए कि अध्यादेश के जरिये शिक्षा-क्षेत्र में दम्तदाजी हुई है। और अध्यादेश के जरिये इस प्रकार की समस्याओं का हल नहीं निकलता। मुझे यह भी लगता है कि छात्र सघ की आवश्यकता नम्बर एक सवाल जो है, इसकी चर्चा हुई थी, उस चर्चा में यह साफ हो गया था कि सघ की आवश्यकता है और उसको प्रमुखता देने के लिए ही यह मुद्दा रखा गया है। यह बहस का मुद्दा नहीं है। उस पर मतभेद नहीं है। चर्चा के असली मुद्दे तीन और चार हैं। छात्र सघ की सदस्यता अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।

इस विषय पर एक दूसरे 'अप्रोच' से देखने की आवश्यकता है। एक तो ला एण्ड आर्डर' के 'अप्रोच' से देखा जा रहा है। पुलिस और उनके दलवाले के माध्यम से इसे हल करने का जो प्रयत्न हो रहा है वह गलत है और यह तो एक स्वर से सवने यहाँ कहा है इसलिए उस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। छात्रों की समस्या या शिक्षा की समस्या दमन के तरीके से हल हो नहीं सकती है। और इसलिए ला एण्ड आर्डर का अप्रोच गलत है। शिक्षा की समस्या को राज नैतिक दलबन्दी के तरीके से भी हल नहीं किया जा सकता है। दूसरा 'अप्रोच' जो हो रहा है वह राजनैतिक दलबन्दी का ही है। अब तक जो उदाहरण दिये गये हैं सब उसी प्रकार के उदाहरण थे।

जैसे जीवन का मूठभूत एक अधिकार यह है कि जो सगठन करना चाहता है वह करे, उसी तरह और एक जीवन का मूठभूत अधिकार यह भी है कि जो सगठन नहीं करना चाहे वह न करे। यह उसकी स्वतंत्रता या अधिकार है। हम मानते हैं कि 'कम्पल्शन' हा तो इसका मतलब है हमने एक तीसरी 'अपारिटी' को मान लिया। फिर वह उपकल्पित हों या परण सिंह हों, जिसके विषय बहुत सारे म बयान कहे गये। जहाँ एक दूसरी 'अपारिटी' है उसके जरिये 'कम्पल्शन' होता या 'कम्पल्शन' हटा लिया जाता है। 'कम्पल्शन' हटाना जिस तर्क से गलत है उसी तर्क से 'कम्पल्शन' लाना भी गलत है। क्योंकि उ'होने एक दूसरी अपारिटी को सौंप दिया।

छात्र सघ में सारे-के सारे छात्र अपने आप उसमें शरीक होते तब तो ठीक है। लेकिन एक छात्र भी अलग रह जाता है तो उसकी अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार है।

छात्र-सघों की अनिवार्य सदस्यता की जो तीन शर्तें श्री कृष्णनाथजी ने रखी है उसमें एक शर्त में और जोड़ देना चाहता हूँ कि यदि छात्र-सघ अनिवार्य रूप से रखे जायें तो उनकी सदस्यता निशुल्क हो। छात्र सगठन निशुल्क रखकर अनिवार्य करना हो तो कर लीजिए। इससे जो छात्र नहीं शामिल होना चाहते हैं, वे बच जायेंगे। और इसमें जो डर है वह निकल जायेगा। ऐच्छिक सदस्यता का जा मेरा मूलभूत तर्क है वह तो कामय हो है, फिर भी मैं इस शर्त के साथ अनिवार्य सदस्यता को स्वीकार कर लूँगा।

‘कॉन्सेशंस ऑब्जेक्शन’ का स्यान होता है जीवन में। अगर ‘कॉन्सेशंस ऑब्जेक्शन’ का स्यान युद्ध में भी होता है तो एक छात्र अगर बलग रहना चाहता है तो उसे रहने देना चाहिए। मुझे उस छात्र की स्वतंत्रता की चिन्ता है कि वह वही सेवक गोत्र के हाथ में दबा हुआ छात्र न रह जाय। सर्वोदय समाज भी सेवक गोत्र बन सकता है। यह तो एक ममानकता होगी। जिस तरह सर्वोदय-सेवकों का गोत्र बन जाना बुरा है उसी प्रकार से कोई भी छात्र-सगठन गोत्र बनाता है तो वह भी बुरा है। गोत्र के कारण स्वतंत्रता में बाधा होती है। इसलिए मैं इसे ऐच्छिक रखना चाहता हूँ। छात्र की स्वतंत्रता को टिकाने के लिए।

श्री नारायण देसाई, मंत्री, अ० मा० शांतिसेना मठल, रायबघाट, वाराणसी-१

छात्र-संघ रूपरेखा : गोष्ठी की रिपोर्ट

उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र-संघों की सदस्यता की अनिवार्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल में जारी किये गये अध्यादेश ने न केवल छात्रों में, बल्कि समाज के अन्य सम्बन्धित लोगों में भी एक चिन्ता पैदा कर दी है। उत्तरप्रदेश आचार्यकुल की २७ अगस्त की हुई बैठक में यह तय किया गया कि इस अध्यादेश से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने और उसका कोई हल ढूँढ़ने के लिए छात्र-संघों के प्रतिनिधियों, शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षण-संस्थाओं के अधिकारियों, राजनैतिक दलों, और अन्य सम्बन्धित लोगों का एक गोष्ठी बुलाई जाय। तदनुसार दिनांक १९-२० और २१ सितम्बर, १९७० को वाराणसी के गांधी विद्या सस्थान के सभाकक्ष में कानपुर विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और आगरा विश्वविद्यालय के उपकुल-पतिशय-सर्वेधी राधाकृष्णजी, शीतल प्रसादजी तथा श्री राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में एक गोष्ठी सम्पन्न हुई। गोष्ठी में आगरा, कानपुर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के छात्र-संघों के प्रतिनिधियों के अलावा अनेक डिग्री कालेजों के प्राचार्य तथा आगरा, कानपुर और काशी विद्यापीठ के उपकुलपति, गांधी विद्या सस्थान, वाराणसी के सह निदेशक तथा प्राध्यापक, आचार्यकुल के सदस्य, अखिल भारत शांति-सेना मण्डल, सर्व सेवा सच, समुक्त समाजवादी पार्टी (ससोपा), जनसच, मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी तथा अन्य नागरिकों ने भाग लिया।

गोष्ठी के १९, २० तथा २१ सितम्बर, '७० को प्रातः तथा सायं कुल ५ अधिवेशन हुए। गोष्ठी का आरम्भ केन्द्रीय आचार्यकुल के सयोजक श्री धर्मोदरजी के द्वारा गोष्ठी के लिए सर्वेधी सुमित्रानन्दन पत्र तथा श्रीमती महादेवी वर्मा के सन्देश-वाचन से हुआ। गोष्ठी का उद्घाटन प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने किया। गोष्ठी में गांधी विद्या सस्थान के प्रोफेसर नागेश्वर प्रसाद, भागलपुर विश्वविद्यालय (बिहार) के डा० रामजी सिंह, काशी विद्यापीठ के श्री कृष्णनाथ, सर्व सेवा सच के श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा के चार सन्दर्भ-लेख पढ़े गये। सन्दर्भ-लेखों के अलावा गोष्ठी में अनेक वक्तव्यों ने भी भाग लिया। वक्तव्यों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र-नेता श्री आनन्द कुमार तथा श्री सुरेन्द्र प्रताप तथा प्रतद्व प्रताप, लखीमपुर छोटे डिग्री कालेज के प्राचार्य डा० गणपत सिंह और वरत कालेज की प्राचार्या

डु० शुभदा तेलग, जुहारी कन्या डिग्री कालेज, कानपुर की प्राचार्या श्रीमती सुमन, मेरठ विश्वविद्यालय के श्री राय परमात्मा प्रसाद राव, वाराणसी नगर ससोपा के अध्यक्ष श्री आन-देश्वरी प्रसाद, गांधी विद्या सस्थान के श्याममुन्दर भट्टाचार्य, श्री रोहित मेहता, अखिल भारत छात्रसेना मण्डल के मंत्री श्री नारायण देसाई, काशी विद्यापीठ के उपकुलपति श्री राजाराम शास्त्री, प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र-संघ के प्रतिनिधि श्री अजय शंकर प्रसाद और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र-संघ के प्रतिनिधि श्री विजय शंकर पाण्डे, प्रयाग विश्वविद्यालय के श्री वनवारीलाल शर्मा, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार सर्वोदय-विचारक आचार्य राममूर्ति, जनसंघ के सदस्य श्री नारायण शर्मा तथा मार्क्सवादी साम्यवादी के श्री गणेशजी मानव तथा साम्यवादी दल के श्री रुस्तम सेंटिन के भाषण हुए ।

गोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं ने इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने के पलितार्थों पर विचार करते हुए यह अनुभव किया कि अध्यादेश जननत्र के हितों के विरुद्ध है । गोष्ठी में यह अनुभव किया गया कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र-संघों का होना आवश्यक है । छात्र-संघों की सदस्यता की अनिवार्यता और उनकी संरचना तथा कार्यक्रम जैसे प्रश्नों पर विस्तार से विचार हुआ और अधिकांश वक्ताओं ने सदस्यता ऐच्छिक बनाने के विरुद्ध विचार व्यक्त किये । क्योंकि इससे छात्र-संघों की एकता और शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । छात्र-संघों की सदस्यता ऐच्छिक बना देने से छात्रों का विश्वास अधिक तेज होगा और इसने विश्वविद्यालयों में प्रशासन-सम्बन्धी कठिनाइयाँ और भी बढ़ जायेंगी । छात्र-संघ छात्रों में सामुदायिक जीवन के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, अतः छात्र-संघों की सदस्यता तो छात्रों के लिए स्वतः सिद्ध होनी चाहिए । छात्र-संघों की सदस्यता ऐच्छिक बना देने से निहित स्वार्थों को छात्र-संघों का अपने हित में उपयोग करना और भी सरल हो जायेगा, क्योंकि जन हागत में शिक्षण-संस्थाओं में अनेक छात्र-संगठन सृष्टे हो जायेंगे और धन के बल पर सदस्य बनाना आसान हो जायेगा । यद्यपि जननत्र और अनिवार्यता तर्क-संगत नहीं है, किन्तु हमारा जननत्र अभी जिस अवस्था में है, उसमें सदस्यता निर्धार्य रखना अलाजिमी है । इससे छात्र-संघों के छात्रों का न केवल जनतायिक शिक्षण होगा, वरन् आगे बढ़कर हम छात्रों को शिक्षण प्रबंध में भागीदार बनाना चाहते हैं, शिक्षण-संस्थाओं में एक ही छात्र-संगठन होने से उसमें काफी सरलता होगी । अनिवार्य सदस्यता के कारण संघों

में सदस्य सख्या की अधिकता के कारण छात्र-प्रतिनिधियों को अधिक सामूहिक समयें और शक्ति प्राप्त होगी।

किन्तु गोष्ठी में कुछ बचनाओं ने यह भी अनुभव किया कि छात्र-सघों की सदस्यता अनिवार्य कर देने से छात्रों की स्वतन्त्रता का हनन होता है। अतः ऐच्छिक सदस्यता रहनी चाहिए। इससे अधिक छात्रों को सघों के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और छात्र-सघ भी मजबूत होंगे। जनतंत्र में अनिवार्यता नहीं हो सकती और छात्रों को सघों का सदस्य बनने या न बनने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। एक वक्ता ने यह भी सुझाव दिया कि अगर सदस्यता अनिवार्य ही रखनी हो तो उसे निःशुल्क होना चाहिए। एक अन्य वक्ता ने कहा—अगर छात्र-सघ छात्रों के लोकतांत्रिक शिक्षण के माध्यम हैं, तो फिर छात्र-सघों में ससदीय प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। क्योंकि यूनियन के होने से तो छात्र ट्रेड यूनियनों में मजदूरों की तरह प्रतिष्ठान के विद्यार्थी अपने हितों की रक्षा के अपने मौलिक अधिकारों के लिए ही संगठित होते हैं और इस हालत में छात्र-सघों का ट्रेड यूनियन की तरह काम करना अनिवार्य ही जाता है। यदि हमें इसे यूनियन ही रखना हो तो फिर इसे राष्ट्रीय धन-आयोग का यह तर्क स्वीकार करना होगा कि एक ही संस्थान में कई यूनियनें हों, परन्तु मुख्य मान्यता-प्राप्त एक ही सब रहे और बाकी यूनियनें केवल अपने व्यक्तिगत हितों का ही प्रतिनिधित्व करें। किन्तु यदि इसे ससदीय प्रणाली पर चलाना हो तो फिर इसमें एक कार्यकारिणी और एक एसेम्बली होनी चाहिए, जो कि छात्र-जनता के प्रति उत्तरदायी हो। एक वक्ता ने यह सुझाव दिया कि छात्र-सघों को छात्रों के सार्वजनिक हित और लोकतांत्रिक शिक्षण के माध्यम के साथ-साथ एक विरोधी मंच के रूप में भी काम करना होता है। अतः छात्र-सघों का विधान ऐसा बनाया जा सकता है कि वे ससदीय प्रणाली के और यूनियन के रूप में एकसाथ काम कर सकते हैं।

कुछ बचनाओं का यह विचार था कि छात्र-समस्या को असल में हमें व्यापक सामाजिक सन्दर्भ में देखना होगा। और इसे केवल छात्रों तथा शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना होगा। आज का छात्र-असतोष तो आज के व्यापक सामाजिक असतोष का ही एक प्रतिरूप है। छात्र-समस्या को पृथक्ता में देखने से छात्र-सघ केवल यथास्थिति के ही पिष्टपोषक बने रहेंगे और किसी भी बुनियादी परिवर्तन के लिए बाधक होंगे। यदि छात्रों को इस वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से नाराज़ी है और यदि वे मानते हैं—आज की सामाजिक संरचना मानव के सामान्य हितों के विरुद्ध है, तो फिर उन्हें चाहिए कि वे इस सम्पूर्ण व्यवस्था को

हो अस्वीकार कर दें और एक नयी शाश्वत ज्ञानि के लिए अपने को अर्पण कर दें । उन्हें छात्र-सघो को केवल दो-तीन साल के छात्र जीवन तक सीमित नहीं रखना चाहिए । बल्कि उन्हें एक नये समाज की रचना के मादभ से जोड़ देना होगा ।

छात्र-नेताओं ने एकमन से वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की यथास्थिति का पोषक होने के रूप में कड़ी निन्दा की । उन्होंने कहा कि इस शिक्षा-पद्धति ने छात्रों के अन्दर एक भयानक कुण्ठा और निराशा पैदा कर दी है, क्योंकि उनके सामने कोई भविष्य नहीं है । आज की शिक्षा समाज के एक खास धग के हित का साधन है और जब तक शिक्षा सर्वसाधारण क हित से नहीं होती तब तक वर्तमान शिक्षा-प्रणाली को तत्काल समाप्त कर देना हागा । तब शायद जनता ही अपने लिए कोई उचित शिक्षा-प्रणाली खोज ल ।

उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये बतमान अध्यादेश के बारे में बक्तानों में अधिकांश यह आम राय थी कि जिस स्थिति में यह अध्यादेश जारी किया गया, यह खैद का विषय है और उसके अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे ऐसी स्थिति का निर्माण हो सके, जिससे शिक्षण-मस्याओं का स्वायत्तता सुरक्षित रह सके ।

बशीर धीवास्त्रव

सयोजक, केन्द्रीय आचार्यकुल

नौजवान-आन्दोलन और विद्यार्थी-आन्दोलन को मैं हमेशा अलग मानता हूँ। हिन्दुस्तान में नौजवान आन्दोलन कभी संगठित हुआ ही नहीं। जो भी संगठन की शक्ति पुराने जमाने में मिलती थी वह अग्रेज विरोधी आन्दोलन से मिलती थी, विद्यार्थी आन्दोलन से मिलती थी। नौजवान केवल स्कूलों और कालेजों में ही नहीं हैं, नौजवान तो ससद सदस्य भी हैं मिलों में भी काम करते हैं, क्षेत्रों में भी काम करते हैं। नौजवान आन्दोलन को तो हिन्दुस्तान में कोई समझता ही नहीं। नौजवान-आन्दोलन का विद्यार्थी आन्दोलन एक अंग भर है। फ्रांस में नौजवानों ने जो आन्दोलन किया उसमें विद्यार्थी भी थे, ससद-सदस्य भी थे, मजदूर भी थे। इसी तरह अमेरिका में जो नौजवान आन्दोलन है उसमें वहाँ का विद्यार्थी भी है, डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन भी हैं और माक्सिस्ट भी हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आज नौजवानों में एक जागृति आ रही है। आज गति का युग है। युद्ध और शान्ति विद्यार्थियों के अस्तित्व से भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितना कि राजनीतिको के अस्तित्व से। विद्यार्थी उससे निरपेक्ष नहीं रह सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जो नौजवान आन्दोलन है, विद्यार्थी आन्दोलन है वह मानव जीवन का एक अंग है। इसलिए उसका समाज की समस्याओं से गहरा लगाव (सेंस आफ इन्वाल्वमेंट) रहेगा ही। विद्यार्थी भी सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग हैं इसलिए उनके अन्दर जो कमजोरियाँ हो ग़ुटियाँ आयें, उनके प्रति हमदर्दी दिखाने की जरूरत है।

मैं विद्यार्थी-आन्दोलन को संगठित रूप में देखना चाहता हूँ लेकिन खेद की बात है कि आज लोग विद्यार्थी समाज को एक 'विभिन्न क्लास' (अपराधी-बर्ग) मानते हैं और उसे विभाजित करने की कोशिश करते हैं। जितना ही इसे विभाजित करने का प्रयास किया जायेगा उतनी ही देश की राजनीति गंदी होगी।

नेता दोषी

विद्यार्थी भी इसी देश के रहनेवाले हैं और वे इसी देश में रहेंगे। समाज में जो कमियाँ दिखाई देती हैं उनका वे तेजी से अनुभव करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आदर्श के नाम पर तो हमने उन्हें कुछ दिया नहीं। सन् '४७ के बाद राजनीतिक आदर्श बेईमान हो गया है, व्यापारी बेईमान हो गया है, कर्मचारी बेईमान हो गये हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन सबका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ेगा ही। विद्यार्थी आन्दोलन भविष्य के नेता तैयार करने की एक प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला और अच्छी बन सकती है, बशर्ते हम उसके साथ हमदर्दी दिखायें।

भारत के नौजवानों को ऊँचा उठाने की हमने कोशिश नहीं की। युगोस्त्या-विया ने वहाँ के नौजवानों को संगठित किया। वहाँ के दो हजार नौजवानों ने मित्रकर छह महीने तक काम करके एक विशाल होटल का निर्माण किया। इस सम्बन्ध में वहाँ के अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह हमने विद्या-यियों को मेहनताना देने की नीयत से नहीं किया, बल्कि इसलिए किया कि नौजवान यह अनुभव कर सकें कि देश के निर्माण में हिस्सा बँटा रहे हैं।

मैं भारत के सभी राजनीतिक दलों को इस बात के लिए बोधी मानता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थी आन्दोलन को गुमराह किया। आज स्थिति यह है कि अगर नक्सालवादी या बिगड़े हुए गजदूर कुछ करते हैं तो कह दिया जाता है कि यह विद्यार्थियों ने किया। हमारा विद्यार्थी-समाज ईमानदार है, उसमें देशभक्ति की भावना है। विद्यार्थी आन्दोलन का एक राष्ट्रीय स्वरूप बना होता लेकिन राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर विद्यार्थी-आन्दोलन बनने ही नहीं दिया गया। एक समय था कि एक आवाज पर लोग गाली खाने के लिए तैयार हो जाते थे लेकिन आज हम सस्ती लोचप्रियता के लिए कुछ भी करने को तयार हैं। कितने ससद भवन में परचा फेंका तो उस अखबारों में प्रमुख स्थान मिल जाता है। विद्यार्थी उसीकी नज़ल करते हैं। पुराने लोगों ने विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं किया है।

आज विद्यार्थी अपना भविष्य लड़खड़ाता हुआ देखता है। पढाई खत्म करने के बाद उन्हें बेकारी का शिकार बनना पड़ता है। अगर हम एक तरह का वाय प्रम चलायें कि बेकार नौजवानों को बेकारों का भत्ता दें और उनसे निर्माण का वाय करायें सड़क बनवायें मकान बनवायें तो बहुत सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। हमारे देश में न तो इंट की कमी है और न चूना गारा की। इनके लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक विद्यार्थियों की नौकरी नहीं मिलती तब तक हम उनसे सड़क-मकान आदि का निर्माण करा सकते हैं। इस प्रकार कम-से कम देश की एक समस्या—आवास की समस्या—ही हल हो सकती है। इसी तरह समाज-सेवा के लिए युवकों को समाजसेवी संगठन बनाये जा सकते हैं—एंगे संगठित दल जो खेती के कामों से लेकर निर्माण के कामों तक में हाथ बँटायें।

आज लगभग सभी पश्चिमी और पूर्वी यूरोपीय देशों में विद्यार्थियों का राष्ट्रीय संगठन है। हमारे देश में भी सन् १९५०-५१ में यह कोशिश की गयी थी कि सभी विद्यार्थी-यूनियनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय संगठन बना दिया जाय। लेकिन उस प्रयास को सरकार का कोई समर्थन नहीं मिला, जिससे यह कामयाब नहीं हो सका। बिना सरकार की मदद के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय संगठन चल नहीं

सकता। ३ प्रतिशत विद्यार्थी ही राजनीतिक दृष्टिकोण के होते हैं। ये तीन प्रतिशत 'डामिनेट' करते हैं। अगर विद्यार्थियों का एक राष्ट्रीय संगठन होता तो इन तीन प्रतिशत का प्रभुत्व कम हो जाता। दूसरे विषयों में विद्यार्थियों की रुचि भी बढ़ता, मसलन कला, साहित्य की गतिविधियों में और वे अपने को रचनात्मक आयोजना से जोड़ पाते।

विद्यार्थी में प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत कमतरता होती है। विद्यार्थी ने काम किया थाजादो के लिए। चीन पाकिस्तान के आक्रमण पर प्रतिक्रिया की। फिर भी उनका एक राष्ट्रीय चरित्र क्या नहीं बन सका। यहाँ के विद्यार्थी के मुकाबले फ्रांस का विद्यार्थी ज्यादा जान देनेवाला साबित हुआ। यहाँ विद्यार्थी छोटी-छोटी चीजों के लिए लड़ता है क्योंकि विद्यार्थी आन्दोलन को आदर्शवादी आन्दोलन रहन ही नहीं दिया गया। देश के नेताओं को विद्यार्थियों का राष्ट्रीय आन्दोलन खड़ा करना चाहिए, मगर वह उतारने नहीं किया। कांग्रेसवादी चाहते हैं कि विद्यार्थी-आन्दोलन उनकी मुट्ठी में ही बम्बूनिस्ट चाहते हैं कि उनकी मुट्ठी में ही और ससोपा के लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी आन्दोलन पर उनका प्रभुत्व रहे। छात्र विद्यार्थी-आन्दोलन के कारण ही यहाँ विद्यार्थी छोटी-छोटी चीजों के लिए लड़ता है। कभी थोड़े-से नम्बर बढ़वाने के लिए तो कभी किसी और बात के लिए, तो कभी किसी और बात के लिए। इसका विशाल राष्ट्रीय आन्दोलन होता तो वह छोटी-छोटी बातों के लिए न लड़ता।

छात्र क्या करें ?

नौजवान-आन्दोलन भी नहीं है। अगर कोशिश की जाय तो नौजवान आन्दोलन खड़ा हो सकता है लेकिन आसान नहीं है। दो चीजों को अलग करके देखना है। विद्यार्थी-आन्दोलन नौजवान-आन्दोलन नहीं है। अक्सर लोग इन दोनों को एक समझने की गलती करते हैं। आज अगर नौजवान आन्दोलन बन जाय तो हिन्दुस्तान की कई समस्याएँ हल हो सकती हैं। आज अगर उन्हें बहुमुखी कायम दिया जाय, उनमें वे जुग जायें तो उन्हें छोटी-छोटी बातों में उलझने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ तक नौजवान आन्दोलन का सवाल है युवा लोग जहाँ रहते हैं काम करते हैं वहाँ उनके संगठन बनें, केंद्र बलब बनें तो उनकी शक्ति संगठित होगी और इस शक्ति का उपयोग समाज हित में हो सकेगा और उनका आन्दोलन धीरे-धीरे विकसित होता जायेगा। जिस तरह मिलो से निकले हुए मजदूरों की एक शक्ति मानूँ पड़ती है, या स्कूल

नातेजो से छुट्टी होने पर जब विद्यार्थी बाहर निकलते हैं तो उन्हें इकट्ठा देसकर उनकी शक्ति का अहसास होता है उसी तरह नौजवानों की इकट्ठी शक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे बिलखे-बिलखे न रहे, किसी एक जगह इकट्ठा हो और किसी-न-किसी रूप में रचनात्मक कार्यक्रमों में अपने को लगायें।

विद्यार्थी-आन्दोलन के लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं विद्यार्थियों की समस्या के लिए मुख्य रूप से समाज के नेताओं को, राजनैतिक नेताओं को दोषी मानता हूँ। यूनियनों की सदस्यता को ऐच्छिक बनाने के अध्यादेश को मैं उचित मानता नहीं हूँ। इसका परिणाम यह होगा कि जो धनी विद्यार्थी हैं, या राजनैतिक दलों के लोग हैं, वे अपने पैसों से यूनियन बनायेंगे और फिर कहेंगे कि हम फर्लाने यूनियन की तरफ से बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी-संगठनों का विधान बदल दिया जाय। उन्हें स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का मौका दिया जाय। अध्यादेश में उसी विभाग की सलक है, जिसने विद्यार्थियों की अवहेलना की है। आप बुजुर्ग हो गये तो नौजवान को तिरस्कृत करने का अधिकार आपको मिल गया। नौजवान तो देश की आधी आबादी है।

अगर किसी देश का नौजवान पगला हो जाता है तो उस देश का भविष्य नहीं रह जाता। मैं फिर कहूँगा कि नौजवान-आन्दोलन का मतलब लोग नहीं समझते। नौजवान फँटरियों में हैं, सेतो में हैं, नौजवानों को उनकी रचि के अनुसार कार्यक्रम देने की जरूरत है। बेकारी की समस्या को मिटाने के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार कुछ करनेवाली है। नौजवान-आन्दोलन और विद्यार्थी-आन्दोलन अलग-अलग होने से उनमें कोई विरोधाभास नहीं होगा। विद्यार्थी आन्दोलन में भी हिस्सा ले सकता है और राजनीति में भी। आज बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संपत्ति को चोरी हो रही है। कान्ट्रेक्टर सबकें बनाने के लिए, बाँध बनाने के लिए जो पैसा लेते हैं उनमें से बहुत-सा धन वे खा जाते हैं। बड़ी योजनाओं पर खर्च होनेवाला राष्ट्रीय संपत्ति का एक छोटा-सा हिस्सा अगर विद्यार्थी-आन्दोलन पर खर्च किया जाय तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। ऐसा करके हम भविष्य के लिए भी कुछ कर रहे होंगे; यानी अगर भविष्य में अपनी राष्ट्रीय संपत्ति हमें बढ़ानी है तो यह जरूरी है कि विद्यार्थी और नौजवान की ओर आज जितना ध्यान दिया जाय। यद्यपि इससे बेकारी की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी, लेकिन कुछ तो हल होगी और जितनी मात्रा में हल होगी उतनी मात्रा में तनाव घटेगा।

विद्यार्थियों से हम आदर्श की तो मांग करते हैं, लेकिन हम स्वयं उनके सामने कैसा आदर्श रखते हैं। फिर भी मैं विद्यार्थियों को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ कि व हर बात पर बुडबुडाने की आदत छोड़ दें और अपने को सुधारने की कोशिश करें। जो नौजवान दस हजार रुपये का दहेज लेता है या जो हरिजन को नीच समझता है उसे कोई हक नहीं कि वह दूसरों की दुनिया भर की आलोचना करे। उह अपनी कमजोरियों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इस देश में स्टेशन जलाना बसों जलाना किसी तरह से भी उनके भविष्य की ऊँचा उठानेवाला नहीं है। मैं जब सन् ५३ में चीन गया था तो पोकिंग के मन्दिरों पुराने भवनों को देखकर मैंने कम्यूनिस्ट सरकार के अधिकारियों से पूछा कि य इतनी अच्छी हालत में कैसे हैं? इह देखकर लगता नहीं है कि देश गृह-युद्ध से गुजरा है। उन्होंने जवाब दिया कि हम चीनी पहले हैं साम्यवादी बाद में। यह हमारे देश की सपत्ति है इहे हम क्यों नष्ट करें? आज जो नक्सालवादी या नौजवान नेता देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं वे सोचें कि जब कम्यूनिस्ट चीन का नागरिक राष्ट्रवादी हो सकता है तो वे क्यों नहीं राष्ट्रवादी हो सकते। अगर वे इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आखिर किसकी सपत्ति नष्ट कर रहे हैं?

मेरी राय यह है कि किसी भी राजनैतिक पार्टी के नेता को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह नौजवान और विद्यार्थी-आन्दोलन को अपने चंगुल में ले। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का आन्दोलन समुक्त संगठित और गैर-पार्टी आन्दोलन हो और इस विद्यार्थी-संगठन की सदस्यता अनिवार्य हो। जितना ही विशाल आन्दोलन होगा उतना ही उत्तम आदर्शवाद आयेगा।

दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में हिन्दुस्तान का विद्यार्थी-आन्दोलन और नौजवान-आन्दोलन कुछ भी नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारी यात्रना में शिक्षा-व्यवस्था को बहुत निम्न स्थान दिया जाता है। दूसरे देशों में विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और शिक्षा-व्यवस्था को स्तरीय बनाने की पूरी कोशिश की जाती है।

आज जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थी अपने देश की समस्याओं से जुड़ें। इसमें शिक्षा की भूमिका बहुत बड़ी होगी।

['दिनमान' ३० अगस्त '७० से साभार]

छात्र-संघ : चिन्तन की आवश्यकता

श्रतुलरजन श्रीवास्तव

कुछ बड़े सतरे, जिनका मुझे अहसास हो रहा है, अब समय आ गया है, उन पर बहस की जाय, विश्वविद्यालय-छात्र-संघों के दिशा-निर्देश के लिए योग्य अध्यापकों का सहयोग प्राप्त होना व्यवस्था और छात्र-समुदाय दोनों के हित में है। योग्य प्राध्यापक भविष्य के नेताओं को सरकार और दिशा-निर्देश दे सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क लिये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय-प्रशासन द्वारा किसी प्रवक्ता को कोपाध्यक्ष नियत किया जाता है। अलावा इसके छात्र-संघ में एक वरिष्ठ प्राध्यापक, उपकुलपति अथवा कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा नामांकित सदस्य होता है। छात्र-संघ की कार्यवाहियों में उसकी उपस्थिति वांछित होती है। वह वस्तुतः छात्र संघ का सलाहकार होता है। उसकी सस्तुति कई कार्यवाहियों में आवश्यक होती है। इस रूप में योग्य प्राध्यापक का सहयोग छात्र-संघों के सम्कार और दिशा निर्देश के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा यूनियन के गठन में कोई सक्रिय सहयोग न होने से व्यवस्था और छात्र-संघों के बीच इस प्रकार का कोई संपर्क-सूत्र नहीं रह जायेगा।

यदि कोई यह समझता है कि यूनियन का गठन पैसों के अभाव में नहीं हो सकेगा, वह भ्रम है। क्या रिक्शा-यूनियनों और मजदूर-यूनियनों नहीं हैं? क्या उनकी सदस्यता अनिवार्य है? यूनियनों बनेंगी, परन्तु अब उनके विकृत होने का खतरा बढ़ गया है। अभी तक यूनियन-शुल्क शिक्षण-संस्थाएँ लेती थीं और उनके निरीक्षण में चुनाव सम्पन्न किये जाते रहे हैं। इस प्रकार एक शिक्षण-संस्था में एक ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री आदि होते थे, यानी एक ही यूनियन होती थी, अब वर्तमान स्थिति में जब हर छात्र को छात्र-संगठन करने का अधिकार होगा और तब यह आवश्यक नहीं होगा यदि एक ही शिक्षण-संस्था में एक से अधिक यूनियनों गठित हो जायें, जितनी राजनीतिवादी पार्टियाँ हैं। इस तरह एक शिक्षण-संस्था में कई छात्र संघ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि होंगे और कभी किसी छात्र-संघ के आवाहन पर, किसी अन्य के आवाहन पर हड़ताल, धरना आदि होंगे। यही नहीं, प्रतिस्पर्धी छात्र-संघों की टक्कर भी कुछ कम नहीं होगी। उनकी प्रतिस्पर्धा का रूप कुछ ऐसा होगा कि व्यवस्था, प्रशासन आदि पर कौन अधिक विकृत प्रहार करता है। सामान्य छात्र तो शायद शिर्षक अनिर्णय की स्थिति में होगा, परन्तु प्रशासन सम्भवतः किकर्तव्यविमूढ़ हो जायेगा।

अभी तक की व्यवस्था में बच संग्रह का कार्य शिक्षण-संस्थाएँ करती थी, अतः कोष का विवरण ज्ञात होता था। प्राप्त पैसे का बजट बनाकर उनका उपयोग किया जाता था तथा इसकी लेखाकार द्वारा जाँच भी सम्भव थी क्योंकि विश्व विद्यालय नियंत्रण करने की स्थिति में था। परन्तु अब इस प्रकार का नियंत्रण सम्भव नहीं रह गया है। निहित स्वार्थों के लिए युवा दम का उपयोग करने से होनेवाले राजनतिक लाभ का महत्त्व किसी राजनैतिक दल को बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार नियंत्रण के अभाव में राजनतिक पार्टियों और शिक्षण संस्थाओं के बाहर की किसी अन्य शक्तियों के लिए छात्र संघ का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेना सहज होगा। इस प्रकार छात्र आसानी से बरगलाये जा सकेंगे। वामपक्षी शक्ति के निर्माणकर्ता हैं और दक्षिणपक्षी भी आयात निर्यात को उचित मानते हैं। इन क्षत्रों को सम्भावना तात्कालिक है और यह भविष्य में और भी जटिल हो सकती है शायद विस्तृत भी।

[दिनमान' ६ सितम्बर ७० से साभार]

धनुस्तरजन धीवास्तव गोरखपुर उत्तरप्रदेश

आचार्यकुल का अभिमत

२२ ८ ७० को आगरा में आचार्यकुल की बैठक में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र सर्चा के विषय में अध्यादेश की चर्चा बनी और इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए आचार्यकुल ने तय किया कि अध्यादेश एवं उससे सम्बन्धित प्रश्नों का गहराई से अध्ययन करके आचार्यकुल निष्पक्षतापूर्वक अपना विचार जनता के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि लोगों को एक तटस्थ दिशा मिल सके।

इसी निर्णय के अनुसार आचार्यकुल के सर्वे सेवा सच, वाराणसी ने प्राणण में १९, २० और २१ सितम्बर १९७० को क्रमशः कानपुर और आगरा विश्व-विद्यालयों तथा काशी विद्यापीठ के उपकुलपतियों की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस गोष्ठी में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों, छात्र-प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों एवं अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के कारण उत्पन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किये। गोष्ठी में व्यक्त किये हुए विचारों पर चिन्तन करने के उपरान्त आचार्यकुल निम्नलिखित वक्तव्य दे रहा है :

- आचार्यकुल शिक्षा को शिक्षको, छात्रों एवं अभिभावकों का एक परस्पर दायित्व मानता है। इसलिए सरकार के किसी प्रकाशकीय 'आदेश', 'निर्देश', या 'अध्यादेश' के द्वारा शिक्षा-क्षेत्र में किसी भी ऐसे सुधार के प्रयत्न को जो उसके विभिन्न अंगों के दैनन्दिन जीवन एवं कार्यों को गभीर रूप से प्रभावित करता है, शिक्षा एवं लोकतंत्र के मूल्यों के विपरीत मानता है और यह भी मानता है कि अन्ततोगत्वा इससे कोई स्थायी लाभ नहीं होगा।

- शिक्षण संस्थाओं में राजनैतिक प्रयोजन के कारण हुए दलीय प्रवेश से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच शीत-युद्ध का वातावरण बनता है। आचार्य-कुल इसको शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि शिक्षा के लिए घातक भी मानता है क्योंकि इससे तात्कालिक समस्याएँ तो उलझती ही हैं, साथ-साथ शिक्षा के मूल्यों की स्थायी क्षति होती है।

- छात्र सच के स्वरूप एवं संरचना के प्रश्न का वास्तविक समाधान शिक्षक एवं छात्रों के सम्मिलित आत्म निर्णय से ही हो सकता है। इस दिशा में किसी बाह्य आदेश, निर्देश अथवा विधान की आवश्यकता नहीं है। आत्म-

निर्धारण के कारण उनके स्वरूपों में विविधता रह सकती है, और रहनी भी चाहिए। इस दिशा में एक से अधिक प्रयोग साध्य ही नहीं, बाध्यता भी है। इस दृष्टि से छात्र-सभ की सदस्यता की अनिवार्यता या वैकल्पिकता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हर व्यक्ति में यह अधिकार निहित है कि वह किसी सभ अथवा सगठन का सदस्य हो या न हो। आचार्यकुल का दृढ़ मत है कि बाहरी शक्ति का प्रयोग आत्मानुशासन के विकास में सहायक नहीं, बाधक होता है। आत्मानुशासन का प्रशिक्षण एवं अभ्यास दायित्व निर्वाह के अधिकाधिक अवसरों के द्वारा ही संभव है।

• छात्र-सभ छात्रों में सामाजिकता के विकास एवं लोकतंत्र के अभ्यास का एक शक्तिशाली माध्यम है। वह शिक्षा का एक अविभाज्य अंग ही है। परन्तु छात्र सभ का प्रश्न भी शिक्षा के समग्र रूप से जुड़ा हुआ है इसलिए उसे पृथक् करके कभी नहीं सोचा जा सकता है। अतः आचार्यकुल का मत है कि शिक्षा की सम्पूर्ण संघटना में आन्तक एवं तात्कालिक परिवर्तन किया जाय।

• आचार्यकुल युवा शक्ति का स्वागत करते हुए आशा करता है कि युवकों की विद्रोह भावना सज्जनतात्मक दिशा में विकसित एवं विस्तृत होगी और अपनी समस्याओं के समाधान में राष्ट्र एवं मानव जीवन के व्यापक सन्दर्भ को स्वीकार करेगी।

—वशीधर श्रीवास्तव

संयोजक

केन्द्रीय आचार्यकुल

आचार्यकुल की प्रतिक्रिया

राममूर्ति

सरकार शिक्षण की समस्या को भी 'शान्ति और सुव्यवस्था' (एन ऐण्ड आर्डर) की समस्या समझती है और उसे वानून और पुलिस की शक्ति से हल करने की कोशिश करती है। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों में विद्वयविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र सभ जिस तरह संगठित हुए हैं, और उनकी ओर से जो कांड हुए हैं उनके कारण शान्ति और सुव्यवस्था की समस्या पैदा हुई है और सरकार को अपनी दमन-शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। एक बार दमन-चक्र चल जाता है तो वह समय और विवेक की सीमा में सब तक रहेगा, यह कहना कठिन होता है, खासकर आजकल जब विद्यार्थी और सिपाही दोनों एक-दूसरे को दुश्मन मानकर खुला, निर्भय प्रहार करना सीख गये हैं।

विद्यालयों के तहसू अपने अनिवार्य छात्र-सभों के तत्वावधान में संगठित होकर विद्यालयों के अधिकारियों और सरकार के लिए सिर दर्द हो गये थे। यह सिर-दर्द बहुत बढ जाता है जब छात्र-सभ सरकार के विरोधी राजनैतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में कई छात्र-सभ एस० एस० पी० और जनसभ से जुड़े हुए हैं। ये सभ अपने अपने दल से दलगत राजनीति की सीख प्राप्त करते हैं, और विद्यालय के भीतर कई काम ऐसे करते हैं, जो बाहर की राजनीति के रंग में रंगे होते हैं। इससे स्थिति यह हो गयी है कि एक एक विद्यालय में अलग अलग दलों के गुट बन गये हैं। इनमें शिक्षक और कायाबलों के शेरक तक शामिल हैं। उनके माध्यम से राजनैतिक दलों का विद्यालयों के जीवन में प्रवेश होता है, और विद्यालयों में वस्तुतः शीतयुद्ध का वातावरण बना रहता है। राजनैतिक गुटों के अलावा जाति और सम्प्रदाय के गुट तो हैं ही। वर्णों के भी हैं। गुटबन्दी का अन्त नहीं है।

सम्भवतः इस रियति को समाप्त करने की नीयत से श्री चरण सिंह की सरकार ने कुछ दिन पहले एक अध्यादेश जारी किया कि छात्र सभ अनिवार्य न रहकर ऐच्छिक होंगे, और विद्यालयों की ओर से छात्र-सभ की फीस आदि नहीं इकट्ठा की जायगी। जो छात्र चाहे अपना मध बनायें और धन इकट्ठा करें।

छात्रों ने सरकार के अध्यादेश को युवा शक्ति पर प्रहार माना, और प्रतिकार किया। कुछ राजनैतिक दलों ने छात्रों का समर्थन किया। कई नेता और छात्र जेल भी गये। अध्यादेश अशान्ति और तनाव का विषय बन गया।

भाचार्यकुल ने अध्यादेश तथा छात्र-संघों की अनिवायता और वैकल्पिकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए वाराणसी में १९, २०, २१ सितम्बर को एक मिली-जुली गोष्ठी और अलग अपनी बैठक बुलायी। गोष्ठी में कई दलों के नेता, छात्र, आचार्य और सामाजिक कार्यकर्ता शरीक हुए और दो दिन तक विचारों का—परस्पर विरोधी विचारों का—भरपूर मथन हुआ। आचार्यकुल के तिवाय दूसरे किसी मंच पर ऐसा होता सम्भव नहीं था।

गोष्ठी के बाद आचार्यकुल ने अपना जो वक्तव्य प्रकाशित किया है उससे उसकी तटस्थता और पक्ष मुक्ति तो झलकती ही है साथ ही विद्यालय सरकार, सरकार-छात्र संघ, शिक्षक विद्यार्थी आदि के परस्पर सम्बन्धों पर एक नयी भूमिका मिलती है। हर प्रश्न पर तटस्थ भूमिका प्रस्तुत करना आचार्यकुल का काम है जिसे उसने एक तात्कालिक समस्या के अनुबन्ध में पूरा किया है।

आचार्यकुल को विद्यालय के जीवन में सुधार की दृष्टि से सरकार का हस्तक्षेप अमान्य है। अगर विद्यालय शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक का सम्मिलित उत्तरदायित्व है—निस्सन्देह वह है—तो उन्हें विद्यालय का हर प्रश्न आपस में मिलकर तय करना चाहिए। सब विद्यार्थियों के लिए एक संघ रखना है तो वे आपस में तय करें कि एक संघ रखेंगे, अगर एक से अधिक संघ रखना है तो ऐसा निर्णय करें। किसी भी हालत में विद्यार्थी अपने संघ के लिए सरकार की शक्ति के मुहताज क्यों हों ?

लोकतंत्र और विज्ञान की दृष्टि से सर्वोच्च मान्दोलन ने शिक्षण की स्वायत्तता को अपनी शान्ति का एक बुनियादी सत्व घोषित किया है। यह स्वायत्तता विद्यालय तक पहुँचकर समाप्त नहीं हो जाती बल्कि हर शिक्षक और विद्यार्थी तक पहुँचती है। स्वायत्तता आत्ममानुशासन की शक्ति है। इस शक्ति की पूर्ति की अपेक्षा तभी की जा सकती है जब विद्यालयों में सरकार का हस्तक्षेप और नियंत्रण समाप्त हो। सरकार का ही नहीं, राजनैतिक दलों का भी। राजनैतिक दल विद्यालयों में खुला खेल खेलें, और उनके प्रभाव के विद्यार्थी वहाँ जो चाहे करें, और सरकार स्वायत्तता के नाम में असहाय होकर बाहर खड़ी देखती रहे यह स्थिति समाज को बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए आचार्यकुल

ने हर प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध भावाज उठाने उचित और आवश्यक काम किया है ।

छात्र सघों के संगठन का प्रश्न शिक्षण-क्षेत्र के अनेक प्रश्नों में से एक है । एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है । शिक्षण की स्थिति बिगड़त बिगड़ते यहाँ तक बिगड़ गयी है कि एक एक प्रश्न को अलग अलग हल करना सम्भव नहीं दीखता । पूरे शिक्षण को जड़ से बदलने की जरूरत है । स्वतंत्रता के बाईस वर्ष बीत गये और शिक्षण वह ही रह गया जो अंग्रेजी राज्य में था इसे देशद्रोह भी कहा जाय तो भी थोड़ा है ।

हमारे विद्यालय शिक्षण की दृष्टि से चाहे जितने निकम्मे हो देश के लाखों तरुण और युवक उनमें पड़े हुए हैं । वे हताशा के शिकार हैं । मंदीकुले गन के बाद विद्यालय के जीवन का हर दिन याद दिलाता है कि विद्यालय से निकलने के बाद समाज में उनके लिए स्थान नहीं है । हमारा विद्यार्थी आज तक इस स्थिति को स्वीकार करता रहा है लेकिन अब उसके अन्दर से अस्वीकार का स्वर निकलने लगा है । वह परिवर्तन की माँग कर रहा है । वह विद्रोह करने पर उतारू हो रहा है । जब कि बड़े घणास्थिति (स्टेटसको) से घिपके रहना चाहते हैं युवकों की यह विद्रोह भावना देश के भविष्य के लिए आशा का एक चिह्न है । इस युवा शक्ति और विद्रोह भावना की रक्षा होनी चाहिए । वह राष्ट्र की पूजा है जिससे समाज परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होगी । आचार्यकुल इस सत्य को स्वीकार करता है और युवकों से आशा रखता है कि वे देश के जीवन की मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे और अपनी समस्याओं को व्यापक राष्ट्रीय और मानवीय सदन में देखेंगे । आयु के आधार पर पैदा होनेवाला नये और पुराने के बीच का दुराव भी बहुत कुछ दूर हो जायेगा ।

विद्यालयों में जो अनैतिह होती है उसका विरोध उचित है । अनाचार का प्रतिकार होना ही चाहिए । लेकिन समाज परिवर्तन के व्यापक सदन में विरोध और विद्रोह में बुनियादी भेद है । हमारे युवक जिस दलगत राजनीति से विरोधवाद की प्रेरणा ले रहे हैं उसमें विद्रोह शक्ति नहीं है । हमारी राजनीति वस्तुतः सत्तावादी और यथा स्थितिवादी है । हमें आशा है कि विद्रोही युवक इस भ्रम को समझेंगे, और समझकर क्रांति का राही रास्ता अपनायेंगे ।

विद्यालयों में अनेक विषय हैं जिनकी पढाई और परीक्षा होती है—जैसी भी होती हो । कहा जाता है कि छात्र सघों से लोकतंत्र का शिक्षण प्रशिक्षण

होना है। क्या राजनैतिक तिरुडम ही लोकतंत्र में एक चीज है जो सीखने लायक है? लोकतंत्र की भावना इस बात में है कि नागरिक जाने कि वह आत्मानुशासित होने हुए अक्सर आने पर विरोध कैसे करेगा, और अगर विरोध करने से काम न चला तो विद्रोह कैसे करेगा। गांधीजी ने देश को सत्याग्रह की दीक्षा दी थी। वह दीक्षा आज किस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में दी जा रही है? लोकतंत्र जिस विद्रोह के लिए अक्सर देता है, और विज्ञान जिसकी मांग कर रहा है, उसकी उचित दीक्षा हमारे विद्यालयों के जीवन का अंग न हो तो मानना चाहिए कि ये विद्यालय लोकतंत्र और विज्ञान से कौसो कौसों दूर हैं। लोकतंत्र और विज्ञान के सद्म में समग्र शिक्षा के प्रश्न पर अमात्र की आचार्यकुल से नये प्रकाश की अपेक्षा है। •

सम्पादक मण्डल

श्री घीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

धर्म १९

अथ ३

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

छात्र सघ अध्यादेश उद्देश्य

और कारण

९९

सन्देश

१०० श्री सुमित्रानन्दन पंत

सन्देश

१०१ श्रीमता महाश्रीया वर्मा

छात्र-सघ की रूपरेखा प्रश्नोत्तर

१०२ श्री घीरेन्द्र मजूमदार

अध्यादेश तथा युवा विद्रोह

१०३ श्री ६ (मेश्वरप्रसाद बहुगुणा)

छात्र-समस्या एक राष्ट्रीय समस्या

११३ डा० रामजी सिंह

अध्यादेश का अनौचित्य

११६ श्री कृष्णनाथ

छात्र सघ एष्टिक बनाम अनिवाय

१२० श्री नागेश्वर प्रसाद

स्वतंत्रता बनाम अनिवाय सदस्यता

१२४ श्री नारायण देसाई

गोष्ठी की रिपोर्ट

१२६ श्री वशीधर श्रीवास्तव

छात्र और नौजवान आन्दोलन

१३० श्री रामकृष्ण सिंहा

छात्र-सघ चिंतन की आवश्यकता

१३६ श्री अतुलरजन श्रीवास्तव

आचार्यकुल का अभिमत

१३८ श्री वशीधर श्रीवास्तव

आचार्यकुल की प्रतिक्रिया

१४० श्री राममूर्ति

अनुवर ७०

निवेदन

- नयी तालीम' का वष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम का वार्षिक चर्चा छ रुपये हैं और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास षट् सव सेवा सघ की ओर से प्रकाशित अमलकुमार वसु
इण्डियन प्रेस प्रा० लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

आप अवश्य ग्राहक बनिए

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

ग्रहिसक क्रान्ति का मन्देशदाहक, साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

सम्पादक : राममूर्ति

वार्षिक चन्दा : १० रुपये

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशदाहक, पाक्षिक

सम्पादक : राममूर्ति

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की आवाका मन में है तो 'गाँव की आवाज' अवश्य पढ़िये।

वार्षिक शुल्क : ४ रुपये

पत्रिका विभाग

सर्व सेवा संघ

राजघाट, वाराणसी-१

नवी तालीम : अक्टूबर, '७०

पढ़ने से हाथ-म्यप दिने बिना भ्रमने की स्वोक्ति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

नियेदन

२ अक्टूबर १९६६ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी चासु है। गांधीजी की वाणी घर घर में पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की धर्म मोक्ष, बाप तथा विश्वरो से सम्बद्ध लगभग १५०० पृष्ठों का उज्ज्वलोटि का थोर चुना हुआ साहित्य-सेट केवल रु० ७-०० में देने का निर्णय किया गया है तथा लगभग १००० पृष्ठों का रु० ५-०० में।

सेट न० २, पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६६-१९१६	गांधीजी	१-००
२-बापू बचपन १९२०-१९४८	हरिभाऊजी	२-५०
३-तीसरी दृष्टि १९४८-१९६६	विनोबा	२-५०
४-गीता-बोध व मंगल प्रभात	गांधीजी	१-००
५-मेरे सपनों का भारत सक्षिप्त	गांधीजी	१-५०
६ गीता प्रवचन	विनोबा	२-००
७-सद्य प्रकाशन की एक पुस्तक		१-००
		<u>११-५०</u>

यह पूरा साहित्य सेट केवल रु० ७-०० में प्राप्त होगा। एक साथ २८ सेट लेने पर की डिलीवरी मिलेगा

सेट न० १, पृष्ठ १०००, रु० ५-००

उपर की प्रथम पाँच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य सेट केवल रु० ५ ०० में प्राप्त होगा। एक साथ ४० सेट लेने पर की डिलीवरी जायगा। अन्य बंयोक्षण नहीं।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन-राजघाट, धारापत्ती १



वर्ष : १९

अंक : ४

✓ गांधीजी के शैक्षिक चिन्तन की प्रासंगिकता
गणित शिक्षण कुछ व्यावहारिक सुझाव
७० करोड विस्मृत मस्तिष्क
निरक्षरता निवारण

नवम्बर, १९७०

ग्रामस्वराज्य कोष की अवधि ३१ दिसम्बर '७०

तक के लिए सर्व सेवा सघ की
प्रबन्ध समिति ने बढ़ायी है।

मुक्त हस्त दान दीजिये और
१ करोड़ पूरा कीजिये

शिक्षकों का गौरव

विनोबा

भगवद्गीता में कहा है :

‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्सदेवेतरो जन ।’

प्रयत्न श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, उसे देखकर दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार ज्ञानपूर्वक हुआ करता है, पर अन्य लोगों का व्यवहार अज्ञानपूर्वक होता है। श्रेष्ठ पुरुष ज्ञानपूर्वक जहाँ पहुँचा है, वहीं अज्ञानपूर्वक काम करनेवाला भी पहुँचेगा। जो कार्य राम कर सकते हैं, वही हनुमान भी। इसी दृष्टि से सामान्य शिक्षक अज्ञानपूर्वक काम करें, पर आप ‘शिक्षकों के शिक्षक’ कहे जानेवाले लोगों पर विशेष जिम्मेदारी धाती है। आप कोई काम ज्ञानपूर्वक करेंगे, जब कि शेष शिक्षक आपका अनुकरण करेंगे।

कभी-कभी अज्ञानानु पुरुष तर जाता है और ज्ञानवान् डूबता है। एक ज्ञानी पुरुष थे। उन पर किसीने आत्मन्त अज्ञा रखी। एक दिन उस ज्ञानी ने उपदेश दिया कि ‘यदि मानव में अज्ञा हो तो वह पैदल नदी पार कर सकता है।’ एक बार नदी में बाढ़ आयी तो वह अज्ञानु पुरुष अज्ञा रखकर पैदल ही नदी पार कर गया। उसे तनिक भी शका नहीं हुई कि हमें पानी डुबा देगा। ज्ञानी को इसका पता चला। उसे भी एक दिन नदी पार जाना था। वह भी पैदल नदी पार करने लगा। कुछ दूर चलने पर ज्यों ही उसके मन में शका आयी कि पानी का गुण तो डूबना है, त्यो ही वह डूब गया। अज्ञानु के मन में वैसी शका आयी ही नहीं। इसलिए वह नदी पार हो गया, तर गया।

और एक बात है। आप जिन बच्चों को शिक्षा देंगे, उनके प्रति आपके मन में माता ता प्रेम और आचार्य-सा ज्ञान का भावना भी होना चाहिए। माता के पास ज्ञान नहीं होता, प्रेम होता है। किन्तु आपमें दोनों हों। बच्चा माँ का प्रेम पा सकता है पर उससे सलाह नहीं ले सकता। पर आपसे वह सलाह भी लेगा। इसलिए वास्तव्य भावना से सिखाना आपका धर्म है। इसे धार धली,

भक्ति निभा पाये, तो आपमें प्राचीन काल के गुरु का दर्शन होगा। जरा कुछ भी सन्नट पड़ा, तो प्राचीन काल का विद्यार्थी गुरु के पास सलाह लेने जाया करता था।

इस तरह शिक्षक गुरु के सलाह-मशविरों से भारत प्रगति के पथ पर रहा। मीराबाई पर जब सन्नट आया, तो उसे किसी भले घाटमी की सलाह लेने की इच्छा हुई। उसने तुलसीदासजी से सलाह लेने का तय किया। कारण, उन दिनों तुलसीदास की मखिन भारत में स्वाति थी। यह एक प्रतिप्रतिद्ध पत्र है। तुलसीदासजी ने उसे सलाह दी

जाके प्रिय न राम-वैदेही।

तजिये ताहि कोटि बेरी सम जयपि परम सनेही ॥ ..

धोर अन्त में लिखा ये मतो हमारो। साराण, आपको यह पसन्द पड़े तो करें। आखिर तुलसीदास की सलाह मानकर मीराबाई ने घर त्याग दिया। लोगो में यह बात प्रतिद्ध है। भारत में जब ऐसे गुरु थे, तभी भारत उन्नति के तिसर पर था। ये समाज को शिक्षा देते धोर निरपेक्ष भाव से सलाह भी दिया करते थे। शकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि सन्न सर्वत्र विचरण किया करते। बाबा की आज जो महिमा है, वह भी उसके विचरण के ही कारण।•

गांधीजी के शैक्षिक चिंतन की प्रासंगिकता

श्री के० श्रीनिवास आचार्य

सामान्य रूप से नये युग के लिए और विशेष रूप से शिक्षा के लिए गांधी-विचार की सामयिक उपयोगिता क्या है, इस विषय पर भारतीय विश्वविद्यालयों ने गांधी-शताब्दी वर्ष के दौरान कई विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया। मैं अपने इस लेख में इस बात की परख करना चाहता हूँ कि गांधी के शैक्षिक विचारों के अनुसार विश्वविद्यालयी शिक्षा को किस हद तक नया रूप दिया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय हैं—

१ विश्वविद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य और कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय अहिंसा और सत्य को बुनियादी मूल्यों के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि विश्वविद्यालय में एकाधिकारमूलक सत्ता, केन्द्रीकरण, चिंतन के क्षेत्र की एकरूपता, प्रतिद्वन्द्विता की भावना, एकांगीपन, सम्प्रदायवाद, शानशोक तथा चमकदमक की उपासना और हिंसा के प्रति सन्निक भी पक्षपात नहीं दिखाया जायेगा। विश्वविद्यालय को सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों पर अडिग रूप से स्थिर रहना होगा, चाहे इसके जो भी परिणाम भुगतने पड़ें।

२ पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप प्राप्त होता है। शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी ने जीवन-केन्द्रित पाठ्यक्रम, साम-वायिक शरीरधर्म, सामुदायिक जीवन और सामाजिक वातावरण का सुझाव दिया था। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में गांधीजी की पद्धति असाधारण रूप में व्यावहारिक है, लेकिन विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय की शिक्षा के ज्ञान के कुछ ऐसे दायरे हैं जिनका जीवन की परिस्थितियों से उतना सम्बन्ध नहीं है जितना शुद्ध चिंतन-मनन से है। किन्तु विश्वविद्यालय के विषयों में ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें समुदाय पास-पड़ोस और देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से गहरे रूप में अनुबन्धित होना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि, प्रायोगिक तथा विक्रिस्ता विज्ञान के सक्रिय परिपूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा जीवन-केन्द्रित बनाये जा सकते हैं। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रचलित पाठ्यपुस्तकें स्थानीय परिस्थिति को दृष्टि से नये सिरे से लिखी जानी चाहिए। जैसी पाठ्यपुस्तकें आज चल रही हैं वे तो पश्चिम में प्रचलित पुस्तकों से मिलती-जुलती सी हैं। मेरा सुझाव यह है कि पाठ्यपुस्तकों में न केवल विवरणमय उदाहरण भारत के जीवन, वातावरण और

परिस्थितियों में से जिये जायें, बल्कि विषय के प्रतिपादन और बुनियादी सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति में भी विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण की झलक रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए वृषिशास्त्र को लें। सभी वृषि महाविद्यालयों में वृषि को उत्पादन, उपभोग, बाजार नयी यांत्रिकी का अंग माना जाता है। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार वृषि व्यावसायिक क्रियाकलाप न होकर एक जीवन-पद्धति है, मनुष्य को मुक्त करने की अनेक पद्धतियों में से एक पद्धति है। हम इस बात को नहीं भूलेंगे कि आधुनिक यंत्रों से वृषि का अधिक उत्पादन बढ़ता है और मानवीय आवश्यकताओं की अधिक आपूर्ति होती है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय उपनिषदों से ध्वनित अथ प्राणियों के प्रति आरम्भिकता की भावना के प्रति भी हम झल्लें नहीं भूलेंगे जिसने सारे 'संसार को ईश्वर का आवास' माना है।

वैज्ञानिक यांत्रिकी का मानवीय वातावरण पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए प्राध्यापक सेयन वाइट ने पश्चिम के धार्मिक विचारों को उत्तरदायी माना है। उन्होंने प्रकृति के प्रति एक नये धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो संत फासिस के धार्मिक विचारों से साम्य रखता है। जो लोग मानते हैं कि अर्थशास्त्र में नाथोवादी दृष्टिकोण जैसी कोई बात नहीं है, उन्हें हम मजता-पूर्वक डा० शुमाखर द्वारा लिखित 'माध्यमिक प्रायोगिकी तथा 'बौद्ध अर्थशास्त्र' का अध्ययन करने का सुझाव देंगे। यहाँ पर विनोबा की इस मान्यता का स्मरण दिलाना भी प्राथमिक है जिसके अनुसार दर्शन, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के दायरे में हमारी परम्परा पश्चिम से बहुत आगे पहुँची हुई है।

पाठ्यक्रम के बारे में एक बात और कहनी है। आज हमारे देश में विज्ञान और यांत्रिकी की महिमा का शृणुगान करने और परम्परा से प्राप्त ज्ञानार्जन के प्रति होनता की भावना पैदा करने की व्यापक प्रवृत्ति पायी जाती है। इसका परिणाम यह है कि हम लोग मानवीय मूल्यों तथा मानवीय विषयों के अध्ययन के प्रति अपनी आस्था बड़ी तेजी से समाप्त करते जा रहे हैं, और जैसा कि गेराल्ड साइक्स ने कहा है, अब स्थिति यह आ गयी है कि जो लोग अपनी रक्षा के लिए यांत्रिकी की ओर दौड़ते थे वे ही भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि वह उनकी यांत्रिकी से रक्षा करें। डाक्टर कोठारी ने अपने हाल ही के एक भाषण में कहा है कि आज विवेक, कृपा और आत्मशान्ति के लिए युग को विज्ञान और गांधी की आत्यंतिक आवश्यकता है। हमें इस चिंतावनी को समझना चाहिए।

३ कार्यानुभव को आज शैक्षिक दृष्टि से एक ऐसा अपरिहार्य सिद्धांत माना जा चुका है जिसे प्राथमिक से विश्वविद्यालय-स्तर तक के पाठ्यक्रम का अविभाज्य

अंग बनना चाहिए। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में छेतों, कारखानों और कमशालाओं का अनुभव दिलाने के अतिरिक्त कुछ उपयुक्त उत्पादक उद्योगों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। कार्यानुभव के मामले में वास्तविक कठिनाई विश्वविद्यालय-स्तर की शिक्षा के प्रसंग में सामने आती है जहाँ समय की बहुत कमी रहती है ज्ञान का क्षेत्र बराबर बढ़ता जाता है और छात्रों की सख्या भी सदैव बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के उत्पादक-कार्य की शिक्षा देना कठिन हो सकता है। किन्तु वहाँ भी कृषि, अभियांत्रिकी, चिकित्सा और वाणिज्य सकार्यों में कार्यानुभव का समावेश अच्छी तरह हो सकता है। खेत और बाग-बगीचों में विद्यार्थी व्यवस्थित रूप से श्रमिकों की तरह काम कर सकते हैं। इस तरीके से स्वावलम्बन के सिद्धांत का बहुत हद तक पालन हो सकता है। अभियांत्रिकी के छात्रों को हर प्रकार की मशीनें चलाने, मरम्मत करने और नयी मशीनें बनाने की कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ ही उत्पादन की प्रक्रियाओं का प्रारम्भ से अंत तक का परिचय होना चाहिए। चिकित्सा-विज्ञान के छात्रों का कार्यानुभव महाविद्यालय के निजी चिकित्सालय से प्रारम्भ होकर पास-पड़ोस के बीमार लोगों की देखभाल और पड़ोसी इलाके के चुने हुए गाँवों में सफाई के कार्यक्रम पूरे करने तक व्याप्त रहेगा। सफाई-सम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर पूरे किये जायेंगे। छात्र साधारण चिकित्सा के काम में आनेवाली वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का छोटा-सा बगीचा लगवाने और लोगों में बाँटने के लिए साधारण दवाएँ तैयार करने का काम भी करा सकेंगे।

वाणिज्य के छात्रों का कार्यानुभव अपने महाविद्यालय के पत्र-व्यवहार, हिासब-किताब और हिमाव की जाँच से सम्बद्ध होगा। वे अपने महाविद्यालय के दूसरे सकार्यों का हिासब सम्बन्धी कार्यानुभव भी प्राप्त करेंगे। इन्हें अतिरिक्त वे सहकारी समितियों और बैंकों के काम का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। अर्थ-शास्त्र तथा समाजशास्त्र के छात्र पास-पड़ोस का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, स्थानीय परिस्थिति के बारे में प्रतिवेदन तैयार करेंगे, स्थानीय समुदाय के लोगों से उनके विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनका सहयोग प्राप्त करके विकास की अन्य समस्याओं के साथ स्थानीय विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेंगे।

४ कोठारी-बायाण ने सस्तुति की थी कि बुनियादी शालाओं ने सामुदायिक जीवन की जिस परम्परा का प्रारम्भ दिया था उसे सभी विद्यालय और महा-विद्यालयों में प्रतिष्ठित करना चाहिए। विद्यालय और महाविद्यालय के प्रांगण में छात्र जो सामुदायिक जीवन बिताते हैं उसकी शिक्षा के माध्यम के रूप में विशेष

महत्ता है यह नयी तालीम जोर के साथ बढ़ती है। शिद्या-शास्त्री मानते हैं कि पारस्परिक प्रेम, पढोसोपन और आत्मानुशासन के गुण और सामाजिक कायकुशलता बढ़ानेवाले ऐसे कार्यक्रम जो किशोरो म उत्तरदायित्व की भावना पदाते हैं स्वाक्ष शिक्षण के लिए बडी अनुकूल परिस्थिति वा निर्माण करत हैं। लेकिन हमे यह स्मरण रक्षना होगा कि महाविद्यालयो को वास्तविक समुदाय के रूप म विनसित करने से ही ऐसा सम्भव होगा। विद्यालयी स्वामत्त-शासन एक दिक्षावा या नाटक का गणतन्त्र नहीं होना चाहिए। यह वस्तुत वास्तविक उत्तरदायित्वपूर्ण और सहकारमूलक समुदाय होना चाहिए। आजकल विश्वविद्यालयो के क्रियाकलापो मे वहाँ के छात्रो का कोई वास्तविक उत्तरदायित्व नहीं है इसीलिए आज के विश्व-विद्यालय छात्र असतोप के आवास-गृह बने हुए हैं। महाविद्यालयो के सामुदायिक जीवन मे छात्रों को सहभागी बनाकर उनकी दबी और उद्दाम भावना, गाली-गलौज तथा मारपीट की आदत को स्वस्थ और परस्पर-सहायक प्रवृत्तियो म परिवर्तित किया जा सकता है।

५. कोठारी शिक्षा-आयोग ने संस्तुति की है कि शिक्षा संस्थाएँ पढोसी समुदाय की सेवा मे शिक्षण के अनिवाय कार्यक्रम के रूप मे भाग लें। शिद्या-आयोग ने कहा है कि शिक्षण-संस्थाओं द्वारा ऐसे कार्यक्रमो के कार्यान्वयन से शिक्षितो और समाज के बाकी लोगो के बीच परस्पर सहायक भावना पदा होने मे सहायता मिलती है। इससे छात्रो मे सामाजिकता और आम विश्वास की प्रतीति जगेगी और छात्रो को यह अनुभूति प्राप्त होगी कि वे समुदाय के जीवन और कार्यक्रमो म सहभागी हैं। शिक्षा आयोग ने यह भी संस्तुति की है कि महाविद्यालय के छात्रों को स्नातक का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पूव निश्चित रूप स किसी राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मे ६० दिन का समय देना चाहिए।

गांधीजी ने कहा था कि शिक्षा अपरिहार्य सामाजिक सेवा है। आज के युग की यह एक बहुत बडी चिहम्बना है कि महाविद्यालय के लोग समुदाय से अपने को बिलकुल अलग मानते हैं। आमतौर से महाविद्यालय के लोग अपने को और लोगों से अलग रखते हैं। वे यह मानते हैं कि उन्हें अपने विचार भावना और कार्यक्रम के दायरे के बाहर हर्गिज नहीं जाना चाहिए। उनके इस रवये के कारण गैर जिम्मेदारी निष्क्रियता और आत्मवचता बडी है और सामाजिक कार्यक्रम इन सबका एक ही इलाज है। आज से अनेक वर्ष पूव १३ अक्टूबर १९३७ को गांधीजी ने लिखा था कि शिक्षा का समापन सेवा मे होना चाहिए और यदि अव्ययन काल मे छात्रा को सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो तो उन्हें उस अवसर को एक ऐसा दुलभ अवसर मानना चाहिए जो उनकी शिक्षा के लिए बाधक होकर

पूरक है। गांधीजी की शिक्षा-योजना पड़ोस के समुदाय की और उसीके लिए थी। उनके लिए सामाजिक सेवा शिक्षा की आवश्यकता थी।

६. गांधीजी चाहते थे कि धर्म की शिक्षा युवकों के प्रशिक्षण के अनिवार्य अंग के रूप में रहे। अपनी समझ बढ़ाने के लिए छात्रों को अपने तथा दूसरे धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए। छात्रों के मानस में यह भाव आना चाहिए कि वे सभी धर्मों के प्रति आदर रखें। चूंकि सत्य और अहिंसा धर्म का मुख्य तत्त्व है, अतः जो भी वस्तु इन दोनों गुणों को बढ़ावा देती है वह धर्म शिक्षा का साधन है। गांधीजी मानते थे कि बुद्धि और हृदय का शिक्षण पूणतया शिक्षक के जीवन और चरित्र पर निर्भर करता है।

हमारे विद्यालय तथा महाविद्यालय न केवल सभी धर्मों के बुनियादी सिद्धान्तों की पुनर्तत्त्व भावना के साथ शिक्षा दें, बल्कि सत्सत्ता की चहारदीवारी के भीतर धार्मिक वातावरण बनायें। सब धर्म उपासना, मोन प्रार्थना और ध्यान, समस्याओं का अध्ययन और चर्चा, जीवन की उलझनों को सुलझाने में सहायता, सभी धर्मों के मुख्य त्योहारों की मनाना, दार्शनिक चर्चाएँ करना, रहस्यवादी विचारधारा के महापुरुषों और युगद्रष्टाओं के जीवन का अध्ययन आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा सत्सत्ता के भीतर धार्मिक वातावरण बनाया जा सकता है। सत्सत्ता के भीतर सादगी और आत्मानुशासन के वातावरण का होना नैतिक वातावरण के बढ़ावे का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। यह याद रखना होगा कि सादगी का अर्थ गरीबी नहीं है। जैसा कि श्री शंकरराव देव ने एक बार इशारा किया था, सादगी चेतना की सुगन्ध है। अच्छे शिक्षकों के जीवन का दृष्टान्त धार्मिक शिक्षण का एक अमोघ उपाय है। चरित्र पुस्तकों के पृष्ठों में नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के सजीव सम्पर्क और प्रेरणा में निहित होता है जो धर्म का आदर करते हैं। हम कौतुक के साथ देखते हैं कि विश्वविद्यालय के लोग अपने पहरावे, रोजमर्रा के जीवन रहनसहन और आसो-प्रसो की आदतों में इस हद तक विदेशियों की नकल करते हैं कि उनसे कम भाग्यशाली लोगों को उनसे ईर्ष्या होती है। यदि छात्रगण शिक्षकों का मसोल उठाते हैं तो हम शिकायत क्यों होती चाहिए? इस प्रश्न में यह सुचना आश्वासक न होगी कि यदि छात्रगण प्रतिदिन सूत्रयज्ञ का अभ्यास कर लें तो यह उनके लिए एक आदर्श आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा जिसके द्वारा उनका आत्मानुशासन बढ़ेगा।

विश्वविद्यालय के प्राण में स्वस्थ नैतिक वातावरण बनाये रखने में इस बात का भी महत्व है कि वह कहाँ पर बना है। विनोबा सोचते हैं विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए गाँव बहुत उपयुक्त स्थान हैं। यह भी एक सम्मत्ता है कि क्व

ऐसे विश्वविद्यालय से पूर्णतः संतुलित व्यक्तित्ववाले व्यक्ति तैयार हो सकते हैं जिसके स्नातकोत्तर में मिट्टी की नैतिकता के लिए आदर-भावना का विश्वास नहीं हो पाया है। आल्डो लियोपाल्ड ने इसे 'भूमि की नैतिकता' की संज्ञा दी है जिससे उनका आशय मिट्टी, पेड़-पौधे और पशुओं से है। प्राचीन काल के विश्वविद्यालयों की स्थापना तपोवन में बिना कारण के नहीं होती थी। क्या प्राचीन काल में अयोध्या और हस्तिनापुर में बड़े-बड़े भवन नहीं थे जिनमें आश्रम विश्वविद्यालयों की स्थापना होती? विश्वविद्यालयों में विज्ञान-प्रदत्त वैभव के समावेश का भ्रष्ट-कारक प्रभाव पड़ता है।

हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह स्नातकोत्तर के साधारण समारोह के रूप में न मनाया जाकर सजावट और तडकमडक वातावरण में क्यों सम्पन्न होता है?

७ अन्त में विश्वविद्यालय को इस बात की चिन्ता रखनी चाहिए कि प्राध्यापकों और छात्रों के लिए स्वतंत्रता का वातावरण बने। स्वतंत्रता अपने आप में एक साध्य है। स्वतंत्रता जीवन की सिद्धि का एकमात्र मार्ग है। लेकिन हमारा शिक्षा-तंत्र ऐसे ढंग से बना है कि प्राध्यापकों और छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का बहुत कम अवसर मिलता है। उनका पूरा-का-पूरा समय पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमों-वर्ग शिक्षण, जाँच, प्रश्नपत्रों के बनाने और जाँचने, गृहकार्य आदि में समाप्त हो जाता है। उनके लिए समय ही नहीं बचता कि वे अपने आप सोचकर अपने प्रश्न तैयार करें और स्वयंप्रेरित दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। जब एक छात्र अपने महाविद्यालय से बाहर आता है तो उसके पास आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक क्षेत्र में कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसे वह अपनी कह सके। वह अनुभूति करता है कि उसे बने-बनाये मार्ग पर चलने और निर्भर रहने मात्र ही शिक्षा मिली है। गांधीजी विश्वविद्यालय से जिस प्रकार के छात्र की अपेक्षा रखते थे वह उस प्रकार का छात्र नहीं है। विनोबाजी के स्वावलम्बन के विचार में विचार और मूल्यों के क्षेत्र की आत्मनिर्भरता समाविष्ट है।

हमारे शिक्षक और छात्रों को सत्य पर आरुढ़ रहने में मदद मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए जो भुगतना पड़े। जो विश्वविद्यालय सोचता है कि दूसरे लोग उसके लिए चिन्तन करें और इस प्रकार उधार लिये गये सत्य पर सन्तुष्ट हो जाता है वह एक मौन क्रान्ति के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता। विश्वविद्यालय को स्वतंत्र चिन्तन करने और उसे अभिव्यक्त करने के लिए संकल्पित होना चाहिए।

लंदन में गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में भाषण करते हुए होरेस एलेक्जेंडर ने गांधीजी का उद्धरण देते हुए कहा कि जब सन् १९३१ में गांधीजी से पूछा गया कि वे भारत के करोड़ों मूक लोगों का प्रतिनिधि होने का कैसे दावा करते थे, तो उन्होंने सीधेसादे ढंग से उत्तर दिया था—‘लोगों की सेवा करने के अधिकार से’।—जो विश्वविद्यालय गांधीजी के कदमों पर चलना चाहता है उसके लिए यह एक उत्तम वाक्य हो सकता है। सत्ता के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, समृद्धि के लिए नहीं, बस सेवा के लिए। जिस प्रकार गांधीजी ने राजनीति पर अध्यात्म का रंग चढ़ाने की कोशिश की उसी तरह हमें शिक्षा को अध्यात्मोन्मुख बनाना है। प्राचीन काल में इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय शिक्षा और नीति एक-दूसरे में गूँथे हुए थे, लेकिन आज जब कि शिक्षा पर भौतिक शक्तियों का प्रहार हो रहा है उस समय गम्भीर नव-चिंतन की आवश्यकता है। जब तक दूसरे विश्वविद्यालय आगे नहीं आते तब तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हमने अणुशक्तिगम्पन्न राष्ट्रों की प्रतीक्षा न करके आणविक निःशस्त्रीकरण की नीति की एकतरफा घोषणा की उसी प्रकार हमें जीवन के नये दृष्टिकोण के प्रवाह में भी कूद पड़ना होगा। अकेली आवाज अपने आप में एक नैतिक शक्ति और विशिष्टता का स्रोत है।

अग्नेती से भाषांतर—इद्रभान

श्री के० एस० झाखारूँ, मंत्री—नयी तालीम समिति, न० ८०, टेम्पल रोड, मल्बेश्वरम्, बंगलोर—३

गणित-शिक्षण : कुछ व्यावहारिक सुझाव

श्याममनोहर व्यास

विद्यालय में भिन्न-भिन्न विषयों का पठन पाठन होता है; प्रत्येक विषय का अपना-अपना अस्तित्व तथा महत्त्व होता है। इसके साथ-ही-साथ प्रत्येक विषय को पाठ्यक्रम में रखने का एक ध्येय होता है।

विषय का महत्त्व उसके द्वारा प्राप्त किये जानेवाले सामान्य उद्देश्यों व विरिष्ट उद्देश्यों से जाना जा सकता है।

प्रत्येक उद्देश्य के अन्तर्गत कुछ प्राप्य उद्देश्य (objectives) भी आते हैं; विषय को पढ़ाने का एक लक्ष्य होता है, जिसकी परीक्षा बालकों के विद्यालय छोड़ने के पश्चात् होती है। यह सामान्य अनुभव है कि अधिकतर विद्यार्थी गणित में रुचि कम लेते हैं। अन्य विषयों की अपेक्षा इस विषय में उनकी उदासीनता स्पष्ट दिखाई देती है। इसके परिणामस्वरूप अध्यापन से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है वे प्राप्त नहीं हो पाते।

बोर्ड की परीक्षाओं में भी छात्र अधिकतर गणित विषय में ही असफल होते हैं।

इसका मुख्य कारण स्वयं विषय नहीं है, बल्कि उचित पाठ्यक्रम व उपयुक्त शिक्षण-विधियों का अभाव है।

प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री बैलर्ड महोदय के कथनानुसार गणित का शिक्षण जो एक सुखदायक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, एक भयानक स्वप्न बन गयी है। जब कभी अध्यापक किसी एक प्रश्न का हल छात्रों को देता है तो वे समझते हैं कि यह कार्य उन पर एक भारस्वरूप है और जबरन धोपा हुआ है। एक बार मैं ग्यारहवीं कक्षा में बीजगणित के अन्तर्गत द्विपद प्रमेय (Binomial Theorem) पढ़ा रहा था।

छात्रों को सूत्र समझने में कठिनाई हो रही थी।

एक छात्र पूछ बैठा—“सर! इस प्रमेय का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? इतनी माया-पच्ची करने पर भी यह हमारी समझ में ठीक से नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रकरण को विषय में रखने से क्या लाभ है?”

छात्र का यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है। जब तक गणित का पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी नहीं होगा, यह विषय रुचिकर नहीं बन सकता। अभी तक गणित केवल प्रतिभाशाली छात्रों तक ही रुचि का विषय रहा है।

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि कई ऐसे प्रकरण भी विषय के अन्तर्गत आते हैं, जिनके अध्ययन में छात्र रचि व आनन्द का अनुभव करते हैं।

उदाहरण के लिए, ग्यारहवीं कक्षा की बीज गणित (Higher Algebra) का "क्रमवय एवं संचय" (Permutations and Combinations) का अध्याय लें।

यह प्रकरण (Topic) छात्रों के व्यावहारिक जीवन से काफ़ी सम्बन्धित है।

जैसे, तीन कुर्सियों पर तीन छात्र कितने प्रकार से बैठाये जा सकते हैं—

यथा— $3P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ प्रकार से।

प्रयोगात्मक रूप से मैंने तीन कुर्सियाँ लीं और तीन छात्रों को उन पर बिठा दिया।

फिर उन्हें कहा गया कि वे स्थान-परिवर्तन कर कितनी प्रकार से उन पर बैठ सकते हैं।

थोड़ी देर के उपरान्त छात्रों ने स्वयं इस प्रश्न का हल निकाल लिया।

यह भी सत्य है कि प्रश्न के हल करने की विधि बदल देने से भी छात्र अवश्य विषय में रचि देने लगते हैं।

अध्यापक को सामान्य व प्राप्य उद्देश्य सामने रखकर अध्यापन-कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।

सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति

गणित-शिक्षण के लिए निम्न सामान्य उद्देश्य हैं :

- (१) सांस्कृतिक (Cultural)
- (२) अनुशासनिक (Disciplinary)
- (३) उपयोगिता (Utilitarian)

गणित के अध्ययन से छात्रों में एकाग्रता, चर्कचक्ति, चिन्तन, समस्याओं को हल करने की क्षमता, आत्मविश्वास की भावना, निश्चय-कथन, सम्बन्धों के सामान्यीकरण की क्षमता एवं स्पष्टवादिता आदि गुणों का विकास होता है। शिक्षा के स्थानान्तरण (Transfer of Training) द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव है।

गणित का प्रयोगात्मक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है।

आधुनिक विज्ञान का आधार गणित ही है।

विज्ञान के प्रत्येक प्रयोगात्मक कार्य में नापने, ठीकने आदि का यौध गणित के ही ज्ञान के द्वारा सम्भव है।

प्रत्येक उद्देश्य के प्राप्य करने में बहुत-से प्राप्य उद्देश्यों की आवश्यकता होती है।

अध्यापक को किसी विशेष उद्देश्य (Aim) हेतु कुछ प्राप्य उद्देश्य (Objectives) को ध्यान में रखना चाहिए। कक्षा में किसी उप-विषय को पढ़ाते समय अध्यापक को एक प्राप्य उद्देश्य सम्मुख रखना पड़ता है।

प्रत्येक प्राप्य उद्देश्य की परीक्षा के लिए हमको पाठ्य-वस्तु तथा बालक के व्यवहार में परिवर्तन को ध्यान में रखना होता है।

परीक्षा लिखित और मौखिक, दोनों रूप से ली जा सकती है।

यदि बालक को इकाई का ज्ञान है तो वह उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में ला सकता है।

व्यवहार-परिवर्तन

गणित अध्ययन से छात्रों में निम्न व्यवहार-परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है—

- (१) बालक सही रूप में लम्बाई, भार, आयतन एवं क्षेत्रफल को माप सकता है।
- (२) वह एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के मूल्य की तुलना कर सकता है।
- (३) लाभ-हानि, ब्याज, प्रतिशत, साक्षा एवं पारिवारिक बजट आदि अंकगणित के प्रकरणों का दैनिक जीवन में छात्र उपयोग कर सकता है।
- (४) समस्याओं को हल करने की क्षमता छात्र में उत्पन्न होती है।
- (५) रेखाचित्रों द्वारा कई प्रकार के आंकड़े वह एकत्रित कर सकता है। तापक्रम, कक्षा के छात्रों की लम्बाई-भार एवं विद्यालय के परीक्षाफल का रेखाचित्र खींचकर अपनी दक्षता (Skill) को विकसित कर सकता है।

स्तर के अनुसार शिक्षण

पार्लेडाइक महोदय का कथन है कि एक ही कक्षा में उच्चकोटि तथा निम्न-कोटि के बालकों में अन्तर होता है। उच्चकोटि के बालक एक ही समय में निम्न-कोटि के बालकों से ६ गुना अधिक सीखते हैं या एक ही कार्य को उच्च बालक निम्न की अपेक्षा ३/४ समय में सीख सकते हैं।

इसलिए शिक्षक के पढ़ाने की विधि इस तरह की होनी चाहिए, कि उससे बालको की शक्ति का विकास किया जा सके।

इसके साथ-साथ यह बात भी ध्यान देने की है कि एक ही विधि द्वारा सम्पूर्ण विषय को समान दक्षता (Efficiency) से नहीं पढ़ाया जा सकता है ।

गणित-अध्यापन में भिन्न-भिन्न स्तर के बालकों पर भिन्न-भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

कक्षा १ से ८वी तक आगमन विधि (Inductive method) व माध्यमिक कक्षाओं के लिए निगमन विधि (Deductive method) उपयुक्त रहती है ।

आगमन विधि में विशेष से सामान्य को और तथा स्थूल (Concrete) से सूक्ष्म (Abstract) की ओर चला जाता है ।

इसमें छात्रों की ही सहायता से शिक्षक कोई नियम निकालता है । जैसे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग १८० अंश के बराबर होता है ।

छोटी कक्षा के छात्र स्वयं अपनी पुस्तिकाओं में त्रिभुज बनायेंगे और उनके तीनों कोणों को नापकर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि उनका योग १८० अंश के बराबर होता है । निगमन-विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है ।

इसमें शिक्षक कोई सूत्र छात्रों को बता देता है और छात्र उस सूत्र की सहायता से गणित के प्रश्न हल करते हैं । शिक्षक यदि सूत्र बालको की सहायता से ही निकालें तो यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।
जैसे -

$$\text{साधारण व्याज} = \frac{\text{दर} \times \text{समय} \times \text{मूलधन}}{१००}$$

वैसे, छोटी कक्षाओं में ऐकिक नियम से भी साधारण व्याज प्राप्त किया जाता है, पर छात्र के व्यावहारिक जीवन में उसका उपयोग नहीं होगा ।

पोस्टमॉरिस, बैंक या अन्यत्र कहीं यदि वह ऐकिक नियम से व्याज निकालने बैठेगा तो अव्यावहारिक होगा । इसके लिए सूत्र का उपयोग ही उचित है ।

समय और कार्य के प्रश्नों में भी अव्यावहारिकता नहीं होनी चाहिए ।

गणित-शिक्षक प्रायः लिखते हैं

$$२ \text{ पुरुष} = ३ \text{ स्त्रियों के ।}$$

इस वाक्य को देखकर कोमल बुद्धि बालक एक बार चकरा-सा जाता है ।

मला पुरुष स्त्री के बराबर वैसे ही सजता है ? अध्यापक को पूरे तरह से समझाकर श्यामपट्ट पर इस प्रकार लिखना चाहिए—

$$२ \text{ पुरुषों के कार्य की क्षमता} = ३ \text{ स्त्रियों के कार्य की क्षमता के ।}$$

बीजगणित के उपयोग का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाना चाहिए । समीकरण को समस्या के रूप में लेकर ही हल किया जाना चाहिए ।

चिह्न का ज्ञान भी उदाहरण देकर छात्रों को समझाना चाहिए।

$$\begin{array}{r} + \times + = + \\ - \times - = + \end{array}$$

ऋण को ऋण से गुणा करने पर धनात्मक राशि क्यों हो जाती है? यह प्रश्न अक्सर छात्र अध्यापक से पूछ बैठते हैं। शिक्षक यह कहकर उसकी जिज्ञासा शान्त कर देते हैं कि यह बीजगणित का नियम है।

यदि शिक्षक थोड़ा धर पर विषय का अभ्यसन करें तो इसे उदाहरण देकर बालकों को समझा सकते हैं।

रेखाचित्र के खींचने में छात्र काफी रुचि लेते हैं। इसके द्वारा छात्र समीकरण सम्बन्धी कई प्रश्न भी आसानी से हल कर सकते हैं। छात्रों के दैनिक जीवन में भी रेखाचित्रों को खींचने का बड़ा महत्त्व है।

रेखागणित के अभ्यसन में विश्लेषण-विधि (Analytic Method) अधिक उपयुक्त है।

सेकण्डरी के ऐन्ड्रिक गणित के छात्रों को ५४ प्रमेय व उन पर आधारित अनेक उपप्रमेय सिद्ध करने होते हैं।

यदि छात्र स्वयं के तर्क से किसी प्रमेय को हल करते हैं तो वह प्रमेय उन्हें याद भी हो जाता है और उनकी तर्कशक्ति (Reasoning Power) भी विकसित होती है।

प्रमेय (Theorem) को रटाने की जो परिपाटी विद्यालयों में चल रही है वह छात्रों में रेखागणित के प्रति अरुचि हो उत्पन्न करती है।

यह सही है कि विश्लेषण-विधि को काम में लाने से पाठ्यक्रम पूरा करने में समय अधिक लगेगा; पर विषय को उपयोगी बनाने के लिए यह करना ही होगा।

त्रिभुज के प्रमेयों की सहायता से पेड़ की ऊँचाई नापकर; नदी की चौड़ाई मापकर एवं विद्यालय की दीवारों का क्षेत्रफल निकालकर विषय को ठीककर बनाया जा सकता है।

त्रिकोणमिति के अन्तर्गत 'ऊँचाई और दूरी' का अध्याय भी छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य में लगा सकता है।

आवश्यकता पडने पर आगमन-विधि (Inductive method) का भी बड़ी कक्षाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।

कुछ अन्य सुझाव

शालाओं में गणित-अध्यापन के लिए वांछनीय सामग्री पूरी तरह से उपलब्ध होना चाहिए।

रंगीन चाक, स्कैच, ज्यामितीय मॉडल, अच्छे श्यामपट्ट आदि इस विषय के लिए आवश्यक सामग्री मानी जाती है। गणित विषय की पर्याप्त पुस्तकें व पत्रिकाएँ पुस्तकालय में उपलब्ध होनी चाहिए।

S M S G (School Mathematics Study Group) की गणित की पुस्तकों का होना प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक है।

परीक्षा में प्रश्नपत्र भी इस प्रकार का निर्मित किया जाना चाहिए कि औसत तद्वत् २½ या ३ घण्टे में सभी प्रश्नों को हल कर सके।

तीस मिनट के समय में २४ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने होते हैं। गणित के छात्रों को प्रश्न हल करके फिर सही उत्तर खोजना होता है, इसलिए प्रश्न ऐसे दिये जाने चाहिए जो निर्धारित समय में हल किये जा सकें। शिक्षा-आयोग के विचार गणित के अध्ययन तथा अध्यापन के बारे में काफी भाराजनक एवं उत्साहवर्द्धक है। आयोग ने लिखा है -

“आज के वैज्ञानिक युग में गणित का महत्त्व बढ़ गया है तथा यह आवश्यक है कि इस विषय की आधारशिक्षा विद्यालयों में ठीक तरह से रखी जाय।

शास्त्रों में गणित को अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति के विभागों में न पढ़ाया जाय। ऐसा करने से अध्यापन में अनावश्यक आवृत्ति होती है।

अतएव यह आवश्यक है कि इन विषयों को “संश्लिष्ट (Integrated) रूप से पढ़ाया जाय !”

आयोग का विचार है कि सम्पूर्ण अंकगणित का पाठ्यक्रम प्राइमरी शिक्षा-स्तर पर समाप्त हो जाना चाहिए।

नवीन पद्धतियों से गणित का अध्ययन किया जाना चाहिए।

S M S G द्वारा प्रतिपादित पद्धतियाँ अमेरिका के विद्यालयों में काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

पाठ्य-पुस्तकें भी इसी पद्धति पर लिखी जानी चाहिए। ज्यामिति तथा संख्याओं की क्रियाओं में यह पद्धति काफी उपयोगी सिद्ध हुई है।

गणित का नया पाठ्यक्रम बनाकर गणित के अध्यापन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है।

शिक्षा-विभाग के अधिकारीगण गणित विषय के विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर यह कार्य सम्पन्न कर सकते हैं।

गणित के नये आयामों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम में पर्याप्त परिवर्तन करना होगा।

अन्तरिक्ष-यात्रा, राकेट-गति एवं नवीन आविष्कारों को भी गणित के पाठ्य-क्रम से सम्बन्धित करना होगा ।

विज्ञान व गणित के अध्यापन के लिए आवश्यक सभी सामग्री विद्यालयों में जुटायी जानी चाहिए ।

इन विषयों का महत्त्व राष्ट्रीय स्तर पर सोचा जाना चाहिए ।

आयोग ने लिखा है

We lay great emphasis on making science an important element in school curriculum. We therefore recommend that science and mathematics should be taught on a compulsory basis to all pupils as a part of general education during the first ten years of schooling.

विश्व में विज्ञान की जो अमूर्तपूर्व उन्नति हुई है उसका बहुत कुछ श्रेय गणित को ही दिया जा सकता है ।

गणित के माध्यम से ही गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक रूप देना सम्भव हो सका है ।

सकनीकी उन्नति मुख्यतः गणित पर ही निर्भर है ।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की पुरानी शिक्षण विधियाँ अब उपयोगी नहीं रह गयी हैं उनमें आमूल परिवर्तन भी आवश्यक है । यदि गणित में भी विज्ञान की अन्य शाखाओं के समान प्रयोगात्मक परीक्षा हो तो विषय का महत्त्व काफी बढ़ सकता है और विषय छात्रों के लिए रुचिकर हो सकता है । गणित में लिखित कार्य का बड़ा महत्त्व है उस ओर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । शिक्षक द्वारा उचित रूप से छात्रों की अशुद्धियों का संशोधन किया जाना चाहिए ।

गणित के पाठ्यक्रम में सुधार व नवीन अध्यापन प्रणालियों से इस विषय को रुचिप्रद बनाया जा सकता है और गिरते हुए बोड के परीक्षा फल को रोका जा सकता है ।

श्री श्याममनोहर व्यास, वरिष्ठ अध्यापक (गणित) १७ पंचवटी, उदयपुर (राजस्थान)

निरक्षरता निवारण

रमेशचन्द्र पन्त

१४ ४५ आयुवर्ग के बीच भारत में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या पन्द्रह करोड़ आंकी जा रही है। हाज़ ही में साक्षरता प्रसार के सम्बन्ध में बोलते हुए वैद्रीय शिक्षा मंत्री श्री वी० के० आर० वी० राव न देश के शिक्षित समाज की सलाह दी कि हर पढ़ा किया व्यक्ति एक निरक्षर को साक्षर करे। आदर्श के लिए यह उत्तम है। निरक्षरता के निवारण में ही भारत की समृद्धि व शान्ति निहित है। कुछ महीने पहले भारतीय साक्षरिणी ने प्रसारित किया था कि देश में लगभग ३५ करोड़ अक्षिणित हैं। इन संख्या में अनिजाय प्राथमिक शिक्षा की परिधि में न आ पानेवाले बच्चे व ४५ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार हमारे देश में श्रमयोग्य १५ करोड़ व बालक बुढ़ २० करोड़ निरक्षरों को साक्षर करने की समस्या है। इस उद्देश्य में कृतकार्य होने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास करने की बात बहुत से समाचार-पत्रों ने उठायी है। बात मौके की है। निरक्षरता निवारण की समस्या के कुछ समाधान प्रस्तुत हैं।

सा विद्या या विमुक्तये

विद्या वह जो विमुक्त करती है। विमुक्ति किससे? अज्ञान अपकार, गरीबी सशय और रोग से। जिजीविषा को सातत्य देने और उत्साहपूर्ण जीवन जीने के लिए विद्या एक कारगर साधन है। इस कलात्मक साधन का देश, काल व समाज के अनुकूल उपयोग समसामयिक मेधावियों का काय है। विश्व इतिहास की एक चल्क विद्या के विविध स्वरूपों और विद्याजन की शक्तियों का एक विशाल सग्रहालय है। प्रकृति विद्याजन का प्रथम पद है। प्रकृति से ही प्राणी जिजीविषा की प्रेरणा लेता है। यही प्रेरणा उसे आगे बढ़ने को प्रेरित करती है वह नूतन ज्ञानकोष का आविष्कार करता है। अनुभूतियों का संचय और उनका सामयिक उपयोग विद्या व ज्ञानाजन क ध्येय की सबसे बड़ी धरोहर है। भारत में ज्ञान विज्ञान व विद्या का प्रसार कोई नया काम व नया आविष्कार नहीं है। मृष्टि के प्रारम्भ से मनुष्य विद्याजन के नये-नये आयाम विविध कलाओं में खोजता रहा है। विगत ५ हजार वर्षों का भारतीय ज्ञान इतिहास परम्पराओं व उठा पटकियों का जीवन्त उदाहरण है। इस अन्तिम में भारत को उद्योग-पतनों का एक सिलसिलेवार अनुभव हुआ, जिसने इस देश के ऐतिहासिक अनुशीलन को भी विविध आयाम

दिये हैं। राजनैतिक व सामाजिक झंझावातों से निरन्तर लोहा सेनेवाला भारत पिछले हजारों वर्षों से अपने अस्तित्व की सांस्कृतिक घाती की संजोये हुए है। विदेशी आक्रमणों से बावजूद भारत ने गमन सांस्कृतिकता का परिवेश बनाये रखा है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कदिलाचार्य का देश भारत, सांस्कृतिक विरासत में एक तर्कवान और संशोधन व मिथुनप्रधान संस्कृति के प्रति सदैव तर्कगम्य बुद्धि अपनाता रहा है। बर्तानी राज ने भारत में इस पारम्परिक सांस्कृतिकता को शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके इसे पूर्ण ओपनिवेशिक बनाना चाहा। उनका विचार था कि भारत की पारम्परिकता नूतन शिक्षा के क्रमवद्ध विकास के अपराह्न में स्वयं ही मृतप्राय हो जायेगी, परन्तु स्रोत परम्परावाले भारत ने अपनी परम्परा से आनाताओं की भी प्रभावित किया, यद्यपि संघर्ष की इस कहानी में भारतीय बहुश्रुत पारम्पर्य को एक जबरदस्त धक्का लगा, परन्तु भारतीय मनीषा ने अपना बहुश्रुत पारम्पर्य पूर्ण निस्तेज न होने दिया, वह बावजूद बाधाओं के आज भी अस्तित्ववान है।

निरक्षर बहुश्रुत

इस देश का पारम्पर्य स्रोत शिक्षण का रहा है। दो-तिहाई आबादी के निरक्षर रहने के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने पिछले दो दशकों में पंचायती लोकराज की भूमिका एक सम्मानजनक तरीके से निबाही है। यदि भारत का पारम्परिक पंचायत तंत्र बर्तानी राज के दो सौ वर्षों में विशुद्धलित न हो गया होता तो भारतीय गणतंत्र को सातत्य खंडन का दोष नहीं व्यापता, सातत्य-खंडन के बावजूद देश को बहुश्रुत परम्परा की नेरतनावृत्त करना सम्भव नहीं था। आजादी के उपरान्त उस सातत्य-स्रोत परम्परा को एक प्रभावशाली पोषण मिलना चाहिए था, जो आर्थिक विकास के नाम पर सतत उपेक्षित रहा। स्रोत परम्परा सदैव राष्ट्र या समाज की ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा के बिना इतिहास का चक्र गतिमान नहीं हो पाता। स्वतंत्र्योत्तर भारतीय इतिहास-चक्र कूठों के आतावरण में रहने का आदी बनता गया है, देश में समाजवाद व धर्म-निरपेक्षता की धलख तो जगायी गयी परन्तु उसे शाश्वत सामाजिक मूल्य दिये जाने के बारे में देश का नेतृत्व-समाज लगभग असफल रहा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त ने देश में पारम्पर्य विमुख विचारधारा को बढ़ावा तो दिया, परन्तु पारम्पर्य निवृत्ति से हुई रिक्रि को भरने का कोई कारगर उपाय नहीं हो सका। परम्परागत समाज में नयी आकाशार्ण जागृत होने से देश के समय समाज में नवचेतना तो जरूर आगी, पर उस चेतना का क्रमवद्ध और सांगोपांग विस्तार होना अभी भी शेष रह गया।

बेरोजगार शिक्षित व निरक्षर

स्वाम्योक्त विनाममान अनिष्ट न दत्त म नवजाकांग्रों के साथ राज-
 ॐतिन बुटाओ जोर पत् प्रतिष्ठा थी होड का घड़ा दिया है। इस होड म देश
 क औन्नतिवशिन शासनन के ढाँच न वैपम्य अग्नि म धी की आहूति का काम
 क्रिया। लोक-आशाशाओं के नवशागरण के उपगत तत्रपरिवहन की एक गतिशोक
 प्रक्रिया को उपयोग म लाया जाता चाहिए ना। नियम उपनियमों आदि की वाड
 ने राजनत्र व समाजत्र को इतना कम खाला है कि स्वेच्छित सगठन और
 दिचार स्वातन्त्र के क्षेत्र में भवावह रिति प्रवेश कर गयो है। वही रिति हमारे
 सारे राष्ट्र की धुन की तरह खाये जा रही है। जीवनस्तर के उठन की आशाया
 ने आर्थिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों को ताव म रख दिया है। परिणाम स्वरूप
 आज देश म निष्कृषण, क्षीण और द्युहित वृषित वग का बोखाला हो रहा है।
 व्यक्ति सामाजिक एव मानवीय मर्यादाओं का उल्लेख अपन प्रतिद्वंदी के लिए जिस
 ऊँचे स्तर से करता है, जब उसको स्वयं पहल करनी होती है वह उन सारे सामा-
 जिक दोषों की बंगीवार करता है जिनकी आशोचना कहते वह यक्षता नहीं। यही
 देश की समग्र बीमारी का मूल स्रोत है इस पर पूरे वेग से प्रहार करना आज
 की महत्तम आवश्यकता है।

देश म काम-धर्मों और उनके लिए उपलब्ध कच्चे मात्र की कोई कमी नहीं
 है। भारत की रत्नगर्भा वसुधरा अपने लालों का भरण-पोषण करने की क्षमता
 रखती है। भारतजननी के लालों की ही यह अकमल्यता है कि वे आसन्न कर्म
 को न देखते हुए स्वगलोक में नक्षत्रवासी जीवन-यापन के दिशास्वप्न देखते हैं।
 हमारे देश म आज वैभव का आदर अनरीवी समाज माना जाता है। उद्यमशीलता
 के नाम पर हम दीपसूत्रिता व आलस्य की साक्षात मूर्ति है। दूसरी ओर आनीष्टान
 महत्ता और जीवन की समस्त उपलब्ध सुविधाया का उपभोग करके हम यह
 कल्पना करते हैं कि जिस तरह रूस म लेनिन ने बोल्शेविक प्राति की, उसी किस्म
 की प्राति से हम अपने देश म एक सुखद व समृद्ध समाज-स्रन कायम करेंगे। पर
 हम यह भूल जाते हैं कि हरेक देश में परिस्थिति व इतिहास-चक्र के अनुकूल ही
 सुधारका व महापुरुषा का उद्भव होता है। भारत में उन्नीसवीं सदी क उत्तरार्द्ध
 म देश को स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद व महात्मा गांधी के रूप म
 तीन विभूतियाँ मिली। इन विभूतियों ने अपने शरीरयात्रा काल में निदिध्यासत
 व अनवरत श्रम से इस देश की एक प्रागृत राष्ट्र बनाने का जीवत प्रयास किया।
 हम उनके उपदेशा का अनुमरण करने के बजाय मार्क्स दर्शन और लेनिन के कर्तृत्व-
 चरित्र मानाजराद का आदर्श निश्चित किया हुए हैं। हम यह भूल गये हैं कि

क्रांतिवीर लेनिन ने बोलशेविक क्रांति के लिए किस सन्नियता से काम किया और माक्स-दरान को स्वभूमि के अनुकूल क्रिया विवत किया। लेनिन ने स्वधर्म का शानदार निर्वाह किया, पर भारत के अनेक मनीषी लेनिन का नाम तो जपते हैं, पर लेनिन की क्रियाविधि अपनाने में कतराते हैं तथा लेनिन की सफलता का मूल रहस्य जानने के बजाय उस क्रांतिजनित लाभो का ही उल्लेख करते हैं। उहे भारत को धारा के परिप्रेक्ष्य में नहीं आंक्ते।

बेरोजगारी आज भारत की तीन बड़ी समस्याओ में से एक है। दूसरी दोहैं— निरक्षरता व बढ़ती हुई आजादी। ये तीनों समस्याएँ एक दूसरे से जुडी हुई हैं। स्वातन्त्र्योत्तर युग में जो हास्यास्पद स्थिति हुई है वह नौकरीमूलक मन स्थिति और व्यावसायिक तथा उद्यम के क्षेत्र में माँग मूलक ट्रेड यूनियनवाद का जन्म व उत्कप है। देश की बहुसंख्य जनता का मानस उद्यम व परिश्रमरहित उपलब्धियों की ओर शनैः शनैः खिचता जा रहा है। राज्य सरकारें एव के बाद एव नियमित लाटरियाँ संचालित कर लोक भाकाशा को मुखरित कर रही हैं। कम से-कम लागत पर बिना मेहनत किये ज्यादा-से-ज्यादा अर्जित करना आज का आर्थिक लक्ष्य रह गया है। दूसरे शब्दों में आज हमारा सारा समाजतन्त्र ताश के पत्तों का महल और धूत-बाजीपरी का प्रदर्शन स्थल मात्र रह गया है। नाई धोबी, गडेरिया धमकार, किसान, पुरोहित व गाँव के बनिया आदि सभी के बच्चे डिग्रियों के पीछे हैं। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को ऊँची-से-ऊँची शिक्षा व डिग्री दिलाकर उसे उच्च पदवी पर आसीन देखना चाहता है। शिक्षित युवकों की नजर सरकारी नौकरियों की ओर है। सरकारी नौकरी आज सोने के अंडे देनेवाली मुर्गी की तरह मानी जाती है। देश के शासकों (राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों) की पद प्रतिष्ठा व विशेषाधिकार जनसामान्य से बहुत ऊँची थीं हैं। जनसामान्य की अधिकारहीन उत्तरदायिता का विवरण व जनसामान्य की हीनता का उद्घोष महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के अभिन्न मित्र श्रीप्रकाशजी ने अपने कतिपय लेखों में व्यक्त किया है। देश में बढ़ रही अयवस्था व सामाजिक सामंजस्यहीनता का कारण ही शासक व शासितों में भयावह अंतरांग है। यही लोकतन्त्र की दुसरी रंग है। इसका निवारण तभी हो सकता है जब देश के विपन्न सम्पन्न व अभिजात्य-निरक्षर में एक कारगर सबाद काममें किया जाय। आज शासक पूजेवान और दूसरे विशेषाधिकारवाले बग जनसामान्य व विपन्न की उपेक्षा कर रहे हैं उसे ललना रहे हैं परिणामस्वरूप शिथिल व निरक्षर बेरोजगारों के संगम से एक नया बग उदय हो रहा है नवसालवादियों का। नवसालवाद का उदय ही

मोजूदा समाज-व्यवस्था में आपी विकृति की परिणति है। जहरत इस बात की है कि शिक्षित निरक्षर के इस मिलन को भारतीय परिवेश में सजोया जाय और देश में एक देहाती सामाजिक उत्कर्ष दल कायम किया जाय।

साधारिक साक्षरता

हमारे विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा संस्थान और विद्यामंदिर आज स्नातकोत्तर तकनीकियों को तैयार करके समाज को सौंप रहे हैं। विद्या-केन्द्रों व समान के बीच सम्यक् सामंजस्य न होने से समाज उन नीनिहाली का सही व सोद्देश्य उपयोग नहीं कर पा रहा है। नतीजा यह है कि हमारे यहाँ जीवन के सभी क्षेत्रों में आपाधापी है। इस आपाधापी से विपन्न व कमजोर स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहा है। शिक्षा के केन्द्र भी अपरोदा रूप से सामाजिक विपन्नता और परमुखापेक्षिता की ही वृद्धि कर रहे हैं। समितियों व आयोगों के इतने प्रतिवेदन भारत में हैं कि विषयविद्यालयपर्यंत, शिक्षा में आधारीक सरोधान केवल सगोष्ठी के विषय हैं, क्रियाचयन करने की उत्सुकता किसी भी क्षेत्र में नहीं है। यदि मोजूदा उपलब्ध शिक्षित तकनीकियों और डिप्लोमा डिग्री धारियों का सामयिक उपयोग नहीं किया गया तो बेरोजगारी का दावानल भारत के बहते हुए औपनिवेशिक शासन-तंत्र के अस्थिरपंजर को लील जायेगा। स्वातंत्र्योत्तर दो दशाब्दियों में यथास्थिति को भंजन करने के जो भी उपक्रम जानकारी अथवा अज्ञान में हुए उन्होंने यथास्थिति को ही सम्बर्द्धन दिया। लोकतंत्र ने लोक-आकांक्षाओं को जागृत किया, पर विकास व अर्थतंत्र से जागृत लोक-आकांक्षाओं को नये संदर्भों व मूल्यों में वह अपेक्षित परिवर्तन न पाकर कमोवेश पूर्वस्वातंत्र्य-युग का औपनिवेशिक यथास्थितिवाद ही कायम रहने का उपक्रम हुआ है। परिणामस्वरूप आज भारत के विकास प्रशासन में वे समस्त सामियाँ हैं जो किसी औपनिवेशिक मामलतदारी पुलिस प्रशासन में होती हैं, साथ ही द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त औपनिवेशिक शासन तंत्र में घुसी हुई अदक्ष वृत्तियों का सारे समाज व शासन-तंत्र में व्यापक प्रभाव है। शासन-तंत्र में एक विदेशी भाषा का उपयोग जहाँ उच्चस्थ पदाधिकारियों को लाभदायक दिलाता है वही उसका सम्बन्ध जनसामान्य से दूरता हुआ नजर आ रहा है।

ऐसी विपन्न परिस्थितियाँ में एक ही आशा की किरण दीखती है वह है समाज के विपन्न व कमजोर के लिए स्थानीय स्तर पर रोजी रोटी की व्यवस्था और भारत के बेकार शिक्षितों व तकनीकियों को गाँव-समाज को साक्षर करनेवाला आवुनिकृतम सांस्कृतिक या सापेक्ष रोजगार देने का प्रयास करना। हमारे देश में परिवार नियोजन, साधारिक साक्षरता और ग्रामोद्योगीकरण का

तिहरा आयोजन एक मूर्त स्वस्थ धारण कर सकता है इसी लिए गाँवों के शिक्षित युवक-युवतियों को गाँवों के ही आसपास उपयुक्त रोजगार देने होंगे। इस समय देश समानतंत्र के तानेबाने को कायम रखने के लिए जरूरी है कि देश के निरक्षर बहुधृतपारम्पर्य का लाभार्जन किया जाय। इस लाभार्जन-उपलब्धि के लिए समाज, घर्म सेती-वादी, धरेतू व देहाती उद्योगधर्मों और लोककथाओं तथा लोकनृत्य सम्बन्धी प्रौढ साहित्य के द्वारा प्रागवासी निरक्षरों को साक्षर करना होगा। साक्षरता के मालम में मौजूदा विश्व का नूतन ज्ञान व तकनालाजी सुबोध व मरल भाषा के माध्यम से देहाती दरतबारों को हृदयगत करानी होगी। यह तभी सम्भव है जब निरक्षरता से जूझने के लिए राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर सम्यक् तालमेल बैठाया जाय। इस प्रकार सर्वोदय और देहाती उद्योगों के कार्यकर्ताओं व ग्रामसेवा के कार्यप्रमा म रूप कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश में साक्षरता-अभियान की पार्ष्व सज्जा खड़ी की जा सकती है।

मूढंन्य पार्ष्व सज्जा

आज भारत का देहात मेधा के अभाव के दौर-दौरे से गुजर रहा है। गाँव का शिक्षित युवा तो गाँव से खिसक रहा ही है पर निरक्षर प्राणी भी मजदूरी की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहा है। शहर में उसे अव्यावधि प्रकार कायप्रमों के तहत मजदूरी जीविका मिल तो जाती है, पर उसमें एक नैराश्य व ईर्ष्या का वातावरण उदय होता है। शहर की जिन्दगी उसे गाँव की गरीबी के समानान्तर असमानता, सुलभ जीवन हीनभाव और आर्थिक पगुता के चक्के में दल देती है। उसका तन ही नहीं, मन भी बीमार हो जाता है। यह बीमारी भारत के शहरों में रिक्शा खींचनेवाले विपन्न से लेकर फैक्टरियों व मिलों में काम करनेवाले मजदूरों में देखी जा सकती है। वे अपना स्वच्छ हवा-पानीवाला गाँव का घर छोड़कर 'स्लम' में रहने शहरों में आते हैं। देश में बढ़ रही अराजकता के पीदघर इन भुग्नी-शोपठियों के अन्दर ही छिपे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि इन सन्नत मानवों से एक सौदेश्य सवाद सामाजिक संरक्षण के परिवेश में प्रारम्भ किया जाय। ऐसे उद्देश्यपूर्ण सावधिक सवाद के माध्यम से ही वह सगठन सज्जा खड़ी हो सकती है जो भारतीय विपन्न को देश के लिए वह उद्घोष दे सके जो महात्मा गाँधी ने १९वीं सदी के पूर्वाद्ध में दिया। विनोबा ने सन् १९५१ से १९६९ तक लगातार अठारह वर्ष दिया।

भारतीय देहात को आज पार्ष्व सज्जा की अतीव आवश्यकता है। इस सज्जा को सगठित करने के लिए देहाती इजीनियर कोर की स्थापना करनी होगी। यह

इंजीनियर कोर सोशल इंजीनियर, मशीनटूल, संचार-इंजीनियर, जल-विद्युत इंजीनियर, नागरिक-सुविधा इंजीनियर और खेती बागवानी इंजीनियर सेवाओं का देहानीकरण करके की जा सकती है। देश के तमाम बेकार इंजीनियरों को ऐस प्रादेशिक व सार्वदेशिक श्रवणसेवी सगठनों के माध्यम से प्रामाभिमुख किया जा सकता है जो इस समय रोजगार की खोज में हैं। देश के हर जिले में एक देहाती इंजीनियरी सेवा-क्षेत्र कायम किया जाकर प्रत्येक गांव के लिए धीरे-धीरे इंजीनियरी सेवाएँ स्थानीय शिक्षण के माध्यम से की जा सकती हैं। ऐसी मानविकी सगठन सग्रा से सोद्देर साक्षरता के प्रसार के साथ साथ देश के देहातों से मानव प्रव्रजन को रोका जा सकता है। गाँवों की मेधा का उपयोग गाँवों के उत्थान में किया जा सकता है। इस प्रकार के आयोजन से देश में साक्षरता व नैतिकता का वह वातावरण बन सकता है, जो देश को प्रतिक विकास को पक्तिवद्ध गति दे सकेगा। जरूरत केवल इतनी है कि देश के विकास की प्रायभिकताएँ तय की जायँ। साक्षरता-प्रसार निवास स्थान के निकटस्थ स्थान में ही आशिक या अर्द्धरोजगार का महत्त्व भारत के 'शिक्षितो, अ शिक्षिता व तकनीशियनों को हृदयगम कराया जाय।

विश्वविद्यालयों का योगदान

देश के विरल विद्यालय तमो छात्रों को डिप्लोमा या डिग्री दें जब कि स्नातकवर्षों एक वर्ष का समानसेवा-प्रशिक्षण ले। इस अवधि में वह प्रामोण साक्षरता, प्रामोण इंजीनियरी आदि जो भी उसका विषय हो उस ज्ञान को गाँववासियों तक पहुँचाने का श्रेयम कार्य करे। विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग की सहायता से देश की निरक्षरता निवारण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाय। ऐसे कार्यक्रम के सग्रादन के लिए प्रामपवापतो, क्षेत्र-समितियों व जिला परिषदों का सहयोग लिया जाय। आज जो अतिरिक्त मनुष्य शक्ति अनूत्पादक कार्यों में लगे हैं उसे निरक्षरता-निवारण के महत्तर कार्य में जोडा जाय। पचायत से पार्लमेट तक निरक्षरता-निवारण कोरम कायम किये जायँ। यह लक्ष्य तय किया जाय कि आगामी २५ वर्षों में ५ वर्ष से छोटी उम्र वर्ग के अन्धा एक भी निरक्षर देश में न रहे। साक्षरता का यह लक्ष्य ही भारत को समृद्धि का खेत प्राप्त करायेगा इसके लिए पहल यथाशोघ की जानी चाहिए।

दूरदर्शी प्रेस

भारतीय प्रेस (अप्रेजी समाचारपत्रों सहित) साक्षरता-प्रसार में श्रव्य-दृश्य शिक्षण के समानान्तर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। साक्षरता-प्रसार एवं शिक्षा जहाँ राज्य के उत्तरदायित्व हैं, समाचारपत्र एवं प्रेस अनेकाकृत स्वतंत्र

प्रौढ़ शिक्षा की मशाल कौन थामे ?

नियाज वेग मिर्जा

हमारे देश में अब तक अनियमित शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रसार नहीं हो पाया है। पत्र-स्वरूप अनेक बच्चे शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते हैं। बयस्क होने पर भी उन्हें लिखने, पढ़ने तथा सामान्य गणित का कोई ज्ञान नहीं होता है, जिससे उनका मानसिक विकास सदैव के लिए अवृद्ध हो जाता है। भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता तथा स्वतंत्रता के समान अधिकार प्रदान किये हैं, परन्तु अशिक्षित बयस्क उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। अशिक्षित बयस्कों की इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 'प्रौढ़ शिक्षा' की व्यवस्था की गयी है जिसका मुख्य उद्देश्य निरक्षर बयस्कों को साक्षर बनाना है।

श्री हुमायूँ कबीर ने भारत में प्रौढ़ शिक्षा के दो पहलू बताये हैं (१) प्रौढ़ साक्षरता, अर्थात् उन प्रौढ़ों की शिक्षा, जिनको विद्यालयों में कभी भी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, और (२) साक्षर प्रौढ़ों की अनवरत शिक्षा।

निरक्षरता की समस्या

संसार के सबसे घनी जनसंख्यावाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ४३,९०,७२,५८५ थी। १९६७ में यह संख्या ५१,११,१४,९०० तक पहुँच गयी है। इस विशाल जनसंख्या के केवल २३७ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत २४९ और स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत केवल ७९ है। नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता ३४६ प्रतिशत है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में यह साक्षरता केवल १२१ प्रतिशत है।

राजस्थान राज्य की जनसंख्या १९६७ में २,४१,५९,४०० हो गयी जिसमें से ३०,६५,५६८ जनसंख्या ही साक्षर है, अर्थात् १५२ प्रतिशत साक्षरता है। राज्य में पुरुषों में साक्षरता २३७ एवं महिलाओं में ५८ प्रतिशत ही है, जो कि वास्तव में चिन्ता का विषय है।

इन आँकड़ों से सिद्ध हो जाता है कि हमारे राज्य में ८४८ प्रतिशत व्यक्ति अनानता के अन्धकार में अपना मार्ग टटोल रहे हैं। इस विशाल जनसंख्या को किस प्रकार शिक्षा के आलोक में लाया जाय, यह एक जटिल समस्या है।

कोठारी शिक्षा आयोग १९६४-६६ ने अपने प्रतिवेदन के १६ वें अनुच्छेद में प्रौढ शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर बल देते हुए १० वर्ष में समूल निरक्षरता निवारण करने हेतु उचित किया है। उक्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि १९७१ तक राष्ट्रीय साक्षरता ६० प्रतिशत एवं १९७६ तक ८० प्रतिशत हो जानी चाहिए।

प्रौढ शिक्षा

अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के रूप में कोठारी आयोग ने यह सिफारिश की है कि निरक्षरतारूपी शत्रु से लड़ने के लिए एक सशक्त, सुनियोजित एवं सतक सेना को संगठित करने की आवश्यकता है जिसमें सभी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं विद्यार्थी सम्मिलित हों। अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यावसायिक विद्यालयों तथा स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों द्वारा प्रौढों को पढ़ाना आवश्यक रखा जाय। प्रत्येक शिक्षण संस्था को एक सुनिश्चित क्षेत्र में समूल निरक्षरता निवारण करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाय। उपरोक्त सिफारिशों में यह स्पष्ट किया गया है कि समूल निरक्षरता निवारण कार्यक्रम बहुत ही सुनियोजित ढंग एवं पूर्ण तैयारी के साथ प्रारम्भ किया जाय।

अब तक की प्रगति

समाचारपत्रों में कभी-कभी पढ़ने को मिलता है कि आज गढ़ी में साक्षरता अभियान चलाया गया, भीलूवा और बीलडी में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चला, चला अवश्य परन्तु प्रगति क्या हुई? जानकारी नहीं मिली है। काठिन झालावाड़ एवं कोटा जिले में एक लहर उठी और समूल निरक्षरता निवारण-परियोजना की चहल पहल सुनाई दी। भीलवाड़ा जिले में भी प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम काफी घूमनाम के साथ प्रारम्भ किये जाने के समाचार मिले। अभी-अभी समाचार पढ़ने को मिले कि डा० मोहनसिंह मेहता के सचालन एवं साक्षरता निवेदन, लखनऊ के सहयोग से सेवा मन्दिर उदयपुर के तत्वावधान में पंचायत समिति बडगाँव के गाँवों के प्रोगे को साक्षर किये जाने की विशाल योजना का शुभारम्भ श्रीमती फिशर द्वारा किया गया है।

लेकिन ये शुभ समाचार तो केवल कुछ ही पंचायत समितियों के हैं। राजस्थान में तो कुल २३२ पंचायत समितियाँ हैं शेष इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्या योजनाएँ बना रही हैं?

साक्षरता अभियान की जो मशाल डा० मेहता ने बडगाँव पंचायत समिति में

प्रज्वलित की है, इसी तरह सभी पंचायत समितियां म यदि कार्य प्रारम्भ किया जाय तो नि सदेह कुछ वर्षों म हम साक्षरता क लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं ।

लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है ?

इस 'क्या' का उत्तर प्राप्त करने के लिए एवं कारणों की खोज के लिए राजकीय अभिनव प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमूह म आये हुए प्राथमिक विद्यालयों के ७३ अध्यापक स एव प्रश्नावली भरवाकर अध्ययन किया गया ।

जिन शिक्षका पर अध्ययन किया गया उनम से ४७ १४ प्र० श० २६-३० आयुवर्ग, ३२ ८६ प्र० श० २०-२५ आयुव १२ ३२ प्र० श० ३१ ३३ आयुवर्ग एवं ६ ८३ प्र० श० ४०-५१ आयुवर्ग के थे । अर्थात् २० से ३० आयुवर्ग के ८०-८० प्र० श० युवक शिक्षक थ जिनम प्रौढ़ शिक्षा जैसे राष्ट्रीय कार्य करने म रुचि, आस्था एव निष्ठा होता स्वाभाविक ही है ।

प्रौढ़ शिक्षा-कार्य मे रुचि

अध्ययन से पता हुआ कि ६३ १५ प्र० श० अध्यापक प्रौढ़ शिक्षा का कार्य करना चाहते हैं । जब इनसे पूछा गया कि इस कार्य को ये किस प्रकार का कार्य समझते हैं ? जो उत्तर प्राप्त हुए उसम ४५ २० प्र० श० क सव्य ३० १३ प्र० श० पुण्य कार्य, १३ ६९ प्र० श० भलाई का कार्य एव १० ६५ प्र० श० ने इसे अतिरिक्त कार्य बताय ।।

प्रौढ़ शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को इस कार्यक्रम, शिक्षण पद्धति एव पाठ्यक्रम के विषय म प्रशिक्षित किया जाय । अध्ययन से ज्ञात हुआ कि १७ २१ प्र० श० शिक्षक प्रौढ़ शिक्षण पद्धति में अप्रशिक्षित हैं एव ९१ ७७ प्र० श० अध्यापक प्रौढ़ों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं ।

प्रौढ़ों को प्रेरित कैसे किया जाय ?

अब तक के अनुभव से ज्ञात होता है कि प्रौढ़ शिक्षा-केन्द्रो पर प्रौढ़ों की उपस्थिति औसतम १० १५ की रही है जिसके लिए अध्यापक प्रौढ़ों को, पंचायत समिति पंचायता की एवं प्रौढ़ समय की अनुकूलता की दोषी टह्राते आये हैं । अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा हेतु प्रौढ़ों को प्रेरित करने हेतु ५६ १६ प्र० श० सम्पर्क, २६ ०२ प्र० श० समझाइश १६ ४४ प्र० श० अनिवार्यता एव १ ३८ प्र० श० दण्डित करने के पक्ष म हैं । अत प्रौढ़ों की परिचित करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्व, आवश्यकता एवं उससे होनेवाले लाभ की जानकारी, सम्पर्क एव समझाइश से करने पर हमें हकापी सफलता मिल सकती है ।

प्रौढ शिक्षा केन्द्र-व्यवस्था

प्रौढ शिक्षा-केन्द्र हेतु उपयुक्त स्थान, आवश्यक सामग्री एवं मार्गदर्शन का होना बहुत आवश्यक है। ५३४२ प्र० श० शिक्षकों ने राय दी कि शालाभवन प्रौढ शिक्षा केन्द्र हेतु उपयुक्त स्थान है एवं ३८ ३५ प्र० श० ने चौपाल एवं शेष ८.२३ प्र० श० ने पचासत घर को उचित स्थान माना है। स्थान ऐसा हो जहाँ सभी सुविधा से आ सकें सभी सामग्री सुरक्षित रखी जा सके। इस दृष्टि से विद्यालय-भवन ही उपयुक्त स्थान रहता है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ७७ ६३ प्र० श० शिक्षकों को प्रौढ शिक्षण हेतु सामग्री उपलब्ध करायी जाती है जिनमें स्लेटें, पुस्तकें एवं लालटेनें सम्मिलित हैं। इनमें से स्लेटें व पुस्तकें छानो में वितरित कर दी गयी हैं और बनेब दूट-पूट गयी। लालटेनें मरम्मत के मुतजिर हैं। घासलेट हेतु बटिजे-सी प्रौढों की परीक्षा होने के बाद चुकाई जाती है या शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर मार्च अथवा अगले वर्ष चुकायी जाती है। वास्तव में इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। सभी सामग्री प्रयाप्त मात्रा में एवं यथासमय देने पर ही हम वांछित उपलब्धि की आशा कर सकते हैं।

मुख्य समस्या

शिक्षकों में यह भावना घर घर गयी है कि प्रौढ शिक्षा का कार्य करने का उत्तरदायित्व केवल पचासत समितियों के शिक्षकों पर ही है। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए एवं विभाग को इस ओर विशेष रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है।

दूसरी बात है इस आर्थिक युग की, हर कार्य अर्थ के पलड़े में तोला जाता है, जैसा कि कुछ वर्षों पहले प्रौढ शिक्षा कार्य करनेवालों को १५ प्रतिशत रुपया प्रतिमाह उपवेतन दिया जाता था, अब भी बिये जाने के लिए ४५ २० प्र० श० शिक्षकों ने सम्मति व्यक्त की है। २१ ९१ प्रतिशत पारितोषिक, १९ १६ प्र० श० एक वेतन वृद्धि, ८ २१ प्र० श० प्रमाण पत्र एवं ५ ४७ प्र० श० कुछ नहीं लेना है।

राज्य भर में बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान चलाने के लिए यदि उपवेतन दिया जाय तो विद्यीय दृष्टि से यह बहुत कठिन है एवं जब उपवेतन देकर प्रौढ-शिक्षा केन्द्र चलाये गये तो उसके परिणाम भी ज्यादा अच्छे नहीं निकले। अतः शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए पारितोषिक, अग्रिम वेतन वृद्धियाँ, विशेष प्रमाण पत्र एवं अन्य सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

सन् १९१७ में रूस की अवस्था उतनी ही शोचनीय थी जितनी आज भारत में है। जिस प्रकार से वहाँ जनसहयोग से निरक्षरता का उन्मूलन किया गया वैसे ही भगीरथ प्रयत्नों की हमारे देश में भी आवश्यकता है। इसके लिए लगन, आस्था, अध्यवसाय और पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। अन्य शब्दों में एक ग्रामीण शिक्षक के लिए एक योग्य शिक्षक होने के साथ साथ ग्राम-कल्याण-कार्य में प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है, तिमपर भी कागजी कार्य जैसे सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने आदि में प्रशिक्षित होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका ग्रामीणों के शिक्षा-मार्ग में आनेवाली वास्तविक कठिनाइयों से अवगत होना आवश्यक है।

जनजागृति ही किसी देश की शक्ति का वास्तविक आचार होती है। कोई देश उसी समय सशक्त होता है जब उसकी जनता जागृत्क हो उसे हर बात का ज्ञान हो। जनसाधारण हर बात के बारे में अपना विचार बनाने की क्षमता रखते हों और जो काम करते हों, समझकर करते हों। अतः जनशिक्षा के कार्यक्रम की सफलता के लिए जनता एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग होना अत्यन्त आवश्यक है।

राजस्थान में जहाँ प्रौढ शिक्षण आन्दोलन विशेष तौर पर शिक्षा-विभाग के प्रयासों के बावजूद अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में ही है, सेवा मन्दिर द्वारा बडगाँव पंचायत समिति में प्रयास राज्य के लिए आदर्श रूप हो सकता है। यदि प्रौढ-शिक्षण आन्दोलन को राज्य में पवित्र जमाने हैं, ग्रामीण जनता का लावण्य समर्थन एवं प्रोत्साहन हासिल करना है तो ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति दिलचस्पी जाग्रत करने का एक तरीका होगा—सेवा मन्दिर के अनुरूप राज्य के विभिन्न जिलों में शुद्धात् के तौर पर कम-से-कम एक एक पंचायत समिति में प्रौढ शिक्षण-कार्य प्रारम्भ करना। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर साक्षरता का राज्यव्यापी आन्दोलन शुरू करें।

श्री निवाज बेग मिर्जा, राजकीय अभिनवन प्रशिक्षण केंद्र, राजसमन्द
(राजस्थान)

७० करोड़ विस्तृत मस्तिष्क

रेने मेल् यूनस्की के महानिदेशक

अनुमाना ७० करोड़ वयस्क या दुनिया की कुल जनसंख्या के दूँ से भी अधिक व्यक्ति अशिक्षित हैं। कम विकसित राज्यों में ही ये अविचार अक्षिप्त वयस्क दिखाई देते हैं।

बच्चों के मामले में लटिन अमरीका अफ्रीका मध्य पूर्व तथा एशिया में सन् १९६० के दौरान ४७ प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अगर हम इस संख्या में उन बच्चों की संख्या को भी मिला दें जो आजकल स्कूल जाते हैं किन्तु अच्छी तरह पढ़ लिख सकने के पहले ही अपनी शिक्षा बंद करेंगे और इसलिए अशिक्षित बन जायेंगे तो इन राज्यों में आज भविष्य के १५ करोड़ अशिक्षित रहते हैं तथा आगामी ६ या ७ वर्षों में दुनिया की वयस्क आबादी में दो से ढाई करोड़ अशिक्षित जोड़ दिये जायेंगे।

शिक्षितों तथा अशिक्षितों में अन्तर का परिणाम

ये हजारों लाखों अशिक्षित मन शक्ति की कितनी बराबरी हानि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कह सकता है कि इन परिवर्तित वयस्कों तथा अज्ञान की छाया में जन्मे इन बच्चों में सम्भवतः कितने बानानिक, इन्जिनियर, तथा तकनीशियन विद्यमान हैं।

कोई भी अशिक्षित व्यक्ति अपने नैसर्गिक गौरव तथा सामर्थ्य से सम्पन्न एक मानव कभी नहीं बनता। फिर भी, निरक्षरता वास्तविक रूप में विज्ञान तथा तकनीक को एक बड़े पुस्तक बनाती है आधुनिक संस्कृत में सृजनात्मक सहयोग को असम्भव बनाती है।

जिस राज्य में अशिक्षिता का प्रतिशत काफी ज्यादा होता है वह अपव्ययी मानव तथा मन शक्ति के रूप में आन्तरिक हानि मात्र ही सहन नहीं करता अपितु जनता के शिक्षण विभाग की प्रगति भी समानरूप से गिरती जाती है। जैसे दुर्भाग्य से कई विकासशील राज्यों में होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यानी आधुनिक शिक्षा पानेवाली वो अशिक्षितों से अलग करनेवाली विशाल खाद

हम काफ़ी समय तक दर्शाए नही कर सकते । यह राज्य के सन्तुलन तथा एकरा को तोड़ देती है और पूर्ण रूप में वैज्ञानिक विवेचन तथा शिल्पि ज्ञान व प्रगति जिसके बिना विकास नही हो सकता, एक विश्वव्यापक वास्तविक मनोवृत्ति उत्पन्न करने के किसी भी प्रयत्न को परास्त करती है ।

अशिक्षा दूर करने के अन्तरराष्ट्रीय प्रयत्न

सम्भजन तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ही विस्तार एवं सुधार की समझे बड़ी अपेक्षा रहती है, विशेषकर माध्यमिक स्कूली स्तर पर काम करना, और इस क्षेत्र में सीधी आर्थिक सहायता देना ।

हाल ही के वर्षों में यूनेस्को ने विकासोन्मुख राज्यों की सहायता करने के लिए दो विभिन्न तरीकों से पर्याप्त प्रयत्न किये हैं । तकनीकी शिक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर काम करना, स्कूल के हर स्तर पर विज्ञान सिखाना चाहिए ।

विकास का सच्चा आधार वैज्ञानिक संस्कृति

अल्पविकसित राज्यों में, अपने परिवर्तन के लिए अपने प्राकृतिक व मानवीय स्रोतों का पूर्ण उपयोग करने में केवल आयातित तकनीक अपने आप सहायक नहीं होगी ।

विकासशील राज्यों में विज्ञान की शिक्षा में अनेक त्रुटियाँ होती हैं । अक्सर स्कूलों व विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला के उपकरणों की अत्यधिक कमी रहती है ।

अनेक मामलों में पाठ्यक्रम अनिबेधपूर्ण है पाठ्यपुस्तकों तथा अध्यापकों की पुस्तिकाएँ स्थानीय स्थितियों के अनुकूल नहीं रहतीं, और अध्यापकों का प्रशिक्षण अपर्याप्त है ।

इन सभी क्षेत्रों में, यूनेस्को अपने अग्रे राज्यों के प्रयासों की प्रगति तथा प्रोत्साहन के लिए मदद कर रहा है । प्रगति के प्रति इस अनिवार्य अंशदान के लिए अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता द्वारा, और भी अधिक सबल की सुव्यवस्था करनी है ।

मुझे विश्वास नहीं है कि आधुनिक सगठन और तरीकों से युक्त शिक्षा-पद्धति विकसित राज्यों में, सिर्फ विकासशील क्षेत्रों में आनेवालों को ही लें, हमारी सम्यता की बढ़ती माँगों को पूरा कर सकती है ।

जब तक शिक्षा अपने आप सशक्त रूप से अपने निजी शिल्पविज्ञान को, जो कई कारणों से पुराना बन गया है, पूरा सुधार नहीं करती, जब तक वह शिल्प-वैज्ञानिक परिवर्तन को, जो कम विकसित राज्यों में अवश्य होगा है, अपने पूर्ण तथा निर्णायक योगदान नहीं दे सकती ।

शिक्षण के माध्यम

हम सब जानते हैं कि अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठे विरही भी स्तर का क्यों न हो, कितनी लम्बी तथा महँगी प्रक्रिया है। इस अनिवार्य क्षेत्र में मितव्यय का कोई सवाल ही नहीं उठता है, किन्तु अनुभव ने दिखाया है कि कतिपय पाठों के लिए, बहुत ही कम बिकसित प्रशिक्षण के सहायक विलकुल पर्याप्त है। इस तरीके से विलकुल पर्याप्त बचत निकाली जा सकती है।

योजनाबद्ध शिक्षा के लिए प्रयुक्त आज की मशीनें, अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता को कम करती हैं।

सिनेमा, रेडियो तथा टेलिविजन ने—फिल्म तथा ग्रामोफोन की उपेक्षा न करते हुए—बार-बार यह सिद्ध किया है कि विचारों को व्यक्त करने में, ज्ञान को प्रदान करने में, और मनोभावों तथा विकारों तक की अभिव्यक्त करने में, वे कितने प्रभावशाली हैं। शिक्षकों को यह सीखना चाहिए कि दूसरे क्षेत्रों में पेशेवर कलाकारों तथा राजनीतिक प्रचारकों ने क्या दूँढ़ निकाला है, विकासशील राज्यों में शिक्षा को उन्नत बनाने में इन साधनों द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो सकता है।

वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा के केन्द्र

वैज्ञानिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण का नवीकरण या विस्तार स्कूलों या विश्वविद्यालयों में नहीं किया जा सकता। जहाँ कहीं भी किसी वयस्क के जीवन का मुख्य भाग—कार्य में या अवकाश में बीतता जाता है, वहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अनवरत आधार पर विशिष्टीकृत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए कर्मशालाएँ ही आदर्श केन्द्र होती हैं। उद्योग अपनी इस शैक्षिक जिम्मेदारी के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर रहा है। यह सम्पूर्ण आधुनिक समाज के अनुकूल एक व्यापक कार्य है।

बड़ी-बड़ी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थाएँ, स्कूलों व विश्वविद्यालयों के नाम को संपूर्ण बनानेवाली विशिष्टीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं की सिफारिश को अधिकाधिक स्वीकार करने को तैयार हैं। उनको प्रोत्साहित तथा नेतृत्व से उत्तेजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को, अवगणन या उनके साथ प्रतिस्पर्धा से कहीं दूर, उनसे निकटतम सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए, क्योंकि वे उसका वास्तविक विस्तार हैं।

उद्योगीकरण से प्राप्त अवकाश की पर्याप्त मात्रा, सार्वजनिक संचार-साधन के द्वारा अपव्यय की जाती है। इन्हीं साधनों के द्वारा ही अधिकांश वयस्क, और स्कूल

तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का एक अनुपात भी, अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी सम्यता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते हैं ।

कम वित्तित राज्यों को उद्योगीकृत राज्यों से अलग करनेवाले परिस्थितियों की विकृतियों के कारण, विकास की समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । किन्तु उन समस्याओं के लिए स्वीकृत सुझाव को लागू करने के लिए कम वित्तित राज्यों के पास कोई उपयोगी नूतन या आधुनिक तरीका और माध्यम नहीं है । इसलिए ही उनके लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण अत्यन्त जरूरी है । समकालीन घटना में उनका कोई वास्तविक अंशदान होगा कि नहीं, यह इन्हीं कार्यकर्ताओं पर आधारित है ।

(यूनेस्को कूरियर के संग्रह विशेषांक से पुनर्मुद्रित)

ग्रामभारती आश्रम, टचलाई का

कुमार-मन्दिर

१ जून, '७० से विद्यालय के नये सत्र का आरम्भ हुआ। कुमार-मन्दिर और बालवाड़ी में कुल मिलाकर ७ शिक्षक हैं।

सामूहिक प्रवास

विद्यालय शहर से बहुत दूर होने के कारण बच्चों की अपनी इच्छा शहर देखने की थी। इसके लिए हमने अप्रैल, '७० से ही प्रवास की पूर्व तैयारी शुरू कर दी थी। १ से ७ जून तक बच्चों ने इन्दौर का प्रवास किया। प्रवास में ११ बच्चे कुमार-मन्दिर के छात्रावास के और १३ छात्र तथा छात्राएँ विद्यालय की सम्मिलित हुईं। विद्यालय की ओर से सर्वश्री रामचन्द्रजी जैन और गोपाल प्रसाद शर्मा बालको के साथ इन्दौर गये थे। पचायती-राज-विद्यालय के भार्गवी श्री धर्मपालजी सेनो हमारे अनुरोध को मानकर प्रवास में पूरे समय बच्चों के साथ रहे। इन्दौर जाते हुए रास्ते में महुँ रुककर बालकों ने वहाँ का स्वर्ग-मन्दिर देखा। इन्दौर में उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, मालवा मिल्, भाकावा-वाणी-केन्द्र, शीशमन्दिर, गीताभवन, राजवाड़ा, अन्नपूर्णा मन्दिर और नेहरू-पार्क आदि अनेक स्थानों की यात्रा की। महुँ इन्दौर तक की यात्रा बच्चों ने रेल द्वारा की। कई बच्चों के लिए रेलयात्रा का यह पहला अनुभव था। कुछ बच्चे हवाई जहाज में भी बैठे और उड़े। 'नयी दुनिया' का प्रेस देखकर बच्चे बहुत प्रभावित हुए। इस यात्रा के कारण उनका ज्ञान बढ़ा और उनमें कुतूहल जागा। प्रवास से लौटने के बाद अब ऊँची कक्षाओं के कई बच्चे निबन्ध के रूप में अपने अनुभव लिख रहे हैं। इस प्रवास में कुल रु० ५००) खर्च हुए। इनमें से रु० १४०) बच्चों ने जमा किये थे। रु० २८५) तक का भोजन सर्व इन्दौर की विविध संस्थाओं ने उठाया और कुमार-मन्दिर पर कुल रु० ७५) का ही भार पड़ा।

(२) पहली कक्षा के बच्चे हरियाली देखने जंगल में गये।

(३) कुमार-मन्दिर के प्राचार्य ने छात्रालय और विद्यालय के काम से धार का प्रवास किया।

जून घन्ट तक कुमार-मन्दिर मे छात्रो की सख्या १११ तक पहुँची है । बालवाडी सहित यह सख्या १५१ हुई है । १० छात्र नये भरती किये गये हैं । छात्रावास में छठों कक्षा के चार नये छात्रो को प्रवेश दिया गया है । छात्रावास के दो बड़े छात्रों को अपने घर की खेती का काम संभालने के लिए २० दिन का विशेष भवकाश दिया गया है ।

बालवाडी

बालवाडी की शिक्षिका श्रीमती गायत्रीबहन शर्मा गुजरात मे २ महीनो का प्रशिक्षण श्री बालवाडी-संचालन का अनुभव लेकर लौटी हैं । उन्होने इस महीने मे बालवाडी का काम विधिवत् संभाल लिया है । इस समय बालवाडी में नियमित आनेवाले बच्चों की सख्या ४० है । इस महीने में एक दिन बालवाडी के बच्चो ने गाँव का भ्रमण किया ।

उद्योग

बरसात की वजह से घुनाई मशीन ने ठीक से काम नही किया, फिर भी बच्चों ने कुल ४ किलो २०० ग्राम पूनियाँ बनायी । पूनी बनाने से पहले कपास की सफाई छोटाई, और घुनाई की प्रियाएँ भी बालको ने ही कीं । कुल १३ किलो २०० ग्राम कपास की छोटाई की गयी । इस महीने मे छात्रो ने कुल ३५ ००० मीटर सूत काता ।

कृषि

ऐसा लगता है कि जब तक हमारे विद्यालयों मे अमनिष्ठ और धम मे रुचि लेनेवाले विद्यार्थी तैयार नही होंगे तब तक देश का भविष्य सुन्दर और सुखद नही हो सकेगा । इसलिए इस वर्ष से मैंने शिक्षको और छात्रो को खेती मे किसानो की तरह काम करने के लिए प्रवृत्त किया है । बच्चों को समझाया गया है कि उन्हें अच्छा कृषि पण्डित बनना है । मुझे खुशी है कि बच्चो ने खेती के काम को प्रसन्नतापूर्वक उठा लिया है । इस महीने मे १६ बच्चो ने आश्रम की बाड़ी के खेतों मे ३०-३० घन्टे काम किये । रस्सी डालकर पाँच एकड जमीन मे विनीले बोये । कुल ४५० घन्टो का काम हुआ । कम्पोस्ट के गड्डे मे से खाद उठाकर उमे तगारियो द्वारा दो एकड खेत मे बिछाया । १७ विद्यार्थियो ने हम पर पाँच घन्टे काम किया, इस प्रकार कुल ८५ घन्टो का काम हुआ ।

१६ वर्षों ने १२॥ घंटों में वो विन्टल और ७५ किलो मूंगफली फोदी। कुल १७३ किलो मूंगफली के दाने निकले। २०० घंटों का काम हुआ। इस प्रकार इस महीने में आश्रम की खेती में कुमारमन्दिर की ओर से कुल ७७५ घंटों का काम किया गया।

विद्यालय की कृषि

आश्रम के भीतर की दो एकड़ भूमि इस वर्ष विद्यालय की कृषि के लिए ली गयी है। एक एकड़ में कपास बोई गयी है और वह उग निकली है। इस काम में १५ बच्चों ने अपने चार-चार घंटे दिये, यानी कुल ६० घंटों का काम हुआ। एक बयारी में मिण्टी बोयी है। लोकी के ३२ बीज बोये गये हैं। बीज में वारिस के बन्द रहने के कारण साग-सब्जी बोने का काम रुक गया था। एक खेत में बच्चों ने कम्पोस्ट के दो गड्डों की खाद फेंकायी। इस काम में १७ बच्चों ने अपने ६८ घंटे खर्च किये। पपीते के बगीचे के खरपतवार की सफाई की।

खाद्यावास के पपीते की बगिया से ११ किलो पक्का पपीता ६० ३३० पैसों का और ४ किलो कच्चा पपीता ८० पैसों का जो कुल ६० ४१० पैसों का उत्पादन हुआ। पौधे अभी छोटे हैं। आशा है, अगली फसल से उत्पादन बढ़ सकेगा।

बाल-भण्डार में ७५) की पाठ्य-सामग्री बिकी।

स्वाध्याय

सुबह-शाम की सामूहिक प्रार्थना के बाद स्वाध्याय की दृष्टि से 'ईशावास्य उपनिषद्' 'स्त्री भवला नहीं, सबला है' और 'भगवान का काम' नामक पुस्तिकाएँ पढ़ी गयीं। आजकल 'विनोबा चिन्तन' और 'विराट दर्शन' नामक पुस्तकों का स्वाध्याय चल रहा है। इनके अलावा सर्वोदय विचार-धारा की पत्रिकाओं के लेखों का सामूहिक वाचन भी होता रहता है।

'साम्प्रदायिकता देश के लिए हानिकर है', विषय पर एक परिचयवाचक का आयोजन किया गया। इन सभी कामों में विद्यालय के शिक्षकों ने पूरा सहयोग दिया है।

बिनीत

गोपालरत्न भट्ट

उत्तरप्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की प्रगति

वर्ष सन् १९६८-६९ में पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की संख्या ७,३७८ थी जिनमें ५,९०१ विद्यालय बालकों के तथा १,४७७ विद्यालय बालिकाओं के लिए थे। प्रसार के लिए स्कूलों को अनुदान देने की नीति पर बल दिया गया। तृतीय योजना-काल में कुल १,००५ गैरसरकारी विद्यालय अनुदान-सूची पर लाये गये। विगत तीन वार्षिक योजना काल में ६५४ स्कूलों को अनुदान सूची पर लाया गया तथा चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में ऐसे २०० विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जायगा। प्रदेश के उन क्षेत्रों में स्थित ५० सीनियर बेसिक स्कूलों को ऐडहाक अनुदान दिया जायगा जहाँ शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना काल में ३३४ बालकों के तथा १२७ बालिकाओं के नये सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये। इस वर्ष सन् १९६९-७० में ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के २१० तथा बालिकाओं के ११६ तथा नगर क्षेत्र में बालिकाओं के ५० वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों का उच्चीकरण करके सीनियर बेसिक स्कूल में परिणत करने अथवा नवीन सीनियर बेसिक स्कूल खोलने के हेतु प्राविधान किया गया है। इनके अतिरिक्त वर्ष १९६७-६८ में बालिकाओं के १२ सीनियर बेसिक स्कूल शासन द्वारा खोले गये थे। इस वर्ष ऐसे ५ स्कूलों की शासन द्वारा स्थापना की गयी है। विगत तीन वार्षिक योजना काल में इस स्तर पर छात्र-संख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण छात्र एवं अध्यापकों में १,६०४ अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है।

सीनियर बेसिक स्तर पर निर्धन बालिकाओं के लिए पाठ्य पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं के लिए पूर्व माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएँ नहीं हैं अथवा जहाँ सिनियर बेसिक विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है वहाँ क्रमोत्तर (कॉटीग्युएशन) कक्षाएँ खोली गयी हैं। यह योजना इस प्रदेश में इतनी सफल हुई है कि तृतीय योजना-काल में ३०० के स्थान पर ९७५ कक्षाएँ खोली गयीं। विगत तीन वार्षिक योजना-काल में ऐसी २२५ क्रमोत्तर कक्षाएँ और इस वर्ष ५० क्रमोत्तर कक्षाएँ खोली गयी हैं।

विज्ञान की शिक्षा की नींव दृढ़ करने के लिए इस स्तर पर सामान्य विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ करने की योजना बनायी गयी थी। द्वितीय पंच-

वर्षीय योजना में ३१० विद्यालयों में विज्ञान का समावेश किया जा चुका था। तृतीय योजना-काल में ७०० विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षण की व्यवस्था की गयी। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना-काल में ४०७ विद्यालयों को सामान्य विज्ञान प्रारम्भ करने के लिए अनुदान दिया गया।

इस वर्ष २९६ सीनियर बेसिक विद्यालयों को इस हेतु अनुदान दिया जायगा। इस स्तर पर शिक्षा के सुधार हेतु सन् १९६६-६७ में २० विद्यालयों को भवन तथा सज्जा तथा १० विद्यालयों को वर्कशाप आदि के लिए अनुदान दिया गया। वर्ष १९६७-६८ में ९ विद्यालयों को वर्कशाप, निर्माणादि के लिए अनुदान दिया गया।

अभ्यापकों को उच्च योग्यता-प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार दिया जाता है।

इस स्तर पर विद्यालयों में पुस्तकालयों का अभाव दूर करने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में १,३९९ गैर-सरकारी विद्यालयों को ७,००,००० रुपये का पुस्तकालय-अनुदान दिया गया था।

गैर-सरकारी सीनियर बेसिक विद्यालयों को भवन-सज्जा एवं काष्ठोपकरण के अनुदान द्वारा सुधारा जा रहा है। तृतीय योजना-काल में १९४ विद्यालयों को भवन एवं ६६ विद्यालयों को सज्जा एवं काष्ठोपकरण के लिए १२,३३,६०० रुपये का अनुदान दिया गया था। जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक स्तरीय साधारणतः पृथक्-पृथक् संचालित हैं। शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजनान्तर्गत ऐसे २८६ स्कूल एकीकृत किये जा चुके हैं। अनुदान तथा सघन निरीक्षण से इन स्कूलों के स्तर में सुधार हुआ है। ये विद्यालय एक ही प्रधानाध्यापक की देख-रेख में काम करते हैं और इनमें शिष्टों और सामान्य-विज्ञान की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाता है और प्रयत्न किया जा रहा है कि ये विद्यालय आदर्श सीनियर बेसिक स्कूलों के रूप में कार्य कर सकें।

अनुदान को शीघ्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से मशहूरीय उप-शिक्षा निदेशकों को निम्नांकित अधिकार प्रदान किये गये हैं :

- (क) बालकों के लिए सीनियर बेसिक स्कूलों में अनुपालन अनुदानों का निर्धारण तथा स्वीकृत करना।
- (ख) पाँच हजार रुपये से नीचे के सभी अनावस्यक अनुदानों की स्वीकृति देना।

शासन के आदेशानुसार जूनियर हाईस्कूल की कक्षा ८ की हिन्दी, अक्षर-गणित तथा बीजगणित और रेखागणित व अपयो, की पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत किया गया जो अब प्रयोग में लायी जा रही है।

प्रशिक्षण

इस स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए तृतीय योजना-काल के अन्त में प्रदेश में ८१ जूनियर ट्रेनिंग कालेज थे, जिनमें १७ राजकीय (१२ बालकों के और ५ बालिकाओं के) और ६४ अशासकीय मान्यताप्राप्त (५६ बालकों के और ८ बालिकाओं के) थे। वर्ष १९६७-६८ से बमोली राजकीय जूनियर ट्रेनिंग विद्यालय समाप्त हो गया है तथा राजकीय महिला जूनियर ट्रेनिंग कालेज झांसी सी० टी० कालेज में उच्चकृत होने के कारण अब पुरुषों के केवल ११ तथा महिलाओं के ४ जूनियर ट्रेनिंग कालेज हैं। एडवांस एक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ वर्ष १९५९-६६ में ३० जे० टी० सी० इकाइयाँ (२१ बालकों की तथा ९ बालिकाओं की) भी सलग्न की गयी थीं, किन्तु प्रारम्भिक स्तर पर बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों का उत्पादन अधिक होने के कारण २० इकाइयाँ महिलाओं की जुलाई १९६९ से बन्द कर दी गयीं। इसमें छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या ३० रखी गयी थी। इसके अतिरिक्त ५ राजकीय जे० टी० सी० विद्यालयों में वार्षिक प्रवेश संख्या ४० से बढ़ाकर ८० कर दी गयी है। वर्ष १९६६-६७ से जे० टी० सी० तथा एच० टी० भी० कोर्स के स्थान पर एक नवीन एक-वर्षीय बी० टी० सी० कोर्स प्रारम्भ किया गया है जिसके फलस्वरूप अब सभी प्रशिक्षण-संस्थाओं में बी० टी० सी० का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनमें प्रवेशार्थ योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण रखी गयी है। वर्ष सन् १९६६-६७ में ११ अराजकीय संस्थाओं को बी० टी० सी० कक्षाएँ चलाने के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त बालकों के ४ राजकीय तथा एक अशासकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज हैं। महिलाओं के लिए सी० टी० स्तर पर तीन राजकीय (एक मसनऊ और दूसरा भोदीनगर, मेरठ तथा तीसरा झांसी में) और दो मान्यता प्राप्त (एक भागरा और एक देहरादून में) सी० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में इस स्तर पर की शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए उक्त प्रशिक्षण में इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है। परीक्षाओं में प्राप्त ध्येणियों के आधार पर प्रवेश के

लिए चुनाव किया जाता है। इधर विज्ञान शिक्षा की बड़ी हुई माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए ६५ प्रतिशत तक विज्ञान के अर्हतापत्रों को बरीयता दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों के लिए अधिक सख्या में अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित करने के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्हता प्राप्त अध्यापिकों को भी प्रवेश में बरीयता दी गयी है।

सी० टी० स्तर की सभी प्रशिक्षण-संस्थाओं में (बालक एवं बालिकाओं) अध्यापिकों के प्रवेशार्थ इण्टरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। वर्ष १९६९ में सी० टी० स्तर के उत्तीर्ण होनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या ३६७ है।

शिक्षा-पुनर्ध्वंस्य योजना

सीनियर बेसिक विद्यालयों के स्तर पर पूर्व वर्षों की भांति शिक्षा पुनर्ध्वंस्य योजना का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में अपनाये गये शिल्पों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के सम्बन्ध में विशेष रूप से विभाग की ओर से कदम उठाये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप शिल्पों की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हुई है। विशेष रूप में कृषि व्यवस्थित विद्यालयों के उत्पादन का विवरण निम्नवत् है.—

वर्ष

० १९६५-६६

१९६९-७०

उपज की धारा का मूल्यंकन

१८,२२,११५

३१,००,०००

गुणात्मक महत्त्व की दृष्टि से उल्लेखनीय है कि पुनर्ध्वंस्य विद्यालयों में प्राप्त २१,००० एकड़ भूमि में लगभग १५,००० एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत आ चुकी है। इस भूमि में ८,००० एकड़ में सिंचाई के साधन पहले ही दिये जा चुके थे। वर्ष १९६९-७० में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में पंपिंग सेट तथा रहट आदि प्रदान करने की विशिष्ट योजनाएँ रखी गयी हैं। वर्ष १९६९-७० में १० विद्यालयों को पंपिंग सेट के लिए प्रति विद्यालय रुपये ६,००० तथा १४ विद्यालयों के प्रति विद्यालय रु० ७०० के हिसाब से सिंचाई अनुदान दिया जायेगा।

पुनर्ध्वंस्य विद्यालय स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सहयोग देते हैं। २,२०० युवक मंगल दल्ये तथा ५०० सामुदायिक केन्द्रों के संघर्षन द्वारा ये विद्यालय ग्रामीण जीवन के अधिकाधिक निकट आ सके हैं।

('उत्तरप्रदेश में शिक्षा की प्रगति' से)

‘नहीं, हम यह काम नहीं करते !’

इन्दिरा राही

‘इस कमरे की सफाई कौन करेगा ? यह प्रश्न पूछते ही बालबाड़ी के सब बच्चे कहने लगते हैं ‘दीदी हम हम । और तुरन्त दौड़ जाते हैं झाड़ू लेने के लिए । जो पहले तैयार नहीं होता है वह भी सब बच्चों को सफाई करते देख-कर घोड़ो ही देर में आकर मुझसे कहता है, दीदी, हमें भी झाड़ू चाहिए ।’ लेकिन किशोर ऐसे कामों के लिए न तो कभी पहले उतसाह दिखाता है न बाद में ही तैयार होता है । उसके खड़े-खड़े देखते रहने पर मैं पूछती हूँ, क्यों किशोर, तुम सफाई नहीं करोगे ?’ वह तुरन्त बड़ो हठता के साथ जवाब देता है, ‘नहीं, हम नहीं करते ।’ उसका यह जवाब अक्सर इस तरह के सभी कामों के लिए मिलता है । चाहे बालबाड़ी के आँगन के सामने छोटी-छोटी चुरियाँ लेकर घास निकालनी हो या नानी सफाई करने के लिए पानी डालना हो वह एक ही जवाब दे देता है, ‘नहीं हम नहीं करते ।’ तरह तरह से प्रोत्साहित करने पर भी वह कभी कभी ही ऐसे कामों के लिए तैयार होता है ।

मेरे मन में यह सवाल बना रहता है कि क्या कारण है, जिससे किशोर को काम में इतनी अरुचि है । इसके साथ साथ उसकी दूसरी विशेषता यह है कि वह हमेशा हवाई जहाज और मोटरगाडी की बातें बड़े आनन्द और रचि के साथ करता है । कभी कहता है, ‘दीदी, हवाई जहाज में दिल्ली जायेंगे, कभी कहता है, ‘हमारे पापा हवाई जहाज में गये हैं हमारे पास भी हवाई जहाज है !’ (तितली को उड़ती देखकर भी उसे हवाई जहाज की ही याद आती है ।) ‘हम मोटरगाडी में बैठकर सारनाथ जायेंगे ।’—ऐसी ही उसके मन की बातें होती हैं । वैसे ही सब बच्चों को मोटरगाडी, हवाई जहाज आदि में बैठना, सफर करना अच्छा ही लगता है, लेकिन किशोर की बातों का विषय अक्सर यही रहता है । लगता है कि ये चीजें हमेशा उसके दिल दिमाग पर छापी रहती हैं ।

मैंने उसके इस तरह के व्यवहार के कारणों को जानने की थोड़ी कोशिश की तो मानून हुआ कि किशोर के घर में दो तीन नौकर चाकर हैं, घर का सारा काम वे ही करते हैं । किशोर रोज देखता है कि उसकी मम्मी झाड़ू नहीं लगाती है दूसरे काम भी नहीं करती है, तो उसके संस्कार में भी छाप देती चले चले गयी है कि ये सब काम हमको नहीं करने चाहिए । देखिये ।

घेडा होने के कारण पहनने ओढ़ने में खान पान में तथा उसके मनोरंजन के लिए खिलौने आदि में और बच्चों की तुलना में विशेषता रहती है। इसके कारण इन बातों में भी उसका और उसके घरवालों का एक विशेष रज रहता है। उसकी माँ उसके लिए बालवाड़ी में विशेष नाश्ता भेजना चाहती है उसको हमेशा दो-चार खिलौने हाथ में देकर भेजना पसंद करती है कभी पसे भिजवाकर चाहती है कि किशोर के लिए नाश्ते की विशेष व्यवस्था की जाय। हालांकि ऐसी विशेष सुविधा के लिए बालवाड़ी में जहाँ समूह जीवन की शिक्षा है और कोई भी बोज बाँटकर खाने का संस्कार दिया जाता है वहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं रहता। परन्तु उसकी माँ की इच्छा इस तरह की बनो रहती है, जिसके कारण किशोर अपने को और कुछ विशेष मानने लगा है। लेकिन किशोर के संस्कार में अभी से जो विशेषता और अलगपन की भावना भर रही है वह क्या उसके भविष्य के लिए हितकर होगी? सारी दुनिया में समाजवाद की हवा बह रही है। भारत में भी जोरों से बराबरी और सब जन एक समान के आंदोलन चल रहे हैं ऐसी हालत में बच्चा के हित में तो यही होगा कि उसे सबके साथ मिलजुलकर रहने, सबके समान रहने का संस्कार और शिक्षा मिले।

हो सकता है कि किशोर बड़ा होकर मोटरवाला बने हवाई जहाज में मुसा फिरी करे उसके पास खूब दौलत हो मौकर चाकर हो लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वह इतनी दौलतवाला न बन सके या समाज की स्थिति बदल जाय। उसे सामान्य आदमी की तरह रहना पड़े। इसलिए क्या माँ बाप की यह जिम्म दारी नहीं है कि वे बच्चों के गुणों के विकास में सहायक बनें। उसे बाजार की घस्तुओं से लादकर उसके दिल दिमाग के विकास को न रोकें?

आज समाज में मालिक पूजीपति तथा बुद्धिशाली लोगों द्वारा मजदूरो, गरीबों और अनपढ़ों का जो शोषण हो रहा है उसका सिलसिला आखिर कब तक चालू रखा जा सकेगा? दौलतवाला बनने और मौकर चाकर से ही काम कराने की लालसा अगर केवल सुखी समृद्ध लोगों में ही होती तो बहुत चिंता की बात नहीं होती परन्तु गरीब लोग भी अब यही इच्छा रखने लगे हैं। वे भी सोचते हैं कि हमारा घेडा पड़ेगा तो पैसा बमावगा और मेहला के काम नहीं करेगा। ऐसी हालत में वह दिन दूर नहीं, जब मेहनत करनेवाले भी बुद्धिशाली होंगे और बुद्धिशाली लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में टक्कर होगी और सब क्या होगा हमारा भविष्य?

वोया पेड़ बचूज का.....!

नियमित रूप से समय पर आनेवाली मीरा आज बालवाडी में कुछ देर से भायी। आकर तुरन्त खेकने लग जाना उसकी आदत है, लेकिन आज वह कुछ उदास बनकर बैठी रही। कई बार पूछने के बाद भी आज उसे क्या हुआ है यह जानना मुश्किल हो गया। थोड़े-से प्रयत्न के बाद उसने मोती को माला बनाने में अपनी रुचि दिखायी। उसके बाद भी कुछ-कुछ करती रही, लेकिन पता नहीं उस चार साल की नहीं-सी मीरा पर ऐसी कौनसी आपत्त आ गयी थी कि उसकी सहज बचलता मस्ती आज नजर नहीं आ रही थी। सब बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे, गाना गाने की तैयारी चल रही थी, इतने में मीरा ने उठकर मुझसे कहा, 'दीदी, रात को मेरे पिताजी ने मेरी अम्मा को खूब पीटा।' मैंने मीरा से पूछा 'तुमने अपने पापा से पूछा नहीं कि अम्मा को क्यों पीटते हो?' उसने सिर हिलाकर 'नहीं' कहा। मैंने फिर पूछा, 'तुम उस समय कहाँ थी?' बोली 'दीदी, अम्मा ने मुझको कमरे में बन्द कर दिया था। मैं लूब रोने लगी तब भी दरवाजा नहीं खोला। मेरी अम्मा भी खूब रो रही थी।'

यह सारी बातचीत मेरी बगल में बैठा हुआ सजय सुन रहा था। उसने बीच में ही मीरा से पूछा 'मीरा तेरे पिताजी ने रात को शराब पी थी न?' मैं तो इस प्रश्न से चौंक पड़ी। मीरा सजय के प्रश्न से और भी उदास हो गयी। वह एक भी शब्द बोल नहीं पायी। सिर हिलाकर ही जवाब में उसने 'हाँ' कह दिया। मीरा के दुःखी चेहरे के कारण उस समय वह अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी लगने लगी थी। उसका भोला भाला बचपन उसकी उदासी में खो गया था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मीरा की उदासी कैसे दूर करें? उसकी उदासी का कारण तो उसके शराबी पिता बने हुए थे, जिनके क्रूर व्यवहार की याद उसे दुःखी बनाये हुई थी।

इस तरह के वातावरण में पलनेवाले बच्चे अगर आगे चलकर विद्रोही हिसक, दुराचारी हों तो इसमें उनका क्या दोष है? वे उपद्रव करेंगे, हिंसा करेंगे, शराब पीयेंगे, तो हम उन्हें कोयेंगे, लेकिन हमारे हिंसा से भरे हुए परिवारों में आसिर कैसे बच्चे तैयार होंगे? बचपन में परिवार की ओर से जो कुशिक्षा, कुसस्कार और कुकर्म के बीज बच्चों के छोटे से दिमाग में बोये जाते हैं, क्या वे बीज अंकुरित होकर बच्चों के विकास की सही दिशा में जाने देंगे? बचूज का पेड़ बोकर आम के फल की उम्मीद करना कौनसी बात मानी जायगी? —इरा

नयी तालीम समिति का संविधान

सब प्रकार की राष्ट्रीय प्रगति अन्ततोगत्वा उस शिक्षा की सकल्पना, लक्ष्य और पद्धति पर निर्भर करती है, जो किसी राष्ट्र के नागरिक को उपलब्ध होती है। अतः देश की राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली को नये नींव पर निर्मित करना है। इस विश्वास के साथ भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गांधीजी के मार्गदर्शन में एक अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना की और तदनुसार सन १९३८ में डा० जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में श्री श्री ई० डब्ल्यू० धार्यनायकम् के सयोजकत्व में हिन्दुस्तानी तालीमी सघ का संगठन हुआ। हिन्दुस्तानी तालीमी सघ निरन्तर २२ वर्षों तक नयी तालीम की नीति, कार्यक्रम और योजना के प्रचार प्रसार का, अध्यापकों के प्रशिक्षण का, प्रायोगिक स्कूलों को चलाने और उनके मूल्यांकन का और नयी तालीम का वार्षिक अधिवेशन बुलाने का कार्य करता रहा। सघ को गांधीजी के मार्गदर्शन में काम करने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ और गांधीजी ने हर कदम पर इसका पथ निर्देशन किया।

सन् १९५९ का वर्ष हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के इतिहास में एक नये मोड़ का वर्ष था। इस समय तक भूदान-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था और नयी तालीम उस आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से अलग नहीं रह सकती थी, जो देश में हो रहे थे। अतः हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने जब यह अनुभव किया कि देश के रचनात्मक कार्यों के प्रति एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है, तो उसने प्रस्ताव किया कि मात्र नयी तालीम के प्रचार और संगठन के लिए एक अलग संगठन की आवश्यकता नहीं है। अतः सन् १९५९ में सघ का सर्वे सेवा सघ की मुख्य धारा के साथ विलयन हो गया। इस बीच में भूदान-आन्दोलन ग्रामदान की क्रांति में विकसित हो गया और इसका लक्ष्य हुआ ग्राम-स्वराज्य की स्थापना—ग्रामस्वराज्य जिसकी कल्पना गांधीजी ने की थी और विनोबाजी जिसको अमली रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं, जो नयी तालीम का भी लक्ष्य रहा है। इसी अवधि में ग्रामदान-तूफान में सर्वोच्च के सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं का समय और शक्ति लगी रही और इसका परिणाम यह हुआ कि डेढ़ लाख से अधिक ग्रामदान, हजारों प्रखण्डदान और सैकड़ों जिलादान और दो राज्यदान भी प्राप्त हुए।

सन् १९६५ में सर्व सेवा सघ ने नयी दिल्ली में नयी तालीम का एक 'कन्वेंशन' (सम्मेलन) बुलाया और सर्वसम्मति से नयी तालीम के लिए पहले की भाँति ही अलग स्वतंत्र सगठन के पुनर्गठन की सस्तुति की। इस प्रस्ताव के मायरे पर सर्व सेवा सघ ने एक 'नयी तालीम समिति' की नियुक्ति की, जो उन व्यक्तियों और संस्थानों से सम्पर्क रहे, जो बेसिक शिक्षा के काम में लगे हैं और जो गोष्ठियों, और कान्फेंसों के माध्यम से जनमत का शिष्टान्त करें। लेकिन ग्रामदान पादोलन की भाशातीत सफलता के कारण यह भावश्यक समझा गया कि ग्रामदानी क्षेत्रों में निर्माण-कार्य पर अवधान केन्द्रित किया जाय और इसीलिए भावश्यक समझा गया कि

(१) नयी तालीम के विचारों और निर्माण के प्रयोगों के प्रचार प्रसार के लिए विशेष समिति बनायी जाय, जो सर्व सेवा सघ के लक्ष्यों के अनुकूल, उस सस्था के अभिन्न अंग के रूप में, कार्यकारी सगठन का काम करे।

(२) नाम

इस सगठन का नाम 'नयी तालीम समिति' होगा।

(३) मुख्य कार्यालय

समिति का कार्यालय सेवाग्राम अथवा उससे स्वीकृत किसी दूसरे स्थान पर होगा।

(४) लक्ष्य .

(क) नयी तालीम की इस संकल्पना का प्रचार करना कि नयी तालीम जीवन के माध्यम से, जीवन के लिए, जीवन भर की शिक्षा है और समुदाय की सेवा और सहयोग पर आधारित शोषणविहीन अहिंसक समाज के माध्यम से, व्यक्ति का सतुलित विकास उसका लक्ष्य है।

(ख) शिक्षा-संस्थाओं को इस विचार के कार्यान्वयन में सहायता करना।

(ग) उपर्युक्त लक्ष्यों के सदर्भ में शैक्षिक प्रम्प्यासों का मूल्यांकन।

(५) कार्य .

(क) ग्राम-स्वराज्य की स्थापना के कार्यक्रम में सर्व सेवा सघ की सहायता करना और विशेषतः ग्रामदानी क्षेत्रों के बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को नयी तालीम के लाइन पर शिक्षण देना और इन क्षेत्रों के विकास के अनुकूल शैक्षिक योजना और कार्यक्रमों पर गोध करना।

(ख) नयी तालीम के काम में लगे हुए व्यक्तियों और संस्थानों से सम्पर्क रखना।

(ग) नयी तालीम-सम्बन्धी सूचनाओं, अनुभवों के प्रचार-प्रसार के लिए 'क्वियरिंग हाउस' का काम करना ।

(घ) नयी तालीम से मिलते-जुलते दूसरे शैक्षिक प्रयोगों का गहन अध्ययन ।

(ङ) न्यूज लेटर, बुलेटिन और पत्र पत्रिका छापना ।

(च) उपर्युक्त लक्ष्य रखनेवाली संस्थाओं से सम्पर्क रखना और पारस्परिक सम्बन्ध को प्रोत्साहन देना ।

(छ) नयी तालीम की साइन पर सिखा के लिए 'गाइड लाइन' तैयार करना ।

(ज) काफ़ेस, गोष्ठियाँ, बर्कशाप, आदि प्रवृत्तियों के द्वारा नयी तालीम के पक्ष में जनमत तैयार करना ।

(झ) नयी तालीम के कार्यक्रमों के लिए भ्रमणायी योजनाएँ चलाना और नयी तालीम विचारों का भूल्याकन और नयी खोजों को प्रोत्साहन देना ।

(ञ) अध्यापकों और छात्रों की सहायता के उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना और नयी तालीम के विविध क्षेत्रों के गाइड बुक्स—निर्देशिका, सदनिका तैयार करना ।

(ट) नयी तालीम के सम्बन्ध में जनता का शिक्षण करना, जिससे लोकशक्ति की प्रगति के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन हो सके और जो शिक्षा में क्रांति की माँग करे ।

(६) नयी तालीम समिति का विधान

(१) नयी तालीम समिति में कम से कम १५ और अधिक-से अधिक २१ सदस्य रहेंगे और इसका संगठन पहली बार सर्व सेवा सभ द्वारा होगा ।

(२) नयी तालीम समिति के एक-तिहाई सदस्य तीन साल के बाद 'रिटायर' हो जायेंगे और इस प्रकार जो स्थान रिक्त होंगे उसे नयी तालीम समिति भरेगी, 'रिटायर' होनेवाले सदस्यों का पुनर्निर्वाचन हो सकता है ।

(३) समिति की बैठक साल में कम से-कम दो बार अथवा अध्यक्ष और मंत्री जब चाहें, अथवा समिति के उस सदस्य जब अध्यक्ष से विशेष बैठक की माँग करें, होगी ।

(४) सात सदस्यों से समिति का 'कोरम' पूरा होगा ।

(५) मंत्री सदस्यों में कोई भी प्रस्ताव 'स्कैलेट' करेगा और यदि दो तिहाई सदस्य उससे सहमत हुए और बाकी सदस्यों का अगर किसी प्रकार का विशेष विरोध नहीं है तो उसे समिति की बैठक में पास हुए प्रस्ताव का ही दर्जा मिलेगा । (विल हैव दी फोर्स)

(६) नयी तालीम के लक्ष्यों को छोड़कर समिति को सर्वसम्मति से विधान

के किसी भी प्राविधान को सशोधित करने अथवा परिवर्द्धन करने अथवा परिवर्तन (एड) करने का अधिकार होगा बशर्ते कि उपस्थित सदस्यों की संख्या ११ से कम न हो ।

(७) समिति के हिसाब की प्रतिवर्ष नियमित 'आडिट' होगी ।

(७) समिति के पदाधिकारी

(१) सर्व सेवा सभ के मंगठित होने के बाद समिति एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्षों और एक मंत्री की नियुक्ति करेगी ।

(२) सभी पदाधिकारी तीन वर्ष तक अपने पदों पर रहेंगे ; 'रिटायर' होनेवाले पदाधिकारियों को पुनर्निर्वाचन का अधिकार होगा ।

(३) पदाधिकारियों के रिक्त स्थान की पूर्ति, जो समिति के सदस्यों की मृत्यु, अथवा इस्तीफे के कारण होगी, समिति के सदस्यों में से ही कर ली जायेगी ।

(४) समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष करेंगे, और उनकी अनुपस्थिति में दोनों उपाध्यक्षों में से कोई एक और उनकी अनुपस्थिति में समिति के सदस्यों में से कोई भी अध्यक्षता करेगा ।

(५) मंत्री नयी तालीम समिति का प्रमुख एक्जीक्यूटिव आफिसर है । वह कार्यालय का प्रबन्ध करेगा, 'स्टाफ' की नियुक्ति करेगा, सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार करेगा, आय-व्यय का हिसाब रखेगा, फाइल आदि कागजों को ठग से रखेगा, बैठकों की सूचनाएँ देगा, 'एजेण्डा' तैयार करके सदस्यों के पास भेजेगा, बैठक की कार्यवाही का लेखा रखेगा । और समिति के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए और उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा । वह उचित स्थान पर वार्षिक सम्मेलन करेगा और सम्मेलन के प्रबन्ध के लिए स्थानीय समिति नियुक्त करेगा ।

वह समिति की कार्यक्षमता, सम्मान और गौरव के लिए उत्तरदायी होगा । वह सभी प्रकार के चन्दे प्राप्त करेगा और उन्हें किसी समिति के नाम पर शेड्यूल बैंक में रखेगा । सर्व समिति के प्रस्ताव और आदेश के अनुसार किया जायेगा ।

८—जब आवश्यक होगा, समिति तदर्थ उपसमितियाँ नियुक्त करेगी, और उन्हें आवश्यकतानुसार पावर डेलिगेट कर देगी । किसी विशेष कार्य के लिए व्यक्तियों को इस प्रकार के पावर डेलिगेट किये जा सकते हैं ।

९—अर्थ : अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नयी तालीम समिति धन, अनुदान, अथवा कर्ज आदि से अर्थ एकत्र कर सकती है ।

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार -प्रधान सम्पादक

श्री धशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १९

अंक : ४

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

शिक्षको का गौरव	१४५ श्री विनोबा
गांधीजी के शैक्षिक चिन्तन की प्रासंगिकता	१४७ श्री वे० श्रीनिवास भाषार्लू
गणित शिक्षण - कुछ व्यावहारिक सुझाव	१५४ श्री दयाममोहन व्यास
निरक्षरता-निवारण	१६१ श्री रमेशचन्द्र पन्त
श्रीष्ठ शिक्षा की मसाल कौन धामे ?	१६९ श्री नियाज वेग मिर्जा
७० करोड विस्मृत मस्तिष्क	१७४ श्री रेने मेन्नु
कुमारमन्दिर	१७८ श्री गोपालदत्त भट्ट
उत्तर प्रदेश मे पूर्व भाष्यमित शिक्षा की प्रगति	१८१ — —
'नही, हम यह काम नहीं करते !' बोया पेठ बबूल का...!	१८५ इन्दिरा राही "
नयी तालीम समिति का सविधान	१८८ —

नवम्बर, '७०

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा ६ रुपये है ।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट, सर्व सेवा सच्य की ओर से प्रकाशित;

इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, धाराणसी-२ में मुद्रित ।

आप अवश्य ग्राहक बनिए

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

सम्पादक राममूर्ति

वार्षिक चंदा १० रुपये

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक, साप्ताहिक

सम्पादक राममूर्ति

गाँव गाँव में ग्रामस्वराज्य की आकांक्षा मन में है तो गाँव का आराज अवश्य पढ़िये ।

वार्षिक शुल्क ४ रुपये

पत्रिका विभाग

सर्व सेवा संघ

राजघाट, वाराणसी १

‘आचार्य’ का और सारे आचार्यों का चाहे वे छोटे विद्यालय में हो, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में हो, एक समान, सम्मिलित परिवार है। अगर उनकी कोई जाति है तो एक ही— आचार्य की। आचार्य वह है जिसका विचार की शक्ति में विश्वास हो। इस नाते शिक्षक, साहित्यकार कलाकार, पत्रकार, समाज-सेवक, सभी, अगर वे विचार की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आचार्य कहलाने के अधिकारी हैं और आचार्यकुल का सदस्य बनने के। पेशे के हितों की रक्षा के लिए हर एक के अलग-अलग संगठन और सदस्यता हो सकती है लेकिन आचार्यकुल में हर एक की एक ही भूमिका है— आचार्य की।

आचार्यकुल विज्ञान और लोकतंत्र का प्रतिनिधि है। विज्ञान विचार की सत्ता को मानता है, और लोकतंत्र तो खड़ा ही है इस आधार पर कि मनुष्य विचार से बनता है, बदलता है। भले ही आज दुनिया में विज्ञान और लोकतंत्र का बोलवाला दिखायी देता हो, लेकिन अन्दर देखने पर मालूम होता है कि विद्वानों और जन नायकों दोनों का विचार की शक्ति पर से भरोसा उठ रहा है नहीं तो विज्ञान इस तरह शस्त्र और पूंजी की शक्तियों के साथ जुड़ा दिखायी देता, और लोकतंत्र के ‘लोक’ के सीने पर तंत्र सवार हो जाता।

अपने देश में स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। हमारे विद्यालय-महा विद्यालय और विश्वविद्यालय—दोहरे प्रहार के शिकार हो रहे हैं। एक ओर ‘विद्रोही’ का प्रहार है, दूसरी ओर पुलिस का प्रवेश। दोनों के हाथ में एक ही हथियार है—बन्दूक। विद्यालय का लय बन्दूक से किया जा सकता है, लेकिन बन्दूक से उस विद्यालय की रक्षा कब तक होगी, और होकर भी क्या करेगी, जब विचार शक्ति से अपने को सुरक्षित रखने में वह असमर्थ हो चुका हो ?

अगर बन्दूक की शक्ति से आज के प्रतिष्ठानों की रक्षा हो, और बन्दूक की ही शक्ति से समाज के परिवर्तन का प्रयास हो तो खुलकर बन्दूक की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। विवश होकर उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़े, यह स्थिति क्यों आये ? आज सभ्यता विचार बनाम बन्दूक के ‘युद्ध’ में पड़ी हुई है। किसकी विजय होती

है इस पर आगे की कई सदियों का विकास निर्भर करेगा। इस 'युद्ध' में आचार्य पहली पक्ति का सिपाही है।

भारत में विचार-शक्ति से समाज-परिवर्तन का अभियान शुरू हो चुका है। जनता अपने निर्णय और सकल्प से समाज परिवर्तन का श्रम शुरू करे, यह सन्देश ग्रामदान गाँवों में पहुँचा रहा है, अनेक गाँवों में पहुँचा चुका है। ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य आन्दोलन ने विचार-शक्ति की जो सम्भावनाएँ प्रकट की हैं वे सब आचार्यकुल के शोध और प्रयोग के लिए खुली हुई हैं। ये प्रयोग शिक्षण और सगठन के हैं। आचार्यकुल इन्हे समझे, परखे, और अपना 'रोल' अदा करे।

सर्वोदय आन्दोलन को ही नहीं, देश को आचार्यकुल से नेतृत्व की अपेक्षा है। आचार्यकुल सत्य की वाणी है, दल की नहीं, लोक की वाणी है, तंत्र की नहीं, विज्ञान की वाणी है, मतवाद की नहीं। अब समय आ गया है कि हर छोटे बड़े विद्यालय में आचार्यकुल और तरुण-शान्तिसेना का गठन हो और हर कोने से एकसाथ विद्या और विद्रोह का स्वर सुनायी दे।

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १६

अंक : ५

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

आचार्यकुल	१६३ आचार्य राममूर्ति
उत्तर प्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन की कार्यवाही	१६६ श्री शीतल प्रसाद
आचार्यकुल आन्दोलन : सर्वेक्षण और समीक्षा	२०६ श्री वंशीधर श्रीवास्तव
शिक्षक आत्मशोधन करे	२१३ श्रीमती महादेवी वर्मा
आचार्यकुल संरचना और कार्यक्षेत्र	२१६ आचार्य राममूर्ति
आचार्यकुल और शिक्षक	२२१ आचार्य राममूर्ति
आचार्यकुल की शिक्षानीति : शिक्षक का पुनर्नूस्थापन	२२६ श्री रोहित मेहता

दिसम्बर '७०

निवेदन

- 'नवी तालीम' का धर्म जगत्त से आरम्भ होता है ।
- 'नवी तालीम' का वार्षिक खर्चा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र व्यनहार करते समय प्राहक अपनी प्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

आचार्यकुल

पिछले महीने की २९, ३० तारीखों को वाराणसी में उत्तर-प्रदेश के आचार्यकुल का राज्य-स्तरीय सम्मेलन हुआ। इस महीने के अन्तिम सप्ताह में बिहार का सम्मेलन होनेवाला है। अभी १६-१७ नवम्बर को देवरिया जिले के आचार्यकुल में कुशीनगर में अपनी दो दिन की गोष्ठी की थी, जिसमें तीन विद्यालयों के आचार्यकुल ने तय किया कि वे अपने अपने विद्यालय में तरुण-शान्ति सेना भी स्थापित करेंगे और दोनों मिलकर विद्यालय के दो मील की सोमा में पढ़नेवाले गाँवों का प्रयोग-क्षेत्र बनायेंगे, जहाँ वे अपनी सम्मिलित शक्ति से ग्रामदानमूलक शिक्षण और संगठन का कार्य करेंगे।

आचार्यकुल के सम्बन्ध में इन खबरों से यह स्पष्ट होता है कि आचार्यकुल शिक्षक-समुदाय की कल्पना को स्पर्श करने लगा है तथा कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो मानने लगे हैं कि उनके पेशे की जो स्थिति है उसके अलावा उनकी एक और स्थिति भी है—वह है नागरिक की। और, वह स्थिति सामान्य नागरिक की नहीं है। शिक्षक की स्थिति में एक विशिष्टता है। वह 'सत्य' का आदर करता है, और उसीके माध्यम से नयी पीढ़ी को सत्य का स्पर्श होता है, समाज को सत्य का प्रकाश मिलता है। वह वास्तव में विचार की शक्ति का प्रतिनिधि है, ठीक जैसे सिपाही बन्दूक की शक्ति का प्रतिनिधि होता है। यह प्रतीति कुछ शिक्षक मित्रों में जगने लगी है। जो बच गये हैं उनमें कल्प ज्येश्ठी, क्योंकि शिक्षक की वास्तविक स्थिति यही है।

वर्ष : १९

अंक : ५

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार - प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १६

अंक : ५

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

आचार्यकुल	१६३ आचार्य राममूर्ति
उत्तर प्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन की कार्यवाही	१६६ श्री शीतल प्रसाद
आचार्यकुल आन्दोलन : संरक्षण और समीक्षा	२०६ श्री वंशीधर श्रीवास्तव
शिक्षक आत्मशोधन करें	२१३ श्रीमती महादेवी वर्मा
आचार्यकुल संरचना और कार्यक्षेत्र	२१६ आचार्य राममूर्ति
आचार्यकुल और शिक्षक	२२१ आचार्य राममूर्ति
आचार्यकुल की शिक्षानीति : शिक्षक का पुनर्नूत्थापन	२२६ श्री रोहित मेहता

दिसम्बर '७०

नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : १९

अंक : ११

उत्तर प्रदेश आचार्यकुल
सम्मेलन अंक

दिसम्बर १९७०

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

निवेदन

२ अक्टूबर १९६६ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी चालू है। गांधीजी की वाग्गा घर-घर में पहुँच, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जीवन, कार्य तथा विचारों से सम्बद्ध लगभग १५०० पृष्ठों का उच्चकोटि का और चुना हुआ साहित्य सेट केवल रु० ७-०० में देने का निश्चय किया गया है तथा लगभग १००० पृष्ठों का रु० ५-०० में।

सेट न० २, पृष्ठ १५ ०, रु० ७-००

पुस्तक	लटक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६६-१९१६	गांधीजी	१-००
२-वापू तथा १९२०-१९४८	हरिभाऊजी	२ ५०
३-नीमरी शक्ति १९४८-१९६६	विनोबा	२-५०
४-गोता-बोध व मंगल प्रभात	गांधीजी	१-००
५-मरे सपनों का भारत सक्षिप्त	गांधीजी	१-५०
६-गोता प्रवचन	विनोबा	२-००
७-मध प्रकाशन की एक पुस्तक		१-००
		<u>११-५०</u>

यह पूरा साहित्य सेट केवल रु० ७-०० में प्राप्त होगा। एक साथ २८ सेट लेने पर फ्री डिलीवरी मिलेगा

सेट न० १, पृष्ठ १०००, रु० ५-००

उपर की प्रथम पाँच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य सेट केवल रु० ५-०० में प्राप्त होगा। एक साथ ४० सेट लेने पर फ्री डिलीवरी जायगा। अन्य कमोशन नहीं।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१

नयी तालीम

सर्व-भेदा-सघ की मासिकी

वर्ष : १९

प्रंक : ५

उत्तर प्रदेश आचार्यकुल
सम्मेलन अंक

दिसम्बर १९७०

‘आचार्य’ का और सारे आचार्यों का चाहे वे छोटे विद्यालय में हों, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में हों, एक समान, सम्मिलित परिवार है। अगर उनकी कोई जाति है तो एक ही—आचार्य की। आचार्य वह है जिसका विचार की शक्ति में विश्वास हो। इस नाते शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, समाज-सेवक, सभी, अगर वे विचार की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आचार्य कहलाने के अधिकारी हैं और आचार्यकुल का सदस्य बनने के। पेशे के हितों की रक्षा के लिए हर एक के अलग-अलग संगठन और सदस्यता हो सकती है लेकिन आचार्यकुल में हर एक की एक ही भूमिका है—आचार्य की।

आचार्यकुल विज्ञान और लोकतंत्र का प्रतिनिधि है। विज्ञान विचार की सत्ता को मानता है, और लोकतंत्र तो खड़ा ही है इस आधार पर कि मनुष्य विचार से बनता है, बदलता है। भले ही आज दुनिया में विज्ञान और लोकतंत्र का बोलबाला दिखायी देता हो, लेकिन अन्दर देखने पर भालूम होता है कि विद्वानों और जन-नायकों, दोनों का विचार की शक्ति पर से भरोसा उठ रहा है, नहीं तो विज्ञान इस तरह शस्त्र और पूंजी की शक्तियों के साथ जुड़ा दिखायी देता, और लोकतंत्र के ‘लोक’ के सीने पर तंत्र सवार हो जाता !

अपने देश में स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। हमारे विद्यालय-महा-विद्यालय और विश्वविद्यालय—दोहरे प्रहार के शिकार हो रहे हैं। एक ओर ‘विद्रोही’ का प्रहार है, दूसरी ओर पुलिस का प्रवेश। दोनों के हाथ में एक ही हथियार है—बन्दूक। विद्यालय का लय बन्दूक से किया जा सकता है, लेकिन बन्दूक से उस विद्यालय की रक्षा कब तक होगी, और होकर भी क्या करेगी, जब विचार शक्ति से अपने को सुरक्षित रखने में वह असमर्थ हो चुका हो ?

अगर बन्दूक की शक्ति से आज के प्रतिष्ठानों की रक्षा हो, और बन्दूक की ही शक्ति से समाज के परिवर्तन का प्रयास हो, तो खुलकर बन्दूक की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। विवश होकर उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़े, यह स्थिति क्यों आये ? आज सम्यता विचार बनाम बन्दूक के ‘युद्ध’ में पड़ी हुई है। किसकी विजय होती

है इस पर आगे की कई सदियों का विकास निभर करेगा। इस 'युद्ध' में आचार्य पहली पंक्ति का सिपाही है।

भारत में विचार-शक्ति से समाज-परिवर्तन का अभियान शुरू हो चुका है। जनता अपने निर्णय और संकल्प से समाज-परिवर्तन का क्रम शुरू करे, यह सन्देश ग्रामदान गाँवों में पहुँचा रहा है, अनेक गाँवों में पहुँचा चुका है। ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य आन्दोलन ने विचार-शक्ति की जो सम्भावनाएँ प्रकट की हैं वे सब आचार्यकुल के शोध और प्रयोग के लिए खुली हुई हैं। ये प्रयोग शिक्षण और सगठन के हैं। आचार्यकुल इन्हे समझे, परखे, और अपना 'रोल' बढ़ा करे।

सर्वोदय आन्दोलन को ही नहीं, देश को आचार्यकुल से नेतृत्व की अपेक्षा है। आचार्यकुल सत्य की वाणी है, दल की नहीं; लोक की वाणी है, तंत्र की नहीं; विज्ञान की वाणी है, मतवाद की नहीं। अब समय आ गया है कि हर छोटे-बड़े विद्यालय में आचार्यकुल और तरुण-शान्तिसेना का गठन हो और हर कोने से एकसाथ विद्या और विद्रोह का स्वर सुनायी दे।

उत्तर प्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन की कार्यवाही

२८ नवम्बर, १९७० को साय ४ से ६ बजे तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति के समिति-कक्ष में कार्यकारिणी की बैठक हुई। डा० कालूलाल श्रीमाली, उपकुलपति, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने बैठक की अध्यक्षता की। उत्तरप्रदेश आचार्यकुल के सयोजक श्री शीतल प्रसादजी, उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय, अचानक यातायात की गड़बड़ी के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :—

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| १ डाक्टर कालूलाल श्रीमाली, अध्यक्ष | २ श्री राजाराम दासत्री, | सदस्य | |
| ३. श्री रोहित मेहता | सदस्य | ४ आचार्य केशवचन्द्रजी मिश्र | " |
| ५ श्री रामवचन सिंहजी | " | ६ श्री प्रजन्मन्दन स्वरूप सक्सेना | " |
| ७. श्री पी० के० जेना | " | ८ श्रीमती शुभदा तंलग | " |
| ९. डाक्टर विश्वम्भरनाथ टण्डन | " | १० श्रीमती सोला शर्मा | " |
| ११ श्री वशीधर श्रीवास्तव, धामनित | | | |

श्री शीतल प्रसादजी की अनुपस्थिति में श्री वशीधर श्रीवास्तव, ने उत्तर-प्रदेश में आचार्यकुल आन्दोलन की प्रगति की जानकारी दी और बतलाया कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में आचार्यकुल का काम अधिक सघन रूप से हुआ है। इन जिलों के सदस्यों की दो आचलिक गोष्ठियाँ भी आयोजित हुई हैं। इनकी कार्यवाही प्रवेश के सभी सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है।

आचार्यकुल का अधिक गति से काम करने की दृष्टि से सयोजक की ओर से ५००० रु० का एक बजट भी समिति के सामने रखा गया। समिति ने यह निश्चय किया कि जितना धन सदस्यता-शुल्क से प्राप्त हो जाय उससे अतिरिक्त धन के लिए सर्व सेवा सघ से प्रार्थना की जाय। केन्द्रीय आचार्यकुल के सयोजक रावें देवा सघ की अगली प्रत्यक्ष समिति में इस धनराशि की माँग करें।

समूह के सम्बन्ध में कार्यकारिणी ने निश्चय किया कि आचार्यकुल का समूह अत्यन्त सरल हो और वह समूह से अधिक विरादरी रहे।

कार्यकारिणी ने निम्नांकित सदस्यों को 'कोऑरिटर' किया :—

१. डा० सीताराम जायसवाल, रीडर, लखनऊ विश्वविद्यालय
२. डा० गोपाल त्रिपाठी, अध्यक्ष, टेक्निकल विभाग, का०हि०विश्वविद्यालय
- ३ श्री नारायण देसाई, मंत्री, अ० भा० साहित्यसेना मण्डल
४. श्री वशीधर श्रीवास्तव, सर्व सेवा सघ, राजघाट, वाराणसी

उ० प्र० आचार्यकुल का प्रथम सम्मेलन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में धातुकी विभाग के लेक्चरर हाल न० २ में दिनांक २९ तथा ३० नवम्बर १९७० को हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन हिन्दी की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने विश्वविद्यालय के कला महा-विद्यालय के 'प्रेक्षागृह' में २९ नवम्बर को प्रातः बेला में किया। उद्घाटन-समारोह की अध्यक्षता उत्तरप्रदेश आचार्यकुल के सदस्य डा० कालूजाल धोमाली ने की। समारोह का आरम्भ विश्वविद्यालय के कुलपति से और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह के आरम्भ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यकुल के सयोजक डा० प्रफुल्लकुमार जेना ने तथा स्वागत-समिति के अध्यक्ष डा० गोपाल त्रिपाठी ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों एवं अन्य अतिथियों का, विशेषतः महादेवीजी का स्वागत किया।

केन्द्रीय आचार्यकुल के सयोजक श्री वशीधर श्रीवास्तव ने देश में हो रहे आचार्यकुल के काम का सर्वेक्षण और समीक्षा प्रस्तुत करते हुए कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में आचार्यकुल के संगठन का काम हुआ है और शेष प्रदेशों में इसकी इकाइयाँ गठित करने का प्रयास हो रहा है। दक्षिण में आचार्यकुल के विचार-प्रचार करने की दृष्टि से श्री रोहित मेहता जी भी दक्षिणी प्रदेशों का दौरा आरम्भ करनेवाले हैं। इसके बाद उत्तरप्रदेश आचार्यकुल के सयोजक श्री शीतल प्रसादजी ने प्रदेश में हुए आचार्यकुल के कार्य का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उत्तर-प्रदेश के लगभग ३० जिलों में आचार्यकुल के विचार-प्रचार का काम हुआ है, परन्तु पूर्वी अंचल के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और बलिया में अधिक सघन काम हुआ है।

अपने उद्घाटन भाषण में श्रीमती महादेवी वर्मा ने कहा कि मनुष्य जैसे मनुष्य की भाँति रह इसका मार्गदर्शन शिक्षक को करना है। समाज को नये मूल्य देना, तहलों को ध्वंस-मार्ग से विरत कर उनकी विधायक शक्ति का विकास करना और आवेश के स्थान पर विवेक का बोध कराना अध्यापक-वर्ग का कर्तव्य है। आज समाज में जो भ्रमभावत आया है उसका एक कारण यह भी है कि अध्यापक अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार पर जोर देने लगे हैं। त्रिनोवाजी ने आचार्यकुल की स्थापना अध्यापकों के कर्तव्य बोध के व्याकरण के लिए की है। दलगत राजनीति और हर प्रकार की साम्प्रदायिकता से अलग रहकर अध्यापक-वर्ग को अपनी नैतिक शक्ति जागृत करना चाहिए।'

१. पूरा उद्घाटन भाषण पृष्ठ ३१४ पर देखें।

अधिवेशन का दूसरा सत्र

सम्मेलन का दूसरा सत्र धातुकी विभाग के लेक्चरर हाल न० २ में उत्तर-प्रदेशीय आचार्यकुल के संयोजक तथा प्रागरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री शीतल प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। इस सत्र का मुख्य विचारणीय विषय था— 'आचार्यकुल की संरचना और कार्यक्षेत्र', जिसे प्रसिद्ध सर्वोदय-विचारक आचार्य रामभूतिजी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों और आचार्यों की इस गोष्ठी में मुझे कुछ सुझाने का अधिकार तो नहीं है, फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता आचार्यकुल और शिक्षा की समस्याओं पर जिस निगाह से देखता है वह आचार्यों के विचाराय निवेदित किया है।^१

विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए आगरा के डा० हस्तिहर नाथ टंडन ने कहा कि हम आचार्यकुल का संगठन ढीला रख परंतु निष्ठाओं में कोई ढिलाई न करें। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डा० शर्मा, डीन आफ स्टूडेंट्स ने कहा कि केवल निष्ठावान और समर्पित अध्यापक ही आचार्यकुल के सदस्य बनें जो अपने आचरण से अपने छात्रों के भाग आदर्श उपस्थित कर सकें। कागपुर के श्री शिवसागरजी ने कहा कि जो लोग सर्वोदय विचार तथा कार्यक्रम में विश्वास करते हैं वे ही इसके सदस्य बनने चाहिए। वाराणसी के हरिषचन्द्र कालेज के श्री शुबलाजी ने कहा कि आचार्यकुल में प्राथमिक और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को समान माना गया है। परन्तु जब तक वेतन में इतनी अधिक असमानता रहती है, जितनी भाज है, तब बराबरी का, भाईचारे का, लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अतः तुल्य पारिश्रमिक आचार्यकुल का लक्ष्य होना चाहिए। याहू टिप्री कालेज, आगरा के प्राचार्य श्री बनधारीलालजी ने कहा कि आचार्यकुल की संरचना यदि सर्वोदय के आदर्शों से शासित रही तभी यह सम्भव होगा। केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सदस्य श्री रामवचन सिंहजी ने कहा कि भाशा और विश्वास ही हमारा सम्बल है और हम अधिक से अधिक अन्धकारों को लेकर चलें। फहखाबाद के श्री सत्येन्द्र भाँठी ने कहा कि आचार्यकुल के सदस्य के लिए अहिंसा की शर्त रखी गयी है, किन्तु जब छात्र या दूसरे लोग पहले से ही किन्हीं आग्रहों पर जोर दें तथा हिंसात्मक उपद्रव करें, तब हम उन्हें क्या उत्तर दें? छात्र-मानवों मानून और व्यस्य का प्रश्न है, इसे केवल अहिंसा से ही नहीं मुलगाया जा सपता। बलिया के श्री शिवबुनार मिथ

१ पूरा निबन्ध पृष्ठ २१६ पर देखें।

ने कहा कि आचार्यकुल की संरचना ढीली होनी चाहिए और शक्ति में इसका 'इन्वाल्वमेंट' तो हो, किन्तु इतना नहीं कि वह एक मतवाद बन जाय।

भाटपाररानी डिग्री कालेज के प्राचार्य तथा देवरिया आचार्यकुल के समीक्षक श्री केसवचन्द्र मिश्र ने कहा कि परिवर्तन का क्रम नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। शिक्षकों को यह तय करना होगा कि हम कहाँ पर छात्रों से सख्यभाव रखें और कहाँ पर पितृ-भाव रखें। का० हि० वि० वि० के चीफ प्राक्टर डा० रतूड़ी ने कहा कि आज छात्रों के 'प्रोटेस्ट' करने के जो तरीके हैं, उनसे हम पूयक् नहीं रह सकते। देवरिया के भागवत त्रिपाठी ने कहा कि छात्रों के दोषों के लिए अध्यापकों में ग्लानि और शर्म पैदा होनी चाहिए। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यकुल के सदस्य डा० चेलम ने कहा कि आज अध्यापकों के पास वाञ्छित शक्ति करने की शक्ति नहीं है और हमें समाज को भी ऐसा करने या कहने का कोई हक नहीं है। आचार्यकुल ट्रेडयूनियन बनने से बचे, यही बहुत है।

केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सदस्य श्री रोहित मेहता ने कहा कि समय की मांग 'शक्ति' की ही है और यह शक्ति केवल कर्म से ही प्राप्त की जा सकती है। 'अध्यापको तथा समाज में कुद्व करना चाहिए', की चाह तो है किन्तु 'कुद्व नहीं हो सकता' की निराशा भी है। आचार्यकुल का काम इस व्यापक निराशा को समाप्त करना है और कर्म का सकल्प लेना है।

चर्चा के बीच जितनी सकारण उठायी गयीं उनका स्पष्टीकरण सत्र के प्रमुख वक्ता आचार्य राममूर्तिजी ने किया।^१

अधिवेशन का तीसरा सत्र

(३० नवम्बर, प्रातः ९ से १२)

तृतीय सत्र की अध्यक्षता डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी करनेवाले थे, किन्तु कुद्व कारणवश वे नहीं आ सके, अतः इसकी अध्यक्षता के लिए श्री शीतल प्रसादजी से निवेदन किया गया और उन्होंने अध्यक्षता की। सत्र में विचारार्थ मुख्य विषय श्री रोहित मेहता द्वारा प्रस्तुत निबन्ध "अध्यापको का पुनर्न्यायन" था^२।

१. पूरा भाषण पृष्ठ २२१ पर देखें।

२. पूरा निबन्ध पृष्ठ २२९ पर देखें।

प्रबन्ध में उठायी गयी स्थापनाओं पर बहस करते हुए लखनऊ विश्व-विद्यालय के डा० सीताराम जायसवालजी ने श्री मेहताजी से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि भात्र हमारा कोई शिक्षा दर्शन नहीं है, क्योंकि हमारा कोई जीवन-दर्शन ही नहीं है। हमारा अब तक का जीवन समझौता का जीवन रहा है, किन्तु अब समझौते का आधार छोड़कर जीवन दर्शन का विकास करना आवश्यक है। प्राचार्यकुलशिक्षक की समता का आन्दोलन है अतः शिक्षकों में पदों का 'रोटेशन' होना चाहिए। का० हि० वि० वि० के वशिष्ठ ने कहा कि हमें बौद्धिक स्वातंत्र्य पर जोर देना चाहिए और इस दिशा में सब सेवा सघ से प्रकाशित होनेवाली शिक्षा सम्बन्धी पत्रिका 'नयी तालीम' का व्यापक प्रचार करना चाहिए। सुदिष्ट बाबा इण्टर कालेज, बलिया के प्राचार्य श्री जगत नारायण सिंह ने कहा कि शिक्षा में स्वायत्तता तथा प्रशासन से उसके सम्बन्ध को हम स्पष्ट करना चाहिए। बलिया के श्री पाण्डेय ने कहा कि अध्यापकों को केवल पढ़ाने का ही काम सौंपना चाहिए और प्रबन्ध का काम, प्रशासन का काम किसी और को सौंप देना चाहिए। इलाहाबाद के सहायक शिक्षा निदेशक श्री ब्रजनन्दन स्वरूपजी ने कहा कि हमारी कठिनाई आदर्श तक पहुँचने की है, और यह कठिनाई केवल शक्ति से ही दूर होगी। हमारी शक्ति का स्रोत छात्र ही हैं और छात्र के प्रति अपने कर्तव्यों के पाठन से ही अध्यापक शक्ति प्राप्त कर सकता है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डा० भडारी ने कहा कि हम शिक्षा दो न्यायपालिका की जैसी प्रतिष्ठा तो अवश्य दिलायें, किन्तु न्यायपालिका में भी जो 'हायरारकी' असमानता व्याप्त है उससे आचार्यकुल वचे तो ही ठीक होगा। डा० रतूडी ने कहा कि हगे नियमित परिवर्तन की रूपरेखा बनानी होगी। श्री बनवारीलाल तिवारी ने कहा कि हमें अच्छे श्रमिक व अच्छे कृषक को भी आचार्य मानना होगा और उसे भी आचार्यकुल में शामिल करना चाहिए। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ही डा० जेना ने कहा कि हमें आचार्यकुल के आदर्श तक पहुँचने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में आरम्भ करना चाहिए और आचार्यकुल को रामकृष्णमिशन की तरह आदर्श विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। ये विद्यालय आचार्यकुल के प्रयोग-स्थल होंगे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के ही श्री डा० के. एस. विश्वनाथन् ने कहा कि लगता है, हमारे सामने शिक्षा की वही प्राचीनकालीन मूर्ति है, पर अब प्राचीन की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गयी हैं। हमें अपनी सीमा समझनी होगी। विज्ञान और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। न्यूटन और आइन्स्टीन जैसे आध्यात्मिक पुरुष कहाँ मिलेंगे ? श्रीगणेश ने श्री विन्ध्यवासिनी सिंह ने कहा कि आत्मशोध ही आचार्य

के लिए मुख्य बात है। वाशी हिन्दू विश्वविद्यालय के श्री राधे-
श्याम शर्मा ने कहा कि शिक्षा का सुधार केवल प्राचार्य ही नहीं कर सकते,
यह सबका काम है। छात्रों की तोड़ कोड़ तो जीवन का लक्षण है और प्राचार्य-
कुल का काम उनके इस जोश को दिशा देना है। विज्ञान का उपयोग तो हम
करना होगा, क्योंकि विज्ञान में अधिक ईमानदारी होती है। वैज्ञानिक ग्रन्थ
लोगों की प्रेम्णा ईमानदार होते हैं। वाशी विद्यापीठ के श्री खुशालचन्द
गोरावाला ने कहा कि प्राचार्यकुल समान वेतन और शिक्षा के स्वरूप को ग्रामूल
बदलने का काम करेगा तो ही वह सफल होगा।

बहम का समापन करते हुए श्री रोहित मेहता ने कहा कि मेरे
'बकिङ्ग पेपर' पर जो चर्चा हुई है, उसका स्पष्टीकरण करते हुए
मुझे दो-चार बातें ही कहनी हैं। कहा गया है कि मेरे विचार बहुत कुछ स्वप्न
हैं और उनको धरती पर उतारना कठिन होगा। मेरा कहना है कि प्राचार्य-
कुल को स्वप्न देखने से डरना नहीं चाहिए। स्वप्न देखना भी एक साहस
का काम है। प्राचार्यकुल में स्वप्न देखने का साहस हो, वह स्वप्न देखे और
स्वप्नों को कार्यरूप में परिणत करे। मैंने तो इतना ही कहा है कि स्वप्न
देखना और उन कार्यरूप में परिणत करना, दोनों कार्य प्राचार्य के ही हों,
कोई दूसरा उसके लिए यह काम न करे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज शिक्षा-जगत् की सबसे बड़ी
ममस्या यह है कि अध्यापक में एक निराशा व्याप्त हो गयी है। "बुद्ध नहीं हो
सकता", वह ऐसा सोचने लगा है। मेरा कहना है कि आज "बुद्ध किया
जाना चाहिए" के मनोभाव के साथ, बल्कि अधिक प्रबल रूप में "बुद्ध नहीं
किया जा सकता है" के मनोभाव को समाप्त करना है। प्राचार्यकुल का मुख्य
काम शिक्षकों और बुद्धिजीवियों में व्याप्त इस निराश को समाप्त करना है।

अपने सदर्भ-लेख में मैंने शिक्षा विभाग के लिए न्याय विभाग की भांति
स्वायत्तता की मांग की है। उसका अर्थ यह लगाया गया है कि मैं उस विभाग
की 'हायरारकी' से परिचित होता तो यह बात नहीं कहता। विनोबाजी के
साथ मैंने तो इतना ही कहा है कि जैसे न्याय विभाग सरकार से स्वतंत्र होकर
निर्णय ले सकता है, वैसे ही शिक्षक ही यह तय करे कि यह क्या पढ़ायेगा,
कैसे पढ़ायेगा, परीक्षा-मद्धति क्या होगी आदि। प्राचार्यकुल शिक्षक की
ममता का घान्दोलन है। यहाँ 'हायरारकी' का प्रश्न नहीं उठता।

मैंने अपने 'वकिङ्ग पपर' में विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की बात कही है। मैंने यह कहा है कि आज हमारे यहाँ केवल विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है और कला-विषयक (ह्यूमैनिटीज) शिक्षा की धक्केलना हो रही है। इस प्रकार की शिक्षा एकांगी है और इससे बचना चाहिए। विज्ञान से मुझे किसी प्रकार की चिढ़ नहीं है। मुझे एतराज तो विज्ञान की एकांगिता से है। एक विद्वान ने वैज्ञानिक की तुलना एक मछलवाहे से की है। उसके जाल में जितनी मछलियाँ आ गयी हैं, उन्हीं को वह समुद्र भर की मछलियाँ समझता है। यह दृष्टिकोण गलत है। विज्ञान को अपनी शक्ति के साथ सीमा का भी ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान विषय नहीं है, एक दृष्टिकोण है। आचार्यकुल इस दृष्टिकोण का मृजन करे, यही मेरा निवेदन है।

यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिक अधिक उदार होता है और न्यूटन और आइंस्टाइन का उदाहरण दिया गया है, मैं उसे मानता हूँ। परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि न्यूटन और आइंस्टाइन विज्ञान के अध्यापक नहीं थे, वे वैज्ञानिक थे। आचार्यकुल की शिक्षा नीति में विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय द्वारा एक उदार दृष्टिकोण का मृजन करें, इतना ही मैंने कहा है और वह आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

एक दूसरी बात मैंने जेनेरेटान गैस के बारे में कही है। अब दो पीढ़ियों के बीच की दूरी पश्चिमी जगत् में ही नहीं, यहाँ भी बढ़ रही है। आचार्यकुल को इस दूरी को पाटना होगा। और यह वह तभी कर सकता है जब वह शिक्षा के एक ऐसे वातावरण की रूपना करे, जो बिल्कुल भय मुक्त हो। विद्यार्थी के साथ अध्यापक का सम्बन्ध, सहकार का हो। प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक 'पार्टीसिपेशन' का यह भाव भय मुक्ति के लिए आवश्यक है। उपनिषद् काठ में भी यह भाव था। वहाँ भी गुरु शिष्य के साथ साथ ज्ञान-प्राप्ति के प्रयास की बात करता है। मैं कोई नयी बात नहीं कह रहा हूँ।

आचार्यकुल को नय प्रयोगों से डरना नहीं चाहिए। पाण्डिचेरी के नये प्रयोग के बारे में जहाँ छात्र अध्यापक, छात्राएँ साथ रहती हैं, जहाँ कोई घण्टा नहीं बजता, कोई बला नहीं ली जाती। मिवाय भारत के ससार ने इनकी परीक्षाओं को मान्यता प्रदान किया है।

मुझे भत में सिर्फ एक बात बहनी है—आप आचार्यों में जो आत्म तुष्टि की भावना है, उसमें बचना होगा। आपका घर जल रहा है। जो आप बगाल तक घसी है, उसे आपके यहाँ घाने में कितनी देर लगनी? उस समय आपकी

यह कालेज के चहारदीवारी की सुरक्षा बचा सकेगी क्या ? युवा के इस विद्रोह को यदि मायन रचनात्मक दिशा नहीं दी, तो आप बच नहीं सकेंगे। प्राचार्यकुल इस प्रकार की दिशा के लिए ही बना है। जब तक शिक्षक का प्रान्तिकारी रूप प्रकट नहीं होता, जब तक वह वस्तुस्थिति के खिलाफ रुढ़ने के लिए स्वयं तैयार नहीं होना, तब तक वह युवक विद्रोह को भी दिशा नहीं दे सकता।'

चतुर्थ सत्र (२॥ से ५ तक)

सम्मेलन का प्रतिम तथा चौथा सत्र काशी विद्यापीठ के उपकुलपति श्री राजाराम शास्त्री जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। पहले दो सत्रों में हुई चर्चाओं के निष्कर्षों की दृष्टि से इस द्वितीय सत्र में श्री राममूर्तिजी द्वारा प्रस्थापित विषय के निष्कर्षों पर विचार करने के लिए सात सदस्यों की एक समिति बनायी गयी। १. प्राचार्य राममूर्तिजी, २. श्री सिंहासन सिंहजी, ३. श्री हरिहर नाथ टण्डन, ४. श्री शिवकुमार मिश्र, ५. श्री केशवचन्द्र मिश्र, ६. डा० पी० के० जैन और ७. श्री वशीपर श्रीवास्तव।

इस समिति की ओर से श्री केशवचन्द्र मिश्र ने प्राचार्यकुल की संरचना, संगठन तथा कार्यक्षेत्र के बारे में समिति के निष्कर्षों का निम्नांकित नोट प्रस्तुत किया —

१. सदस्यता

(क) प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी प्राचार्य प्राचार्यकुल के सदस्य हो सकते हैं।

(ख) ऐसे लोक शिक्षक, साहित्यिक, पत्रकार, चिन्तक और समाज-सेवक भी, जिनका विश्वास प्राचार्यकुल की निष्ठाओं में है, प्राचार्यकुल के सदस्य हो सकेंगे।

(ग) सदस्यता के लिए निम्नांकित सबलप प्रतिवार्य होंगे

१. सत्ता, दलगत राजनीति और गुटबन्दी से अलग रहना।

२. हिंसा के माध्यम के स्थान पर विचार के माध्यम और हृदय परिवर्तन का माग वा अवसम्बन्ध।

३. लोक सेवा, लोक शिक्षण, और लोकशक्ति निर्माण का कुछ न कुछ काम अवश्य करना।

४. अधिकार के स्थान पर कर्तव्य को प्रमुखता देना।

५. प्राचार्यकुल के संचालन के निमित्त कम से कम एक पैंसा दैनिक के रूप में ३ ६५ ६० वार्षिक प्रदान करना।

२ सगठन

(क) आचार्यकुल आचार्यों का एक स्वायत्त सगठन है जो किमी भी दूसरी सस्था के साथ अपने सम्बन्ध निर्धारण की नीति स्वयं तय करेगा।

(ख) प्रारम्भिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की सस्था आचार्यकुल की प्राथमिक इकाई होगी। इन इकाइयों के सदस्य सस्था के अध्यक्ष अथवा सयोजक का चुनाव करेंगे। एक प्रखण्ड के अन्तर्गत की इकाइयाँ क्षेत्रीय आचार्यकुल का निर्माण करेंगी। एक जनपद के समस्त प्रखण्ड के सयोजक जनपदीय सयोजक प्रादेशिक सयोजक केन्द्रीय सयोजक और कार्यकारिणी का निर्वाचन करेंगे।

(ग) चुनाव और समितियों के निर्णय राय सम्मति से होंगे।

(घ) पदाधिकारियों एवं समितियों की अवधि एक वर्ष की होगी। परन्तु एक व्यक्ति किसी पद या समिति के लिए एक से अधिक बार भी चुना जा सकता है।

३ सदस्यता शुल्क का विनियोग

सदस्यता शुल्क से प्राप्त धनराशि का ५ प्रतिशत केन्द्रीय आचार्यकुल और १० प्रतिशत प्रादेशिक आचार्यकुल को भेज दिया जायगा। शेष ८५ प्रतिशत के विनियोग का निणय, जनपदीय आचार्यकुल करेगा।

४. कार्य क्षेत्र

(क) शिक्षा की स्वायत्तता के लिए गोष्ठियाँ और परिषदें आयोजित करना और कार्यक्रम बनाना।

(ख) सदस्यों में अध्ययन अभ्यास की प्रवृत्ति जगाने के लिए सन्-साहित्य और आचार्यकुल-मुख्यपत्र का प्रकाशन।

(ग) बौद्धिक सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए गोष्ठियाँ और परिषदें आयोजित करना और आचार्यकुल का निष्पक्ष अभिमत निवेदन करना।

(घ) लोक सेवा लोक शिक्षण लोकशक्ति निर्माण और लोकनीति विकास का काम करना।

(च) दु लो छात्रा और शिक्षको के कल्याण के लिए काम करना।

(छ) अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए धन्य प्रयोग करना।

सम्मेलन ने आचार्यकुल की शिक्षा-नीति पर एक घोषणा-पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए निम्नांकित शिक्षाविदों की एक समिति गठित की :

- १ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, भूतपूर्व रेक्टर, काशी हि० विश्वविद्यालय
- २ श्री राजाराम शास्त्री, उपकुलपति, काशी विद्यापीठ
- ३ श्री रोहित मेहता, सदस्य, केन्द्रीय आचार्यकुल समिति, वाराणसी
- ४ श्री शीतल प्रसादजी, उपकुलपति भागरा विश्वविद्यालय, भागरा
- ५ डा० सीताराम जायसवाल, रीडर, प्रशिक्षण-विभाग लखनऊ वि० वि०
- ६ श्री ब्रजबन्धन स्वरूप, उपशिक्षानिदेशक, इलाहाबाद
- ७ श्री केशवचन्द्र मिश्र, प्राचार्य, मदनमोहन मालवीय डिग्री कालेज,
भाटपाररानी, देवरिया
- ८ श्री शिवकुमार मिश्र, प्राध्यापक, मुदिष्टपुरी इण्टर कालेज, बलिया
- ९ श्री पी० के० जेना, सयोजक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आचार्यकुल
- १० डा० आर० मिश्रा डील ऑफ साइन्स, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
- ११ आचार्य राममूर्तिजी, सर्व सेवा सघ, राजघाट, वाराणसी
- १२ श्री बशीर श्रीवास्तव, सर्व सेवा सघ, वाराणसी

श्री बशीर श्रीवास्तव, इस समिति के योजक बनाये गये ।

सम्मेलन ने यह भी प्रस्तावित किया कि यही समिति आचार्यकुल की संरचना और कार्यक्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तुत मतविदे की शाब्दिक संशोधनों के साथ सम्मेलन की ओर से स्वीकृति प्रदान करे ।

इस सत्र के बीच में डा० हजारी प्रसादजी द्विवेदी आ गये थे, भ्रत. उनसे भी आचार्यकुल को मार्गदर्शन की प्रार्थना की गयी । उन्होंने अपने उद्बोधन में आचार्यकुल के प्रादशों की सराहना तथा उसके प्रयासों की सफलता की कामना की । उन्होंने कहा कि श्री रोहित मेहता वा प्रबन्ध वर्तमान शिक्षा के प्रति एक विद्रोह है । आज की शिक्षा एक जड़-यंत्र हो गयी है और उसमें शिक्षक की पहल समाप्त हो गयी है । गांधीजी ने जब नयी तालीम का नारा दिया था तो वे शिक्षा की इस जड़ता को ही तोड़ना चाहते थे ।

सम्मेलन का समारोह समाप्त करते हुए डा० श्रीमान्नी ने आचार्यकुल की सफलता की कामना करते हुए कहा कि आचार्यकुल का विचार अच्छा है, किन्तु काम कठिन है । हमें विचार तथा कयनी और करनी में ऐक्य साधना होगा तभी कुछ हो सकेगा ।

डा० आर० मिश्रा ने आभार प्रकट किया तथा श्री शीतल प्रसादजी ने प्रतिनिधियों और सभी भाग लेनेवालों को धन्यवाद दिया । ३० नवम्बर की रात साढ़े पाँच बजे सम्मेलन समाप्त हुआ ।

—श्री शीतल प्रसाद, सयोजक, आचार्यकुल उत्तरप्रदेश

आचार्यकुल-आन्दोलन : सर्वेक्षण और समीक्षा

वंशीधर श्रीवास्तव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर स्वातन्त्र्य-काल के भारत की शिक्षा-जगत् की समस्याओं का अध्ययन किया जाय तो नीचे लिखी बातें सामने आती हैं :

(१) सरकार द्वारा शिक्षा-संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे शिक्षा-संस्थाओं की स्वायत्तता में हास हुआ है।

(२) शिक्षण-संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग बढ़ी है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाय, ऐसी मांग शिक्षक-सघों की ओर से अनेक बार की गयी है, और आज भी की जा रही है। राष्ट्रीयकरण केन्द्रीयकरण को जन्म देता है और अगर शिक्षा का केन्द्रीयकरण हुआ तो विचारों के रेजिमेन्टेशन से और अधिनायकवाद से बचा नहीं जा सकेगा। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट है।

(३) शिक्षा-संस्थाओं में दलगत राजनीति का प्रवेश हुआ है। एक-एक विद्यालय में अलग-अलग राजनीतिक दलों के गुट बन गये हैं, जो अपने निहित स्वार्थों के लिए छात्र और अध्यापक दोनों का शोषण करते हैं। हर दल अपने ही दल की बात को 'पूर्ण सत्य' मानकर उसका प्रचार करता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी शिक्षा-संस्थाओं में दलगत 'खण्डित सत्य' से ऊपर उठकर पूर्ण सत्य की बात सोचने और कहने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। अतः अगर दलगत राजनीति को शिक्षा-संस्थाओं में छुलकर खेलने का अवसर मिला तो लोकतान्त्रिक मूल्यों के शिक्षण की स्थायी क्षति होगी।

(४) शिक्षा प्रणाली के अनुत्पादक होने के कारण छात्रों में विद्रोह बढ़ा है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंसात्मक ढंग से हो रही है। नवसालवाद की दिशा में बढ़ती हुई तरण छात्र की यह प्रवृत्ति हमारे लोकतंत्र को बहुत बढ़ी-चुनी है।

(५) शिक्षा-प्रणाली के जन-जीवन से अस्वस्थ होने के कारण हमारे अध्यापक राष्ट्र की प्रमुख जीवन-धारा से पहले भी अलग थे। स्वतंत्रता के बाद लोक-जीवन के अधिक निकट आने के स्थान पर ये शिक्षक अपनी शिक्षा-संस्थाओं के दीर्घमहल में और भी अधिक सिमट गये हैं।

(६) हमारे अध्यापक-वर्ग में अधिकार के लिए माँग की प्रवृत्ति बढ़ी है और अध्यापन अध्यापन में निष्ठा कम हुई है। शिक्षा के स्तर में गिरावट की सबसे अधिक जिम्मेदारी इसी प्रवृत्ति की है।

सन् १९६७ में जब स्वर्गीय डाक्टर जाकिर हुसैन विनोबाजी से मिले तो उन्होंने शिक्षा जगत् की इसी समस्याओं की चर्चा की और उनसे मागदमा की अपेक्षा की। उन दिनों विनोबाजी पूसा रोड (बिहार) में रह रहे थे। अतः वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों एवं प्रमुख शिक्षा विचारदो के एक विद्वत् परिषद् का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री त्रिगुण सनन किया।

परिषद् की उद्बोधित करते हुए विनोबाजी ने शिक्षकों को अपनी स्वतंत्र गति खड़ी करने के लिए वृत्त-सकल्य होने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा यह शिक्षा जगत् का दुर्भाग्य है कि जो स्वायत्तता इस देश में 'याप विभाग' की है, उसकी स्वायत्तता भी शिक्षा विभाग की नहीं प्राप्त है। 'याप विभाग' की सरकार के ऊपर एक स्वतंत्र हस्ती है। यद्यपि उसको तनखाह सरकार की ओर से मिलती है तो भी वह सरकार के आदेशों के खिलाफ फसला दे सकता है और उस फैसले पर सरकार को अमल करना पड़ता है। वैसे ही शिक्षकों की भी स्वतंत्र हस्ती होनी चाहिए। वह क्या पढ़ावे कसे पढ़ाव परीक्षा की पद्धति क्या हो यह नियम आचार्य का होना चाहिए न कि सरकार का। परन्तु इस स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए और उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए ध्यान देना है कि शिक्षक सत्ता के पीछे न भागकर स्वयं अपनी स्वतंत्र गति का विकास करे। यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक शिक्षक सत्ता एवं सधप की दलगत राजनीति से मुक्त होकर सकीण मतवादी से ऊपर नहीं उठते और जन गति पर आधारित लोकनीति को नहीं अपनाते। दलगत राजनीति से अलग हुए बिना शिक्षक राजनीति पर प्रभाव नहीं डाल सकते। परन्तु राजनीति से अलग हो जाने मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर शिक्षक ऐसा मानते हैं कि हमने स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ा दिया तो अब हमारा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है तो चलेगा नहीं। शिक्षकों का जन सेवा के माध्यम से जनता से सम्पर्क होना चाहिए। जनता के साथ सम्पर्क नहीं होगा उससे दूर-दूरिद्रय के साथ करणामूलक सहकार नहीं होगा और लोक गति के निर्माण का प्रयास नहीं होगा तो राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा और शिक्षकों की स्वतंत्र गति खड़ी होगी।'

इस प्रकार की स्वतंत्र शक्ति खरी करने के लिए विनोबा ने आचार्यों के एक संगठन की बात सुझायी। उन्होंने कहा—“हम सभी आचार्यों का एक ही परिवार होना चाहिए, ज्ञान की उपासना करना, अपनी पिता-पुत्रि के लिए प्रयत्न करना, विद्यार्थियों के लिए वात्सल्य भाव रखकर उनके विकास के लिए सतत प्रयास करते रहना, सारे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं, उनका तटस्थ भाव से चिन्तन करके सर्वसम्मति या निष्पक्ष निर्णय समाज के सामने रखना, और उनके अहिंसक निराकरण के लिए समाज का मार्गदर्शन करना।”

प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक के वे सभी शिक्षक इस परिवार के सदस्य होंगे जो इस बात का स्वल्प करेंगे कि (१) न तो वे किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनें और न अपनी सस्या में किसी गुटबन्दी का समर्थन करेंगे, (२) वे सारे देश को शिक्षा का क्षेत्र मानकर विचार द्वारा अशान्ति के क्षमन का प्रयास करेंगे और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हिंसात्मक मार्ग का न तो अवलम्बन करेंगे, न समर्थन करेंगे और (३) वे लोक-सेवा और लोक-शक्ति-निर्माण का कुछ न-कुछ काम अवश्य करेंगे। (४) वे अधिकार को नहीं कर्तव्य को प्रमुखता देंगे।

विनोबाजी ने इस परिवार का नाम रखा ‘आचार्यकुल’ और उसकी स्थापना की घोषणा की प्राचीन विजयशिला विश्वविद्यालय के समीप के कहलगाँव (भागलपुर) में, जहाँ कभी उपनिषदी में प्रसिद्ध बहोल मुनि रहते थे। यह ८ मार्च, १९६८ की बात है।

प्रगति

तीन वर्ष की इस छोटी-सी अवधि में आचार्यकुल आन्दोलन देश के पाँच बड़े-बड़े राज्यों में—बिहार, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में—फैला है। दिल्ली और उड़ीसा में भी कुछ चर्चा हुई है। परन्तु दोष प्रदेशों में अभी विशेष कुछ भी नहीं हुआ है।

जिन पाँच प्रदेशों में काम हो रहा है, उनमें बिहार, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र की व्यक्तिगत शिक्षा सस्याओं में आचार्यकुल स्थापित करने के अलावा जिला के सस्यागत आचार्यकुलों का संयोजन कर जिला स्तर के आचार्यकुल भी काममें हुए हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर, मुंगेर और भागलपुर में, उत्तर प्रदेश में मोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, पतेहुगढ़ और कानपुर में जिला स्तर के संगठन बने हैं। उत्तरप्रदेश में इन जिलों के

प्रतिरिक्त २४-२५ और जिले हैं, जहाँ प्राचार्यकुल के विचार-प्रचार का काम हुआ है। महाराष्ट्र में कुल २६ जिले हैं। इनमें से ९ जिलों में जिला-स्तरीय प्राचार्यकुल स्थापित हुए हैं और ११ जिलों में प्राचार्यकुल के विचार-प्रचार का काम हुआ है। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार उत्तरप्रदेश में सदस्यों की संख्या लगभग १०००, महाराष्ट्र में २२५ हैं और बिहार में लगभग १२०० हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान से सूचना नहीं मिली है।

अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रदेशों में प्राचार्यकुल ने नीचे लिखे काम किये हैं

(१) प्राचार्यकुल के विचार को समझने समझाने के लिए और संगठन को कार्यकारी रूप देने के लिए प्राचार्यों और शिक्षकों की सभाएँ और गोष्ठियाँ आयोजित की गयी हैं। सभी अधिकांश स्थानों में विचार प्रचार का यही काम हुआ है।

(२) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राचार्यकुल ने छात्रों के विश्व-विद्यालयी जीवन को सुविधाजनक और संपन्न बनाने के लिए और इस सम्बन्ध में उनका मार्गदर्शन करने के लिए प्राचार्यकुल के सदस्यों की कई उपसमितियाँ बनायी हैं। प्राचार्यकुल के लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए सर्वोत्तम छात्रावास को 'प्राचार्यकुल शील्ड' देने का भी आयोजन किया गया है।

(३) परिषद्वाद द्वारा सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं का निष्पक्ष हल प्रस्तुत करने की दिशा में वाराणसी में 'उत्तरप्रदेश छात्र सभ अध्यादेश' पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिस पर पहली बार प्राचार्यकुल के पञ्चमुक्त मंच से विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा-संस्थाओं और छात्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात कही और सबकी बात सुनकर प्राचार्यकुल ने अपनी निष्पक्ष राय दी। उस राय की कितनी कदर होती है, यह महत्त्व की बात नहीं है। महत्त्व की बात है समाज की समस्याओं पर विचार करने के लिए पञ्चमुक्त समान मंच की स्थापना और परिषद्वाद द्वारा निष्पक्ष हल प्रस्तुत करने का प्रयास।

(४) महाराष्ट्र में तहल शक्ति को रचनात्मक मोड़ देने के लिए प्राचार्यों और छात्रों के दो सह सिविर आयोजित हुए हैं, जिनमें उपस्थित रहनेवाले की संख्या क्रमशः ८० और १२५ थी। इन सिविरों में इस बात को व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा की गयी कि शिक्षकों और छात्रों के बीच में किसी प्रकार का

वग-विग्रह नहीं है। बिहार में भी आचार्यकुल और तरुण शक्तिसेना के कुछ सह दिविर हुए हैं और एक दूसरा सह दिविर २७-२८ दिसम्बर, १९७० को आयोजित ही रहा है।

(५) लोकशक्ति के निर्माण के लिए ग्रामदान ग्राम स्वराज्य की प्रक्रिया में सत्रिय सहयोग करने के विचार से कुशीनगर में देवरिया जनपद के २० विभिन्न सस्थाओं के आचार्यकुल के संयोजकों और सदस्यों की एक बैठक हुई है, जिसमें यह निश्चय किया गया है कि उन तीन कान्सेजों के आचार्यकुल (इनमें एक टिप्री कान्सेज और दो इन्टर कान्सेज हैं) जहाँ ग्रामदान प्राप्ति की घोषणा हो चुकी है, अपनी सस्थाओं के वार्ड मील की परिधि के भीतर आनेवाले ग्रामदानी गाँवों में ग्रामदान ग्रामस्वराज्य का दर्शन समझने समझाने, ग्रामदान में संकल्पित भूमि के वितरण और ग्रामसभा के निर्माण, का काम अपनी छुट्टी के समय करेंगे। इस प्रयोग का बहुत अधिक महत्त्व है, क्योंकि जब तक आचार्यकुल ग्राम शक्ति के निर्माण में सहायक नहीं होता तब तक वह लोकशक्ति का निर्देशन नहीं कर पायेगा, जो उसका प्रमुख लक्ष्य है।

(६) राव रोबा राय, बाराणसी में (जून १९७० में) उत्तरप्रदेश के पूर्वी अंचल के ५ जिलों के आचार्यकुल के सदस्यों की एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें भाय मुद्दों के अलावा विशेषतः शिक्षा की स्वायत्तता और आचार्यकुल के संगठन पर विचार हुआ। शिक्षा की स्वायत्तता के सम्बन्ध में उस गोष्ठी का यह निर्णय कि "पूरा पैसा सरकार का और पूरी स्वायत्तता आचार्य की" - एक सही कदम है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए शिक्षा को शासन-मुक्त होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अगर शासन के अधीन हुई तो विचारों के 'रेजिमेन्टेशन' और अतत्त्वोपस्था अधिनायकवाद को जन्म देगी।

संगठन के विषय में उस गोष्ठी ने निर्णय किया है कि यद्यपि आचार्यकुल के लिए किसी प्रकार के जटिल संगठन की आवश्यकता नहीं है फिर भी आचार्यकुल की इकाइयों को लेकर प्रादेशिक आचार्यकुल और प्रादेशिक आचार्य-कुल को मिलाकर एक केन्द्रीय आचार्यकुल बनाने के लिए विधान बना लेना चाहिए। आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की दूसरी बैठक में विधान बनाने के लिए एक उपसमिति बनायी गयी थी, जिसने विधान का प्रारूप तैयार कर लिया है, परन्तु अभी उसे केन्द्रीय समिति की स्वीकृति नहीं मिली है।

(७) सदस्यता शुल्क के सम्बन्ध में विनोबाजी ने सुझाव दिया था कि प्राचार्यकुल का सदस्य बनने के लिये वेतन का कम-से कम एक प्रतिशत दे, जिससे सगठन के संचालन के लिए समय देनेवाले कार्यकर्ताओं का वेतन दिया जा सके और गोष्ठियों, शिविरों और परिषदों का आयोजन हो सके। लेकिन यह कहीं भी नहीं हुआ है। अधिकांश लोग इस पक्ष में हैं कि सत्याग्रह प्राचार्य-कुल जो भी सदस्यता-शुल्क निश्चय करे, वह मान्य हो, परन्तु यह शुल्क १ पैसा रोज धर्यात् ३-६१ पैसे से कम न हो।

(८) प्राचार्यकुल की स्थापना के बाद डेढ़ वर्ष तक प्राचार्यकुल आन्दोलन में किसी प्रकार की विशेष प्रगति न होती देखकर सर्व सेवा सघ ने अक्तूबर, १९६९ में राजगीर सर्वोदय-सम्मेलन के समय एक केन्द्रीय प्राचार्यकुल समिति का निर्माण किया। इस समिति की पहली बैठक इलाहाबाद में श्रीमती महादेवी वर्मा के निवास स्थान पर हुई थी, जिसमें यह निश्चय किया गया कि प्रादेशिक प्राचार्यकुल का अध्यक्ष और समीक्षक केन्द्रीय समिति के सदस्य रहे। दूसरी बैठक आगरा विश्वविद्यालय में हुई, जिसमें ग्रन्थ मुद्रों के अतिरिक्त दो मुद्रों पर विशेष रूप से चर्चा हुई—(१) सर्व सेवा सघ से प्राचार्यकुल का क्या सम्बन्ध रहे और (२) यह है कि ग्रामस्वराज्य की प्रक्रिया में प्राचार्यकुल का 'इन्वाल्वमेन्ट' कितना हो।

१ सगठन के सम्बन्ध में मात्र इतना निवेदन है कि आज देश में सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, उन प्रवृत्तियों को चलानेवाली संस्थाओं का समुच्चय ही सर्व सेवा सघ है। 'प्राचार्यकुल' भी 'सर्व' के उदय के लिए चलनेवाली ही एक प्रवृत्ति है, और इस दृष्टि से सर्व सेवा सघ से उसका वैचारिक सम्बन्ध है और रहेगा। परन्तु इस समय स्थिति यह है कि प्राचार्यकुल की केन्द्रीय समिति का निर्माण भी प्रथम बार सर्व सेवा सघ की प्रथम समिति ने ही किया है और प्राचार्यकुल आन्दोलन के लिए धन भी सघ से ही मिलता है। यह 'धन' बन्धन न बन जाय, यह प्राचार्यकुल के चिन्तन का विषय है। इस सम्बन्ध में विनोबाजी से पूछा गया है कि प्राचार्यकुल का सर्व सेवा सघ से क्या सम्बन्ध रहे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्राचार्यकुल जैसा भी चाहे सम्बन्ध रखे धर्यात् अगर प्राचार्यकुल चाहता है कि सर्व सेवा सघ उसकी आर्थिक सहायता करे, परन्तु दखल बिलकुल न दे तो वैसा सम्बन्ध रखे। और यह ठीक है कि प्राचार्यकुल की स्वायत्तता में कहीं किसी प्रकार का दखल न हो। परन्तु प्राचार्यकुल को यह तय करना है कि विनोबाजी ने जिस समझ

क्रान्ति की कल्पना की है, आचार्यकुल सर्व सेवा सघ के साथ उसे शेयर करना चाहता है, या नहीं। वह मुनियादी क्रान्ति का शिक्षण करना चाहता है या केवल एक 'पामस ब्रदरहुड' बनना चाहता है। उत्तरप्रदेश का यह सम्मेलन इस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करे।

२. जहाँ तक आचार्यकुल आन्दोलन का प्राग स्वराज्य की प्रक्रिया में 'इन्वाल्वमेंट' का सम्बन्ध है, विनोबाजी का कहना है कि आचार्यकुल को ग्रामदान आन्दोलन को उठा लेना चाहिए और आचार्यकुल का सक्रिय सहकार ग्रामदान आन्दोलन को मिलना चाहिए। शिक्षक ग्रामदान-प्राप्ति करे, भूमि-वितरण करे और ग्रामसभा को मार्गदर्शन दे। वे गाँवों के 'फ्रेण्ड फिलासफर' और 'गाइड' बनें। आचार्यों के हाथ में विद्यार्थी हैं, ग्रामीण हैं, और शिक्षित लोग भी हैं। यह त्रिविध शक्ति सटी हो सकती है। अपना काम छोड़कर करें, ऐसा नहीं, अपने काम के साथ करें। आचार्यकुल से विनोबा ने लोकनीति के निर्देशन की अपेक्षा की है, बिना इस 'इन्वाल्वमेंट' के यह निर्देशन सम्भव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में भी सम्मेलन को अपनी राय देनी है।

(९) एक दूसरी बात और है, जिसकी चर्चा बाराणसी और देवरिया, दोनों गोष्ठियों में हुई है। आज सभी राज्यों में शिक्षक सघ है, जो अपने सदस्य अध्यापकों के अधिकार के लिए सरकार से या मंत्रालय से लड़ते हैं। इन संस्थाओं के कुछ सदस्य आचार्यकुल के आन्दोलन को विरोधी मंच स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आचार्यकुल इन संस्थाओं का विरोधी नहीं पूरक है। आचार्यकुल उनकी 'प्रोफेशनल' एकता को तोड़ने का नहीं, उनकी नागरिक हैसियत को बढ़ाने का कार्यक्रम है। उनकी एकता अगर टूटी तो दलगत राजनीति के प्रवेश से टूटेगी। आचार्यकुल तो इससे रक्षा का कार्यक्रम है। जहाँ तक अधिकारों का प्रश्न है, आचार्यकुल अधिकारों की माँग के लिए नहीं है, कर्तव्य की जागृति के लिए है, परन्तु अगर किसी भी समस्या के समाधान के लिए शिक्षक-सघों की माँग न्यायपूर्ण है और मार्ग क्रान्ति और प्रहिंसा का है तो आचार्यकुल उनका समर्थन करेगा। जो भी हो, आचार्यकुल का शिक्षक-सघ से क्या सम्बन्ध हो, इस पर भी विचार करना होगा।

[उत्तरप्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन में श्री धरमेश्वर श्रीवास्तव, समोजक, केन्द्रीय आचार्यकुल समिति द्वारा प्रस्तुत आचार्यकुल आन्दोलन का प्रगति-विवरण]

शिक्षक आत्मशोधन करें

महादेवी वर्मा

शाश्वत ज्ञानपीठ और मोसदायिनी काशी नगरी में स्थित महामना की इस तपोभूमि में हम आज मानसिक मुक्ति के चिन्तन के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी संस्कृति सदा से ही शासन और समाज दोनों की मार्गदर्शिका रही है। किन्तु जब पिछले २०० सालों से शासकों ने शिक्षा पर काबू करने का प्रयास किया, तब से ही हमारा मनोबल गिरने लगा, और शिक्षा शासनपरक बनती गयी। आज हमारे देश में एक दिशाभ्रम की स्थिति है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि कियर जायें और क्या करें। जीवन के हर क्षेत्र में, और शिक्षा में भी, राष्ट्रीयकरण का नारा व्याप्त है, किन्तु इस राष्ट्रीयकरण का अर्थ केवल 'सरकारीकरण' है। यह शाश्वत दासता की माँग है। जब बन्दी खुद ही कहने लगे कि मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल दो, तब उसका उद्धार कौन कर सकता है ?

हम आज भी धर्मियों के द्वारा चालू की गयी शिक्षा-पद्धति को चला रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा नहीं बदली। पुराना चौखटा आज भी कायम है। नतीजा यह हुआ कि आज स्वतंत्र भारत का तरुण हमसे कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। वह बुद्धि से बौना और जीवन के सम्बल से वंचित होता जा रहा है। जिन युगों में 'ज्ञान' 'मुक्त' रहा है, उन दिनों मानव भी 'मुक्त' रहा है। हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धति न शासनपरक थी न समाजपरक थी। वह तटस्थ रहकर दोनों को मूल्य प्रदान करती थी, और दोनों का मार्गदर्शन करती थी। हमारी परम्परा में गुरु तथा शिष्य दोनों का लक्ष्य आत्मशोधन के लिए विद्या देना तथा विद्या प्राप्त करना था, और यही कारण था कि उस वक्त का तरुण आत्म विश्वास से भरा होता था। वह ऐसा जमाना था जब 'स्टीफिकेट' की जरूरत नहीं पड़ती थी। गुरुओं का नाम ही प्रमाण होता था। 'वसिष्ठ के आश्रम का विद्यार्थी हूँ, उनका शिष्य हूँ, इतना बताने पर विद्यार्थी कितनी क्षमतावाला होगा, यह जाना जाता था।

आज का तरुण विधुग्ध है। उससे सबसे अधिक खनरा आज स्वयं शिक्षक को ही है, क्योंकि वह उसे कुछ नहीं दे पाता, जिसके लिए छात्र उसके पास आता है। वह अपने जीवन की रिक्तता को भरने आता है, लेकिन शिक्षक के जाने से, जाने से, उसके होने से, या न होने से विद्यार्थी के जीवन पर कोई असर

नहीं पड़ता। वह पास से गुजरता है तो रिक्तता भरती नहीं है, बल्कि उस घूसी घरती म जैसे दरारें पड़ जाती हैं। आज तर्हण प्यार और सम्बेदना वा प्यासा है, उस घमृत के लिए प्यासा है, जिसे नवल आचार्यों ही दे सकता है। हम मेघ बनकर बरस जायें, सब दरारें, सब विपमताएँ पाट दें। समस्याओं का समाधान अगर नहीं हुआ तो ध्वस होगा। और तब नयी पीढ़ी हमें शमा नहीं करेगी।

यदि आज का छात्र विध्वंस के मार्ग पर जाता है तो उसका दायित्व हम शिक्षकों पर है। तर्हण के आघेदा को विवेक की शक्ति देकर उसका सर्जनात्मक विकास करना शिक्षकों का कर्तव्य है। आज की समस्याएँ विद्याधियों की नहीं, शिक्षकों की हैं; लेकिन इस और शिक्षकों का ध्यान नहीं गया है। उनके सगठन अधिक बेतन तथा प्रेड आदि की माँग तब सीमित हैं। समस्याओं का समाधान हो, शिक्षा सरकार से मुक्त हो, शिक्षकों का वर्चस्व अखण्डित रहे ऐसी माँग कोई नहीं करता। विनीवाजी ने जब आचार्यकुल का विचार सुझाया तो उनके मन में शिक्षा की स्वायत्तता और शिक्षकों के अखण्डित वर्चस्व की ही बात थी। आचार्यकुल का वाम आत्मशोधन तथा आत्ममथन की प्रेरणा देता है। अपने मनोबल और तपस्या के द्वारा नागरिक तथा समाज के वर्चस्व को कायम रखना तथा नयी पीढ़ी के मार्ग को आलोकित करना हम शिक्षकों का कर्तव्य होना चाहिए। यह हम तभी कर सकेंगे जब हमारा चरित्र उज्ज्वल हो, भावनाएँ उदात्त हों, और हम आज की राजनैतिक दलदल से बचे रहें। हमारी राजनीति तो विक्षिप्तों का एक मेला है। विक्षिप्तों के इस मेले में, जहाँ सश्र सवेरे सत्ता के लिए दल-बदल होता है, कुसियाँ खींची और उल्टी जाती हैं, कोई नहीं यह जानता कि कल क्या होगा? इस राजनीति ने शिक्षकों का मनोबल दुबल किया है और समाज को तोड़ा है। इस राजनीति के फेर में पड़कर आज का बूढ़ और तर्हण दोनों ही विक्षिप्त हो गये हैं।

और, हम शिक्षकों ने तो छात्र को वास्तव्य तथा ज्ञान देने के बजाय उसे उत्तरपुस्तिकाओं में कैद कर दिया है। ये उत्तरपुस्तिकाएँ ही उसके लिए कैवल्यदायिनी बन गयी हैं। शिक्षक एक जड़ यन्त्र जैसे बन गये हैं। इतने बड़े समृद्ध ज्ञान के इस समृद्ध देश में शिक्षक क्या यन्त्र बनकर ही रह जाना चाहते हैं? वास्तव में ज्ञान के सप्रेरण में ही हम अपनी कीमत बना सकते हैं। शिक्षकों का काम प्रतिदान का नहीं आत्मदान का सौदा है। हमें याद रखना चाहिए कि अधिकार माँगने से नहीं मिलता है। लेकिन कर्तव्य करने से जो अधिकार

मिलता है उसका इन्कार कोई नहीं कर सकता। वह कर्तव्य से स्वतः प्राप्त हो जाता है। दीपक जब जलने लगता है तो अपने आप अंधेरे पर अपना अधिकार जमा लेता है। उसके जलने से ही एक प्रभामंडल पैदा हो जाता है। वैसे ही बेगिया में फूल खिलने का कर्तव्य करता है तो उसकी खुशबू को तौल तौल कर बाँटने की जरूरत नहीं रहती है। खिलने से ही फूल जाने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है।

आज पश्चिम की दुनिया में साधनों का वैभव है, बुद्धि का वैभव है, लेकिन अन्तर से वे खाली हैं। जब बुद्धि का वैभव अपनी मर्यादा छोड़ देता है, तब जीवन का सौन्दर्य नष्ट हो जाना है। जैसे सागर का वैभव अपार है, लेकिन वह अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, अगर वह अपनी मर्यादा तोड़ दे, तो धरती का सौन्दर्य ही नष्ट हो जाय। हमारे आदर्श और मूल्य पुरातरव विभाग की कौतूहलवाली वस्तुएँ नहीं हैं। हर युग में यथार्थ तो बदलता है, लेकिन सत्य नहीं बदलता, जीवन के सत्य तो बदलते हैं, लेकिन तत्त्व नहीं बदलते। हमारी संस्कृति के कुछ तत्त्व शाश्वत हैं। इस देश के चिन्तन में कुछ ऐसे मूल्य हैं, जो सनातन हैं। हमें जो सत्य और तत्त्व उत्तराधिकार में मिले हैं, उन्हें सुरक्षित रक्षना और विकसित करना आचार्यकुल का कर्तव्य है। मनुष्य मनुष्य कैसे रहे, यह काम शिक्षकों को करना है।

हम यहाँ विचार करने बैठे हैं। विचार एक यज्ञ है, सकल्प भी एक यज्ञ है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अंधेरे में बैठकर दीपक की माला अपने से प्रकाश नहीं आयेगा, उसके लिए तो दीपक ही जलाना पड़ेगा। आचार्यकुल का हर सदस्य सकल्प करे, और स्वयं दीपक बनकर जले, तभी वह नयी पीढ़ी को और समाज को आलोकित कर सकेगा।

आज एक माँघी आयी है, और इतिहास में माँघियाँ आती ही रहती हैं। परन्तु कोई ऐसी माँघी नहीं, जो जीवन की साँस बन सके। अगर आचार्यकुल तच्छणों को, समाज को, प्राणदायिनी साँस दे सके, तो माँघी और क्षमावात गुजर जायेंगे, लेकिन जीवन कायम रहेगा। जीवन की श्रुति में पतञ्जल भी आते हैं, लेकिन पतञ्जल पल्लवों और टहनियों में आता है, वृक्ष की जड़ में नहीं आता। अगर जड़ में भी पतञ्जल पा जाय तो वृक्ष का जीवन ही समाप्त हो जाय। शिक्षकों का स्थान समाज रूपी वृक्ष की जड़ में है। इसीलिए शिक्षकों को शाश्वत मूल्यों और तत्त्वों से युक्त होना है।

[शेष पृष्ठ २४० पर]

आचार्यकुल : संरचना और कार्यक्षेत्र

राममूर्ति

१. विशिष्टजन की दृष्टि से नहीं, सबजन की दृष्टि से देखें तो हमारे देश का पिछले तेईस वर्षों का इतिहास त्रिविध विफलता का इतिहास है।

इस लम्बी अवधि में फुटकर रूप से घनेब घण्टे काम हुए, एक के बाद दूसरी राष्ट्रीय योजनाएँ चलीं, विविध मतवादी के नाम में घनेक राजनीतिक दल बने, सरकार और सत्ताभाषा या भरपूर विस्तार हुआ, लेकिन सर्वजन की दो प्रारम्भिक चीजें आज तक नहीं मिल सकीं—एक, समाज या समान संरक्षण दूसरी, तुल्य पारिश्रमिक। विशिष्टजन से भागें बढ़कर स्वतंत्रता अभी तक सर्वजन के जीवन में नहीं पहुँची। जन जन के जीवन में स्वतंत्रता को चरितार्थ करने में लोक-कल्याण की शासन नीति विफल हुई है विरोधवाद की राजनीति विफल हुई है राहत की सेवा-नीति विफल हुई है। यह त्रिविध विफलता देश की एक एक चीज में झलक रही है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, यह त्रिविध विफलता घनी होती जा रही है, यहाँ तक कि समाज अपनी मूलभूत समस्याओं की प्रतीति भी खोता जा रहा है, उनके शांतिपूर्ण समाधान के सब रास्ते बंद होते जा रहे हैं। सत्ता की राजनीति विरोधवाद, विरोधवाद के बाद सघर्षवाद की मंजिलें पार करती हुई सहारवाद के बिन्दु तक पहुँच गयी है। लोकतंत्र का 'लोक' तंत्र के भ्रमजान में फँसकर खो गया है। लोकतंत्र अस्तुत दलतंत्र होकर रह गया है। सरकारवाद को ही समाजवाद का नाम दिया जा रहा है। सेवा सत्ता की बासी हो गयी है, और सत्ता स्वयं राज्य और सम्पत्ति के साथ जुड़ गयी है। ऐसी स्थिति में शासक-सेठ सिपाही की सत्ता के नीचे नागरिक की बची खूबी सत्ता भी समाप्त होती दिखायी दे, तो आश्चर्य क्या है ?

२ इस त्रिविध विफलता के कारण क्या हैं ? कारणों की विस्तार के साथ विभिन्न दृष्टियों से, ध्यान दीन की जा सकती है, और उनके बारे में ईमानदारी के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है यह कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में देश के लोक की शक्ति जान-बूझकर अज्ञेय रखी गयी। जिन शक्तियों से शासक सेठ और सिपाही काम करते हैं, यानी कानून, पूजा और राज्य, वे लोक की शक्तियाँ नहीं हैं। हमारी राजनीति ने पिछले तेईस वर्षों में इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल किया। दूसरी शक्तियाँ

नहीं उभरीं। लोक की शक्ति के प्रकट होने के दो ही माध्यम हैं—बुद्धि और भ्रम। दूसरी चीजों से कहीं अधिक, सत्यनिष्ठ बुद्धि के प्रकाश तथा कुशल उँगलियों के विधायक पुरुषार्थ के मेल से ही कोई पिछड़ा, गरीब, कमजोर समाज बदलता है, बनता है, बढ़ता है। हमने दूसरा बहुत कुछ किया, किन्तु इन शक्तियों की ओर ध्यान भी नहीं दिया, उल्टे हमने अंग्रेजी राज की ही छोटी हुई बुनियादों पर एक विशाल पुराना-नया मिलाकर प्रतिष्ठान (इंस्टी-ट्यूट) खड़ा कर लिया। इस राजनीतिक, भाषिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठान ने साइनबोर्ड तो सबजन का लगाया, लेकिन यह चलाया गया विशिष्टजन द्वारा, विशिष्टजन के लिए। इतने वर्षों के बाद वह भी भ्रम टूट रहा है—भ्रमने बोझ से, भ्रमविरोध से। वह खुद भी टूट रहा है और समाज को भी तोड़ रहा है। जिस प्रतिष्ठान की जड़ें देश की परम्परा में, प्रतिभा में और परिस्थिति में न हों, वह कितने दिन तक चलेगा ?

३ प्रश्न है इस स्थिति में से निकलने का कोई उपाय है ? क्या राजनीति के पास कोई उपाय है ? व्यवसाय के पास है ? सेना के पास है ? विनोदशो और विद्वानों के पास है ? दिखायी नहीं देता कि इनके पास है। तो किसके पास है ? हम कुछ भी कहें, उपाय विशिष्टजन के पास नहीं है, है सामान्यजन के पास, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनके पास है। वे खुद इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि उनके प्रश्नों का उत्तर विशिष्टजन के पास है। इस भ्रम के कारण जो कुछ चल रहा है, उसे वे मस्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जो होना चाहिए उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इस व्यापक भ्रम और प्रमाद को कौन तोड़ेगा ? जिसमें होश होगा वही दूसरों में होश पैदा करेगा। नयी लोक-चेतना के आधार पर नयी लोक शक्ति का संगठन कौन करेगा ? जिसमें जोश होगा, वह करेगा।

इस बित्तन में से आचार्यकुल का जन्म हुआ है। होश की तलाश में आचार्यकुल मिला है, और जोश की तलाश में तरुण-शासितेता मिली है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, परस्पर पूरक हैं। ये सिक्के हमारे विद्यालयों में भरे पड़े हैं। हमारे विद्यालयों में विद्या का चाहे जितना लय होता हो, फिर भी उनमें ऐसे लोग हैं जिनके पास होश भी है, जोश भी है। वे भ्रमर सामने निकल आये तो देखते देखते हवा बदल जायगी। प्रचलित प्रतिष्ठान की—उसकी राजनीति, उसकी भ्रमनीति और उसकी शिक्षण नीति, तीनों की—जड़ें हिल चुकी हैं। प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा खो चुका है। परिस्थिति में परिवर्तन की मांग है, लोक मानस में एक बेचैनी है, जो प्रकट होना चाहती

के अनुसार चलने की पावन्दी बयो हो ? ये सभी आयाम हैं, जो आचार्यकुल के चिंतन के विषय बन सकते हैं, बनने चाहिए भी । शुरुआत स्थायी या राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर पक्षमुक्त, वस्तुनिष्ठ, अभिमत से की जा सकती है । उ० प्र० आचार्यकुल द्वारा छात्र सभों के अध्यादेश पर विचार और अभिमत एक शुभ प्रयास था ।

६ आचार्यकुल विचार की शक्ति में विश्वास रखनेवालों की समान विरा-
दरी है, इसलिए उसकी सदस्यता शिक्षक, विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, पत्र-
कार, समाज सेवक, आदि सबके लिए खुली हुई है । विचार की शक्ति कैसे जगे,
कैसे संगठित हो, और समाज के जीवन में कैसे निर्यायक बने, यह प्रश्न है ।
सर्वोदय आन्दोलन विचार की शक्ति द्वारा समाज परिवर्तन का एक व्यापक
प्रयोग कर रहा है । ग्रामस्वराज्य में नये स्वामित्व और नये नेतृत्व की धल्पना
ही नहीं, योजना भी प्रस्तुत हो चुकी है । 'ग्रामदान से ग्रामस्वराज्य' के कई
सघन क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया लागू हो चुकी है । आचार्यकुल इन प्रयोगों
से जुड़कर विचार-शक्ति का सबसे यशस्वी माध्यम बन सकता है । एक एक
प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक उसकी इकाइयाँ गठित हो सकती
हैं । ये गठित इकाइयाँ अपने पढोस के गाँवों या मुहल्लों में शिक्षण और संगठन
के अपने प्रयोग क्षेत्र अलग भी बना सकते हैं जिनमें आचार्यकुल और तरुण-
शांतिसेना का सम्मिलित पुरुषार्थ प्रकट हो सकता है ।

७ आज देश का सवजन जिस नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है, वह उसे
आचार्यकुल से ही प्राप्त हो सकता है लेकिन यह पात्रता उसमें तब आवेगी
जब वह हिता की टक्कर और चादी के विवाद की नहीं विज्ञान की, सत्र की
नहीं लोक की, प्रतिष्ठान की नहीं नागरिक की, चाणी बनेगा । आचार्यकुल
तथा तरुण शांतिसेना के सम्मिलित पुरुषार्थ से वह नयी 'जीवन नीति' (डिजाइन
फार न्यू लिविंग) विकसित होगी जिसका मेल भारत की परम्परा, प्रतिभा और
परिस्थिति से होगा । वह 'डिजाइन' विद्या और विद्रोह के ताने बाने से
बनेगी ।

* उ० प्र० आचार्यकुल सम्मेलन में प्रस्तुत निवेदन

[सम्मेलन में चर्चा के लिए प्रस्तुत निबन्ध पर चर्चा होने के बाद चर्चा का समापन करते हुए आचार्य राममूर्तिजी ने जो भाषण दिया, यह यहाँ दिया जा रहा है । स०]

शिक्षकों के हित

आचार्यकुल के भ्रान्दोलन ने यह माँग की है कि भाज जो शिक्षक की यह दुर्गति हो रही है, जिसकी वजह से उसे तरह-तरह के उलाहने सुनने पड़ रहे हैं, उनसे वह मुक्त हो । शिक्षक भाज नीकर की स्थिति में है । आचार्यकुल उसे शिक्षक के रूप में देखना चाहता है, नीकर के रूप में नहीं । भाज हम लोग अपनी भाँखों से देख रहे हैं कि क्या विद्यार्थी, क्या श्रमिक और क्या शिक्षक, जहाँ कहीं भी दलों का प्रवेश हुआ वहाँ दलों के दल दल में उनकी समस्याएँ उलझ गयी । मजदूर ट्रेड यूनियनों का क्या हाल हुआ ? एक दल के मजदूर एक तरफ, दूसरे दल के मजदूर दूसरी तरफ, वे भूल जाते हैं कि हम दोनों एक हैं । वे पार्टी के झंडे लेकर घावस में लड़ते हैं । शिक्षक भी जहाँ कहीं दलों में बँटे हैं, वहाँ वे शिक्षक नहीं रह जाते, वे दल के भ्राम्य बन जाते हैं और उन्हींके झंडे पर घारे काम करते हैं । एक दल का शिक्षक दूसरे दल के शिक्षक के मुकाबिले खड़ा होता है । मुजफ्फरपुर में नगरपालिका का चुनाव हुआ । एक ही कालेज के दो प्रोफेसर एक ही चुनाव क्षेत्र से खड़े हुए और दोनों की तरफ से विद्यार्थी लट्टु लेकर अपने-अपने गुरुओं की सेवा के लिए तत्पर हुए । यह चीज शिक्षक की ताकत को बढ़ानेवाली है या विद्यार्थी की ताकत को बढ़ानेवाली है ? इससे हमारी पैसे की एकता भी नहीं रहेगी, और बातें तो जाने दीजिए । इसलिए इस भ्रान्दोलन ने भ्राम्य किया है कि अपने पेशे, अपने व्यवसाय, के हितों की रक्षा के लिए शिक्षक अपना कोई संगठन बनाता है तो जरूर बनाये । वह अपने हितों की रक्षा करे । भाज के समाज में यह कोई नहीं कहेगा कि ऐसा वह न करे । अपने हितों को लेकर वह कोई सड़ाई छेड़ता है और आचार्यकुल यह समझता है कि यह लड़ाई उचित है तो वह उस सड़ाई का समर्थन करेगा, लेकिन आचार्यकुल अगर यह समझता है कि शिक्षक-सभ ने जो सड़ाई छेड़ी है वह उचित नहीं है तो वह समर्थन नहीं करेगा । आप यह तो नहीं कहें कि शिक्षक सभ की छेड़ी हुई सड़ाई उचित ही होगी ? आचार्यकुल निडर होकर,

है, कुछ करना चाहती है। अगर परिवर्तन में परिवर्तन का संकेत है तो लोक-मानस में परिवर्तन की रुझान है। हाँ, लोगों के सामने परिवर्तन का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट हो भी कैसे? दलों के अपने-अपने 'सत्यों' के कोलाहल में सत्य—पक्ष-मुक्त, आग्रह-मुक्त सत्य—की वाणी बोलता कौन है? विज्ञान और लोकतंत्र के इस युग में अगर सत्य पक्ष और आग्रह से मुक्त न हो, और अगर वह सत्य 'सर्व' का न हो, तो उसकी शक्ति क्या होगी, और उसका मूल्य क्या होगा?

४. क्या आचार्यकुल मतवादी और पक्षों के 'सत्य' से ऊपर उठकर विज्ञान के सत्य की वाणी बन सकेगा? क्या वह अपने सीमित दायरे से निकलकर सर्व की बात कह सकेगा? विज्ञान और लोकतंत्र के मूल्यों की माननेवाली वाणी दूसरी क्या बात कहेगी?

विनोबा ने आचार्यकुल से यही अपेक्षा रखी है। आचार्यकुल और तरुण-शाहिसेना ने उन्होंने विज्ञान और जवान की शक्तियों का मेल देखा है। अगर ये शक्तियाँ सामान्यजन की शक्ति के साथ जुड़ जायँ तो 'सर्व' के उदय का रास्ता खुल जायेगा। सर्वोदय-ग्रामदोलन ने ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य की योजना इसी दृष्टि से देश के सामने प्रस्तुत की है।

लोक-शक्ति का काम शिक्षण और संगठन का है, दलबन्दी और संघर्ष का नहीं। लोक-शिक्षण और लोक-संगठन के क्रम में अन्याय और भ्रष्टाचार का प्रतिकार हो सकता है, और होना भी चाहिए। किन्तु लोक-शक्ति और सत्ता के संघर्ष में मेल नहीं है। अगर लोकतंत्र में दलों की सत्ता ने धागे जाकर लोकतंत्र का काम करनी हो तो लोक-जीवन को दलों से मुक्त कर उसे स्वायत्त, सहकारी इकाइयों में संगठित करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। यदि लोक-शिक्षण द्वारा यह स्थिति पैदा करनी हो तो स्वभावतः स्वयं शिक्षण की अपनी लक्ष्मण-रेखा से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी शिक्षण एक सामाजिक शक्ति (सोशल फोर्स) बन सकेगा। आज शिक्षण 'स्टेटस् को' (यथास्थिति) का अंग है; वह राजनीति और व्यवसाय की शिक्षण-विरोधी शक्तियों का पिछलगू बना हुआ है।

५. शिक्षण को सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जाय तो उसके तीन आयाम प्रस्तुत होते हैं :

- एक, समाज-परिवर्तन की गत्यात्मकता (डाइनेमिक्स थाव सोशल चेंज);
- दो, निर्माण की प्रक्रिया (प्रोसेस थाव डेवलपमेंट);
- तीन, क्रमिक पाठन की पद्धति (मेथड थाव टीचिंग) ।

हमें इन तीनों आयामों को सामने रखकर सोचने की जरूरत है। तीसरे आयाम पर गांधीजी के जमाने से लेकर आज तक काफी नया चिंतन, शोध और प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले और दूसरे आयाम भ्रष्ट होते पड़े हुए हैं। जब राजनीति अपनी गत्यात्मकता छोड़ चुकी हो तो शिक्षण की गरयात्मकता का शोध और प्रयोग समाज के विकास के लिए अत्यन्त और तत्काल आवश्यक है। विचार को पक्ष और धारह से मुक्त कर उसकी शक्ति प्रकट करने का प्रयास, हिंनों के सघर्ष के घरातल से ऊपर उठाकर समान हित की भूमिका का विकास, सघर्षों के दान्तिपूर्ण हल के मार्गों की शोध व्यावसायिकता में प्रलग हर व्यक्ति की नागरिकता की प्रतिष्ठा, आदि प्रश्न शिक्षण की 'डाइनेमिक्स' के अन्तर्गत हैं। इसके अन्तर्गत तहणों का विद्रोह शिक्षण भी है। विधायक विद्रोह का पूरा शास्त्र और उसकी कार्य पद्धति विकसित करने की जरूरत है, नहीं तो जिस तरह विज्ञान शास्त्र में, लोकतंत्र दल में, समाजवाद सरकार में उलझकर रह गया है, उसी तरह विद्रोह-भावना भी मुस्से, प्रहार और निष्प्रयोजन सघर्ष में खत्म हो जायगी, जब कि जरूरत यह है कि विद्रोह भावना को नव-निर्माण की रचनात्मक शक्ति के रूप में विकसित किया जाय। यह काम शिक्षण ही कर सकता है। आज दुनिया के विद्रोही युवकों की मांग भी है कि उन्हें ऐसा शिक्षण नहीं चाहिए जो राजनीति और व्यवसाय का गुलाम हो।

देश में निर्माण के कार्यों की कमी नहीं है, लेकिन निर्माण की कोई क्रिया शैक्षणिक ढंग से नहीं चलायी जाती। अगर शैक्षणिक ढंग से चलायी जाय तो काम अच्छा हो, युवक श्रमिक का कौशल बढ़े। उसकी बुद्धि जगे, उसका सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो, और उसके अन्दर सम्मानपूर्ण नागरिक बनने की आकांक्षा पैदा हो। इस भूमिका में एक पूरे गांव को विद्यालय मानकर शिक्षण का सर्वांग सम्पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। निर्माण के किसी कार्य को शिक्षण का 'प्रोजेक्ट' तो माना ही जा सकता है।

शिक्षण के नये आयामों को सामने रखने से शिक्षक की अपने व्यवसाय के प्रति सारी दृष्टि बदल जाती है। शिक्षण और विद्यार्थी, शिक्षण और समाज, तथा शिक्षण और सरकार के बीच सम्बन्धों की भूमिका भी बदल जाती है। विद्यालय किसी बाहरी शक्ति द्वारा संचालित होनेवाला मात्र 'विभाग' नहीं रह जाता, बल्कि शिक्षक-शिष्यार्थी अभिभावक के अभिन्न और निर्णय स चलनेवाला एव 'ज्वाइंट इन्टरप्राइज' बन जाता है। साधनों की सहायता समाज और सरकार दोनों में प्राप्त हो, लेकिन समाज की 'कन्फर्मिटी' और सरकार के हुन

है, कुछ करना चाहती है। अगर परिस्थिति में परिवर्तन का संकेत है तो लोक-मानस में परिवर्तन की रक्षा है। हाँ, लोगों के सामने परिवर्तन का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट हो भी कैसे? दलों के अपने-अपने 'सत्यों' के कोलाहल में सत्य—पक्ष-मुक्त, धार्मिक-मुक्त सत्य—की वाणी बोलता कौन है? विज्ञान और लोकतंत्र के इस युग में अगर सत्य पक्ष और धार्मिक से मुक्त न हो, और अगर वह सत्य 'सर्व' का न हो, तो उसकी शक्ति क्या होगी, और उसका मूल्य क्या होगा?

४. क्या आचार्यकुल मतवादों और पक्षों के 'सत्य' से ऊपर उठकर विज्ञान के सत्य की वाणी बन सकेगा? क्या वह अपने सीमित दायरे से निकलकर सर्व की बात कह सकेगा? विज्ञान और लोकतंत्र के मूल्यों को माननेवाली वाणी दूसरी क्या बात कहेगी?

विनोबा ने आचार्यकुल से यही अपेक्षा रखी है। आचार्यकुल और सहण-शासितेना में उन्होंने विज्ञान और जवान की शक्तियों का मेल देखा है। अगर ये शक्तियाँ सामान्यजन की शक्ति के साथ जुड़ जायँ तो 'सर्व' के उदय का रास्ता खुल जायेगा। सर्वोदय-आन्दोलन ने ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य की योजना इसी दृष्टि से देश के सामने प्रस्तुत की है।

लोक-शक्ति का काम शिक्षण और संगठन का है, दलबन्दी और संघर्ष का नहीं। लोक-शिक्षण और लोक-संगठन के क्रम में अन्याय और अनीति का प्रतिकार हो सकता है, और होना भी चाहिए। किन्तु लोक-शक्ति और सत्ता के सपर्ष में मेल नहीं है। अगर लोकतंत्र में दलों की सत्ता से धाये जाकर लोकसत्ता कायम करनी ही तो लोक-जीवन को दलों से मुक्त कर उसे स्वायत्त, सहकारी इकाइयों में संगठित करने के निवाय दूसरा रास्ता नहीं है। यदि लोक-शिक्षण द्वारा यह स्थिति पैदा करनी हो तो स्वभावतः स्वयं शिक्षण को अपनी लक्ष्मण-रेखा से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी शिक्षण एक सामाजिक शक्ति (सोशल फोर्स) बन सकेगा। धार्मिक शिक्षण 'स्टेट्स को' (यथास्थिति) का अंग है, वह राजनीति और व्यवसाय की शिक्षण-विरोधी शक्तियों का पिछलग्गू बना हुआ है।

५. शिक्षण को सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जाय तो उसके तीन आयाम प्रस्तुत होते हैं :

- एक, समाज-परिवर्तन की गण्यत्मकता (इन्फ्लेमिबल भाव सोशल चेंज);
- दो, निर्माण की प्रक्रिया (प्रोसेस भाव डेवलपमेन्ट);
- तीन, प्रतिक पाठन की पद्धति (मेथड भाव टीचिंग) ।

आचार्यकुल और शिक्षक

राममूर्ति

[सम्मेलन में चर्चा के लिए प्रस्तुत निबन्ध पर चर्चा होने के बाद चर्चा का समापन करते हुए आचार्य राममूर्तिजी ने जो भाषण दिया, वह यहाँ दिया जा रहा है। स०]

शिक्षकों के हित

आचार्यकुल के घान्दोलन ने यह माँग की है कि आज जो शिक्षक की यह दुर्गति हो रही है, जिसकी वजह से उसे तरह-तरह के उलाहने सुनने पड़ रहे हैं, उनसे वह मुक्त हो। शिक्षक आज नौकर की स्थिति में है। आचार्यकुल उसे शिक्षक के रूप में देखना चाहता है, नौकर के रूप में नहीं। आज हम लोग अपनी भाँसों से देख रहे हैं कि क्या विद्यार्थी, क्या श्रमिक और क्या शिक्षक, जहाँ कहीं भी दलों का प्रवेश हुआ वहाँ दलों के दल दल में उनकी समस्याएँ उलझ गयीं। मजदूर ट्रेड यूनियनों का क्या हाल हुआ ? एक दल के मजदूर एक तरफ, दूसरे दल के मजदूर दूसरी तरफ, वे भूँस जाते हैं कि हम दोनों एक हैं। वे पार्टी के झंडे लेकर भावस में लडते हैं। शिक्षक भी जहाँ कहीं दलों में बँटे हैं, वहाँ वे शिक्षक नहीं रह जाते, वे दल के आदमी बन जाते हैं और उन्हींके इशारे पर सारे काम करते हैं। एक दल का शिक्षक दूसरे दल के शिक्षक के मुकाबिले खड़ा होता है। मुजफ्फरपुर में नगरपालिका का चुनाव हुआ। एक ही कालेज के दो प्रोफेसर एक ही चुनाव क्षेत्र से खड़े हुए और दोनों की तरफ से विद्यार्थी सट्टे लेकर अपने-अपने गुरुओं की सेवा के लिए तत्पर हुए। यह चीज शिक्षक की ताकत को बढ़ानेवाली है या विद्यार्थी की ताकत को बढ़ानेवाली है ? इससे हमारी पेशे की एकता भी नहीं रहेगी, और बातें तो जाने दीजिए। इसलिए इस घान्दोलन ने मान्य किया है कि अपने पेशे, अपने व्यवसाय, के हितों की रक्षा के लिए शिक्षक अपना कोई संगठन बनाता है तो जरूर बनाये। वह अपने हितों की रक्षा करे। आज के समाज में यह कोई नहीं कहेगा कि ऐसा वह न करे। अपने हितों को लेकर वह कोई लड़ाई छेड़ता है और आचार्यकुल यह समझता है कि यह लड़ाई उचित है तो वह उस लड़ाई का समर्थन करेगा, लेकिन आचार्यकुल अगर यह समझता है कि शिक्षक-संघ ने जो लड़ाई छेड़ी है वह उचित नहीं है तो वह समर्थन नहीं करेगा। आप यह तो नहीं कहेगा कि शिक्षक संघ की छेड़ी हुई लड़ाई उचित ही होगी ? आचार्यकुल निडर होकर,

है ही, तबोयत मरी है कि आपके करीब बैठूं हो सकता है कि आज में भूठा हूँ तो आपके पास बैठने से मेरा प्यूठ निकल जाय । आज में सरावी हूँ, आज कुछ योडी-सी पी है, हो सकता है कल से छोड़ दू । बाहिर आप कहेंगे क्या ? इस तरह से अगर मनुष्य को हम पापो की सूची बनाकर भलग करते चले जायेंगे तो यही क्या गारटी रह जायेगी कि हम पापो से बचे रह जायेंगे ? हमको भी दूसरे लोग कह देंगे कि तुम्हारे अन्दर भी १०१ पाप होंगे, तुमने देखा ही नहीं अपने पापो को इसीलिए पुण्यात्मा बने हुए हो । आज के लोकतन्त्र में समान वोट का अधिकार हरेक व्यक्ति को मिला है । मान लीजिए कि किसी भी तरह, सिफारिश से, नकल करके, इम्तहान पास किया और शिक्षक बन गया तो उसको आचार्यकुल का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए । अपनी बिरादरी में उसको जगह दीजिए । वह खोटा सिक्का होगा तो दस हाथों में जाने के बाद बाजार से निकल जायेगा । और अगर सरा होगा तो अपनी जगह कायम रहेगा और मुमकिन है कि आज नहीं तो कल उसके गुण विकसित हो । लेकिन 'एनिमिनेशन का प्राप्तेस मत चलाइए । बहिष्कार की प्रक्रिया कायम करके जातिवाद को हम फिर से नये रूप में प्रतिष्ठित न करें । बहुत अनुभव किया हमारे देश ने जातिवाद का । किसीको शूद्र कहा किसीको चाण्डाल कहा । हमारा पावित्र्यवादी हिन्दू समाज कहीं से कहा गया । उसके हम मुक्तभोगी हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं । इसलिए पावित्र्यवाद के नाम में नयी जातियाँ न कायम की जायें । जो हमारे साथ मिलना चाहता है उसको हम स्वीकार करें और यह भरोसा रखें कि किसीकी छूत से हम अपवित्र नहीं होंगे । आचार्यकुल की सदस्यता ऐच्छिक है और ऐच्छिक ही रहनी चाहिए ।

जिस किसी विद्यालय में कुछ मित्र होंगे वहाँ आचार्यकुल की एक इकाई होगी । जबर्दस्ती किसी विद्यालय में इकाई बनाने की बात है नहीं । लेकिन यह बात जरूर है कि आचार्यकुल में प्राइमरी स्कूल का शिक्षक डिप्री कालेज के प्रोफेसर के साथ बैठेगा । अगर हमारे अन्तरमन में किसी गरीब रिस्तेदार के लिए दुराव हो तो उसे निकाल देना चाहिए । मान लीजिए एक ब्लाक है जिसमें दस-बीस प्राइमरी स्कूल हैं । उन प्राइमरी स्कूलों में से पाँच में आचार्यकुल की इकाइयाँ हैं । उनमें २-२, ३-३ शिक्षक हैं । तो कोई तो आपको एक मच बनाना होगा जहाँ आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को बुलायेंगे । सस्था में एक इकाई होगी । ब्लाक स्तर पर हर इकाई के प्रतिनिधियों से ब्लाकस्तरीय इकाई बनेगी । ब्लाक इकाइयों से जिलास्तर की इकाई होगी । जिला इकाइयों से प्रान्तीय, और प्रांतीय इकाइयों से राष्ट्रीय इकाई बनेगी । प्राइमरी इकाइयों

से ऊपर उठते हुए राष्ट्रीय स्तर तक की इकाइयों तक पहुँचना होगा। इस तरह हमारी बराबरी संगठित होगी। बिरादरी ऐच्छिक होगी, लेकिन असंगठित नहीं होगी। अगर हमे अत्याय और अनीति का प्रतिकार करना है तो हमारी बिरादरी में प्रतिकार की सामर्थ्य होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय आवाज होनी चाहिए। हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? हम यह दावा करते हैं कि हर स्थानीय, या राष्ट्रीय प्रश्न पर हम बिलकुल निष्पक्ष होकर, वैज्ञानिक रीति से, आन्वेषिक दृष्टि से, विचार करेंगे और अपनी राय समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर राष्ट्रीय प्रश्न है तो राष्ट्रीय इकाई उस पर अपना राष्ट्रीय मत प्रकट करेगी। जब राज्य का प्रश्न होगा तो राज्य स्तर की इकाई अपना मत प्रकट करेगी। जिले के प्रश्न पर जिले की इकाई करेगी। इस तरह अपनी आवाज को प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। सहकार शक्ति के विकास के लिए, प्रतिकार-शक्ति के विकास के लिए, हम बिरादरी की इतनी ताकत तो पैदा करनी ही होगी कि जरूरत पडने पर बोल सके और कुछ कर सके। उतनी ताकत की रक्षा करते हुए इस बिरादरी को जितनी ढीली-ढाली रखनी ही चाहिए। संगठन शब्द में कठोरता की छद्मि है। उस कठोरता की पहचान यह है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का आदेश लादा जा रहा है। हमारे ऊपर दूसरे का अनुशासन चल रहा है। आचार्यकुल में ऐसी बात नहीं है। उसमें किसी भी ऊपर की इकाई का आदेश नीचे की इकाई पर नहीं है, और न कोई शासन है। इसकी शक्ति आत्मानुशासन में है।

सर्वोदय आन्दोलन और आचार्यकुल

संगठन के सदर्भ में एक भाई ने यह सवाल उठाया है कि आज सर्व सेवा सभ की तरफ से सर्वोदय आन्दोलन चल रहा है, आचार्यकुल भी उसकी एक प्रवृत्ति है। जरूर विनोबाजी ने इस प्रवृत्ति को प्रेरणा दी है। लेकिन आपको सर्व सेवा सभ की दुम में बाँधने की कहीं कोशिश नहीं की गयी है। उलटे यह कहा गया है कि अगर आपको मदद की जरूरत हो, और आप सम शते हो कि सर्व सेवा सभ से मदद मिल सकती है तो आप उसके हकदार हैं, लेकिन सर्व सेवा सभ इस बात का हकदार नहीं है कि जबदंस्ती आपको घसीटकर अपने साथ ले चले। आपकी पूरी स्वायत्तता कायम है। आचार्यकुल जो भी सम्बन्ध रखना चाहे सर्वोदय आन्दोलन से रख सकता है। उसको यह भी छूट है कि अगर किसी वक्त वह महसूस करे कि सर्वोदय आन्दोलन से देश का अहित हो रहा है तो अपनी राष्ट्रीय इकाई में विचार करके उसे देश के नाम यह घोषणा करनी चाहिए कि देश में सर्वोदय के नाम से यह जो आन्दोलन

चल रहा है उससे देश को नुकसान हो रहा है, उससे देश की जनता को होशियार रखना चाहिए। इससे बढकर स्वायत्तता का आश्वासन क्या हो सकता है ? यह आश्वासन आचार्यकुल को मिला हुआ है। इस आन्दोलन ने आचार्यों की बुद्धि पर भरोसा किया है। समय बतायेगा कि इस आन्दोलन का यह विश्वास कितना सही है। सर्वोदय आन्दोलन ने माना है कि आचार्यकुल सत्य की बाणी है। वह जिसे सत्य समझेगा, कहेगा। आचार्यकुल किसीका 'मास्टर्स वायम' नहीं है। वह अपने 'कान्वास' की बात कहेगा। इस आन्दोलन ने स्वायत्तता की बात यहाँ तक कही है।

स्वतंत्र शिक्षा

आचार्यकुल के तमाम कामों में एक बहुत मुख्य काम है शिक्षा को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना। आज माँग होती है राष्ट्रीयकरण की। शिक्षक अपने वेतन आदि को लेकर परेशान हैं। इस आन्दोलन ने यह कहा है कि जैसे न्याय विभाग को सरकार पंसा देती है, लेकिन किसी जज से यह नहीं कहती कि वह कानून को छोड़कर मामले का फैसला करे। जो जज कानून के खिलाफ फैसला करता है वह बेईमान कहा जाता है। इसलिए सरकार साधन तो दे शिक्षा को लेकिन अपना नियंत्रण उसके ऊपर न लादे। आचार्यकुल हर शिक्षा-संस्था को शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक के सम्मिलित 'इन्टरप्राइज' के रूप में देखता है। शिक्षा को वह 'स्टेट इन्टरप्राइज' के रूप में नहीं देखता। विद्यालय 'पब्लिक सेक्टर' का कारखाना नहीं है, 'ज्वाइंट इन्टरप्राइज' है इन तीन तत्वों की—शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक।

आचार्यकुल के कार्य

इसीलिए जब आचार्यकुल के कृत्यों (फक्शन) की बात होती है तो तीन-चार बातें उभरकर सामने आती हैं। उसका सबसे बड़ा काम है सत्य की बाणी बनना। इतल सत्य नहीं, जाति सत्य नहीं, धर्म-सत्य नहीं, सम्प्रदाय सत्य नहीं, सत्य, केवल सत्य। जो भी आज हमारी तटस्थ बुद्धि को सत्य मालूम होता है उसे आचार्यकुल समाज के सामने प्रस्तुत करेगा। साम्प्रदायिक प्रश्न है, सरकार के भ्रष्टाचार का प्रश्न है, जोर-जुल्म है समाज में कोई भी चीज है जिसकी तरफ ध्यान आना जाता है तो ध्यान उसके बारे में अपने तटस्थ मत समाज के सामने रख दें। ऐसा उत्तरप्रदेश के आचार्यकुल ने किया है मध्यादेश के बारे में। उसने ठीक समझा कि शिक्षण संस्था के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तो उसने ऐसा कहा। उसने ठीक समझा कि छात्रसंघ ऐच्छिक

होना चाहिए तो उमने यह भी बग। इसके लिए कुछ छात्राणी भी मित्री, कुछ गानी भी मित्री। यह नही सोचा छात्रार्थकुल ने कि हमारे विचार का क्या भय होगा। उसने धानी बात कही। यह उगता एक बड़ा बडा 'कवगत' है। आज समाज म मत्य की वाली गमाप्त हो गयी है। तारा धत्य पार्टी मत्य बन गया है। जनता भ्रम म है कि मचमुच सत्य क्या है। कोई तो ही जो सच बात कह। यह छात्रार्थकुल का एक बडा 'कवगत' है।

दूसरा काम उसका यह है कि एक विद्यालय शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक का इन्टरप्राइज बन बनगा? इन तीनों की मम्मिमित निणय शक्ति कैसे विकसित होगी / तीसरा काम है शिक्षा की गरवार से स्वतंत्र करन का उपाय सोचना। चौथा काम है कि विचार की शक्ति का प्रवेश समाज मे कैसे होगा? आज तो समाज तरह-तरह की निष्ठा धारणाओं और पदापाठपूर्ण धाम्रों पर चन रहा है। यही कारण है कि किसी प्रश्न का कोई उचित हल नही मिलता। देवरिया के मित्रो न यह तय किया है कि जहाँ जहाँ छात्रार्थकुल की स्थापना हुई है वहाँ हम २ ३ मीठ की गोमा मे सपना प्रयोग क्षेत्र बनायेगे और उन गाँवो म हम लोकशक्ति के सगठन का प्रयत्न करेंगे। गाँवो मे सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रश्न, ऋणों का प्रश्न है, गरीबी से निवटने का प्रश्न है, और जुलम म सपने का प्रश्न है, सरवार म गाँवो का प्रतिनिधित्व का प्रश्न है। ये ही प्रश्न ग्रामस्वराज्य-मानवोत्थन क सामने भी है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो गाँवो के जीवन की गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। देवरिया के मित्र एक सघन क्षेत्र म यह प्रयोग करके देखेंगे कि विचार समाज-परिवर्तन की 'डाइनेमिक्स' बन सकता है या नहीं। इसी तरह का एक क्षेत्र, देहान म या नगर में, यह विश्वविद्यालय ले सकता है। यहाँ का छात्रार्थकुल तय कर सकता है कि दो मील का यह क्षेत्र हमारा प्रयोग-क्षेत्र होगा—लोकतंत्र की जगाना और लोकशक्ति का सगठन करना ताकि यह इतनी सश्रिय हो जाय कि जनता मे समस्याओं की सही प्रतीति हो और उनमे समस्याओं को हल करन की शक्ति पैदा हो। यह काम कैसे होगा? यह आप विद्वानों को दूसरा कौन बतायेगा? अर्थशास्त्र के विद्वान को, राजनीति के विद्वान को कौन बतायेगा? आपसे अलग दूसरा कौन ध्यावहारिक कार्यक्रम देगा? छात्रार्थकुल की एक हकाई स्वयं सोचे कि उसके पडोस मे १०० परिवारो का गाँव है, तो उसकी समस्याएँ कैसे हल होंगी। इस तरह की प्रतिभा छात्रार्थकुल मे है, उसे अब प्रकट होना चाहिए।

तरुण आतिसेना छात्रार्थकुल के साथ लगी हुई है। थम का पक्ष तरुण पूरा करें। बुद्धि का पक्ष आप पूरा करें। दोनों मिलकर समस्याओं का हल ढूँँें।

समस्याओं का हल इस देश को कौन देगा ? देश में तो ऐसा लगता है कि जैसे सवालों के जवाब ढूँढने की शक्ति ही खत्म हो गयी हो। सरकार ने खुद यह ठीकेदारी ली थी कि सारे सवाल हमारे पास भेजो हमारे ही जवाब देश के जवाब होंगे। उस ठीकेदारी का पता चल गया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि समाज ने भी अपनी शक्ति खो दी अब उस शक्ति को नये सिरे से जगाने का काम है। ये दिशाएँ हैं जिनमें हम अपने लिए व्यावहारिक कार्यक्रम खोज सकते हैं।

शिक्षा का घोषणा-पत्र

सारी शिक्षा के प्रश्न पर एक नयी दृष्टि रखने की बात है। शिक्षा की नयी पद्धति क्या होगी, उसकी नयी तकनीक क्या होगी ? ये सवाल तो हैं ही, लेकिन इन सवालों से कहीं ज्यादा महत्व इस सवाल का है कि आज शिक्षा की बुनियादें क्या होंगी ? शिक्षा का शिक्षक से क्या सम्बन्ध होगा ? शिक्षक विद्यार्थी का क्या सम्बन्ध होगा ? एक शिक्षक का दूसरे शिक्षक से क्या सम्बन्ध होगा ? शिक्षक और विद्यार्थी का समाज के साथ क्या सम्बन्ध होगा ? पूरे विद्यालय का समाज के साथ क्या सम्बन्ध होगा ? नयी शिक्षा में हम कहां तक परम्परा को लेकर चलेंगे, और कहां तक आधुनिकता को स्वीकार करेंगे। ये तमाम प्रश्न शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। प्राचार्यकुल इस बात पर जोर दे रहा है कि शिक्षण के पूरे प्रश्न पर एक नयी दृष्टि डाली जाय। इसलिए कल रोहितजी आपके सामने एक 'एजूकेशन मेनिफेस्टो' की बात रखेंगे। जरूरत है कि शिक्षा का एक नया घोषणा-पत्र बने जिससे आप सहमत हो, और जिसके आधार पर समाज का लोकात्मत तैयार किया जाय। एक प्रेशर जनरेट किया जाय। समाज से बातें मनवायी जायें, सरकार से भी मनवायी जायें शिक्षा-संस्थाओं से भी मनवायी जायें। क्या पद्धति होगी मनवाने की, यह भी सोचा जाय। अब आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए। बैठने से काम नहीं चलेगा।

'रिसर्च' नहीं, 'सर्च'

यह बात तो ठीक है कि २३ वर्षों में शिक्षा में कोई बुनियादी सुधार नहीं हुआ, बल्कि कुछ पुराने मच्छी चीजें भी खत्म हो गयी। दूसरे क्षेत्रों में तो कुछ हुआ भी है, लेकिन शिक्षा में कुछ नहीं हुआ। 'रिसर्च' बहुत हुई लेकिन 'सर्च' नहीं हुई, जब कि जरूरत आज के समाज को 'रिसर्च' में ज्यादा 'सर्च' की है। एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद भी पश्चिम के ही पीछे चलना रहा—राजनीति में, अर्थनीति में, शिक्षा-नीति में, सबमें। पीछे

चलते चलते २३ वर्ष के बाद अब हम लोग एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हम कहीं पहुँचे हैं, जैसे भँघरे में कोई एक दूसरे से पूछे भाई तुम कहीं हो ? यह हालत आज हम सबकी हो गयी है ।

इस बात की जरूरत निर्विवाद है कि अब 'सच' होनी चाहिए—नय तरीकी की, नयी राजनीति की नयी अर्थ नीति की, नयी शिक्षा-नीति की । अगर 'सच' नहीं होगी तो 'रिसच' किस बात की होगी ? विनोबा ने और कुछ किया हो या न किया हो इतना तो किया ही है कि एक नयी दिशा सोचने के लिए प्रस्तुत की है । न्यूटन का सारा विज्ञान आज 'आउट ऑफ डेट' हो जाय, किन्तु उसने दुनिया के सामने एक नया सिद्धान्त तो प्रस्तुत किया ही था, जिसने विज्ञान को आगे बढ़ाया । विनोबा ने देश को शोध की नयी निशा दी है कि हमारे देश के लिए उपयुक्त कौनसा लोकतंत्र होगा, विकास की कौनसी रीति नीति होगी, शिक्षण कैसा होगा जिसका मेल हमारी परम्परा से हो, आज की परिस्थिति से हो हमारी 'नेशनल जीनियस' से हो । हम स्वतंत्र हुए, लेकिन हमने अपने लिए नया रास्ता नहीं ढूँढा । इसके लिए हमारे नेता जिम्मेदार हैं । क्या आचार्यकुल मानेगा कि नये रास्ते खोजने का काम उसका है ? हमारे विद्यालयों से एक नयी विद्या निकले, नया प्रकाश निकले जिससे देश की समस्याएँ देखी और हल की जायें ।

जितने लोग आचार्यकुल में । व रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि सुनते हैं कि वह बहुत टेक्निकल काम हो गया है । हम मिठाई नहीं बना सकते, लेकिन जायका तो ले ही सकते हैं । मिठाई बनाना हलवाई का काम और जायका लेना ममज का काम जो रस पहचान सकता है । आचार्यकुल दोनों काम कर सकता है—समाज की परिस्थितियों में शोध के नये रास्ते सोचना, निकालना, और दूसरे देशों के रास्ते को 'स्त्रीनिंग' करके समाज के सामने प्रस्तुत करना । अगर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था होती तो हम पश्चिम से आनेवाले हर नमूने की 'स्त्रीनिंग' करते । पश्चिम का प्रवाह हमारे देश की बहावा चला जा रहा है, उसकी धान-बीन कौन करेगा ? हम कुप मडक नहीं बनना चाहते । हम विभाग की खिडकियाँ खुली रखना चाहते हैं लेकिन बिना पेंदी का लोटा भी नहीं बनना चाहते । हम इस वक्त बे-पेंदी के लोटे बन गये हैं ।

आज की चर्चाओं की जो प्रतिप्रिया भरे मन पर हुई उसे आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, आप विचार करें ।•

आचार्यकुल का शिक्षा-नीति : शिक्षक का पुनर्नूल्यापन

रोहित महता

आचार्यकुल की स्थापना के दोहरे लक्ष्य हैं—एक है इस देश के तरुणों को दी जानेवाली शिक्षा के सूत्रों और पद्धतियों में आमूल क्रांति और दूसरा है जनता की सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन प्रक्रिया के साथ शैक्षणिक प्रक्रिया का सामंजस्य । ये दोनों ही लक्ष्य शिक्षक-समुदाय से अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा करते हैं ।

शिक्षा में विप्लव की आवश्यकता

आज संसार भर में शिक्षा विप्लव की स्थिति में है । लेकिन भारत में वह एक ऐसी राष्ट्रीय क्रांति के साथ उलझ गयी है जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण अचानक अवरोध आ गया था । सन् १९४७ में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई । परन्तु अभाग्यवश देश के नेताओं ने इसको क्रांति और सघष का अन्त मान लिया । इस भ्रम का ही परिणाम है कि स्वतंत्रता के तेईस वर्ष बाद भी देश की अनेक क्षामियाँ ज्यों-की-स्थीं बनी हुई हैं । वस्तुतः राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय क्रांति का अन्त नहीं थी—अधिक से-अधिक उसे कुछ दण्डों का विभ्राम सम्पन्न कर अवकाश के इन दण्डों में देश के साधनों का उस अधूरी क्रांति को पूरी करने के लिए उपयोग करना चाहिए था और लोक की क्रांतिकारी शक्ति को आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करना चाहिए था । परन्तु यह नहीं हुआ और इस बीच भू-शक्ति का सकीर्ण विषयो पर अव्यय हुआ जिसका फल यह हुआ है कि राष्ट्र आज विघटन और हताशा की समस्याओं से घिर गया है ।

कुछ लोग भले ही यह स्वीकार कर लें कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, परन्तु जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है इस क्षेत्र की पूर्ण अवहेलना हुई है । देश की शिक्षा में सुधार करने के लिए राज्यों और केन्द्रों द्वारा अनेक आयोग और समितियाँ नियुक्त की गयी हैं और उन्होंने शिक्षण-पद्धति पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली एवं छात्रों के अनुशासन आदि विषयों पर भारी-भरकम रिपोर्टें भी प्रस्तुत की हैं परन्तु शिक्षा की मौलिक समस्याओं पर कम ही विचार हुआ है । समय-समय पर राज्य की सरकारों ने शिक्षा में सुधार भी किये हैं और केन्द्र ने शिक्षा के पटन में परिवर्तन करने के लिए सुझाव भी दिये हैं । परन्तु यह सब पन्द्रह-लक्षों से अधिक कुछ नहीं है । वस्तुतः हमारी शैक्षिक समस्याएँ इतनी

विशाल और जटिल हैं कि उनके समाधान के लिए पैवन्द लगाना अपर्याप्त ही नहीं, हानिकर भी होगा—हानिकर इस दृष्टि से कि इसमें मुख्य मुद्दों पर से ध्यान हट जायगा और राष्ट्र में एक झूठी सुरक्षा के भ्रम का सृजन होगा। लेकिन आज समय की माँग है कि हम अपनी शैक्षिक समस्याओं के विषय में गहराई और गम्भीरता-पूर्वक सोचें केवल शिक्षण के पैटर्न के ही सम्बन्ध में नहीं, शिक्षण-विषयक वस्तु के सम्बन्ध में भी। और इस प्रकार का विचार प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के सम्बन्ध में होना चाहिए। आवश्यकता समग्र शिक्षा के सम्बन्ध में समग्र रूप से सोचने की है।

प्रश्न यह है कि भारत में शिक्षा की मूल समस्या क्या है? आश्चर्य तो इस बात का है कि जब हम देश की शिक्षा का विशाल और भीमकाय भवन बनाने जा रहे हैं तो यह जानने की चेष्टा भी नहीं करते कि जिस नींव पर यह विशाल भवन बनाया जा रहा है, उस नींव की प्रकृति क्या है। अबतक हमारा सारा प्रयास 'गति-वृद्धि' का रहा है और हमने 'दिशा' की ओर ध्यान ही नहीं दिया है—उस दिशा की ओर, जिधर हमको जाना है। हम लोगो ने अपनी शिक्षा के जहाज को राष्ट्रीय जीवन के समुद्र में बिना दिग्दर्शक, यत्र के छोड़ दिया है। इसलिए हम लोगो को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यदि हमारे सारे शैक्षिक प्रयास दिशाहीन होने के कारण असफल होते हैं। हमारे पास कोठारी-आयोग की भारी-भरकम रिपोर्ट है, जिसकी अनेक संस्तुतियाँ निःसंदेह बहुमूल्य हैं, परन्तु जो हमारे शैक्षिक प्रयासों के लिए 'दिशा' बताने में असमर्थ रही हैं। स्वर्गीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने रिपोर्ट की दिशा-हीनता के विरुद्ध आवाज उठायी थी। वस्तुतः कोठारी-आयोग यह बताने में असमर्थ रहा है कि हमारे देश की शिक्षा का दर्शन क्या हो। शिक्षा-दर्शन के अभाव में भी हम शिक्षा का विशाल भवन बनाते जा रहे हैं और हमको रबीवार करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं वे दिशाहीन, रुद्धहीन ही हैं। एक स्पष्ट शिक्षा-दर्शन के अभाव में शिक्षा की इमारत बनाते जाना राष्ट्र के लिए हानिकर सिद्ध होगा। अतः शिक्षा-जगत के सामने मूत्र प्रश्न यह है कि हमारा शिक्षा-दर्शन क्या हो। मेरा निवेदन है कि आचार्यकुल का एक प्रमुख कार्य इस प्रश्न का उत्तर देना होना चाहिए।

शिक्षा-दर्शन शब्द अतिशय शास्त्रीय लग सकता है, इसलिए दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि आचार्यकुल का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (अप्रीच) क्या हो। शिक्षा का यह दृष्टिकोण प्रारम्भिक स्तर से उच्चतम स्तर तक हमारे सारे शैक्षिक प्रयासों के मूत्र में ध्यात होना चाहिए। दृष्टिकोण का सम्बन्ध विज्ञान या कला से नहीं है। कला और विज्ञान के लिए दो दृष्टिकोण आवश्यक नहीं हैं। दृष्टिकोण की दृष्टि

से ही हम पूछना चाहेंगे कि आज जब हम शिक्षा का इतना मात्रात्मक विस्तार करने जा रहे हैं तो हम इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा कोई लक्ष्य भी है क्या ? और अगर हम प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर के अपने शैक्षिक प्रयासों का विश्लेषण करें तो देखेंगे कि हमारी पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य परीक्षा है। हमारे शैक्षिक प्रयासों की सफलता असफलता का मापदण्ड परीक्षा में सफलता या असफलता ही है। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली परीक्षा मूलक है। किसी-न किसी प्रकार की परीक्षा तो सभी प्रकार की शिक्षा का अंग रहेगी। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या परीक्षा ही वह दिशा है जिस ओर हमारी शिक्षा की गाड़ी को जाना है या परीक्षा को शिक्षा की प्रक्रिया में केवल एक आकस्मिक घटना होना चाहिए। हमको स्वीकार करना चाहिए कि आज परीक्षा ही प्रारम्भिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर के हमारे शैक्षिक प्रयासों का सब कुछ हो गयी है। परीक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण ही शिक्षा की हमारी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। 'ज्ञान' को इसने गीण और 'रटने' को ही मुख्य बना दिया है। इससे हमारी पूरी शैक्षिक प्रक्रिया यत्रवत् बन गयी है। शिक्षण जब यत्रवत् हो जाता है तो छात्र की शिक्षण में रचि नहीं रह जाती और उसकी रचनात्मक प्रकाशन की क्षमता का ह्रास हो जाता है। और इसीलिए आज हमारी शैक्षिक प्रक्रिया हमारे तर्कों की शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही है। आज के तर्कों के निरर्थक उपद्रवों के मूल में उनकी शक्ति का सम्यक उपयोग न होना ही है। वस्तुतः शिक्षा की इस यत्रवत् प्रकृति ने शिक्षण की प्रक्रिया को लक्ष्यहीन बना दिया है और जितनी जल्दी इस परीक्षा-प्रणाली से छुटकारा मिले उतना ही सबके लिए शुभ है।

चौडे दिनों से हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नारा लगाना आरम्भ किया है। नारा है— रोजगार के लिए शिक्षा। लेकिन इस नारे में नया कुछ भी नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाय तो अंग्रेजों ने भारत में जो शिक्षा प्रारम्भ की थी वह एक तरह से रोजगार के लिए (नौकरी के लिए) ही शिक्षा थी। यह शिक्षा तर्कों को उस नौकरी के लिए तैयार करती थी जिसकी आवश्यकता अंग्रेजी साम्राज्य को चलाने के लिए थी। यह सब है कि आज रोजगार की शिक्षा का अर्थ अधिक व्यापक है और आज की परिस्थिति में उसका महत्व और मूल्य है। लेकिन यह व्यापक अर्थ सभी काम का हो सकेगा जब माध्यमिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय जिससे यह लगभग पूरी तौर पर स्वावलम्बन की शिक्षा हो और माध्यमिक विद्यालयों से निकलनेवाले छात्र जीवन के विविध अवसरों में अपने को क्षम सके। इससे स्वभावतः वे छात्र, जिनमें शास्त्रीय उच्च शिक्षा के लिए रचि

या क्षमता नहीं है, छोट जायेंगे और कालेजो और विश्वविद्यालयो का बोझ कम हो जायगा। फिर भी इससे शिक्षा की समस्या का आंशिक हल ही होगा। हमको समझ लेना चाहिए कि अगर सामाजिक मूल्यों में मौलिक परिवर्तन नहीं होता तो व्यवसायपरक शिक्षा बिल्कुल निरर्थक हो जायगी। आज के सामाजिक मूल्यों की सकल्पना ही तरुणों के लिए हाथ से नये-नये काम प्रारम्भ करने के मार्ग में बाधा बन रही है। हाथ के काम की जिस समाज में प्रतिष्ठा नहीं है उसमें हाथ के नये काम प्रारम्भ करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो फिर प्रश्न उठता है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कैसे किया जाय, और शिक्षक समुदाय इस परिवर्तन के काम में किस प्रकार सहयोग करे? अगर शिक्षा को सामाजिक मूल्यों के परिवर्तन में प्रभावपूर्ण ढंग से सहायक होना है तो हम लोगों को अपनी शिक्षा की सकल्पना में परिवर्तन करना होगा। दूसरे शब्दों में, हमको शिक्षा के लक्ष्यों के बुनियादी विषय पर ही पुनः विचार करना होगा।

शिक्षा की प्रमुख समस्या

क्या शिक्षण-प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य तरुणों को किसी समाजोपयोगी व्यवसाय में क्षमता प्रदान करना ही है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको पश्चिम के देशों की ओर देखना होगा। पश्चिम में व्यवसायपरकता शिक्षा की विशेष समस्या नहीं है, वह तो शिक्षा का अंग ही है। परन्तु उन देशों के तरुणों में बिसौभ और विद्रोह वर्तमान है। आज हमारे देश में टेक्निकल और वैज्ञानिक शिक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है जिससे हमारी शिक्षा में पुनः एनागिता के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। हम समझते हैं कि टेक्नालोजी और विज्ञान से हमारी समाज शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जायगा। परन्तु कुछ पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विषय का यह विभ्रम समाप्त हो रहा है। आधुनिक दृष्टि से पिछड़े देश में टेक्नालोजी और विज्ञान की शिक्षा पर बल देना आवश्यक हो जाता है, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कला विषयों की अवहेलना न हो जाय। यस्तुतः विज्ञान और कला के समन्वय की समस्या दूसरे देशों की भाँति भारत की शिक्षा की भी प्रमुख समस्या है और इस प्रकार के सामंजस्य का अभाव आज की नयी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का सम्बन्ध भी शिक्षा के बुनियादी प्रश्नों से शिक्षा के लक्ष्य और प्रयोजन से है, जिसके विषय में आज हम विचार करना है।

हम लोगों की समझना चाहिए कि हमारे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा ही सब कुछ नहीं है। आदमी को इससे अधिक किये दूसरे यस्तु की भी आवश्यकता है। अगर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा ही सब कुछ हो तो आज संसार में

हिप्पी की मनोरजक समस्या न होती। ये हिप्पी अपनी उस सम्मता के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं जो उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। हिप्पी-समस्या आज सार्वभौमिक समस्या है और वह सिद्ध कर रही है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ मनोवैज्ञानिक तत्त्व भी हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का असमाधान ही वह तत्त्व है जिन्होंने पाश्चात्य जगत् के टेकनालाजिकल और विज्ञानपरक शिक्षा की जड़ें हिला दी हैं। अपनी शिक्षा के प्रयोजन और लक्ष्य का निर्धारण करते समय हम इस वस्तुस्थिति की ओर से आँखें नहीं बन्द कर सकते। सत्तार इतना छोटा हो गया है कि कोई भी देश अपनी समस्या के विषय में बिल्कुल पृथक् होकर नहीं सोच सकता। हमारे देश में किसी भी समय हिप्पी-समस्या का भारतीय संस्करण देखा जा सकता है। और सत्तार की गति इतनी तेज है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान में प्रमाद से काम नहीं ले सकते। यह ठीक है कि पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली में यह गतिरोप बहुत दिनों के बाद आया है, परन्तु यह सोचकर कि अभी हमें उस बिन्दु तक पहुँचने में, जहाँ तक पाश्चात्य सम्मता पहुँची है, बहुत दिन लगेंगे, हम विवश नहीं हो सकते। हमें समझना चाहिए कि तीव्र गति से बदलते हुए आधुनिक जीवन में हमारी आशा से बहुत पहले ही घटनाएँ घट सकती हैं। अतः हमारे लिए अपनी शिक्षा के प्रयोजन और लक्ष्य के विषय में स्पष्ट विचार करना आवश्यक हो जाता है। तभी हमें ऐसी शिक्षा-नीति और शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारित कर सकेंगे, जिससे आधुनिक तकनीकी सम्मता के अन्वय में गिरने से बच सकेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि व्यवसायपरक तकनीकी शिक्षा सही दिशा में उठे हुए कदम हैं, परन्तु ये अपने में हमारी शिक्षा की मौलिक समस्याओं के उत्तर नहीं हैं। अधिक समय तो यह है हमारी शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य के स्पष्ट पृष्ठभूमि में ही व्यवसायपरक और तकनीकी शिक्षा को उचित स्थान मिल सकेगा।

विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय शिक्षा का मूलधार

सन् १९४८ में भारत सरकार ने डाक्टर राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। अगर हम अपनी शिक्षा-नीति और शैक्षिक कार्यक्रम को ठीक दिशा देना चाहते हैं तो हमें आयोग की रिपोर्ट के ६६ वें पृष्ठ पर दिये हुए बयान को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बयान में लिखा है :

'किसी देश की महानता उसकी एम्बाई-बौछाई अथवा उसकी मौलिक सम्पदा अथवा उसके परिवहन की विशालता पर, यद्यपि उनका अपना महत्त्व है, निर्भर नहीं करती। अगर हम अपने देश में ऐसा विप्लव चाहते हैं जिससे राजसंराज आ जाय तो हमें इतना ही करना है कि हम लोगों को औद्योगिक और टेकनिकल शिक्षा

दें और उनकी आत्मा को भूखा छोड़ दें। हमारे पास ऐसे अनेक वैज्ञानिक होंगे जिनके आत्मा नहीं होगी और ऐसे अनेक टेकनिशियन होंगे जिनमें कलात्मक रुचि नहीं होगी और जो अपनी आत्मा को रिक्त पायेंगे, एक नैतिक शून्य की अवस्था में जिसमें वह अनुभव करेंगे कि उनके विफल प्रयास के स्थान पर लोगों को कुछ भी दिया जा सकता है। समाज जिस योग्य होगा उसे वह मिलेगा।”

ये प्रजा के स्वर हैं—जो हमें सावधान कर रहे हैं। अगर आज को अपनी शैक्षिक प्रयासों की अस्त-व्यस्तता में हमने आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ेंगे। आचार्य विनोबा भावे, जिनकी प्रेरणा से आचार्यकुल की स्थापना हुई है बार-बार जिस बात पर बल देते हैं वह यह है—विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। अगर इन दोनों का समन्वय नहीं हुआ तो मानवता विनाश की ओर बढ़ेगी। और हमने भी अगर अपनी शिक्षा नीति में विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय नहीं किया तो हम भी विघटन और विनाश की ओर ही बढ़ेंगे। हमारा शैक्षिक पुनर्स्थापन इसी विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय चाहता है। आज हमारे शैक्षिक कार्यक्रम में इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं दिखाई पड़ता। यह आचार्यकुल का काम होगा कि वह शिक्षा के लक्ष्यों का इस प्रकार निर्धारण करे कि विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो और यह समन्वय हमारे सारे शैक्षिक कार्यक्रम और प्रयोग के मूल में स्थापित हो।

प्रश्न यह है कि इस प्रकार का समन्वय कैसे किया जाय? विज्ञान और अध्यात्म का मेल हमारी समन्वित शिक्षा की बुनियादी नीति होगी। इस प्रकार की समन्वित शिक्षा आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है और आचार्यकुल को इस विषय में मार्गदर्शन करना चाहिए। आज समन्वित शिक्षा के विषय में बड़ी ढिलाई से विचार किया जाता है। कहा जाता है कि अगर विज्ञान और तकनीकी के छात्र को कुछ कला-विषयक व्याख्यान दे दिये जायें और कला-विषयक छात्रों को विज्ञान के व्याख्यान दे दिये जायें तो समन्वय का कार्य हो जायगा। हमारी शिक्षा-संस्थाओं में आज यह हो रहा है। यह समन्वय की विडम्बना है। समन्वय का यह अर्थ नहीं है। विज्ञान और कला को साथ-साथ रखने से ही समन्वय नहीं हो जाता। दोनों का साथ साथ नहीं रखना है, दोनों का मेल करना है। ऐसा होगा तभी समन्वय का कार्य सम्पादित होगा। विज्ञान के अध्यापन में ही कला-विषयक मूल्या की प्रतिस्थापना होनी चाहिए। इसी प्रकार कला के विषयों को पढ़ाने में हमारे लिए यह दिखलाना सम्भव हो सके कि किस प्रकार विज्ञान और कला एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इसके लिए अध्यापकों के पुनर्स्थापन की

आवश्यकता है। उन्हें विषयो के शिक्षण को ही नहीं, पूरे जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखना होगा।

तरुणों की मनोदशा में शिक्षा का लक्ष्य

यह समन्वय आज अत्यन्त आवश्यक हो गया है। क्योंकि आज की आधुनिक संस्कृति समाज और व्यक्ति को एक-दूसरे से दूर करती जा रही है। जीवन के वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ घटकों में दिन-दिन अन्तर बढ़ता जा रहा है। मानव का आध्यात्मिक घटक शीघ्र परिवर्तित होनी हुई वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के साथ चल नहीं पा रहा है। मानव की आन्तरिक सज्जा आधुनिक जीवन की बाह्य परिस्थितियों के साथ, जो इतनी शीघ्रता से बदल रही है जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, चलने में अपने को अत्यधिक मंद और प्रायः जड़ अनुभव करगे लगी है। पहले भी मनुष्य के जीवन के वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ घटकों में अन्तर था, परन्तु अन्तराल कम था। और उस अन्तराल को धर्म और शिक्षा से पाटना कठिन नहीं होता था। आज का अन्तर बहुत बड़ा है और उसे हम 'पीढ़ी का अन्तर' कहते हैं। अन्तर इतना बड़ा है कि पुरानी पीढ़ी के हम लोग आज की पीढ़ी से प्रभावपूर्ण सम्वाद भी नहीं कर सकते। परन्तु इतना ही नहीं है। आज की तरुण पीढ़ी के आन्तरिक और बाह्य घटकों में भी सम्वाद-घून्यता है। पुरानी पीढ़ी से मार्गदर्शन के अभाव में और स्वयं अपने से सवाद घून्यता के कारण आज तरुण भीषण आन्तरिक संघर्ष की स्थिति में है। इस संघर्ष की माँग को पूरी करने के लिए वह भले-बुरे सभी प्रकार के काम करता है। वह उत्तेजना का जीवन बिताता है। यह उत्तेजना उसके आशान्त मन का प्रकटोत्करण मात्र है। पुरानी पीढ़ी के हम उसको समझ नहीं पाते और उससे एक ऐसी भाषा में सम्वाद करते हैं, जिसे वह नहीं समझता। हम हमें तरुण का पुरानी पीढ़ी के लिए अनादर मानते हैं और उसे अविनीत, छिछला और 'न्यूरोटिक' समझते हैं। हम उसके भीषण अन्तर्द्वन्द्व को समझ नहीं पाते। हमारी शिक्षा तरुण के इस अन्तर्द्वन्द्व को समझने और उसके आन्तरिक और बाह्य परिस्थिति के अन्तराल को भरने की क्षमता प्रदान करने में पूर्णतः असफल रही है।

इसी सदर्थ में आचार्यकुल को अपनी शिक्षा-नीति और शिक्षा के लक्ष्य और प्रयोजन का निर्धारण करना होगा तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम सुझाने होंगे। अब अब तक समस्या का जो विश्लेषण किया गया है उसकी पृष्ठभूमि में शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए—“आज के छात्र में इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न करना जिससे वह अपनी आन्तरिक साधनों की खोज कर अपनी आत्मिक क्षमताओं का इतना विकास कर ले जिससे वह जीवन की

(एप्रोच) म अध्यापक के सम्पूर्ण नैतिक साहस और शक्ति की आवश्यकता सबसे पहले है। अध्यापक सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों से ही मुक्त न हो, वह उनसे परे ही। अध्यापक की नैतिकता छात्र में एक नये प्रकार की नैतिकता को उत्पन्न (इवोक) करेगी। अध्यापक और छात्र के बीच जहाँ भय का तनिक भी अंश रहता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं टिकती। और जहाँ अध्यापक और छात्र का सम्बन्ध 'भयमुक्त' होगा वहाँ वे राज्य अथवा समाज के किसी भ्रष्ट करनेवाले प्रभाव से अपनी रक्षा कर सकेंगे।

३. शिक्षण-संस्था की स्वतंत्रता और निर्भयता के लिए नये प्रकार की शिक्षण-पद्धति भी आवश्यक होगी, जो अध्यापक और छात्र के नये गत्यात्मक सम्बन्ध के अनुकूल हो। यह शिक्षण-पद्धति ऐसी ही जिसमें अध्यापक पृष्ठभूमि में रहे और छात्र सामने रहे। छात्र शिक्षण की प्रक्रिया में अधिक से अधिक सक्रिय सहयोग करें। अध्यापक इस प्रकार का अध्यापन करें जिससे छात्र को यह भान ही न हो कि उसे पढ़ाया जा रहा है। उसे ऐसा लगे कि वह स्वयं अपने को शिक्षित कर रहा है। शिक्षण की सबसे प्रभावपूर्ण पद्धति आत्म-शिक्षण ही है। और शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर आत्म शिक्षण की इस क्रिया का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए।

४. अध्यापक-छात्र सम्बन्ध की तरह अध्यापक अध्यापक के बीच भी नया सम्बन्ध बनना चाहिए। शिक्षण-संस्था के प्रधान का सम्बन्ध अपने सहकारियों से सगता का हो। शिक्षण संस्था एक ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जहाँ कर्तव्य के साथ किसी प्रकार के 'स्टेटस' का सम्बन्ध न हो। शिक्षण संस्था में सब समान हो जिसमें अध्यापक शैक्षणिक अथवा प्रशासकीय मामलों में वातपीत करते समय मुक्तता का अनुभव करें। ऐसा होगा तभी शिक्षण संस्थाओं में नये गत्यात्मक वातावरण का सृजन सम्भव होगा। स्वतंत्रता के इसी वातावरण में, जहाँ भय का लेशमात्र भी न रहे शिक्षण जो सर्वश्रेष्ठ है प्राप्त किया जा सकता है। छात्र और अध्यापक ही नहीं, अध्यापक और अधिकारी के बीच भी पारितोषिक और दंड की प्रथा बंद होनी चाहिए। शिक्षण-संस्था एक ऐसा समुदाय बन जाय जहाँ समुदाय का प्रमुख अध्यापक और छात्र, मुक्तता और समानता का वातावरण में काम कर सकें। इसी वातावरण में सच्ची समझदारी का भाव उदय होगा।

५. शिक्षण की इस प्रगतिशील सबलना में, पाठ्यक्रम की सफलता में भी परिबद्धन बाधित होगा। शिक्षण की प्रक्रिया के साथ विभिन्न विषयों का पारस्परिक अनुबन्धन होना चाहिए। इस प्रकार का अनुबन्धन ही विषय-शिक्षण को प्राणवान बना सकेगा। इसके बिना शिक्षण निर्जीव ही रहेगा—अध्यापक पाठ्य विषय ही दण्ड क्यों न हो।

६. शिक्षा के इस नये एप्रोच' में पूरी परीक्षा प्रणाली का पुनर्निरीक्षण करना होगा। छात्र की परीक्षा इस प्रकार लेनी चाहिए जब उसे इस बात का कम-से कम बोझ हो कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। ऐसा होगा तभी परीक्षा शिक्षण की प्रक्रिया से अलग नहीं रहेगी। अगर शिक्षा की अर्थमुक्त बनाना है तो पूरी परीक्षा-पद्धति को बदलना होगा।

७. शिक्षा जीवन से अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षण-संस्था के छात्र और अध्यापक को उस बड़े समुदाय के जीवन से सम्पर्क रखना चाहिए जिसमें वह संस्था स्थित है। उस समुदाय के लोगों के कल्याण का उत्तरदायित्व इन छात्रों और अध्यापकों का होना चाहिए। एक नये समाज का निर्माण, ऐसे समाज का, जिसमें हिंसा और शोषण न हो, इस शिक्षण-समुदाय का कर्तव्य होना चाहिए। अगर शिक्षण-संस्था गाँव में स्थित हो तो उसका कर्तव्य ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन की, जिसका लक्ष्य लोकतंत्र कायम करना है, सबल बनाना होना चाहिए। अगर शिक्षण-संस्थाएँ नगरों में स्थित हैं तो उनका लक्ष्य ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोग बिना सरकार का मुँह देखते हुए अपने आप अपनी समस्याओं का हल करना सीखें। समुदाय के साथ इस प्रकार सक्रिय सहकार शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम का अंग होना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय को सामुदायिक कार्य की योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन करना चाहिए। इस प्रकार की व्यावहारिक योजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) के माध्यम से शिक्षण-संस्थाओं का समुदाय और राष्ट्र के जीवन के साथ 'इन्वाल्वमेंट' बढ़ेगा और परिणामस्वरूप शिक्षा अधिक यथाय हो सकेगी।

८ शिक्षा की यह प्रगतिशील सफलता लोक श्रेय राष्ट्र को नया नेतृत्व प्रदान कर सकेगी। इस नेतृत्व का कर्तव्य होगा लोगों का लोकतंत्र के मूल्यों और पद्धतियों में शिक्षण करना। लोकतंत्र जीवन का एक अंग है। और राष्ट्र में लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण और स्थापन ही, यह देखना इस नये नेतृत्व का काम होना चाहिए।

नये समाज के निर्माण के लिए शिक्षा और शिक्षक के इस पुनर्नस्थापन की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः आचार्यकुल की एक छोटी, किन्तु प्रभावशाली समिति बना देनी चाहिए, जो शिक्षा के इस नये दृष्टिकोण का अध्ययन करके अध्यापकों के सामने शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम रखे, जिससे राष्ट्र मौलिक शैक्षिक क्रान्ति की ओर दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो सके।

अध्यापक इस शैक्षिक क्रान्ति का पूरा उत्तरदायित्व संभाले। आचार्यकुल के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न अध्यापक का होना और उदासीनता है। यदि यह

बाह्य परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके।" निश्चय रूप से शिक्षा का प्रयोजन ऐसी पीढ़ी का सृजन नहीं हो सकता जो चुपचाप अपने को वस्तुस्थिति को समर्पण कर दे और न ऐसे तत्त्वों का निर्माण ही हो सकता है जो सतत अशान्त और विधुब्ध रहकर असामाजिक प्रवृत्तियों के केन्द्र बने रहे। शिक्षा का प्रयोजन न तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण है जो सदा अपने सामाजिक जीवन से असंतुष्ट रहे और न ऐसे व्यक्तियों का सृजन है जो किसी भी परिस्थिति में पूर्णतया सतुष्ट रहें। क्योंकि जैसे आत्मसंतोष से सामाजिक जड़ता उत्पन्न होती है, वैसे ही सतत असंतोष की प्रवृत्ति सामाजिक ध्वंस और अर्थहीन विद्रोह को जन्म देती है। शिक्षा का लक्ष्य तत्त्वों को सामाजिक जड़ता और विशोभ-जनित सामाजिक ध्वंस के इन दोनों छतरो से बचकर निकल जाने की दक्षता प्रदान करना होना चाहिए। संक्षेप में शिक्षा का कार्य यह होना चाहिए कि तत्त्वों की विद्रोह-भावना कम न हो और असंतोष की वीक्षित मलिन न पड़े, लेकिन विद्रोह की भावना निरर्थक विरोधी और ध्वंसात्मक असामाजिक छूटों में न बदल जाय।

अतः, सामाजिक एकता और साम्य के लिए काम करते हुए भी देश के तत्त्वों का रचनात्मक व्यक्तित्व अभ्युष्ण रहे ऐसा प्रयास शिक्षा का होना चाहिए। अर्नल्ड टायनबो ने अपनी 'स्टडी आफ हिस्ट्री' नाम की पुस्तक में इसे ही 'रचनात्मक अर्थ' (क्रिएटिव इन्स्टेबिलिटी) कहा है। शिक्षा का लक्ष्य ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए जो अपनी व्यक्तिगत विशेषता को अभ्युष्ण रखते हुए न तो सामाजिक विषयन का केन्द्र बने और न गणास्थिति के पोषण का। अतः अगर हम इस सिद्धान्त को शिक्षा का लक्ष्य स्वीकार करते हैं और आचार्यकुल को इसके अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, तो हमें अपने समस्त शैक्षणिक प्रयासों को नया रूप देना होगा और हम मात्र व्यवसायपरक और तकनीकीमूलक शिक्षण से दूर और निरर्थक परीक्षामूलक शिक्षण से तो बहुत दूर हटना होगा।

शिक्षा की पद्धति तथा कार्यक्रम

अतः, शिक्षा का लक्ष्य अगर छात्र को अपने आन्तरिक साधनों की शक्ति का प्रदान करना है जिससे वह अपनी आत्मिक क्षमताओं का विकास कर जीवन की बाह्य परिस्थितियों का सामना कर सके तो स्वाभाविक रूप से दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इस शिक्षा का 'पैटर्न' और कार्यक्रम क्या हो। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के इस लक्ष्य से स्वतः शिक्षा का रूप और कार्यक्रम विस्तृत होता है। शिक्षा के इस लक्ष्य के दो अंग हैं—(१) छात्रों को अपने आन्तरिक साधनों की शक्ति का प्रदान करना और (२) इन साधनों के बल पर बाह्य परिस्थितियों

६. शिक्षा के इस नये 'एप्रोच' में पूरी परीक्षा-प्रणाली का पुनर्निरीक्षण करना होगा। छात्र की परीक्षा इस प्रकार लेनी चाहिए जब उसे इस बात का कम-से कम बोध हो कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। ऐसा होगा तभी परीक्षा शिक्षण की प्रक्रिया से अलग नहीं रहेगी। अगर शिक्षा की अर्थमुक्त बनाना है तो पूरी परीक्षा-पद्धति को बदलना होगा।

७. शिक्षा जीवन से अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षण-संस्था के छात्र और अध्यापक को उस बड़े समुदाय के जीवन से सम्पर्क रखना चाहिए जिसमें वह संस्था स्थित है। उस समुदाय के लोगों के चत्सुण का उत्तरदायित्व इन छात्रों और अध्यापकों का होना चाहिए। एक नये समाज का निर्माण, ऐसे समाज का, जिसमें हिंसा और शोषण न हो, इस शिक्षण-समुदाय का कर्तव्य होना चाहिए। अगर शिक्षण-संस्था गाँव में स्थित होती उसका कर्तव्य ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन को, जिसका स्थल लोकतंत्र कायम करना है, सबल बनाना होना चाहिए। अगर शिक्षण-संस्थाएँ नगरों में स्थित हैं तो उनका लक्ष्य ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोग बिना सरकार का मुँह देखते हुए अपने आप अपनी समस्याओं का हल करना सीखें। समुदाय के साथ इस प्रकार सक्रिय सहकार शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम का अंग होना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय को सामुदायिक कार्य की योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन करना चाहिए। इस प्रकार की व्यावहारिक योजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) के माध्यम से शिक्षण-संस्थाओं का समुदाय और राष्ट्र के जीवन के साथ 'इन्वाल्वमेंट' बढ़ेगा और परिणामस्वरूप शिक्षा अधिक अर्थार्थ हो सकेगी।

८ शिक्षा की यह प्रगतिशील संकल्पना लोक श्रेय राष्ट्र को नया नेतृत्व प्रदान कर सकेगी। इस नेतृत्व का कर्तव्य होगा लोगों का लोकतंत्र के मूल्यों और पद्धतियों में शिक्षण करना। लोकतंत्र जीवन का एक अंग है। और राष्ट्र में लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों का निर्माण और स्थापन हो, यह देखना हम नये नेतृत्व का काम होना चाहिए।

नये समाज के निर्माण के लिए शिक्षा और शिक्षक के इस पुनर्नस्थापन को अत्यन्त आवश्यकता है। अतः आचार्यकुल को एक छोटी, किन्तु प्रभावशाली गतिविधि बना देनी चाहिए, जो शिक्षा के इस नये दृष्टिकोण का अध्ययन करके अध्यापकों के सामने शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम रखे, जिससे राष्ट्र मौलिक शैक्षिक शक्ति की ओर दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो सके।

अध्यापक इस शैक्षिक शक्ति का पूरा उत्तरदायित्व संभाले। आचार्यकुल के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न अध्यापक का हीनभाव और उदासीनता है। यदि यह

(एप्रोच) म अध्यापक के सम्पूर्ण नैतिक साहस और शक्ति की आवश्यकता सबसे पहले है। अध्यापक सभी प्रकार के भ्रष्टाचारों से ही मुक्त न हो, वह उनसे परे हो। अध्यापक की नैतिकता छात्र में एक नये प्रकार की नैतिकता को उत्पन्न (इवोन) करेगी। अध्यापक और छात्र के बीच जहाँ भय का तनिक भी अंश रहता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं टिकती। और जहाँ अध्यापक और छात्र का सम्बन्ध 'भयमुक्त' होगा वहाँ वे राज्य अथवा समाज के किसी भ्रष्ट करनेवाले प्रभाव से अपनी रक्षा कर सकेंगे।

३ शिक्षण-संस्था की स्वतंत्रता और निर्भयता के लिए नये प्रकार की शिक्षण-पद्धति भी आवश्यक होगी, जो अध्यापक और छात्र के नये गत्यात्मक सम्बन्ध के अनुकूल हो। यह शिक्षण-पद्धति ऐसी हो जिसमें अध्यापक पृष्ठभूमि में रहे और छात्र सामने रहे। छात्र शिक्षण की प्रक्रिया में अधिक-से-अधिक सक्रिय सहयोग करें। अध्यापक इस प्रकार का अध्यापन करें जिससे छात्र को यह भान ही न हो कि उसे पढ़ाया जा रहा है। उसे ऐसा लगे कि वह स्वयं अपने को शिक्षित कर रहा है। शिक्षा की सबसे प्रभावपूर्ण पद्धति आत्म-शिक्षण ही है। और शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर आत्म-शिक्षण की इस क्रिया का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए।

४. अध्यापक-छात्र सम्बन्ध की तरह अध्यापक-अध्यापक के बीच भी नया सम्बन्ध बनना चाहिए। शिक्षण-संस्था के प्रधान का सम्बन्ध अपने सहकारियों से ममता का हो। शिक्षण-संस्था एक ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जहाँ कर्तव्य के साथ न्तिही प्रकार के 'स्टेटस' का सम्बन्ध न हो। शिक्षण-संस्था में सब समान हो जिससे अध्यापक शैक्षणिक अथवा प्रशासकीय मामलों में बातचीत करते समय मुक्तता का अनुभव करें। ऐसा होगा तभी शिक्षण-संस्थाओं में नये गत्यात्मक वातावरण का गृहण सम्भव होगा। स्वतंत्रता के इसी वातावरण में, जहाँ भय का लेशमात्र भी न रहे, शिक्षक जो सर्वश्रेष्ठ है प्राप्त किया जा सकता है। छात्र और अध्यापक ही नहीं, अध्यापक और अधिकारी के बीच भी पारितोषिक और दंड की प्रथा बन्द होनी चाहिए। शिक्षण-संस्था एक ऐसा समुदाय बन जाय जहाँ समुदाय का प्रमुख अध्यापक और छात्र, मुक्तता और समानता के वातावरण में काम कर सकें। इसी वातावरण में सच्ची समझदारी का भाव उदय होगा।

५. शिक्षा की इस प्रगतिशील संरचना में, पाठ्यक्रम की संकल्पना में भी परिवर्तन बांझिन होगा। शिक्षण की प्रक्रिया के साथ विभिन्न विषयों का पारस्परिक अनुबन्धन जाना चाहिए। इस प्रकार का अनुबन्धन ही विषय-शिक्षण की प्राणधान बना सकेगा। इसके बिना शिक्षण निर्भीक ही रहेगा—अध्यापक चाहे कितना ही दक्ष क्यों न हो।

६ शिक्षा के इस नये एग्रीव' में पूरी परीक्षा प्रणाली का पुनर्निरीक्षण करना होगा। छात्र की परीक्षा इस प्रकार लेनी चाहिए जब उसे इस बात का कम-से कम बोध हो कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। ऐसा होगा सभी परीक्षा शिक्षण की प्रक्रिया से अलग नहीं रहेगी। अगर शिक्षा की अथमुक्त बनाना है तो पूरी परीक्षा-पद्धति को बदलना होगा।

७ शिक्षा जीवन से अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक शिक्षण-संस्था के छात्र और अध्यापक को उस बड़े समुदाय के जीवन से सम्पर्क रखना चाहिए जिसमें वह संस्था स्थित है। उस समुदाय के लोगों के कल्याण का उत्तरदायित्व इन छात्रों और अध्यापकों का होना चाहिए। एक नये समाज का निर्माण, ऐसे समाज का, जिसमें हिंसा और शोषण न हो, इस शिक्षण-समुदाय का कर्तव्य होना चाहिए। अगर शिक्षण-संस्था गाँव में स्थित हो तो उसका कर्तव्य ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन को, जिसका लक्ष्य लोकतंत्र कायम करना है, सबल बनाना होना चाहिए। अगर शिक्षण-संस्थाएँ नगरों में स्थित हैं तो उनका लक्ष्य ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोग बिना सरकार का मुँह देखते हुए अपने आप अपनी समस्याओं का हल करना सीखें। समुदाय के साथ इस प्रकार सक्रिय सहकार शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम का अंग होना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय को सामुदायिक कार्य की योजना बनाना और उसका कार्यान्वयन करना चाहिए। इस प्रकार की व्यावहारिक योजनाएँ (प्रोजेक्ट्स) के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं का समुदाय और राष्ट्र के जीवन के साथ 'इन्वाल्वमेंट' बढेगा और परिणामस्वरूप शिक्षा अधिक यथाय हो सकेगी।

८ शिक्षा की यह प्रगतिशील संकल्पना लोक श्रेय राष्ट्र को नया नेतृत्व प्रदान कर सकेगी। इस नेतृत्व का कर्तव्य होगा लोगों का लोकतंत्र के मूल्यों और पद्धतियों में शिक्षण करना। लोकतंत्र जीवन का एक अंग है। और राष्ट्र में लोकतंत्र के सर्वप्रथम मूल्यों का निर्माण और स्थापन हो, यह देखना इस नये नेतृत्व का काम होना चाहिए।

नये समाज के निर्माण के लिए शिक्षा और शिक्षक के इस पुनर्नृत्यापन को अत्यन्त आवश्यकता है। अतः आचार्यकुल को एक छोटी, किन्तु प्रभावशाली समिति बना देनी चाहिए, जो शिक्षा के इस नये दृष्टिकोण का अध्ययन करके अध्यापकों के सामने शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम रखे, जिससे राष्ट्र मौलिक शैक्षिक ज्ञान्ति की ओर दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो सके।

अध्यापक इस शैक्षिक ज्ञान्ति का पूरा उत्तरदायित्व संभालें। आचार्यकुल के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न अध्यापक का हीनभाव और उदासीनता है। यदि यह

सम्मेलन अध्यापको में आत्मविश्वास का मृजन कर सके तो एक बहुत बड़ा विप्लव हो सकेगा। अबसर लोग पूछते हैं कि आचार्यकुल के सामने व्यावहारिक कार्यक्रम क्या है? सबसे व्यावहारिक कार्यक्रम होगा—अध्यापको के धितन की दिशा में परिवर्तन। राष्ट्र की आज सबसे अधिक आवश्यकता यह सोचने की है कि हमारी शिक्षा की मूल समस्याएँ क्या हैं। चीन के नेता सन्घाव सेन ने कहा था—“काम करना आसान है, सोचना कठिन है।” आचार्यकुल को सोचने के इस कठिन कार्य का प्रारम्भ करना है और अध्यापको में स्पष्ट विचार की आदत डालनी है। स्पष्ट विचार से ही व्यावहारिक कार्य उत्पन्न होगा और इस देश के अध्यापक और छात्र शिक्षा में मौलिक क्रान्ति कर अप्रदूत बन सकेंगे और इसके साथ देश राष्ट्र निर्माण की अछूरी क्रान्ति को पूरी करने के मार्ग पर अप्रसर होगा और ऐसे नये भारत का मृजन कर सकेगा जो भौतिक सम्पदा से ही नहीं, आध्यात्मिक गौरव से भी पूर्ण होगा। •

[पृष्ठ २१५ का शेषांश]

विनोबा ने आचार्यकुल की स्थापना इसलिए की, कि शिक्षक भौतिक और धार्मिक स्तर पर ही संघपन न करे, वह जीवन के मूल्यों के लिए आत्मशोधन व गमन करे। यदि शिक्षक आत्मशोधन में लगे तो वह परमुखापेक्षी नहीं रहेगा। उसका बचत्व, उसकी स्वायत्तता अखण्डित रहेगी। वह जीवन की इस ऋतु का बदल देगा।

हम विनोबा के इस स्वप्न को साधक कर दें अपने आपको साधक कर दें, जीवन को साधक कर दें। यदि हम मनोजल के साथ सहे हो तो ऐसा कर सकते हैं। यह शिक्षक भी क्या है जो तपे और धरती में दरारें पड़ जायें। हम मेघ की तरह उमड़ें, और बरस जायें धरती को तृप्त कर दें। आवाज की बातें जानें, परन्तु धरती पर पाँव धर कर चलें।

[२९ नवम्बर '७० को वाराणसी में हुआ आचार्यकुल सम्मेलन का उद्घाटन-भाषण]

की श्रीदृष्ट्यादत्त भद्र, तप सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इच्छिपन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित।

	जनवरी				फरवरी				मार्च						
रविवार	३१	३	१०	१७	२४		७	१४	२१	२८		७	१४	२१	२८
सोमवार		४	११	१८	२५	१	८	१५	२२		१	८	१५	२२	२९
मंगलवार		५	१२	१९	२६	२	९	१६	२३		२	९	१६	२३	३०
बुधवार		६	१३	२०	२७	३	१०	१७	२४		३	१०	१७	२४	३१
गुरुवार		७	१४	२१	२८	४	११	१८	२५		४	११	१८	२५	
शुक्रवार	१	८	१५	२२	२९	५	१२	१९	२६		५	१२	१९	२६	
शनिवार	२	९	१६	२३	३०	६	१३	२०	२७		६	१३	२०	२७	
	अप्रैल				मई				जून						
रविवार		४	११	१८	२५	३०	२	९	१६	२३		६	१३	२०	२७
सोमवार		५	१२	१९	२६	३१	३	१०	१७	२४		७	१४	२१	२८
मंगलवार		६	१३	२०	२७		४	११	१८	२५	१	८	१५	२२	२९
बुधवार		७	१४	२१	२८		५	१२	१९	२६	२	९	१६	२३	३०
गुरुवार	१	८	१५	२२	२९		६	१३	२०	२७	३	१०	१७	२४	
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०		७	१४	२१	२८	४	११	१८	२५	
शनिवार	३	१०	१७	२४		१	८	१५	२२	२९	५	१२	१९	२६	
	जुलाई				अगस्त				सितम्बर						
रविवार		४	११	१८	२५	१	८	१५	२२	२९		५	१२	१९	२६
सोमवार		५	१२	१९	२६	२	९	१६	२३	३०		६	१३	२०	२७
मंगलवार		६	१३	२०	२७	३	१०	१७	२४	३१		७	१४	२१	२८
बुधवार		७	१४	२१	२८	४	११	१८	२५		१	८	१५	२२	२९
गुरुवार	१	८	१५	२२	२९	५	१२	१९	२६		२	९	१६	२३	३०
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०	६	१३	२०	२७		३	१०	१७	२४	
शनिवार	३	१०	१७	२४	३१	७	१४	२१	२८		४	११	१८	२५	
	अक्टूबर				नवम्बर				दिसम्बर						
रविवार	३१	३	१०	१७	२४		७	१४	२१	२८		५	१२	१९	२६
सोमवार		४	११	१८	२५	१	८	१५	२२	२९		६	१३	२०	२७
मंगलवार		५	१२	१९	२६	२	९	१६	२३	३०		७	१४	२१	२८
बुधवार		६	१३	२०	२७	३	१०	१७	२४		१	८	१५	२२	२९
गुरुवार		७	१४	२१	२८	४	११	१८	२५		२	९	१६	२३	३०
शुक्रवार	१	८	१५	२२	२९	५	१२	१९	२६		३	१०	१७	२४	३१
शनिवार	२	९	१६	२३	३०	६	१३	२०	२७		४	११	१८	२५	

नयी तालीम : दिसम्बर, '७०

पढ़ने से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य

निवेदन

२ अक्टूबर १९६९ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी चालू है।

गांधीजी की वाणी घर-घर में पहुँचे, इस दृष्टि से गांधीजी की अमर जीवनी, कार्य तथा विचारों से सम्बद्ध लगभग १५०० पृष्ठों का उच्च कोटि का और खुना हुआ साहित्य-सेट केवल रु० ७-०० में देने का निश्चय किया गया है तथा लगभग १००० पृष्ठों का रु० ५-०० में।

सेट न० २, पृष्ठ १५००, रु० ७-००

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१-आत्मकथा १८६९-१९१९ :	गांधीजी	१-००
२-बापू-वधा . १९२०-१९४८ :	हरिभाऊजी	२-५०
३-तीसरी शक्ति . १९४८-१९६९ :	विनोबा	२-५०
४-गीता-बोध व मंगल प्रभात	गांधीजी	१-००
५-मेरे सपनों का भारत सक्षिप्त	गांधीजी	१-५०
६-गीता प्रवचन	विनोबा	२-००
७-संघ प्रकाशन की एक पुस्तक		१-००

११-५०

यह पूरा साहित्य सेट केवल रु० ७-०० में प्राप्त होगा। एकसाथ २८ सेट लेने पर फ्री डिलिवरी मिलेगा।

सेट न० १, पृष्ठ १०००, रु० ५-००

उपर की प्रथम पाँच किताबों का पृष्ठ १००० का साहित्य सेट पत्रक रु० ५-०० में प्राप्त होगा। एक साथ ४० सेट लेने पर फ्री डिलिवरी जायगा। अन्य नमोशन नहीं।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१




वर्ष : १९

अंक : ६

भाषा-शिक्षकों के निर्माण की आवश्यकता
नयी तालीम की तीर्थ स्थली : एक भ्रमण
पुरानी शैली : नये सपने
शिक्षक और मजदूर-सगठन

जनवरी, १९७१



नयी तालीम परिवार
की ओर से
पाठकों को नये वर्ष की
हार्दिक शुभकामनाएँ

शिक्षा में क्रान्ति

दिसम्बर १९७० के अन्तिम सप्ताह में पटना में जिस ४५वें अखिल भारतीय शिक्षक संघ का आयोजन किया गया था उसमें देश के अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने भाग लिया था। अपनी बक्तृताओं में सबने समान रूप से एक बात कही है, 'आज की शिक्षा-पद्धति दूषित है और उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए।' नवम्बर में काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में उत्तरप्रदेश आचार्यकुल का सम्मेलन हुआ था उसमें भी शिक्षा में क्रान्ति करने के रास्ते की तलाश की मांग की गयी है। इन्दौर में भी कुछ दिन पहले अखिल भारतीय तरुण शान्तिसेना का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में तरुणों ने आवाज उठायी है— देश की शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय।' नवसालवादी तरुण तो इस शिक्षा को बेकार समझकर शिक्षा के प्रतिष्ठान पर ही प्रहार कर रहे हैं। पर कैसे होगी यह क्रान्ति, कोई साफ बताता नहीं। और सुधार की बात की भी जाती है तो वर्तमान शिक्षा पद्धति के षोखटे के भीतर रहकर ही।

वर्ष : १६

अंक : ६

शिक्षा में क्रान्ति की यह आवाज नयी नहीं है। अगर पहले की बात छोड़ भी दें, तो जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से ही यह मांग बराबर की जा रही है। सब कहते हैं कि हमारी शिक्षा अनुत्पादक है, उसका कोई सम्बन्ध देश के जीवन से नहीं है, वह छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं करती, आदि आदि। अतः उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। कहते सब हैं, परन्तु करता कोई कुछ नहीं। अगर कभी कोई वास्तविक क्रान्ति

और परिवर्तन की बात करता भी है तो रक्षित स्वार्थ उसे सुनते नहीं। सुनते भी हैं तो उसकी गलत व्याख्या करते हैं, और कार्यान्वयन भी करते हैं तो इस ढंग से कि विनायक का बानर बन जाता है।

शिक्षा में श्रामूल क्रांति के गुणात्मक परिवर्तन की बात सबसे पहले गांधीजी ने की थी। उनकी बात शिक्षा की बुनियाद को बदलने की ही थी। उन्होंने साफ कहा था कि देश की शास्त्रीय एकांगी शिक्षा से बालक के जिस व्यक्तित्व का विकास होता है, वह अनुत्पादक, शोषक व्यक्तित्व है। लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यक्तित्व अवाञ्छनीय है। शिक्षा में क्रांति तभी होगी जबकि इस शोषक व्यक्तित्व के स्थान पर 'स्वावलम्बी व्यक्तित्व' का निर्माण होगा। और इस प्रकार का व्यक्तित्व तभी विकसित होगा जब विद्यार्थी का सारा शिक्षण किसी समाजोपयोगी उत्पादक दस्तकारी के माध्यम से होगा। विद्यार्थी जिस दिन से विद्यालय में पढने जाता है, उस दिन से स्नातकोत्तर स्तर तक वह कोई न-कोई समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग अवश्य करे और वैज्ञानिक ढंग से करे, उसके क्या और कैसे को समझकर करे। यही गांधीजी की बुनियादी शिक्षा है। स्वतंत्र देश ने उनकी इस बात को नहीं सुना और शिक्षा की गाड़ी पुरानी लीन पर ही चलती रही। समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग को खेल और क्रिया से 'कन्स्यूज' न किया जाय, यह बात गांधीजी ने साफ बर दी थी। फिर भी कार्यान्वयन करनेवालों ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को कहीं खेल से (प्ले वे) और कहीं 'एक्टिविटी स्कूल' से 'इक्विट किया और फलतः देश की शिक्षा से, तथाकथित बुनियादी कही जानेवाली शिक्षा से भी, उत्पादक और अशोषक व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ। जो बना वह विनायक नहीं, बानर बना और तब यह कह करके सन्तोष कर लिया गया कि बुनियादी शिक्षा सफल नहीं रही है। अतः अगर शिक्षा में क्रांति करनी है, और जिसका केवल एक ही अर्थ है कि अगर लोकतांत्रिक समाजवाद के योग्य उत्पादक अशोषक व्यक्तित्व का विकास करना है, तो बुनियादी शिक्षा को अपनाना होगा। यह प्रबन्ध करना होगा कि प्रत्येक बालक को प्रारम्भ से ही समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग को वैज्ञानिक ढंग से सिखाने का प्रबन्ध किया जाय। उमरे लिए योग्य अध्यापन दिये जायँ, औजार दिये जायँ,

कारखाने दिये जायें, जमीन दी जाय। सक्षेप में सभी साधन दिये जायें, जो वैज्ञानिक ढंग से किसी भी उत्पादक काम के सीखने के लिए आवश्यक हैं। आज जो क्रान्ति की माँग कर रहे हैं वे मजदूरी से इसकी माँग करें। जिस दिन यह हो जायगा, शिक्षा में क्रान्ति हो जायगी।

क्रान्ति की दूसरी बात कोठारी-आयोग ने की है। अपनी रिपोर्ट में उसने सस्तुति की है कि 'नेवरहुड स्कूल' (पड़ोसी विद्यालय) खोले जायें। पड़ोसी स्कूल का अर्थ है कि एक पड़ोस के रहनेवाले सब बच्चे एक-सी सस्था में ही शिक्षा पाय। श्रीमान् का बच्चा नर्सरी स्कूल में या पब्लिक स्कूल में जाय और मजदूर का बच्चा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी के बसिक स्कूल में जाय ऐसा न हो। कोठारी-आयोग की यह सस्तुति वास्तव में एक क्रान्तिकारी सस्तुति है। इसीलिए रिपोर्ट के प्रकाशित होने के लगभग चार वर्ष बाद भी उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है, और आज भी देश में आयोग की सकल्पना का एक भी पड़ोसी स्कूल नहीं है। कहा गया है कि यह सस्तुति तो हमारे मूलाधिकार पर ही प्रहार करती है। यह अधिकार तो हमको संविधान में दिया है कि हम व्यक्तिगत स्कूल खोलें और अपने लड़के को चाहे जिस स्कूल में भेजें। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो कभी भी इस देश में समाजवाद की स्थापना नहीं होगी। समता के मूल में शिक्षण की सुविधा की समानता है। जब तक यह समानता प्राप्त नहीं होती, समाजवाद अथवा लोकतंत्र की बात बेकार है। पड़ोसी विद्यालय की माँग क्रान्ति की माँग करनेवालों को करना चाहिए।

क्रान्ति की तीसरी बात विनोबा ने की है। उन्होंने कहा है कि न्याय विभाग की भाँति शिक्षा-विभाग भी स्वायत्त हो। जैसे न्याय-विभाग पैसा सरकार से लेता हुआ भी सरकार के निर्णय के विरुद्ध फैसला कर सकता है और सरकार को उस फैसले को मानना पड़ता है, वैसे ही शिक्षा विभाग सरकार से पूरा वेतन ले, परन्तु क्या पढ़ाया जाय, कैसे पढ़ाया जाय, परीक्षा-पद्धति क्या हो, व्यवस्था कैसे हो, यह सब निर्णय शिक्षा विभाग का हो, आचार्य का हो और सरकार उस मान्यता दे। सक्षेप में शिक्षा शासन-मुक्त हो। शिक्षा में परिवर्तन करनेवाले को यह समझना चाहिए कि समाजवादी देश में

यदि शिक्षा शासन-मुक्त नहीं रही तो प्रतिक्षण 'रेजीमेन्टेशन' का खतरा है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा है।

क्रान्ति की एक दूसरी बात उन्होंने और कही है, प्रमाण-पत्र को सेवा से अलग करने की बात। वे कहते हैं कि नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रमाण पत्र न माँगा जाय। यह न कहा जाय कि अमुक नौकरी के लिए अमुक प्रमाण पत्र आवश्यक है। जिसे नौकरी देनी है, वह स्वयं परीक्षा ले ले। विनोबा की यह बात मान ली जाय तो आज की परीक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हो जायगा। हमारी आज की सारी शिक्षा परीक्षापरक (एक्जामिनेशन ओरि-येण्टेड) है। अगर परीक्षा-पद्धति बदल जाय तो शिक्षा भी बदल जायगी। यह बात उन्होंने सन् १९५६ में ही प० जव हरलाल नेहरू से कही थी। उन्होंने इसे बहुत पसन्द भी किया था। परन्तु कुछ हुआ नहीं। आज भी हम वही हैं, जहाँ पन्द्रह साल पहले थे।

इस प्रकार की शासन-मुक्त शिक्षा अभिभावक, शिक्षक और छात्र के सम्मिलित उत्तरदायित्व का विषय होगी। इनकी मिलीजुली समितियाँ ही शिक्षा के प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होंगी। यह माँग भी क्रान्तिकारियों को करनी चाहिए।

अतः मैं तो कहूँगा कि अगर शिक्षा में क्रान्ति करनी है, तो हमारे विद्वान, हमारे आचार्य, हमारे तरुण शान्तिसेनिक और हमारा नक्सालवादी युवक, सब इन तीन परिवर्तनों की माँग करें। सब उनकी माँग ठोस होगी और उनका कदम जमीन पर होगा। जिस दिन यह होगा उसी दिन शिक्षा में क्रान्ति हो जायगी।

—वशीधर श्रीवास्तव

१९७० के दशक में शिक्षा

राममूर्ति

जाड़े के दिन गाँव में धान काटने-रेंवाने, रबी बोने-सींचने, गन्ना पेरने और गुड़ बनाने के हैं। शहरों में, इन दिनों काम की कमी रहती है, तो बड़े लोग भरपूर बात का भात पकाते हैं, और बात की दाल से खाकर असली दाल भात का मजा लेते हैं।

दीक्षान्त भाषण, परिसंवाद, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, आदि के नाम से जहाँ देखिए 'बात के मेले' सजे मिलेंगे। राजधानियों में तो बात की पूरी बहार आ जाती है। टैंकीवालों, होटलवालों, और भस्त्रवारवालों के पी बाहर हो जाते हैं। मनचाही कमाई होती है। भस्त्रवारवालों को मीटर की कमी कम-से-कम जाड़े में नहीं पड़ती।

इन समारोहों में होता क्या है? कितनी बातों को लेकर बात के फव्वारे छूटते हैं? जो बड़े नेता, विद्वान, उद्योगपति, मंत्री, इन आयोजनों की शोभा बढ़ाते हैं वे कहते क्या हैं? सब लम्बे-छम्बे भाषण लिखकर लाते हैं। सबसे जगभंग एक ही बात होती है कि इस देश की महान परम्परा है, उसकी महान समस्याएँ हैं, और उन समस्याओं को शीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर हल होना चाहिए। जितने बड़े लोगों के, विशेष रूप से हमारे मंत्रियों के, भाषण दूसरों द्वारा लिखे जाते हैं, उनके लिखनेवाले बेचारे सोच नहीं पाते कि आखिर कौनसी नयी बात कहें जो दूसरों ने नहीं कही है। बस, भाषण में कोई लच्छेदार बात होनी चाहिए, वह सही भी है, इसकी चिन्ता क्यों की जाय, क्योंकि उस बात के लागू होने की नीबत तो कभी मानेवाली है नहीं। हमारे देश की समस्याओं का कुछ ऐसा स्वभाव हो गया है कि वे कभी हल नहीं होतीं, हमारे नेताओं और विद्वानों का यह हान हो गया है कि वे कभी समस्याओं से बँधते नहीं। वे ऐसी बात कहना चाहते हैं जो काल और परिस्थिति से मर्यादित न हो। उनके भाषण कालम वे-कालम भस्त्रवार में छपते हैं, और दूसरे दिन उन भस्त्रवारों में बनिया बीड़ी के बड़ल बाँधता है। जो हाल भस्त्रवार का वह उसमें छपी बातों का। बान हुई और धुमा बनकर उड़ गयी।

अभी दिसम्बर के अन्त में पटना में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। दिल्ली के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर डा० आदित्यनाथ झा अध्यक्ष होकर

भाये थे। उद्घाटन डा० त्रिगुण सेन करनेवाले थे लेकिन वह नहीं भाये, उनका भाषण भाया। आजकल शिक्षकों को शासकों की जरूरत अधिक रहती है। अब हमारे देश की शिक्षा में एक ही समस्या रह गयी है—प्रमोशन। शिक्षक चाहते हैं कि पढाई हो या न हो उन्हें प्रमोशन मिले; विद्यार्थी कहते हैं कि परीक्षा मत लो, प्रमोशन दो। कम से कम इस एक प्रश्न पर शिक्षक और विद्यार्थी एक हैं। बहुत दिनों के बाद शिक्षक शिक्षार्थी में एकता का एक दृढ़ आधार मिला है।

पटना में क्या हुआ ? डा० आदित्यनाथ झा ने अत्यन्त सुन्दर भाषण दिया। वह मैथिल हैं, हिन्दी संस्कृत का जानकार हैं, अंग्रेजी के विद्वान हैं, देश के बड़े से बड़े अधिकारियों में हैं। उनका भाषण अंग्रेजी में था। हमारे शासकों का यह दृढ़ मत रहा है कि समस्या देशी हो तो उसे समझने समझाने की भाषा और भूमिका देशी ही होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत की कोई समस्या भारतीय भूमिका में न समझी गयी है न हल की गयी है। इसीलिए हल भी नहीं हुई है। डा० झा ने शिक्षा का दार्शनिक पहलू प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह शिक्षा क्या जो मानवीय मूल्यों की रक्षा न करे ? भला इस ऊँचे विचार से कौन अक्षरभक्त हो सकता है ? पटना का यह सम्मेलन '१९७० के दशक में शिक्षा' पर विचार करने के लिए हुआ था। यह निर्विवाद है कि १९७० से १९७९ तक के दस वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है मानवीय मूल्यों की रक्षा। रक्षा किस चीज से ? उस सम्भ्रता और सशक्ति से जिसे यात्रिकों की मदद से हमने बनाया है। इसलिए डा० झा ने कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए शिक्षा काफी नहीं है, उसके लिए नयी संस्कृति (कल्चर) चाहिए। उन्होंने बड़ी बात कही, लेकिन यह क्यों नहीं कहा कि मानवीय मूल्यों की सबसे अधिक खतरा है आज की शिक्षा से। दुनिया को जाने दें, हमारे देश में मानव का सबसे बड़ा शत्रु है देश की शिक्षा। गरीबों बच्चों, तरुणों और तरुणियों का गला कौन घोट रहा है ? चीमारियाँ कितने होनहारों को मार सकती हैं, लेकिन यह शिक्षा तो किसीको भी नहीं छोड़ रही है। हमारे शासक और शिक्षक दोनों इतना तो मानते हैं कि शिक्षा सुरी है, गला फाड़कर भाषण भी देते हैं, किन्तु बदलने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते ? शिक्षकों की हठताएँ कम नहीं होतीं, लेकिन अभी यह नहीं मुना गया कि कोई हठताएँ इस प्रश्न पर भी होगी कि जब तक यह हथ्यारी शिक्षा बदली नहीं जायगी, वे विद्यालयों में नहीं जायेंगे। सारा समाज उनका साथ देता, उनकी जय-जयकार करता। बात यह है कि शिक्षा भी एक जबरदस्त निहित स्वार्थ

वन गयी है। दुर्भाग्य है कि हमारा शिक्षक भी स्वार्थ व त्रिगुट म नेता और प्रशासक के साथ शामिल हो गया है। वह भी परिवर्तन से डरता है। परिवर्तन को वह 'प्रमोशन' की तराजू में तोलता है। नेताओं और प्रशासकों की तरह उन भी दरिद्र नारायण का भय हो गया है। इसीलिए परिवर्तन की बड़ी-बड़ी बातें करनेवाले भी दिल से परिवर्तन नहीं चाहते। परिवर्तन की बातें सिर्फ नीचेवालों को भुना म रखकर अपने विशेषाधिकारों को कायम रखने के लिए की जाती है। पटना में यही हुआ। यही हर जगह हो रहा है।

पटना सम्मेलन के विशेषज्ञों ने शिक्षा क सुधार के लिए क्या तय किया ? एर तो यह कि हर विद्यार्थी को तीन भाषाएँ पढ़ायी जायें। भाषाओं के अलावा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र गणित और सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाये जायें। कोई इन सज्जनों से पूछे कि इन विषयों की कौन पढ़ायेगा, और कौन पढ़ेगा ? इनके विद्यालयों में पढ़ने-पढ़ाने का भव कितना काम होता है ? इनकी परीक्षाएँ कौन देता है ? क्या उनकी जरूरत भी प्रामाणिकता रह गयी है ? यह पढ़ाओ वह पढ़ाओ, की लम्बी-चौड़ी बातें करके ये नामधारी विद्वान किसकी छाँव में घूल भोकना चाहते हैं, यह तो बनाये ? अगर कोई सदेह रह गया था तो पटना म सिद्ध हो गया कि इस देश के शिक्षक शिक्षा म कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं चाहते। ये मूलतः उसा शिक्षा क समयक है, उसी सामाजिक प्राथिक-राजनैतिक व्यवस्था के समर्थक है, जिससे आज वे बड़े लोग बड बने हुए हैं और जिसके द्वारा वे भी बडे बनने का मौका बूड रहे हैं।

हमारे देश की दुनिया प्रजीव है। एक दुनिया है बडों की, दूसरी है छोटों की, तीसरी है 'नीचों' की। हमारी शिक्षा बडों के लिए थी, लेकिन इससे उनका भी काम नहीं चल रहा है। अब शिक्षा बडों से उठकर बहुत बडों के लिए हो गयी है। अ-डा हुआ कि यह बात पटना म खुलकर सामन प्रा गयी। इस अर्थ म शिक्षक सम्मेलन बहुत सफल रहा। छोटा और 'नीचों' की छाँवें अब तक न खुली हो तो अब खुल जानी चाहिए। तपलों और सरणियों को तो समझ ही लेना चाहिए कि उन्हें प्राण के दम परों म भी बात ही का भात थिलाकर रखने की 'योजना' बन रही है। एक पीढ़ी और चली जायगी। बडा की दुनिया की बडी बडी बातें हैं। उसके रहनेवाले छोटी की और नीचों की दुनिया में रहनेवालों से बहुत दूर हैं। वे दूरी रखना चाहते हैं, हम दूरी मिटाना चाहते हैं। हमारे लिए अगले दशक की शिक्षा म यही काम है। यही हमारी निति होगी।*

शिक्षक और मजदूर-संगठन

के० एस० आचार्य

अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए हमारा देश आज जोर-जबर-दस्तीवाला आन्दोलन चलाने की अवांछनीय परिस्थिति में से गुजर रहा है। ऐसे हर आन्दोलन के बाद नागरिक-जीवन में प्रायः हिंसारमक घटनाओं की लहर उठती है, सम्पत्ति को हानि पहुँचायी जाती है और सामान्य जीवन का क्रम भस्त-व्यस्त हो जाता है। मजदूर-संगठन का मुख्य लक्ष्य है गलत कामों को बुरस्त करने और अपनी उचित माँगों को प्राप्त करने के लिए सबका सम्मिलित मोर्चा बनाना। अक्सर मजदूर-संगठन प्रबन्धकों, या समाज से अपनी मुँहमांगी माँग मजूर कराने के लिए अपनी माँगों के साथ क्रोध और विद्वेष-भावना का समावेश भी करता है। कारखाने में काम करनेवाले मजदूरों और सफेदपोश कर्मचारियों के दबाव डालनेवाले प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप उन्हें प्रसन्न होने लायक फल प्राप्त हुए। मजदूरों और सफेदपोश कर्मचारियों के परिणाम ने विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के भीतर आशा के बीज बो दिये हैं। अब वे भी उनके पीछे-पीछे चलकर अपनी लक्ष्यपूर्ति करना चाहते हैं। शिक्षक-समुदाय के जिम्मेदार नेताओं तक ने शिक्षक-संघ को मजदूर-संगठन के ढंग पर संगठित होकर अपनी उचित माँगों की प्राप्ति हेतु दबाव और जोर-जबरदस्तीवाला तरीका अपनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। वे जिस दिशा में सोचते हैं वह यह है—कारखाने में काम करनेवाले श्रमिकों और रेल-कर्मचारियों ने दबावपूर्ण प्रदर्शन के द्वारा खूब सफलता प्राप्त कर ली है तो फिर हम क्यों न वैसा ही करें? आज का ऐसा युग है कि मीठी-मीठी बातों के कहने से कुछ लाभ नहीं होनेवाला है। कक्षा में पढाते समय मानसिक और नैतिक पहलू अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब प्रबन्धकों और प्रशासकों से सभा-सम्मेलन में निबटना हो तो इससे काम नहीं चलेगा।

शिक्षक सोचें मजदूर-संगठनों की 'टेकनिक' से प्रेरणा ग्रहण करके अपनाया गया शिक्षा-शास्त्रियों का यह प्रदर्शनकारी रस शैक्षिक मूल्यों और समाज के प्रति शिक्षकों के 'रोल' से सम्बन्धित कुछ बुनियादी प्रश्न खड़े करता है। शिक्षक-संगठन के कट्टर समर्थक शिक्षा-शास्त्रियों को भी यह स्वीकार करना होगा कि किसी शिक्षा-शास्त्री की शिक्षण-कला और विशिष्टता इस बात में निहित है कि वह मनुष्य-जीवन में पूर्णता का आशय किस हद तक ग्रहण कर पाया है, वस्तुतः शिक्षण का उद्देश्य यह नहीं है कि छात्र को एक खाली बर्तन माना जाय जिसे भरना

है बल्कि वह एक दीया है जिसे आलोकित करना है, छात्र के साथ शिक्षक का सम्बन्ध 'मैं और तुम' का है 'मैं और वह' का नहीं। यहाँ यह प्रश्न उठाना अत्यन्त प्रासंगिक है कि क्या मनुष्य और शिक्षक होने के नाते अपना और अपने छात्रों का जीवन संचालित करने के हमारे हस्त में कोई परिवर्तन आया है? क्या हमने अपने जीवन के उद्देश्य अपने अन्तिम लक्ष्य की पवित्रता और आने-वाली भविष्य की दुनिया के अग्रदूत होने के प्रति अपनी आस्था खो दी है? चेतन्य की शान्ति के प्रति अपनी अडिग धारणा को क्या हम तेजी के साथ छोटे चले जा रहे हैं? प्राध्यापक जेम्स विलिंगटन ने लिखा है—हमारे जीवन के लिए व्यवसायीकरण, प्रतिस्पर्धा की वृत्ति, शान-शोकित दिखाने की प्रवचना और सचित धन के हासोन्मुख प्रभाव मानवीय सम्बन्ध बनाने की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। श्री जयप्रकाशजी ने अपने हाल के एक वीलात भाषण में पूछा है कि क्या बुराई के सामने अच्छाई ने पराजय स्वीकार कर ली? क्या हमने अपने आपको ठीके पर काम करनेवाले विशेषज्ञों में बदल लिया है जो केवल अपनी प्रतिभा को ऊँची कीमत पर बेचने में रचि रखते हैं?

हम लोगों ने जिन्हें अपने भादशों के प्रति बलिष्ठ निष्ठा और आत्म-शक्ति में अडिग विश्वास था, ऐसा प्रतीत होता है कि अब, अपने को नैराश्य भावना के हवाले कर दिया है और हम शक्ति संगठनों के साथ शिक्षा विरोधी घनिष्टता बढ़ाने की बात सोचने लगे हैं। यह कितनी पीडादायक घटना है कि दो-तीन दशक पहले जो समुदाय समाज की मलाई जैसा था वह विकृत होकर दुर्गन्ध से भर गया है। जिन मूल्यों को हम प्रिय और पुनीत मानते थे वे हमारी ही भ्रातृ के सामने धुलते दिखायी दे रहे हैं। प्राचीन काल के उच्च भादशों के प्रति हमारी अपेक्षा ने हमारे सामने ऐसे नये नमूने खड़े होने दिये हैं जो सदिग्ध और उत्तेजक हैं। जब लोगों का अपने भाप पर से और अपने भादशों से विश्वास उड जाना है तब उनके लिए किसी 'बाहरी व्यवस्था' पर अपना सारा उत्तर-दायित्व सौंप देना सरल हो जाता है। हमारे पड़ोसी की कार्य-पद्धति की सफलता हमारे लिए तत्काल बड़ी आकर्षक प्रतीत हो सकती है, लेकिन बाद में हम भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि वे उससे हमारी रक्षा करें। मजदूर-संगठन के नेतृत्व की सफलता वे हमारी नजरो से हमारी वास्तविक कामनाओं को मोशल कर दिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रचलित शब्दावली में कृत्य का अर्थ राजनैतिक प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं और सभी समुदाय के शिक्षक नैतिक सिद्धान्तों को अव्यावहारिक और बेस्वाद मानते हैं। यदि

शिक्षकगण प्रदर्शनात्मक रवैया ग्रहण करना स्वीकार कर लेते हैं तो प्रो. सुन्दर सत्कार बनने की कोई व्यावहारिक आशा नहीं रहेगी।

शिक्षक और मजदूर

एक शिक्षक तथा किसी कारखाने में काम करनेवाले मजदूर या रेल चलाने-वाले इंजिन के ड्राइवर में एक अत्यन्त नाजुक अन्तर है। उपरोक्त कोटि के कर्मचारियों का सम्बन्ध निर्जीव वस्तुओं से आता है जब कि शिक्षकों को सजीव प्राणियों से निवाहना होता है। शिक्षक द्वारा बोले जानेवाले शब्द, उसकी वाणी की ध्वनि, उसका स्कूल और अपने घर पर रहने का ढंग, उसका दूसरों से सम्बन्ध, उसके पहनने और खाने-पीने के तौर-तरीके—इन सबका उन लोगों पर सीधा और परोक्ष प्रभाव पड़ता है जिनके साथ वह घटो रहता है। कारखाने का मजदूर किसी चीज को बना या बिगाड़ सकता है, उसे छोड़कर कारखाने से बाहर चला जा सकता है। उसका कोई अपना रचनात्मक व्यक्तित्व नहीं है। विशालकाय यंत्रों के उत्पादन और वितरण में उसका अपना व्यक्तित्व खो चुका है। इसके विपरीत एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ रहता है और अपने निर्जीव व्यक्तित्व के उदाहरण के द्वारा अपना कार्य करता है। शिक्षक मजदूर से एकदम भिन्न प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध में कार्यरत रहता है। इसीलिए यह निश्चित-सा है कि यदि शिक्षक मजदूर-संगठनों का शोर-गुलवाला तकनीक धरणीकार करते हैं तो आज से घोर अच्छी दुनिया बनने की कोई व्यावहारिक आशा नहीं रह जाती। शिक्षा एक ऐसी उच्च सामाजिक प्रवृत्ति है कि यदि वह वाजारु अवलमन्दों से प्रेरणा लेती है तो अपना महत्व घटायेगी। अवाञ्छनीय तरीकों के परिणाम भी अवाञ्छनीय होते हैं। थाप बबूल या गूलर के पेड़ से अमूर नहीं प्राप्त कर सकते।

शिक्षकों की यदि एक समुदाय के रूप में छात्रों की नयी पीढ़ी के नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक उत्पादन की नैतिक व आध्यात्मिक जिम्मेदारी है तो उनके विरोध-प्रदर्शन की पद्धति निश्चित रूप से उन लोगों से भिन्न प्रकार की उदात्त और उच्चस्वरीय होगी जो इंजिन चालक या यंत्रों पर काम करनेवाले हैं। जनता में भाषण देते समय बत्ता बीच-बीच में शिक्षकों के कार्य की महत्ता, महानता और उदात्तता को ऊँचा उठाने के लिए जो कुछ कहा करते हैं उसमें हमें भ्रम नहीं बनाया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों का इतिहास निश्चय ही हमारे लिए दुःसाक्षी रहा है। बेंतन पानेवाले ऊँचे स्तर के अफसरों और नीचे स्तर के कर्मचारियों के बीच जितनी विषमता मौजूद है वह इस युग का एक ऐसा नया मजाब है जो हमारी स्मृति में आसानी से नहीं भूलेगा। एक तरफ

ऊँचा बेंतन पानेवालो को सरकारी खर्च से ऐसी सुविधाएँ मिली हुई हैं जिनका उन्हें अपनी जेब से कोई खर्च नहीं देना पड़ता । वे महल-जैसे भव्य प्रासादों में रहते हैं जिनमें अच्छे रख-रखाववाले उद्यान, और बगीचे हैं, तथा उनकी सुख-सुविधा के लिए वैभव और तडक-भडकवाला वातावरण है जब कि निचले बेंतन-मानवाले लोगों को दरबे जैसे मकानों और तक्लीपदेह रहन-सहन के वातावरण में दिन बिताना पड़ता है । दिल को ठेस पहुँचानेवाली इस परिस्थिति और तुलना की इस उत्तेजक वस्तुस्थिति के होते हुए भी हम अपने पैर नहीं उखड़ने देना चाहिए । यदि हम किसी नयी दिशा, किसी नये दर्शन, किसी नयी प्राज्ञा की आवश्यकता है तो वह इसी समय है । हम अपनी आवश्यकताओं को ऐच्छिक निर्धनता के द्वारा सरल-से-सरल बनाकर 'गरीब न होते हुए भी सरल' (रवि ठाकुर) बनना सीखना चाहिए । हमारे पेश की जो गरिमा और भावार्थ है उनसे हम अपने को किसी भी कीमत पर अलग न करें । अपना न्याय-पूर्ण हक प्राप्त करने के लिए हम जो कुछ सोचें, हम जिस नयी शब्दावली को सीखें उसका सम्बन्ध मनुष्य की चेतना और क्षमता से होना चाहिए ।

शिक्षक का उत्तरदायित्व

छात्रों में इन दिनों जो हिंसा, घृणा और अनुशासनहीनता की लहर उठती दिखायी दे रही है उससे हमारी भाँखें खुलनी चाहिए और यह धीखना चाहिए कि नैतिक दायरे की क्या परिस्थिति है । इससे हमें आत्म-परीक्षण की उत्प्रेरणा मिलनी चाहिए । यह सही है कि छात्रों के व्यक्तित्व और व्यवहार पर हजारों शक्तियों और प्रभावों का असर पड़ता है लेकिन छात्रों पर हमारा जो मुख्य प्रभाव पड़ता है उसकी जिम्मेदारी से हम अपने आपको अलग नहीं कर सकते । इसी नाते आज की दुःख स्थिति के प्रति हमारा गहरा उत्तरदायित्व है । विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र सुन्तम खुल्ला यह घोषणा करते हैं कि हम कार्य-सम्पादन के लिए अयोग्य, बौद्धिक दृष्टि से कुठित और नैतिक दृष्टि से घुन्म हैं । उनकी यह घोषणा हमारे चरित्र और व्यक्तित्व के लिए सम्मानदायी तो नहीं ही है ।

हमारे किशोर जिन लोगों को अपने लिए नमूना मानते हैं—खिलाडी, डाइवर, विभेता, फिल्मी सितारे, अर्धनग्न टारिकाएँ आदि—वे इस बात के प्रमाण हैं कि शिक्षा में किस हद तक नैतिक मूल्यों की अवहेलना हुई है और उनको प्रतिष्ठित करने में हम कहाँ तक विफल हुए हैं । मूल्यों की इस व्याधि में मजदूर संघर्ष की नैतिकता का समावेश ही जाता है तो इसका एक ही परिणाम

होगा कि हम अपने छात्रों को बिद्रोह करने का रास्ता तो बता देंगे, लेकिन मानव-जीवन विज्ञान का नहीं ।

सच्चाई यह है कि शिक्षा में कोई भी रचनात्मक काम उन्हीं लोगों द्वारा हो सकता है जो शिक्षा का जीवन जीते हैं । एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति के निर्माण के लिए, जिसमें शुद्ध शिक्षा परिलक्षित हो, यह आवश्यक होगा कि आत्मसम्मानवाले शिक्षा शास्त्री राजनैतिक या शक्ति केन्द्रित संगठनों से उत्पीड़ित हुए बिना, सच्चाई की राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ें । छायाद समाज में हम शिक्षकों का ही एक समुदाय है, जो यदि सकल्पित होकर आगे बढ़े तो 'वीरो की अहिंसा' का नमूना पेश कर सकता है । इस सन्दर्भ में ही विनोबाजी के आचार्यकुल का गहरा महत्त्व है । आचार्यकुल शिक्षकों का एक संगठन है, जो धार्मिक भावनों से सम्बद्ध है ।

इंग्लैण्ड के महागुरु के बाद के शिक्षा मंत्री जार्ज टॉमलिन्सन ने जब कहा था कि 'आप बिना महालय के काम कर सकते हैं, आप लोकसेवा-प्रशासन के बिना भी काम चला सकते हैं लेकिन यदि शिक्षक न होंगे तो पीड़ियों के बाद सत्तार बर्बरता के युग में लौट जायेगा, तो उनके मानस में शिक्षक या प्रदर्शन-कारी नहीं ।

(मूल अंग्रेजी से)

भूल-सुधार

'नयी तालीम' के नवम्बर '७० के अंक में 'निरक्षरता निवारण' शीर्षक लेख में पृष्ठसंख्या १६२ पर दूसरे परिच्छेद की पहली पक्ति में 'स्रोत शिक्षण' के स्थान पर 'श्रीत शिक्षण' पढ़ें । इसी पृष्ठ में 'श्रीत शिक्षण' की जगह 'स्रोत परम्परा' छप गया है ।

पृष्ठ १६६ में नीचे से चौथी पक्ति में '१९ वीं सदी' के बजाय '२० वीं सदी' चाहिए । इसी पृष्ठ की तीसरी पक्ति में 'देश' के बजाय 'देशज' शब्द होना चाहिए । भूल के लिए क्षमा करें ।-स०

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रगति

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जनता ने बहुत योगदान दिया है और प्राइवेट स्कूलों के अधिक संख्या में होने से इस स्तर पर शिक्षा के प्रसार को बहुत बल मिला है। किन्तु अधिकांश प्राइवेट स्कूलों की वार्षिक दशा अच्छी नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि ऐसी नीति अपनायी जाय जिसके फलस्वरूप उन सभी मान्यताप्राप्त विद्यालयों को अनुदान मिलने लगे जिनको अभी तक अनुदान नहीं मिल सका है। तृतीय योजना-काल में ६३७ गैर-सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालय अनुदान-सूची पर लाये गये। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक गत तीन वार्षिक योजना-काल में ३३३ विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया। इस वर्ष १०० ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया जायगा।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ छात्र-संख्या अधिक है, सज्जा, काफ़ीपकरण एवं भवन की बड़ी कमी है। शासन ने इसको दूर करने के लिए वार्षिक सहायता देना निर्धारित किया है। तृतीय योजना-काल में ८१० विद्यालयों को दो कमरों के निर्माणार्थ ४३,९०,००० रु० का भवन-अनुदान, १,१८६ विद्यालयों को १५,४८,०२५ रुपये का सज्जा एवं काफ़ीपकरण-अनुदान तथा बाहन-मुविधा हेतु बसों के लिए ३० विद्यालयों को ३,७०,००० रु० का अनुदान अर्थात् कुल ६३,०८,०२५ रुपये का अनुदान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदान किया गया। गैर-सरकारी सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन-निर्माण सम्बन्धी एक दूसरी योजना के अन्तर्गत ४ शिक्षण-कक्षा निर्माण हेतु तृतीय योजना-काल में ३३९ विद्यालयों को १९,४०,००० रु० स्वीकृत किये गये।

शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने में पुस्तकालयों का बड़ा महत्त्व है। गैर-सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की दशा अच्छी नहीं है। उसको सुधारने के लिए तृतीय योजना-काल में ७५८ विद्यालयों को २०,९८,००० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन योजना-काल में १६७ विद्यालयों को ४,९०,००० रुपये का पुस्तकालय-अनुदान दिया गया। इस काल में ७५ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सुधार हेतु भी १,८७,५००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया। इस वर्ष २० अराजकीय तथा २० राजकीय विद्यालयों के सुधार हेतु क्रमशः ८०,००० रु० तथा ५०,००० रु० की सहायता दी जायगी।

कुछ गैर सरकारी विद्यालयों में बहुधा समुचित क्रीडागण का अभाव रहता है। उनमें बच्चों के खेलकूद के लिए स्थान नहीं होता है। ऐसे स्कूलों के इस अभाव को दूर करने के लिए तृतीय योजना काल में २३० विद्यालयों को १३,००,००० रु० का अनुदान दिया गया। वर्ष १९६८-६९ में ३ विद्यालयों को खेल के मैदान की व्यवस्था हेतु १७,५०० रु० का अनुदान दिया गया। इस वर्ष भी तीन विद्यालयों में क्रीडा स्थल की व्यवस्था हेतु १८,००० रु० का प्राविधान है। प्रदेश के उच्चकोटि के विद्यालयों में अध्यापक स्तर एवं अनुशासन को उत्तरोत्तर सुदृढ करने के विचार से तृतीय योजना-काल के अन्तिम वर्ष से एक नयी योजना कार्यान्वित की गयी है। इसके अनुसार वर्ष १९६५-६६ में प्रदेश के ५० उच्चकोटि के विद्यालयों की दक्षता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया गया। वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक गत तीन वार्षिक योजना-काल १२० उच्चकोटि के विद्यालयों को रु० २,५०,००० का अनुदान स्वोक्त किया गया है। इस वर्ष भी ऐसे ६० विद्यालयों को दक्षता अनुदान देने हेतु रु० १,००,००० का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित देने के लिए अनेक प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है।

वर्ष १९६६-६७ में सहायताप्राप्त गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करनेवाले अध्यापकों को उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार देने की नीति अपनायी गयी। विगत तीन वार्षिक योजना-काल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ९४ अध्यापकों को विभिन्न दरों से रु० २०,६७५ के नकद पुरस्कार दिये गये।

अब इन्टर कक्षा उत्तीर्ण ऐसे जे० टी० सी० अध्यापक, जिन्हें पाँच वर्ष का शैक्षिक अनुभव है; गैर सरकारी स्कूलों में सी० टी० वेतन फर्म में सीधी नियुक्ति हेतु योग्य समझे जायेंगे।

अनेक कारणों से निर्धन छात्र पाठ्य पुस्तक के अभाव में अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाते। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि अराजकीय तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में पर्याप्त संख्या में पाठ्य-पुस्तकों की कई प्रतियाँ उपलब्ध हों जिनसे निर्धन छात्र लाभ उठा सकें। इस वर्ष ३५ राजकीय एवं अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जे. एच. पुस्तकालयों की व्यवस्था हेतु रु० २६,००० का प्राविधान है।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में जो अग्रतन्त्र प्रसार हुआ है उक्तका प्रभाव माध्यमिक स्तर पर भी पड़ा है। अतएव माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-

सख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। इन अतिरिक्त छात्रों के अध्ययन की सुविधा हेतु अतिरिक्त कक्ष तथा सज्जा एवं काष्ठोपकरण की आवश्यकता है। सहायताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक न होने के कारण वे स्वयं इस अतिरिक्त व्यय को वहन करने में असमर्थ हैं। अस्तु ऐसे ९० विद्यालयों को अनुदान देने के लिए इस वर्ष रु० २,६०,००० का प्राविधान है। इस हेतु प्रदेश के १५ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भी रु० २०,००० प्रति विद्यालय की दर से रु० ३,००,००० स्वीकृत किये गये।

कुछ क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों की अभी भी समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे क्षेत्र में बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बातिकार्ण भी पढ़ती हैं, इस प्रकार सह शिक्षा प्रदान करनेवाले विद्यालयों में बातिकारणों की सुविधा के लिए एक पृथक कामन् रुम एवं शौचालय तथा स्नानागार-निर्माण के लिए ऐसे ११ विद्यालयों को अनुदान देने हेतु रु० ५१,००० का इस वर्ष प्राविधान है।

वर्ष १९६८-६९ में प्रदेश के पहाड़ी जिलों तथा पिछड़े क्षेत्रों में सहायताप्राप्त गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उदारतापूर्वक रु० ४९,९२७ का अनुदान दिया गया है। इस वर्ष ऐसे ५० विद्यालयों को रु० १,००,००० का अनुदान देने का प्राविधान है।

तृतीय योजना-काल में २ बालकों तथा ४३ बालिकाओं के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का हाईस्कूल तक उच्चीकरण किया गया, जिनमें से दो राजकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का हाईस्कूल-स्तर तक द्रुत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्चीकरण किया गया था। विगत तीन वार्षिक योजना-अन्तर्गत ६ राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल हाईस्कूलों के रूप में उच्चीकृत किये गये। इस वर्ष ६ सीनियर बेसिक स्कूलों को हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकृत किया गया, तृतीय योजना-काल में ३४ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इन्टर कक्षा तक साहित्यिक और विज्ञान विषयों में उच्चीकरण किया गया था। विगत तीन वार्षिक योजना-अन्तर्गत १० राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का इन्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किया गया। इस वर्ष ३ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इन्टर स्तर पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव है। तृतीय योजना काल में १६८ विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएँ खोली गयीं तथा १२६ विद्यालयों में अतिरिक्त विषयों का समावेश किया गया था। तीन वार्षिक योजना-अन्तर्गत ८१ विद्यालयों में

अतिरिक्त कक्षाएँ खोली गयीं तथा ४४ विद्यालयों में नवीन विषयों का समावेश किया गया। इस वर्ष २५ विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोले गये और १७ विद्यालयों में नवीन विषयों का समावेश किया गया है।

तृतीय योजना-काल में विज्ञान विषय के अध्ययन हेतु २९ विद्यालयों में सुविधाएँ प्रदान की गयी थीं। वर्ष १९६६-६७ से वर्ष १९६८-६९ तक में ८ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाने की सुविधाएँ प्रदान की गयीं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोग-शालाओं के रख-रखाव के लिए आवर्तक अनुदान देने के निमित्त एक अन्य योजनान्तर्गत वर्ष १९६८-६९ के ५५ विद्यालयों को रु० ७०,००० स्वीकृत किये गये। इस वर्ष २५ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-सामग्री हेतु रु० ३,१५,००० की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के ९२२ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुधन्वी विद्यालयों के रूप में केन्द्रीय सहायता से विशेष रूप से सुदृढ किये गये हैं। जनवरी, १९६५ से बालिकाओं की शिक्षा कक्षा १० तक निःशुल्क कर दी गयी है, इससे बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा।

जिन १६ जिलों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक थी, उनमें गत वर्ष सह जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद सृजित हुए हैं।

इस वर्ष प्रदेश के चार राजकीय कन्या विद्यालयों में वाहन-सुविधा प्रदान करने हेतु चार बसें क्रय की जा रही हैं।

विज्ञान शिक्षा

विज्ञान शिक्षा की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए अधिक प्रयोगशालाओं के निर्माण, वैज्ञानिक उपकरणों के प्रबन्ध और वैज्ञानिक पुस्तकों के सुलभ होने की व्यवस्था अनिवार्य थी। गैर-सरकारी मान्यताप्राप्त साहाय्यिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अपने आर्थिक साधनों से यह व्यवस्था करना सहज न था। अतः उनकी सहायता हेतु अनुदान का प्राविधान किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में ५९२ स्कूलों में विज्ञान शिक्षा की मुख्यवस्था तथा प्रयोगशाला निर्माणार्थ रुपये ४९,७५,००० का अनावर्तक अनुदान दिया गया है। विगत तीन वार्षिक योजनान्तर्गत वर्ष १९६७-६७ से १९६८-६९ तक में विज्ञान प्रयोगशाला एवं प्रचुर मात्रा में उपकरण हेतु २८३ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को ३४,०९,००० का अनुदान स्वीकृत किया गया तथा २३१ विद्यालयों में विज्ञान को अधिक मुख्यवस्थित करने हेतु रु० १०,८२,५०० का अनुदान स्वीकृत किया गया। विज्ञान कक्षा का अनुरक्षण भलीभाँति न

होने से पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, अतः विज्ञान के अध्ययन में दक्षता हेतु वर्ष १९६६-६७ से १९६८-६९ तक तीन वार्षिक योजना-काल में १९१५ विद्यालयों को रु० ८,४६,५१० अतिरिक्त आकरिभिक व्यय हेतु स्वीकृत किये गये ।

इस वर्ष सहायता-प्राप्त ७१ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-अध्ययन की सुविधाओं के विस्तार हेतु रु० ५,१४,७०० का अनुदान स्वीकृत किया जायगा ।

क्रंश प्रोग्राम

तृतीय योजना-काल में विज्ञान शिक्षा की प्रगति की गति और अधिक तीव्र करने के लिए केन्द्रीय शासन की सहायता से एक 'त्रैश प्रोग्राम' प्रारम्भ किया गया था । हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट स्तरों पर भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, और जीव-विज्ञान विषय के शिक्षण को सफल बनाने के लिए उपकरण की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता थी । अस्तु, एक ऐसी भी योजना बनायी गयी जिससे स्कूलों में उपकरण के भी निर्माण की शिक्षा-दीक्षा दी जा सके । 'त्रैश प्रोग्राम' के अन्तर्गत तृतीय योजना-काल में प्रयोगशाला तथा उपकरण व्यवस्था के लिए रु० ३३,३१,००० तथा पुस्तकालय की सज्जा हेतु रुपये २,००,००० स्वीकृत किये गये । वर्ष १९६६-६७ में ३१३ तथा वर्ष १९६७-६८ में ३५ विद्यालयों को क्रमशः रु० १९,८२,९७३ तथा रु० १,९८,००० विज्ञान उपकरण हेतु स्वीकृत किये गये । 'त्रैश प्रोग्राम' के अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा १०५ गैर-सरकारी कृषि वर्ग सहित बहुघण्टी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कृषि वर्ग की कक्षाओं की उन्नति हेतु अनुदान दिया गया था । १९६६-६७ में १०७ विद्यालयों को रु० ८,१९,८७० का अनुदान दिया गया ।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की सुविधाओं के सुधार और प्रसार के लिए सगठित प्रयास जारी है । विज्ञान-शिक्षण की सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के सुधार और प्रसार की एक विशेष योजना सन् १९६३ से चलायी गयी । इस योजना का लक्ष्य विज्ञान-प्रध्यापकों के सख्यात्मक और गुणात्मक अभावों की पूर्ति करके विज्ञान-शिक्षण की स्थिति को सुदृढ़ करना है । पोस्ट ग्रेजुएट विज्ञान-शिक्षकों के अभाव में अनेक सहायता-प्राप्त विद्यालयों की विज्ञान की इन्टरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अनेक ग्रेजुएट विज्ञान-प्रध्यापकों की नियुक्ति करनी पडी थी । बी० एस्-सी० अध्यापकों के राष्ट्रीय शान के सुधार के लिए एक

पोस्ट ग्रेजुएट कन्वेंन्स डिप्लोमा कोर्स प्रचलित किया गया। १९६४-६५ तक इस कोर्स की ९ इकाइयों (३ रसायन-शास्त्र, ५ भौतिक शास्त्र तथा १ जीव-विज्ञान) की स्थापना की गयी। कुल मिलाकर अब १२ इकाइयाँ (४ रसायन-शास्त्र, ६ भौतिक शास्त्र, १ वनस्पति-शास्त्र, १ जन्तु-विज्ञान) वर्ष १९६९-७० में भी चल रही हैं। इन शिक्षकों की शिक्षण विधि सम्बन्धी उचित इकाइयाँ प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में चल रही हैं। विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव में सहायताप्राप्त स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षकों के शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञानवर्धन के लिए वर्ष १९६३-६४ में सेवाकालीन प्रशिक्षण-कोर्स केन्द्र (रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ और सेन्ट्रल पेढागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में) प्रारम्भ किये गये जो इस वर्ष भी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त १० सप्ताह के रिफ्रेशर कोर्स की विशेष व्यवस्था भी की गयी है जिसके लिए १९६५-६६ में दो केन्द्रों की स्थापना की गयी है जो १९६६-६७ तक चालू रहे। किन्तु अप्रैल, १९६७ से एक केन्द्र समाप्त हो गया, दूसरा केन्द्र जुलाई, '६७ तक चालू रहा। उसके पश्चात् अब यह कोर्स राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है और इसकोर्स की अवधि १० से सप्ताह घटाकर ६ सप्ताह कर दी गयी है।

प्रशिक्षित विज्ञान-अध्यापकों की कमी को दूर करने की दिशा में एक एल० टी० साइंस कोर्स भी सन् १९६३-६४ से राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में चालू किया गया, जिसमें ३० अध्यापियों को प्रत्येक वर्ष प्रविष्ट किया जाता है। विज्ञान-अध्यापकों को शिक्षण-व्यवसाय में भाग्य कराने और बनाये रखने के लिए प्रदेश की सहायताप्राप्त माध्यमिक संस्थाओं में घाठ वेतन-वृद्धि तक देने की स्वीकृति दे दी गयी है। विज्ञान-शिक्षकों के अवकाश प्राप्त करने की आयु भी बढ़ा दी गयी है और अवकाश-प्राप्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति दे दी गयी है। प्रशिक्षण महा-विद्यालयों में सेवापूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले विज्ञान स्नातकों के लिए सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में २६ छात्रवृत्तियाँ एवं गैर-सरकारी महा-विद्यालयों में २६ छात्रवृत्तियाँ और निःशुल्कताएँ भी स्वीकृत की गयी हैं।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की उचित रूप से देखभाल एवं उसमें विशेष प्रगति लाने के लिए भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से प्रदेश में एक विज्ञान सभ्यान (स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ साइंस एजुकेशन) की भी स्थापना वर्ष १९६४-६५ के अन्त में की गयी है। स्कूलों में विज्ञान क्लब

स्थापित किये गये हैं। वैज्ञानिक प्रदर्शिनियों का भी आयोजन किया जाता है। १९६८-६९ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए सौ सौ रुपये के ९ पुरस्कार और बी० ए० सी० तथा समकक्ष कक्षाओं के लिए दो-दो सौ रुपये के सात पुरस्कार उत्तम वैज्ञानिक या व्यावहारिक कृतियों, जैसे प्राथमिक वैज्ञानिक आविष्कारों के क्रियाशील माडल, वैज्ञानिक विषयों पर भौतिक चिन्तन से युक्त लेख, मूल्यवान और दुर्लभ वैज्ञानिक यंत्रों के सस्ते प्रतिमान, प्राविधिक विषयों पर लोकप्रिय शैली में लिखे हुए और वैज्ञानिक ज्ञान का लोकप्रिय ढंग से प्रसार करनेवाले निबन्ध, चार्ट, माडल आदि, के लिए दिये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के साथ इस प्रदेश में भी 'साइन्स टैलेंट सर्च' की एक योजना चालू की गयी थी जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत के स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में केवल उन्हीं छात्र और छात्राओं को बैठने का अवसर प्राप्त था जो हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा साइन्स विषय को लेकर दे रहे हों। १९६९ में भारतवर्ष भर में उत्तरप्रदेश से परीक्षा में जो छात्र सम्मिलित हुए थे उनमें से २४ छात्रवृत्ति तथा योग्यता प्रमाण-पत्र देने के लिए चुने गये थे। इस वर्ष यह परीक्षा ७ जनवरी को सम्पन्न हुई।

प्रशिक्षण

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित स्नातक अभ्यापक तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा-विभाग द्वारा स्नातक स्तर पर चार राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें से एक महिलाओं के लिए है। वर्ष १९६६-६७ में इन चारों प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कुल १७० स्थानों की वृद्धि की गयी अर्थात् राजकीय केन्द्रीय पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद तथा राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में ४० अतिरिक्त छात्र और राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में ५० तथा राजकीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में क्रमशः ८० अतिरिक्त छात्र। इस प्रकार १९६६-६७ से राजकीय केन्द्रीय पेडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, प्रत्येक में १०० एवं राजकीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में संख्या १२० हो गयी है। इसके अतिरिक्त ४ मान्यताप्राप्त एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय भी हैं। मलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के अपने शिक्षा-विभाग हैं और भागलपुर, मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालय से

सम्बद्ध डिग्री कालेजों में भी शिक्षा विभाग है जो बी० टी० एच बी० एड० की उपाधि प्रदान करते हैं ।

सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापको को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा पाँच प्रशिक्षण केंद्रों पर (१ शासकीय और ४ अशासकीय महाविद्यालयों से सलग्न) तीन-तीन महीनों के दो फेरों में दो वर्ष में एल० टी० (जनरल) और एल० टी० (हिन्दी) सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनेक स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षाप्राप्त, परन्तु अप्रशिक्षित अध्यापक हाईस्कूल और इन्टर की कक्षाओं को हिन्दी पढ़ा रहे थे, अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि उनको भी एल० टी० स्तर का सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय । फलतः इस उद्देश्य से उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सन् १९६३-६४ से कर दी गयी है । उच्चतर माध्यमिक स्तर के शिक्षको को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे उनको शिक्षा विज्ञान और प्रशिक्षण विधियों के नवीनतम विचारों का ज्ञान हो जाय और उनके अध्ययन-कौशल में वृद्धि हो । वर्ष १९६९ में एल० टी० स्तर पर उत्तीर्ण होनेवाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या १११६ थी ।

शिक्षको के अध्यापन सम्बन्धी ज्ञानवर्द्धन के उद्देश्य से शिक्षण महाविद्यालयों के साथ सेवा विस्तार विभाग सलग्न किये गये थे । यह प्रयोग बहुत सफल हुआ । इस समय ८ सेवा विस्तार विभाग संचालित हैं और ४ प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ सेवा विस्तार की एक-एक इकाई संचालित है ।

भांग्ल भाषा शिक्षण-संस्थान

अंग्रेजी के शिक्षको को नवीनतम शिक्षण-विधियों का ज्ञान कराने के लिए दृष्टाद्वादाद में एक भांग्ल भाषा शिक्षण-संस्थान, ब्रिटिस-काउंसिल के द्वारा, नफील्ड पाउण्डेशन की आर्थिक सहायता से, संचालित था । इसका पूर्ण नियंत्रण शिक्षा विभाग ने सन् १९६३-६४ से ग्रहण कर लिया । संस्थान द्वारा भांग्ल भाषा शिक्षण-डिप्लोमा के लिए अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जाता है । प्रति वर्ष मयूरी में एक प्रीम्नवालीन कोर्स भी आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य अध्यापकों, प्रशासकों, निरीक्षकों आदि के लिए भांग्ल भाषा शिक्षण की नवीनतम विधियों का ज्ञान कराना है । इस संस्था द्वारा १९६९-७० में अत तक २६ डिप्लोमा कोर्स और १६ प्रीम्नवालीन कोर्स आयोजित किये गये । इन कोर्सेज से अब तक छात्रान्वित होनेवालों की संख्या क्रमानुसार ९३५ और ७७८ है ।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर हिन्दी का शिक्षण उत्कृष्ट करने की दृष्टि से एक हिन्दी-सस्थान की स्थापना शासन द्वारा १९६९-७० में की गयी है। यह सस्थान उसी प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है जिस प्रकार वसुधायुक्त भाषा शिक्षा-सस्थान व्यवस्थित है। इस सस्थान के मुख्य कार्यों की तालिका निम्नवत् है

- १ जूनियर व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण।
- २ उक्त अध्यापकों के लिए रिक्रेशन कोर्स का संचालन।
- ३ उचित पाठ्य-सामग्री तैयार करना।

रामपुर और इलाहाबाद स्थित राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय और समीपपुर (जौनपुर) और लखनऊ के गैर सरकारी मायताप्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा राजकीय गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, अपने अपने विषयों के अध्यापकों अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

केन्द्रीय शासन की पुरस्कार योजना में इस वर्ष उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के ३ तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के २ अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रदेशीय शासन द्वारा भी इस वर्ष माध्यमिक स्तर के ५ अध्यापकों को प्रदेशीय पुरस्कार देकर सम्मानित करने का प्रस्ताव है।

(शिक्षा निदेशक कार्यालय, उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित ' शिक्षा की प्रगति १९६९-७० से।)

भाषा-शिक्षकों के निर्माण की आवश्यकता

डा० जी चौरस्या

भारत में भाषा-शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। विद्यालयों में प्रयोग की जानेवाली भाषा-शिक्षण की विधियाँ पुरानी पढ़ चुकी हैं। आज भाषा-शिक्षण जिस स्तर पर विकसित होकर पहुँच चुका है, हमारे यहाँ उसके समानान्तर भाषा-शिक्षकों का निर्माण नहीं हो सका है। पर्याप्त भाषा-योग्यता की कमी के कारण ही विद्यालयीन पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के अध्ययन पर भी बुरा असर हुआ है। यहाँ तक ही नहीं, सम्पूर्ण शैक्षणिक स्तर को नीचे गिराने में भाषा-योग्यता की कमी ही वह एकमात्र कारण रही है जो मूलतः हर विद्यार्थी की शिक्षा को मुख्य बाधिका है। शिक्षा के गिरे हुए स्तर को लेकर चारों ओर एक गहरा असन्तोष व्याप्त हो रहा है। इस गिरे हुए स्तर को सुधारने के लिए कई उपाय सुझाये भी गये हैं। शिक्षा-आयोग ने भी इस सम्बन्ध में कितने ही महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं। किन्तु भाषा-शिक्षकों के निर्माण की दिशा में पर्याप्त ध्यान अभी तक नहीं दिया गया।

शिक्षण-संस्थाओं में हमारा प्रतिदिन का अनुभव यह है कि विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के बहुत-से विषय भाषा-योग्यता की कमी के कारण पूरी तरह नहीं पढ़ पाते हैं। यही पर्याप्त भाषा-कुशलता का अभाव उन्हें ज्ञान के कई क्षेत्रों से वंचित रखता है। परिणामतः शैक्षणिक स्तर गिरता जा रहा है। भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का हमारा यह हमेशा का अनुभव रहा है कि जो विद्यार्थी चार-वर्षीय कोर्स में प्रवेश प्राप्त करते हैं उनमें न तो अंग्रेजी की पर्याप्त भाषा-योग्यता होती है और न क्षेत्रीय भाषाओं की। (इस कमी को दूर करने के लिए चार-वर्षीय कोर्स के प्रारम्भ में ही उन्हें समुचित शिक्षण प्रदान करने की हमारी योजना है।) अन्य महाविद्यालयों में भी इस असन्तोषजनक स्थिति के न केत प्राप्त हुए हैं। पर्याप्त भाषा-योग्यता की कमी के कारण जो हानि हुई है वह शैक्षणिक स्तर गिरावट तक ही सीमित नहीं है। जब एक विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाये जानेवाले विषय को पूरी तरह नहीं समझता तो उसमें शिक्षा के प्रति ही अरुचि उत्पन्न होने लगती है। परिणाम यह होता है कि धीरे-धीरे विद्यार्थियों में गहरा असन्तोष व्य

है। इस भीषण समस्या का

सामना करने के लिए हमें अपने देश में भाषा-शिक्षण के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए ।

पुरानी पठ चुकी भाषा-शिक्षण विधियों के कारण ही हमें विद्यालयीन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी में भाषा-योग्यता लाने के लिए छौन से चार वर्षों तक का समय लगाना पड़ता है । यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ प्रगतिशील देशों में यह समय एक या दो वर्षों तक ले आया गया है, क्योंकि वे भाषा-शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रयोग करते हैं । भाषा-शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विदेशों में, टेप रिकार्डर, लिग्वाफोन, रिकार्ड्स फिल्म तथा स्ट्रिप्स का प्रयोग किया जाता है । हमारे देश में इन साधनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर अभी नहीं किया गया है । जितने शीघ्र हम भाषा-शिक्षण के नवीन साधनों का प्रयोग प्रारम्भ कर देंगे उतने ही शीघ्र हम देश के शैक्षणिक स्तर को सुधारने में सफल होंगे ।

उपर्युक्त सफलता प्राप्त करने के लिए हम भाषा-शिक्षकों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना होगा । आज प्राथमिक स्तर तक के भाषा शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य अधिकतम देश की १४०० प्रशिक्षण-संस्थानों द्वारा ही किया जाता है । ये संस्थाएँ पुरानी पिंसी-पिटी विधियों को ही आज भी अपनाती हैं । वे भाषा शिक्षकों के निर्माण के नवीन विकास से आज भी परिचित नहीं हैं । यह देखकर दुःख होता है कि ये संस्थाएँ आज भी उन्हीं पुरानी विधियों का प्रचार करने में लगी हुई हैं । यही हाल अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के शिक्षकों के निर्माण का भी है । कुछ प्रदेशों में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन में सुधार लाने के लिए 'अंग्रेजी भाषा-शिक्षण संस्थाओं' की भी स्थापना की गयी है, किन्तु उनके द्वारा भी इस दिशा में प्रचलनीय कार्य नहीं हुआ है ।

भारत सरकार ने हैदराबाद में एक केन्द्रीय अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान की स्थापना प्रवर्ध की है जो कि विभिन्न प्रदेशों के अंग्रेजी भाषा के अध्यापकों को प्रशिक्षित करती रही है, किन्तु अधिकांश प्राथमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्तर से उसी पुरानी ढर्रे पर चल रहे हैं । उनके बी० एड० के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा शिक्षण भी अध्ययन का एक भाग है किन्तु वह अंग्रेजी भाषा-शिक्षण भी अध्ययन का एक भाग है किन्तु वह अंग्रेजी भाषा-शिक्षण की कुछ पुरानी पुस्तकों के अध्ययन तक ही सीमित है ।

भारत सरकार ने आगरा में राष्ट्रीय हिन्दी संस्थान की भी स्थापना की है । इस संस्थान ने निश्चित ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ।

भाषा-शिक्षकों के निर्माण की दिशा में, एन० सी० ई० धार० टी० में माध्यमिक स्तर के लिए अंग्रेजी शिक्षकों को तैयार करने हेतु चार-वर्षीय बी० ए०, बी० एड० कोर्स (स्वीकृत) की स्थापना द्वारा प्रथम साहसिक कदम उठाया है। किन्तु यह कदम अंग्रेजी भाषा-शिक्षकों के निर्माण तक ही सीमित है। वास्तव में 'राष्ट्रीय हिन्दी संस्थान आगरा,' जैसी संस्थाओं को चाहिए कि वे ऐसी ही हिन्दी शिक्षकों के निर्माण की योजना तैयार करें तथा उन्हें क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में लागू करवाने का प्रयास करें। निश्चय ही इस प्रकार के चार वर्षीय कोर्स द्वारा जो हिन्दी भाषा-शिक्षक तैयार होंगे वे शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने में एक बड़ी भूमिका भूदा कर सकेंगे। बाद में भी इसी प्रकार की योजनाएँ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लागू की जा सकती हैं। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा जिस पैमाने और स्तर पर आज अंग्रेजी भाषा-शिक्षकों के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उसी पैमाने पर और सभ्यता अधिक सम्भावनाओंवाला हिन्दी क्षेत्र अभी मछूता पड़ा है।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की ऐसी योजना है कि वह विक्रम विश्व-विद्यालय के सहयोग में भाषा शिक्षकों के निर्माण में रचनात्मक कार्य करने के लिए भाषा शिक्षण की एक राष्ट्रीय सगोष्ठी का आयोजन करे, जिसमें भाषा-शिक्षकों के निर्माण के प्रश्न को प्रत्यक्ष पहलू से परखा जा सके। विक्रम विश्व-विद्यालय को तो कम-से कम इस दिशा में कुछ विचार करना ही चाहिए।

["इण्डियन कौन्सिल ऑफ बेसिक एजुकेशन बुलेटिन से सामार"]

पुरानी शैली : नये सपने

योगेशचन्द्र बहुगुणा

साध्य-साधन की एकरूपता के बारे में पुस्तकों में कई बार विभिन्न सदस्यों में पढ़ा था, कई गुरुजनों से सुना था, मैं स्वयं भी इस बात का शिक्षक बन गया था कि साधनों में ही साध्य छिपा रहता है, हम सम्यक् साधनों की चिन्ता करते जायें, सावधानी बरतते जायें, तो चरम साध्य तक पहुँचा जा सकेगा, क्योंकि साधन का अपनी पूर्णता में विकास ही तो साध्य है। बुद्ध ने यही कहा था, विवेकानन्द ने यही सिखाया, और गांधी ने इसीके प्रत्यक्ष प्रयोग करके दिखाया।

यह बात मैं समझता था लेकिन जानता नहीं था। जो समझता था वह सब बाहर से था, शास्त्र का था, स्वयं के अनुभव में से वह जाना हुआ नहीं था। और सत्य तो सदैव स्वयं ही जाना जा सकता है। सत्य में तो हुआ जाता है, दूसरा कोई बाहरी साधन नहीं है—न गुरु, न ग्रन्थ, न पुरोहित और न साधु-सन्दासी' जिसके माफत हम सत्य को पकड़ सकें। सत्य के अज्ञात सागर की महायात्रा स्वयं ही, अरि अकेले ही हो सकती है। अरि एक दिन में भी इस सत्य को जाना कि साधन और साध्य में साधर्म्य होना चाहिए।

सन् १९६६ के दिसम्बर महीने में प्रल्मोडा के तत्त्व प्रचार केन्द्र को छोड़कर चम्पा गाँव आ गया था। आगे क्या करना है इसका कोई स्पष्ट चित्र मेरे सामने नहीं था, लेकिन कुछ करना है, इसकी भूल तो थी ही। अक्सर होता यह है कि ज्ञानि की अघोरता हमसे कुछ का कुछ करवाने लगती है। ज्ञानि का सम्बन्ध विचार से और गहरे किन्हीं अज्ञात केन्द्रों से होता है। ये केन्द्र जब सक्रिय होकर विचार के साथ जुड़ जाते हैं, तब ज्ञानि की तीव्रता और भी कसमसाने लगती है। ज्ञानिकारियों की धैर्य में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो विचार के निराकार रूप को पकड़कर लम्बे समय तक धीरज के साथ उसकी सम्भावनाओं की प्रतीक्षा करते रहते हैं, बाकी लोग तो सगुण-साकार रूप को ही तुरन्त देखना चाहते हैं।

यही स्थिति प्रारम्भ में मेरी थी। बादशाही घोल की देशी शराब की दूकान जन आन्दोलन के परिणामस्वरूप बन्द हो चुकी थी, और हम सब साथी आगे का रास्ता ढूँढ़ रहे थे। तलाश करते-करते हमने पाया कि राखीचीरी में बच्चों की पढ़ाई की समस्या है। बच्चों तक के स्कूल तो आस-पास काफी हैं, परन्तु उसके बाद आगे पढ़ने के लिए सबको ३ मील चम्पा जाना पड़ता है।

आजकल छोटी उम्र में ही बच्चे पाँचवी पास कर लेते हैं। सरकारी शिक्षा का पाठ्यक्रम इतना बोझिल है, कि बच्चों को काफी भारी बस्ता साथ में स्कूल में ले जाना पड़ता है। एक तो कच्ची उम्र, रोज ६ मील भ्रमण-जाना और साथ में एक भारी बोझ, बड़ी समस्या थी। और हमने सोचा कि जिस भ्रान्ति का सम्बन्ध हमारी समस्याओं से नहीं वह धरती पर उतरेगी कैसे ?

यही सब सोचकर हम लोगों ने तय किया कि राणीचौरी में पाँचवी कक्षा स भागों की पढाई की व्यवस्था हो। यह हम पहले से ही जानते थे कि हमारे विद्यालय के साइतबोर्ड पर अगर लिखा होगा कि 'यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है' तो कोई बच्चा नाहक अपने बच्चों को वहाँ भेजेगा। हम सर्वोदय के लोगो द्वारा यह विद्यालय शुरू हो, यह मुनकर हमारे कुछ हितैषियों ने इस तरह का प्रचार प्रारम्भ भी किया कि यहाँ 'सर्टिफिकेट' नहीं मिलेगा, डोम बीठ (हरिजन सवर्ण) सब एक ही जायेंगे वह तो आश्रम बन जायेगा, बच्चों का भविष्य बरबाद हो जायगा, आदि आदि।" हम यह भली भाँति जानते थे कि समाज की माँग सनद की है, परन्तु हम यह अवश्य सोचते थे कि अगर विद्यालय के शिक्षक जाग्रत, सचेत, सृजनात्मक दृष्टिवाले होंगे तो विद्यालय ग्रामस्वराज्य की अहिंसक क्रान्ति के साथ जुड़ा रहेगा, और इस तरह वह ग्रामस्वराज्य के प्रयोगों का केन्द्र ही होगा।

उत्साह था, लेकिन क्रान्ति के लिए

यही कल्पना हमने स्थानीय लोगों के सामने रखी। कुछ लोगों ने कुछ नहीं समझा, कुछ ने अचूरा समझा, पूरा शायद ही किसीने समझा हो। फिर भी लोग राजी हो गये। ग्रामस्वराज्य सभ की ओर से ही विद्यालय चले, इस पर सब सहमत हुए। सहमत होनेवाले लोगों ने ग्रामस्वराज्य का विचार समझकर ऐसा निर्णय लिया ही, ऐसी बात नहीं थी, इसका कारण यह था कि शराबबन्दी आन्दोलन की सफलता के कारण हमारी कुछ साख बन गयी थी, और लोग समझने लगे थे कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारे बार-बार यह कहने पर भी कि, 'आप लोग विद्यालय को चलाने के लिए स्वतंत्र कमेटी बनायें', वे लोग यही आपह करते रहे कि, नहीं, ग्रामस्वराज्य सभ ही इसको चलाये।

काम की सुविधा के लिए आसपास के लोगों की हमने एक कामचलाऊ कमेटी बना ली, और काम भी प्रारम्भ हो गया। खन्दा इकट्ठा होने लगा, मकान बनने लगा, जमीन मिल गयी। लोगों में अपार उत्साह दिखायी दे रहा था। जिन लोगों ने कभी पाँच अनुलियाँ भी मिट्टी में नहीं रखी, वे सीमेंट बजरी के तसले सिर पर डोये थे। विद्यालय की इमारत की छत तो लोगों ने

दिन-भर खेती का काम करने के बाद रात को गंध की रोशनी में डाली । उस दिन पूरी रात हम काम करते रहे । जनशक्ति का यह उन्माद देखकर मेरे मन में भी अंधार उरसाह था । घर में हमारा मकान बन रहा था । ७० वर्ष के मेरे बूढ़े पिताजी घर में पर्यर तोहते, परन्तु जेठ के महीने की कड़ी धूप में भी मैं पौर भाई अमरदेवजी गाँव-गाँव घूमकर चन्दा इकट्ठा करते ।

मकान बन गया । जो विद्यालय अपनी तीन कक्षाओं के साथ पचास-घर के सिर्फ एक ही कमरे में चलता था, कमरा भी ऐसा कि बरसात में बाहर-भीतर सब समान ही हो जाता था, वहाँ अब पक्की सीमेंट की इमारत हमारे पास थी । शिक्षक थे, शिक्षार्थी थे, प्रकृति का सौंदर्य था, लोगों की बाह्वाही साथ थी ।

और उस दिन मेरी आँखें खुलीं

लेकिन एक चमत्कार जैसा हुआ, और लोगों में फिर जड़ता आने लगी । अब हम स्कूल की चर्चा करते तो लोगों के चेहरों पर कोई रौनक नहीं दिखायी देती थी । कामचलाऊ कमेटी जो बनी थी—विद्यालय सम्बन्धी सभी कामों में यह कमेटी ही अन्तिम सत्ता थी और सध सीधे-सीधे इसमें दखल नहीं करता था—उसके कुछ सदस्य तो हमारे परोक्ष में ग्रामस्वराज्य सर्वोदय का मजाक और उसकी प्रालोचना भी किया करते थे । लोगों को हमारी आवश्यकता ग्रामस्वराज्य की सम ऽ योजना के बजाय स्कूल के लिए थी, और स्कूल तो बन चुका था !

अब यदि शिक्षक छात्रों से अमदान करवाते या सम्यक के लिए उन्हें गाँव में ले जाते ता सिकायतें घातीं । लोग अपनी नाराजगी कभी कभी मुझसे भी प्रकट करते, फिर भी मैं आशावान था कि हम शिक्षण के क्षेत्र में तो कम से-कम कुछ नया कर पायेंगे । इसी उद्देश्य से हमने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक महीने के लिए नयी तालीम के साथ ही जुगताराम काका के पास बेंदड़ी भेजा ।

लेकिन उस झटके में अचानक मेरी गहरी नींद को तोड़ दिया, जिस दिन कार्यकर्ताओं की बैठक में विद्यालय के शिक्षकों का अनपेक्षित व्यवहार सामने आया । उनकी माँगें थी -

- (१) हमारा वेतन बढ़ाया जाय,
- (२) हमें ह्वायी किया जाय,
- (३) हमारे लिए एक विद्याम कक्ष की भूतल से व्यवस्था हो ।

(४) जिस जमीन पर विद्यालय है, उस भूमि पर ग्रामस्वराज्य सच का कोई अधिकार नहीं रहे ।

इन माँगों पर जब बहस होने लगी, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक इतने उत्तेजित हुए कि उन्हे यह भी सुघ न रही कि वे क्या कह रहे हैं । मुझ पर तो उनका गुस्सा इतना बरसा कि जो कुछ शिष्टाचारवश नहीं भी कहना चाहते हों,—मन म भले ही घैसा पहले से सोचते रहे हों—वह सब कह बंटे । उनके शब्द थे—“भाज तक मैं व्यक्ति के रूप में तुम्हारी पूजा करता था, तुम्हारी कयनी-करनी में कोई समानता नहीं, लच्छेदार भाषा में मापण कोई भी दे सकता है, इसी कारण यह विद्यालय सामुदायिक केन्द्र नहीं बन पा रहा है, इस विकास-क्षेत्र से सर्वोदय का नामोनिशान मिट जायेगा भादि” ।” दूसरे एक शिक्षक भी सच की प्रबन्ध समिति के एक सदस्य की बोलने की स्वतन्त्रता तक को स्वीकार करने को राजी नहीं थे । वे बार बार कह रहे थे, “बुप रहो जी, तुम नहीं कह सकते हो ।”

उस दिन मैं सोचता रहा, सोचता रहा, कि भ्राखिर ऐसा क्यों होता है ? लेकिन कल्पना चाहे कितनी कान्तिकारी क्यों न हो, कार्यक्रम यदि प्रतिगामी या यथास्थिति वाला है तो इससे भिन्न क्या परिणाम हो सकते हैं ? विद्यालय चाहे कान्तिकारी सगठन ग्रामस्वराज्य सच द्वारा चलाया जाय या किसी दूसरी कमेटी द्वारा, सरकारी मान्यता का लेबुल जब तक उस पर लगा हुआ है, तब तक शिक्षक पैसा, पुस्तक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, पदवी और पदोन्नति से भिन्न सोच भी क्या सकते हैं ? उस दिन मैं रोया भी बहुत, क्योंकि भनासक्त कमयोग की साधना अभी चालू ही है । पूरी निष्ठा, समर्पण व लगन से मैंने विद्यालय के लिए काम किया था, लेकिन इस परिणाम से ही मेरी भ्राखि सदा सदा के लिए खुल गयी, और मैं विद्यालय के प्रबन्ध की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया । महर्षि वाल्मीकि का वह सूत्र बार-बार मन में रहने लगा है—“विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यकर्ता विनश्यति” विधिहीन यज्ञकर्ता जल्दी ही नष्ट हो जाता है । इस अनुभव ने सिखा दिया, कि हम सही पद्धति की चिन्ता करें, भ्राह्मिक कान्ति तो हमारे चारों ओर घिरी हुई है ही ।

नयी तालीम की तीर्थ-स्थली एकभ्रमण

शम्भू प्रसाद बहुगुणा

सन् १९६६ में जब घम्पा ग्रामस्वराज्य सघ की स्थापना की गयी थी, तो उसके अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी रहा है कि शिक्षण के माध्यम से समाज के पुनर्निर्माण के लिए सस्या कुछ काम करे।

इस दिना में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित नयी तालीम का विचार उसकी मुख्य प्रेरणा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सघ के अतगत ग्रामभारती विद्यामन्दिर की स्थापना की गयी, जिसमें उत्तर बुनियादी की तीन कक्षाएँ, ६, ७, ८ के लिए शिक्षण व्यवस्था की गयी है। यद्यपि इसमें हमने राजकीय पाठ्यक्रम को ही स्वीकार किया है क्योंकि उसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, परन्तु शिक्षण की परिपाटी एवं वातावरण नयी तालीम के अनुरूप ही ऐसा हमारा प्रयत्न है।

नयी तालीम के क्षेत्र में देश में सबसे अधिक सुन्दर, सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण कार्य जितना गुजरात में हुआ उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ तथा इसका सारा श्रेय स्व० नाना भाई भट्ट व श्री जुगतारामजी दवे जैसे कमठ और दूरदर्शी लोगों को है। हम लोगों के लिए उनके काम करने की शैली हमेशा प्रेरणा का कारण रही है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में जिस ढंग से उन्होंने कार्य किया है, हमारी समस्याएँ भी कुछ ऐसी ही हैं कि हम भी उनसे बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं।

मैंने जब पिछले दो सालों से विद्यामन्दिर का काम सभाला तब से सघ में और मैंने, दोनों ने ही यह अनुभव किया कि एक बार गुजरात की नयी तालीम की संस्थाओं का निकट से जाकर अवलोकन व अध्ययन किया जाय। इस उद्देश्य के लिए ही मैंने १४ जनवरी से १ फरवरी तक वेडघी में श्री जुगताराम भाई के द्वारा संचालित उत्तर बुनियादी आश्रम वेडघी, गाँधी विद्यापीठ, वेडघी, दोलवन, पचोल, गडत, व्यारा, वेडकुम्हार, वात्सल्यधाम की बुनियादी शालाएँ, एवं नया आश्रम मढी का अवलोकन और अध्ययन किया। विभिन्न शालाओं में जाकर वहाँ के आचार्य और शिक्षक बच्चों से चर्चाएँ की कक्षाओं में पठन पाठन कार्य होते देखा, कुछ शालाओं में अलग बैठकर चर्चाएँ और प्रश्नोत्तर भी किये। वेडघी विद्यापीठ में ठहराव के दौरान श्री जुगताराम भाई की मैत्रीपूर्ण मुलाकात के अतिरिक्त लोकमार्ती के भूतपूव कमठ आचार्य श्री मोरशकर भट्टजी से भी इस सदन में भेंट हुई।

सक्षित में इस मवलोकन का विवरण निम्नांकित है ।

गांधी विद्यापीठ बेंदछी

बेंदछी गाँव से विद्यापीठ १ मील दूर है । यह विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में कर्म और उद्योग को महत्त्व देते हुए २ घंटे की शैक्षिक प्रवृत्ति को चलाता है । सधम यह है कि कर्म के माफत ज्ञान दिया जाय, कक्षा ११ से बी० ए० तक एव (बी० एड०) कक्षाएँ विद्यापीठ में चलती हैं । सस्था के कुलपति काका कालेलकर हैं एव उपकुलपति भाई जुगतराम दवे हैं । शिक्षण का ३ प्रकार स वर्गीकरण किया गया है ।

१ सामान्य शिक्षण —पद्धति और दृष्टि यह है कि भविष्य में सडके का लक्ष्य और कर्म स्पष्ट हो जाय ।

२ समाज शिक्षण —यह यहाँ की ४ वर्षीय प्रेजुपेशन डिग्री है । प्रथम वर्ष में निर्धारित सभी विषयो को छात्र अनिवार्य रूप से लेते हैं । द्वितीय वर्ष विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि विषय ऐन्डक विषयों में विभक्त हो जाते हैं । गुजराती मातृभाषा है । द्वितीय वर्ष तक सभी छात्र छात्राएँ साथ ही अध्ययन करते हैं, परन्तु तीसरे वर्ष दो विभागो में चले जाते हैं ।

(अ) शिक्षण विभाग, (ब) समाज-सेवी विभाग ।

पाठ्यक्रम

प्रथम वर्ष १—उद्योग-सम्बर । २—गांधी-विचार । ३—इतिहास । ४—प्रारम्भिक समाजशास्त्र । ५—गुजराती । ६—हिन्दी । ७—अंग्रेजी । ८—एकाउन्टिंग ।

द्वितीय वर्ष १—कृषि, २—साम यत्र विज्ञान, गृह विज्ञान ३—गांधी-विचार, ४—राजशास्त्र, ५—गुजराती, ६—हिन्दी, ७—अंग्रेजी, ८—समाज-सेवक, समाज सेविका ।

तृतीय वर्ष

१—शैक्षणिक विभाग—समाज-सेवक

२—हिन्दी, गुजराती—लोकसेवक

३—गुजराती, हिन्दी

४—इतिहास, राजशास्त्र

५—समानशास्त्र, अर्थशास्त्र

६—गणित, विज्ञान

७—गांधी विचार (आदिवासी समाज)

त्रे० बी० टी० सी० कक्षाओं का कार्य और ढंग शैक्षणिक क्षेत्र राजकीय ट्रेनिंग कक्षाओं की तरह है । केवल इस काल में प्रशिक्षार्थियों को 'समाज सेवा' एक अतिरिक्त विषय पढ़ना होता है ।

दैनिक समय विभाग घण्टा :

४.४५ प्रातः	से	५.३० प्रातः	शौच, व्यक्तिगत सफाई
५.३० "	से	६.३० "	प्रार्थना
६.३० "	से	९ "	श्रम
९ "	से	१० "	स्नान, सफाई
१० "	से	११ $\frac{१}{२}$	भोजन व विश्राम
११ $\frac{१}{२}$	से	१२	समा सम्मेलन
१२	से	२	अपराह्न शिक्षण कार्य (वर्ग)
२	से	४ "	स्वाध्याय
४ साय	से	६ तक	भोजनादि कार्य
६ साय	से	७	भोजन, धूमना
७	से	८	प्रार्थना आदि
८	से	१०	स्वाध्याय
१०	से		विद्याम, शयन

दैनिक कार्यक्रम करीब करीब प्रत्येक संस्थाओं का एक समान ही चलता है ।

सभी बुनियादी शालाओं की कार्य परिपाटी लगभग एक जैसी है । सम्मेलनों में कहीं-कहीं ज्ञान-विज्ञान की चर्चाएँ देखने को मिलीं, दैनिक खबरें भी छात्र-छात्राओं को सुनायी जाती हैं । शालाओं में चतुर्मुखी शिक्षा का अभ्यास चलाने का प्रयास किया जाता है । संगीत और नृत्य का अभ्यास गांधी विद्यापीठ में अच्छा चलता है । उत्तर-बुनियादी वेडघड़ी में बालकों की कलात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने का प्रयत्न सराहनीय है । प्राकृतिक, स्थानीय पेड़-पौधों की जड़ों, शाखाओं को इस प्रकार एकत्र किया गया है कि कहीं वे सपेँ जंघी, कहीं पक्षियों की आकृतियों में आभासित होती हैं ।

बालक खेल द्वारा भित्तियों को चित्रित करते पाये गये हैं । विज्ञान सम्बन्धी कार्य भा उत्तम है । उत्तर बुनियादी वेडघड़ी एक आदर्श संस्था है । आदरणीय जुगतारामजीभाई इसी संस्था में स्थायी तौर पर रहते हैं ।

सभी अवलोकित संस्थाओं में बालकों की नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, व्यावहारिक शिक्षा के लिए सामूहिक प्रार्थना, छात्रावास, छात्र पचायत, सरस-

व्यायाम, सफाई, स्वयं भोजन बनाना आदि कार्य भली प्रकार सम्पादित किये जाते हैं।

फलतः शिक्षण व सुसंस्कृति का आपस में अच्छा मेल है। आज के आम प्रचलित शिक्षण की कमी को यहाँ काफी कुछ हटा दिया गया है। हर शिक्षण-शाला में खादी का आम प्रचलन है। भटकीले वस्त्र एवं आभूषणों पर रोक बतायी गयी है, ताकि हीनप्रन्य न बनने पाये। सैन्य-संस्कारों को हटाने के लिए अस्त्र-शस्त्र सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रायः हर शाला से हटाया गया है।

उद्योग

कन्या आश्रम मढी को छोड़कर हर शाला में ३० एकड़ से कम जमीन नहीं है। कुछ सस्यामों में सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध है। चावल, गेहूँ, ज्वार, तरह-तरह की सब्जियाँ छात्र छात्राओं की सहायता से तैयार की जाती हैं।

उत्पादन का भावी लक्ष्य आत्मनिर्भर होना है, ताकि भविष्य में सरकारी सहयोग की आवश्यकता न रहे। उद्योग के क्षेत्र में पञ्चोल उत्तर-युनियारी का कार्य बहुत आगे है। बताया गया कि गत साल इस सस्या को १७ हजार ६० का खेती से मुनाफा प्राप्त हुआ है। गडत में शाला द्वारा बनाया एक छोटा बाघ सराहनीय है। कन्या युनियारी शालाओं में वास्तव्ययाम विकास पर है।

मूल्यांकन

गांधीजी ने जिस प्रकार की समाज-रचना की कल्पना की थी, और जिसके माध्यम के रूप में उन्होंने नयी तालीम का विचार सामने रखा था, वह देश में कहीं भी कार्यरत नहीं दीखता। इसका कारण उस विचार की अक्षमता अथवा अपूर्णता नहीं है, अपितु आज शिक्षा पर सत्ता हावी होने से समाज में जो दोष पैदा होते हैं, वे ही इसके मूल कारण हैं।

यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि देश में सभी राजनैतिक दल, नेता, सरकारें, तथा अन्य अनेक सामाजिक संगठन अपने दैनिक क्रिया कलापों में गांधीजी का नाम लेते नहीं थकते हैं, फिर भी गांधीजी ने जितने विचार देश के समक्ष प्रस्तुत किये, इन्होंने उनमें से किसी एक पर भी बुद्धि व ईमानदारी से कभी विचार व अमल नहीं किया।

नयी तालीम का भी यही हाल हुआ। गुजरात के एक सीमित दायरे में इसका अपवाद पाया जाता है। सूरत जिले की जिन नयी तालीम की संस्थाओं का ऊपर जिक्र आया, इनकी जो कुछ भी आशिक सफलता है उसका ध्येय संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को तो है ही, जिन्होंने बलपूर्वक अनेक प्रकार के प्रभोमतों को तिलाजलि देकर नयी तालीम के लिए निष्ठापूर्वक स्वसमर्पण

कर दिया है। किन्तु इसका श्रेय गुजरात सरकार को भी है। यह कहा जा सकता है कि गुजरात सरकार ने नयी तालीम के लिए सबसे अधिक ईमानदारी दिखाई है। भारत सरकार और अन्य प्रान्तीय सरकारों में इस प्रकार की ईमानदारी का नितांत अभाव है। यह बात निर्विवाद है कि आज हम छात्र अथवा युवा आक्रोश के रूप में जिस भयानक राष्ट्रव्यापी सड़क का सामना कर रहे हैं उसका कारण देश की बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में शर्मनाक असफलता है क्योंकि जब बालक की बुनियादी शिक्षा ही दोषपूर्ण हो तो विश्व विद्यालयों का कुश्तियों का प्रस्ताव बन जाना स्वाभाविक है। शिक्षा न केवल अर्थकरी होनी चाहिए, अपितु उद्देश्य मूलक भी होनी चाहिए।

नयी तालीम ऐसी ही शिक्षा है, यदि देश ने अन्य बातों की तरह गांधी की नयी तालीम को ठुकराया न होता तो देश में गैर जिम्मेदारी, खुदगर्जी, सत्तालोलुपता तथा राजनैतिक तथा सामाजिक पालखण्ड का वर्तमान जैसा बोलबाला न होता आज नयी तालीम के क्षेत्र में जो भी किंचित प्रयास चल रहे हैं वे चारों तरफ विपरीत परिस्थितियों से आवृत हैं, इसलिए उसका सहज तेज भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ऐसी विपरीत परिस्थिति में वे प्रयास न केवल चल रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। यह अपने आप में नयी तालीम की जीवनी शक्ति का प्रमाण है।

गुजरात की जिन समस्याओं का ऊपर उल्लेख हुआ है, उन्हें देश से हर प्रकार की मदद और समर्थन पाने का हक है किन्तु उनमें खुद भी कुछ और बातें माय हो जायें तो उनकी शक्ति और भी बढ़ेगी। नयी तालीम शिक्षा को अमनिष्ठ बनाती है अमजीवी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि अम के स्तर पर छात्र व शिक्षक का भेद मिटकर सहकर्मियों का हो जाता है। छात्रों के साथ शिक्षकों को खेत पर काम करते आज भी नहीं पाया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि छात्र अम में निष्ठा नहीं रख पाते तथा शिक्षणक्रम में किये गये अपने अम को व अपनी देवसी का पर्याय मान लेते हैं। इससे नयी तालीम का सम्पूर्ण शौर्य और तेज तिरोहित हो जाता है। यह न केवल इन समस्याओं की बल्कि शायद नयी तालीम की देशव्यापी समस्या है। इसका हल केवल नयी तालीम के निष्ठावान अमनिष्ठ शिक्षक ही दे सकते हैं।

द्वितीय बात यह है कि पाठन-पद्धति के रूप में समवाय का जो महत्व है, हमारी नयी तालीम की संस्थाओं ने उसे शायद या तो ठीक ढंग से समझा नहीं है अथवा वे उसे पूरा रूप से अपनाते में असमर्थ हैं, जब हम पाठ्यक्रम व दैनिक समय चक्र को कक्षा (वर्ग, कमरे) में, खेत अथवा उद्योग में बाँट देते

है, तब सभवाय से सम्बन्धित हगारी उपर्युक्त असमर्थता स्पष्ट हो जाती है ।
 मैं जानता हूँ कि इसका मूल कारण साधन और धन का अभाव भी है, फिर
 भी वर्तमान स्थितियों के होते हुए भी सभवाय का अधिक सम्यक् उपयोग
 सम्भव है ।

कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि नयी तालीम की सस्थाओं मे हमारे
 छात्र एक प्रकार की सुप्तहीन प्रियि से भी ग्रस्त हैं उनमे वर्तमान प्रचलित शिक्षा
 पद्धति के लिए आकषण कम नहीं हुआ है अपितु वे वेबसो के लिए नयी तालीम
 मानने लगे हैं । इस हीन भाव का ही यह असर देखने मे आया है कि हमारे
 छात्रो मे बौद्धिक विषयों यथा गणित, विज्ञान अग्रेजी आदि की तरफ अरुचि
 पायी जाती है । अग्रेजी भाषा की बात छोड दें तो भी विज्ञान व गणित का
 महत्व तो किसी भी हालत मे कम नहीं है । हमे यह सावधानी रखनी होगी कि
 हम खासो विचार के विज्ञान से शून्य केवल एक अच्छे कत्तिन या बुनकर मात्र
 बनकर न रह जायें । मुयो भय है कि अभी इस प्रकार की सम्भावनाएँ व
 स्थितियाँ हमारी सस्थाओं मे व्यापक रूप से मौजूद हैं । हमे, जो नयी तालीम
 के शिक्षक के रूप मे जीवन यापन करना चाहते हैं, और भी सावधान रहना
 होगा । हममे थम व विचार निष्ठा वहली योग्यता मानी जानी चाहिए,
 इसका प्रमाण हमारे विचार नहीं, हमारे दैनिक क्रियाकलाप, वेग भूषा, रहन-
 सहन का ढग व परस्पर व्यवहार ही होंगे ।

जहाँ तक हमारे पवतीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, उसके लिए तो नयी तालीम
 ही एकमात्र रास्ता है । क्योंकि प्रकृति के साथ जीवन-यापन करने की सारी
 कठिनाइयाँ हमारे सामने होती हैं और उन्हें हम नयी तालीम के माध्यम से ही
 हल कर सकेंगे । किन्तु इस क्षेत्र मे हमारी कठिनाइयाँ देश के अन्य हिस्सो के
 मुकाबले कहीं अधिक जटिल व व्यापक हैं । हमारे पास बालाओं के लिए जमीनों
 का नितात अभाव है । जगलो से सम्बन्धित उद्योगो को शिक्षण का माध्यम
 बनाना चाहें तो उसके लिए साधन व धन का भी अभाव है । हमारी सबसे बडी
 कठिनाई यह भी है कि सरकार नयी तालीम के विचार को माय नहीं करती
 और इसलिये हमे उममे किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिल पाती । हमारा
 समाज भी गरीब है, जिसके पास शरीर थम के अलावा अन्य कोई पूँजी नहीं
 है । अतः समाज से भी धन प्राप्ति की कोई आशा नहीं की जा सकती है ।

फिर भी इन कठिनाइया के बावजूद हममे अगर निष्ठा, लगन तथा ईमान-
 दारी हो तो हम नयी तालीम को लेकर कुछ काम कर ही सकते हैं । राजकीय
 पाठ्यक्रम स्वीकार करना कोई हानिकारक वस्तु नहीं है । वास्तविक चीज यह है

कि उसके पठन-पाठन के लिए स्थितियाँ तैयार करना है। स्थितियाँ तैयार करने के काम में हमें जनता की प्रत्यक्ष सहायता अपेक्षित है।

इसके लिए हमें लोक शिक्षण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लेना होगा। हमारी शालाओं का संचालन प्रत्यक्ष ग्रामीण सहयोग से ही होना चाहिए। चूंकि यह एक विशिष्ट शिक्षण सस्था है, अतः इसका सम्बन्ध १० मील के घेरे में प्रत्येक गाँव से ही होना चाहिए, हर ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि लेकर संचालन समिति बने, जिसके जिम्मे नयी तालीम के लिए जन-समर्थन प्राप्त करना रहे। हम अगर सहकारी सस्थाओं और जगल काम-गार समितियों के गठन का कार्य हाथ में लें तो यह लोक शिक्षण के साथ साथ सस्था के लिए प्रायः का स्रोत भी बन सकेगा। अपनी शाला के कार्यक्रम में भी अनेक छोटे-मोटे परिवर्तन-परिवर्द्धन करने होंगे। किन्तु ये सब बातें एक ही बात पर निर्भर करती हैं कि शाला को चलाने में संचालकों को कितनी स्वतंत्रता व सहयोग तथा शिक्षकों की कितनी स्वतंत्रता, सहयोग एवं निश्चिन्तता प्राप्त रहती है।

— प्र० अ० ग्रामभारती विद्या मन्दिर, जुनियर हाईस्कूल
रानीखोरी, टिहरी गढ़वाल

सूचना

वाराणसी शहर में गोलीकाण्ड के कारण एक सप्ताह तक कर्फ्यू रहा। इसीलिए यह अक इतना विलम्ब से पाठक के पास पहुँच रहा है। पाठक क्षमा करने की कृपा करेंगे।—स०

युवा-असंतोष

राजेन्द्र प्रसाद राजगुरु

युवा-असंतोष की बात चलते ही कई रोमांचकारी व घबरीली तस्वीरें हमारी आँखों के सामने उभर आती हैं।

जलती हुई रेलगाड़ियाँ तथा बसों, अश्रुगैस के कोहरे में भागता हुआ विद्यार्थी और पीछे डटे लेकर खड़ेहुती हुई पुलिस, सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों के टूटे हुए काँच एवं छविगृहों के शिसकते हुए फरनीचर आज भी भारतभारत निर्माता पीढ़ी के विध्वंस की कहानी सुनाते हैं। प्रश्न है कि वह कौनसी मनोव्यथा है, वह कौनसा आक्रोश है जो कल के इस भारत को सड़कों और चोराहों पर महमूद गजनवी की तरह बूट खसोट करता है।

सत्तारूढ़ सरकार इसे विरोधी दलों की करतूति कहती है, विरोधी दल इस सरकारी दमन का विरोध कहते हैं शिक्षा-शास्त्री इसे विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता कहते हैं, दाशनिक इसे असंतोष कहते हैं, बुजुर्ग इसे बदमाशी और भावारागर्षी कहते हैं। जो कुछ भी हो, ये सब के सब एक ही प्रतिक्रिया की कहानी है जिसका प्रारम्भ सरस्वती की देहरी लाँघने से होता है।

आज जीवन की प्रत्येक दिशा से केवल एक ही बात उभरकर सामने आती है और वह है असुरक्षा सीमाओं की असुरक्षा, राष्ट्र की असुरक्षा, आपकी और हमारी असुरक्षा एवं युवा वर्ग की असुरक्षा, तो कौनसी चीज है जो आज इस देश में सुरक्षित है? बाजारों में इस युवा-वर्ग को काला बाजारी और भ्रष्टाचारी करनेवालों से सामना करना पड़ता है, सरकारी दफतरो में रिश्वतखोरी और जी हुजुरी का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में उसे दायित्वहीन अध्यापकों का सामना करना पड़ता है और इस सारी अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने पर उसे पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ता है। समाज के हर मोर्चे पर उसे पीड़ा और आत्मग्लानि के पलावा कुछ नहीं मिलता इस पीड़ा और आत्मग्लानि में सिमटा हुआ यह युवा वर्ग जब अपने अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा के लिए संपर्क करने को एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो देश की सत्तारूढ़ पार्टी से लगाकर सरकारी अंतर्द्वार तक झुल्ला उठत हैं और कहते हैं कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ गयी है। इस देश के युवा वर्ग के साथ इससे बढ़कर मजाक और क्या होगा कि जब युवा-वर्ग असंतोष में घुटकर जाता है तब कहा जाता है कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ गयी है। हम यह देखते हैं कि युवा-वर्ग असंतोष में है। न

कि युवा असंतुष्ट है। प्रत्येक समाज-निर्मित सामाजिक असंतोष ही नौजवानों में फैली हुई अनुशासनहीनता, हिंसा, विद्रोह का कारण है।

आर्थिक एवं सामाजिक असमानता

युवा असंतोष एवं अनुशासनहीनता का दायित्व इस देश के गतिहीन समाज पर है। बीसवीं सदी का कोई भी जागरूक नवयुवक इस सामाजिक शोषण में अपनी भाँख नहीं मूँद सकता, जिसमें किसान बाप जो अपने खून पसीने से सींचकर इस देश की धरती को सजाना है सँवारता है उसके साथ न्याय नहीं होता, उसका मजदूर भाई जो किमी भील में इस्पात को पानी की तरह माँचें में ढाल रहा होता है उसके साथ न्याय नहीं होता। इस देश का विद्यार्थी उम कड़वाहट को भी नहीं पचा सकता जिसमें उसकी माँ की बीमारी और बहन की दम तोड़ती हुई जवानी में घुट वातावरण में उसे अपनी शिक्षा जारी रखनी पड़ती है। असंतोष तब झलकता है जब किसी विद्यार्थी को अपनी परीक्षा की फीस भरने के लिए अपनी माँ के कगन बचने पड़ते हैं। ऐसी आर्थिक और सामाजिक विषमता के वातावरण में युवा वर्ग की धमनियों में आक्रोश एवं असंतोष स्वाभाविक ही है।

राजनैतिक असमानता

सत्तापिपासु राजनैतिक दल अपने निहित स्वार्थ के लिए भारत के भावी नागरिक एवं सरस्वती के पुजारी को प्रभावित करते हैं। और यही कारण है कि विद्यालय एवं महाविद्यालयों में राजनैतिक दलों के अनुकूल विद्यार्थियों के विभिन्न दल बन जाते हैं। छात्र-परिषदों के चुनाव में राजनैतिक दलों के नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। वय भर एक छात्र समूह यदि महाविद्यालयीन गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं तो दूसरे दल विरोधी दल के रूप में उनके रचनात्मक कार्यों का विरोध करने में ही अपने उद्देश्य की पूर्ति समझते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व एवं सहयोग का धमय उनमें इस तरह असंतोष के रूप में बढ़ता है।

यह बात नहीं कि युवक का कोई दोष ही नहीं है। अपने असंतोष के लिए वह स्वयं भी दोषी है। अन्य देशों के युवक घान्दोलनों से उसने यह सीख लिया कि उसे हिंसा किस तरह मनानी चाहिए, घान्दोलन अपनी क्षीण प्रकृति करने के तरीके उसके ज्ञान लिये, लेकिन उन विदेशी युवक घान्दोलनों की गहराई उसने नहीं ली। पहली बात तो यह है कि वह किसी भी स्तर पर संगठित नहीं है (सिनेमा पर हमला करनेवाले युवकों को छोड़कर), हर स्थान पर उसे अपने ही विरोधी गुटों का सामना करना पड़ता है, एक सहमति के

मुद्दे पर भी वे मुक्का तानकर सहमत हैं। उनके अनेकानेक गुट हैं। बड़े गुटों में छोटे गुट हैं, और यही कारण है कि आज के युवकों की कार्यवाही को हम युवा असतोप कह रहे हैं, युवक शक्ति नहीं।

युवक शैलता है कि आज देश का राजनैतिक वातावरण गम्भीर अस्थिरता की दौर से गुजर रहा है और देश के राजनैतिक मंच पर घटिया किस्म के नोटकी नाटकों का प्रदर्शन हो रहा है। तब वह उस मंच के बलाकारी का घेराव करता है, अण्डे, टमाटर और पत्थर फेंककर अपना अन्तरिक असतोप प्रकट करने का दुस्साहस करता है। अपनी नेतृत्व की भावना की पूर्ति वह इस प्रकार करता है, लेकिन आज देश के नवयुवकों को देश की नींव पुराने सबहरो पर निर्माण करना सम्भव नहीं है। आज हिन्दुस्तान में युवक एक लक्ष्यहीन नौका की तरह इधर-उधर भटक रहे हैं। नेतृत्व और राजनैतिक लिप्सा की परिधि में वे अपनी आकाक्षाओं के केन्द्र-बिन्दु की तलाश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि अनुभव, सामाजिक त्याग एवं रचनात्मक कार्यों के केन्द्र से ही समस्त राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक मूल्यों के लम्ब, उस ठोस नींव के पत्थरों की भांति सुख, शान्ति एवं विकास की परिधि पर पड़ेंगे। राजनीति में छात्र गतिहीन समाज की प्रशासकीय व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होकर राजनीति में भाग लेता है, राजनीति में राज करने की चेष्टा से भाग लेता है, सुख की आकाक्षा से भाग लेता है और नीति को ताक में रखकर अवसरवादिता का शिकार हो जाता है, तब देश के राजनीतिक शरीर पर चेचक का प्रकोप होता है।

शैक्षणिक एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास

प्रसिद्ध राजनैतिक दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा-शास्त्र पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में कहा है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य दो प्रकार के गुणों का निर्माण करना होता है १—व्यवसायिक गुण, २—पारित्रिक गुण। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि यदि कोई मेडिकल कालेज का विद्यार्थी है तो उसे अपनी शिक्षा के उपरान्त दो गुणों से सम्पन्न होना चाहिए। एक, वह डाक्टर हो और दूसरा, वह एक अच्छा इन्सान भी। इनमें से एक भी गुण के अभाव में उसकी शिक्षा अधूरी है, परन्तु आप उस शिक्षा-पद्धति को क्या कहेंगे, जिसमें बीस वर्षों तक अध्ययन करने के उपरान्त आज के विद्यार्थी न तो अच्छे डाक्टर, न अच्छे इन्सान, न अच्छे इंजीनियर, और न ही अच्छे मनुष्य बन पाते हैं। प्लेटो ने तो कहा था कि इन दो गुणों में से

किसी एक भी गुण के अभाव में शिक्षा खराबी है, परन्तु आप उस शिक्षा पद्धति को क्या कहेंगे, जिसकी दोनों ही टाँगें टूटी हों।

शाला में असतोष के कारण

- १—शाला की उदासीन जीवनचर्या।
- २—विद्यार्थी की प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो पाता।
- ३—मनोनुकूल मनोरंजक पुस्तकों का अभाव।
- ४—अत्यधिक अवकाश दिवस।
- ५—विद्यार्थी थकान अधिक महसूस करते हैं।
- ६—खेलकूद के लिए अधिक समय नहीं दिया जाता।

इसके प्रतिरिक्त अध्यापकों की ओर से भी कुछ असतोष के कारण दिखाई पड़ते हैं।

- १—अत्यधिक गृह काम।
- २—कई मासिक परीक्षाएँ।
- ३—अत्यधिक व्यक्तिगत स्पर्धा।
- ४—चतुर छात्रों की ओर अधिक झुकाव।
- ५—पाठ्य विषय और अन्य गतिविधियों में सह-सम्बन्ध नहीं है।

नैतिकता विरोधी शैक्षणिक वातावरण का एक और पहलू यह है कि आज का युवक छात्र यह देखता है कि वह मेहनत करता है तो फेल होता है, नकल करता है तो पास हो जाता है। वह देखता है कि गुरु द्रोणाचार्य को मिनिस्टर के पुत्र अर्जुन को ही प्रथम स्थान (फर्स्ट पोजीशन) देना है और बतौर बावजूद उसकी सारी मेहनत के एकलव्य को अपना अगूठा काटकर देने के बाद भी तृतीय स्थान ही मिलती है। आज का सारा छात्र असतोष एकलव्य की इस वृथा का जलता हुआ प्रतीक है। लेकिन एकलव्य भद्र बागी होता जा रहा है, वह समझता है कि गुरु को अगूठा काटकर देने से अगूठा दिखाने में ज्यादा लाभ है। इसलिए आज वह उत्पात भ्रवाता है, उसमें असतोष है।

जिस शिक्षा प्रणाली में योग्यता का मापदण्ड केवल परीक्षा में सफलता अर्जित करना हो वहाँ किसी भी ऊँचे मूल्यों की अपेक्षा करना बेकार है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता की भावना को जन्म देने में असफल रही है और आज हमारे शिक्षा प्रतिष्ठानों के शैक्षणिक मूल्य सरकारी दफ्तरी की फाइलों तथा सस्ती नौकरियों की चौखट पर सिसक रहे हैं।

लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि युवा-भ्रमरतोष का कारण मात्र राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक या शैक्षणिक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की छात्राओं को चेतावनी दी गयी कि वे पाश्चात्य परिधानों का त्याग करें। फ्रांस के विश्वविद्यालय के नवयुवक हीं देगाल साम्राज्य को समाप्त करने सड़कों पर घाये। इंग्लैंड के कतिपय विश्वविद्यालयों में छात्र-भ्रमरतोष का कारण है कि वहाँ छात्रों की माँग है कि सह शिक्षा के साथ साथ सह-निवास भी दिया जाये। इंग्लैंड व अमेरिका में हिप्पियो के रूप में पागल व दीवाने छात्रों के दल क्यों घुमते हैं? अतः हम देखते हैं कि युवा-भ्रमरतोष का एक महत्वपूर्ण कारण नैतिक मूल्यों का अवनमन भी है।

असंतोष के निदान के तरीके

१—समस्या का हल करने के लिए बौद्धिक गुटों का उपयोग युवा वर्ग की विकसित बुद्धि का सही उपयोग होना चाहिए। परम्परागत प्रणालियों का बहिष्कार कर उन्हें नवनिर्माण की ओर उन्मुख होना चाहिए। उनकी स्वतंत्र विचारक बुद्धि का अन्य बौद्धिक जनों से समन्वयात्मक ढंग से उपयोगी और रचनात्मक प्रकार से सामाजिक उपलब्धि की ओर अग्रसर हों। उनमें यह भावत डाली जाय कि अपने विषय के गूढ़ अध्ययन के लिए एव जीवन का वास्तविक आनन्द लेने के लिए घंटों किसी पुस्तकालय में बैठें। अनुसंधान में उत्तरकर इस देश को सुखी व समृद्ध बनाने के लिए आविष्कारों के नये यत्न सोचें।

२ जीवन पर्यन्त अन्य उपयोगी गतिविधियों की भावत डालें : उसे इस ओर प्रोत्साहित किया जाय कि वह अपने अध्ययन के अतिरिक्त के समय में साहित्य-सृजन, संगीत, कला-कीर्तन एव किसी व्यवसाय का भी अभ्यास एव प्रतिक्षण प्राप्त करता रहे, जो उसे जीवन में अभाव एव हीनता नहीं अनुभव होने देगे।

३ राष्ट्रीय भावना का विकास 'राष्ट्र देवो भव' के सिद्धान्त को अपने जीवन क्रम का एक अभिन्न अंग मानकर उनकी सतत आराधना करता रहे। अभ्यास-वर्ग उत्तक सामने एसा भावत रखें, जिससे युवकों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो और उमें यह बात प्रेरणा दे कि उसे भूखे प्यासे एव पटे वस्त्रों में भी रहकर इस देश को महान् बनाने का महायज्ञ प्रारम्भ करना है।

४—वेवारी के निदान का उपाय प्रतिभावान् विश्वविद्यालयीन, बेरोजगार छात्रों को किसी सामूहिक उपयोगी अवसरण के निर्माण में लगाकर सामाजिक उपयोगी उपलब्धि की जाय। इसका उदाहरण मद्रास के वेवार

इजीनियरो ने अपने परिश्रम अथर्वसाय एव कौशल से एक नवीन स्कूटर का निर्माण किया । हर युवक ने उसमें उत्साह से भाग लिया एव अपने-अपने व्यावसायिक क्षेत्र में नवीन ढंग से पदार्पण किया ।

५—अवकाश के समय को अथर्व रचनात्मक कार्यों में लगाया जाय अवकाश के समय का सदुपयोग युवको की महत्वाकांक्षा प्रदर्शन एव आत्मतुष्टि की भावना का समाधान करेगा । इसके अन्तर्गत हम निम्नलिखित बातों को ले सकते हैं । १—खेल-कूद में भाग लेना २—सद् एव उपयोगी पुस्तकों का अध्ययन ३—गरीब सबकों के लोगों को अपनी योग्यतानुसार शारीरिक, मानसिक आर्थिक एव कलात्मक उपलब्धियों से सहायता देकर उन्हें जीवन मार्ग पर अग्रसर करने का प्रयास । ४—अथर्व कलाओं का अजन सांस्कृतिक उपलब्धियाँ ।

६—नेतृत्व की भावना का विकास करना : अज का युवक ही कल का देगमाय नेता होगा समाज सुधारक होगा देग की अलख एकटा की एव समृद्धि की बागडोर को अपने हाथों में लेनेवाला होगा । अतः उसमें स्वस्थ एव नैतिक आधार पर नेतृत्व की भावना का विकास हो जिसमें वह मैनमेंकिंग एवटविटीज को ही अपना नेतृत्व समझता हो ।

७—समाचार पत्रों का सही उपयोग युवा असतोष के निदान में समाचार पत्रों का एव पत्रिकाओं का सहयोग भी अथर्व आवश्यक है । समाचार पत्रों की विश्वसात्मक कायवाही पर स्वस्थ एव सुधारात्मक टिप्पणी करना चाहिए । देग के किसी कोने में किये गये छात्र युवको द्वारा की गयी सामाजिक आर्थिक, नैतिक एवं अनुसंधानात्मक उपलब्धियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे युवा असतोष में आंतरिक सुधारात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद राजगुरु छात्राध्यापक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय देवास (मध्य प्रदेश)

शांति-दिवस : ३० जनवरी

शांति-दिवस के मुख्य कार्यक्रम नीचे लिखे तीन माने हैं

१ शांति जुलूस

२ प्रार्थना सभा और

३ शांति बिल्लो की बिक्री

हर साल हम ३० जनवरी को शान्ति-दिवस की रैली करते थे। उसके वजाय इस साल हम शान्ति जुलूस का कार्यक्रम सुना रहे हैं। शांति जुलूस में रैली को विशाल रूप मिलेगा। उसमें नगर के शांति-सैनिकों के अलावा नगर के सारे शांति प्रेमी नागरिक छात्र मजदूर, महिलाएँ आदि भी शामिल होंगे। शांति जुलूस ही नगर के किसी प्रमुख मैदान में जाकर प्रार्थना सभा में परिवर्तित हों, ऐसी कल्पना की गयी है। जुलूस में नागरिका से यह प्रार्थना की जाय कि वे यथासंभव सफेद कपड़ पहनकर ही हिस्सा लें। शरीरक होनेवाले लोगों की सहायता को देखते हुए ३३ ४४ या ६६ की कतारें की जायें। हर २५ लाइन के पीछे एक एक घोंघ फलक (प्लेकार्ड) रखा जाय। हर प्लेकार्ड और उसे लगाये जानेवाले डबे का माप बराबर हो। प्लेकार्डों पर कुछ निश्चित सूत्र ही लिखे हों। (सुनाय के लिए कुछ सूत्र दिये जा रहे हैं लेकिन आप लोग चाहे तो अन्य सूत्र भी लिख सकते हैं।) जुलूस में जो उद्घोष करवाये जायें वे भी पहले से निश्चित होने चाहिए। जुलूस में गाने हों तो उनका आरम्भ अच्छा जोरदार गानेवालों से करवाया जाय। यदि संभव हो तो माइक्रोफोन का उपयोग किया जाय। हिन्दी समझनेवाले प्रांतों के लिए कुछ नमूने के शांति गीत भी दे रहे हैं। जुलूस बीच-बीच में बिलकुल मौन रहे तो भी अच्छा है। यदि अच्छे गाने की व्यवस्था न हो सके तो मौन जुलूस करना ही अच्छा होगा। जुलूस का मार्ग पहले से ठीक करके घोषित कर देना चाहिए।

प्रार्थना ५ मिनट की मौन प्रार्थना या सवधम प्रार्थना हो। प्रार्थना के बाद प्रमुख नागरिकों के व्याख्यान भी रखे जा सकते हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि प्रार्थना-सभा एक घंटे से अधिक सम्वी न चले।

शांति दिवस के बिल्ले हमारे पास छपे हुए तैयार हैं। हर बिल्ला १० पैसे में बचा जाता है। लेकिन २०० से अधिक बिल्ले मँगवानेवालों को हम ७ पैसे में एक के हिसाब से बिल्ले देते हैं। नगद पैसे देनेवाले या धी० पी० से मँगवाने वाले को ही यहाँ से बिल्ले भेजे जाते हैं। इस बार बिल्लो पर तारीख नहीं लिखी जा रही है, इसलिए उसे ३० जनवरी के बाद भी बेचा जा सकेगा।

यह हम एक विशेष जिम्मेवारी सुपुर्न करने के लिए लिख रहे हैं । हम चाहते हैं कि भारत के सभी प्रमुख नगरों में शांति-दिवस का कार्यक्रम शानदार ढंग से मनाया जाय । आपके नगर का कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने में हम आपसे सहयोग चाहते हैं । आपसे हमारी प्रार्थना है कि -

(अ) आप अपने नगर के प्रमुख लोगों को इस कार्यक्रम की सूचना दीजिए ।

(आ) उनमें मिलकर काम की योजना बनाएँ तथा काम का बँटवारा कर लीजिए ।

(इ) इस काम के लिए आवश्यक हो तो पूर्वतयारी की सभा भी कीजिए ।

(ई) स्थानीय अखबारों में इस कार्यक्रम की सूचना निकलवाइए । आवश्यक मोर शक्य मालूम हो तो इस कार्यक्रम की सूचना पत्रिका या लाउडस्पीकर द्वारा भी शहर में दीजिए ।

३० जनवरी, १९७१. विश्व-शान्ति दिवस के अवसर पर घोष-फलक-प्लेकार्ड पर कुछ इस प्रकार के वाक्य लिखे जा सकते हैं :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| १—विश्वशान्ति दिवस | २—जय गांधी—जय शान्ति |
| ३—शान्ति अमर रहे | ४—हमें शान्ति चाहिए |
| ५—सत्य, प्रेम, करुणा | ६—सत्य-अहिंसा |
| ७—शान्ति से स्वराज्य पाया,
शान्ति से उसे टिकायेंगे । | ८—हिंसा से कोई मसला हल
नहीं होता । |

जुलूस में उदघोष (नारे-सूत्र) निम्न प्रकार के हों :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| १—महात्मा गांधी की— | जय । |
| २—शान्ति शहीद— | अमर रहे । |
| ३—हमारा मंत्र— | जय-जगत् । |
| ४—हमारा तंत्र— | ग्रामदान । |
| ५—हमारा ध्येय— | विश्व शान्ति । |
| ६—हमारा साधन— | शान्तिमय शान्ति । |
| ७—जय जय गांधी— | जय जय शान्ति । |

शान्ति-जुलूस में गाने लायक गाने .

शान्ति के सिपाही

शान्ति के सिपाही चले, शान्ति के सिपाही चले ।

लेके खंरखराही चले, रोकने तवाही चले ॥

धंर-भाव तोडने, दिल को दिल से जोडने ।

काम को संभारने, जान अपनी वारने ॥

रोकने तवाही चले ।

विश्व के ये पासवाँ, लेके सेवा का निशाँ ।
भीरता से सावधाँ, चल पडे हैं वेगुनाँ ॥
रोकने तबाही चले ।

सत्य की सभाल ढाल, ग्रहिंसा की ले मशाख ।
धरती माँ के नौनिहाल हैं निकल पडे सुचाल ॥
रोकने तबाही चले ।

जय जगत पुकारते बढ रहे बिना रुके ।
लेके दिल के बलबले, अपने ध्येय को चले ॥
रोकने तबाही चले ।

जाग हे !

जाग हे ! शांति की पुकार शीघ्र जाग हे !

विश्व के फलक पे भाज,
युद्ध सज रहा है साज,
जाग, भाये कण्ठा राज,
जाग हे !

मन के बीच घाँधी घोर,
उलझने हैं चारो ओर,
शांति से ही हो विभोर ।

जाग हे !

स्वार्थ से तू भाज जाग,
सब तरह की जडता त्याग,
देम दास्य जाग भाग ।

जाग हे !

धन्य धन्य हो गाँधी बापू

धन्य धन्य हो गाँधी बापू धन्य तेरी कुश्वानी,
भूल नहीं सकती है दुनिया तेरी अमर कहानी ॥धन्य तेरी०॥
यह तेरा ही खून नहीं है खून है मानवता का,
खून अमन का आजादी का दुखियारी जनता का,
ताबके मुल पर घाँसू है, सबके मुल पर धीरानी ॥धन्य तेरी०॥
हम सब तेरे कालिठ हैं हम खूनी तेरे बापू
दाग कभी यह धो न सकेगा, घारी कौम के भाँसू,
पाप कभी यह धो न सकेगा, गता का भी पानी ॥धन्य तेरी०॥

तूने सीना तानके शाही, ताकत को ललकारा,
 छोडो भारत, छोडो भारत, गूँज रहा था नारा,
 जेलो भे बन गयी बुडापा तेरी वीर जवानी ॥धन्य तेरी॥
 तू अंधियारे भारत में उजियाला बनकर आया,
 घर-घर जाकर तूने, आजादी का दिया जलाया,
 तुझसे ही हमने अपनी कीमत है पहचानी ॥धन्य तेरी॥
 तेरी कीमत पूछे कोई, आज नोआखाली से,
 कैसा फूल है टूटा अपनी, गुलशन की डाली से,
 तूने सबका सुख-दुःख बाँटा, सबकी पीडा जानी ॥धन्य तेरी॥
 अमर रहेगा, अमर रहेगा मौत से जो लडता है,
 आजादी के नाम पर मरनेवाला कब मरता है,
 जब तक दुनिया है, गूँजेगी तेरी अमृत वाणी ॥धन्य तेरी॥

प्रार्थना समा में क्या हो ?

१—५ मिनट का मोन

या/मीर

२—नाम-माला

घोम तव सत् श्री नारायण तू, पुरुषोत्तम, गुरु तू,
 सिद्ध बुद्ध तू, स्कन्द, विनायक, सविता पावक तू ।
 ब्रह्म, मज्ज तू, यज्ञ, शक्ति तू, ईशु-पिता, प्रभु तू
 रुद्र विष्णु तू, राम-वृष्ण तू, रहीम, ताम्रो तू ।
 वासुदेव, गो विश्वरूप तू चिदानन्द, हरि तू,
 अद्वितीय तू, अकाल, निर्भय, आत्मलिंग, शिव तू ॥

या/मीर

३—सब धर्म प्रार्थना,

—नारायण देसाई,

मन्त्री, प्र० भा० शांतिसेना मंडल
 राजघाट, वाराणसी-१

बापू और उनकी दिनचर्या

लेखक - श्री गौरीशंकर गुप्त, भूमिका-लेखक : श्री काका साहय कालेलकर, प्रकाशक - राष्ट्रपिता प्रकाशन, गायघाट, वाराणसी-१ मूल्य - चार रुपये ।

यह सारी सृष्टि नित्य परिवर्तनशील है, सदा, प्रतिक्षण, विकसित और उन्नत होती रहती है। परन्तु कभी-कभी दिशाच्युत भी हो जाया करती है। इसे फिर से दिशा बद्ध और सत्पथ पर आरुढ़ करने कराने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस महत्व कार्य वा उत्तरदायित्व वहन करने के लिए ही महापुरुषों का, मत्स्य का, पैंगुवरो का, समय समय पर अवतरण होता रहता है। इसी स्थिति का उद्घोष भगवान् कृष्ण ने गीता में किया है - "यदा यदा हि धर्मस्य ।"

राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और गांधी वा महत्त्व मानव मान के लिए इसीलिए ही कि उन्होंने दिशाभ्रष्ट मानवता के पतनोन्मुख प्रवाह को उन्नति और उत्थान की ओर मोड़ दिया। परन्तु होता यह है कि लोग उन्हें भगवान् या अवतारी पुरुष मानकर आदर्श के तालीम, अपने व्यक्तिगत आचरण के प्रकोष्ठों में विलकुल अलग रख देते हैं। ऐसा ही हो तो इन महापुरुषों का कोई निर्माणकारी मूल्य भी नहीं हो सकता। उनका मूल्य तभी हो सकता है जब हम उनके जीवन वा, उनकी दिनचर्या वा अनुसरण कर सकें, अपने जीवन में ढाल सकें।

गांधीजी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा—“मेरी जिन्दगी को गौर से देखो। मैं कैसे खाता हूँ, कैसे सोता और जागता हूँ, कैसे चलता-फिरता और बोलता हूँ, कैसे व्यवहार करता हूँ, और कुल का जो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़े, वही मेरा धर्म है।”

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गांधी को जानने समझने के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, गांधी की, जैसे किसी भी महापुरुष की, दिनचर्या का आधारभूत महत्त्व है। इस दृष्टि से श्री गौरीशंकरजी ने 'बापू और उनकी दिनचर्या पुस्तक' की रचना करके बड़ा उपयोगी कार्य किया है।

अपने विषय की यह एक मूल्यवान् और प्रामाणिक रचना है। यह नव-युवकों के लिए विशेष महत्त्व रखती है, गांधी और सर्वोदय के कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों में, सभी आश्रमों और छात्रावासों में, इसका विशेष रूप से प्रचार और प्रसार होना चाहिए।

— रामकृष्ण शर्मा

सर्व सेवा संघ के नये प्रकाशन

गांधी : जैसा देखा समझा विनोबा ने

पृष्ठ २००, मूल्य ३-००; सजिल्द : ५-००

प्रस्तुत पुस्तक में विनोबाजी के शब्दों में सम्पूर्ण गांधी-दर्शन मीठी, मधुर भाषा में प्रस्तुत है। विनोबाजी के संबन्धी प्रवचनों, लेखों, भाषणों आदि में से बीन-गुंधकर २१ प्रकरणों में गांधी-विचार को एक थड़ाजलि और एक उच्च कोटि की समीक्षा के रूप में रखा गया है।

पुस्तक विषय की दृष्टि से गंभीर और मननीय है, लेकिन भाषा इतनी प्रवाहमयी और हृदय को स्पर्श करनेवाली है कि एक बार हाथ में लेने पर छोड़ने को जी नहीं करता।

विनोबा और सर्वोदय-क्रान्ति

लेखक . काकासाहब कालेलकर पृष्ठ २२५, मूल्य -५००

विनोबा के जीवन, उनके आन्दोलन, उनके विचार, प्रवृत्तियों तथा प्रयोगों के विषय में सुदीर्घकालीन तथा गांधी-परिवार में एक आत्मीय कुटुम्बी की लेखनी का यह प्रसाद सचमुच विनोबाजी तथा सर्वोदय-क्रान्ति की समझने में बहुत मददगार होगा।

युनियादी तालीम और समाज-व्यवस्था

लेखक : विल्फ्रेड वेलाक, पृष्ठ : ५०, मूल्य ०-५०

इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक की इस छोटी-सी पुस्तिका में तालीम और समाज-व्यवस्था का अच्छा विवेचन है।

दमा का प्राकृतिक इलाज

लेखक : घमंचन्द्र सरायगी, मूल्य . दो रुपये

पुस्तक में निर्देशित सुझावों के अनुसार चलने पर दमा जैसे कठिन रोग से छुटकारा मिल सकता है, इसमें सन्देह नहीं। प्राकृतिक उपचार का मत्सर्व है प्रकृति के अनुरूप जीवन-पर्याय का अंगीकार करना और आहार-विहार में सादगी और सात्विकता लाना।

रोग की जड़ खाँसी मानी जाती है। शरीर की गन्दगी निकालकर उसे शुद्ध मोने की तरह निर्मल बनाने की दृष्टि से यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

अनुक्रम

शिक्षा में क्रान्ति	२४१ श्री वशीधर श्रीवास्तव
१९७० के दशक में शिक्षा	२४५ श्री राममूर्ति
शिक्षक और मजदूर-संगठन	२४८ के एस आचार्य
उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक	
शिक्षा की प्रगति	२५३ —
भाषा शिक्षकों के निर्माण की	
आवश्यकता	२६२ डा जी० चौरस्या
पुरानी शैली नये सपने	२६५ श्री योगेशचन्द्र बहुगुणा
नयी तालीम की तीर्थस्थली एक	
भ्रमण	२६९ श्री शम्भू प्रसाद बहुगुणा
पुया असन्तोष	२७६ श्री राजेन्द्र प्रसाद राजगुरु
शान्ति दिवस ३० जनवरी	२८२ श्री नारायण देसाई
पुस्तक-परिचय	२८६

जनवरी, '७१

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का मासिक चन्दा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीकृष्णवत्त भट्ट, सर्व सेवा सच की धोर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित।

ग्राहक वनिए

भूदान-यज्ञ (सर्वोदय)

ग्रहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक, साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुखपत्र

सम्पादक : राममूर्ति

वारिक चन्दा : १० रूपये

गाँव की आवाज

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक, पाक्षिक

सम्पादक : राममूर्ति

गाँव-गाँव मे ग्रामस्वराज्य की आकाशा मन मे हे ती 'गाँव की आवाज' अवश्य पढ़िए ।

वारिक शुल्क : ४ रूपये

पत्रिका विभाग

सर्व सेवा संघ

राजघाट, वाराणसी-१

नयी तालीम : जनधरी, '७१

पहले मे डाक-अध्याय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

साइसेंस नं० ४६

रजि० स० एल० १७२३

सर्वोदय-साहित्य-सेट (१९७१—१९७२)

[अप्रैल १९७१ से चालू]

रु० ७) मे १२०० पृष्ठ

१-आत्मकथा • १८६६-१९२० :	गाधीजी	१)
२-बापू-कथा १९२०-१९४८ .	हरिभाऊजी	३)
३-तीसरी शक्ति : १९४८-१९६६ :	विनोबा	३)
४-गीता-प्रवचन	विनोबा	२)
५-मेरे सपनों का भारत	गाधीजी	२)
६-सध प्रकाशन की एक पुस्तक)५०
		<u>११)५०</u>

लगभग १२०० पृष्ठों का यह साहित्य-सेट रु० ७) मे मिलेगा । २८ सेटों का पूरा बण्डल काशी से भंगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमीशन ।

रु० ५) मे ८०० पृष्ठ

राज्य सरकार, पंचायते, शिक्षण संस्थाएँ आदि के लिए थोक खरीदी की दृष्टि से छोटा सेट भा चालू रहेगा, जिसकी पृष्ठ-संख्या लगभग ८०० होगी । यह सेट रुपये ५) मे दिया जायगा । इसमें निम्न पुस्तके रहेगी

१ आत्मकथा	- गाधीजी	१)
२ बापूकथा या गाधी जैसा देखा-समझा विनोबा ने	- हरिभाऊजी	३)
३ तीसरी शक्ति	- विनोबा	३)
४ गीता-बोध व मंगल प्रभात	- गाधीजी	१)

८)

पाँच रुपयेवाले ४० सेटों का पूरा बण्डल काशी से भंगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमीशन घीर फ्री डिलीवरी ।

केवल एक ही सेट भंगाने पर डाक-खर्च के लिए रु० २-०० अधिक भेजना चाहिए । यदि ५ रु० वाले सेट अथवा ७ रु० वाले ७ सेट एक साथ भंगाने जायेंगे तो रेलवे पार्सल से फ्री डिलीवरी भेजे जा सकेंगे ।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशक • राजघाट, वाराणसी-१

नयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष १९

अंक : ७

- औद्योगिकी करण में सर्वोदय-सत्याग्रह तत्व
- स्वाद्य-प्राप्ति की अभिनव पद्धति
- चुनाव घोषणा-पत्रोंमें शिक्षा
- भारतीय सांस्कृतिक क्रान्ति
- आचार्यकुल का आचार

फरवरी, १९७१

अध्यापकों की हड़ताल

आज १५ फरवरी १९७० को उत्तरप्रदेश के गैरसरकारी माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापकों की हड़ताल का बीसवाँ दिन है और अभी उसका अन्त नजर नहीं आता है। माध्यमिक शिक्षक सघ ने, जो इन अध्यापकों की प्रतिनिधि संस्था है, एलान किया है कि अगर २७ ता० तक सरकार उनकी शर्तें स्वीकार नहीं करती तो वे सत्याग्रह करेंगे। अगर वे अपनी बात पर कायम रहे तो यह देखते हुए कि मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा का चुनाव है, सत्याग्रह की भीषणता बहुत बढ़ जाती है।

माध्यमिक शिक्षक सघ की मांग है कि उनको वेतन सरकारी खजाने से मिले, जैसे सरकारी नौकरों को मिलता है। ऐसा होगा तो उनको प्रति मास नियम से वेतन मिल जाया करेगा, जो अभी नहीं मिलता। उनकी दूसरी मांग है कि उनका महंगाई-भत्ता राज्य कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते के समान हो। एक ही काम करनेवाले सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को जो महंगाई-भत्ता मिलता है वही उनको मिलना चाहिए। उनकी तीसरी मांग है 'अन्डरग्रेजुएट' शिक्षकों के लिए सो० टी० वेतनक्रम की मांग और उनकी अन्तिम मांग है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो।

इस बात से कौन इन्कार करेगा कि जो शिक्षक महीने भर काम करता है, (और हम मानते हैं कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है), उसे हर महीने नियम से वेतन मिलना चाहिए और नहीं

वर्ष : १६

अंक : ७

मिलता है तो इस अन्याय के खिलाफ उसको आवाज उठानी चाहिए। इससे भी कौन इन्कार करेगा कि जिस प्रणाली के अन्तर्गत वागज पर वेतन कुछ और हो और दिया कुछ और जाता हो उस भ्रष्ट प्रणाली को समाप्त करने के लिए यदि अध्यापक कोई कदम उठाता है, तो वह न्यायसंगत कदम है (और सरकारी खजाने से वेतन पाने की मांग इसीलिए है।) समान काम के लिए समान महँगाई-भत्ता मिले इस न्यायपूर्ण बात से भी कौन इन्कार करेगा? समान काम के लिए सरकारी स्कूलों में काम करनेवालों को अधिक वेतन मिले, अधिक महँगाई-भत्ता मिले और गैरसरकारी स्कूलों में कम, इस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए और एक कल्याणकारी राज्य में, ऐसे राज्य में जो अपने को लोकतंत्र कहता है, तो इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और यदि माध्यमिक शिक्षक सघ इन अन्यायों के प्रतिकार के लिए आगे आया है तो प्रत्येक न्यायप्रेमी व्यक्ति का समयन सघ को मिलना चाहिए।

आज के जमाने में वे प्रमोशन और पेन्शन' के लिए सगठित आवाज उठानेवाला शिक्षक अपने स्वधर्म से च्युत हुआ यह जो सोचता है वह ठीक नहीं सोचता। आश्रमों और गुरुकुलोंवाले इस देश की पृष्ठभूमि में भी आज शिक्षक के लिए जो लगेटी पहनकर आत्म-सतोष के साथ अध्ययन अध्यापन की बात करता है वह दिवा-स्वप्न देखता है। कर्तव्य का ध्यान रखते हुए वेतनक्रम बढ़ाने की मांग का भी सर्वत्र समर्थन होना चाहिए, क्योंकि इस देश में हम शिक्षक को दे ही क्या रहे हैं विशेषतः, अन्डरग्रेजुएट अध्यापकों को। अपने व्यवसाय के हितों की रक्षा के लिए उठाये हुए माध्यमिक शिक्षक सघ के कदम को 'ट्रड यूनियनिज्म' कहकर हिंकारत की निगाह से देखने का गुण नहीं है। शिक्षकों की अधिकांश मांगें न्याय-संगत हैं और यदि उनका मार्ग अहिंसा का रहे तो उसका समर्थन सभी वर्गों को करना चाहिए। परन्तु इन मांगों में जो मांग शिक्षक और शिक्षा दोनों के हित में नहीं है और जो लोकतंत्र के हित में भी नहीं है वह है शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग। (सरकारी खजाने से वेतन पाने की जिद इस राष्ट्रीयकरण का एक रूप ही है) इस मांग को हम शिक्षा के अहित में इसलिए कह रहे हैं कि लोकतंत्र जिन कुछ बुनियादी तत्वों पर टिका हुआ है उनमें से एक है शिक्षा-संस्थाओं की स्वायत्तता।

न्याय विभाग की भाँति शिक्षा विभाग भी स्वायत्त हो और न्याय-विभाग जैसे सरकार से वेतन लेता हुआ भी सरकार के निर्णयों के विरुद्ध फंमला दे सकता है वैसे ही शिक्षा-संस्थाएँ सरकार से वेतन लेती हुई भी इस विषय में स्वतंत्र रहे कि वे क्या पढायेंगी, पढाने की पद्धति क्या होगी आदि। आदि परन्तु शिक्षा के राष्ट्रीयकरण से शिक्षा की स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी।

इसलिए राष्ट्रीयकरण की माँग को छोड़कर ही सोचना होगा। शिक्षक सघ की यह माँग ठीक है कि सरकार द्वारा दिये हुए अनुदान और शिक्षक के बीच में कोई मध्यस्थ न रहे। प्रबन्धक (मैनेजर) से शिक्षक को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। परन्तु, प्रबन्धक से मुक्ति पाकर शासन की दासता स्वीकार करना शिक्षक के मुक्ति की विडम्बना होगी। माँग करनी है तो यह माँग की जाय कि प्रशासन के विषय में शिक्षा 'शिक्षक, छात्र और अभिभावक' का सम्मिलित उत्तरदायित्व हो, और मिलीजुली समितियाँ शैक्षणिक और प्रशासनिक सभी प्रकार की इन्हींकी व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व वहन करेगी।

राष्ट्रीयकरण की बात इसलिए भी नहीं सोचनी चाहिए कि राष्ट्रीयकरण केन्द्रीयकरण को जन्म देता है और किसी भी प्रकार का केन्द्रीयकरण चाहे वह सत्ता का हो, चाहे सम्पत्ति का हो, समाज-वाद और लोकतंत्र की सकल्पना का विरोधी तत्त्व है। वास्तव में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण लोकतंत्र का सबसे बड़ा सकट सिद्ध होगा। वह इसलिए कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण विचारों के 'रेजिमेन्टेन्शन' को जन्म देगा। और अगर विचारों का 'रेजिमेन्टेन्शन' हुआ तो अधिनायकवाद से बचना असम्भव होगा। सच तो यह है कि लोकतंत्र के लिए जितना सकट पूँजीवादी शोषण से है, उससे बड़ा सकट साम्यवादी अधिनायकवाद से है और हम शिक्षक बन्धुओं से प्रार्थना करेंगे कि वे इस सकट को निमंत्रण न दें। शिक्षा का अगर कोई उद्देश्य है तो वह है बुद्धि को उन्मुक्त चिन्तन का और वाणी को उन्मुक्त प्रकाशन का अवसर देना। राष्ट्रीयकरण से शिक्षा का यह मंगल लक्ष्य समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मुक्त रहेगी तभी तो वह शासन और समाज दोनों को मूल्य दे सकेगी। इसीलिए जाने-अनजाने हम शिक्षकों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे शिक्षा जितनी बन्दी आज है उससे अधिक बन्दिनी हो जाय।

—वसीधर धीवास्तव

भारतीय सांस्कृतिक क्रांति

नारायण देसाई

[श्री नारायण देसाई मंत्री अखिल भारतीय शान्ति सेना मंडल ने भारतीय सांस्कृतिक क्रांति पर एक मसविदा तर्कों के विचारार्थ और उनका अभिप्राय जानने के लिए तैयार किया है। उस मसविदे के एक भाग का सम्बन्ध शिक्षा से है। उसे ही 'नयी तालीम' के पाठको के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठक इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ भजने की कृपा करें।—स०]

प्रस्तावना

भारतीय सांस्कृतिक क्रांति का सम्बन्ध भारतीय क्रांति तथा सांस्कृतिक क्रांति से है। क्रांति हर देश में अपना विशेष रूप लिये आती है। भारत में अगर क्रांति होगी तो वह दूसरे किसी देश के जैसी नहीं होगी, वह अपने में घनूठी होगी। क्रांतियों की प्रक्रिया भी देश और काल के अनुसार बदलती है। जीवन के विकास के साथ क्रांति की प्रक्रिया भी विकसित होता है। क्रांति विकसित होते हुए आज इस अवस्था तक पहुँच गयी है कि वह सांस्कृतिक ही हो सकती है, असांस्कृतिक नहीं। क्रांति की दिशा क्रूरता से हटते-हटते सरकारीता की ओर बढ रही है। इसीलिए यह आशा की जा सकती है कि भारत में जो क्रांति होगी वह क्रूरता के आधार पर नहीं, कल्याण के आधार पर होगी। इसी अर्थ में यहाँ भारतीय सांस्कृतिक क्रांति शब्द प्रयोग किया गया है।

भारतीय सांस्कृतिक क्रांति से हमारा मतलब स्वार्थ से परार्थ और वहाँ से परमाय की ओर जाने का है। यह ऐसी क्रांति होगी जहाँ व्यक्ति अपना व्यक्तित्व रखते हुए भी समष्टि की अपनी सेवाएँ समर्पण करेगा, जहाँ व्यक्ति और समष्टि के बीच संघर्ष नहीं सामंजस्य होगा।

कार्यक्रम

१—स्वतंत्र भारत में शिक्षा स्वतंत्र होनी चाहिए।

२—स्वतंत्र शिक्षा माने आत्म निर्भर शिक्षा, सामन मुक्त शिक्षा, सोपण मुक्त शिक्षा।

३—गुलामी की शिक्षा बही है जो गौकर बनाती है—किर यह चाह जितनी बढी नीचरी क्यों न हो।

४—अधिकांश ने भारत में अपना जो साम्राज्यवाद चलाया उसके साथ ही मध्य एक प्रमुख साधन शिक्षा-व्यवस्था थी। इस देश में अधिकांश शिक्षा ब्रिटिश मूल्यनत की जड़ें मजबूत करने के लिए ही दाखिल की गयी थी।

५—स्वराज्य के बाद तुरन्त ही इस शिक्षा-पद्धति में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने चाहिए थे, लेकिन वसा नहीं हुआ। गुलामी की शिक्षा ज्यों की त्यों कायम रही।

६—स्वराज्य के बाद शिक्षा में कुछ विस्तार जरूर हुआ, किन्तु उसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुए। फलतः गुलामी की शिक्षा में जो दोष थे उसका भी विस्तार ही हुआ।

७ भारतीय सांस्कृतिक जाति शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामूलभूत जाति का कार्यक्रम देती है।

८—भारतीय सांस्कृतिक जाति का आज के तर्जुना को यह ग्राह्य है कि इस देश में गुलामी, वैतारी और बगभदों को बनाय रखनेवाली शिक्षा को छोड़ो।

९—आज भी शिक्षा पद्धति की आलोचना राष्ट्रपति से लेकर राह चलते व्यक्ति तक हर कोई करता है। किन्तु यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में हर नये मन्त्रिमण्डल के साथ एक नया आघोग बनाया जाता है तो भी हमारी शिक्षा-पद्धति वही क्री-वही दकियानूस क्यों बनी हुई है? इसका प्रमुख कारण है, इस पद्धति से जिन सबसे अधिक नुकसान होना है उस छात्र वर्ग ने इस पद्धति के खिलाफ विद्रोह नहीं किया है।

१०—पुरानी शिक्षा पाये हुए लोगों का इस देश में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत मजबूत स्थापित हित बना हुआ है। इस शिक्षा-पद्धति को बदलने से उसे नुकसान है क्योंकि उसके कारण उस वर्ग को अपने जीवन-परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ेगा। वह स्वयं परिवर्तन नहीं चाहता और इसलिए मानेवाली नयी पीढ़ियों को भी इसी लीक पर चलाना चाहता है।

११ शिक्षा से स्थापित हितों की इस जमात को और स्थापित हितों का समर्थन मिलता है। क्योंकि ये भी यथास्थिति को बनाय रखना चाहते हैं।

१२—हमारे अध्यापक, शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी और मंत्री जाने कितने-कितने इन्हीं स्थापित हितों की कक्षा में बैठते हैं। उन्हें समर्थन मिलता है हमारे पूंजीपतियों का सरकारी नौकरों का और राजनीतिज्ञों का, जिनमें से अधिकांश लोग इस देश में अध्यापक मुक्त शिक्षण को फैलाने देना नहीं चाहते। अधिशा के अन्दरे में ही इनके सितारे चमकते हैं। अगर लोग आजादी की शिक्षा पा जायें तो ये कदम फीके पड़ जायेंगे। इसलिए वे बराबर गुलामी की शिक्षा को बनाये रखने का यत्न करते हैं। और उस शिक्षा से शिक्षित होकर जो युवक निकलते हैं वे भी इसी गुलामी के चक्कर को चलाने-वाले पुत्र बन जाते हैं।

१३—भारतीय सांस्कृतिक क्रान्ति का शिक्षा-क्षेत्र में प्रथम कार्यक्रम यह होगा कि शिक्षा पानेवाले तत्त्वों को इस विषय में जागृत करें और उनसे यह माह्वान करें कि देश को गुलामी की जजीरो में रखनेवाली इस शिक्षा-पद्धति के खिलाफ विद्रोह करें ।

१४—तत्त्वों को यह समझना होगा कि वे जिन विद्यालयों में जाने के लिए लालायित हैं, जिनमें भर्ती होने के लिए वे लम्बी-लम्बी कतारें लगाते हैं, जिसकी नयी-नयी शाखाओं के निर्माण के लिए वे दग्रे करते हैं वे सारे विद्यालय तो शिक्षित बेकार बढ़ानेवाले कारखाने हैं । उनके लिए इतनी बौद्ध-धूप करना मौत के मुँह में धँसना है ।

१५—इस देश में तत्त्वों के द्वारा अनेक हड़तालें होती हैं, आन्दोलन होते हैं, अभियान होते हैं । लेकिन उनमें से कोई भी इस शिक्षा पद्धति को खतम करने या जड़मूल से बदलने के लिए नहीं होता । ये आन्दोलन अधिक-से अधिक कुछ गुप्तार या सुविधाओं के लिए होते हैं । इनसे क्रान्ति नहीं होगी, वर्तमान समाज-व्यवस्था ही दृढतर होगी ।

१६—भगर इस देश में लाखों विद्यार्थी एक साथ इसी बात के लिए आन्दोलन करें कि शिक्षा व्यवस्था में क्रान्ति हो तो न केवल शिक्षा-व्यवस्था को लेकिन इस देश के इतिहास को ही नया मोड़ मिलेगा । शिक्षा में क्रान्ति अन्य क्षेत्रों की क्रान्ति की जननी बनेगी ।

१७—शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति, यह भाग के तत्त्वों का प्रथम कर्तव्य है । उस क्रान्ति के लिए वातावरण बनाने के लिए कुछ तत्त्व तो फोरन ही विद्यालयों को छोड़ कर व्यापक प्रचार के कामों में लग जायें । जो तत्त्व इस समय विद्यालय छोड़ने की तैयारी न रखने हों वे विद्यालयों में रहकर ही क्रान्ति के लिए वातावरण बनाना अपना प्रमुख कर्तव्य मानें ।

१८—जो तत्त्व विद्यालय छोड़ेंगे, वे क्रान्ति के लिए कम-से-कम एक साल देने का सक्ल्य करेंगे ।

१९—जो तत्त्व विद्यालयों में रहेंगे वे स्नातक बनने के बाद कम-से-कम एक साल इसी क्रान्तिकारी काम के लिए देने का सक्ल्य करेंगे ।

२०—जो तत्त्व विद्यालय छोड़ चुके होंगे वे क्रान्ति को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे । वे देशव्यापी पैदायात्राएँ करेंगे, वे नगर-नगर में प्रसंग प्रसंग पर शिक्षा में क्रान्ति के लिए आवश्यक साहित्यिक प्रदर्शनों के कार्यक्रम करेंगे, उनमें से जो शिक्षा के क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी लेते होंगे, वे क्रान्तिकारी शिक्षा के नये केन्द्र खोलेंगे ।

२१—जो तरुण विद्यालयों में होंगे, वे शिक्षा-पद्धति में तात्कालिक परिवर्तनों के लिए सारे शान्तिमय प्रयत्न करेंगे। इन प्रयत्नों का आरम्भ वे अपने ही जीवन-क्रम में परिवर्तन लाने से करेंगे।

२२—क्रांतिकारी छात्र विद्यालयों में अपने काम प्राप्त करेंगे। अपने निजी कामों के लिए वे नौकर, मजदूर या व्यावसायिक लोगों पर आघार नहीं रखेंगे।

२३—क्रांतिकारी छात्र अपने सामाजिक जीवन में अपने आपको राजनैतिक दलबन्धियों के शिकार नहीं बनने देंगे। हर विचारधारा पर विचार कर अपना स्वतंत्र मत बनाना यह हर एक विद्यार्थी का अधिकार है। किसी भी दाय का वह गुलाम नहीं बनेगा।

२४—क्रांतिकारी छात्र यदि आन्दोलन करेंगे तो वह ऐसी पद्धति से करेंगे जो शांतिमय ही और रचनात्मक हो। तोडफोड़ की प्रवृत्ति जहाँ एक ओर से राष्ट्र को नुकसान करती है, वहाँ दूसरी ओर से वह प्रवृत्ति करनेवाले को भी नुकसान करती है। हिंसक तोडफोड़ के कार्यक्रम सर्व सामान्य कार्यक्रम नहीं बन सकते। उनसे उन्हीं छात्रों का सबसे बड़ा नुकसान है जो अधिक सुरक्षाहीन हैं। यदि हम सर्व-साधारण छात्र की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी पद्धति शांतिमय ही हो सकती है।

२५—परीक्षायों में, प्रवेश में और शिक्षा से सम्बन्धित हर क्षेत्र में क्रांतिकारी छात्र भ्रष्टाचार से स्वयं बचेंगे और उसे रोकेंगे। जहाँ छात्र स्वयं भ्रष्टाचार करते होंगे, वहाँ वे उन्हें-रोकेंगे और जहाँ वरिष्ठ अधिकारी ऐसा करते होंगे, उन्हें भी बँसा न करने को नम्रता किन्तु दृढ़ता से समझायेंगे।

२६—शिक्षा की जो श्रुतियाँ हैं, उन्हें क्रांतिकारी छात्र अन्य समय में पूरी करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। हम श्रम की प्रतिष्ठित करेंगे, शिक्षा में जीवनोपयोगी विषयों का समावेश नहीं है, हम उनको अपने अध्ययन में स्थान देंगे, शिक्षा में भारतीय क्रांतिकारी नागरिक बनने की प्रेरणा नहीं है, हम अपने आचरण द्वारा बँसा बनने का प्रयास करेंगे।

२७—छुट्टियों के दिनों का उपयोग क्रांतिकारी छात्र अपना अध्ययन बढ़ाने के, देश दर्शन के तथा नैमित्तिक सेवाओं के कार्य में करेंगे।

२८—भारतीय सांस्कृतिक क्रांति शिक्षा के हर क्षेत्र में छात्रों, अभिभावकों तथा अध्यापकों के प्रतिनिधित्व रखने की जगत् व्यापी माँग का समर्थन करती है। वह शिक्षा को इन तीनों घटकों का सम्मिलित उत्तरदायित्व मानती है।

चुनाव-घोषणापत्रों में शिक्षा

अब तक विभिन्न राजनैतिक दल जो अपने घोषणापत्र जारी करते रहे हैं, लोकसभा अथवा विधानसभाओं में विजयी होकर पहुँचने पर उन्होंने इन घोषणापत्रों में वर्णित नीतियों के कार्यान्वयन की इतनी कम चेष्टा की है कि अब इन घोषणापत्रों की घोषणाओं में जनता का विश्वास नहीं रह गया है। पहले तो निरक्षर मतदाता उन्हें पढ़ नहीं सकते। जो पढ़ सकते हैं, वे भी पढ़ते नहीं और भूत में जो भी मत दिये गये हैं वे चाहे और दूसरे किन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दिये गये हों इन घोषणापत्रों की घोषणाओं के भाषार पर तो कदापि नहीं दिया गया है। मत देने के पीछे जाति, सम्प्रदाय, धर्म, चाहे जो कारण रहे हों, परन्तु राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्नों पर ध्यान रखकर, इन सङ्कुचित बातों से ऊपर उठकर बहुत ही कम मतदाताओं ने वोट दिये हैं। इस समय पहली बार लोकसभा का चुनाव कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रखकर हो रहा है। अतः इन घोषणापत्रों का महत्त्व कुछ-न-कुछ तो बढ़ ही जाता है और इतनी आशा तो की ही जा सकती है कि लोग इस बार इन घोषणापत्रों को पढ़ेंगे नहीं तो कम से कम इनके द्वारा पहले से कुछ अधिक तो निर्देशित होंगे ही। इस भूमिका में विभिन्न दलों के चुनाव पत्रों के घोषणापत्रों का मूल्य बढ़ जाता है और स्वभावतः यह जानने की उत्कंठा होती है कि इन घोषणापत्रों में शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में क्या कहा है।

जब मे ब्रिटेन के हेराल्ड लास्की ने यह कहा कि चुनाव के घोषणापत्रों में शिक्षा नीति का पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिए तभी से विदेशों में राजनैतिक दल अपने घोषणापत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी नीति का विस्तृत वर्णन करते हैं। सन् १९५१ के चुनाव से ही भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों ने भी अपने घोषणापत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी शिक्षा-नीति का उल्लेख किया है। इनका अध्ययन और विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि उत्तर स्वातन्त्र्यकाल में देश के प्रमुख राजनैतिक दलों की शिक्षा-नीति का किस ढंग से विकास हुआ है।

शिक्षा के प्रमुख सात मुद्दों पर इन घोषणापत्रों में विचार किया गया है—
 (१) अध्यापकों का वेतन और स्टेटस (२) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध में छात्रों का भाग, (३) शिक्षाक्षेत्र में राजनीति और पुलिस का प्रवेश, (४) वैज्ञानिक और प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा (५) लोक साक्षरता, (६) राजभाषा का प्रश्न।

चुनाव के घोषणापत्र और कोठारी-आयोग

भाषवर्ष की बात है कि इस वर्ष के चुनाव में जो घोषणापत्र जारी किये गये हैं उनमें किसीने बहुचर्चित कोठारी आयोग की सस्तुतियों की कोई चर्चा नहीं की है। इस कमीशन की सस्तुतियों को अगर ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाय तो भले ही शिक्षा में नाति न हो, परन्तु शिक्षा में अनेक गुणरमक सुधार हा जायेंगे। 'पढोसी-स्कूल' (नेबरहुड स्कूल) और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से स्नातक स्तर तक की शिक्षा देने के सुझाव तो सचमुच क्रांतिकारी हैं—उसी प्रकार परीक्षा और प्रशासन और निरीक्षण सम्बन्धी सुझाव व्यावहारिक और प्रगतिशील हैं। कमीशन ने शिक्षा के हर स्तर पर व्यापक अध्ययन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अध्यापकों के वेतन और स्टेटस पर उसके सुझाव अत्यन्त उदार हैं। परन्तु किसी भी राजनैतिक दल ने कमीशन का उल्लेख नहीं किया है। तीन साल पहले जिस सरकार ने कमीशन की सस्तुति को अपनी शिक्षा-नीति का आधार बताया था और उसके कार्यान्वयन का प्रोग्राम बनाया था उस सत्तारूढ़ कांग्रेस के दल ने भी कमीशन की सस्तुतियों का कोई उल्लेख नहीं किया है। (यह केवल इस बात को और सकेत करता है कि अपने घोषणापत्रों में शिक्षा-नीति का उल्लेख करते समय घोषणापत्र ड्राफ्ट करनेवाले लोगो ने कितनी गहराई से शिक्षा की वर्तमान गतिविधियों का अध्ययन किया है।—प्र०)

सामान्य शिक्षा निति

सबसे सभी दलो ने देश की शिक्षाप्रणाली को दोषपूर्ण बताया है और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसमें सुधार की जरूरत बतायी है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करने की घोषणा की है, जिससे शिक्षा के द्वारा इतना धार्मिक विकास हो कि जनता का जीवनमान बढ़ाया जा सके। जनसघ शिक्षा में इस प्रकार सुधार करना चाहता है जिससे राष्ट्रीय मूल्य दृढ बनें और आधुनिक भारत की आवश्यकताएँ पूरी हों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश के सेक्युलर और टेक्ना-लाजिकल आधार को दृढ करने के लिए शिक्षा में सुधार करेगी। स्वतंत्र पार्टी शिक्षा द्वारा मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का पर्याप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए शिक्षा में सुधार करेगी। ससोपा शिक्षा को देश की आवश्यकताओं से विचारियों के ज्ञान को जोड़ेगी। प्रजा-समाजवादी दल शिक्षा को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करेगा जिससे वह तर्कों की आकाशाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके।

अध्यापको का वेतन

जहाँ तक अध्यापको के वेतन का सम्बन्ध है १९६७ ईस्वी के चुनाव से कांग्रेस ने अध्यापको के पार्ष्ण वेतनक्रम और प्रतिष्ठा देने की बान बही थी, परन्तु इस बार के घोषणापत्र में उसकी कोई चर्चा नहीं है। जनसघ ने भी, जिसके पार्ष्ण सदस्य अध्यापक है, शिक्षको की जीने भर प्राजीविषा मिले इसकी कोई चर्चा नहीं की है, यद्यपि इसके पहले के चुनाव में उसने घोषित किया था कि उसकी नीति होगी कि अध्यापको का न्यूनतम वेतन (१५०) प्रतिमाह हो। इन दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों के रुख में हम परिवर्तन का क्या अर्थ लगाया जाय, बल्कि ससोपा ने अध्यापकों को इसलिए अधिक अच्छा वेतन-क्रम देने की बात कही है, जिससे प्रतिभासम्पन्न युवक इस पेशे की ओर आकृष्ट हो। ससोपा ने घोषणा की है एक ही काम को करनेवाले समान दक्षता के लोगों को समान वेतन दिया जाय चाहे वे विश्वविद्यालय में हो, किसी प्राइवेट संस्था में हों अथवा किसी सरकारी स्कूल में हो। वह यह घोषणा करता है कि प्रारम्भिक स्कूल के अध्यापक और उच्च शिक्षा में लगे अध्यापक के वेतन समान हो। मानसंबादी साम्यबादी दल शिक्षक वर्ग की सम्पूर्ण ग्यायसंगत माँगों को पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करता है जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो और शिक्षक के पेशे की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अध्यापको की आवश्यकतानुकूल वेतन देने की घोषणा करती है। स्वतंत्र पार्टी भी अध्यापको का वेतन और स्टेटस बढ़ाना चाहता है।

विद्यार्थियों के अधिकार

भारतीय कम्युनिस्ट दल, ससोपा, और प्रजा समाजवादी दल छात्रों की इस माँग का समर्थन करते हैं कि छात्रों का शिक्षालयों के सगठन और प्रबन्ध में पूरा हाथ हो। ससोपा तो अपना दृष्टिकोण और भी स्पष्ट करते हुए कहता है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में छात्रों और अध्यापको, दोनों का भाग रहे। (जो भी हो किसीने यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया है कि शिक्षालय के प्रतिष्ठान का पूरा प्रशासन अभिभावक, छात्र और अध्यापक का सम्मिलित उत्तरदायित्व हो और इसमें शासन अथवा कोई तयकथित प्रबन्धक किसी प्रकार का दखल न दे। अर्थात् शिक्षालयों के पूर्ण स्वायत्तता की बात किसीने नहीं की है।—स०) हाँ, विश्वविद्यालय-स्तर पर स्वतंत्र पार्टी और मानसंबादी साम्यबादी दल ने पूर्ण स्वायत्तता की घोषणा की है। आश्चर्य तो यह है कि सी० पी० आई० ने सन् १९६७ के चुनाव के अपने घोषणापत्र में तो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की

बात की थी, परन्तु इस बार वह इस बिन्दु पर चुप ही है। कांग्रेस (सगठन), कांग्रेस (सत्ताहृद), जनसघ, ससोपा, और प्रजा समाजवादी दल भी इस विषय पर मौन ही हैं।

साक्षरता

जहाँ तक साक्षरता का सम्बन्ध है ससोपा ही ऐसा दल है जिसने साफ घोषणा की है कि अगर वह केन्द्र में सत्ताहृद हुआ तो दस वर्ष के भीतर शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए प्रयास करेगा और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षित बेकारों का इस्तेमाल करेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा

जनसघ महसूस करना है कि अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जाय तो शिक्षित बेकारों की समस्या भी हल होगी। कांग्रेस, (सत्ताहृद), कांग्रेस (सगठन) ने भी प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार की घोषणा की है, यद्यपि इनके घोषणापत्रों में इस शिक्षा का क्या रूप होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ससोपा ने तो एक कदम आगे बढ़कर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को अनिवार्य करने की बात की है (परन्तु यह माध्यमिक शिक्षा कार्य मूलक, व्यवसायमूलक होगी इसकी कोई चर्चा नहीं है—अनु०)। प्रजा समाजवादी दल ने कम से-कम समय में प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर देने का सक्लप किया है और भावसंवादी साम्यवादी दल ने सात वर्ष की निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर तक निशुल्क शिक्षा की घोषणा की है।

विज्ञान और टेकनालोजी

केवल कांग्रेस (सत्ताहृद) और सी० पी० आई० ने विज्ञान और टेकनालोजी की तरफ़ी पर स्पष्ट नीति की घोषणा की है। कांग्रेस (सत्ताहृद) दल ने घोषणा की है कि वह विज्ञान और टेकनालोजी का प्रसार करेगा और उसे जनता की कृपि और उद्योग-सम्बन्धी आवश्यकताओं से जोड़ेगा। दल एक राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक और टेकनालाजिकल योजना प्रस्तुत करेगा जिसका सम-वय देश को आर्थिक योजना से किया जायगा। इस दल ने योजना का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि देश के वैज्ञानिक और तकनीकी स्रोतों का बड़ा हिस्सा प्राथमिकता की दृष्टि से पूर्वनिर्धारित क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जायगा। राष्ट्र के वैज्ञानिक और प्राविधिक विशेषज्ञों को प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्व के पद दिए जायेंगे और सरकार के निणयो में उनके मत का धादर किया जायगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक क्षेत्रों का देश के

आर्थिक विकास के साथ उद्देश्यपूर्ण समन्वय चाहती है। वह विज्ञान की समस्याओं में नौकरशाही को समाप्त करना चाहती है और पूर्ण स्वायत्तता के आधार पर लौकतान्त्रिक पद्धतियों का अनुसरण किया जायगा, ऐसी घोषणा करती है। विज्ञान और टेकनालोजी के विकास के लिए अधिक धन की माँग की जायगी जिससे भारत आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। देश की जनता को विज्ञान परक और तकनीकीकरण बनाने के लिए स्वतंत्र दल प्रारम्भिक शिक्षा ने ही बच्चों को विज्ञान और तकनीक पढ़ाना प्रारम्भ कर देगा।

राजभाषा

राजभाषा का प्रश्न शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अतः राजनैतिक दल इस सम्बन्ध में भी अपनी नीति की घोषणा करेंगे ऐसी आशा करनी चाहिए। विशेषतः दक्षिण के मतदाता इस विवादप्रस्त विषय पर विभिन्न दलों की स्पष्ट राय जानना चाहेंगे। कांग्रेस (दासन) क्षेत्रीय भाषाओं के उन्मुक्त विकास के पक्ष में है। उसने इस बार उर्दू पर कुछ अधिक बल दिया है। सगठन कांग्रेस का भी यही रुख है। सी० पी० माई० ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ कहा ही नहीं है। जनसंघ देश के उन भागों पर, जो हिन्दी नहीं चाहते, अब हिन्दी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वह विगत पाँच वर्षों से हिन्दी को सम्पर्क-भाषा के रूप में विकसित करने की बात कहकर ही रुक गया है। दक्षिण में अपने विचार को स्वीकार कराने की दृष्टि से जनसंघ ने हिन्दी के सम्बन्ध में अपने पहले स्टैंड में हट गया है। सन् १९६२ के चुनाव में जनसंघ ने कहा था कि केन्द्र में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी और राज्यों में क्षेत्रीय भाषाएँ ग्रहण करेंगी और संस्कृत स्कूलों को अनिवार्य होनी चाहिए। सन् १९६७ में जनसंघ के घोषणापत्र में संस्कृत को सांस्कृतिक राष्ट्रीय भाषा बनाने की माँग थी, जिसका प्रयोग महत्वपूर्ण समारोहों में किया जाय। लेकिन इस घोषणापत्र में इस बात की चर्चा नहीं है। केवल संयुक्त समाजवादी पार्टी ही है जो अभी भी अपने अंग्रेजी हटाओ के माँग पर डटी हुई है।

प्रस्तुतकर्ता वशीधर श्रीवास्तव

(समाचार 'इण्डियन मेशन' में प्रकाशित प्रोफेसर सी०भार० राठी के लेख के अन्तर्गत प्रस्तुत।)

खाद्य-प्राप्ति की अभिनव पद्धति

बनवारीलाल चौधरी

मनुष्य अपना भोजन अभी तक प्रकृति से प्राप्त करता आ रहा है। निरामिष और सामिष दोनों ही खाद्य-पदार्थ का उत्पादन प्रकृति से हुआ है। प्रकृति द्वारा उत्पादित खाद्य-पदार्थ का एक निश्चित स्वाद होता है साथ ही उसकी उत्पादन-शक्तता भी सीमित है और उत्पादन की गति की रफ्तार भी एक हद से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती। समय पाय तबबर फलें केतुकु सौंचो नीर।

खेती और पशुपालन की दृष्टि से बचने और बढ़ती आवादी की भोजन की माँग पूरी करने के लिए प्रकृति की क्रियाओं का अध्ययन कर मनुष्य ने फैक्टरी में खाद्य पदार्थ बनाना आरम्भ कर दिया है। अमरीका और केनेडा में इसका प्रत्यक्ष और व्यवहारी रूप तेजी से बढ़ रहा है।

दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग अधिकाधिक मात्रा में कारखाने में उत्पादित खाद्य-पदार्थों का भोजन कर रहे हैं। ये खाद्य-पदार्थ खेत पर नहीं उगाये गये हैं, इन्हें कारखानों में तैयार किया गया है। विज्ञानशाला में उनके निर्माण की विधि निश्चिन्त की गयी है। कार्य-कुशलता के आधार पर उपयोगिता भोजन पंदा करने के लिए अर्थात् घास को दूध, मांस या अन्न में परिवर्तित करने के लिए जानवरों को पालने की अपेक्षा मशीन लगाना अधिक पसन्द करते हैं। उनकी मान्यता है कि मवेशिया की तुलना में मशीन कई गुना अच्छा काम करती है।

कारखानों में उत्पन्न किये हुए खाद्य पदार्थों को 'एनालोग' कहते हैं। 'सरूप' इसके लिए उच्युक्त हिन्दी शब्द होगा। दूध और मांस के 'सरूप' का बहुत प्रचार हो चुका है। अमरीका, केनेडा के दूध और मांस दुनिया के एक-दोवाई भाग के बाजार पर छा गये हैं। भोजन में उपयोग आनेवाला क्रीम का ८५% एव ऊपर से उपयोग में आनेवाली मलाई का ३५% भाग गाय द्वारा उत्पादित नहीं है, 'सरूप' का है। इसका प्रभाव खेती की हफरेखा और उगाई जानेवाली फसलों पर पड़ेगा। अमश' किसान अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन और सरसो लगायेंगे।

मनायास ही इन देशों के लोग इस प्रकार के 'सरूप' पदार्थों का भोजन में काफी मात्रा में उपयोग करने लगे हैं। दूध की जगह जब 'काफी-नेट' का उपयोग करने हैं, तो उसका अर्थ है कि सोडियम केसीनेट, डाइपोटेसियम फास्फेट, सोडियम सिलिकोलेमिनेट, और मोनो तथा डाइग्लिसराइड ले रहे हैं। मारजरिन में

लेसिथिन पापसीकारक और सोडियम बैन्जोएट होते हैं। मिठाई के ऊपर डाले जानेवाला श्रीम भी कृत्रिम बना हुआ होता है। भाग वहाँ के बाजार में निरामिय या सामिय एसा कोई भी डब्बा बन्द पदार्थ नहीं है जिसमें 'सर्पों' का समावेश न हो।

'सरूप बनाने की शिगा म सबसे अधिक प्रगति 'गोरमी' पदार्थों में हुई है। दूध और मलाई के 'सरूपों' की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मांस 'सरूप पदार्थों' को बनाने की होड़ चली है। बड़े बड़े कारखानेदार और शाकाहारी लोग इन प्रयोगों को उत्सुकता से देख रहे हैं। मांस 'सरूप' पदार्थ बनाने का उत्तम और सरल तरीका किसी दो दलीय-विनेपतया सोयाबीन-की प्रोटीन को घलन कर वानस्पतिक रेशो में मिला कर मथ देना है। इससे उसका रूप मांस सदृश हो जाता है। इच्छानुसार यह रवेदार रूप में भी बनाया जा सकता है। अमरीका की 'जनरल मिल्स' ने सुष्मर मास के इस प्रकार के 'सरूप' का प्रचलन प्रारंभ किया है और गो, भुर्गी आदि के मांस के सरूप भी बड़ी तेजी से तैयार किये जा रहे हैं। इस रीति से नये नये और अनगिनत 'सरूप' बनाये जा सकते हैं। सतरे का रस भा कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। एक प्रयोगशाला में इस प्रकार की डबलरोटी केक बनाने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है जिसमें न आटे का और न अण्डे का ही उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें दूध पचिकर नहीं होता या जिनकी प्रकृति को दूध प्रतिकूल पड़ता है, दूध 'सरूप' का उपयोग कर सकते हैं। हजारों बच्चों को दूध 'सरूप' ने जीवन दान दिया है। जल विश्लेषण पद्धति द्वारा निकाली गयी प्रोटीन पर अम्ल का समावेश करने से उसमें मांस के समान गंध उत्पन्न हो जाती है। इसका उपयोग किसी भी 'सरूप' में मांस की गंध देने में किया जाता है।

मनुष्यों द्वारा बनाये जानेवाले खाद्य 'सरूपों' में मूल आधार प्रोटीन है। सोयाबीन प्रोटीन अभी तक उत्तम माना गया है। मछली से भी प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा परतु उपेक्षित क्षेत्र समुद्र की सेवाल (फाई) है। जापान में इसका सदियों से प्रचलन है और अब वह बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि एक एकड़ सेवाल से दो हजार से चार हजार पौंड तक खाद्य उपयोगी प्रोटीन प्राप्त हो जाता है जब कि एक एकड़ मक्का से मबेणियों को चराकर केवल ७५ पौंड प्रोटीन ही मिलेगी।

सनिज तेलों से प्रोटीन प्राप्त करना भी एक अच्युत माध्यम प्रतीत होता है। फ्रांस में एक घबैजो पेट्रोसियम फम्पनी सनिज तेलों से प्रोटीन बनाने में

व्यस्त है। कम्पनी के अधिकारी का दावा है कि भूतेल से बनी प्रोटीन किसी भी प्राकृतिक मुर्गी, मछली, पौधा, ईस्ट की प्रोटीन से मूल रूप में भिन्न नहीं है। भूतेल से प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग में आनेवाले जामन के जीवाणुओं की हर याँच घटे में दुगनी वाढ़ हो जाती है। पशुओं द्वारा प्रोटीन बनाने की क्रिया से यह कई हजार गुना अधिक है। इनमें बहुत अधिक अनुपात में कोशविलायी (Lysin) होता है, जो कि नृणशास्त्रीय अनाजों का एक महत्वपूर्ण परिपूरक है। यह पाचक भी होता है। प्रतिवर्ष केवल चार करोड़ टन भूतेल में दो करोड़ टन मुद्ध प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। संसार में खर्च किये जानेवाले भूतेल का यह उत्पादन मात्र है। केवल इसी एक स्रोत से संसारभर में होनेवाले प्रोटीन का उत्पादन दुगुना किया जा सकता है। प्रोटीन बना लेने पर भी भूतेल सराब नहीं होता और अभी के समान ही उसका उपयोग एंजिन मोटर आदि चलाने में होता रहेगा।

पौष्टिक तत्त्व

इन 'सर्प' खाद्य-पदार्थों में और फार्म पर उगाये खाद्य-पदार्थों के पोषक तत्वों में कोई खास अन्तर नहीं होता। सर्प खाद्य-पदार्थों की एक विशेषता यह होगी कि उनमें इच्छानुसार पोषक तत्वों का अनुपात कम अधिक भी किया जा सकेगा। प्रयोगों में ज्ञात हुआ है कि सोयाबीन द्वारा बनाय गये 'सर्पों' में प्रोटीन की गुणवत्ता दूध की अपेक्षा—८०% अधिक होती है। बच्चे इसे रुचि से ग्रहण करते हैं और स्वास्थ्य पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, प्रौढ व्यक्तियों पर किये गये प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि सोयाबीनमूलक 'सर्पों' का भोजन स्वास्थ्य और शक्ति दोनों के लिए बहुत ही अनुकूल है। साथ ही इस प्रकार के खाद्य-पदार्थों में 'कोलेस्ट्रॉल' (धी में पाया जानेवाला वह भाग, जो कि हृदय की बीमारी का एक कारण माना जाता है) का अनुपात भी नगण्य हो जाता है।

आर्थिक पहलू

'सर्प' बनानेवालों का मत है कि कारखाने में खाद्य-पदार्थों का उत्पादन खेती की तुलना में बहुत कम खर्चीला होगा। प्राकृतिक रूप से तैयार किये गये खाद्य-पदार्थों की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारखानों में जब माल बहुत अधिक सादा—पूँजी-उत्पादन रूप—में तैयार किया जाता है, तब वह सस्ता पड़ता है। कारखानों में उत्पादन करना सरल, मुलभ और भारामदेह भी होता है। कारखाने में बनाये इन खाद्य-पदार्थों का अधिकाधिक उपयोग करके सस्तेपन के कारण ही नहीं बल्कि उनके उपयोग करने में कई प्रकार की सहूलियतें एवं

उनके अधिक समय तक बिना खराब हुए रखे रहने की क्षमता के कारण भी होगा। इन खाद्य पदार्थों में रंग, सुगंध स्वाद आदि गृहिणी की रुचि के अनुसार दिये जा सकेंगे। उपभोक्ता अपनी परान्द के अनुसार इन्हें बनवा सकेंगा।

इन 'सर्पों' का बनाने के उपयोग में आनेवाला कच्चा माल खेतों में होगा। वैज्ञानिकों का ऐसा खयाल है कि इस कच्चे माल का भी थोक प्रारूप तैयार करके रखा जा सकेगा (जैसे कि रबर को रखते हैं) और इनसे समयानुसार माँग को देखते हुए 'सर्प' बनाये जायेंगे। लोगों को प्रजीव लगेगा कि मक्खन, मलाई, दूध, मांस आदि के नाम पर वे खोपरा का तेल, सोयाबीन, समुद्री घास और एलुमिनम के लवण उपयोग कर रहे हैं, पर यदि गहराई से सोचा जाय तो दूध आदि पशुजनित खाद्य पदार्थों में भी तो ये ही तत्त्व हैं।

शोध ही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री बाजार में आयेगी। इनमें से कई एक ऐसी भी होंगी जो न हमने कभी सुनी न देखी और न खायी ही है। इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव यह होगा कि भेड़, गाय, भूखर, चकरी, मुर्गी आदि को भोजन के लिए पालना बन्द हो जायेगा। हत्या बन्द होगी। साथ ही माँस इनकी और आदमी की भोजन प्राप्त करने में जो स्पर्धा है वह खत्म हो जायेगी। ताज्जुब नहीं ५०-१०० वर्षों में ये पशु प्रजायत घर के प्राणी बन जायें।

इस दिशा में दूसरा कदम होगा वायुमंडल में पायी जानेवाली कार्बन-डाइ ऑक्साइड से सीधे सीधे कर्बोडजाय पदार्थ अर्थात् घाटा, शक्कर आदि बनाना। प्रकृति में पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल की कार्बन-डाइ ऑक्साइड को ग्रहण कर कर्बोडज में परिवर्तित करते हैं। छोटे रूप में यह क्रिया विज्ञानशाला में सफलतापूर्वक की जा चुकी है। इसका व्यवसायी और व्यवहारी रूप मालूम करना है। जिस दिन यह सब हो जायगा आदमी को अपने भोजन के लिए केवल जमीन पर ही निर्भर न रहना पड़ेगा। समुद्र और वायुमंडल भी सहायक होंगे। उसकी विज्ञानशाला, और उसके कारखाने उसकी गोशाला, उसके एकरट्ट और मुर्गीघर का स्थान ले लेंगे। तब शाकाहारी लोग भी हिंसा बिना, जीव हत्या किये बिना ही (वर्तमान के) पशुजनित खाद्यों का स्वाद ले सकेंगे। मांस पशु के घुट्टे से नहीं मशीन के पट्टे से प्राप्त होगा। वह स्वस्थ और सुखद दिन दूर नहीं है जब मनुष्य अपने भोजन के लिए जीवहत्या करना आवश्यक ही नहीं सम्यवहारी मानेगा।

जनियर हाईस्कूलो में कृषि-कार्य अनुभव की अल्पकालीन योजना

उन जनियर हाईस्कूलो में कृषि कार्य अनुभव की अल्पकालीन योजना को शीघ्र लागू कर देना चाहिए जहाँ कृषि क्राफ्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है और कृषि योग्य भूमि भी उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यों को करना है—

१ वषाकाल में ही वष की पूरी योजना कागज पर इस प्रकार बना ली जाय जिससे वष में अधिक में अधिक उत्पादन के साथ सभी कृषि के छात्रों को कार्य अनुभव का भी यथोचित मौका मिले। योजना में फाम की सुरक्षा कम्पोस्ट-तयारी सिचाई तथा उत्तम बीजों के प्रयोग के साथ साथ बालको से रबी की बुवाई तथा फसलों की कटाई के समय में स्थानीय निकटवर्ती क्षेत्रों में कृषि-कार्यों में कार्य अनुभव की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

२ फाम की सुरक्षा के लिए शीघ्र उगनेवाले पौधों तथा झाड़ियों को वर्षा अन्त से पूर्व ही लगा देना चाहिए इसके लिए करौंधा नागफनी सरपत जगल जलेबी तथा नील कांटे में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि छात्रों की सहाय्य अधिक है तो ये बड़े खाइयाँ खनकर ही लगानी चाहिए।

३ फाम का विनास यदि प्राकृतिक नहीं है तो उसको आवृत्त बनाने के लिए मागों तथा पगड़ियों की व्यवस्था भी शीघ्र बाध्य है।

४ उत्पादन की योजना इस प्रकार बनायी जाय कि फाम का लगभग १/३ भाग व्यक्तिगत वयारियों में १/३ सामूहिक वयारियों में तथा १/३ भाग कक्षाओं में वितरित हो। योजना की एक प्रति प्रत्येक कक्षा में लगी रहनी चाहिए।

५ खरीफ की फसलों में अधिक बल साब्जियों पर देना चाहिए जिससे बालकों को सज्जियाँ उगाने का व्यावहारिक ज्ञान हो। इसमें टमाटर, बगन बौडा मिच मूली तोरई लौकी सेम तथा भिंडी की सज्जियाँ उगायी जा सकती हैं। रबी की फसलों में गेहूँ और चना की खेती सिचाई की सुविधा अनुसार की जाय तथा सज्जियों की खेती पर भी बल दिया जाय। रबी की फसलों में पालक मूली गाजर, फूलगोभी पातगोभी तथा शलजम की तरकारियाँ बोयी जाय।

६ जायद में मूग न० १ सकर मक्का प्याज, लौकी तथा बौडा की खेती पर विशेष रूप से बल दिया जाय यदि निकटवर्ती क्षेत्रों में चना की खेती हो

रही हो तो कृषि फाम में चना की खेती भी की जानी चाहिए । इससे बैलें को हरा चारा भी मिल जाता है और फाम को आय में कुछ वृद्धि भी होती है ।

७ तरकारियों का उत्पादन व्यक्तिगत बगारियों में तथा खाद्यानों का सामूहिक बगारियों में करना चाहिए ।

८ फाम फसलों की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक कार्यों की ओर विशेष ध्यान देना होगा जिससे बालक अपने अनुभवों से आगे के जीवन में लाभान्वित हो सकें । इसके लिए डी० डी० टी० अग्रोलन जी० एन० गीमेवसीन बी० एच० सी० तथा एडीन कीट तथा रोग नाशी औषधियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार अवश्य किया जाय ।

यदि इनमें से कुछ कीट-नाशी औषधियों का प्रयोग फाम पर सम्भव न हो सके तो स्थानीय क्षेत्रों में उनके प्रयोग के समय बालकों को अवश्य दिखाया जाय ।

९ हरे तथा पौष्टिक चारा में मक्का, बरसीम तथा जाइंट नेचियर घासों को फाम में बोकर पशुओं को खिलाया जाय जिससे बालक तथा स्थानीय लोग उन प्रयोगों से लाभान्वित हो सकें ।

१० हल चलाने का अनुभव कक्षा ७ तथा ८ के बालकों को भली प्रकार हो । इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटनेवाले हलो तथा अन्य उपयोगी कृषि यंत्रों का प्रयोग भी फाम पर किया जाना चाहिए जिससे बालक तथा समुदाय के लोग लाभान्वित हो सकें । अन्य कृषि यंत्रों में सिंह पटेला, बल्टीवेटर तथा हैण्ड हो का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए ।

११ बालकों से उबरकों का सही प्रयोग कराया जाय । उन्हें उबरकों के कूण्ड तथा खड़ी फसलों में प्रयोग की विधियों का सही ज्ञान हो तथा वे उनके प्रभावों से भी अवगत होने चाहिए ।

१२ वर्षीय प्रवर्धन द्वारा नये पौध तैयार करने की विधियों का बालकों को व्यावहारिक सही ज्ञान देना चाहिए । वे स्वयं उन विधियों से नये पौधे तैयार करें जिससे उनकी कमियों का उन्हें सही अनुमान हो सके । इसके लिए यदि विद्यालय में सुविधा न हो तो पास पड़ोस के बगीचों में ले जाकर प्रयोग कराने चाहिए । इसके लिए प्रयत्न हो कि बीजू पौधे अपने स्वयं के ही ले जाये जायें । कमल लगाने, दावरुलमा तथा चश्मा बन्दी के प्रयोग विद्यालय में ही किये जा सकते हैं ।

१३ विद्यालय-फाम में एक छोटी नसरी अवश्य हो जिसमें स्थानीय सभी

प्रकार के पौध लगाये जाय । यह काय केवल थोड़े से उसाह मे बडा सफल हो सकता है ।

१४ पाठशाला के सामने की ब्यारियो मे ऋतु अनुसार मौसमी पौध लगाकर प्राण को आकर्षक बनाना चाहिए । भवन के भीतर तथा बाहर कुछ ऐसी वृषि उपयोगी कहावतें भी लिखी हों जिसने जानेवाले लोग आकृष्ट हो सकें ।

१५ फाम के माग मे कुछ ऐसा स्थान रखा जाना चाहिए जिसमें अच्छे बीजो का प्रदर्शन किया जाय । इसमे बालको का ज्ञान वर्धन होता है तथा वह बाहरी लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनता है ।

१६ विद्यालय मे कुछ ऐसा स्थान भी हो जहाँ कृषि सम्बन्धी छोटी सी प्रयोगी का आयोजन किया जा सके । इसमे बालको द्वारा एकत्र विगेष वस्तुओं को भी स्थान देना चाहिए तथा उसे चाट माडलो तथा वृषि सम्बन्धी कहावतों से आकर्षक बनाना चाहिए ।

जूनियर हाई स्कूलो मे कृषि काय अनुभव सम्बन्धी दीर्घ कालीन योजना

१ कृषि फाम का अभियास आकर्षक बनाया जाय । इसके लिए आवश्यक कतानुसार एक वष से अधिक का भी समय लिया जा सकता है ।

२ सिंचाई की व्यवस्था के लिए यदि पास पडोस मे नहर अथवा मलकूप हो तो फाम तक कच्ची नाली बनायी जाय ।

३ फाम के उन भागा मे फलदार वृक्ष जैसे आमरुद पपीता केला नीबू तथा आम के वृक्ष लगाये जाय जहाँ कृषि काय सम्भव नहीं है ।

४ २ हेक्टर अथवा इससे अधिक भूमि पर बल पशुशाला कृषि रक्षक उसके आवास की व्यवस्था तथा अध्यापक के रहने की व्यवस्था भी की जाय ।

५ पाठशाला मे एक गोशाला का होना नितात्त आवश्यक है ।

६ सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने पर कुओं को बनाकर उस पर रहट की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

—राज्य शिक्षा-संस्थान से सामार

वक्तव्य

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा आयोजित यह सर्वदलीय सम्मेलन राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति द्वारा १५ अक्टूबर, १९६९ को पारित वक्तव्य को ध्यान में रखने हुए निम्न वक्तव्य पारित करता है :

संयुक्त प्रचार अभियान

साम्प्रदायिक झगडों और विघटनकारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए अत्यन्त प्रभावशाली उपाय यह है कि सभी राजनैतिक दल साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता के लिए आपस में मिलकर एक जन-प्रचार अभियान चलायें। इस संयुक्त जन-प्रचार अभियान का एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि वह अनुसूचित जातियों और खासतौर पर प्रामीण इलाकों में रहनेवाले पिछड़े वर्गों के प्रति होनेवाले अन्याय और हिंसा के विरोध में जनमत तैयार करे।

धर्मनिरपेक्ष राज्य

हमारे विधान में नागरिकता को धर्मनिरपेक्ष माना गया है। अपने धर्म का अनुकरण करने के लिए प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। इसी प्रकार, नागरिक के बुनियादी अधिकार और उनसे सम्बद्ध कर्तव्यों को भी समान रूप से धर्मनिरपेक्ष माना गया है और वे समस्त नागरिकों पर समान रूप से लागू भी होते हैं। यद्यपि धर्म जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, फिर भी उसे विधान में परिकल्पित आधुनिक समाज और धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण में बाधा के रूप में नहीं माना चाहिए।

अल्पसंख्यक वर्ग

यह सम्मेलन किसी अल्प समुदाय की निन्दा करने के इस विचार ने सख्त खिलाफ है कि वह समुदाय देशद्रोही है या किसी विदेशी शक्ति की एजेंसी है। इसी प्रकार, हम इस विचार के प्रचार की भी निन्दा करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भारतीयकरण होना चाहिए भ्रमवादी ऐसा न होने पर उसे देश छोड़ने पर बाध्य किया जायेगा। कभी-कभी लोग साम्प्रदायिक पागलपन के दौर में ऐसी गैरजिम्मेदार बातें करते हैं और कहते हैं हिन्दू-मुस्लिम समस्या का समाधान पाकिस्तान के साथ जनसंख्या के आदान-

प्रदान में है। ऐसे सत्तरनाक विचारों का मुकाबला किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की भावना के विरुद्ध है, बल्कि हमारे देश की एकाग्रता और सुरक्षा के लिए भी सत्तरनाक है। एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र में सभी अल्पसंख्यक समुदायों को चाहे वे किसी भी धर्म, जाति अथवा जनजाति पर आधारित हों उनके न्यायोचित हितों की रक्षा और उससे भी ज्यादा उनके जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की सुरक्षा का विश्वास दिलाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान तो स्वयं ही अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और शिक्षात्मक अधिकारों की सुरक्षा की उचित गारन्टी प्रदान करता है। इस गारन्टी को सचाइ में बढाने के लिए देशवासियों पर और खास तौर पर बहुसंख्यक वर्ग पर विशेष जिम्मेदारी है।

दोषों की सजा

कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह कोई समाजविरोधी कार्य अथवा अपराध करता है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन व्यक्तियों का धर्म अथवा जाति देखते हैं और उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किये गये कार्यों का दोषारोपण उनके सम्प्रदाय या जाति पर करते हैं। ऐसे विचारों के विरोध में जनमत तैयार किया जाना चाहिए। हालांकि यह कतब्य सरकार का है कि वह उक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के खिलाफ तुरन्त और प्रभावशाली कारवाई करे, लेकिन किसी भी हानि में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्प्रदाय या जाति पर सारा दायर हानि नहीं मढ़ा जाना चाहिए।

हम इतिहास को—चाहे वह प्राचीन हो या वर्तमान और चाहे वह अक्षरों और भाषणों के जरिये ही क्यों न प्रस्तुत किया जाता है—प्रस्तुत करने के ऐसे रूप का विरोध करते हैं, जिससे साम्प्रदायिक भावनाओं के भड़क उठने का अन्देगा हो।

यह सम्मेलन बड़ी भाशा और विश्वास प्रकट करता है कि समाचारपत्र घटनाओं का विवरण देते समय उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखेंगे।

अफवाहें

अक्सर यह देखा गया है कि साम्प्रदायिक दंगों के शुरू होने से पहले या उनके माघ-साथ उत्तेजक साहित्य, इशतहार और वे बुनियाद की अफवाहें बड़ा जोर पकड़ लेती हैं। सरकार का यह कतब्य हो जाता है कि ऐसे इशतहार तथा अफवाहों के उद्गमस्थल का पता लगाय और उनके लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को दण्डित करे। जन नेताओं का भी यह कतब्य हो जाता है कि वे

ऐसे प्रचार का शीघ्रता से खण्डन करें, ताकि जनता ऐसी शरारतों का शिकार होने से बच सके ।

अल्पसंख्यक समुदायों में साम्प्रदायिक भावनाओं एवं विपटनकारी विचारों को उकसानेवाले साम्प्रदायिक तत्त्वों के प्रचारों का भी बड़ी पूरी ताकत से मुकाबला किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तत्त्व न केवल धर्म-निरपेक्षता और बेशर्की एकता के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं । इस संदर्भ में, अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अपनी विशेष जिम्मेदारी को समझना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ मिलकर ऐसी खतरनाक प्रवृत्ति का मुकाबला करना चाहिए ।

यह सरकार का कर्तव्य है कि साम्प्रदायिक घृणा एवं विद्वेष फैलानेवाले व्यक्ति के खिलाफ चाहे वह उसे भाषणों द्वारा अथवा अलंकारों द्वारा फैलाता हो—तुरन्त कदम उठाये, भले ही उस व्यक्ति की सामाजिक ऐसियत कितनी ही बड़ी क्यों न हो ।

प्रशासन को चाहिए कि वह शीघ्रता और सख्ती से साम्प्रदायिक गडबड तथा उत्तेजना को—जो ज्यादातर साम्प्रदायिक दलों से पहले शुरू हो जाती है—दबा दे । यह सब तक नहीं हो सकता जब तक कि सरकार का गुप्तचर विभाग राष्ट्रीय और राज्य—दोनों स्तरों पर, पूरी निपुणता से कार्य न करे और गडबड फैलानेवालों की योजनाओं का पूर्वअनुमान लगाकर समय से पहले ही रोक थाम के कदम उठाने में सरकार की मदद न करे ।

हिंसा

सरकार को चाहिए कि वह साम्प्रदायिक हिंसा को दबाने के लिए शीघ्रता से पूरी ताकत का प्रयोग करे । इसके अलावा उसका यह भी कर्तव्य है कि साम्प्रदायिक दलों के दौरान भागजनी, लूट और हत्या की वारदातों में हिंसा लेनेवालों को सजा दे कि वे भविष्य में ऐसे काम न करें । सम्मेलन को पूर्ण विश्वास है कि यह सोचना कि मुकदमों के चापित लेने से साम्प्रदायिक समन्वय स्थापित करने में आसानी हो सकती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपराधियों पर मुकदमा चलाने से साम्प्रदायिक समन्वय स्थापित करने में किसी प्रकार की अडचन नहीं आती ।

जनता का और विशेष रूप से सभी राजनैतिक पार्टियों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वे साम्प्रदायिक दलों को दबाने में और इन दलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायोचित दण्ड देने में सरकार की पूरी-पूरी मदद करें । •

शक्तियों का सम्पूर्ण विकास । व्यक्ति सर्वोदय तक कब पहुँचेगा ? जब उसका शरीर आरोग्यवान, बलवान और तेजस्वी बनेगा जब उसका हृदय शुद्ध होगा, प्रेम से और सत्यम शिवम गुणरम से सम्पन्न होगा, उसकी बुद्धि स्थिर, निर्मल और गुणग्रहणशील होगी और उसकी आत्मिक शक्ति का फैलाव इतना अधिक होगा कि सम्पूर्ण दुनिया उसमें समाविष्ट हो जायेगी । सर्वोदय की प्राप्ति यानी मानव जीवन की मकलता इस पृथ्वी पर के उसके अस्तित्व के उद्देश्य का ज्ञान । इसमें तथा मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में, जिसे मुक्ति, निर्वाण, आत्मज्ञान ईश्वर का राज या साधु का राज कहते हैं, कोई फरक नहीं है । मानव अस्तित्व के इस उच्चतम हेतु की ओर बड़े बिना कोई भी व्यक्ति शक्ति के माग भ असरकारक साधन नहीं बन सकता ।

समाज के प्रत्येक सदस्य के परिपूर्ण विकास की सभावना सर्वोदय सूचित करता है । दूसरे शब्दों में, सर्वोदय प्रत्येक मानव के जीवन की पूरा सफलता-प्राप्ति का दावा करता है । इसलिए राष्ट्रीयत्व के रंग-जाति के भेद को या स्त्री पुरुष भेद को सर्वोदय समाज-व्यवस्था में स्थान नहीं रहेगा । सर्वोदय समाज व्यवस्था में व्यक्ति को या समूह को हिंसक दबाव का, शोषण या कर्ज में फँसे रहने का भय रखने का कारण ही नहीं रहेगा । जिस तरह शरीर का हर अवयव शरीर की भलाई के लिए सक्रिय रहता है वैसे ही समाज का हर घटक समाज के कल्याण के लिए सक्रिय रहेगा । शरीर के एकाध भाग को पूरा पीपण न मिले या एकाध भाग बिगड़ जाये, तो भी पूरा शरीर बीमार हो जाता है, वैसे ही समाज का एकाध सदस्य भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरातया प्राप्त न कर सके या समाज के काम में पूर्णतया सक्षम न हो तो समाज-व्यवस्था गड़बड़ायेगी । समाज का सतुलन कायम रखने के लिए परस्पर सहयोग अत्यन्त आवश्यक है ।

व्यक्ति को या समूह को सर्वोदय के आदर्श तक पहुँचाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह साधन को विकसित किया । सत्याग्रह की मानी क्या ? जिनके साथ किसी प्रकार का समन्वय हो नहीं सकता ऐसे बुनियादी उग्रता के-सत्य और प्रेम के-घाघार पर जिये हुए रणनात्मक प्रयत्न यानी सत्याग्रह । विनोबाजी कहते हैं कि सच्चे 'सत्याग्रही' बनने के लिए प्रथम सत्यसाही बनना होगा । सत्याग्रह पर अनेक प्रकार से चिन्तन कर गांधीजी और विनोबाजी ने उसके कई उपसिद्धांत हमारे सामने पेश किए हैं ।

(१) मनुष्य के हर प्रयत्न की घाघारशिला होनी चाहिए सत्य, प्रेम, करुणा । (२) साध्य-साधन की शुद्धता । मतलब, साध्य-साधन का आधार

सत्य प्रेम-महिम्ना हो । (३) भौतिक विज्ञान के तथा जीवन शास्त्र के क्षेत्र की हर शोध का बारीकी से अध्ययन हो तथा उसका विनियोग पूरे समाज की उन्नति के लिए ही हो । दूसरे शब्दों में विज्ञान के और धर्म के अनुशासन में विभाजित सब प्रकार के उपलब्ध ज्ञान का उपयोग व्यक्ति की तथा समाज की समस्याएँ हल करने के लिए ही हो । (४) अपने जीवन की सफलता के लिए रास्ता खोजने, तथा उस पर अमल करने का व्यक्ति को पूर्ण स्वातन्त्र्य हो चल्कि समाज का समर्थन ही इस प्रकार का हो कि उसमें हर व्यक्ति की गभित शक्ति को विकसित होने के लिए पूर्ण मौका मिले । इस विचार को प्रकट करने के लिए विनावाजी ने एक सुन्दर शब्द का प्रयोग किया है—जनशक्ति । दडशक्ति की यानी सेवा और पुलिस की संगठित हिंसक शक्ति की जगह जनशक्ति यानी लोगो की शक्ति काम में लगानी होगी । मनुष्य की शुद्ध शक्तियों को जागृत करने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण अत्यन्त आवश्यक है । गांधीजी का कहना था कि स्टेट में फिर वह किसी भी प्रकार का हो सत्ता की वृद्धि का भय है क्योंकि यद्यपि 'स्टेट' सोयक को कुछ हद तक खत्म करता है व्यक्ति के व्यक्तित्व की, जो सारे समाज की प्रगति का मूलधार है, हानि करता है । ५) विज्ञान और तकनीकी ने दुनिया को आज एक बनाया है, इसलिए हर समस्या की ओर हम जागतिक दृष्टिकोण से देखना होगा । सर्वोच्च समाज व्यवस्था में सङ्घित राष्ट्रवाद को स्थान नहीं रहेगा । (६) सर्वोदय के आदर्श पर पूर्ण और अटल श्रद्धा हो तथा तात्कालिक परिणामों को महत्त्व न देते हुए सत्याग्रह का साधन से उस आदर्श तक पहुँचने के लिए जीवन समर्पित हो ।

सर्वोदय-सत्याग्रह तत्त्वज्ञान अमर परिपूर्ण और गुणानुकूल हो तो आज मानव को पीड़ा देनेवाली वैयक्तिक कौटुंबिक, सामाजिक राष्ट्रीय अंतर-राष्ट्रीय आदि अनेकविध समस्याओं का हल उनके द्वारा मिलना । मेरी इस पर पूर्ण निष्ठा है कि सर्वोदय द्वारा हमारी समस्याओं का हल निश्चित मिल सकता है लेकिन उनके लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी—हमारे बुनियादी उमूलों पर अमल करने से लेकर तो किसी प्रश्न निर्णय के अन्तिम हल तक की पूरी प्रक्रिया में प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी । महात्मा गांधी ने तो अपने जीवन के द्वारा बता ही दिया है कि सत्य प्रेम महिम्ना के द्वारा किसी भी कठिन प्रश्न का हल मिल सकता है । वे यह भी जानते थे कि किसी भी समस्या का कोई निश्चित विशिष्ट उपचार मुझाया नहीं जा सकता क्योंकि उस उपचार पर स्थल काल, वातावरण तथा सदस्यों का परिणाम होता रहता है । हम धातु की ही मिसाल लें । वे जानते थे कि धातु और धातुओं का मिश्रण उष्णता के

द्वारा पिघलाया जा सकता है, उन्हें यह भी मालूम था कि धातु या मिश्रण का पिघलना, धातु या मिश्रण की किस्म, उस पर दबाव उष्णता का प्रमाण, आसपास का वातावरण आदि अनेक पहलुओं पर निर्भर रहता है ।

आज के औद्योगिक समाज की बहुत सारी बुराइयों के मुख्य कारण हैं स्ट्रेट या चद लोगों के हाथों में सत्ता और संपत्ति का संग्रह, औद्योगिक प्रवृत्तियों में उद्योगों से प्रत्यक्ष जुड़े हुए बहुसंख्यक लोगों की असली भागीदारी का अभाव और औद्योगिक वातावरण में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अवकाश का अभाव । इन तीनों भयों में से पहले के निराकरण के लिए ट्रस्टीशिप (खातीदारी) का विचार महात्मा गांधी ने हमारे सामने रखा । अगर उद्योगों का संचालन स्ट्रेट के द्वारा होता हो, तो स्ट्रेट या उद्योगपति ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का स्वीकार करता है और देखा है कि संपत्ति की वृद्धि सबके कल्याण के लिए—सर्वोदय के लिए ही हो रही है, न कि श्रीमानों को अधिक श्रीमान बनने के लिए तो गरीबों का अमीरों ने प्रति द्वेष और कटुता बहुत सारी कम हो जायेगी । यह ठीक है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का स्वीकार उद्योगपतियों के द्वारा होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट भी उसका स्वीकार, प्रचार कर सकती है, उसको अपनी पानूनी मान्यता भी दे सकती है ।

औद्योगिक जटिलता का दूसरा दोष है उद्योग में भाग लेनेवालों में—खास कर श्रमिकों में सहकारी भावना का अभाव । गांधी विचार के अनुसार कम्पनियों का सहकारी संस्थाओं में या संयुक्त मंडलों में परिवर्तन ही इसका हल है । इंग्लैंड की एक फर्म ने इसका बहुत ही सुन्दर उदाहरण पेश किया है । उस मंडल का नाम है 'बैंडर कॉमनवेल्थ' । ऐसे मंडल के सभी सेवक फॅक्टरी के मालिक होंगे, उनके व्यापक कामों में भाग लेंगे और मुनाफा वा हिस्सा प्राप्त करेंगे । दस साल पहले, बैंडर कॉमनवेल्थ ने अपनी फॅक्टरी सेवकों के स्वाधीन की, उसके बाद उसका विकास द्रुत गति से हुआ, मुनाफा भी अधिक आया और अन्तर पैदा होनेवाली श्रमिकों की समस्याएँ भी यो ही टल गयी । ऐसे मंडलों में सेवकों को सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा । उसके लिए परस्पर परिचय और सहकार की तथा एकरूपता की भावना पैदा होना आवश्यक है । बहुत बड़े पैमाने पर चलनेवाले उद्योग-घट्टों में यह संभव नहीं होगा । इसलिए फॅक्टरी का आकार और पैमाना एक विद्विष्ट मर्यादा तक सीमित रखना होगा ।

अगर फॅक्टरी का पैमाना मर्यादित रहता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर उमका दबाव नहीं पड़ता है, तो सेवक के व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ मौका

मिलेगा और औद्योगिक संस्कृति का वह दोष कुछ हद तक तो टलेगा । लेकिन सेवक के सर्वांगीण विकास के लिए और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी । सेवकों के काम में विविधता लानी होगी, यांत्रिक कामों के टुकड़े करने होंगे, और केवल उनके भ्रम-परिहार के लिए ही नहीं, उनकी भावनारमक, बौद्धिक, आत्मिक शक्तियों के विकास के लिए साधन उपलब्ध कर देने होंगे ।

गांधी-विचारों के सिद्धान्तों का औद्योगिक समाज में घमेल का मतलब है औद्योगिकीकरण के बुनियादी दृष्टिकोण में भ्रान्ति । सर्वोदय, सरयाग्रह के तत्त्व पर आधारित शिक्षा व्यापक पैमाने पर दी जाये तो इसमें सफलता प्राप्त होगी । इसके लिए 'इंटरमिडिएट टेक्नॉलॉजी' के क्षेत्र में संशोधन के लिए प्रोत्साहन तथा मदद देनी चाहिए । मतलब, छोटे छोटे केन्द्रों द्वारा, घादसं पैमाने पर चलनेवाले व्यवसायों में, जहाँ सौ से अधिक लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे घघों में, नयी-नयी खोजें होनी चाहिए । ऐसे घघों की मदद भी मिलनी चाहिए ।

सर्वोदय-भ्रान्ति तो जीवन के सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए, सचिन जैसे कि प्राचार्य विनोबा भावे ने कहा है, वैज्ञानिक और यंत्रशास्त्र इस भ्रान्ति का सेनामुख बनें ।●

भी मार्ग दिखाई पड़ने लगता है जिनका ध्यान इस घोर पहले कभी प्राक्-पित नहीं हुआ था। आचार्यकुल का आधारभूत उद्देश्य प्रत्येक अध्यापक के मन में अपने हृदयमयन की प्रगाढ़ इच्छा पैदा करना है उस हृदय मयन की, जिमके द्वारा प्राप्त होते हुए भी न देख सकनेवाला देखने लगता है जान होने हुए भी न मुन सकनेवाला हल्की सी आवाज भी सुनने लगता है और उसको यह पता चल जाना है कि कैसे मैं अपनी कार्यशैली को बलशाली बनाऊँ एवं देश को प्रशस्त मार्ग पर कार्यरत कैसे किया जा सके।

मुझे पूरा विश्वास है कि आचार्यकुल के द्वारा शिक्षा में याति आयेगी और यह हमारा प्राचीन भारत आधुनिक समस्याओं के निराकरण करने में सफल होगा।

ईश्वर आप सबकी मदद करे—यही मेरी प्रार्थना है।

ह० शीतल प्रसाद

कुलपति आगरा विश्वविद्यालय'

तत्पश्चात् उत्तरप्रदेश आचार्यकुल समिति के सदस्य श्री रामबचन सिंह जी ने उत्तरप्रदेश में आचार्यकुल आयोजन की प्रगति का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए इन जिलों में भी इस योजना के सक्रिय रूप में कायशील होने की आशा व्यक्त की।

इसके बाद अध्यक्ष डा० भगवती प्रसाद सिंह ने अपना अध्यक्षीय भाषण किया। इस भाषण में उन्होंने थावस्ती के ऐतिहासिक महत्त्व की पृष्ठभूमि में इस आयोजन की आवश्यकता के महत्त्व पर बल दिया। उन्होंने आचार्य शास्त्र की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए प्राचीन काल के आचार्यों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया और वर्तमान युग में शिक्षकों की दयनीयता पर प्रकाश डालते हुए उनकी स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता बतलायी। तत्पश्चात् आचार्यकुल में दोठन का परिचय और उसकी सक्षिप्त व्याख्या एवं विवेचन प्रस्तुत करने हुए इस सम्मेलन की सफलता की कामना की।

इस गोष्ठी की दूसरी बैठक में प्रसिद्ध सर्वोदयी चिन्तक श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने गोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया।

तृतीय बैठक

सम्मेलन की तृतीय बैठक १६ जनवरी, '७१ को प्रातःकाल साडे नौ बजे प्रारम्भ हुई। इस बैठक की अध्यक्षता महारानी बालकुवरी बलरामपुर (गोंडा)

• श्री धीरेन्द्र मजूमदार का उद्घाटन भाषण पृष्ठ ३२२ पर दिया गया है।

के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० भोलानाथ ने की। इस बैठक में सबसे पहले राष्ट्रीय आचार्यकुल समिति के संयोजक श्री वशीधर श्रीवास्तव, जो अपनी प्रकृष्टमात अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो सके थे, का वह पत्र पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने गोष्ठी के विचारार्थ निम्नांकित मुद्दे भेजे थे

१ सगठन और प्रवृत्ति

(क) आचार्यकुल सगठन के विषय में एक बात धिलकुल साफ है कि आचार्यकुल स्वायत्त संस्था है और सब सेवा सभ अथवा किसी भी दूसरी संस्था के साथ वह चाहे जैसा सम्बन्ध रखे। सगठन न जटिल हो न जड़, और उसमें भाईचारा और कौटुम्बिकता अधिक से अधिक रहे। परन्तु आचार्यकुल की प्रवृत्ति सब के उदय के लिए प्रयास हो। इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। सब के उदय के लिए यथाशक्ति प्रयास करना, लोकशक्ति का निमाण करना और लोकनीति का निर्देशन करना आचार्यकुल की प्रमुख प्रवृत्ति है और आचार्यकुल आंदोलन का अभिन्न अंग है। चाहे सगठन जैसा भी रहिए परन्तु सब के उदय की प्रवृत्ति को छोड़कर आचार्यकुल केवल एक पवित्र बिरादरी (पायस अदरहुड) रह जायगा। अतः सगोष्ठी में यह तय किया जाय कि सब के उदय के लिए आचार्यकुल कितने कितने प्रवृत्तियों को चलायेगा।

(ख) आचार्यकुल की सदस्यता की वृद्धि के लिए सगठित प्रयास होना चाहिए। कैंसे यह काम प्रभावपूर्ण ढंग से किया जायगा और इसके लिए क्या कदम उठाये जायें यह सगोष्ठी को सोचना चाहिए।

२ आचार्यकुल की शिक्षा नीति

आचार्यकुल की शिक्षा-नीति क्या हो इसके लिए एक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन ने एक समिति नियुक्त की है। नवी तालीम के सम्मेलन अथवा आचार्य राममूर्तिजी और रोहितजी के जो लेख दिये गये हैं सगोष्ठी उनका अध्ययन करके हम सम्बन्ध में अपने सुझाव दे, जिससे घोषणा पत्र बनाने में सहायता मिले। सगोष्ठी इस सम्बन्ध में नीचे लिखे तीन मुद्दों पर विचार करे

(क) शिक्षा को वासन मुक्त और मनीजर मुक्त कर उसे शिक्षक अभिभावक और छात्र का सम्मिलित उत्तरदायित्व बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायें ?

(ख) शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की पर्याप्त शक्ति (आपनेमिक्त) कैंसे बनेगी ?

(ग) शिक्षा से अशोषक उत्पादक व्यक्तित्व का विकास हो इसके लिए आज क्या शिक्षा में क्या परिवर्तन करने होंगे ?

३ प्राचार्यकुल का दूसरे शिक्षक संगठनों से सम्बन्ध

अपने प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ है माध्यमिक शिक्षक संघ हैं। इन दोनों से प्राचार्यकुल का क्या सम्बन्ध रहे ? इस बात पर विस्तृत चर्चा की जाय। कोई समाधान प्रस्तुत किया जाय।

४—लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में प्राचार्यकुल का क्या रोल रहेगा ? इस सम्बन्ध में गोष्ठी अपना अभिमत व्यक्त करे।

इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर इस गोष्ठी में विचार विनिमय किया गया, जिसका निष्कर्ष आगे दिया है। इस बैठक में निम्नलिखित सज्जन उपस्थित थे -

१ डा० जयनारायण लाल—सम्मेलन के सयोजक

२ डा० भोलानाथ 'भ्रमर'—इस बैठक के अध्यक्ष

३ श्री ईश्वर शरण आस्थाना—अध्यक्ष, प्रशिक्षण विभाग किसान महा-विद्यालय, बहराइच

४ ,, नन्द किशोर सिंह—प्राचार्य भगवती आदर्श विद्यालय, भगवतीगंज, बलरामपुर

५ ,, राधवदास पाण्डेय—प्राचार्य बुद्ध हायर सेकेण्ड्री स्कूल, धावस्ती

६ ,, हरिदासकरलाल विद्यार्थी—प्राचार्य शिक्षा विभाग किसान महा-विद्यालय, बहराइच

विचार विमर्श में लगभग १४ अन्य अध्यापकों ने भाग लिया। विचार-विमर्श में श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने भी अनेक उपयोगी सुझाव दिये।

इन आयोजनों का सयोजन बड़ी लगन के साथ डा० जयनारायण लाल ने और इन आयोजनों का सम्पूर्ण व्यय ठाकुर नवरंग सिंह ने बड़ी उदारता के साथ सभाला।

श्री धीरेन्द्र मजूमदार के आशीर्वाद के साथ इस सम्मेलन की यह तीसरी और अन्तिम बैठक समाप्त हुई।

संगठन के सम्बन्ध में गोष्ठी में निम्नोक्ति निर्णय लिये गये —

१—सरकारी तथा अर्द्धसरकारी प्राथमिक विद्यालय, प्राइवेट मान्टेसरी स्कूल, तथा जूनियर हाईस्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूल तथा डिग्री कालेज स्तर पर प्रत्येक संस्था को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता दी जाय, यदि उसमें कम-से-कम ५ अध्यापक या अध्यापिका, प्राचार्यकुल के सदस्य बन जायें।

२—प्रत्येक यूनिट के लिए इकाई का गठन करने के लिए जिला सयोजक या अध्यक्ष एक सयोजक की नियुक्ति करेगा ।

३—प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष तथा मंत्री मिलकर जिले की साधारण सभा का निमाण करेंगे जो अपने अध्यक्ष मंत्री तथा अन्य अधिकारियों का नियमा नुसार चुनाव करेगी ।

४—प्रत्येक जिले की इकाई के अध्यक्ष तथा मंत्री प्रांतीय संगठन की साधारण सभा का निमाण करे जो प्रांतीय स्तर के कार्यकारिणी का गठन करे ।

५—जब तक यूनिट का नियमित रूप से संगठन नहीं हो पाता प्राचार्य-कुल की इकाईयों के संगठन में जो कुछ भी व्यय होगा उसे प्रांतीय प्राचार्यकुल वहन करेगा ।

६—प्रत्येक सयोजक को यह अधिकार होगा कि जब तक नियमित कार्य-कारिणी का गठन नहीं हो जाता तब तक वह एक तदर्थ कार्य समिति बना सकता है ।

७—उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इकाईयों, नियमों उपनियमों में आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकती है ।

प्राचार्यकुल का कार्य

१—प्राचार्यकुल के सदस्यों को स्थानीय विशालयो में अगाति उत्पन्न होने की अवस्था में अगाति के कारणों को समझने और सद्भावपूर्ण ढंग से उनका समाधान निकालने के लिए संगठित रूप से यथासम्भव प्रयास करना चाहिए ।

२—प्राचार्यकुल अपने उद्देश्य के अनुकूल साहित्य के संग्रह की व्यवस्था और प्रति सप्ताह उसके साप्ताहिक अध्ययन का आयोजन करे । इस साहित्य में 'तर्क मन भ्रान्त मन 'गाय की आवाज' सर्वोदय, नयी तालीम तथा विनोबा एवं गांधीजी के साहित्य आदि आते हैं । इसके लिए सब सेवा सब और नव जीवन से प्रकाशित सूची मंगवायी जाय । समय-समय पर वरिष्ठ प्राचार्यों के व्याख्यान आदि की व्यवस्था की जाय ।

३—प्राचार्यकुल के सदस्य महीने में एक बार किसी तात्कालिक समस्या पर या प्राचार्यकुल की विचार धारा पर लोकशिक्षण के लिए बाहर निकलें । विशेष पथों और व्योहारों और दूसरे अवसरों पर प्राचार्यकुल के सदस्य प्राचार्य-कुल के उद्देश्यों से सम्बन्ध रखनेवाले आयोजनों की व्यवस्था करें जैसे—काव्य गोष्ठी नाटक, निबंध, कीर्तन आदि ।

४—सदस्यता-वृद्धि :

इसके लिए एक छात्र हृषा पत्रों उनके प्रधानाचार्यों के पास पहले भेज दिया जाय, फिर उनके यहाँ पहुँचकर उन्हें सदस्य बनाया जाय ।

छात्रों की प्रतिभाओं के संगठन :

१—छात्रों का एक संगठन बनाने का आयोजन किया जाय जिसका स्वरूप हमारे प्रादशों के अनुरूप हो ।

२—इसी प्रकार का एक संगठन प्रतिभाओं का भी हो ।

३—एक संगठन ऐसा हो जिसमें छात्र प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि और प्रतिभाओं की प्रतिनिधि भी हो जिसकी व्यवस्थित रूप से बैठकें हों और समस्याओं पर विचार-विनिमय हो ।

४—(क) इन सभी शिक्षक संगठनों से प्राचार्यकुल का सम्बन्ध हो ।

(ख) उन संगठनों के सदस्य प्राचार्यकुल के और प्राचार्यकुल के सदस्य उनके भी सदस्य बन सकते हैं ।

(ग) इन संगठनों के विचार विमर्शों और निष्कर्षों में प्राचार्यकुल के दृष्टिकोण को समाविष्ट करने का भी प्रयत्न करें ।

मतदाता-शिक्षण

प्राचार्यकुल के सदस्यों से यह अपेक्षा है कि वे वोट देनेवालों से यथासंभव यह आग्रह करें कि वे (१) धन की लालच, पद की लिप्सा या किसी भी प्रकार के दबाव में न आकर अपने विवेक के अनुसार वोट दें और (२) वोट देने के लिए चुनाव करते समय व्यक्ति के गुणों और दायित्वों का ध्यान रखें—किसी और का नहीं ।•

आचार्यकुल का आचार

धीरेन्द्र मजूमदार

आप जो सब आये हुए हैं, वे भिन्न-भिन्न स्थानों के शिक्षक हैं, आचार्य हैं। यह एक सौभाग्य की बात है कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं, उसी जगह भगवान बुद्ध ने २४ साल तक लोक-शिक्षण का काम किया था। वे एक महान आचार्य थे। उनकी ध्वजधारा में हम बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय से आज का जमाना बहुत भिन्न है। यह एक अद्भुत जमाना है। पुराने जमाने में सैकड़ों वर्ष तक समाज की परिस्थिति एक-सी रहती थी, उस समय आचार्यों का काम सरल था। उनके पास अपने नीचे की पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए पत्रिका और अनुभव की पूंजी थी जो अपने अनुभव से अधिक परिपुष्ट होती थी और उस पूंजी के आधार पर वे आगे की पीढ़ी का मार्गदर्शन करते थे। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। २ हजार वर्ष में विज्ञान और तकनीकी का जितना विकास हुआ था उससे कई गुना अधिक विकास दो सौ वर्ष में अधिक हुआ है, और इन दो सौ वर्ष में जितनी तरक्की हुई थी पिछले बीस साल में उससे कई गुना अधिक हुई है। विज्ञान और तकनीकी विकास ने समाज के आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ-साथ मानव की जीवन-पद्धति, दृष्टिकोण तथा भावनाओं में आमूल परिवर्तन हो गया है। आज मनुष्य-समाज की परिस्थिति के परिवर्तन की गति इतनी तेज हो गयी है कि इस जमाने में वर्तमान की अवधि सूख हो गयी है। मानव के सामने भविष्य ही भविष्य रह गया है।

शिक्षक द्रष्टा बने जमाने की ऐसी परिस्थिति के कारण शिक्षकों की, आचार्यों की जिम्मेदारियाँ अत्यन्त गम्भीर हो गयी हैं। आपके हाथ में जो छोटा बच्चा पहुँचता है उसे आप १६-१७ वर्ष तक अपने हाथ में रखकर उसके शिक्षण का संयोजन करते हैं। अगर यह संयोजन वर्तमान परिस्थिति के आधार पर किया गया तो १६-१७ वर्ष बाद जब वह बच्चा जीवन में प्रवेश करेगा तब परिस्थिति में इतना अधिक परिवर्तन हो जायेगा कि वह क्लिष्टव्यवस्थित होगा। तब वह जीवन-संघर्ष में पूर्ण रूप से पराजित हो जायेगा। अतएव आज के शिक्षकों की दृष्टि अत्यन्त प्रखर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि उन्हें १६-१७ वर्ष बाद की परिस्थिति का अन्दाज कर उस भूमिका में शिक्षाक्रम का संयोजन करना होगा। इसके लिए उन्हें एक विशिष्ट स्थान पर पहुँचना होगा। उन्हें वर्तमान

राजनीतिक तथा सामाजिक हलचलो से बाहर रहना होगा। वे तटस्थ रहेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। तटस्थ व्यक्ति तसवीर के एक ही तरफ देख सकता है, उन्हें वर्तमान से उदासीन रहना होगा। मैंने उदासीन शब्द चालू अर्थ में इस्तेमाल नहीं किया है—उत भासीन से उदासीन शब्द बनता है जिसका अर्थ है ऊपर अवस्थित। ऊपर रहकर ही वे वर्तमान के पूरे तसवीर पर विहंगम दृष्टि रख सकेंगे तथा भविष्य के दूर तक दर्शन होता रहेगा। अर्थात् इस जमाने के हर शिक्षक को द्रष्टा बनना पड़ेगा।

नेतृत्व-सकट

दूसरी परिस्थिति लोक चेतना की है। प्राचीन काल में जब अन्धकार युग था और चेतन समाज का दायरा बहुत छोटा था, तब कुछ इनेगिन प्रतिभाशाली व्यक्ति समाज को गति देते थे। एक राजा, एक गुरु तथा एक पुरोहित पूरे समाज का फव्वान व्यक्तिगत रूप से कर लेता था।

मानव समाज के चैतन्य के विकास के साथ साथ चेतन समाज की परिधि काफी बढ़ गयी तब यह व्यक्ति उतने बड़े दायरे के समाज को पहुँच नहीं सके थे। तब इमान ने व्यक्ति से बढकर संस्थाओं का निर्माण किया और संस्थाओं द्वारा पूरे समाज के काम चलाने की पद्धति निकाली यानी समाज व्यक्तिवाद से समाजवाद तक पहुँच गया।

लेकिन वर्तमान युग में तेजी से ब ती हुई प्रगति ने सबजन में चेतना का संचार कर दिया है। सार्वजनिक चेतना की परिधि ने सम्पूर्ण मानव समाज को घेर लिया है, अतएव आज सस्थावादी फव्वानिग भी पूरे समाज को समाधान देने के लिए असमर्थ है। अतएव अब समाज का काम अभी चल सकता है जब समाज की फव्वानिग सस्थावादी पद्धति से निकलकर समाजवादी पद्धति में पहुँचेगी, यानी आज समाज अपने आप कैसे फव्वान करे इसका उपाय खोजना होगा।

यह अभी हो सकेगा जब कम्युनिटी के अन्दर नेतृत्व अतनिहित हो। नेतृत्व समुदाय के आंतरिक तत्व की स्थिति तो दूर की बात है, लोकतंत्र के स्वधर्मच्युत बन जाने के कारण मानव समाज में किसी भी स्तर पर नेतृत्व का अभाव हो गया है।

मैंने वर्तमान लोकतंत्र को स्वधर्मच्युत लोकतंत्र कहा है इसे भी समझ लेना चाहिए। पुराने जगत् में मनुष्य एक ऐसा प्राणी था जो निरंतर विकास की भाकाशा रखता था। प्राथमिक स्तर पर जब वह जगली जिन्दगी बिताता था और एक-दूसरे को सा जाता था तो पुराण के कथा के अनुसार वह प्रजा-

प्रति के पास इस समस्या के समाधान के लिए पहुँचा था तो उन्होंने मनुष्य पर कृपा कर दण्डधारी राजा भेज दिया, ताकि उसके संचालन से समाज में शान्ति और शृंखला का अधिष्ठान हो सके। अर्थात् मनुष्य सम्यता और सस्कृति के विकास के सिलसिले में इतना ही भागे बढ़ा कि वह जगल के जानवर की स्थिति से सरकस के जानवर की स्थिति तक पहुँच गया। स्पष्ट है कि इंसान की आकांक्षा वही तक रुक नहीं सकती है। वह इस स्तर से भी भागे बढ़कर इंसानियत के स्तर पर पहुँचना चाहता है अर्थात् वह अब रिगमास्टर के चाबुक से मुक्त होना चाहता है।

इसी चाह के कारण आज से दो सौ वर्ष पहले मनुष्य लोकतंत्र के विचार पर पहुँचा था। लोकतंत्र का अर्थ है कौंधरसन के स्थान पर कनसेन्ट की स्थापना यानी दबाव के स्थान पर मनाव की स्थापना। लोकतंत्र कहता है कि मामला तय करने के लिए सर फोडना नहीं है, सर गिनना है अर्थात् लोकतंत्र दड शक्ति के स्थान पर सम्मति शक्ति की स्थापना का विचार है। लेकिन लोकतंत्र के विचारक तथा नेता यह बात भूल गये कि हर चीज को चलने के लिए दो तत्वों की आवश्यकता होती है शक्ति और यत्र। कोयसे की शक्ति से चलने के लिए यत्र की जो डिजाइन होगी, उसी डिजाइन के यत्र में डीजल भरकर नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र के नेताओं ने शक्ति को बदलना तो चाहा लेकिन राजतंत्र द्वारा संगठित तथा दड शक्ति द्वारा संचालित तंत्र को बदलने की यात नहीं सीची। उन्होंने राजतंत्र के तंत्र को हुबहू उसी रूप में स्वीकार कर लिया, जिस रूप में दड संचालन के लिए उत्तक संगठन हुआ था। नतीजा यह हुआ कि समाज के नेतृत्व का विघटन हो गया। जनता ने अपने नेताओं को चुनकर, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, अर्थात् समाज में नेतृत्व का विघटन हो गया।

प्रतिनिधि का स्वधर्म क्या है? उसका स्वधर्म जनमत के पीछे चलने का है, जबकि नेता का स्वधर्म जनमत से आगे चलने का होता है। क्योंकि उसे जनमत को जमाने के प्रवाह की गति के साथ कदम मिलाने के लिए, उसे मार्गदर्शन करना होता है। भाव जानते हैं कि कालपुरुष निरन्तर प्रवाहमान है लेकिन जनमन रक्षणशील होता है वह रुढ़िपस्त होता है। अतएव नेतृत्व के अभाव में जब लोकमत को कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और उस कारण वह व्यक्ति के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है, समाज गतिहीन होकर सब रहा है।

यही कारण है कि विनोबा इतनी सीधता के साथ आचार्यकुल के गठन की

बात कर रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व के उस सून्यता को तुरन्त समाप्त न किया जायेगा तो देश डूब जायेगा। इस युग में प्रति तीव्र काल-प्रवाह के बाढ़ के नीचे मानव-समाज डूब जायेगा और यह कमी आचार्यकुल ही पूरा कर सकता है।

आचार्यकुल की आवश्यकता

समाज-संचालन की शक्ति बदलने की आवश्यकता इन्सान की प्रगति के कलना के कारण नहीं, बल्कि जमाने की परिस्थिति के कारण अनिवार्य हो गयी है। इतिहास के प्रथम युग से ही मनुष्य ने भय-शक्ति को एकमात्र सामाजिक शक्ति के रूप में माना है। भय शक्ति का साधन शस्त्र है। मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक के हाथ का शस्त्र अनिवार्य माना है, समाज की शान्ति और शृंखला के लिए पुलिस के हाथ का शस्त्र, समाज के परिवर्तन के लिए क्रान्तिवारी के हाथ का शस्त्र, धर्म-संस्थापना के लिए भवतार के हाथ के शस्त्र को ही मान्यता दी है। इतना ही नहीं बल्कि यह मान्यता है कि अहिंसा की साधना के लिए भी शस्त्र चाहिए क्योंकि यह माना गया है कि अहिंसा के लिए शान्तिमय समाज चाहिए और शान्ति और शृंखला के लिए शस्त्र चाहिए। लेकिन आज के युग में शस्त्र-शक्ति 'भाउट आफ डेट' हो गया है, बासी हो गयी है। विज्ञान ने हाइड्रोजन बम के आविष्कार से सैनिक के हाथ के शस्त्र को रक्षण शक्ति के स्थान पर विनाशक शक्ति का साधन बना दिया है। पुराने जमाने में महावीर, बुद्ध, जीसस क्राइस्ट आदि अहिंसा के भवतार भी राजाओं के शस्त्रागार का निरोध नहीं कर सके थे। भगवान् श्रीकृष्ण ने शस्त्र न इस्तेमाल करने का सकल्प किया था, न कि उसको फेंक देने का। मछाट अशोक के ज्ञान होने पर उन्होंने शस्त्र न इस्तेमाल करने की सोची थी, न कि शस्त्रागार खाली करने की। लेकिन आज की परिस्थिति में ससार के साधारण राजनीतिक नेता भी निःशस्त्रीकरण की ही आवाज उठा रहे हैं। इस विज्ञान के युग में सैनिक के हाथ का शस्त्र सुरक्षा का साधन नहीं है।

राजदण्ड का भी आज क्या हाज है? माना गया था दण्ड शान्ति और शृंखला रक्षा का साधन है, इसलिए उसे यती के हाथ में रखने का विधान बनाया गया था, लेकिन कालक्रम में यह दंड निरन्तर नीचे गिरता गया। यती के हाथ से गुह के हाथ में, फिर राजा और नेताओं के हाथ में पहुँचा और अब तो वह तेजी से गुहों के हाथ में पहुँच रहा है। जिस धर्वाङ्गीय के हाथ में दंड शक्ति पहुँची हुई है, वया आप उससे समाज की शान्ति और शृंखला की रक्षा की आशा करते हैं। उससे तो उद्दण्डता की ही अपेक्षा की जाती है। इसलिए भी आज के युग में सम्पत्ति-शक्ति का विकास एकमात्र विकल्प रह गया है।

दृढ-शक्ति का साधन शस्त्र है और साधक सैनिक, सम्मति शक्ति का साधन शिक्षण है और साधक शिक्षक ।

अतएव आप समय सकते हैं कि इस युग में आचार्यों और शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है । दृढ शक्ति के लिए तब जहाँ संचालन पद्धति का होता है वहाँ सम्मति शक्ति का यत्र सहकारी पद्धति का ही हो सकता है और पूर्ण विकसित सहकारी समाज यानी स्वावलम्बी समाज का विकास तभी हो सकता है जब लोक शिक्षण की प्रक्रिया सर्व-व्यापी और सार्वजनिक होगी । इस परिस्थिति को पैदा करने की जिम्मेदारी आप पर है ।

भ्राज देश और दुनिया के तरुण पीढ़ियों में और उत्कट उद्दृष्टता और अनुशासन-हीनता का लक्षण दिखाई दे रहा है । वह समस्त समाज को तोड़फोड़ कर नष्ट करना चाहता है । उसका क्या कारण है ? वह इसलिए हो रहा है कि भ्राज लोकतन्त्र में भी अधिकारवाद का निरन्तर विकास हो रहा है । दुनिया में भ्राज हर प्रकार की राज्य व्यवस्था डिक्टेटोरशिप में परिणत हो रही है । फासिस्ट डिक्टेटोरशिप, कम्युनिस्ट डिक्टेटोरशिप, मिलीटरी डिक्टेटोरशिप, मानकिक डिक्टेटोरशिप आदि तो हैं ही, लेकिन अब तो सभार में एक नये डिक्टेटोरशिप का उदय हो रहा है और वह है डेमोक्रेटिक डिक्टेटोरशिप । सभार में सभी लोकतांत्रिक राज्य अपने को कल्याणकारी राज्य में परिणत करते जा रहे हैं । कल्याणकारी राज्यवाद का अर्थ है एक आदमी भूला रहेगा तो राज्य जिम्मेदार और तालाब में पानी भरने के लिए जाते समय किसीकी बिटिया के पैर में काँटा चुभ जाय तो राज्य जिम्मेदार, क्योंकि उसने सड़क क्यों नहीं बनायी और बनायी तो साफ क्यों नहीं रखी । इस तरह जनता के समस्त समस्याओं का समाधान व लिए राज्य जिम्मेदार है ऐसा माना गया है । हर चीज किसी तर्क के अधीन होनी है अतः अगर जनता के समस्त समस्या का समाधान राज्य की जिम्मेदारी है तो इसका अनिवार्य तर्क यही है कि जनता के समस्त साधन पर राज्य को अधिकार दिया जाय । फिर सर्वाधिकारी राज्यवाद किस बिटिया का नाम है ? इसमें से यह कारोल्डरी निकलता है कि—'ए गौरी एण्ड इफिसिएण्ट स्टेट एज इक्वल टू टोटलीटेरियन्स स्टेट' ।

विद्येने ढाई सौ वर्षों से हमारे तरफ साम्य, मंत्री और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर जनता के मानस को पूर्ण समतावादी और स्वतंत्रतावादी बना दिया गया है । इस तरह भ्राज समाज में एक उत्कट विसर्गित पैदा हो गयी है । परिस्थिति मजबूत अधिकारवादी और मन स्थिति पूर्ण स्वतंत्रतावादी । स्पष्ट है,

स्वतंत्रतावाद अधिकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है और अधिकारवाद स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इन्हीं सब कारणों ने सारे विश्व में अत्यन्त खतरनाक अशांति फैला रखी है।

आज आप चाहे जितना प्रयास कीजिए, जनमानस को पातक नहीं बना सकते हैं। अतएव समाज की परिस्थिति और संगठन में से अधिकार का 'लिविंगडेशन' करना होगा और यह तभी होगा जब आप शिक्षक-समुदाय अधिकारवाद के विकल्प में सम्मतिवाद का अधिष्ठान कर सकेंगे। लेकिन आपके सामने कठिनाई यह है कि आप और आपका शिक्षण दोनों अधिकार-प्रस्त है, इसलिए भाचार्यकुल का प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि जिस तरह न्याय विभाग स्वतंत्र है उसी तरह शिक्षण, भी स्वतंत्र हो। भाचार्यकुल की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षण-जगत् में इस भावाज को उठाये और इस आन्दोलन को आगे बढ़ाये। मैं जब इस बात को कहता हूँ तो मेरे शिक्षक-मित्र कहते हैं कि वे सरकारी तंत्र में इतने बंधे हुए हैं कि वे इसके लिए सघर्ष करने को असमर्थ हैं, लेकिन शिक्षक-मित्र, अगर संगठित होकर सामान्य वेतन वृद्धि के लिए देश-व्यापी हड़ताल कर सकते हैं तो क्या जुद्धिसियरी का स्टेटस प्राप्त करने की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए लम्बे भरसे की हड़ताल नहीं कर सकते? मैं मानता हूँ कि आपमें शक्ति और उत्साह और संगठन का बल है। आवश्यकता केवल इस बात के एहसास और सकल का है। •

सहरसा में आचार्यकुल : पिछला कार्य-विवरण

गत अक्टूबर में सेवाग्राम में सर्व सेवा सघ के अधिवेशन के निर्णयानुसार जब सहरसा में सघन पुष्टि-अभियान चलाने का निश्चय हुआ तो अभियान के संचालक श्री कृष्णराज भाई ने सुझाव दिया कि यहाँ आचार्यकुल और तरुण-शक्ति-सेना के मोर्चों पर भी काम आरम्भ किया जाय। केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सयोजक श्री वशीधर धीवास्तव ने उनके इस सुझाव को स्वीकार किया और गत नवम्बर के मध्य में मुझे सहरसा के काम का भार सौंपा गया। वहाँ आते ही शिक्षकों और अन्य लोगों से संपर्क हुआ। सुपौल में एक शिक्षक-गोष्ठी हुई और उसीमें सुपौल प्रखण्ड आचार्यकुल समिति का गठन हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी श्री रमेशचन्द्रजी ने, जो अब बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हो गये हैं और मागलपुर अनुमण्डल के शिक्षा-अधिकारी ने इस कार्य में अश्ली रुचि ली और अपनी एक विभागीय बैठक में यह तय किया कि शिक्षा विभाग को यथासंभव यह काम उठा लेना चाहिए। यह तय हुआ कि सारे जिले में शिक्षक गोष्ठियाँ बुलायी जायें और उनमें आचार्यकुल और तरुण-शक्ति-सेना का विचार रखा जाय। तदनुसार मेरा ७ जनवरी से ३१ जनवरी तक का सारे जिले में घूमने का कार्यक्रम बना। सारे जिले में ३ अनुमण्डल (सब-डिवीजन) और २३ प्रखण्ड हैं। हर प्रखण्ड में प्रखण्डस्तरीय शिक्षा-गोष्ठियाँ की गयीं। इनमें प्राथमिक शाला से लेकर हाईस्कूल तक के शिक्षकों ने भाग लिया। गोष्ठी का आयोजन स्थानीय शिक्षा-प्रचार अधिकारियों ने किया। गोष्ठी सामान्यतः २॥ से लेकर ३ घंटे चलती थी। उसमें शिक्षकों के सामने आचार्यकुल और ग्राम-स्वराज्य तथा तरुण-शक्तिसेना आदि के विचार रखे गये और मुसहरी से लेकर सहरसा तक का सम्बन्ध उन्हें बताया गया। फिर इस पर शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ और सकारण आदि पूछी जाती थीं। विचार विमर्श के बाद जो लोग इस विचार और आंदोलन को मान्य करते उनसे आचार्यकुल का सदस्य बनने का निवेदन किया जाता था और वे आचार्यकुल के रुकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर करते और इन बने सदस्यों में से ही एक प्रखण्ड कार्य-समिति का गठन भी कर दिया जाता था।

इस प्रकार से २३ प्रखण्डों में से १३ प्रखण्डों में ही पूर्ण कार्य समितियों का और ८ प्रखण्डों में सदस्य समितियों का गठन हो गया है। अन्य अनेक प्रखण्डों की भांति दो प्रखण्डों में भी गोष्ठी की कोई सूचना नहीं पहुँच पायी थी और न स्थानीय शिक्षकों से ही संपर्क संभव हो सका। इसलिए यहाँ कोई काम

नहीं हुआ। इस प्रकार सारे जिले में प्राचार्यकुल के ६७५ सदस्य बने हैं, जिनमें १७२ कार्यकारी या तदर्थ-समितियों के सदस्य हैं। इन सबकी सूचियाँ प्रखण्डवार बनाकर प्रांतीय और केन्द्रीय समितियों के सूचनार्थ भेज दी गयी हैं।

गोष्ठियों में प्राचार्यकुल के सदस्यों से गाँवों में चल रहे ग्राम स्वराज्य के कार्य में प्रत्यक्ष योगदान करने की भी बात कही गयी और इसका बहुत प्रोत्साहन 'रिस्पान्स' हुआ। लगभग ६० अध्यापकों ने अलग-अलग प्रखण्डों में अपने अपने गाँवों में जहाँ वे रहते हैं या जहाँ वे काम करते हैं, एक निश्चित अवधि में ग्रामसभा बनाने, बीघा-कट्टा बँटवाने, ग्राम शांतिसेना का निर्माण करने और ग्राम-कोष का आरम्भ करवाने का तथा खुद अपनी भूमि, यदि वे किसान हैं तो, बँटवाने की घोषणाएँ की। शिक्षकों ने यद्यपि ये प्रयत्नाएँ प्रकट कीं कि मैं हूँ जगह उनके गाँवों में आकर काम करूँ और देखूँ, किन्तु कार्यक्रम के सिलसिले में यह सम्भव नहीं हो सका। फिर भी पहाड़ के मार्ग में पड़ने-वाले किसी गाँव में रात का पहाड़ डालकर यह कोशिश अवश्य की गयी कि रात को वहाँ सभाएँ की जायँ और ग्राम-स्वराज्य की दिशा में कुछ काम हो। अपने साथ मैं हम ग्रामदान समर्पण-पत्र आदि रखते थे और कुछ जगहों पर सभाएँ करके य फार्म भरवाये गये। एक गाँव (बडगाँव) में तो तीन किसानों से ३२ कट्टा भूमि का वितरण भी ४ भूमिहीन परिवारों में किया गया। ५-६ अध्यापकों ने ११-१५ दिन का अवकाश लेकर ग्राम-स्वराज्य के काम में देने की तैयारी बनायी। इस प्रकार के लोगो का पता, सूची आदि मैं अभियान में प्रखण्ड स्तरीय कार्यकर्ता मित्रों और कार्यकर्ताओं को देता रहा, ताकि वे अपने कार्य के दौरान उन उन स्थानों पर उन अध्यापकों से संपर्क करके उनका सहयोग ले सकें या उन्हें काम पर लगा सकें। यदि हम इस तरह के सूत्रों को तुरत प्रकट कर उन्हें विरोध की क्षमता, चेतना और व्यूह रचना कर सकें तो इसमें से अमीम सभावनाएँ प्रकट होगी। इस अवधि में सबसे अधिक उदाहर्तक बात तो यह है कि गाँवों में ग्राम-स्वराज्य का दायित्व ग्रहण करनेवाले न केवल अध्यापक ही आगे आये, वरन् तीन-चार प्रखण्डों में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी भी आगे आयें। ऐसे लोगों में सुपौल, कुमार खण्ड और मधेपुरा पूर्व तथा पश्चिम, इन चार प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों ने जमना दी, एक तथा दो दो पचायतों का दायित्व लिया है। निर्मली और मरौना प्रखण्ड में जहाँ सहरसा जिला ग्राम स्वराज्य-समिति और सहरसा जिला सर्वोदय मण्डल संयुक्त रूप से सघन अभियान में लगे हैं, वहाँ प्राचार्यकुल के लगभग १५ सदस्य अध्यापकों ने अपनी अपनी पचायतों और गाँवों में काम करने का दायित्व लिया है। स्थानीय

कार्यकर्ता श्री तपेश्वर भाई से उनका संपर्क करा दिया गया और उम्मीद है कि वहाँ पर इस काम की अच्छी फलश्रुति होगी ।

निर्मली, मरौना आचार्यकुल ने एक नया काम भी हाथ में लिया है । ग्राम-चुनाव के दौरान वह मतदाता शिक्षण का काम भी करेगा । लोकनीति निर्देशन का काम तो आचार्यकुल का ही काम है । इसके लिए वे लोग सर्वदलीय चो के माध्यम से सभाएँ करावेंगे और स्वयं भी गाँवों में सभाएँ करके मतदाता को उसका तात्कालिक और दीर्घकालिक कर्तव्य बतावेंगे । सर्व सेवा सघ ने इस सम्बन्ध में जो सूचनाएँ प्रकाशित की हैं, उनके आधार पर आचार्यकुल के जिले के सभी सदस्यों को प्रसन्न आचार्यकुलों के माध्यम से एक विस्तृत नोट भी भेजा गया है ।

आचार्यकुल और तरुण शान्तिसेना का कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा कार्य है, अतः जहाँ छात्र उपलब्ध रहें वहाँ तरुण-शान्तिसेना का विचार भी छात्रों के सामने रखा गया है । सहरसा में हमारे पास आचार्यकुल और तरुण-शान्तिसेना के सदस्यता-पत्र नहीं थे, किन्तु मेरे निवेदन करने पर जिले के विकास पदाधिकारी और जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी श्री ह्री-रामजी ने कृपा करके आचार्यकुल के छह हजार तथा तरुण-शान्तिसेना के दस हजार फार्म अपने प्रेस से उधार छत्रवा दिये थे । उनकी यह मदद हमारे लिए मूल्यवान सिद्ध हुई है और इसी बल पर हम तत्काल कुछ संगठन करने में सफल हो सके । त्रिवेणीगञ्ज, छातापुर, और निर्मली, इन तीन हार्डस्कूलों में तरुण-शान्तिसेना की इकाइयों का गठन किया गया है । करीब १२५ छात्रों ने तरुण शान्तिसेना के सदस्यता पत्र भरे हैं और अपनी-अपनी टोलियों और नायकों का चुनाव किया है । उनसे सम्पर्क करके उन्हें आगे सक्रिय बनाने का प्रयत्न जारी रहना चाहिए ।

आचार्यकुल की दृष्टि से भी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है । अब तक केवल डेढ़-दो घण्टे का मापणों से विचार का परिचय मात्र हो सभा है, किन्तु वैचारिक स्पष्टता आये बिना सजियता नहीं आयेगी । इसलिए अब अनुमण्डलीय स्तर पर कार्य-समितियों के सभी सदस्यों के और जिला स्तर पर प्रसन्न आचार्यकुलों के सम्पर्कों, मंत्रियों और जिला-समिति के प्रतिनिधियों के तीन-तीन दिन के शिबिर लगाना आवश्यक होगा । इस सम्बन्ध में निर्मली और त्रिवेण्वर में कुछ बावनीय पल रही है और आशा है बाकी दो स्थान भी तय हो जावेंगे । किन्तु तत्काल ग्रामचुनाव और फिर जनगणना का काम बीच में आ जाने से

अभी इन चिन्तियों का किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि अध्यापक लोग ही सामग्री पर इन कामों में लिए जाते हैं ।

भारन्दोलन से पिछले १८-२० सालों के सम्पक के दौरान मुझे बार बार यह लगता रहा है कि जन-मानस में इस भारन्दोलन और विचार के प्रति जितनी जिज्ञासा और आकर्षण है, उस हिसाब से हमारा कार्य और सफल समर्थ सिद्ध नहीं हो सका है । आचार्यकुल और शान्तिसेना की यह बात हमने यदि १५ साल पहले की होती, तो शायद आज स्थिति कुछ और होती । अध्यापकों के मन पर इस बात का गहरा असर पड़ा है कि कम से कम सर्वोदय में तो उनकी प्रतिष्ठा और मूल्य को स्वीकार किया है । यह बात अनेक सभाओं में लोगों ने मुझसे कही है । अनेक तरह के शिक्षक सघों ने भी वयों तक काम करते रहने के बावजूद अध्यापकों के मन में वह आशा पैदा नहीं की है । इसका कारण यह है कि सभी बुद्धिवादियों की तरह (व्यावसायिक बुद्धिवादियों की बात में नहीं करता) अध्यापक लोग भी पैसे की बजाय प्रतिष्ठा की ही आकांक्षा करते हैं । इन सघों ने दुर्भाग्य से मजदूर सघों का रूप ग्रहण कर अध्यापकों को कभी-कभी अधिक वेतन तो प्रवश्य दिलाया है, किन्तु वे अध्यापकों को समाज में प्रतिष्ठा नहीं दिला पाये और अब तो वे स्वयं उनके ही छात्रों से उत्पन्न खतरे के विरुद्ध अध्यापकों की सुरक्षा करने में भी असमर्थ हैं । आचार्य-कुल ऐसा कोई सघ तो नहीं है, वह तो परिवार है और परिवार के हर सदस्य को वेतन से भी अधिक वाञ्छनीय वस्तु प्रतिष्ठा और सुरक्षा, दोनों का वचन देता है । यह बात अध्यापकों को बनानी आवश्यक हो गयी है । आचार्यकुल यह भूमिका प्रदा कर सकेगा, यदि वह समाज-जीवन का भागीदार बनने को तत्पर हो । ग्राम स्वराज्य के सम्दर्भ में यह बात महत्व की है और सहरसा में इसकी कुछ सभावनाएँ और दिशाएँ इंगित हुई हैं ।

—कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा
केन्द्रीय आचार्यकुल समिति, सर्वे सेवा सघ,
राजघाट, बाराणसी-१

महाराष्ट्र में आचार्यकुल की प्रगति

एरडोल, जिला जळगांव म हुए सम्मेलन के बाद पिछले वर्ष, अगस्त '६९ से सितम्बर '७० के अत तक निम्नलिखित ३० स्थानो मे प्रचार-दोरा किया गया १—यवतमाल, २—सागली, ३ ठाणे, ४—पालघर, ५—दादर, बम्बई, ६—नादगांव और ७—हिवसल, जिला नासिक, ८—चालीसगांव, ९—परभणी, १०—वसमत, ११—सेलू, १२—हिंगोली, १३—पुणे, १४—रत्नागिरी, १५—कोल्हापुर, १६—वर्धा, १७—प्रकोला, १८—मगरुनपीर, १९—माधान, २०—नागपुर, २१—उमरेड, २२—अजनगांव, २३—बोर्डी, २४—सोमनाथ, २५—मलगांव २६—अवतपुर, २७—रोहा, २८—पिपलगांव (हरेस्वर), २९—ममलनेर और ३०—वणी, जिला यवतमाल ।

उपर्युक्त स्थानो पर पहले व्यक्तिगत मुलाकातें और बाद मे सामूहिक बैठको म शका समाधान का कार्यक्रम रहता था । सभी जगह अनुकूल ही प्रतिक्रिया नहीं होनी थी, लेकिन जहाँ अनुकूलता हो, ऐसे स्थान मे लगभग ११ अध्यापको से संकलनत्र प्राप्त होत पर उन सबकी सम्मति से किसी सयोजक को नियुक्त कर प्राचार्यकुल के प्राथमिक केन्द्र की स्थापना करते हैं । अभी तक ऐसे ११ केन्द्र स्थापित हुए । प्राचार्य—१२, प्राध्यापक—३३ माध्यमिक १५१, प्राथमिक २९, इस तरह प्राचार्यकुल के कुल २२५ सदस्य हैं ।

केन्द्र स्थापना के समय स्वभावत बहुत प्रश्नोत्तर होते हैं और समान्यतया कुछ कार्यक्रमों का निर्देश भी किया जाता है, फिर भी ऊपर से या बाहर से कोई भी कार्यक्रम लादने की नीति प्राचार्यकुल की नहीं है । लेकिन ऊपर से प्राप्त आदेश के अनुसार काम करते रहने की धादत हो जाने के कारण सर्वत्र स्वयम्भूत कार्यक्रमो का अभाव तीव्रतापूर्वक अनुभव हो रहा है । इनलिए प्राचार्यकुल के सदस्यों की संख्या २२५ और ११ प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना होने पर भी इनमें मे कुछ ही सदस्यों और केन्द्रों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य की दृष्टि से काम हो सका । फिर भी महाराष्ट्र म प्राचार्यकुल सम्बन्धी जो कुछ कार्य हुआ, उसका सविस्त विवरण नीचे दे रहे हैं ।

१ यवतमाल म २७ से २९ सितम्बर '६९ तक श्रीमती मंगलाबाई श्रीगण्डे के विशेष प्रयत्नो से लगभग ५० प्राथमिक महिलाओ का शिक्षित आयोजित किया गया ।

२ उसी तरह श्री हरिभाऊबार्पुते और प्रा० शुक्ला के प्रयत्नों से दीपावली की छुट्टी के पूर्व १-२ नवम्बर ६९ को यवतमाल के रामकृष्ण मिशन आश्रम में सफाई और धर्मदान के कार्यक्रम में लगभग ७० छात्रों ने भाग लिया ।

३ पूना-समाज प्रबोधन संस्था की ओर से प्राचार्य श्री भण्से ने पूना के फर्ग्युसन कालेज में 'शिक्षा का लोकशाहीकरण' विषय पर २७-२८ दिसम्बर '६९ को एक परिसंवाद का आयोजन किया था । पूना और पूना के बाहर के लगभग ३० अध्यापकों ने इस परिसंवाद में भाग लिया था । २७ जुलाई ६९ को पूना में हुए प्रथम आचार्यकुल गोष्ठी में प्राचार्य श्री दामोदरकर द्वारा प्राप्त आश्वासन के अनुसार यह परिसंवाद आयोजित किया गया था और इसमें आचार्यकुल की पूर्वतयारी करने की दृष्टि थी ।

४ मोपुरी, वर्धा में २४ जनवरी ७० को आचार्यकुल के सदस्यों की एक बैठक पूज्य विनोबाजी की उपस्थिति में हुई ।

५ बसमतनगर जिला परभणी में प्राचार्य डांगे और प्राध्यापक पीलखाने ने महाराष्ट्र विद्यान सभा के सभापति श्री बालसाहेब भारद्वाज की अध्यक्षता में २२ फरवरी '७० को आचार्यकुल विषय पर एक परिसंवाद का आयोजन किया ।

६. बाद में १ से ७ मई '७० तक बसमतनगर में आचार्यकुल का शिविर हुआ, जिसमें लगभग ६० अध्यापकों ने भाग लिया । शिविर को सर्वश्री गोविंदराव देशपांडे, अण्णुतभाई देशपांडे, नासिक के श्री कु. द० बेदरकर, श्री मामा क्षीरसागर आदि का मार्ग-दर्शन मिला ।

७ परभणी के प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के अध्यापकों के लिए एक चर्चा-सत्र का ६ सितम्बर ७० को आयोजन किया । आचार्यकुल विद्या-सम्बन्धी व्यासपीठ और नवशिक्षण का विचार प्रवाह इस विषय पर श्री मामा क्षीरसागर, श्री पीलखाने और श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल के भाषण और प्रश्नोत्तर हुए ।

८. मई माह में बसमतनगर और जून में जलगाँव में शांतिसेना शिविर के आयोजन प्रयत्न हुए ।

९. अचलपुर, माधान, अजनगाँव, दर्यापुर के ७ शिक्षण संस्थाओं ने २५ से २८ जुलाई ७० तक चार दिन अपने अपने स्कूल के कक्षा-नायकों और सम्बन्धित शिक्षकों का एक शिविर अचलपुर में आयोजित किया । स्कूल की दैनिक

ज्यवस्था में कक्षा नायक का स्थान और पूरे शिक्षा वातावरण में उच्च जीवन मूल्यों की वृद्धि, इन विषय पर मुख्यतया विचारों का आदान-प्रदान हुआ। श्री मामाक्षीरसागर और श्री कृष्णराव तारे ने शिविर का मार्ग-दर्शन किया। इस शिविर के कारण ही अमरावती जिले के आचार्य-कुल के प्राथमिक केन्द्र की स्थापना हुई।

१० ११ सितम्बर ७० को पूज्य विनोबाजी का अमृत-महोत्सव सर्वत्र सफल हुआ। लेकिन चालीमगाँव केन्द्र के संयोजक श्री नाना भागवत ने वह अभिनव पद्धति से मनाया। उसमें ध्यान, शिक्षक अभिभावक, नागरिक, सध का सहयोग मिला। गीताई पठन, सर्वधर्म समभाव प्रार्थना, मुहल्लो में सफाई, विनोबा सेवा निधि (२५ पैसा) गरीबों को भोजन, मुहल्ले में ग्राम सभाएँ हुईं। सभा के अंत में नागरिकों द्वारा सकल्प की घोषणा होती थी कि १—हम अपने घर और गाँव साफ रखेंगे। २—हम एक और नेक रहेंगे। ३—हमारे हाथ बरवादी के लिए नहीं निर्माण के लिए हैं।

आगामी योजनाएँ

१. आचार्यकुल की सदस्य संख्या कम से-कम एक हजार तक बढ़ायी जाय।
२. पू० विनोबाजी के साथ विशिष्ट शिक्षणतंत्रों की बैठक का आयोजन करना और उसके बाद महाराष्ट्र की प्रतिनिधि-स्वरूप आचार्यकुल परिषद पू० विनोबाजी की उपस्थिति में आयोजित करना।
३. महाराष्ट्र राज्य के स्तर पर आचार्यकुल में से कुछ ज्येष्ठ व्यक्तियों का एक विचार शासन मंडल स्थापित करना।
४. उपर्युक्त ज्येष्ठ व्यक्तियों के मार्गदर्शन में सामाजिक और शिक्षा-क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर विभिन्न स्थानों में चर्चा सत्रों का आयोजन कर उनके निष्कर्ष लोगों की जानकारी के लिए प्रसारित करना।
५. आचार्यकुल के मुखपत्र के तौर पर एक त्रैमासिक या मासिक पत्र प्रकाशित करना।

६. आचार्यकुल सम्बन्धी साहित्य-निर्माण करना और प्रकाशित करना। इन विभाग की जिम्मेदारी लेनेवाली स्वतंत्र व्यक्ति उपलब्ध करना। अभी श्री चंद्रताई शिल्लेकर और राजाभाऊ मंगलवेडेकर ने 'आचार्यकुल' पुस्तक का दूसरा संस्करण और 'फोल्डर' प्रकाशित करने की जिम्मेदारी अर्चनी तरह

निभायी है । लेकिन आचार्यकुल के काम के लिए ही उनकी सेवा उपलब्ध हो तो अच्छा होगा ।

७ काम की गति बढ़ाने की दृष्टि से प्रचार-कार्य के लिए कुछ सुयोग्य व्यक्तियों को खोजना आवश्यक है ।

८. प्रत्यक्ष केंद्रों पर अध्यापकों और छात्रों के कम-से-कम ५ दिन के श्रमदानवाले शिविरों का आयोजन करना ।

—मामा क्षीरसागर

संयोजक, महाराष्ट्र राज्य आचार्यकुल

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र गजमदार प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री रामभूति

वर्ष १६

अंक ७

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

बम्पापको की हड़ताल	२८९	श्री वशीधर श्रीवास्तव
भारतीय सांस्कृतिक क्रांति	२९२	श्री नारायण देसाई
चुनाव घोषणा-पत्रों में शिष्टा	२९६	—
स्वाध प्राप्ति की अभिनव पद्धति	३०१	श्री बनवारीलाल चौधरी
जुनियर हाईस्कूलों में क्रिदि-काय		
अनुभव की अल्पकालीन योजना	३०५	—
राष्ट्रीय एकता	३०८	—
औद्योगिकीकरण में सर्वोदय-सत्याग्रह		
तत्त्व	३११	श्री टी० आर० अनन्तरामन्
आचार्यकुल की गतिविधि	३१६	—
आचार्यकुल का आचार	३२२	श्री धीरेन्द्र गजमदार
सहरसा में आचार्यकुल	३२८	श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा
महाराष्ट्र में आचार्यकुल की प्रगति	३३२	श्री मामा क्षीरसागर

फरवरी ७१

निवेदन

- नयी तालीम का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम का वार्षिक चंदा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री धीरेन्द्रगजमदार भट्ट सत्य सेवा सभ की ओर से प्रकाशित,

दृष्टिगण प्रस प्र० सि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : फरवरी, '७१

पहले से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

सर्वोदय-साहित्य-सेट (१९७१—१९७२)

[अप्रैल १९७१ से चालू]

रु० ७) में १२०० पृष्ठ

१-आत्मकथा : १८६६-१९२० :	गाधीजी	१)
२-बापू-कथा : १९२०-१९४८ :	हरिभाऊजी	३)
३-तीसरी शक्ति : १९४८-१९६६ :	विनोबा	३)
४-गोता-प्रवचन	विनोबा	२)
५-मेरे सपनों का भारत	गाधीजी	२)
६-संघ प्रकाशन की एक पुस्तक)५०
		<u>११)५०</u>

लगभग १२०० पृष्ठों का यह साहित्य-सेट रु० ७) में मिलेगा। २८ सेटों का पूरा बण्डल काशी से मँगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमिशन।

रु० ५) में ८०० पृष्ठ

राज्य-सरकार, पंचायतें, शिक्षण-संस्थाएँ आदि के लिए थोक खरीदी की दृष्टि से छोटा सेट भी चालू रहेगा, जिसकी पृष्ठ-संख्या लगभग ८०० होगी। यह सेट रुपये ५) में दिया जायगा। इसमें निम्न पुस्तकें रहेंगी :

१. आत्मकथा	- गाधीजी	१)
२. बापूकथा या गाधी : जैसा देसा-समझा विनोबा ने	- हरिभाऊजी	३)
३. तीसरी शक्ति	- विनोबा	३)
४ गोता-बोध व मंगल प्रभात	- गाधीजी	१)

८)

पाँच रुपयेवाले ४० सेटों का पूरा बण्डल काशी से मँगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमिशन और फ्री डिलीवरी।

वेयल एक ही सेट मँगाने पर डाक-खर्च के लिए रु० २-०० अधिक भेजना चाहिए। यदि ५ रु० वाले सेट प्रथम ७ रु० वाले ७ सेट एक साथ मँगाने जायेंगे तो रेलवे पासल से फ्री डिलीवरी भेजे जा सकेंगे।

सर्व-सेवा-संघ प्रकाशन-राजघाट, वाराणसी-१



वर्ष : १९

अंक : ८

- समन्वय विद्यापीठ-वाघा
- आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा
- नयी तालीम की दार्शनिक अवधारणा

मार्च, १९७१

स्वावलम्बन के लिए शिक्षा

इस अंक में दो लेख दिये गये हैं—एक है तजानिया के राष्ट्रपति ज्यूलियस के० न्येरेरे की पुस्तक से, जिसका नाम है—‘एजुकेशन फार सेल्फ रिला-एन्स, (स्वावलम्बन के लिए शिक्षा) और दूसरा है ‘समन्वय विद्यापीठ’, जिसके लेखक हैं समन्वय आश्रम, बोधगया (बिहार) के सचालक श्री द्वारिको सुन्दरानी । दोनों ने अंग्रेजों की चलायी हुई औप-निवेशिक शिक्षा प्रणाली से मुक्ति का एक ही मार्ग खोजा है—स्वावलम्बन के लिए शिक्षा का मार्ग । अंग्रेजों द्वारा चलायी हुई शिक्षा का, चाहे वह तजानिया में हो, चाहे भारत में, लक्ष्य था औप-निवेशिक समाज के मूल्यों का विकास करना, पढा-लिखा कर दास्य भाव पनपाना । इन ब्रिटिश उपनिवेशों में अंग्रेजों ने शिक्षा इसलिए नहीं दी थी कि पढ-लिखकर युवक अपने देश की सेवा के लिए तैयार हो, बल्कि इसलिए दी थी कि छोटे बड़े बलकें तैयार होकर उपनिवेशों का शासन करने में अंग्रेज प्रभुओं की सहायता करें ।

वर्ष : १९

अंक : ८

जैसा न्येरेरे ने लिखा है यह शिक्षा एक औप-निवेशिक और पूंजीवादी समाज की मान्यताओं पर आधारित होने के कारण विद्यार्थियों में सामुदायिक प्रवृत्तियों को विकसित करने के बजाय व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों को विकसित करती थी । परिणाम यह हुआ कि इस औपनिवेशिक शिक्षा-पद्धति ने शिक्षित मनुष्यों में असमानता की वृत्ति को पनपाया और पढे-लिखे द्वारा बेपढे-लिखे कमजोरों की शोषण-प्रवृत्ति को उभारा । शिक्षित व्यक्ति ने समष्टि

के साथ एक होकर आत्मत्याग में सतोष का अनुभव करना और समुदाय के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वार्थों का त्याग कर अपने जीवन दृष्टि को व्यापक बनाकर मानव जीवन की समष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान करना नहीं सीखा। दूसरे शब्दों में उसके सामाजिक व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ। सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के बिना व्यक्ति द्वारा समाज के शोषण का खतरा बना रहेगा। इसीलिए अगर हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जो सबकी समानता और मानव मात्र के लिए सम्मान की भावना पर आधारित हो और जिस समाज में सब अपने परिश्रम से उत्पन्न साधनों में सह-भागी हो और कोई किसी का शोषण न करे, तो हमें इस औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति को, जिसे हम स्वराज्य के २३ वर्ष बाद तक भी चलाये जा रहे हैं, छोड़ना चाहिए, और एक ऐसी शिक्षा-पद्धति बनाना चाहिए जिससे लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों का सृजन हो। जाहिर है कि यह शिक्षा-पद्धति ऐसी होगी जो 'सर्व' के कल्याण के लिए साथ काम करने की भावना का पोषण करेगी जिससे छात्र के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके। यह शिक्षा पद्धति समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत करेगी, जिससे अतीत के सामन्तवादी समाज के मूल्यों को स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न हो। व्यक्ति की उन्नति के स्थान पर यह सहयोगी प्रयास पर जोर देगी। न्येरेरे की शिक्षा की संकल्पना और समन्वय विद्यापीठ की योजना में छात्र के इसी सामाजिक व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया गया है। दोनों ने स्कूल की कल्पना एक लघु समाज के रूप में की है—एक मिनिएप्पर सोसाइटी के रूप में—जिसमें वही प्रवृत्तियाँ चलेंगी जो स्कूल के बाहर गाँव या पड़ोस में चलती हैं। समाजवादी समाज के निर्माण के लिए जो स्कूल चलेंगे उन्हें स्वयं में लघु समाज ही होना चाहिए। ऐसा होगा तभी शिक्षा समाजवादी समाज का निर्माण करने में सहायक हो सकेगी।

न्येरेरे की शिक्षा की संकल्पना और समन्वय विद्यापीठ के आयोजन में एक और समानता है। तजानिया और भारत दोनों गाँवों में बसते हैं। घट जीवन में सुधार भी गाँवों में ही होना चाहिए जिससे गाँवों में ही स्वस्थ और प्रसन्न जीवन व्यतीत किया जा सके। औपनिवेशिक शिक्षा ने गाँवों की विलुप्त प्रवृत्तियों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा

पद्धति तभी पर्याप्त और अनुकूल समझे जायगी जब वह ग्राममूलक हो। इसीलिए गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा को (जो ग्राममूलक है) राष्ट्रीय शिक्षा कहा था। न्येरेरे जिस शिक्षा पद्धति की वकालत करते हैं और समन्वय विद्यापीठ में जो शैक्षिक आयोजन किया गया है, दोनों ही ग्राममूलक हैं इसीलिए वरेण्य हैं।

भारत की तरह तजानिया भी एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें मानव के लिए सम्मान तथा समता हो, जिसमें प्रत्येक हाथ के लिए काम हो और किसी के द्वारा किसी का शोषण न हो। ऐसे समाज के निर्माण के लिए जो शिक्षा-नीति विकसित की जायगी वह सैद्धान्तिक ज्ञान के वजाय हाथ से काम करने पर, उत्पादक और समाजोपयोगी काम करने पर बल देगी। शिक्षा की यह सकल्पना शिक्षा पाकर ऊँचे वेतन पाने और नगरों में आरामदेह जीवन बिताने की कल्पना की विरोधी है। इस शिक्षा को पाकर छात्र अच्छा किसान बनेगा, अच्छा दस्तकार बनेगा अपने गाँवों में रहेगा और गाँवों को ही समृद्ध बनायेगा। अंग्रेजों की चलायी हुई औपनिवेशिक शिक्षा जिससे हम आज चिपके हुए हैं व्यक्तिमूलक होने के कारण वगभेद का सृजन करती है। यह शिक्षा समाजमूलक होने के कारण वगभेद मिटायेगी। इसीलिए हम न्येरेरे की शिक्षा-पद्धति और समन्वय विद्यापीठ के शैक्षिक प्रयोग दोनों का स्वागत करते हैं।

न्येरेरे की पुस्तिका पढ़कर और समन्वय विद्यापीठ के प्रयोग को देखकर यह यकीन हो गया है कि गांधीजी की बुनियादी शिक्षा असफल नहीं हुई। बुनियादी शिक्षा-पद्धति का निर्माण जिन तत्त्वों से हुआ है वे लोकतांत्रिक समाजवादी शिक्षा के शाश्वत मूल्य हैं और जब भी शोषण और समता के आधार पर शिक्षा की योजना प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायगा, बुनियादी शिक्षा फलवती हो उठगी।

—बगीचर श्रीधरराव

समन्वय विद्यापीठ—बाधा (गया)

द्वारिको सुन्दरानी

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने देश के विकास के लिए पञ्चवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ कीं। तभी से प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक से भारत के राष्ट्रपति तक भारत की शिक्षा-प्रणाली को दूषित बताते आये हैं। परन्तु योजनाओं के इन दोषों को दूर कर एक दोष रहित शिक्षा प्रणाली को चालू करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। और, आज तो साधारण आदमी भी शिक्षा में सुधार की माँग कर रहा है। ऐसी शिक्षा पद्धति की माँग कर रहा है, जिससे समाज की आवश्यकताएँ पूरी हों।

मैं गत बीस वर्षों से ग्रामीण विकास के लिये कार्य कर रहा हूँ। सर्वोदय आन्दोलन समाज के निम्नतम स्तर से विकास का काम शुरू करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य समाज के अन्तिम व्यक्ति का उदय है। अतः एक सर्वोदय कार्यकर्ता के नाते मुझे भी समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग में ही काम करने का मौका मिला है। विकास के सम्बन्ध में सर्वोदय का दृष्टिकोण जनता को शिक्षित कर विकास के काम में 'इन्वाल्व' कर देना है जिससे अपने विकास का काम वह स्वयं करे। विकास का काम जनता के अभिक्रम से होगा तभी ठीक और यथार्थ होगा। ऊपर से बताया हुआ विकास का कार्यक्रम जब सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित होता है तो उसका वही परिणाम होता है, जो हमारी चार पञ्चवर्षीय योजनाओं का हुआ है। जनता का अभिक्रम न जगे और स्वयं वह अपने विकास का काम न करे तो विकास प्रक्रिया की गति बहुत धीमी होती है। परन्तु जनता अपने अभिक्रम से भी काम करे तो पुराने रस्म-रिवाज और परम्पराएँ बाधा डालती हैं और प्रगति रकती है। अतः मैंने अनुभव किया, अगर इन बाधाओं से मुक्ति पानी है, तो एकमात्र मार्ग बच्चों को प्रारम्भ से ही एक नया जीवन जीना सिखाना है, जिससे वे भविष्य के भारत के—सबके लिए समता और सबके लिए सम्मान की संकल्पना पर आधारित, लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति प्रतिभूत भारत के—अच्छे नागरिक बन सकें और समाज में उत्तरदायित्व बहन कर सकें। इस प्रकार मरे मन में एक ऐसे विद्यालय की कल्पना आयी जिसमें प्रारम्भ से ही बालकों को कुछ पढ़ाई तथा पढ़ना-लिखना सिखाने का स्थान पर समय जीवन जीना सिखाया जाय। इसी प्रक्रिया में समन्वय विद्यापीठ का जन्म हुआ है।

हमारे देश की प्रमुख समस्या गरीबी और अज्ञान हैं जो अन्योन्याश्रित हैं। अगर हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो 'अज्ञान' हमारी बाधा बनता है। अगर हम अज्ञान को समाप्त करना चाहते हैं तो गरीबी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अतः हमें एक ऐसी 'योजना' बनानी है जिससे दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान हो सके। गांधीजी की वैदिक शिक्षा के मूल में, जो किसी बुनियादी उत्पादक उद्योग के माध्यम से शिक्षण का काम करना चाहती थी, यही दृष्टिकोण (एप्रोच) था। चूंकि गाँवों में बसे हुए इस देश का प्रमुख उत्पादक उद्योग खेती-बागवानी है, अतः हमने निश्चय किया कि हम समन्वय विद्यापीठ में वैज्ञानिक-खेती, बागवानी और उससे सम्बन्धित गोपालन और 'फूड प्रोसेसिंग' आदि विषयों की शिक्षा देंगे। शिक्षा क्या देंगे बालकों को इन धर्मों की वैज्ञानिक ढंग से करना सिलायेंगे, जिससे एक स्वावलम्बी उत्पादक व्यक्तित्व का विकास हो सके। अगर समाजवाद को टिकना है तो देश की शिक्षा को एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास करना होगा जो उत्पादक हो, प्रशोषक हो और आत्म-निर्भर हो। इस प्रकार के व्यक्तित्व का विकास उत्पादक उद्योगों के इर्द गिर्द जीवन जीने से ही हो सकता है। इसलिए हमने निश्चय किया कि समन्वय विद्यापीठ में बच्चे छाला में इसी प्रकार का जीवन जीयेंगे।

हमारे देश की ८२ प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है—अतः देश का विकास तो इन गाँवों के विकास से ही होगा। इन गाँवों के विकास में सबसे बड़ी बाधा जनशक्ति की कमी है। सरकारी और गैरसरकारी सभी एजेन्सियों ने इस बात का अनुभव किया है। गाँवों में विकास का काम करने के लिए आदमी कहाँ से आयेंगे? नगर का आदमी गाँवों में जाकर रहना नहीं चाहता। रहता भी है तो वैसे ही जैसे आज के ग्राम सेवक और सेविकाएँ विकास के लिए बने ब्लाकों पर नौकरी करने के लिए रहती हैं। इसीलिए गांधीजी ने कहा था कि गाँवों के विकास करने के लिए उन्हें भारत के प्रत्येक गाँव के लिए एक ऐसा सेवक चाहिए जो गाँवों में ही रहे। आज तो स्थिति यह है कि गाँवों में जो दो चार आदमी पढ़े लिखे हैं, वे भी गाँवों में रहना नहीं चाहते और नौकरी और पैसे की तलाश में बाहर चले जाते हैं। कहावत हो गयी है—चोड़ा पड़ा तो घर से गया, ज्यादा पड़ा तो गाँव से गया। इसीलिए गाँव का शैक्षिक स्रोत निरपेक्षता जा रहा है और ग्रामीण संस्कृति का निरन्तर विघटन हो रहा है जो देश के हित में नहीं है। अतः हमने निश्चय किया कि समन्वय विद्यापीठ में हम पढोस के हर गाँव से दो बच्चे लेंगे, बालकों को कृषि, गोपालन और फूड प्रोसेसिंग की और बालिकाओं को नर्सिंग की वैज्ञानिक

शिक्षा देंगे और उन्हें उनके गाँवों में ही सगठक और उन्नत किसानों की हैसियत से बसायेंगे। वे अपने खेतों में खेती करके जीविकोपार्जन करेंगे और गाँव के विकास के लिए काम भी करेंगे।

घाज के विद्यालय सरकारी हैं जो सरकारी नहीं हैं वे भी सरकार के अनुदान से चलते हैं। घत में सरकार की राजनीति से प्रभावित होने से बच नहीं सकते। चूँकि सरकार किसी न किसी पार्टी की होती है अतः इन संस्थाओं में 'पार्टी पालिटिक्स का, दलगत राजनीति का, प्रवेश होता है। स्वातन्त्र्योत्तर काल में दलगत राजनीति का प्रवेश शिक्षा संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या बन गयी है। अगर समाज में कहीं पार्टियों के खडित सत्य के स्थान पर पूर्ण सत्य की स्थापना होनी चाहिए तो वह स्थान शिक्षालय है। यह तभी सम्भव है जब शिक्षा शासन मुक्त हो। अतः हमने निश्चय किया है कि हम इस विद्यालय को बिना सरकार की सहायता और श्वीकृति (रिकगनिशन) के चलायेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बालकों के व्यक्तित्व का उनके परिसर में स्वतन्त्र और मुक्त विकास सम्भव हो सकेगा।

हम जिन पिछड़े वर्ग के लोगों में, आदिवासियों और हरिजनों में काम कर रहे हैं, उनमें शराब बनाना और पीना आम बात है। यहाँ हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि शराब उनके सामाजिक व्यवस्था का एक अंग ही नहीं उनके मन-बहलाव का भी एकमात्र साधन है। फिर भी शराब पीना उनके विकास में एक बाधा है, यह हमको स्वीकार करना होगा। हम जब सरकार से शराबबन्दी करने को कहते हैं, तो हमको यही जवाब मिलता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नशीली वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त टैक्स से ही शिक्षा का खर्च चलता है। इसीलिए गाँधीजी ने स्वावलम्बी स्कूलों की कल्पना की बात कही थी और इसीलिए हम भी एक ऐसा विद्यालय चलाना चाहते हैं जहाँ 'कमाओ और सीखो' के सिद्धांत का कार्यान्वयन हो। समन्वय विद्यापीठ एक ऐसी ही संस्था होने जा रही है।

समन्वय विद्यापीठ में हम छात्र छात्राओं को ८ वर्षों तक रखेंगे। पहले ५ वर्षों में हम उनसे खेत घोर गोगाले में भ्रमणवा दूंसरे उद्योगों में काम करायेंगे परन्तु हम उन्हें कुछ छात्रवृत्ति भी देंगे। दोप ३ वर्षों तक उन्हें स्वयं कमाना और सीखना होगा। दूसरे शब्दों में पहले ५ वर्षों की शिक्षा स्वावलम्बन के लिए होगी परन्तु पिछले ३ वर्षों की शिक्षा स्वावलम्बन के माध्यम से होगी। इनका नतीजा यह होगा कि जब लठका स्कूल छोड़ेगा तब उसमें अपने जीविकोपार्जन की क्षमता प्राप्त जायगी।

विद्यापीठ के लिए हमने लगभग ७० एकर बजर भूमि प्राप्त की है, जिसे हमने खेती योग्य बना लिया है और आजकल उममें और भी सुधार कर रहे हैं। हम इस प्रकार नियोजन कर रहे हैं कि खेती और गोशाले में पैदा हुई वस्तुओं की बिक्री से विद्यापीठ का सारा खर्च चल जाय और हमको बाहर से सहायता न लेनी पड़े। हमारे इस प्रयास में शिक्षा का एक नया आयाम शुरू होगा—आत्म निर्भरता का आयाम—जिसका सपना गांधीजी ने देखा था।

हम शिक्षा को अभिभावक, शिक्षक और छात्र का सम्मिलित उत्तरदायित्व मानते हैं और समय-समय पर इनकी बैठकें आयोजित करते हैं। अभिभावक आते हैं, विद्यापीठ की खेती और गोपालन का काम देखते हैं और दिन भर अपने बच्चों और शिक्षकों के साथ रहते हैं। एव शिक्षकों और छात्रों के साथ बैठकर विद्यापीठ की समस्याओं और सस्था के विकास पर बातचीत करते हैं। इसका परिणाम होता है कि गाँव के लोग हमारी योजना को निकट से देख पाते हैं और हमारे प्रयास का एक भाग बन जाते हैं।

इस समय विदेशों से अनेक कृपालु सज्जन हमारी सहायता कर रहे हैं। विद्यापीठ के सभी १०० बच्चों की व्यक्तियों, वर्गों अथवा सस्थाओं ने 'ग्रंटाप्ट' कर लिया है (गोद ले लिया है)। इसके फलस्वरूप बच्चे नये लोगों के सम्पर्क में आये हैं। हम इन कृपालु व्यक्तियों के पास बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट उनकी फोटो और स्कूल की जानकारी भेजते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न देशों में रहनेवालों से विचार परिवर्तन होता है और एक समन्वित दृष्टिकोण का विकास होता है। इसीलिए हमने अपने स्कूल का नाम समन्वय विद्यापीठ' रखा है।

समन्वय विद्यापीठ की क्रान्ति

समन्वय विद्यापीठ की योजना सफल होगी तो शिक्षा जगत में एक क्रांति हो जायगी। थोपगया से लगभग २५ मील दूर बाघा नामक गाँव में एक पहाड़ी इलाके में विद्यापीठ स्थित है। जैसा हमने ऊपर कहा है, विद्यापीठ की अंतर्राष्ट्रीय सहकार और प्रेम खूब मिला है। बाघा के इस विद्यापीठ के प्राणल में एक छोटा सा अस्पताल है जिसका सञ्चालन एक विदेशी महिला डाक्टर करती है। शुद्ध सेवाभाव उस बहन को इस जगली इलाके में सीधे लाया है। उसके साथ एक दूसरी विदेशी महिला है जो बच्चों को 'माट' सिखा देती है। इटली की रहनेवाली गंधीला तो बाघा पहुँचकर रो पड़ी थी—इसलिए कि इतनी शान्ति का अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया

था। कुछ दिन पहले यहाँ ब्रिटिश ओवरसीज मिनिस्टर, श्रीमती हार्ट आयी थी। विद्यालय को देखकर उन्होंने कहा था—“यहाँ आज मैं नया भारत देख रही हूँ।” समाज के सबसे पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के इन बच्चों के सांस्कृतिक विकास को देखकर उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ था। अभी दो साल पहले इन बच्चों को कपड़ा पहनना भी नहीं आता था और हजारों, वर्षों से उनके पूर्यजों में किसी ने ‘क, ख, ग’ भी नहीं पढ़ा था। प्लानिंग कमीशन के एक सदस्य ने समन्वय विद्यापीठ को देखकर कहा था, “मैंने भारतवर्ष के लगभग सभी पब्लिक स्कूलों को देखा है। समन्वय विद्यापीठ के विद्यार्थियों के विकास का अनुपात इन स्कूलों के विद्यार्थियों से तीनगुना अधिक है और तब जब यहाँ केवल दो घंटे ही पढ़ाई होती है।”

बापा के इस विद्यापीठ की शुरुआत की भी एक कहानी है। कुछ वर्ष पहले मैं इंग्लैंड के एक सर्वोदय साथी डोनेन्ड ग्रूम को गया जिले का ही ग्राम-दानी गाँव, मनफर, दिस्ताने ले गया था। उस गाँव की खेती में बड़ी तरक्की हुई थी। लेकिन गाँव के बच्चों की दशा दूसरे पड़ोसी गाँवों के बच्चों की तरह ही दयनीय थी। उनकी हालत देखकर ग्रूम ने कहा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा कि पैसा कहाँ है? जयप्रकाशजी ने भी जब एक दिन मुझसे कहा कि नयी पीढ़ी की जिन्दगी में सुधार होना चाहिए तो मैंने उनसे भी यही कहा कि पैसा कहाँ से आयेगा।

परन्तु मैं स्कूल चलाने की बात सोचता रहा। इती बीच बिहार में भूकाल पड़ा और मैं राहत के काम में लग गया। राहत के इस काम के लिए बोध-गया के समन्वय छात्रम में सप्तर भर से स्वयंसेवक आये और ‘काम देकर भोजन देने की योजना’ भी चली। इसी सिलसिले में एक दिन ब्रिटिश हार्ड कमीश्नर की पत्नी श्रीमती फ्रीमन और प्रधान मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री राजेश्वर प्रसाद जी से भेंट हुई। मेरी विद्यापीठ की योजना की बात सुनकर उन्होंने १००० रुपये दिये।

लेकिन विद्यालय के लिए जमीन कहाँ मिलेगी। एन मित्र ने बतसाया कि जंगल में महत साजावतीजी के पास बहुत सी बजर जमीन पड़ी है। मैं उनके पास गया और महतजी ने मुझे, ६८ एकड़ जमीन दे दी। और जब जमीन मिल गयी तो ‘भोजन के लिए काम’ की योजना के अंतर्गत जंगली शादियों को काटकर जमीन समतल की गयी और तानाब खोदकर पानी एकत्र किया गया। फिर एन दागा ने एलवेस्टास के सीट दिये तो छोटे-छोटे भूकान

भी बना लिये गये। ४ मई १९६८ को जंगल की सफाई का काम प्रारम्भ हुआ था और १५ जून १९६८ को ठीक ४२ दिन के बाद दस बच्चों को लेकर समन्वय विद्यापीठ प्रारम्भ हुआ।

इस दस बच्चों को लेकर काम प्रारम्भ करने की भी एक कहानी है। १९६८ के बड़े दिन की सुट्टियों में समन्वय आश्रम में प्रातः से कुछ मित्र आये थे। विद्यापीठ की योजना सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हारे विद्यापीठ के लिए पैसा आयेगा परन्तु तब तक हमलोग अपने जेब-खर्च से दस विद्यार्थियों का खर्च देंगे। पैसा मिलने का इतमिनान ही जाने के बाद मैं गांव गांव गया और बच्चों के मां बाप से मिला। इनमें इतना भ्रजान था कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से उनके भ्रष्टे भविष्य की बात भी उनकी समझ में नहीं आयी। वे अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। परन्तु १० ऐसे परिवारों ने, जिन्हें एक जून का भर पेट भोजन भी नहीं मिल रहा था अपने बच्चों को भेजा और इन्हीं दस बच्चों से समन्वय विद्यापीठ प्रारम्भ हुआ।

बच्चों के धर्म-पिता

इस समय समन्वय विद्यापीठ में १०० लड़के हैं। १ गांव से २ बच्चे लिये गये हैं जिन्हें देश विदेश के कृपालु दाताओं ने गोद लिया है। ये इन बच्चों के धर्म पिता और धर्म माता हैं और इनकी पढ़ाई का सारा खर्च भेजते हैं। इनके पास बच्चों की नियमित रिपोर्ट भेजी जाती है। सीता नाम की लड़की, जिसकी मां केवल पौधों की जड़ और शसेटिया खाकर ही रहती थी, की कष्ट कहानी सुनकर एक पारसी सज्जन रो पड़े थे और धार वह एक बालक के धर्म पिता हैं। इंग्लैंड, फ्रांस इटली लक्समबर्ग अमेरिका, स्वीडन आदि देशों में समन्वय विद्यापीठ के धर्म पिता फैले हैं और इनमें फ्रांस के हाईस्कूल में पढ़नेवाली ऐसी तीन लड़कियां भी हैं जो अपने जेब-खर्च से तीनों बच्चों का खर्च चलाती हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और प्रेम इस विद्यापीठ की विशेषता है।

बच्चों की इस शिक्षा से क्रान्ति

भूदान में काम करते समय मैंने अनुभव किया कि भूमिहीनों की जमीन और खेती की सुविधाएँ देने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक उनकी परम्पराएँ नहीं बदलतीं तब तक स्थायी परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। इनमें बहुत तो शराब पीने के लिए जमीन को बर्चक रख देते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है इनकी परम्पराएँ बदली जायें। परम्पराएँ तो बाल्यजीवन

के स्तर पर ही बदली जा सकती है। इसलिए मैंने विद्यापीठ प्रारम्भ करने की बात सोची।

जब मैंने विद्यापीठ प्रारम्भ किया तो समाज में इसका बड़ा विरोध हुआ। समाज के सर्वर्ण और धनी आदमी इस विद्यापीठ के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग के लड़के पढ़-लिख जायेंगे तो उनके खेत में और घर में काम कौन करेगा। उन्होंने अफवाह फैला दी। इन बच्चों का बलिदान कर दिया जायगा, अथवा उन्हें अमेरिका भेज दिया जायगा। अतः अभिभावक भयभीत हो गये। परन्तु धीरे-धीरे उनका डर जाता रहा है और अब सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं।

२ वर्ष पहले जब बच्चे यहाँ आये तो वे बहुत गंदे थे। परन्तु धीरे-धीरे वे साफ रहना सीख गये हैं। ये हरिजन हिन्दुओं और आदिवासियों के बच्चे हैं, परन्तु विद्यापीठ में आने के पहले उन्होंने राम और कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था। इस वर्ष कृष्ण जन्म के अवसर पर जब इन बच्चों ने कृष्णलीला का अभिनय किया और उनके मातामो-पितामो ने नाटक देखा तो उन्होंने भी जीवन में पहली बार कृष्ण का नाम सुना। हमने इन हरिजनों की इतनी धवहेलना की है।

विद्यापीठ की पढ़ाई-लिखाई

विद्यापीठ में लड़के काम करते हैं—एक सस्कारमय जीवन जीते हैं। प्रातः उठकर आष घंटे तक बच्चे ध्यान और प्रार्थना करते हैं। फिर सफाई का काम करते हैं। इसके बाद खेती और गोशाले के काम में लग जाते हैं—काम में क्या लग जाते हैं अपनी अवस्था के अनुसार इन कामों में हमारी सहायता करते हैं। विद्यापीठ में जो उत्पादन प्रवृत्तियाँ चल रही हैं उनमें ये बालक अपनी सार्वभौमिक और बौद्धिक क्षमता के अनुसार काम करें ऐसी चेष्टा हम करते हैं। इस प्रकार प्रारम्भ से ही हम इन बच्चों के उत्पादन व्यक्तित्व का विकास करते हैं। गीत और नृत्य भी उनके जीवन का अभिन्न अंग है और इसकी शिक्षा भी इनको दी जाती है। लोककला तो इन बच्चों के गून में है और बाहर से आने वाले ने इस दिशा में इनको जो प्रगति देसी है उस पर वे मुग्ध हो गये हैं। विदेशी बहनों की मदद से ये आर्ट का काम भी करते हैं और इनके यत्न से हुए चित्रों और डिजाइनों में जो छन्द और प्राण मिलता है उसे देखकर आश्चर्य होता है। पढ़ाई का काम तीसरे पहर दो घंटा होता है और उसमें भी इन बच्चों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। जो शिक्षा-शास्त्री समन्वय विद्यापीठ में आये हैं

उन्होंने बतलाया है कि इन बालकों के पढ़ने लिखने का स्तर भी काफी कम है। समन्वय विद्यापीठ में बच्चे पढ़ते नहीं जीवन जीते हैं। इस प्रकार के स्कूल गाँव गाँव में खुले तो शिक्षा में प्राप्ति होगी इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है।

शेख मुजिबुर्रहमान

गलतफहमी के भय के कारण मैंने अबतक पाकिस्तान की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन शेख मुजिबुर्रहमान ने दुनिया के स्वातंत्र्य प्रेमियों के नाम जो अपील निकाली है उसे पढ़कर कुछ शब्द कहने की प्रेरणा हुई है।

सबसे पहिले, उन्होंने बंगला देश की जनता को जो नेतृत्व प्रदान किया है उसके प्रति मैं अपनी गहरी प्रशंसा के भाव प्रकट करना चाहता हूँ। सारे इतिहास में दूसरे किसी नेता की मिसाल ढूँढना कठिन होगा जिसने शख मुजिबुर्रहमान की तरह अपने नेतृत्व में पूरी जनता को संगठित किया हो। इससे भी कठिन ऐसी मिसाल ढूँढना होगा जिसमें जनता का इतने सम्पूर्ण समर्थन का उपयोग, चावजूद विरोधी उत्तेजनाओं के, इतनी सहिष्णुता और विवेक के साथ किया गया हो। गांधीजी के बाद शेख मुजिबुर्रहमान ही हैं जिसने इतने बड़े पैमाने पर अहिंसा की शक्ति का प्रदर्शन किया है। मेरा पक्का विश्वास है कि इस प्रेरणादायी उदाहरण का आज की परीशान, धस्त व्यस्त, दुनिया पर बड़ा विधायक प्रभाव पड़ेगा।

मैं स्पष्ट बना दूँ कि जिस तरह मैं अपने देश की अखण्डता में विश्वास करता हूँ उसी तरह मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अखण्डता खण्डित हो। शेख मुजिबुर्रहमान ने खुद स्वायत्तता से अधिक की माँग नहीं की है, और यद्यपि पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन ने नरसंहार के काम किये हैं, उन्होंने धूल भरे जाने का अन्तिम कदम नहीं उठाया है। यह उनकी बुद्धिमत्ता है। लेकिन अगर उन्हें अपना समय तोड़कर भागे बचना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी पश्चिमी पाकिस्तान के सिविल और सैनिक अधिकारियों पर होगी। पारा है वे बुद्धि से काम लेंगे, और उन्हें समय की सीमा से घागे जाने के लिए विवश नहीं करेंगे। सब तक दुनिया का हर नागरिक, और हर सरकार, जिन्हें जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में विश्वास है, शेख मुजिबुर्रहमान का तथा अंगला देश की सरकार का, जिसका यह नेतृत्व कर रहे हैं, समर्थन करेगी।

— अमप्रकाश नारायण

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा

डा० ज्यूलियस के० न्येरेरे

(तजानिया गणराज्य के राष्ट्रपति)

[अभी चोड़ ही दिन पहले तजानिया के राष्ट्रपति डाक्टर जे०के० न्येरेरे भारत आये थे । डा० न्येरेरे कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि विचारक और शिक्षा शास्त्री भी हैं । शिक्षा पर उन्होंने जो लिखा है वह नयी तालीम के पाठकों के लिए ही नहीं इस देश के शिक्षा गार्हियों के लिए भी अर्खें खोलनेवाला है । गांधीजी की जिस शिक्षा पद्धति को हमने प्रसफल घोषित कर दिया है, उसी प्रसफल शिक्षा के तत्वों से तजानिया की शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा है । न्येरेरे की यह पुस्तिका किसी भी उस देश की शिक्षा पद्धति के लिए नमूना हो सकती है जिसकी संस्कृति प्रमुखतः ग्राममूलक है, किसी भी विदेशी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त होकर अपने देश में समाजवाद लाने के लिए तत्पर है । —संपादक]

इस देश (तजानिया) में, तानु (तजानिया की राष्ट्रीय सभा) के नेतृत्व में, स्वतंत्रता के बहुत पहले से ही लोग अपने बच्चों के लिए अधिक शिक्षा की मांग करते रहे हैं । हम शिक्षा के उद्देश्य तथा शिक्षा प्राप्त करने की अपनी आकांक्षाओं पर सदा से ही विचार करते रहे हैं । परन्तु स्कूलों में पालू पाठ्यक्रम की समय समय पर कुछ टीका करने के अलावा हमने उस शिक्षा की जो हमें स्वतंत्रता के साथ मिली है, बुनियादों पर हमने अभी तक कोई गभीर विचार नहीं किया है । हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि हमने शिक्षा का अर्थ केवल अध्यापक, इंजीनियर या प्रशासक प्राप्त करने तक ही सीमित रखा था । व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर भी, हमारे लिए शिक्षा का अर्थ केवल अपनी पालू अयव्यवस्था के अन्तर्गत ऊंचे सरकारी पदों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण मात्र रहा है ।

परन्तु अब समझा गया है कि हम जैसे गरीब देश के साधनों का लगभग २० प्रतिशत अपने बालकों और युवकों की शिक्षा पर खर्च करने के अभाव पर विचार करें । क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में, जो समाज हम बनाना चाहते हैं, उसके साथ शिक्षा का सदर्थ जुड़ जाने तक अपने बच्चे बच्चों (क्रापी तो यह शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं) की शिक्षा पर प्रतिवर्ष लगभग १४,७३ १०,००० निर्दिष्ट खर्च करते रहना हमारे लिए असंभव है ।

शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य

संसार के विभिन्न समाजों में शिक्षा के संगठन तथा विषय (कान्टेन्ट) भिन्न-भिन्न रहे हैं, इसका कारण समाजों की परस्पर भिन्नताएँ और शिक्षा का उद्देश्य परक होना है। शिक्षा का एक उद्देश्य समाज के सप्रहीत ज्ञान तथा कौशल को पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित करते रहना और भावी समाज के सदस्य के रूप में युवक-युवतियों को उस समाज के निर्माण तथा विकास में प्रत्यक्ष भागीदार बनाना है। यह बात व्यक्त या अत्यक्त रूप से पश्चिमी पूँजीवादी समाज, पूर्वी साम्यवादी समाज या पूर्व-शोपनिवेशिक अफ्रीकी समाज, सभी समाजों के बारे में सत्य है।

यदि पूर्व-शोपनिवेशिक अफ्रीकी समाज में कबीली दीक्षा संस्कारों के अवसरों के सिवाय कोई पाठशाला व्यवस्था नहीं रही तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तब बालक अनिश्चित रहते थे। वे काम करके और जीवन जीकर सीखते थे। अपने घरों और खेतों में उनको उन गुणों, कौशलों और व्यवहारों की सीख दी जाती थी जिनकी अपेक्षा समाज उनसे करता था। वे अपने बड़ों के साथ काम में शरीक होकर कौन सी घास किस काम आती है, फसलों के बारे में कब क्या करना होता है, या पशुओं की देखभाल कैसे की जाती है, यह सब बातें सीख लेते थे। वे अपने बड़ों से कथा-कहानियों के रूप में अपने कबीले तथा दूसरे कबीलों से उसके सम्बन्ध के बारे में सीखते थे। इन साधनों तथा उन रिवाजों के माध्यम से, जिन्हें मान्य करना युवकों को सिखाया जाता था, सामाजिक मूल्यों का पीढ़ी दर-पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता था। यह शोप-चारिक शिक्षा थी, जिसमें हर प्रौढ़ कम अधिक एक अध्यापक था। शिक्षा के किसी शोपचारिक ढाँचे के अभाव का अर्थ शिक्षा का अभाव नहीं था और न समाज में शिक्षा को महत्व ही कम था। वास्तव में इस प्रकार की शिक्षा का समाज से सीधा प्रासंगिक सम्बन्ध रहता था। यूरोप में काफी समय से शिक्षा का शोपचारिक संगठन होता रहा है। किन्तु इस प्रक्रिया की गहरी परीक्षा करने से पता लगेगा कि इस शिक्षा के उद्देश्य भी पारम्परिक अफ्रीकी समाज के उद्देश्यों के ही समान थे। अर्थात् यूरोप की इस शोपचारिक शिक्षा का उद्देश्य भी बालकों को देश-विदेश की सामाजिक रीति-नीति में दीक्षित करके उन्हें समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार करना ही रहा है। आज साम्यवादी देशों के बारे में भी यही बात सही है। यह साम्यवादी शिक्षा पश्चिमी देशों से चाहे विषय (कान्टेन्ट) में थोड़ी भिन्न भले ही हो, किन्तु उद्देश्य इसका भी वही है,—युवकों को समाज में रहने तथा उसकी सेवा करने

के लिए तैयार करना तथा समाज के ज्ञान कौशल, मूल्य तथा 'ज्ञान' का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरण करना। जहाँ और जब भी शिक्षा अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हुई है, तब तब समाज की प्रगति में बाधाएँ खड़ी हुई हैं, या लोगों में एक अनिश्चित भविष्य की भावना के कारण असंतोष पैदा हुआ है।

तजानिया की औपनिवेशिक शिक्षा और नये राज्य को प्राप्त उत्तराधिकार तजानिया की औपनिवेशिक शिक्षा का उद्देश्य :

वर्तमान तजानिया का निर्माण करने वाले दो देशों में औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा प्रदत्त शिक्षा का उद्देश्य भिन्न था। इस शिक्षा का उद्देश्य देश के युवकों को अपने देश की सेवा के लिए तैयार करना नहीं था। इसके विपरीत इसका उद्देश्य लोगों में औपनिवेशिक समाज के मूल्यों का विकास करना तथा उनको औपनिवेशिक राज्य की सेवा करने के लिए तैयार करना था। अतः इन देशों में शिक्षा का उद्देश्य बलक तथा छोटे छोटे स्थानीय अक्सर पैदा करना था। इसके प्रतिरिक्त कुछ धार्मिक संगठन अपने धार्मिक कार्यों के लिए कुछ साक्षरता का प्रचार-कार्य करते रहते थे।

यह उन लोगों की भालोचना नहीं है, जिन्होंने अक्सर कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा प्रचार तथा संगठन के लिए कठोर श्रम किया है और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उन लोगों ने उस शिक्षा-प्रणाली के माध्यम से जो सामाजिक मूल्य बनाये वे सब गलत ही थे। इसका अर्थ इतना ही है कि तजानिया में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ही चलायी गयी जिसका अधिक बल तजानिया निवासियों में स्वतंत्रता के कौशल उत्पन्न करना तथा लोगों में दास्य भाव पैदा करने पर ही रहा है। यह शिक्षा अनिवायत एक औपनिवेशिक तथा पूंजीवादी समाज की मान्यताओं पर आधारित थी। इसने व्यक्ति में सामुदायिक वृत्तियों के बजाय उसकी व्यक्तिवादी वृत्तियों पर ही जोर दिया और उन्हें ही बढ़ाया। इसने व्यक्तिगत भौतिक सम्पत्ति-समृद्ध को सामाजिक प्रतिष्ठा और योग्यता का प्रमुख मापदंड बना दिया।

इसका अर्थ यह है कि औपनिवेशिक शिक्षा-पद्धति ने मनुष्यों में असमानता की वृत्तियों को पैदा किया है और व्यवहार में समर्थों द्वारा, खासकर धार्मिक क्षेत्र में, कमजोरों के शोषण को प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार तजानिया में यह औपनिवेशिक शिक्षा तजानिया समाज के मूल्यों और ज्ञान को हस्तांतरित नहीं कर रही थी, बल्कि उन मूल्यों को बदल कर उनके स्थान पर एक भिन्न समाज के मूल्यों का रखने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार यह शिक्षा-समाज में

एक प्रकार की शक्ति करने का प्रयास थी, जिससे देश एक औपनिवेशिक-समाज में परिवर्तित हो जाय और शासन करनेवाली शक्ति का प्रभावशाली सहायक बन जाय। यदि ये प्रयत्न असफल हो गये तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इस शिक्षा में लोगों के रूझानों, विचारों तथा ज्ञान को प्रभावित नहीं किया। इस असफलता का यह अर्थ भी नहीं है कि औपनिवेशिक काल में दी जानेवाली शिक्षा उन स्वतंत्र लोगों के अनुकूल है, जिनका लक्ष्य समता की प्राप्ति है।

वास्तव में स्वतंत्र तंजानिया राज्य को विरासत में एक ऐसी शिक्षा-पद्धति मिली जो नये राज्य के लिए अपर्याप्त और प्रतिकूल थी। उसकी अपर्याप्तता तो तुरन्त स्पष्ट हो गयी। सन् १९६१ में देश स्वतंत्र हुआ तो इतने कम लोग शिक्षित थे कि बड़े-बड़े सामाजिक और धार्मिक विकास योजनाओं को चलाने की बात तो दूर रही सामान्य शासन को चलाने के लिए भी हमारे पास बहुत कम लोग प्राप्त थे। इस वर्ष की स्कूल-जनसंख्या भी इतनी नहीं थी कि उससे भी भविष्य में स्थिति में कुछ सुधार की आशा की जा सकती थी। इसके अलावा यह शिक्षा जाति-भेद पर आधारित थी जबकि हमारे स्वातंत्र्य संग्राम की सारी नैतिक शक्ति जातीय भेदभावों के परित्याग पर आधारित थी।

स्वातंत्र्योत्तरकालीन कार्य

इस समय तक उत्तराधिकारी ने प्राप्त शिक्षा के तीन मुख्य दोषों का परिहार हो चुका है। सर्व प्रथम शिक्षा में जातीय भेदभाव समाप्त किये गये। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद ही शिक्षा में विभिन्न जातियों के बीच तालमेल बिठाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और धर्म के आधार पर भेदभाव की नीति समाप्त कर दी गयी। अब तंजानिया का कोई भी बच्चा बिना किसी जातीय या धार्मिक भेदभाव के और बिना इस भय से कि उसे अपनी शिक्षा की कीमत के रूप में किसी धर्म की दीक्षा लेनी होगी, किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में प्रवेश पा सकता है।

दूसरे सेकेंडरी और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा-सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टेंगानिका में १९६१ में ४९०००० बच्चे प्राथमिक शिक्षा पा रहे थे और इनमें से अधिकांश चौथा कक्षा तक ही जा पाते थे। १९६७ में इन स्कूलों में बालकों की संख्या ८२५००० हो गयी और इन स्कूलों की क्षमता ही ७ वर्षीय प्राथमिक शालाओं में बदल दिया जायेगा। १९६१ में सेकेंडरी स्कूलों में ११८१२ छात्र थे और नीचे छठों में तो उनमें केवल १७६ बालक ही पाये थे किन्तु अब इनकी संख्या क्रमशः २५००० और ८३० है।

यह हमारे नये राष्ट्र के लिए निःसदेह ही गर्व की बात है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि हमारी इन सफलताओं से ही हमारी खासकर प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ पैदा हो रही हैं।

तीसरी बात, जो हमने की है वह शिक्षा का संजानीकरण है। अब हमारे बालक ब्रिटिश या यूरोपियन इतिहास ही नहीं पढ़ते और संभावना से भी अधिक तीव्र गति से अब हमारे कालेजों में अफ्रीकी इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है और अभ्यासों को उसके लिए सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। हमारे बालक पुनः अपने राष्ट्रगीत और नृत्य सीख रहे हैं और पाठ्यक्रम में राष्ट्रभाषा को उचित और आवश्यक स्थान मिल गया है। नागरिक शास्त्र की कक्षाओं में भी लोगों को हमारे नवीन राष्ट्र के उद्देश्यों तथा संगठन की शिक्षा दी जा रही है।

फिर भी, जो कुछ मैंने ऊपर कहा है, वह प्राप्त शिक्षा-पद्धति में कुछ हेरफेर मात्र है। अभी इनके नतीजों का आकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि शिक्षा में कोई भी परिवर्तन अपना अंतर पैदा करने में समय लेता ही है। फिर भी १९६६ का अनुभव हमें बतलाता है कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसका पूर्ण परीक्षण होना आवश्यक है। अब इस प्रश्न पर स्पष्ट विचार करने का समय आ गया है कि तंजानिया में शिक्षा-प्रणाली से क्या आशा करनी है और उसका क्या प्रयोजन है? यह निश्चय कर लेने के बाद ही हम तंजानिया की वर्तमान शिक्षा की संरचना और विषय-वस्तु (कान्टेन्ट) की प्रासंगिकता के बारे में सोच सकते हैं। इस दृष्टि से हमें तय करना होगा कि क्या हम अपनी शिक्षा में धर-उधर हेरफेर ही करें या उसे पूर्णतया बदल डालें।

हम किस तरह की समाज-रचना का प्रयास कर रहे हैं ?

केवल, जब हमें यह पता हो कि हमें किस तरह का समाज बनाना है, तभी हम उसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा-पद्धति का निर्धारण कर सकते हैं। किन्तु तंजानिया में अब यह समस्या नहीं है। यद्यपि हम यह दावा नहीं करते कि हमारे पास भावी समाज की स्पष्ट तस्वीर है फिर भी हमने अपने समाज के मूल्यों और सद्यों को बार-बार दोहराया है। हमने कहा है कि हम इन तीन सिद्धान्तों पर आधारित एक समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं :—

(१) मानव के लिए सम्मान तथा समानता। (२) अपने परिधम से उत्पन्न साधनों में सहभाग (शेयरिंग) तथा (३) प्रत्येक हाथ के लिए काम और किसी के द्वारा किसी का शोषण नहीं। हमने अपनी राष्ट्रनीति में इन सिद्धान्तों को शामिल किया है और 'अरुशा-घोणा' में तथा अनेक पूर्ववर्ती दस्तावेजों में

इन नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा की है। हमने अनेक बार यह भी कहा है कि हमारा व्यापक उद्देश्य अफ्रीकी एकता प्राप्त करना है। हम अपने समुक्त गणतंत्र की पूर्ण एकता तथा प्रमुखता की रक्षा करते हुए इस व्यापक उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे। सबसे अधिक हमारी सरकार और जनता ने सब नागरिकों की समानता पर जोर दिया है और यह निश्चय किया है कि इस समानता को प्राप्त करने के लिए ही हम अपनी आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक नीतियाँ निर्धारित करेंगे जिससे यह समानता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यथायत्न बन सके। दूसरे शब्दों में हम एक समाजवादी भविष्य के लिए प्रतिधुत हैं—ऐसे भविष्य के लिए जिसमें जनता स्वयं उन नीतियों को तय करेगी जिनका कार्यान्वयन ऐसी सरकार करेगी जो उसके प्रति उत्तरदायी होगी।

अतः यह स्पष्ट ही है कि यदि हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में वही प्रगति करनी है तो हम तंजानिया की भाज्य की बाहरी तथा भीतरी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इन्हें अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप बदलने का प्रयास करना होगा और सच्चाई तो यह है कि अभी तो हमारा यह नया समुक्त गणतंत्र एक गरीब विछड़ती तथा कृषि अभावस्थावाला देश है। हमारे पास बड़े कारखानों या उद्योगों के लिए धन तथा कुशल और अनुभवी व्यक्तियों दोनों की बड़ी कमी है। इसके विपरीत हमारे पास काफी भूमि है और अपने विकास के लिए कठोर श्रम करनेवाले लोग हैं। इन्हीं साधनों के सम्पक उपयोग पर हमारा भविष्य निर्भर करेगा। यदि हम अपने विकास के लिए इनका उपयोग आत्म निर्भरता के आधार पर करते हैं तब हम धीरे धीरे किन्तु निश्चय ही प्रगति करेंगे और यही वास्तविक प्रगति होगी जो देश की सारी जनता के जीवन को प्रभावित करेगी और जो तंजानिया की वर्तमान गरीबी में रहनेवालों की उपेक्षा करके नगरों में तड़क भड़क की चद 'सो पीसेज' प्रस्तुत नहीं करेगी।

इस राह पर चलने का अर्थ है कि तंजानिया को अभी काफी लम्बे समय तक आधीन अर्थ व्यवस्था का ही सहारा लेना होगा। धूँक लोग गाँवों में रहने और काम करते हैं अतः जीवन में सुधार भी गाँवों से ही होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भविष्य में बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं होगी। अभी भी ऐसे कुछ बड़े उद्योग हमारे पास हैं और वे और बढ़ेंगे भी। किन्तु यह सोचना कि निरन्तर भविष्य में ही हमारे देश के लोग शहरों में रहने लग जायेंगे और उन्हीं बड़े उद्योगों में काम मिल जायेगा एक अस्वाभाविक चिन्तन होगा। अतः यही आवश्यक है कि गाँवों को ही लोगों के अच्छे जीवन

व्यतीत करने योग्य स्थान बनाया जाय और वही उन्हें उनके जीवन की भावश्यकताएँ और सतीष प्राप्त हो सके ।

ग्रामीण जीवन में यह परिचलन स्वतः नहीं आ जायगा । यह तभी भायेगा जब हम इन साधनों का भूमि का और मानव शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें । इसका अर्थ यह है कि लोग परिश्रम बुद्धिमान्नी और सहयोग से काम करें । हमारी ग्रामीण जनता और उसकी सरकार को सहकारिता के आधार पर सगठित होकर अपने समाज तथा देश के हित में काम करना होगा । हमारे ग्राम जीवन तथा हमारी राष्ट्रीय सरकार को समाजवाद तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित होना होगा ।

इस समाजवाद के अनुरूप शिक्षा प्रणाली

इस प्रयास को ही हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन देना है । इसे सबजनों के कल्याण के लिए साथ रहने और साथ काम करने की भावना का पोषण करना है । इस शिक्षा प्रणाली को हमारे युवकों को, एक ऐसे समाज का विकास करने के लिए जिसमें सभी सदस्य समाज के सुख दुःख के समान भागीदार होंगे और जहाँ उन्नति का मापदण्ड निजी या सावजनिक बड़ी-बड़ी इमारतों और कारों नहीं मानव कल्याण होगा गतिशील तथा रचनात्मक रीति में बढ़ा देने के लिए तयार करना होगा । इस तरह हमारी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना और छात्रों में औपनिवेशिक प्रतीत के मूल्यों के स्थान पर भावी समाजवादी समाज के मूल्यों को स्वीकार करने की क्षमता उत्पन्न करना होगा ।

इसका अर्थ यह है कि तजानिया की शिक्षा प्रणाली को व्यक्तिगत उन्नति के बजाय सहयोगी प्रयासों पर जोर देना होगा । उसे समानता की सकल्पना पर बल देना होगा और उसे प्रत्येक प्रकार की दक्षता प्राप्त व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने की जिम्मेवारी लेनी होगी, चाहे वह दक्षता बड़ईगिरी की हो या पशुपालन की हो अथवा किसी बौद्धिक व्यवसाय की हो । विशेषतः हमारी शिक्षा प्रणाली को उस बौद्धिक दम को समाप्त करना होगा जो पढ़ लिखे लोगों में उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण पढ़ लिखे लोग बेपढ़े लिखों से घृणा करते हैं । समान अधिकारवाले नागरिकों के समाज में इस प्रकार के दम का कोई स्थान नहीं है ।

हमारी शिक्षा को केवल सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में ही काम नहीं करना है बरन् इसे तजानिया के वर्तमान समाज में जो ग्रामीण हैं और जहाँ लोगों

की उन्नति खेती तथा ग्राम विकास-सम्बन्धी कार्यों पर ही बहुत कुछ निर्भर करेगी। लोगों को काम करने के लिए तैयार करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा केवल ऊपर के प्रादेशों या निर्देशों पर चुपचाप प्रमल करनेवाले कम या अधिक कुशलतावाले कृषि कार्यकर्ता तैयार करेगी। इसे तो अच्छे किसान पैदा करने होंगे और एक जनतांत्रिक तथा स्वतंत्र समाज में, भलबत्ता ग्रामीण समाज में, उत्तरदायित्व बहन करने के लिए स्वतंत्र तथा जिम्मेदार कार्यकर्ता और नागरिक तैयार करने का कार्य करना होगा। इस प्रकार के नागरिकों में अपने लिए स्वयं सोचने की योग्यता होगी, अपने से सम्बन्धित मामलों पर वे स्वयं निर्णय लेंगे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के योग्य होंगे।

इसका यह अर्थ लगाना गलत होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को केवल ऐसे 'यांत्रिक मानव' पैदा करना है जो सरकार के अधिकारियों अथवा 'तानु' के प्रादेशों और कार्यों पर बिना सोचे समझे प्रमल करें। प्रमल में जनता ही सरकार और 'तानु' है और होनी चाहिए। हमारी सरकार और पार्टी को सदा ही जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और उसमें जनता का प्रतिनिधित्व रहना ही चाहिए। अतः दी जानेवाली शिक्षा में प्रत्येक नागरिक में तीन बातों के विकास की चेष्टा करनी चाहिए। (१) प्रथम है—एक जिज्ञासु मस्तिष्क, (२) दूसरा है—अनुभवों तथा कार्यों से सीखना या इन्कार करना और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उनसे तालमेल बिठाना। (३) तीसरा है—एक स्वतंत्र तथा समान अधिकारवाले ऐसे नागरिक के नाते अपनी स्थिति में बुनियादी विश्वास, जो दूसरे को कदर करता है और जिसकी दूसरे कदर करते हैं, उसके लिए नहीं जो वह पाता है, बल्कि उसके लिए जो वह करता है।

य तत्त्व शिक्षा के व्यावसायिक तथा सामाजिक दोनों पहलुओं से महत्त्वपूर्ण हैं फिर भी कोई भी कृषि का छात्र चाहे वह जितना भी पुस्तकें पढ़ जाय कृषि-सम्बन्धी विस्तृत समस्याओं का जवाब किसी एक पुस्तक में नहीं पा सकता। उसे कृषि के आधुनिक ज्ञान के बुनियादी सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त करके इस जानकारी का अपनी समस्याओं को हल करने में उपयोग करना होगा। इसी प्रकार तजानिया के स्वतंत्र नागरिकों को सामाजिक मामलों में खुद ही निर्णय करने होंगे। क्योंकि ऐसी कोई राजनीतिक पत्रिका पुस्तक या आदर्शिक नहीं है और न हो सकती है, जो उन्हें देश के भविष्य की समस्त सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं का पूरा पूरा और सही उत्तर दे सके। हमारे

पास अपने समाज के द्वारा स्वीकृत कुछ दर्शन तथा नीतियाँ हो सकती हैं किन्तु नागरिकों को अपने अनुभव तथा अभ्यास और ज्ञान के प्रकाश में ही उन पर विचार करना होगा। अगर तजानिया के वर्तमान या भूतकाल के नेताओं की नीतियाँ तथा विश्वासों पर चिंतन मनन करने से तजानिया के नागरिकों को रोका गया तो तजानिया की शिक्षा प्रणाली से एक स्वतंत्र जनतांत्रिक तजानिया समाज का हित सम्पादन नहीं हो सकेगा। केवल अपनी क्षमताओं और समान अधिकारों के प्रति चेतन तथा स्वतंत्र नागरिक ही स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकते हैं।

(क्रमशः)

नयी तालीम की दार्शनिक अवधारणा

डा० सूर्यनाथ सिंह

बैसिक शिक्षा की मूल अवधारणा सम्बन्धी भ्रान्तियाँ दो कारणों से हैं। एक तो निष्पक्ष विवेचको द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की गयी, क्योंकि इसके भाष्यकार या तो गांधीजी के अथ भक्त या कटु भ्रालोचक थे, और इनके दृष्टिकोण की अपनी सीमाएँ थीं, तो दूसरी ओर डा० श्रीमाली प्रोफसर कबीर तथा डा० संयदेन के प्रतिरिक्त किसी उच्चकोटि के शिक्षाशास्त्री ने इसे लेखनी उठाने योग्य ही नहीं समझा। ये तीनों शिक्षाशास्त्री भी ग्रन्थ चर्चों में इतना व्यस्त रहे कि उन्हें बैसिक शिक्षा योजना की दार्शनिक मोमाता का अवसर ही नहीं मिला। फलतः इसकी सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर सम्पक प्रकाश नहीं पडा। वस्तुतः अयावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के कारण भारत का शिक्षित समुदाय शारीरिक श्रम को हेय समझने लगा था। गांधीजी शिक्षा को व्यावहारिक रूप देकर इस दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहते थे।^१ किन्तु उनकी योजना को हमने हस्त-शिल्प-केन्द्रित शिक्षा समझ कर उसका उपहास करना आरम्भ कर दिया। वस्तुतः 'हस्त-शिल्प' तो शिक्षण का माध्यम मात्र था, चरम उद्देश्य नहीं। हस्त-शिल्प योजना में गांधीजी का शिक्षा दर्शन कुछ इस प्रकार छिद्र गया कि शिक्षाशास्त्री उसके गूढ़ तत्वों पर ध्यान ही नहीं दे पाये। प्रस्तुत निबंध का ध्येय बिना किसी मौलिकता का ध्येय लिये नयी तालीम का दार्शनिक अवधारणा का स्पष्टीकरण मात्र है।

गांधीजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास है।^२ उनकी मूल अवधारणा तो इन शक्तियों की समरस अभिवृत्ति है। किन्तु इस विकास तथा अभिव्यक्ति-प्रक्रिया को तभी ठीक से समझा जा सकता है जब हम इसे गांधी दर्शन तथा उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, जिसका स्रोत भगवद्गीता के नैतिक भावधर्म हैं, समझें। शोषण-रहित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, जिसकी भित्ति, सत्य तथा अहिंसा पर आधारित हो गांधीजी का लक्ष्य था अतः उनकी शिक्षा-योजना की व्याख्या इसी सदर्भ में करनी पड़ेगी अन्यथा अनर्थ को भागका है।

शारीरिक विकास का लक्ष्य केवल स्वस्थ मात्र रहने से ही नहीं पूरा हो जाता है। इसके लिए बल, शौर्य, भोज, तेज तथा उत्साह की भी आवश्यकता है। इनके अभाव में स्वस्थ मनुष्य उपयोगी बन नहीं कर सकता। इन गुणों

की उपलब्धि गांधी-शिक्षा योजना में है ही, किन्तु उनकी दृष्टि इसमें और आगे तक गयी है। उनका अभिप्राय तो शारीरिक विकास कर व्यक्ति को वर्तमान-काल की शिक्षा देना था। 'शरीरमात्र सन्तु पमं साधन'। धर्म कर्तव्य का ही दूसरा नाम है—प्राचार* प्रथमो धर्म । मनुष्य का चरम लक्ष्य तो आत्मानुभूति प्राप्त करना है, जो समाज सेवा द्वारा ही प्राप्त होती है।^२ स्वस्थ शरीर समाज-सेवा के लिए आवश्यक है। इसीलिए तो मुण्डकोपनिषद् ने कहा है कि 'नाय-मात्मा ब्रह्मिणेन लभ्यते।'

सामान्यरूप से तो गांधीजी के शारीरिक विकास की अवधारणा मौलिक नहीं ज्ञात होती क्योंकि प्लेटो,^४ स्पेन्सर,^५ लाक,^६ तथा रसेल^७ आदि ने भी कुछ इसीसे मिलता जुलता विचार प्रकट किया है। प्लेटो नागरिकों को स्वस्थ बनाकर उन्हें धारमरक्षा तथा यूनानी गणतन्त्रीय व्यवस्था की रक्षा करवाना चाहता था। लाक तथा रसेल शरीर को स्वस्थ बनाकर मनुष्य को उद्यमी तथा सुखी बनाना चाहते थे। स्पेन्सर व्यक्ति को सुख दुःख सहने की शक्ति प्रदान करना चाहता था। इन समस्त बातों को गांधीजी भी स्वीकार करते हैं, किन्तु उनके लक्ष्य की परिणति शारीरिक विकास मात्र में ही नहीं है।

यदि शारीरिक बल पर नैतिक नियन्त्रण न हो तो व्यक्ति दानव बनकर लोगों का अहित कर सकता है। इसीलिए गांधीजी शारीरिक बल पर नैतिक अनुशासन के पक्षपाती थे जिससे शरीर समाजसेवा के भी काम आ सके। शरीर का यही नैतिक अनुशासन गीता में 'शरीर के तप'^८ की सजा से विभूषित है।^९ इस तप द्वारा शरीर की शुद्धि होती है जिससे शरीर लोक कल्याण का माध्यम बनता है अथवा आत्मानुभूति प्राप्त होती है। गांधीजी की सामाजिक योजना का एक यह भी अभिप्राय था।

पुनः गांधीजी मानसिक तथा बौद्धिक शिक्षा की आयोजना करते हैं। मानव-मस्तिष्क अमोघ शक्तियों का भण्डार है। विवेक, तर्क, सदलेपण, विश्लेषण तथा आलोचनात्मक शक्तियाँ बुद्धि के ही अंग हैं। इसका मुख्य कार्य ज्ञान-भोमासा है। ज्ञानात्मक प्रक्रिया की पूर्णता उसकी निरपेक्षता, वस्तुनिष्ठता, तटस्थता तथा अर्थात्मिकता पर निर्भर करती है। किन्तु यदि इन्हीं शक्तियों का विकास मूल लक्ष्य बन जाय तो मनुष्य शक्की, सनकी तथा मानव द्वेषी बन जाता है। इस स्थिति से हमें बचना चाहिए। अतः मानसिक शक्ति के भी अनुशासन की आवश्यकता है। इसीलिए गीता ने 'मानसिक तप'^{१०} पर बल दिया है।^{११} इस तप के अभाव में मानसिक शक्तियों पर व्यक्ति का नियन्त्रण नहीं

स्थापित हो पाता। मानसिक तप द्वारा बुद्धि की सद्बुद्धि होती है। उसकी क्रियात्मक तथा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। व्यक्ति का मानसिक संगठन होता है। उसकी एकाग्रता बढ़ती है। मनुष्य मानसिक स्वास्थ्य लाभ करता है। उसमें मानसिक समरसता आती है, तथा बौद्धिक सतुलन उत्पन्न होता है। मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए ये बातें अपरिहार्य हैं।

इसके बाद गांधीजी आध्यात्मिक विकास की चर्चा चलाते हैं। अध्यात्म का सम्बन्ध जीवन के भावनात्मक पक्ष से है। दया ममता, करुणा उदारता, तथा मैत्रीभावना आध्यात्मिक जीवन के विविध सोपान हैं। आध्यात्मिकता से ही मूल प्रवृत्तियों का शमन होता है। मनुष्य असुरतब पर विजय प्राप्त करता है। यही शक्ति मनुष्य को लोकहित के कार्यों में सहर्ष, निस्वार्थ भाव से बलिदान करने के लिए प्रेरित करती है।^{१०} मनुष्य निलिप्त होकर मानव समाज तथा जगत् के भाग्य की चिन्ता करता है।^{११} 'स्व' महत्त्व में परिणत हो जाता है। दूसरे का सुख-दुःख अपना सुख-दुःख बन जाता है। इसी आध्यात्मिकता के कारण ही कला तथा साहित्यिक कृतियों में सौन्दर्य मूर्तिमान हो उठता है। मनुष्य में श्रद्धा, सद्भाव, न्याय-भावना, तथा सम्यक् दृष्टि का विकास होता है। व्यक्ति स्वार्थ, आत्मरति तथा परद्वेष से बचता है।^{१२}

गांधीजी इन शक्तियों का एकांगी नहीं बरन् समन्वित विकास करना चाहते थे, क्योंकि एकांगी विकास की अपनी सीमाएँ हैं। समन्वय के अभाव में इन शक्तियों की सम्यक अभिव्यक्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में ये शक्तियाँ या तो अन्तर्मूर्खी होकर मृतप्राय हो जाती हैं या मनुष्य उनका अनुचित कार्यों में उपयोग करता है। शरीर तो शक्ति तथा बल का स्रोत है किन्तु यह स्थूल तथा मूर्त होने के कारण बन्धन मोह, तथा आत्मरति उत्पन्न करता है। अतः इस पर बुद्धि तथा अध्यात्म का अकुश भावश्यक है। इसी अकुश से व्यक्ति की शारीरिक शक्ति मर्यादित होती है। जब शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की उपेक्षा कर मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है तो मनुष्य में दुर्बुद्धि उत्पन्न होकर उससे विनाशरामक तथा ध्वंसरामक कार्य कराती है। हमारे युग की अधिकांश समस्याएँ एकांगी बौद्धिक विकास के कारण भी उत्पन्न हुई हैं। आध्यात्मिक विकास इस दोष का परिहार करता है। इससे बुद्धि निमल होती है। मनुष्य हिंसा तथा क्रूरता के कुचक्र से मुक्ति पाता है। किन्तु जब शरीर तथा बुद्धि के मूल्य पर आध्यात्मिक विकास होता है तो भी परिणाम अच्छा नहीं होता। इससे व्यक्ति में पाषण्ड, हठवाद, घाटश्वर तथा आत्मप्रवक्षणा की भावना उत्पन्न होती है। व्यक्ति निश्चिन्त जीवन व्यतीत करने लगता है।

यही कारण है कि गांधीजी ने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के समरस विकास पर बल दिया है।

जब शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का समरस विकास होता है, तो व्यक्ति का शरीर उसे कार्य-संपादन की शक्ति प्रदान करता है। उसका आध्यात्मिक विकास उसके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। उसकी बुद्धि उस लक्ष्य की ओर उसकी शक्ति का नियोजन करती है। व्यक्ति जीवन के चरम लक्ष्यो की प्राप्ति करता है। जिस समाज में मनुष्य की इन शक्तियो का सम्पूर्ण तथा समरसतापूर्ण विकास होगा वहाँ धरती पर ही स्वर्ग उतर आयेगा। व्यक्ति में देवत्व का आविर्भाव होगा। समाज में शान्ति रहेगी क्योंकि मनुष्य अहिंसक होगा। गांधीजी के सामाजिक दर्शन का यही उद्देश्य भी है।

दुर्भाग्यवश अब तक पश्चिमी शिक्षा ने इस समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यदि स्पार्टा की शिक्षा ने बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा कर शारीरिक शिक्षा पर बल दिया, तो एथेन्स की शिक्षा-प्रणाली ने शारीरिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा की उपेक्षा कर बौद्धिक शिक्षा पर बल दिया। मध्यकालीन शिक्षा ने, जिस पर तत्कालीन घर्माचार्यों का प्रभुत्व था, शारीरिक तथा मानसिक विकास की अवहेलना कर आध्यात्मिक विकास पर बल दिया था। फलतः मनुष्य में आत्म-प्रवचना तथा आत्म निषेध की भावना उत्पन्न हुई थी। आज की शिक्षा शरीर तथा अध्यात्म की उपेक्षा कर बौद्धिक विकास करती है, जिससे अमानवीय व्यवहार, विनाशात्मक प्रवृत्तियाँ, हृदयहीनता तथा मानसिक रोगों की वृद्धि हो रही है। गांधीजी की शिक्षा-योजना ही इनसे बचाव दिला सकती है।

प्लेटो ने मनुष्य को प्रकृति, समाज तथा स्वयं अपने-आप से सामंजस्य स्थापित करने का उपदेश दिया था।^{१३} प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का साधन शरीर है क्योंकि शरीर ही प्रकृति के सांनिध्य तथा सम्पर्क में रहता है। सामाजिक सामंजस्य बुद्धि स्थापित करती है क्योंकि बुद्धि द्वारा ही व्यक्ति को अपनी परिस्थिति, भूमिका तथा भर्वादा का ज्ञान होता है। अपने आप से सामंजस्य तो तभी स्थापित हो पाता है जब भावना तथा लक्ष्यो का परिष्कार ही जाये, यह स्थिति आध्यात्मिक विकास से आती है। जब तक आध्यात्मिक चक्षु नहीं खुलते तब तक मन में शान्ति नहीं होती। जब तक मन अज्ञान्त है तब तक सुख की प्राप्ति मृगतृष्णा है।^{१४} इस त्रिकोणात्मक सामंजस्य तथा समरसता की चर्चा करने पर भी प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना

में इन पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला है। किन्तु इनमें समरसता की स्थिति जाना ही गांधीजी की शिक्षा-योजना की मुख्य विशेषता है। यदि उनकी शिक्षा-योजना को भलीभाँति चरितार्थ कर दिया जाय तो इस त्रिपक्षीय सामाज्य की समस्या का समाधान होगा।

प्रकृत्य-सत्य, शिव, सुन्दर—मानव के वास्तविक भावदरस हैं। विश्व के महान् दार्शनिकों ने इन्हें मानवीय जीवन में उतारने की चेष्टा की है। गांधीजी की शिक्षा-भावना को यदि उसके वास्तविक रूप में कार्यान्वित किया जाय तो इस सत्य की उपलब्धि हो सकती है। इस शिक्षा योजना के अनुसार यदि व्यक्तित्व का निर्माण कर दिया जाय तो व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति को लोकहित में लगावेगा। उसकी निर्मल बुद्धि सत्य का दर्शन करायेगी। उसके कार्यों से ससार की श्रेष्ठ वृद्धि होगी। सोन्दर्य के पुष्प खिल उठेंगे। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के समरस एवं सम्यक् विकास से पृथ्वी पर ही सत्य, शिव, सुन्दर की सृष्टि होगी।

आज जब मानव जीवन चिन्ता, बुद्धि, निराशा, आश्रीत, आत्मविरोध तथा अनेक ज्ञात एवं अज्ञात आपदाओं तथा आसक्तियों से ग्रस्त है, सम्यता स्वयं मनुष्य के ही कार्यों के कारण विनाश के द्वार पर खड़ी है, समस्त मानवता प्राणविक मुट से मुक्ति पाने के लिए त्राहि त्राहि कर रही है, गांधीजी की शिक्षा योजना निराशापूर्ण अन्धकार में प्रकाश की किरणें बिखेर रही है। आज के मानवीय सम्बन्ध के रोग की वह अमोघ औषधि है। हमें उसकी सतही बातों को भूलकर उसकी दार्शनिक भावना को त्रियात्मक रूप में परिणत करना चाहिए।

1. पाचार्य कृपलानी, The Latest Fad and Basic Education, 8
2. Mahatma Gandhi, Basic Education, 30-31.
3. Ross Ground work of Educational Theory, 52
4. Rusk, The Doctrines of Great Educators, 18
5. Spencer Education 137
6. Locke, Some Thoughts on Education, 7
7. Russell, On Education, 35.

८. देवद्विगुरुप्राज्ञपूजन शीघ्र आज्ञं ।

ब्रह्मचर्यमहिमा च शारीर तप मुच्यते ॥

—गीता १७, १४

९. मन प्रसाद' सौमित्र भौनमात्म विनिग्रह ।

व्यावसायिक शिक्षा पर बल

डा० वी० के० आर० वी० राव

मैं हमेशा से इस बात पर बल देता रहा हूँ कि हमारी शिक्षा प्रणाली श्रमिकों की आवश्यकताओं और देश में विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में ऐसी शिक्षा दी जाय, जो बाद में काम धाये। हमारे देश की विकामशील घाटिक व्यवस्था में बहुत से कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता है। हमारा प्रयत्न है कि हम ऐसी शिक्षा प्रदान करें, जिसमें निजी काम घरों में लगनेवाले लोगों को मदद मिले तथा सभी संस्थानों को कुशल कर्मचारी उपलब्ध हो सकें।

इसलिए हमें शिक्षा के कार्यक्रमों के साथ साथ अनेक प्रकार के तकनीकों प्रशिक्षणों पर भी ध्यान देना है, जिसकी आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके लिए यह जरूरी है कि गुरु से ही शिक्षा को रोजगार से संबंधित किया जाय, ताकि वह देश के आर्थिक विकास में उपयोगी सिद्ध हो। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह बात और जरूरी है। क्योंकि उसी स्तर पर बेरोजगारी अधिक है। भागामी वर्षों में लाखों, करोड़ों बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए इस स्तर पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यक है। हमें पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों तथा प्राइमरी मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के तरीकों पर एक बार फिर विचार करना होगा कि इनमें किस हद तक व्यावसायिक शिक्षा देने की क्षमता है तथा शिक्षा का देश के विकास से सम्बन्ध है भयवा नहीं।

हमारी शिक्षा-प्रणाली में अनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ सभी तरह के कामों के प्रति उनके दृष्टिकोण को विशाल व उदार बनाना होगा। जबतक यह नहीं होगा, तब तक हमारी विकास की योजनाओं की नींव मजबूत नहीं होगी और जब नींव मजबूत नहीं होगी, तब चाहे हम कितनी ही निपुणता और कुशलता से काम लें, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों

शिक्षा आयोग ने '६६ में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि शिक्षा जीवन से सम्बद्धित होनी चाहिए अर्थात् रोजगार और उत्पादन से सम्बद्ध होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को शिक्षा में साथ साथ कुछ न कुछ

काम का अनुभव भी होना चाहिए—चाहे वह किसी उत्पादन संस्थान में हो या स्कूल में, घर में या किसी खेल में अथवा किसी कारखाने में।

शिक्षा आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया था कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, तभी शिक्षा उत्पादकता के करीब आ सकती है। विशेषकर यह भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ की शिक्षा ऐसी है, जो लोगों को सरकारी नौकरियों के लामक ही बनाती है और आदमी को सफेदपोश बना देती है। शिक्षा-आयोग ने भविष्य में स्कूलों में दी जानेवाली शिक्षा की रूपरेखा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के मिले जुले पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित की थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा को व्यावसायिक पुष्ट देने के मेरे विचार की शिक्षा आयोग ने भी पुष्टि की थी। लेकिन रिपोर्टें प्रकाशित होने के बाद से अब तक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों में आयोग की सिफारिशों पर अमल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

पूर्व जर्मनी का अनुभव

इसके लिए जरूरत है कुछ ठोस कार्यक्रम निर्धारित करने की। कार्यक्रम निर्धारित करने में हम ऐसे दूसरे देशों के अनुभवों से मदद ले सकते हैं जहाँ व्यावहारिक तौर पर शिक्षा को व्यावसायिक या तकनीकी रूप दिया गया है।

दूसरी तरह का एक देश पूर्व जर्मनी है। मैंने वहाँ के स्कूलों के पाठक्रमों का अध्ययन करवाया और इससे पता चला कि बहुधधी शिक्षा से देश में शिक्षा के आधुनिकीकरण में बड़ी मदद मिल सकती है। काम का अनुभव पूर्व जर्मनी के स्कूलों की शिक्षा में अभिन्न अंग बन गया है। यह बहुधधी शिक्षा देश के तकनीकी, औद्योगिकीकरण और खेती सहित सभी उत्पादन निम्नो में विज्ञान के प्रयोग आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों से भलीभाँति सम्बद्ध है।

हमने सबसे बड़ी भूल की है कि हमने विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों पर परीक्षा किये बिना ही उन्हें सब जगह लागू कर दिया। यह ठीक नहीं है। पहले इन मुद्दों को कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू करके देखा चाहिए कि वे किस हद तक उपयोगी हैं। इसीलिए मैंने अध्ययन दल बनाया था, जो शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने के कार्यक्रम को देश की परिस्थितियों में सदर्भ में स्कूल स्तर पर लागू करने के लिए योजनाएँ बनायेगा, जिन्हें कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पहले आजमाइशी तौर पर अमल में लाया जायगा।

इस अध्ययन दल की रिपोर्ट जनवरी, १९७० में मिली थी और इसकी सिफारिशों को केन्द्र व सभी सरकारों ने मान लिया है। दल ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके प्रायोगिक परियोजनाएँ लागू करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिसके निम्नलिखित दो पहलू हैं।

(१) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का प्रारम्भ।

(२) स्कूली शिक्षा प्राप्त न करनेवालों के लिए अनेक प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षणों का आयोजन।

प्रायोगिक परियोजनाएँ

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि इसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों की उन सस्थाओं में शुरू किया जाय, जहाँ आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों। इस कार्यक्रम के साथ-साथ यह भी ध्यान रखा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को रोजगार भी तुरन्त मिले। इसके लिए आर्थिक विकास की उन गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ती है, जिन्हें रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। शिक्षा को व्यावसायिक रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगारों का भी सर्वेक्षण किया गया है।

हमें प्राप्ता है कि धीरे-धीरे व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने पर देश में उत्पादन भी बहुत बढ़ेगा।*

('प्रौढ़ शिक्षा' से साभार)

समस्या—(क) प्राइमरी कक्षाओं में लेख-सम्बन्धी त्रुटियाँ ।

प्राइमरी कक्षाओं में निम्नलिखित प्रकार की लेख-सम्बन्धी त्रुटियाँ पायी जाती हैं ।

(१) अक्षरों की आकृति-सम्बन्धी त्रुटियाँ ।

(२) पंक्ति के ऊपर, मध्य एवं नीचे लिखे जानेवाले अक्षरों के आकार में अशुद्धियाँ तथा असावधानियाँ ।

(३) एक अक्षर से दूसरे अक्षर तथा एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच में उचित स्थान न छोड़ना ।

(४) अक्षर के विभिन्न अंग में आनुपातिक दोष ।

(५) नयी लिपि के अनुसार ख, घ, भ आदि अक्षरों के उचित आकृति में त्रुटियाँ ।

(६) शिरोरेखा बनाने में असावधानी ।

(७) परिलेख करना ।

(८) मात्रा, अनुस्वार विसर्ग एवं विभिन्न प्रकार के विराम-चिह्नों के बनाने में त्रुटियाँ ।

(९) सामाजिक चिह्नों के बनाने में गलतियाँ ।

(१०) अपठनीयता ।

(११) स्वच्छता-शुद्धता एवं गति का अभाव ।

(ख) लेख-सम्बन्धी त्रुटियों के सम्भावित कारण

इस दिशा में निरीक्षित त्रुटियों का वर्गीकरण निम्नांकित रूप से किया जा सकता है—

(अ) अध्यापक से सम्बन्धित त्रुटियाँ ।

(ब) लेखन-सामग्री-सम्बन्धी त्रुटियाँ ।

(स) भासन-सम्बन्धी त्रुटियाँ ।

(द) अध्यापक से सम्बन्धित त्रुटियाँ—

१—पठनीयता को प्रभावित करनेवाले तत्त्वों से अध्यापक का अप-रिचित होना ।

२—दोषपूर्ण लेख ।

३—लिपि सम्बन्धी त्रुटियों के प्रति सशोधन काय करते समय अध्यापकों की उपेक्षापूर्ण नीति एवं उदासीनता ।

४—रफ सस्वच्छ (Rough) एवं स्वच्छ (Fair) काय का छात्र से अलग अलग कराया जाना ।

५—लेखनी आदि के निरीक्षणों में उपेक्षा ।

६—छात्रों को उचित आसन से बैठने के लिए आवश्यक निर्देश न देना ।

७—सहायक सामग्री का पढ़ाते समय आवश्यकनुतासार प्रयोग न करना ।

ग—लेखन-सामग्री-सम्बन्धी दोष

१—लेखन सामग्री—जैसे तहती कागज-लेखनी रोशनाई आदि का स्तर के उपयुक्त न होना ।

२—फाउण्डेशन का प्रारम्भिक कक्षाओं में प्रयोग ।

घ—आसन से सम्बन्धित त्रुटियाँ

१—बच्चों का लेखासन में न बैठना ।

२—कलम पकड़ने की विधि में दोष ।

३—अध्यापक का दोषपूर्ण आदर्श ।

ङ—लेखन सम्बन्धी त्रुटियों के निवारणाय कतिपय सुझाव

१—राजकीय दीक्षा विद्यालयों में तथा क्षेत्रीय प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों के क्षेत्रों में त्रिदिवसीय सेवारत प्रशिक्षण गिविर का आयोजन किया जाय । इसमें प्रत्येक विद्यालय से कम से कम एक अध्यापक अवश्य भाग ले । अध्यापकों से लेखन सुधार विषय के ऊपर चिन्तन कराकर आवश्यक कारण तथा निवारण हेतु सुझाव लेकर आवश्यक निर्देश दिये जाय । उन्हें उनकी कतव्य निष्ठा का ध्यान दिलाया जाय ।

२—विद्यालयों में फाउण्डेशन से लिखने का पूरा बहिष्कार किया जाय । कित्तिच, नरकट, सरकड की कलम का प्रयोग कराया जाय ।

३—प्रारम्भिक कक्षाओं में लगभग आध सेंटीमीटर खत वाली कलम से अक्षरों के अध्यास का प्रारम्भ कराया जाय । साथ साथ यह भी ध्यान रहे कि दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी जितने अक्षर लिखे जायेंगे खत की चौचगुनी होगी । कक्षा १ से कक्षा ५ तक खत की यह मोटाई क्रमशः कम होती जायेगी । समानांतर रेखाओं के बीच जिनमें छात्र अक्षर लिखेंगे छात्र स्वयं अपनी पट्टी पर अंकित करेंगे ।

४—अध्यापक उपर्युक्त लेख का आदर्श-रूप श्यामपट्ट पर खडिया की नोक की सहायता से धानुपातिक दूरी रखते हुए करेगा ।

५—अध्यापक तस्वीरी पर व्यक्तिगत सशोधन कार्य छात्र की ही कलम से करेगा । यदि छात्र कोई गलती कर रहा है तो उसका सुधार वह उसी कलम से करके छात्र को दिखायेगा ।

६—अध्यापक छात्रों की कलम बनाने के लिए चाकू अवश्य रखें । कलम का निरीक्षण बार बार किया जाय ।

७—श्यामपट्ट की पुताई सप्ताह में दो दिन अवश्य करायी जाय । इससे छात्र भी अपनी पार्टी की सफाई हेतु आवश्यक साख प्राप्त करेंगे ।

८—पारम्भिक स्तर पर प्रारम्भ में ही छात्रों द्वारा मासपेशियों के संचालन तथा उनकी गति में सामञ्जस्य उत्पन्न करने हेतु निम्नांकित प्रयोगों में छात्रों को पूर्ण अभ्यास दिया जाय ।

१—हृषा में भक्षर लिखाये जायें । इसमें अध्यापक स्वयं हाथ का संचालन करके छात्र को करना बताये । इससे मुक्तहस्त संचालन का अभ्यास होगा ।

२—रेगमाल कागज के कटे हुए भक्षरो पर हाथ फेरकर स्पर्शोन्द्रिय द्वारा भक्षरो के शुद्धतम रूप का ज्ञान कराया जाय ।

३—कंकड एव बीज की सहायता से फर्श पर भक्षरो की आकृतियाँ बनाकर तल्पश्चात् वैसे ही बनवाकर अभ्यास कराया जाय ।

४—जमीन पर धूल में या बालू बिछाकर अंगुलियों की सहायता से भक्षर का अभ्यास कराया जाय ।

५—खडिया, गेरू, रामरज के टुकड़ों से स्वतंत्र भाव प्रकाशन कराकर छात्र द्वारा बनाये गए चित्र पर मौखिक-भाव प्रकाशन कराया जाय ।

कक्षा २ में मुलेख का सुधार

१—समस्या का चुनाव—कक्षा २ में मुलेख का सुधार

२—समस्या का परिभाषीकरण तथा सीमांकन—मुलेख का अर्थ है, सुन्दर लेख । कक्षा २ के बालक, भाषा लिखने का काम मशुद्ध एव अनियमित रूप से करते हैं । भाषा लेखन का काम कक्षा १ से ही आरम्भ हो जाता है और इसी कक्षा से मुलेख का काम आरम्भ करा दिया जाना चाहिए । अगर मशुद्ध लेख की आदत छात्रों में लेखन-कार्य करने के आरम्भ में ही पड़ जायेगी, तो फिर उनका मेस हमेशा के लिए खराब हो जायेगा । अतः कक्षा २ से ही प्रत्येक अध्यापक को छात्रों से मुलेख का कार्यारम्भ करा देना चाहिए ।

२—शोध-कार्य की विधि का चयन—छात्रों के लेखन-कार्य में निम्नलिखित विवृतियाँ सामने आती हैं—

- (क) अक्षरों का मोटा पतला होना ।
- (ख) अक्षरों का छोटा-बड़ा होना ।
- (ग) अक्षरों का सीधी पंक्तियों में न लिखा जाना ।
- (घ) अक्षरों में सुडौलता की कमी ।
- (ङ) अक्षरों में सुन्दरता की कमी ।
- (च) अक्षरों का तस्थितो, कावियो स्लेट आदि पर लिखे जाने के कारण उनमें एकरूपता की कमी ।
- (छ) अक्षरों का पेंसिल, कलम, खडिया या बत्ती फाउन्टेनपेन, स्लेट-बत्ती आदि द्वारा लिखे जाने के कारण समानता, एकरूपता और सुन्दरता की कमी ।
- (ज) अक्षरों के झुकाव में एकरूपता का अभाव ।
- (झ) अक्षरों और शब्दों के बीच समान अन्तर न होना ।

विभिन्न स्कूलों की कक्षा २ के बालकों के लेखन कार्य का निरीक्षण करके भेदे और कुरूप भाषा लेखन सम्बन्धी भाँकड़े तैयार किये जायेंगे और यह देखा जायेगा कि बालकों में असुन्दर लेख की प्रवृत्ति क्यों और कैसे आ जाती है । उसके क्या कारण हैं ? असुन्दर लेख के सम्भावित कारण ये हैं—

- १—अक्षरों की आकृतियाँ कठिन होना ।
- २—अक्षरों की आकृतियों की बनाने का क्रम बालक को न आना ।
- ३—लाइनें खींचकर लिखने का अभ्यास न करना ।
- ४—लेखन-कार्य कलम से न करना ।
- ५—लेखन कार्य पेंसिल, फाउन्टेनपेन आदि से करना ।
- ६—लेखन कार्य सस्ती व कापी दोनों पर किसी नियमित ढंग से न करना ।
- ७—अध्यापक द्वारा मार्ग-प्रदर्शन का अभाव ।
- ८—बालकों की बार बार गलती करने की प्रवृत्ति ।
- ९—कलम, खडिया व स्वाही का ठीक न होना ।
- १०—छात्र का गलत ढंग से कलम पकड़ना ।
- ११—मुलेख काय में दैनिक अभ्यास की कमी ।
- १२—मुलेख में सुधार की कमी ।

तथ्यों का सकलन एवं उनकी व्याख्या

४—असुन्दर लेखों के नमूनों का सकलन किया जायेगा और उनके कारणों

का स्पष्टीकरण खोजा जायेगा। प्रत्येक असुन्दर लेख बालकों के समक्ष रखा जायेगा। और उसकी तुलना सुन्दर लेखन से की जायेगी। छात्रों के सुन्दर लेख के नमूने प्रदर्शित किये जायेंगे और आवश्यकतानुसार-दपती पर श्यामपट्ट पर सुन्दर लेख उनके समक्ष लिख दिये जायेंगे और छात्रों को उनका अनुसरण करने को कहा जायेगा। इस कार्य में मुलेख-कावियों की भी सहायता ली जायेगी। असुन्दर लेख के प्रत्येक नमूने का कारण स्पष्ट करके उसका निवारण किया जायेगा तथा बालकों को मुलेख की प्रेरणा दी जायेगी।

५—निष्कर्ष—मुलेख का अभ्यास प्रत्येक छात्र द्वारा नियमित रूप से कराया जाय। मुलेखकार्य कराते समय निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जायेंगी।

(१) बालकों के बैठने का ढंग ठीक हो। वे सीधे बैठें, झुके नहीं। लिखते समय उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुके नहीं। चाहे बालक अपने आगे पट्टी चौकी पर कापी भयवा तख्ती रख कर लिखे, उसकी छाँवें कापी भयवा तख्ती से एक फुट दूर रहे।

(२) लेखन-कार्य का काम कक्षा २ में तख्तियों पर ही कराया जाय, कावियों पर नहीं।

(३) लेखन-कार्य कराने से पहले तख्ती पर तीन समानान्तर रेखाएँ खिचवा दी जायें। प्रथम दो रेखाएँ ३ इंच की दूरी पर, दूसरी और तीसरी रेखाओं के बीच में अक्षर रेखाएँ ३ इंच की दूरी पर होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी रेखाओं के बीच में अक्षर तथा पहली और दूसरी रेखाओं के बीच में मात्राएँ लिखवायी जायें।

(४) कक्षा २ में बालकों से सरकंडे की कलम से ही लिखवाना चाहिए। कलम या लेखनी ४५° से ९०° तक आवश्यकतानुसार ढकी हुई होनी चाहिए।

(५) कलम पकड़ने के ढंग पर अवश्य ध्यान दिया जाय। बालक द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जानी चाहिए कि कलम का खत तख्ती के पूरे धरातल को छूता चले। ऐसा न हो कि बालक कलम को गोक से ही अक्षर लिखे। लेख प्रारम्भ कराने से पहले बालक द्वारा सीधी, पट्टी और भाड़ी रेखाएँ तथा गोले खिचवाये जायें।

(६) सुन्दर तथा सुडोल अक्षर लिखने के अभ्यास की ओर छात्रों की प्रवृत्त किया जाना चाहिए। सुन्दर और सुडोल अक्षरों से तात्पर्य है अक्षर के प्रत्येक भाग का ठीक-ठीक अनुपात होना। अक्षर न बहुत छोटे और न बहुत बड़े और न बेढंगे रूप से लिखे जायें। लेख सुन्दर होना चाहिए।

(७) सुन्दर लेख के लिए नीचे लिखी बातें ध्यान में रखी जायें—दो शब्दों के बीच में कम-से-कम एक अक्षर के आकार का समान अन्तर छोड़ दिया जाय। दो पंक्तियों के बीच में भी कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिए।

(८) मुलेख का कार्य बच्चा के बालकों द्वारा अध्यापक अपनी देख-रेख में कराये। वह प्रत्येक बालक की कापी की ओर ध्यान दे। वह बालकों के बैठने के ढंग, सख्ती रखने, कलम पकड़ने और अक्षर लिखने की ओर पूरा ध्यान दे। जो बालक गलती करे, वह उसे ठीक करता चले, ताकि बालक की गलती का निराकरण होता चले और बालक को तत्काल लाभ मिलता चले। अध्यापक की लापरवाही भयवा देख रेख की कमी के कारण छात्र को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा और उसके मुलेख-मुधार की सहायता कम हो जायेगी।

वर्तनी-सुधार

वर्तनी में निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ पायी जाती हैं।

१. ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं की अशुद्धियाँ।

२. अ, ए, स के उच्चारण तथा समुक्ताक्षर और प्रयोग की अशुद्धियाँ।

३. अर्ध, अर्द्ध, शब्द आह्वान आदि तथा बिना पाई वाले वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, ह और छ के समुक्ताक्षर की अशुद्धियाँ।

४. र, क समुक्ताक्षर की अशुद्धियाँ तथा ह्रन्त होने पर तथा अन्य वर्णों के ह्रन्त होने पर र के साथ समुक्ताक्षर सम्बन्धी अशुद्धियाँ।

५. ऋषि, रिषि, प्रह, ग्रह, त्रिया, कृपा, कृपया आदि के समुक्ताक्षर की अशुद्धियाँ।

६. अनुस्वार और विसर्गवाली अशुद्धियाँ।

७. समास और सधि-सम्बन्धी शब्दों की अशुद्धियाँ।

८. ड, ढ, ढ, ढ सम्बन्धी अशुद्धियाँ।

९. प्रतिम सानुनासिक वर्णों की समुक्ताक्षर-सम्बन्धी अशुद्धियाँ।

वर्तनिक अशुद्धियों के कारण

१. अध्यापकों के वर्तनी-नियमों के ज्ञान का अभाव तथा चर्च का अभाव।

२. अध्यापक द्वारा शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करना।

३. शुद्ध उच्चारण का अभ्यास तथा अशुद्ध उच्चारण एवं लेखन के तात्कालिक सशोधन का नितात अभाव।

४. छात्रों के सम्मुख पत्र, पत्रिकाएँ, साइन-बोर्ड, विज्ञापन, पुस्तकों में अशुद्ध प्रयोग के उदाहरण।

५ लिखित-कार्य, जैसे धृति-लेख, सुलेख प्रनुलेख आदि के अभ्यास का पर्याप्त प्रभाव ।

६ पठन कार्य के अभ्यास का प्रभाव ।

सुधारात्मक सुभाव

अल्पकालीन

१ अध्यापक पाठ में धीरे हुए नवीन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखें तथा स्वयं शुद्ध उच्चारण करें और छात्रों से शुद्ध उच्चारण करायें, कुछ छात्रों को श्यामपट्ट पर बुलाकर लिखवाने का अभ्यास करायें ।

२ लिखित-कार्यों में पठित नवीन शब्दों का समावेश कर शुद्ध लिखवाने का अभ्यास कराया जाय ।

३ अध्यापक को उच्चारण एवं लेखन के तत्कालीन सशोधन के प्रति विशेष रूप से जागरूक होकर तत्परता के साथ सशोधन एवं शुद्ध रूप का अभ्यास कराना चाहिए ।

४ अध्यापक विद्यालय में शब्द-कोष का समुचित प्रयोग करें । छात्रों की दक्षता के अनुसार उन्हें भी शब्द-कोष का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें ।

५ भाषा विषय के अतिरिक्त अन्य विषय के अध्यापकों को भी इस ओर विशेष रूप से जागरूक व सतर्क रहना चाहिए ।

६ प्रधानाध्यापक एवं निरीक्षक को भी इसके प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए और आवश्यकतानुसार निरीक्षण एवं निर्देशन करना चाहिए ।

७ अध्यापक को कक्षा में प्रयोग किये गये अशुद्ध शब्दों की एक सूची बना कर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से शुद्ध रूप का अभ्यास कराना चाहिए ।

८ विद्यालय में उत्सव के अवसरों पर छोटे प्रहसन द्वारा शुद्ध उच्चारण को प्रोत्साहन दिया जाय ।

९ प्रधानाध्यापक एवं निरीक्षक वगैरह इस सूची का समय-समय पर निरीक्षण करें । कक्षा-अध्यापक हर महीने इस कार्य की प्रगति पर ध्यान रखें ।

१० छात्रों से कठिन तथा नवीन शब्दों की सूची बनवायी जाय ।

११ छात्रों से अक्षर जोड़कर शब्द बनाने के खेल कराये जायें तथा कक्षा को टोलिंगी में बाँटकर वक्तवीं प्रतियोगिता करायी जाय, और समय-समय पर अच्छे छात्रों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाय ।

१२ प्रतिदिन प्रायःना के समय शुद्ध उच्चारण करनेवाले छात्रों से धान्यास पढवाकर शुद्ध उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कराया जाय ।

१३. अध्यापक श्रुतिलेख तथा वस्तुनिष्ठ-परीक्षण का प्रयोग विशेष रूप से करें।

दीर्घकालीन :—(१) प्रशिक्षण-विद्यालयों में शुद्ध वर्तनी-सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं परीक्षण की सम्भावनाओं पर विचार करना उचित होता है।

२. शिक्षकों के लिए वर्तनी प्रशिक्षण-शिविरों का आयोजन किया जाय।

३. विद्यालयों में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की प्रभावशाली बनाने का विशेष आयोजन किया जाय।

(१) ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं की अनुद्वियाँ :—

शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द
नीरोग	निरोग
शक्ति	शक्ति
इक्के	ईक्के
विद्या	वीद्या
दुकान	दूकान
इय्या	इय्या
मूर्ध	मूर्ध
झूला	झूला

शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द
अर्द्ध	अर्ध
अन्ध	अन्ध
आह्वान	आह्वन
विज्ञान	विज्वान
चिट्ठियाँ	चिट्ठियाँ
उद्भव	उद्भव
पद्या	पदमा
विद्यमान	विद्यमान

(४) र के समुक्ताक्षर की

(२) ट, थ, ड के उच्चारण तथा समुक्ताक्षर और प्रयोग की अनुद्वियाँ

शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द
तुषार	तुशार
रश्मि	रश्मि
वेप-भूषा	वेथ भूमा
कष्ट	कस्ट
माशिम	माशिम
रिवशा	रिवसा
दृश्य	दृष्य
दृष्टि	दृष्टि

अनुद्वियाँ तथा र ह्रस्व होने पर तथा अन्य वर्गों के ह्रस्व होने पर र के साथ समुक्ताक्षर-सम्बन्धी अनुद्वियाँ।

शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द
पुर्वगास	पुतर्गाल
कर्मचारी	कमर्चारी
पर्याप्त	प्रमाप्त
विधर्मों	विधरमी
वर्षा	बरसा
मूर्ख	मूरख
व्यर्थ	व्यथ
सर्व	सरव
गर्व	गरव

(३) बिना पाई वाले जैसे ट, ठ, थ, ड, ह और ङ के समुक्ताक्षर की अनुद्वियाँ

(५) ऋ अक्षर के समुक्ताक्षर की अनुद्वियाँ।

शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध	अशुद्ध
ऋषि	रिषि	शासन केन्द्र	शासन केन्द्र
ग्रह	ग्रिह	मुख्य मंत्री	मुख्य मंत्री
कृपा	क्रिपा	देश विदेश	देश विदेश
घृणा	घ्रिणा	विधान परिषद्	विधान परिषद्
श्रृगाल	श्रिगाल	कला कौशल	कला कौशल
मृत्यु	म्रित्यु	अन्वेषण (अनु + एषण)	अनवेषण
(६) अनुस्वार व	विसर्ग वाली	अतस्थल (अत + तल)	अतस्थल
अशुद्धियाँ ।		निष्कप (नि + कप)	निष्कप
शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	(८) ड, ढ, ढ, ढ-सम्बन्धी	अशुद्धियाँ ।
अंधेरा	अधेरा	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द
ढाँवाडोल	डावाडोल	पढ़ूँगी	पडूँगी
जलूँगी	जलूगी	मढक	मेढक
बचूँगी	बचूगी	पढना	पढना
कुँघर	कुघर	गुडिया	गडिया

२. परिभाषीकरण एव सीमांकन—हिन्दी की वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ ।
 हिन्दी वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धियाँ छात्रों में प्रारम्भिक स्तर से ही प्रारम्भ हो जाती हैं । भाषा लेखन का काम बालक कक्षा १ और २ से प्रारम्भ कर देता है । परन्तु यह लेखन बिल्कुल प्रारम्भ मात्र है । इस लेखन में काफी अशुद्धियाँ रहती हैं । इन अशुद्धियों का निराकरण कक्षा ३ से ही शुरू हो जाना चाहिए । अगर इस कक्षा से अक्षर-सम्बन्धी अथवा भाषा-सम्बन्धी अशुद्धियों का निराकरण नहीं किया जायगा, तो बालक को अशुद्ध भाषा लिखने की भादत पट जायेगी और फिर उसे शुद्ध करने का काम अत्यन्त कठिन हो जायगा । अतः यह परम आवश्यक है कि कक्षा ३ के बालको द्वारा की गयी वर्तनी-सम्बन्धी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाय और उन्हें शुद्ध शब्द व शुद्ध भाषा लिखने की ओर प्रवृत्त किया जाय ।

३. शोध कार्य की विधि का चयन

सर्व प्रथम शोधकर्ता विभिन्न विद्यालयों में कक्षा ३ के बालको के लेखन का सकलतः करके निरीक्षण करेगा और विभिन्न प्रकार की शब्द सम्बन्धी अशुद्धियों को एकत्र करेगा । वह यह देखेगा कि शब्द-लेखन में छात्र किस प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं । अशुद्धियाँ-सम्बन्धी सामान्य निष्कर्ष निकालकर वह उनके निराकरण की विधि भी खोजेगा । सामान्यतः वर्तनी-सम्बन्धी निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ हमारे सामने आती हैं ।

(क) मात्रा-सम्बन्धी अशुद्धियाँ—

शुद्ध	अशुद्ध
इमली	ईमली, इमलि, इमली
इस	ईस
रुपया	रुप्या
चनुर	चनूर

श्रीमती	शिरीमती
प्रणाम	परनाम
मर्यादा	मरजादा
हिमालय	हिमालिया
(ख) अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि सम्बन्धी अशुद्धियाँ—	

(ख) स्वर-सम्बन्धी अशुद्धियाँ—

जाति	जाती
शांति	शांती
कवि	कवी

जगल	जगल
अरा	अन्रा
अक	अन्क
चञ्चल	चन्चल

(ग) व्यंजन-सम्बन्धी अशुद्धियाँ—

पर्वत	परवत
रिजु	रिजु

(घ) सयुक्ताक्षर-सम्बन्धी अशुद्धियाँ :

बंघ	बंदघ
निश्चय	निश्चय

प्रायः अनुभव किया गया है कि वर्तनी-सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ बालक गलत स्थानीय उच्चारण के कारण करते हैं। अशुद्ध उच्चारण का परिणाम होता है अशुद्ध वाणी विन्यास स और श के उच्चारण दोष के कारण अक्षर ज्ञान भी अशुद्ध हो जाता है। बंगाली लोग सुन्दर को सुन्दर बोलते हैं। नाक से उच्चारण करने वाले व्यक्ति अनावश्यक अनुस्वार लगाते हैं। फलतः भाषा अशुद्ध लिखी जाती है। इ के स्थान पर ई और उ के स्थान पर ऊ का प्रयोग अक्षर देखने को मिलता है। लिपि—ज्ञान के अभाव के कारण भी बहुत-सी अशुद्धियाँ होती हैं। व तथा ब, स, श, प का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण बहुत-सी श्रुतियाँ होती हैं। रेफ लगाने का उचित स्थान छात्रों को ज्ञात नहीं होता। वे दर्शन के स्थान पर दर्शन और सघर्ष के स्थान पर संघर्ष लिखेंगे। इसी प्रकार अनुस्वार-सम्बन्धी भूलें बहुत होती हैं। अनुनासिक और अनुस्वार का भेद छात्रों के मन में स्पष्ट होना चाहिए। चाँद अनुनासिक है, चदा में अनुस्वार लगाया गया है।

अन्य भाषाओं और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के कारण भी वर्ण-विन्यास में परिवर्तन आ गया है। जैसे हम राम को रामा कहते हैं।

उर्दू के शब्दों का ठीक उच्चारण करने के लिए अक्षरों के नीचे बिन्दी लगाकर काम चलाया जा रहा है। जैसे क ख ग ङ फ आदि। सिंधी में ड को र उच्चारित करते हैं जैसे सडक को सरक। पंजाबी में और को हीर, समुद्र को 'समुन्दर' सुरेन्द्र को सुरेन्दर उच्चारण करते हैं। समुक्ताक्षर लिखने में भी एक अक्षर बड़ी आसानी से छूट जाता है जैसे अध्ययन को अध्यन और उज्ज्वल को उज्वल।

४. शब्दों का सकलन एवं उनकी व्याख्या—शोध-कर्ता कक्षा ३ के बालकों की लिखित भाषा से अशुद्ध लिखित शब्दों का सकलन करेगा और उनका कारण खोज निकालेगा। यह कारण उपरोक्त कारणों में से कोई भी हो सकता है। तब छात्रों के उच्चारण को ठीक करके वह उन्हें शुद्ध शब्द लिखने की ओर प्रवृत्त करेगा और इस प्रकार की अशुद्धियों का निराकरण करेगा।

५. निष्कर्ष :—छात्रों की वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों का निराकरण (१) सर्वप्रथम छात्रों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देनी चाहिए। रायबर्न के अनुसार शुद्ध उच्चारण की शिक्षा बालकों को शुद्ध वर्णविन्यास सीखने में

अत्यधिक सहायता पहुँचायेगी। हिन्दी भाषा का प्रधान गुण ही यह है कि उमम जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। भत बालको को पढने के लिए यथेष्ट भवसर दिये जायें। वह जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेगा उतना ही उसका वर्ण विन्यास स्थायी और व्यापक होगा।

(२) लिपि का पूर्ण ज्ञान देना अध्यापक का प्रमुख कर्तव्य है। रेफ कहीं और कब लगती है र और ऋ जैसे ग्रह और गृह का अन्तर उसे स्पष्ट करना चाहिए।

(३) प्रतिलिपि यानी नकल करने के भवसर बालक को अधिक दिये जायें। बालक जितनी बार एक शब्द लिखेगा उतना ही उसे वह ठीक लिखेगा। बालक के नेत्र, मुस और हाथ एक साथ काम करेंगे।

(४) श्रुत लेख के द्वारा भी सीखे हुए शब्दों का लेखन पुष्ट होता है।

(५) अशुद्धियों का निर्देशन करके शब्दों के शुद्ध रूप फिर लिखाये जाने चाहिए। मौखिक कार्य द्वारा भी अशुद्धियों का निराकरण कराया जा सकता है, जिसे यात्रिक-अभ्यास कहते हैं। यह अभ्यास पहले व्यक्तिगत रूप से फिर समवेत स्वर में कराया जाय। अशुद्धियों को दूर करने के लिए श्यामपट्ट पर भी सहायता ली जा सकती है।

(६) छात्रों को एक शब्द-पुस्तिका बनवा दी जाय। छात्र इसमें शब्दों के अशुद्ध रूप लिखे और उन्हें उनके शुद्ध रूप खोजने का प्रयास करे और अध्यापक उसकी सहायता करे।

(७) वर्ण विन्यास सम्बन्धी खेलों का प्रयोग।

अक्षर या वर्तनी प्रतियोगिता — कक्षा को दो भागों में विभाजित करके चारी-चारी से वर्ण विन्यास प्रश्न जाय। अधिक शुद्ध शब्द बतानेवाले को विजयी घोषित किया जाय। दोनों दलों का एक एक नेता भी होना चाहिए।

(क) समूह-खेल—(क) श्यामपट्ट पर एक-एक शब्द लिखकर अध्यापक उन्हें मिटाया जायगा। मिटाने के उपरान्त पूर्ण कक्षा उसे लिखेगी। अशुद्ध लिखनेवाला छात्र शुद्ध रूप को कई बार लिखेगा।

(ख) किसी भी सार्थक शब्दों के वर्णों को मिलाकर श्यामपट्ट पर लिख दिया जाय। बच्चे उनसे वास्तविक शब्द लिखेंगे।

(ग) एक बहुत लम्बा शब्द श्यामपट्ट पर लिख दिया जाय जिसके प्रत्येक अक्षर को लेकर बच्चे उतने शब्द लिखते चले जायें, जितने उन्हें आते हो।

(घ) कुछ निरर्थक शब्द लिख दिये जायें जैसे "मगलय"। छात्रों को उनके शुद्ध शब्द बताने के लिए कहा जाय।

(ड) शब्द के अंतिम अक्षर से नवीन शब्द का उच्चारण किया जाय जिसे अक्षरशरी प्रतियोगिता कहा जा सकता है ।

प्राथमिक विद्यालयों में निम्नलिखित विषयों पर शोधकार्य तुरन्त आरम्भ किया जा सकता है । (१) उच्चारण का सुधार (२) व्यक्तिगत स्वच्छता (३) सशोधन-कार्य (४) छात्रों में शिष्टाचार का विकास । शैक्षा-विद्यालयों में निम्नलिखित विषयों पर शोध-कार्य करने की आवश्यकता है । (१) सहायक-सामग्री की तैयारी (२) पाठ-सकेत में सुधार (३) गृह्यत कक्षा-शिक्षण (४) बहु-कक्षा शिक्षण (५) बर्तनी का सुधार ।

प्रारम्भिक पाठशाला में बर्तनी सुधारने का अभ्यास ।

कक्षा ३

बालकों की अक्षर-विन्यास-सम्बन्धी श्रुतियों का उनके लिखित कार्य के माध्यम पर सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण ।

वर्गीकृत सूची प्रस्तुतीकरण

ह्रस्व तथा दीर्घ		रेफ रकार		दन्त एव मूर्धन्य		क + प् मिश्रण		अन्य	
प्रचलित	शुद्ध	प्रचलित	शुद्ध	प्रचलित	शुद्ध	प्रचलित	शुद्ध	प्रचलित	शुद्ध
अशुद्ध		अशुद्ध		अशुद्ध		अशुद्ध		अशुद्ध	
परिष्ठा ठिक दिबिए	परिष्ठा ठीक दिजिए	आदरणीय विधाधी	आदरणीय विद्यार्थी	देश हमेसा पुत्र्य	देश हमेसा पुष्य	ज्ञान स्वक्ष दक्षा	ज्ञान स्वच्छ दच्छा	ग्रह वृज कक्षा	गृह व्रज कृष्ण

ख--परिकल्पनाएँ--

(१) यदि बालकों को पर्याप्त मौखिक अभ्यास शुद्ध उच्चारण द्वारा कराया जाय तो अक्षर-विन्यास (बर्तनी) में सुधार सम्भावित है ।

(२) यदि बालकों को पर्याप्त लिखित अभ्यास विशुद्ध रूप में कराया जाय तो अक्षर-विन्यास (बर्तनी) में सुधार हो सकता है ।

(३) पर्याप्त श्रुत लेख अभ्यास-सम्बन्धी कार्य को समय-विभाजक-चक्र में सम्मिलित कर लिया जाय तो अक्षर-विन्यास (बर्तनी) में सुधार हो सकता है ।

(४) लिखित तथा मौखिक रूप से अध्यापक द्वारा आदर्श-उच्चारण-प्रस्तुतीकरण तथा छात्रों द्वारा लिखित एवं मौखिक अनुकरण-उच्चारण-अभ्यास द्वारा अक्षर-विन्यास (वर्तनी) सम्बन्धी त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है ।

(५) पारस्परिक मूल्याङ्कन द्वारा त्रुटियों का निवारण सम्भावित है ।

(जैसे—अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर प्रस्तुत किये गये शब्दों के शुद्ध रूपों के आधार पर छात्रों द्वारा एक दूसरे के लेख का सशोधन) ।

(ग) शोधकर्ता चतुर्यं परिकल्पना को प्राथमिकता देते हुए उसके स्थायीकरण हेतु लगभग एक माह पश्चात् परीक्षा लेगा ।

परीक्षा विधि—

(१) शुद्ध अशुद्ध शब्दों के प्रस्तुतीकरण द्वारा ।

(२) रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा ।

(३) दिये गये शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कराना ।

(घ) परीक्षा परिणाम के आधार पर सम्पूर्ण शब्दों में अशुद्ध शब्दों के प्रतिशत, अनुपात तथा पुनः पुनरावृत्ति (Frequency) के स्वरूप की पहिचान ।

प्रतिशत—अशुद्ध शब्दों की संख्या

तथा— $\frac{\text{अशुद्ध शब्दों की संख्या}}{\text{सम्पूर्ण शब्दों का योग}} \times 100$

अनुपात—सम्पूर्ण शब्दों का योग

पुनः पुनरावृत्ति (Frequency)

तथा —कुल शब्दों का योग १८

अनुपात (Ratio) शुद्ध शब्दों का योग—८

अशुद्ध शब्दों का योग—१०

(क) दीर्घ

तथा

ह्रस्व सम्बन्धी—७

रेफ रकार सम्बन्धी—३

नोट उक्त परीक्षा के आधार पर तथ्यों का मकलन तथा परिकल्पना की सत्यता पर निष्कर्ष निकाला जायेगा । यदि परिकल्पना सत्य प्रमाणित होती है तो उसे अपनाया जायेगा अन्यथा अन्य उपर्युक्त परिकल्पनाओं की जाँच की जायेगी ।

(द) परिणाम दीर्घ तथा ह्रस्व त्रुटियों अधिक तथा प्रचुर संख्या में है । यह इसके सम्बन्ध में वाञ्छनीय अभ्यास की आवश्यकता है ।

निम्न विधियों को प्राथमिकता दी जाय ।

सुधार विधियाँ—(१) शुद्ध शब्दों का ध्यान करना तथा चार्ट पर उल्लेख करना ।

(२) कार्ड-बोर्ड के टुकड़ों पर अक्षरों को लिखना तथा बालको द्वारा शुद्ध शब्द बनवाना ।

(३) कार्ड बोर्ड के टुकड़ों पर शब्दों के शुद्ध रूप तथा अशुद्ध रूप को लिखना तथा बालक से पहचानवाना ।

लिखने की ह्रस्व व दीर्घ ऋटियों का निवारण

(अ) कक्षा में केवल खड़ी बोली के शब्द बोलने व लिखने में व्यवहार किये जायें । अध्यापक स्वयं बालको से खड़ी बोली में बात करे, एवं तत्कालीन बालकों को एक दूसरे से खड़ी बोली में बात करने को कहे । उच्चारण में ह्रस्व व दीर्घ अक्षरों की पूर्ण शुद्धता का पालन करे ।

(ब) पोस्ट-प्राक्सो, यस-स्टेशनो, रेलवे स्टेशनो, सड़कों, सांख्यिक स्थानों पर लिखे व टांग जानेवाले पट्टों को लिखनेवालों की दीर्घकालीन योग्यता का प्रमाणित होना तथा पट्टों की जाँच की व्यवस्था एक आयोग द्वारा करवाने के परचाव ही उन्हें टांगने की अनुमति दी जाय ।

(स) व्यक्तिगत ढंग से ऋटिपूर्ण उच्चारण की जानकारी तत्कालीन अध्यापक व बालको को कराना तथा उसका शुद्ध अभ्यास कराना । आदर्श गठ, कठिन शब्दों का उच्चारण दीक्षा काल में विशेष रूप से कराया जाय तथा विद्यालयों का निरीक्षण करते समय एक केन्द्र के अध्यापकों को बुलाकर सामूहिक रूप से सामान्य अशुद्धियों का निर्देश करना तथा उनका शुद्ध अभ्यास कराना ।

(द) भ्रूत लेख के सशोधन को बच्चों द्वारा सम्पन्न कराना, भ्रूत लेख लिखाने के बाद कठिन शब्दों या ऋटिपूर्ण तत्कालीन शब्दों को व्यामण्ट में अंकित करके एवं दूसरे बालकों से परस्पर ऋटियों का सशोधन करवाना ।

सामान्य ऋटियों का चार्ट बनाना व शुद्ध रूपों का अभ्यास कराना ।

(य) अध्यापकों की जानकारी हेतु विद्यालय में सदस्य-अध्यक्ष दीर्घकाल के लिए उपलब्ध कराये जायें । इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में उच्चस्तर का भाषा-कोष उपलब्ध कराना है । भाषाओं में भी शब्दों की शुद्धता-हेतु शब्द-कोषों के प्रयोग की आवश्यकता अनुभव कराना है ।

(फ) पाठ्य-क्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का अध्यापक द्वारा दीर्घकालीन

अध्ययन करना । उनके अध्ययन द्वारा भाषा-शिक्षण को सक्षम बनाया जाय । कुजियों का बहिष्कार कराया जाय ।

(र) बालक की शारीरिक त्रुटियों के निवारण हेतु विशिष्ट परीक्षण करना तथा शारीरिक त्रुटियों की जानकारी हो जाने पर उन्हें मनोविज्ञान-शालाओं में भेजना चाहिए । उनके परीक्षण एवं त्रुटि-निवारण हेतु अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके बालकों को भिन्नवाना चाहिए ।

(क) अध्यापक को इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि बालक के मन में विषय या अध्यापक के प्रति कोई मानसिक प्र-घ्न न बनने पाये । और यदि घर में कोई प्र-घ्न दीर्घकालीन बन गयी हो तो उसे दूर करने का मनो-वैज्ञानिक प्रयत्न करना चाहिए । इस हेतु अध्यापकों को बालकों से स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ।

वर्तनी गुधार-हेतु अभिमत —

१—प्रत्येक क्षेत्रीय प्रति-उप विद्यालय-निरीक्षक अपने विद्यालयों में तथा दीक्षा विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने छात्राध्यापकों का वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण करके विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रयुक्त होनेवाले ऐसे शब्दों की सूची बना ले जहाँ छात्र प्रायः भूल करते हुये पाये जाते हैं । अध्यापक एवं छात्राध्यापक का कर्तव्य होगा कि शब्दों के शुद्ध रूप से परिचित हो जायें ।

२—प्रत्येक विद्यालय में शब्द-कोष उपलब्ध कराया जाय ।

३—अध्यापक एवं छात्राध्यापक द्वारा शब्दों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्तनी पर बल दिया जाय ।

४—शिक्षाधिकारी एवं अन्य लोगों का यह कर्तव्य होगा कि पाठ्य पुस्तकों एवं विज्ञापनों तथा सूचना-पट्ट (साइन बोर्ड) पर लिखी अशुद्ध वर्तनी छात्र के सम्मुख न घाने पाये ।

५—अध्यापक सूचीबद्ध शब्दों को स्वयं श्यामपट्ट पर लिखकर उनके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करायें ।

६—अध्यापक श्रुत लेख, निबन्ध तथा अन्य लिखित कार्यों में नवीन कठिन शब्दों का प्रयोग करायें ।

७—कक्षा में समय-समय पर वस्तुनिष्ठ-परीक्षा द्वारा वर्तनी की परीक्षा ली जाय ।

८—कठिन शब्दों के उदाहरण विभिन्न परिस्थितियों में जैसे द्रुत पाठ्य-पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, सूचना-पट्ट, बुलेटिन-बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये जायें ।

६—छात्रों के लिखित-कार्य का सशोधन अत्यन्त सावधानी से किया जाय ।

१०—छान शब्द पुस्तिका का अभ्यास करें, साथ ही-साथ शब्दकोष का भी प्रयोग किया जाय ।

११—अध्यापक अपनी कक्षा में ऐसे शब्दों की एक सूची बना ले जिसकी वर्तनी में बालक अविकारा धुटियाँ करते हों । इस सूची के आधार पर व्यक्तिगत अभ्यास कराया जाय तथा प्रगति देखी जाय ।

१२—छात्रों में शब्द निर्माण, खेल तथा वर्तनी-प्रतियोगिता करायी जाय ।

—रान्य शिक्षा सस्थान, उत्तरप्रदेश

“नयी तालीम” मासिक का प्रकाशन-वक्तव्य

(न्यूजपेपर रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (फॉर्म न० ४, नियम ८) के अनुसार हर अक्षर के प्रकाशक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के साथ साथ अक्षर में भी वह प्रकाशित करनी होती है । तदनुसार यह प्रतिलिपि यहाँ दी जा रही है ।—स०)

(१) प्रकाशन का स्थान	वाराणसी
(२) प्रकाशन का समय	माह में एक बार
(३) मुद्रक का नाम राष्ट्रीयता पता	श्रीकृष्णदत्त भट्ट : भारतीय 'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी-१
(४) प्रकाशक का नाम राष्ट्रीयता पता	श्रीकृष्णदत्त भट्ट भारतीय : 'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी-१
(५) सम्पादक का नाम राष्ट्रीयता पता	धीरेन्द्र मजूमदार : भारतीय 'नयी तालीम' मासिक, राजघाट, वाराणसी-१
(६) समाचार-पत्र के संचालकों का नाम-पता	: सर्व सेवा सघ, गोपुरी, वर्षा (सन् १८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट २१ के अनुसार रजिस्टर्ड सार्व- जनिक संस्था) रजिस्टर्ड न० ५२

मैं श्रीकृष्णदत्त भट्ट यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है ।

वाराणसी, २८-२-७१

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट, प्रकाशक

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १६

अंक : ८

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

स्वावलम्बन के लिए शिक्षा	३३७ श्री वशीधर श्रीवास्तव
समन्वय विद्यापीठ-बाधा	३४० श्री द्वारिकी मुन्दरानी
आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा	३४८ डा० ज्यूलियस के० न्येरेरे
नयी तालीम की दार्शनिक अवधारणा	३५७ डा० सूर्यनाथ सिंह
व्यावसायिक शिक्षा पर बल	३६३ डा० वी०के० आर० वी० राव
प्रारम्भिक विद्यालयों में क्रियात्मक	
शोधकार्य	३६६

मार्च, '७१

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक अंक छह रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहक अपनी प्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीगुरुदेवता मठ, सर्वे सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : मार्च, '७१

पहुने न डाक-व्यय दिव बिना नया वो स्वार्थी प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० म० गल० १७२३

सर्वोदय-साहित्य-सेट (१९७२-१९७२)

[अप्रैल १९७१ में चालू]

र० ७) में १००० पृष्ठ

१-आत्मकथा	१८६६-१६००	गाधीजी	१)
२-बापू कथा	१६२०-१६८८	हरिभाऊजी	३)
३-तीसरी शक्ति	१६४८-१६६६	विनोबा	३)
४-गीता प्रवचन		विनोबा	०)
५-मरे मरना का भारत		गाधीजी	०)
६-मधु प्रभात की एक पुस्तक)५०
			११)५०

तबतक १२०० पृष्ठों का यह साहित्य सेट र० ७) में मिलेगा। २८ सेटों का पूरा बण्डल वाणी में मँगाने पर प्रति सट ५० पैसे कमौशन।

र० ५) में ८०० पृष्ठ

राज्य सरकारें, पचायते, शिक्षण संस्थाएँ आदि न सिवा थोक पर दी की दृष्टि में छोटा सेट भी चालू रहेगा, जिसकी पृष्ठ संख्या लगभग ८०० होगी। यह सेट रुपये ५) में दिया जायगा। इसमें निम्न पुस्तकें रहेगी

१ आत्मकथा	- गाधीजी	१)
२ बापूकथा या गाधी	जेमा देवा ममभा विनोबा ने	- हरिभाऊजी ३)
३ तीसरी शक्ति		- विनोबा ३)
४ गीता-बोध व मंगल प्रभात		- गाधीजी १)

८)

पाच रुपयेवाले ४० सटों का पूरा बण्डल वाणी में मँगाने पर प्रति सट ५० पैसे कमौशन और फ्री डिलीवरी।

बवल एक ही सट मँगाने पर डाक चर्च के लिए र० २-०० अधिन भेजना चाहिए। यदि ५ र० वाले सेट अथवा ७ र० वाले ७ सट एक साथ मगाये जायेंगे तो रेलवे पासंज से फ्री डिलीवरी भेज जा सकेंगे।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी १

नयी तालीम


सर्वविद्यालयी शिक्षा

वर्ष : १९

श्रंक : ९



- आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा
- शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य
- भारतीय संस्कृति : विलम्बना और शिक्षा
- शैक्षिक आयोजना का प्रमुख आधार



अप्रैल, १९७१

आजादी—दूसरी मंजिल

जीयेंगे तो स्वतंत्र होकर मरेंगे तो स्वतंत्रता के लिए। जिस दिन शेख मुजीबुरहमान और उनके देशवासियों ने यह सकल्प कर लिया, उस दिन उन्होंने दुनिया के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। बंगला देश के इस स्वातंत्र्य संग्राम के बाद कम से कम एशिया का इतिहास वह नहीं रहेगा जो आज तक रहा है। और, न तो भारत पाकिस्तान के सम्बन्ध ही वे रहेंगे जो अब तक रहे हैं।

बंगला देश की यह लड़ाई अब किन्हीं नागरिक अधिकारों के लिए नहीं रह गयी है। स्वायत्तता की मांग भी पुरानी पड़ गयी। अब यह लड़ाई पूर्ण स्वतंत्रता के लिए है—ठीक वही स्वतंत्रता जो भारत और पाकिस्तान को अगस्त १९४७ में मिली थी। लगता है आजादी की पहली मंजिल चौबीस साल पहिले पूरी हुई थी, दूसरी अब पूरी हो रही है। उस समय मुकाबिला था विदेशी साम्राज्यवाद से, इस वक्त है देशी सैनिकवाद राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद से। घर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से कम जालिम नहीं होता, बल्कि ज्यादा। साम्राज्यवाद नहीं चाहता कि कोई राष्ट्र स्वतंत्र रहे, सैनिकवादी राष्ट्रवाद नहीं चाहता कि जनता स्वतंत्र हो।

मुजीब पर यह आरोप है कि उनकी मांग से पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र टूट जायगा। ब्रिटिश प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के सैनिक शासक और अति-राष्ट्रवादी नेता तथा भारत के भी कुछ लोग, ये सब ऐसे हैं जिनकी नजर में याह्या खान का यह औचित्य है कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह अपने

वर्ष : १६

अंक : ६

राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं ! कितना विचित्र है यह तर्क ! मुजीब की माँग शुरू से स्वायत्तता की थी—पाकिस्तान के भीतर । लेकिन याह्या और उनके मर्मथकों के पट्टयत्र ने पाकिस्तान के भावी प्रधान मंत्री को 'दागी' बना दिया । मुजीब ने तो चुनाव का वही रास्ता पकड़ा था जो लोकतन्त्र में मान्य है, लेकिन याह्या ने लोकतन्त्र की शर्तें पूरी करने का साहस नहीं हुआ । वास्तव में शासकों की राष्ट्रीयता कुछ और होती है, और जनता की राष्ट्रीयता कुछ और । शासकों की राष्ट्रीयता दमन और शोषण से चलती है, जब कि जनता इससे मुक्ति चाहती है । बंगला देश की जनता को लड़ाई पाकिस्तान और इस्लाम के नाम में चलनेवाले पंजाबी दमन और शोषण से मुक्ति के लिए है । मुक्ति मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे कायदे कानून या नारों में बाँधकर कम नहीं किया जा सकता । जनता की मुक्ति से अगर देश और धर्म को नुकसान पहुँचता हो—शासकों की नजर में—तो उसे अपनी मुक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है । बंगला देश की जनता लाखों की संख्या में शहीद होकर ज़ख़रत से कहीं ज्यादा कीमत चुका रही है । इतने पर भी अगर आज का पाकिस्तान टूटता है तो उसकी जिम्मेदारी दमन करनेवालों पर होगी, न कि मुक्ति चाहनेवालों पर ।

अपनी आजादी की लड़ाई में भारत की जनता को इतनी कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी । आज बंगला देश की निहत्थी जनता जिस एकता और संगठन का परिचय दे रही है वह बेमिसाल है । भारत की लड़ाई में गांधी की अहिंसा-शक्ति अधिक थी, नागरिक शक्ति कम । बंगला देश की लड़ाई पूरे तौर पर सैनिक-शक्ति बनाम नागरिक-शक्ति की लड़ाई है, इसलिए बन्दूकों के होते हुए भी अहिंसा के अत्यन्त निकट है । असहयोग और अवज्ञा का प्रयोग जिस पैमाने पर, और जिस सफलता के साथ, बंगला देश की जनता कर रही है, उस तरह उसका प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था । पराधी सत्ता, देशी सरकार तथा पारम्परिक समाज, इन सबमें अलग ढंग की अनीति और अन्याय होता है । हर एक के लिए अहिंसा के अस्त्रों का शोध होना अभी बाकी है ।

भारत की संसद ने सर्व सम्मत प्रस्ताव पास कर यह आश्वासन दिया है कि भारत की जनता बंगला देश की जनता के साथ है ।

स्वतंत्रता और लोकतंत्र की माननेवाले कौन ऐसे लोग होंगे या कौन ऐसी सरकार होगी जिसका समयन बगला देश की जनता को नहीं प्राप्त होगा । हम आशा है कि शीघ्र वह स्थिति आ जायगी जिममें दुनिया की अनेक सरकारों के लिए बगला देश की स्वतंत्र सरकार को मान्यता देना आमान ही जायगा । भारत सबसे करीब का पड़ोसी है । वस्तुतः भूगोल की दृष्टि से बगला देश भारत की गोद में है । गोद में बठी बगला जनता को भारतीय हृदय के स्पन्दन की अनुभूति अवश्य होती होगी । कानून के कागज अपने समय और ढंग से तयार होंगे लेकिन हृदय हृदय की पुकार सुनने में देर क्यों करे ?

सकट की इस अत्यंत नाजुक स्थिति में भारत को बठोर समय बरतना पड़ रहा है । उसे भारत मुजीब पडयंत्र के आरोप से बचना है, खुद बचना है और बगला देश की जनता को भी बचाना है । उसे दुनिया की सरकारों का सक्रिय सहयोग लेना है, लेकिन बगला देश और भारत के पूर्वाचल को दूसरा प्रियतनाम नहीं बनने देना है । इन स्थितियों को बचाते हुए बगला देश के मुक्ति अभियान को 'पराजय' से बचाना है । भारत ने सनिक गुटबन्दी से अलग रहकर अंतराष्ट्रीय शान्ति और सद्भावना के रास्ते पर चलने का प्रयत्न किया है । सर्वोदय आन्दोलन ने 'जय जगत् का नारा लगाया है । क्या भारत सरकार क्या भारतीय जनता और क्या विभिन्न दल और मस्थाएँ और क्या स्वयं सर्वोदय आन्दोलन, सबकी समान रूप से चिन्ता है और होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में मुक्ति की आवाज डूबने न पाये । तब तक राहत और सहायता के रूप में हम जो कुछ कर सकते हैं करें ।

— राममूर्ति

शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य

ईश्वरभाई पटेल

किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम प्रकार का पूजा निवेश शिक्षा या शिक्षण का माध्यम है। प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वातंत्र्य मूलभूत शिला है। व्यक्ति को अपनी शक्तियों के सर्वोत्तम विकास शिखर पर पहुँचाने के स्वातंत्र्य के परिणामस्वरूप प्रजातंत्र की सर्वोत्तम सम्पत्ति, प्रजातंत्र को रचनेवाली और आकार देनेवाली सम्पत्ति, भाव सम्पत्ति है। व्यक्तिगत मानव जितना समझदार जितना राष्ट्रप्रेमी जितना विकसनीय होगा उतना ही उसका राष्ट्र शक्तिसम्पन्न तथा अनेक रूप से सुरक्षित रहेगा।

शिक्षण का सर्वोपरि राष्ट्रीय ध्येय व्यक्ति को समझदार बनाना है। जितनी जल्दी वह ध्येय को प्राप्त करेगा उतना ही शीघ्र राष्ट्र सुरक्षित सगठित और सुदृढ़ बनेगा।

भारत जैसे राष्ट्र के लिये तो यह एक चुनौती ही है। मुविख्यात इतिहासकार मैकाले ने स्वातंत्र्योत्तर अमेरिकी प्रजातंत्र की गति देखकर सन् १८५७ में अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था कि मुझे तो विश्वास ही गया है कि प्रजातांत्रिक सत्ताएँ देर सवेर स्वतंत्रता या सभ्यता या दोनों को खरम कर देंगी—आपके सविधान रूपी जहाज के मस्तूल तो हैं पर लगर नहीं है या तो कोई सीजर या फिर कोई नेपोलियन सुदृढ़ हाथों से आपकी सरकार पर अधिकार कर लेगा अथवा आपके प्रजातंत्र का, बीसवीं सदी में कोई जगली प्रजा सफाया कर देगी। उसका इस प्रकार मानने का कारण यह था। राष्ट्र की सर्वोत्तम सत्ता अपने नागरिकों के बहुमत को अर्थात् समाज के सबसे गरीब और सर्वाधिक घनानी वर्गों को सौंप दी गयी है। उसका कथन था कि सम्पत्ति की सुरक्षा और कानून की व्यवस्था बनाये रखने में गहरा रस लेनेवाला किसी संगठित वर्ग के हाथों में यदि राज्य की सत्ता न रही तो फिर चाहे कौसी ही सरकार हो अपना कौसी ही व्यवस्था हो नष्ट हुए बिना नहीं रहती।

मेकाले का भय सत्य सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसी वर्ष अमेरिका की कांग्रेस ने लम्बेघाट बार्नेजों और गूनिवर्गिटियों की सत्स्थापना करनेवाला बिल को पारित किया। इन बिल का उद्देश्य राष्ट्र के सभी राज्यों के नवयुवकों को अनेकानेक पेशों और प्रवृत्तियों के व्यावहारिक उदार दृष्टिवाली शिक्षा प्रदान करना था। मात्र इन राष्ट्र की ओर में परब्रह्म गूनिवर्गिटियों के प्रमुख ने 'बायस

‘आफ अमेरिका’ के फोरम व्याख्यानों में यह दावा किया है कि हमारे नागरिकों का बहुत बड़ा बहुमत, मैकाले के सव्दा में सम्पत्ति की सुरक्षा और कानून बनाय रखने में गहरी रुचि रखता है।

अपने नवोदित प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिये यह एक महान् चुनौती और समस्या के समान है। यह भी सब कहते हैं कि इसके निदान में ही राष्ट्रप्रगति की कुंजी निहित है।

हम लोगों के सामने जो सवाल है वह एक दूसरे ढंग से भी नवीनतापूर्ण है - सदियों से गुलामी में रही हुई प्रजा को नागरिक राजा के रूप में जीवित रहना, व्यवहार करना किस प्रकार सिखाया जाय ? प्रजा ही अन्ततः राजा है— यदि यह गणतंत्र का सार है तो प्रजा ही अपना शासकत्व पसन्द करती है। हमारे नेताओं ने स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का नारा हमारे कानों में गूँजाया है जिस प्रभु ने हमें जीवनदान दिया है उसी प्रभु ने हमें साथ-साथ स्वतंत्रता भी दी है। ‘स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है—इस कथन का अर्थ घटन यही तो है न ?

हमारे स्वातंत्र्य-वीरो ने इस स्वाभाविक विश्वास का उच्चारण किया कि सभी लोग समान हैं। आज तो उनके धीरे हमारे सामने सवाल केवल इतना ही है कि क्या परस्पर समान माने गये लोग स्वराज्य स्वशासन के कार्य में भी समान हो सकते हैं ? मनुष्य स्वाभाविक रूप में जन्मतः होशियार नहीं होता, किन्तु स्वतंत्र या मुक्त रहने की इच्छा रखनेवाला नागरिक राजा को होशियार तो होना ही रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि यदि सभी के लिये स्वातंत्र्य को या प्रजातंत्र को अर्थवान् बनाना हो तो सभी के लिये शिक्षा की अनिवार्यता समझनी पड़ेगी। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति और वहाँ के संविधान के पिता कहे जाने-वाले जैम्स एडिसन ने इस भाव की अच्युत तरह इस प्रकार व्यक्त किया है : “गर्वव्यापी शिक्षा की अनुपस्थिति में लोकप्रिय सरकार का अस्तित्व विडम्बना या कष्ट भ्रम में परिणत हो जाता है।” यह बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि कोई भी प्रजा स्वतंत्र तथा अज्ञाना-दोनों एकसाथ नहीं रह सकती। अतः गणतन्त्रात्मक राष्ट्र के इस प्रारम्भकाल में उसके शिक्षा विषयक उद्देश्य या लक्ष्य उसने राजकीय आदर्शों के समर्थक और पुष्टिकर्ता होने चाहिए।

हमारे राष्ट्र नेताओं ने भी इसी धारणा से स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की माँग उठायी थी और इसीलिए भारतीय गणतंत्र के संविधान में सात वर्ष तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को एक तात्कालिक आवश्यक नीति-विषयक क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक, उच्च

तथा यूनिवर्सिटी शिक्षा में भी, स्वातन्त्र्यपूर्व की अपेक्षा, अनेक गुना विस्तार स्वागत-योग्य दिखाई दिया है तथा उसे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न केवल यही उठता है कि मात्र परीक्षा को लेकर चलनेवाली शिक्षा क्या इन राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ भी है? शायद यह इन उद्देश्यों को पूरा करती हुई दिखाई भी नहीं देगी । इस पर भी यह मूलभूत बात है कि परिस्थिति का समाधान शिक्षा की व्यापकता में निहित है । शिक्षा एक लम्बा समय चाहनेवाली प्रक्रिया है । इसका परिणाम तुरन्त दिखाई नहीं देता । इसका फल तो पीढ़ियों में उत्तरता है । सम्प्रति हम लोग भी पहली पीढ़ी की नौकरी से समुक्त तथा परीक्षाभिमुखी शिक्षा पद्धति के परिणाम को प्राप्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं ।

फिर भी इस राष्ट्र में एक ध्येयलक्षी सूक्ष्म किन्तु प्रभावपूर्ण गहन प्रक्रिया क्रियान्वित हुई है । राष्ट्र की लाखों प्राथमिक शालाओं में हमारे बालक लिखना, पढ़ना और गिनना तो सीख ही रहे हैं । इससे भी बड़ी बात जो इसके पूर्व पहले कभी घटित नहीं हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शिष्य के मित्र कामदार, अधिकारी, मिलमालिक, जुलाहा, बडई लोहार शास्त्री आदि के सभी बच्चे स्कूल के दिनों में सुबह ग्यारह बजे से शाम के पाँच बजे तक साथ रहते, साथ खेलते और साथ पढ़ते हैं । समान व्यवहार प्राप्त करते हैं और एक वर्ग-समूह के रूप में प्रवृत्ति में भाग लेते हैं । स्कूल के समय में ये बालक चाहे राजा के हों या रज के, नीच वर्ण के हों या उच्च वर्ण के, समान महत्त्व प्राप्त करते हैं, समान व्यवहार भी प्राप्त करते हैं । मताधिकार की समानता के अनिश्चित मानव-समानता का एक नया ही पाठ स्वाभाविक साहचर्य के कारण नयी पीढ़ी को मिलता है और ज्यो ज्यो माध्यमिक और उच्च शिक्षा को कई प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे, समाज के सभी वर्गों को मिलने संगे, जो मिलने आरम्भ भी हो गये हैं, र्यों-र्यों यह समाजता का श्रेष्ठ स्तूल और बालेज के शिक्षा कर्मों और श्रीदंगणों में स्वतः क्रियान्वित होता जायगा । शिक्षा का विस्तार बढ़ने से अन्तर्जातीय विवाह बढ़ने जाते हैं और जातिवर्ग सीमाएँ निर्विवाद रूप में नष्ट भष्ट होनी आती हैं । गत पीढ़ी की नयी पीढ़ी से यही शिक्षायत्त है । यन्तुत य स्वातन्त्र्य की सहोदरा समानता की देवी के लिये अर्पित अर्घ्य पुण्य है ।

माया और स्थिति की दृष्टि में हीनता अनुभव करनेवाले तथा बातचीत का प्रयोग मान्य सक्षोष करनेवाले समाज के निम्न स्तर में सम्बद्ध बालक शूद्र में अथवा वर्ग, धारने में उच्च वर्ग के बालकशिक्षियों के माध्य (अथवा पहली बार ही अपना माहुरी हुआ है) प्रगल्भतापूर्वक वर्गबान्धों और सेग्रेगिड में स्पर्धा

करने लगा है। वर्गकार्य की इस समानता से समाज में पहली बार यह भाव जन्मा है कि जन्म नहीं, व्यक्ति के रूप में बालक की शक्ति और गुण-लक्षण उसके उत्कर्ष के कारण हैं। महाभारतकार ने वर्ण के मुख में जिम चुनौती को उपस्थित करवाया है दयायत्तम् कुले जन्म मदायत्तम् तु पीरपम्। उसका उत्तर यह नयी वर्ग व्यवस्था स्वयं दे देती है। कालान्तर में इसके सुफल विशाल रूप में देखने को मिलेंगे। इसी भाव को होरसमैन ने इन शब्दों में सुन्दरता से व्यक्त किया है : "मनुष्य की आविष्कृत सभी युक्तियों में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की परिस्थिति को समान बनानेवाली शक्ति है अपने समाज के मजबूत या सतुल्य प्रेरक पहिया है।"

धार्मिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों को दी जानेवाली पी-राहत और छात्रवृत्तियों के कारण समानता के इन भवसरो में उल्लेखनीय प्रभिवृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप सन १९५१ में शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या ढाई लाख के आसपास थी जो अब बढ़कर इस साल सत्रह लाख हो गयी है। इसी प्रकार की संख्यावृद्धि माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हुई है। संख्यावृद्धि के कारण शिक्षा स्तर पर प्रभाव पड़ा है, इस प्रकार की सोच-भावना फैलती जा रही है, जो अज्ञान स्वाभाविक भी है। किन्तु इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा के लिये भवभर दूढ़ते हैं या चाहते हैं यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में शिक्षा का मूल्य कितना ऊंचा है। दूसरे ढंग से कहना चाह तो इस विशाल संख्या से यह प्रतीत होता है कि आधुनिक जीवन में शिक्षा कितनी सम्बन्धवर्ती प्रक्रिया है और उसके स्तर का मूल्य समाज के लिए कितना है। विकासशील राष्ट्र के लिए यह बढ़ती हुई संख्या भय की जननी न होकर आशा की जननी होनी चाहिये। प्लेटो ने जो वर्षों पहले निर्देश किया था—'राष्ट्र में जिसे आदर प्राप्त होता है वही विकसित होता है', उसके अनुसार लाखों की संख्या में शिक्षा प्राप्ति के इच्छुक विद्यार्थी वर्ग, कालान्तर में शिक्षा के स्तर का आस्वादन भवश्य है।

शिक्षा को राष्ट्र की शक्तिवृद्धि सम्बन्धी एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य दृष्टि-पथ में रखना है। ऐसे प्रयास करना शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए, जिससे मानवीय भौतिक तथा नैतिक या आध्यात्मिक क्षेत्रों में राष्ट्र की शक्ति उत्तरोत्तर विकसित होती रहे। सर्वप्रथम इसे नयी पीढ़ी की मानवीय अर्थात् पारंपरिक, बौद्धिक और नैतिक क्षेत्रों में इस ताकत को बढ़ाना है। इसके बढ़ने से राष्ट्र की भौतिक शक्ति अर्थात् भौतिक सम्पत्ति को खोजने और वृद्धिगत

करने की शक्ति बढेगी। गुजरात में हम पीड़ियों से एक तेल के सरोवर पर स्थिर थे, इसका ज्ञान हम वैधनकाय की शक्तिवृद्धि के कारण हुआ। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण हमें अनेक प्रकार के खनिज और समुद्री द्रव्यों का ज्ञान होता जाता है। एक बार इस भौतिक सम्पत्ति का ज्ञान होने पर शिक्षा का यह दायित्व हो जाता है कि मनुष्य के सर्वाङ्गीण विकास के लिए वह इस भौतिक सम्पत्ति के विनियोग, उपयोग और सदुपयोग करने के लिये हम ज्ञान, युक्ति और शक्ति-व्यय के लिए वैज्ञानिक पद्धति प्रदान करें अंग्रेजी में। जिसे 'नातेन' कहा गया है उसे हम प्रत्येक क्षेत्र में विकसित करना चाहिये, जिससे इस शक्तिवृद्धि के द्वारा हम मनुष्य जाति को भूख रोग अज्ञान आदि से यथाशीघ्र मुक्त करने का विचार कर सकें। किसी राष्ट्र के नैतिक बल का माप इससे किया जा सकता है कि वह इन प्रश्नों और उनके समाधान के लिए किननी निश्चय बुद्धि या इच्छा शक्ति से अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है। यह सही है कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी तोपों या बन्दूकों उसके विमानों या जलयानों, उसके सैनिकों की सख्या या सेना के आकार में निहित नहीं है, यह सब अनिवार्यतः उसकी शक्ति के अंग है। दुनिया के सघर्षों का अनुभव सम्बन्ध राष्ट्र के स्कूलों की प्रयोगशालाओं में, उसके वित्त बाजारों में तथा सबसे अधिक मनुष्य के मन में होता है। राष्ट्र की शक्ति का दर्शन उसकी सैनिक-शक्ति में प्राप्त तो होता है किन्तु उसका सच्चा स्रोत लोगों में तथा उल्लेख साधनों को कायम बनाने तथा प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाने की शक्ति लोगों में सन्निहित है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शक्ति के लिये इस शक्ति का उपयोग सिखाना शिक्षा का चरम राष्ट्रीय उद्देश्य है। लेकिन के शब्दों में—प्रबन्ध किसी भी राष्ट्र या प्रजा के लिए किसी दूसरे राष्ट्र या प्रजा पर शासन करने अथवा जीने के बिन उठ गये। नये देग या नयी भूमियाँ जीतने अथवा बनाने अथवा अपने राज्य की सीमा के विस्तार करने की बात अय सम्भव नहीं है। इन स्थितियों में खुद को प्राप्त भूमि में जीने—खुद से जीने—का मार्ग तथा मानसिक स्थितियों को विकसित करने का मार्ग बताना शिक्षा का काम है। मानव मन के इस अन्तःक्षितिज का कब विकास होगा? यह अभी सम्भव है जबकि राष्ट्र के सभी वर्गों के प्रजाजनों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे और उस समय शिक्षा के अर्थान् अपनी व्यक्तिगत ताकतों को विकसित करने के अवसर सभी प्रजाजनो के लिए उन्मुक्त रखना, निर्वाचित रखना शिक्षा का राष्ट्रीय ध्येय होगा और रहेगा।

निश्चयदेह स्कूल, कासेजों और युनिवर्सिटियों में पढ़वने की स्वातन्त्र्योत्तर

सुविधा ने नये क्षितिज उत्पन्न किये हैं। यह सुविधा सभी को प्रदान करने में कदाचित् साधनों का दुर्व्यय होगा और अपात्र को प्रवेश मिलना सम्भव रहेगा, किन्तु इस आशय में भी एक अधिक विशाल और गम्भीर दुर्व्यय हम झटकाते हैं—यह है व्यक्ति के उसकी पूर्ण शक्ति के विकास तक पहुँचने की असफलता का। अठ शिष्या के इस क्षितिज पर हमें कभी भी सघप का साहस अथवा ध्यान नहीं करना चाहिये; क्योंकि अन्ततः छो प्रजातन्त्र और अज्ञान की दोस्ती निभ नहीं सकती, वे साथ नहीं रह सकते। प्रजातन्त्र का विकास और उसकी सुदृढता शिष्या का उत्तमोत्तम ध्येय सिद्ध हो सकता है, रह सकता है।

श्री ईश्वरभाई पटेल, भूतपूज उपकुलपति बल्लभ विद्यानगर धुनिर्घासटो, गुजरात

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा : २ :

डा० ज्यूलियस के० न्येरेरे

(तंजानिया गणराज्य के राष्ट्रपति)

तंजानिया की वर्तमान शिक्षा-पद्धति जिन उद्देश्यों की प्रोत्साहन देती है उनसे हमारी शिक्षा के उद्देश्य निम्न हैं, क्योंकि यह पद्धति छात्रों में असमानता का भाव, बौद्धिक दम्भ तथा तीव्र व्यक्तिवाद विकसित करती है और इस तरह उन्हें उस समाज से तादात्म्य स्थापित करने से रोकती है, जिसमें भ्रततः उन्हें प्रवेश पाना है। सबसे पहली बात इस सन्दर्भ में यह है कि यह शिक्षा प्रणाली एक प्रकार की आभिजात्य शिक्षा है और केवल अत्यन्त अल्प-संख्यक वर्ग के हितों का पोषण करती है। यद्यपि तंजानिया की प्राइमरी शालाओं से केवल १३ प्रतिशत छात्र ही आज हायर सेकेण्डरी स्कूल तक जाते हैं, किन्तु हमारी इन प्राइमरी शालाओं की बुनियाद हायर सेकेण्डरी के लिए छात्र तैयार करना मात्र ही है। इस प्रकार ८७ प्रतिशत छात्र जो प्राइमरी परीक्षा पास करते हैं, उनमें एक प्रकार की असफलता की भावना पलती है और वे यह अनुभव करते हैं कि उनके बाजिब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरी ओर १३ प्रतिशत छात्रों के मन में एक पुरस्कार प्राप्त कर लेने की भावना जन्म लेती है। उनके और उनके अभिभावकों के मन में ऊँची तनखाह, कस्बों में पारामर्श नौकरियों तथा समाज में एक उच्च प्रतिष्ठा की पुरस्कार-भावना रहती है। घागे विश्वविद्यालय के प्रवेश के समय पुनः यह क्रम दुहराया जाता है। दूसरे दृष्टी में, यह निश्चय नहीं कुछ लोगों के लिए है जिनका बौद्धिक स्तर ऊँचा है। जो सफल होते हैं उनमें यह निश्चय एक प्रकार की उच्चता की भावना भर देती है और विशाल बहुसंख्या को कभी न प्राप्त हो सकनेवाली वस्तु में लिए लाक्षापित रहने की छोट देती है। इस प्रकार यह बहुसंख्यक छात्रों में हीनता का एक ऐसा भाव पैदा कर देती है, जिससे हमारा वांछित समतावादी समाज कभी नहीं बन पायेगा और जो भाव समतावादी समाज बनाने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत यह निश्चय हमारे समाज में वर्ग-रचना को ही प्रोत्साहन देती है।

दूसरी बात भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। तंजानिया की शिक्षा-पद्धति छात्रों

को उस समाज से पृथक कर देती है जिसके लिए तैयार करने की उससे अपेक्षा की जाती है। सेकेण्डरी स्कूलों के बारे में जो पूणतः भावासीय होते हैं तो यह बात खास तौर पर सही है, किन्तु पाठ्यक्रम में हाल ही में हुए बद सुधारों के बावजूद अधिकांश प्राइमरी शिक्षा के बारे में भी यही बात सही है। हम बालक को ७ साल उम्र से उसके माँ-बाप से ले लेते हैं और लगातार साठ-सात घंटे रोज उन्हीं कुछ बातों सिखाते हैं। अभी हाल ही में चाहे केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही सही इन बातों को हमने उस जीवन से जोड़ देने का प्रयास किया है जो बालक के परिसर में पाया जाता है। किन्तु पाठशाला तो एक पृथक सस्था ही है और वह समाज का अंग नहीं है। यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ से निकलने के बाद बालक तथा उनके माता-पिता आगा करते हैं बालक को गाँव में रहकर किसान का जीवन बिताना आवश्यक नहीं होगा।

वे बद छात्र जो सेकेण्डरी स्कूलों में आते हैं वे भी अपने घरों से मीलों दूर चले जाते हैं और उस कस्बे या नगर के जीवन से सम्बन्धित हुए बिना ही कभी मनोरंजन के लिए बाहर जाते हैं। घरना एक प्रकार के बाड़ में ही रहते हैं। इनमें से बहुत कम विश्वविद्यालय में जाते हैं। यदि वे दार उ स्लाम विन्व विद्यालय में प्रवेश पाने का भाग्य पा सके तो फिर वे बहुत अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और अपनी डिग्री के लिए कठोर मेहनत करते हैं। जब वह उन्हें मिल जाती है तब वे समझते हैं कि उन्हें मुरत ही ६६० पाउण्ड सालाना बतन मिल जायेगा। यही उनका उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता रहा है। उनकी इच्छा समाज की सेवा करने की भी हो सकती है किन्तु सेवा की उनकी कल्पना पद और ऊँचे बतन से जुड़ी होती है जो विश्वविद्यालय की शिक्षा से सुलभ हो जाते हैं। यह ऊँचा बतन सदा वैभव दिवियाँ प्राप्त करने के बाद एक स्वाभाविक अधिकार बन जाता है।

इस प्रकार के मनोभावों के लिए अपने युवकों को दोष देना गलत होगा हमारे विश्वविद्यालयों के नये स्नातक ने तैयारियाँ के समाज से अलग जीवन बिताया है। उसके माँ-बाप गरीब हो सकते हैं, किन्तु उसने उस गरीबी में कभी भाग नहीं लिया है। उसे गरीब किसान का जीवन जीने का कोई ज्ञान ही नहीं है और उसके लिए अपने माँ-बाप के साथ रहने के बजाय अपने जस पढ़ लिखे लोगों के बीच रहना अधिक सहज है। अवकाश के अवसरों पर जब वह अपने माँ-बाप के साथ रहने के लिए जाता है तब भी वह अपने माँ-बाप या सम्बन्धियों में अपनी इस भिन्न स्थिति के प्रति एक प्रकार की स्वीकृति का भाव देसता है

और वे भी उसके साधारण मनुष्य की तरह, जो वह वास्तव में है, रहने और काम करने को गलत मानते हैं। क्योंकि सचार्थ यह है कि तजानिया में लोग शिक्षा का अर्थ यह लगाते हैं कि पढ़ा-लिखा व्यक्ति दूसरे लोगों की तरह जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है।

तीसरी बात यह है कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति छात्रों के मन में एक ऐसा विचार भर देती है कि केवल पढ़े-लिखे लोगों द्वारा दिया गया ज्ञान ही कीमती है। पुराने लोगों की बुद्धिमत्ता को वे हीन भाव से देखते हैं और उन्हें वे भ्रष्टानी और व्यर्थ मानते हैं। वास्तव में केवल शिक्षा ने ही आज का यह भान पैदा नहीं किया है, बल्कि पार्टी तथा सरकार भी लोगों को उनकी पढ़ाई-लिखाई तथा डिग्रियों से नापती है। यदि किसी व्यक्ति के पास डिग्रियाँ हैं तो हम मानते हैं कि उसे नौकरियों में स्थान दिया जा सकता है। परीक्षा पास करने के अलावा हम उसकी रुझान, चरित्र, और अन्य किसी योग्यता की बात भी नहीं सोचते। यदि किसी आदमी के पास ये डिग्रियाँ नहीं हैं तो हम मानते हैं कि वह किमी पद के योग्य नहीं है और हम उसके ज्ञान या अनुभव की उपेक्षा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक जगह अभी हाल ही में एक बहुत अच्छे तम्बाखू उत्पादक किसान से मेरी भेंट हुई। किन्तु यदि मैं उसे तम्बाखू विकास-अधिकारी बनाना चाहूँ तो मैं सरकारी कायदे के अनुसार ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई कागजी डिग्री नहीं है। हमारा जोर केवल किताबी शिक्षण पर है और हम परम्परागत ज्ञान तथा बुद्धि की, जो जीवन जीने के क्रम में अनपढ़ स्त्री-पुरुषों के द्वारा प्राप्त की जाती है, समाज के लिए कोई कीमत नहीं मानते।

इसका अर्थ यह नहीं है कोई भी व्यक्ति केवल बूढ़े या बुद्धिमान होने के नाते कोई भी कार्य कर सकता है या औद्योगिक योग्यताएँ अनावश्यक हैं। हम लोग कभी-कभी किताबी विद्वानों के अहंकार की प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा सोचने की गलती कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति केवल बूढ़ा होने से ही बुद्धिमान नहीं हो जाता, या कोई भी व्यक्ति चूंकि २० साल तक किसी फँक्ट्री में मजदूर या भंडारी के रूप में काम करता रहा है इसलिए वह फँक्ट्री भी पला सकता है, यह आवश्यक नहीं है। किन्तु वह यह काम केवल वाणिज्य में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने मात्र से भी नहीं हो सकता। पहला व्यक्ति-व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम तथा ईमानदार हो सकता है और दूसरा व्यक्ति लेन-देन करने में पटल कर सकता है या उसका अर्थशास्त्र जान सकता है। किन्तु देश की सेवा करने योग्य सफल उद्योग बनाने के लिए फँक्ट्री चलाने के लिए एक

ही व्यक्ति में इन दोनों गुणों का होना आवश्यक है। किताबी ज्ञान को कम या ज्यादा भ्रूंकना वस्तुतः समान रूप से गलत है।

कृषि के ज्ञान पर भी यही बात लागू होती है। हमारे किसान बहुत लम्बे प्रसों से खेती करते आ रहे हैं। प्रकृति के साथ धपने लम्बे सघर्ष के दौरान ही उनकी खेती करने की पद्धतियों का विकास हुआ है। परम्परागत किसान को पुराणपथी कहकर दुस्कारना उचित नहीं है। वह कोई खास कार्य क्यों कर रहा है, हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे केवल मूर्ख नहीं मान लेना चाहिए। किन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि ये बातें भविष्य के लिए काफी हैं। वे उस वक्त की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जब वे विकसित हुई थीं, या उस समय के तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त हो सकती थीं। किन्तु इस समय जब कृषि की भिन्न पद्धतियों तथा उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, और भूमि को पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए एक या दो साल तक खेती करके पुनः बीस साल तक बजर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है एव कुदाल के बदले बैलयुक्त हल या ट्रैक्टर के प्रयोग का अर्थ केवल भूमि को भिन्न तरह पर जोतना मात्र नहीं है, बल्कि कार्य-संगठन में ही परिवर्तन है, तब हमको यह देखना पड़ेगा कि हम इन उपकरणों से अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं और यह भी इन नयी विधियों के कारण कहीं हमारी भूमि और हमारे समाज के समतावादी आधार का ही ह्रास न हो जाय। इसीलिए हमारे युवकों में पुराने मनपद लोगों के अनुभवों के प्रति आदर-भाव के साथ-साथ नये नये तरीकों की जानकारी तथा उसके प्रति बौद्धिक सम्मान होना चाहिए।

हमारी वर्तमान शिक्षा के कारण हमारे युवकों में अपने मुजुर्गों को पुराणपथी तथा अज्ञानी मानने का भाव आया है, क्योंकि यह शिक्षा उन्हें यह नहीं सिखाती कि अपने बड़ों से भी खेती आदि के बारे में महत्वपूर्ण बातें सीखी जा सकती हैं। नतीजा यह है कि बालक स्कूल जाने से पूर्व ही जादू-टोना के विश्वास तो पाल लेता है, किन्तु स्थानीय जड़ी बूटियों का मूल्य वह नहीं जान पाता। वह अपने परिवार से अनेक प्रकार के निषेध तो सीखता है, किन्तु परम्परागत भोजनों को पोष्टिक बनाने का कोई तरीका नहीं सीखता और विद्यालय में भी वह कृषक जीवन से असम्बद्ध ज्ञान ही प्राप्त करता है। इन दोनों पद्धतियों की बुरी-से बुरी बातें ही सीखता है।

अन्ततः हमारा युवा और गरीब राष्ट्र हमारे स्वस्थतम तथा दृढ़तम युवकों को उत्पादक कार्य से पृथक् कर देता है। वे न केवल राष्ट्र के लिए अत्यावश्यक

उत्पादन-वृद्धि में कोई योगदान दे पाते हैं, वरन् वे स्वयं कमजोर हो जाते हैं और बूढ़ों के उत्पादन को भी खा जाते हैं। अभी हमारे सेकेण्डरी स्कूलों में करीब २५००० छात्र हैं। वे काम करते हुए नहीं सीखते हैं। वे केवल सीखते हैं। इतना ही नहीं वे यह भी मानते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। जबकि अमेरिका जैसे सम्पन्न देश में युवको को काम करते हुए सीखना पड़ता है, किन्तु हमारे देश में शिक्षा का यांचा हमें ऐसा नहीं करने देता। यहाँ तक कि हम मानने लगते हैं कि छुट्टियों में भी इन पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को कठोर काम से बचाना चाहिए। इस शिक्षा पद्धति ने देशवासियों का दृष्टिकोण ही ऐसा बना दिया है।

यथा इन दोषों को सुधारा जा सकता है ?

इस परिस्थिति में अगर कोई परिवर्तन करना है तो पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु स्कूलों का संगठन तथा प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की उम्र इन तीन बातों में परिवर्तन करना होगा। यद्यपि अनेक दृष्टि से ये बातें परस्पर पृथक् पृथक् भी हैं, किन्तु फिर भी ये परस्पर-सम्बद्ध भी हैं। चाहे जितना सुव्यवस्थित हो, फिर भी केवल सैद्धान्तिक शिक्षण के आधार पर हम छात्रों को भावी समाज से संप्रथित (इन्टिग्रेट) नहीं कर सकेंगे। उसी तरह से उस शिक्षा से भी जो स्थानीय जीवन से पूर्णतः संप्रथित भी हो परन्तु जो साक्षरता या गणित या विचारों के प्रति जिज्ञासा के बुनियादी कौशल नहीं सिखाती, कोई लाभ नहीं होगा। हम प्राइमरी शिक्षा पूर्ण किये हुई केवल १२-१३ साल के किशोर छात्रों से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह उत्पादक नागरिक बन सकेंगे।

शिक्षा के वर्तमान ढांचे पर विचार करते समय हमें अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति के तथ्यों का भी सामना करना पड़ेगा। शिक्षा पर खर्च किया गया एक एक पैसा उत्तम स्वास्थ्य-सेवाओं या नागरिकों के लिए अधिक भोजन तथा वस्त्र और आराम जैसी चीजों पर खर्च की जानेवाली रकमों में कटौती करने से ही प्राप्त होता है। और सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय आय के शिक्षा पर व्यय किये जानेवाले भ्रम में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है, उल्टे इसमें कमी ही की जानी चाहिए। भ्रम समाज से अधिक धन व्यय करने मात्र के प्रस्ताव से हम अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं निबाल सकेगे, खासकर प्राइमरी स्कूल छोड़नेवालों की समस्या का हल सेकेण्डरी स्कूलों में वृद्धि करने से नहीं किया जा सकता है।

प्राइमरी स्कूल छोड़नेवालों की यह समस्या वास्तव में हमारी वर्तमान

शिक्षा प्रणाली की उपज है। अधिक-से अधिक सख्या में छात्र ६ या ५ साल की उम्र में ही प्राइमरी स्कूल में प्रवेश लेते हैं और नतीजा यह है कि स्कूल छोड़ते समय वे इतनी छोटी उम्र के होते हैं कि वे जिम्मेदार नागरिक और और कार्यकर्ता नहीं बन सकते। इसके अलावा यह भी तथ्य है कि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, वह उनसे सरकारी दफ्तरों में काम करने की ही प्रतीक्षा करती है। दूसरे शब्दों में, उनकी शिक्षा समाज में जो काम करने पड़ते हैं, उनसे सम्बद्ध नहीं रही है। अतः इस समस्या का हल केवल प्राइमरी स्कूलों की विषयवस्तु में परिवर्तन से तथा प्राइमरी स्कूल में प्रवेश की आयु में वृद्धि करने से ही हो सकेगा, ताकि छात्र स्कूल छोड़ते समय कुछ बचस्क होकर निकलें तथा जब स्कूल में हैं तब भी शीघ्रता से सीखने में समर्थ हो सकें।

प्राइमरी स्कूल छोड़नेवालों की इस समस्या का अन्य कोई हल नहीं है। यह दुःख लग सकता है, किन्तु यह सही है कि तजानिया में सर्वसाधारणों को प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने में हम बहुत लम्बा समय लगेगा और तब भी ऐसी सुविधा पानेवालों की विशाल सख्या केवल वर्तमान ७ साल शिक्षण तक ही सीमित रहेगी। सेकेण्डरी स्कूलों तक बहुत अल्प सख्या ही पहुँच पायेगी और माध्यमिक छात्रों का अंश मात्र ही विश्वविद्यालय तक पहुँच सकेगा। यही हमारे देश के प्राथमिक जीवन के तथ्य हैं और यही हमारी दरिद्रता का व्यावहारिक अर्थ भी है। हमें केवल इतना देखना है कि हम केवल चन्द लोगों के शैक्षणिक स्वार्थों पर ही जोर देते हैं या फिर सारे समाज की सेवा करनेवाली शिक्षा-व्यवस्था लागू करते हैं। समाजवादी समाज कायम करने के लिए तो हम दूसरा विकल्प ही स्वीकार करना होगा।

तात्पर्य यह है कि हमारी प्राइमरी शिक्षा को अपने धाप में ही 'पूर्ण शिक्षा' होना चाहिए। इसे सेकेण्डरी स्कूल के लिए तैयारी मात्र नहीं होना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों को, चन्द लोगों के लिए सेकेण्डरी तक पहुँचने की होठ बनने के बजाय, अधिकांश बालकों के लिए उस जीवन की तैयारी होनी चाहिए, जो समाज में जीयेंगे उसी तरह सेकेण्डरी स्कूलों को केवल विश्वविद्यालय या कालेज तक पहुँचने की प्रक्रिया मात्र नहीं बनना चाहिए। इसे इस देश के गाँवों में सेवामय जीवन बिठाने के लिए लोगों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि तजानिया जैसे देश में चन्द लोगों का बहुता की सेवा ही सेकेण्डरी स्कूलों या विश्वविद्यालयों का एकमात्र औचित्य हो सकता है।

यह कहना तो घासान है कि प्राइमरी तथा सेकेण्डरी शिक्षा को लोगों को जीवन की वास्तविकताओं या देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना

चाहिए। किन्तु इसे करने के लिए हमें न केवल शिक्षा के ढाँचे में ही बदल हमारे वर्तमान सामुदायिक रूझानों (ऐटिट्यूड्स) में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे। खासकर हमें सरकारी तथा सार्वजनिक दृष्टि में परीक्षाओं का मूल्य कम करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि यद्यपि इस परीक्षाओं में कुछ लाभ अवश्य है, जैसे कि चुनाव करने की प्रक्रिया में पक्षपात से बचना, किन्तु उनसे अनेक हानियाँ भी हैं। साधारणतः वे मनुष्य की योग्यता को, तथ्य स्मरण करने तथा एक निश्चित समय में धन्य उन्हें पेश कर देने से नापती हैं। उनमें तर्क करने की क्षमता, चरित्र या सेवाभाव को नापने की कोई क्षमता नहीं है।

अभी हमारा पाठ्यक्रम केवल परीक्षा-केन्द्रित है। अध्यापक सात वर्षों के प्रश्नोत्तरो का ही अध्ययन करके भागे आनेवाले प्रश्नों के अनुमान पर अपने छात्रों को तैयार करता है, उन्हीं प्रश्नों पर उसका सारा ध्यान रहता है और समझता है कि वह ऐसा करके सेकेण्डरी या विश्वविद्यालय तक पहुँचने में अपने छात्रों की सर्वोत्तम सहायता कर रहा है। ये परीक्षाएँ भी हमारी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना एक अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार चलाई जाती है। अतः सबसे पहले जो शिक्षा हम चाहते हैं उसकी तरफ ध्यान देना होगा और उसके बाद ही हम सोचेंगे कि एक शिक्षा-सत्र की समाप्ति पर क्या परीक्षाएँ आवश्यक हैं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली के अनुकूल ही परीक्षाएँ विकसित करनी होंगी।

सबसे महत्व की बात यह है कि हम अपने स्कूलों से जो अपेक्षा करते हैं, उस भाव में भी परिवर्तन करना होगा। हमें किसी डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर अर्थशास्त्री या प्रशासक के जानने योग्य बातों से ही प्राइमरी स्कूल के छात्रों के जानने योग्य बातों का निर्धारण नहीं करना चाहिए। हमारे अधिकांश छात्र कभी भी इनमें से कुछ भी नहीं बनेंगे। हमें अपने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ायी जानेवाली बातों का निर्धारण केवल हमारे बालकों को जानने योग्य बातों से ही तय करना होगा। अगर उसे एक समाजवादी और मुख्यतया ग्रामीण समाज में प्रसन्नतापूर्वक रहना है और उसमें सुधार के लिए ही काम करना है तो उन्हें उन्हीं गुणों को सीखना है और उन्हीं मूल्यों का आदर करना है, जो इस समाज के लिए आवश्यक है। हमारा ध्यान यह सख्या पर रहना चाहिए और उन्हें भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम आदि तय करना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त लोगों की तो आवश्यकता रहेगी ही और उन्हें भी हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो शिक्षा मिल रही है उससे निम्न कोटि की

शिक्षा देने का तो प्रश्न ही नहीं है। हमारा उद्देश्य एक भिन्न प्रकार की ऐसी शिक्षा देना है जो तत्रानिया की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के उद्देश्यों को पूरा कर सके। उत्तर प्राइमरी स्कूलों पर भी यही बात लागू होती है। शिक्षण का उद्देश्य छात्रों का एक विकासशील और परिवर्तनशील समाज में रहने और कार्य करने के लिए उपयुक्त ज्ञान, कौशल तथा रुझान प्रदान करना है, न कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाना।

पाठ्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी इन परिवर्तनों के साथ साथ हमें अपने स्कूल चलाने के लक्ष्य-सूची को भी इस तरह के परिवर्तन करने होंगे जिससे वे तथा उनके बाशिन्दे हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के भ्रम बन्न सकें। वास्तव में स्कूलों को समुदाय बन जाना चाहिए और समुदाय भी ऐसे जो आत्मनिर्भरता का अभ्यास करें। अध्यापक अभिभावक तथा छात्रों को उसी प्रकार एक, सामाजिक इकाई में परिवर्तित हो जाना चाहिए, जैसे परिवार हैं। स्कूल में छात्र तथा अध्यापक का सम्बन्ध गाँव में पिता पुत्र जैसा हो जाना चाहिए और पिता पुत्र के समुदाय जैसे ही छात्र अध्यापक समुदाय को भी यह समझना चाहिए कि उनका जीवन तथा योगक्षेम भी खेती या अन्य धंधों में किये गये इनके परिश्रम पर ही निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि सब स्कूलों को और खासकर सेकेण्डरी स्कूलों तथा उच्च शिक्षा की, दूसरी सस्थाओं को अपने रखरखाव की पूरी व्यवस्था सुद करनी चाहिए और उन्हें शैक्षणिक तथा सामाजिक समुदाय के साथ आर्थिक समुदाय भी बनाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल के पास अपने एक अंतरंग भाग के रूप में एक खेत या कर्मशाला होनी चाहिए जो कि उस समुदाय के लिए भोजन तथा सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय में कुछ योगदान कर सकें।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर स्कूल में प्रशिक्षण के लिए एक खेत या कर्मशाला जोड़ दी जाय, वरन् इसका अर्थ इतना ही है कि हर स्कूल एक फार्म भी हो तथा वह एक ऐसा समुदाय बन जाय जहाँ पर छात्र तथा अध्यापक साथ साथ कृषक भी हो। स्पष्ट है, यदि स्कूल के पास फार्म भी हो तो छात्र उन पर काम करते हुए खेती के तरीके भी सीखेंगे। किन्तु यह खेत स्कूल का अंतरंग भाग होगा और खेतों पर जैसे किसानों का योगक्षेम निर्भर करता है वैसे ही इस स्कूल के उत्पादन पर छात्रों का योगक्षेम निर्भर करेगा। जब यह योजना कार्यशील होगी तब स्कूल के आय-स्रोतों में वर्तमान ढंग पर "सरकार से सहायता", "स्वैच्छिक सस्थाओं से सहायता" जैसे वाक्यों के स्थान पर, रुई-दिन्नी में अमुक आय (या अन्य जो भी अनाज पैदा हों उनसे आय), 'उत्पादन

और उपभोग का मूल्य', 'नयी ईमारतों तथा मरम्मत पर छात्रों की मेहनत का मूल्य या सरकारी मदद या ऐसे ही वाक्य होंगे ।

हमारा यह प्रयास हमारी शिक्षा परम्परा से एक प्रकार की विदाई है । अतः यदि अध्यापकों तथा छात्रों ने इसके उद्देश्यों और सभावनाओं को सही ढंग से नहीं समझा तो यह भी संभव है कि भारम्भ में इसका बिरोध हो । किन्तु सच्चाई यह है कि यह कोई प्रतिगामी कदम या छात्रों और अध्यापकों को सजा देनेवाला काम नहीं है । यह एक वास्तविकता है कि तजानिया में हमें गरीबी का निराकरण करना है और हम एक ही समाज के परस्पर निर्भर करनेवाले समान अधिकार के सदस्य हैं । पहले पहल इन बातों के क्रियान्वित करने में कठिनाई होगी । उदाहरण के लिए, अभी हमारे पास स्कूल फार्मों की योजना बनानेवाले अनुभवों की व्यवस्थापकों और अध्यापकों की कमी है, किन्तु यह न की जा सकनेवाली कठिनाई नहीं है और न ऐसे व्यवस्थापकों के मिल जाने तक तजानिया का काम ही रुका रहेगा । जीवन और खेती शिक्षण साथ साथ चलेंगे । निश्चय ही विशिष्ट कामों के लिए अधीशकों या अध्यापकों के रूप में अच्छे स्थानीय किसानों की नियुक्ति करने और कृषि अधिकारियों और उनके सहायकों की सेवाएँ लेकर के हम इस मान्यता का साक्षात्कार कर सकते हैं कि केवल किताबी ज्ञान ही मूल्यवान् होता है । यह हमारे समाजवादी विकास में महत्त्व का तत्त्व है ।

स्कूल स्वयं अपने रखरखाव की व्यवस्था करे, इस विचार का अर्थ यह भी नहीं है कि हम छात्रों को परम्परागत तरीकों पर काम करनेवाले मजदूर बनाना चाहते हैं । इसके विपरीत स्कूल फार्म पर छात्र क्रिया द्वारा सीखेंगे । सभी सुरभी तथा अन्य सामान्य उपकरणों और उन्नत बीज हल तथा पशुपासन के उचित तरीकों का महत्त्व भी स्पष्ट हो सकेगा और छात्र यह सीख सकेंगे कि इन चीजों का सर्वोत्तम लाभदायी उपयोग कैसे किया जा सकता है । खेत के कार्य और उत्पादन का स्कूल जीवन से सम्बन्ध जुड़ जाना चाहिए । और इसी प्रकार छात्रों को अपनी विज्ञान कक्षाओं में सादो के गुणों की जानकारी दी जा सकेगी और उन्हें उपयोग में लाकर छात्र खादी की सीमाओं से भी परिचित हो सकेंगे । उचित चरागाहों की सभावना और मिट्टी के संरक्षण तथा मेढबदी आदि का ज्ञान सैद्धांतिक स्तरों पर दिया जा सकता है और साथ ही छात्र क्या और क्यों कर रहे हैं, यह समझने के साथ-साथ वे अपनी असफलताओं और सुधार की सभावनाओं का विश्लेषण भी कर सकेंगे ।

किन्तु स्कूल-फार्म उच्चस्तरीय यंत्रीकृत फार्म नहीं हो सकते और न ही

उन्हें ऐसा होना चाहिए । हमारे पास ऐसा करने के लिए काफी धन भी नहीं है और न इससे छात्रों को जो जीवन जीना है उस बारे में ही कोई सीख मिलेगी । स्कूल-फार्म, शादियों या अन्य चीजों को साफ करके स्वयं स्कूल समुदायों को ही बनाने पड़ेंगे और यह भी वे भाषण में सहयोग से करेंगे । उन्हें अन्य साधारण सहकारी फार्म से अधिक की मदद नहीं दी जानी चाहिए । इससे ही छात्र सहयोगी प्रयत्नों के लाभों को सीख सकेंगे, चाहे बाहर से काफी धन न भी मिलता हो । पुनः सहकारिता के फायदों का क्लेश भी अभ्यस्य हो सकेगा । और फार्म पर उसका प्रदर्शन होगा ।

सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि छात्रों को यह समझना चाहिए कि यह उनका फार्म है और इस पर ही उनका जीवन स्तर भी निर्भर करता है । छात्रों को कई आवश्यक निर्णय करने का अवसर देना चाहिए । उदाहरण के लिए यह कि वे अपने धन का उपयोग नया ट्रैक्टर खरीदने में करें या फार्म पर किसी और कार्य में करें और खुद ऐसे कठोर कार्य स्वयं के शरीरभ्रम से करें । इस प्रकार से कृषि और क्षेत्र के काम के समिश्रण से हमारे छात्र यह अनुभव कर सकेंगे कि अपने छात्रावासों, मनोरंजन कक्षों का अन्य जगहों पर अधिक भारमदारी सुविधाएँ उन्हें केवल अपनी मेहनत के बल पर मिल सकेंगी । यदि वे अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकेंगे तो वे खुद उठायेंगे । इस प्रक्रिया में सरकार को कठोर नीति, नियमादि बनाने से बचना चाहिए और स्कूलों को काफी हद तक काम की स्वतंत्रता रहनी चाहिए । केवल तभी क्षेत्र विशेष के उत्तमोत्तम का लाभ उठाया जा सकेगा और कार्यकर्ता केवल तभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अभ्यास तथा शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे । (क्रमशः)

भारतीय संस्कृति : विलम्बना और शिक्षा

कु० उमा वाण्य, एम० ए०, एम० एड०

संस्कृति और शिक्षा में आज हमें कहीं विरोधाभास की विचित्र चर्चाएँ सुनाई देती हैं तो कहीं दोनों के मध्य विलम्बन की। इस प्रकार की चर्चाओं का स्रोत मानव मन की अवधारणाएँ हैं। संस्कृति और शिक्षा में विरोध की बात सोचना स्वयं को एक भुलावे में डालना है चूँकि संस्कृति और शिक्षा परस्पर एक दूसरे के रक्षक वधक और पोषक हैं। दोनों मिलकर ही व्यक्ति को सामाजिक जीवन प्रदान करती हैं। अतः फिर विरोध कैसा ?

जहाँ संस्कृति का निरूपण शिक्षा द्वारा होता है वहाँ संस्कृति शिक्षा का सबहल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करती है और इस प्रकार दोनों एकरस होकर सामाजिक जीवन में समरसता का संचार करती है। फिर भी हम दोनों के पृथक अस्तित्व की अवहेलना नहीं कर सकते। दोनों की निजी सत्ता है।

‘संस्कृति’ शब्द अत्यन्त व्यापक है। इसका अर्थ और अभिप्राय परिवेश एवं पृष्ठभूमि के अनुरूप बदलता रहा है। प्रचलित भाषा में ‘संस्कृति’ शब्द का अर्थ शालीनता, सुशीलता, शिष्टाचार एवं सुदृष्टि से लिया जाता रहा है। ई० एम० टेलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता कानून और परम्पराएँ आदि सम्मिलित रहती हैं, जिन्हें व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। वस्तुतः संस्कृति विभिन्न तत्वों का सम्मुख मात्र है जिसे व्यक्ति सामाजिक वशानुक्रम के रूप में अपने समाज, परिवार, देश, जाति और वंश से सहज रूप में प्राप्त करता है।

संस्कृति का सबहल सामाजिक ससम और सम्भाषण द्वारा होता है और धीरे धीरे फिर वह समूह परम्पराओं का रूप धारण कर लेती है। इसके अन्दर व्यक्ति की आत्म नियंत्रण की शक्ति निहित रहती है। संस्कृति में जहाँ एक ओर मानव की सम्पूर्ण भौतिक सम्यता—अन्न, शस्त्र, वस्त्र, आवास, प्रवास, मशीन एवं उद्योग का समावेश रहता है वहाँ दूसरी ओर अमौलिक सम्यता—भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, कानून और सरकार का भी।

व्यक्ति के कल्प कलाप, आचार विचार एवं वशभूषा उसकी संस्कृति का अवबोध कराते हैं। संस्कृति के विषय में विद्वानों में दृष्टिकोण भेद होते हुए

भी मेरिल, मेलिघानवम्की आदि विद्वान सस्कृति सम्बन्धी कुछ प्रमुख तथ्यों पर मतभेद रखते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सस्कृति मानव जन्म सामाजिक अनुवाशिकता है, यह अजित है, यह शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समाज द्वारा स्वीकार्य तरीके से पूर्ण करने पर बल देती है। उसका भाषा, धातु, विचार, आत्मनिर्देशन और परिष्कार से घनिष्ठ सम्बन्ध है और वह सप्रहारमक और सकेतात्मक है जिसे व्यक्ति अपने विकास क्रम के साथ सीखता है। भौतिक सम्यता का विकास कायप्रणाली, कला, साहित्य, विधि और सरकार सभी का सौजन्य हमें सस्कृति में दिखाई देता है।

सस्कृति हमारे अन्तरंग और बहिरंग दोनों को प्रभावित करती है। यह गतिशील होती है। निरन्तर परिवर्तन उसका स्वभाव है। समाज का ह्रास, विकास, अनुसंधान, आवागमन, यातायात देशों से व्यापार-सम्बन्ध युद्ध एवं तत्कालीन और भावी आवश्यकताएँ निरन्तर सस्कृति को प्रभावित करती रहती हैं। सस्कृति की भाँति ही शिक्षा-प्रक्रिया भी निरन्तर विकसित और परिवर्तित होती रहती है। सस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरण ही शिक्षा है, फलतः सस्कृति और शिक्षा परस्पर एक-दूसरे का अनुशीलन करती रहती है। परन्तु अपने निजस्व का त्याग न करने के कारण जहाँ शिक्षा सस्कृति को अपने घाँचल में समाहित कर लेना चाहती है वहाँ सस्कृति शिक्षा को। फलतः दोनों में एक होड़ सी लगी रहती है। अतः कभी सस्कृति समाज में आनेवाले परिवर्तनों से पीछे रह जाती है, तो कभी शिक्षा प्रक्रिया सांस्कृतिक मूल्यों से।

सस्कृति और सामाजिक जीवन के विकास का यह अन्तर ही विलम्बना (लैग) कहलाता है। समाज में होनेवाले विभिन्न परिवर्तनों से सस्कृति के किन्हीं वस्तुओं का पीछे रह जाना ही सस्कृति का विलम्बन है। सांस्कृतिक विलम्बन की स्थिति जीवन के प्रौद्योगिक साधनों तथा उसके मूल्यों में असंतुलन की स्थिति है। यह उसके भौतिक तथा अभौतिक तत्त्वों की असंगति से उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक विलम्बना सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि मनुष्य की अन्वेषण शक्ति साधन और तकनीकी ज्ञान को विकसित करने की शक्ति नवीन परिस्थितियों के साथ अपने स्वभाव को अभियोजित करने की योग्यता से कहीं अधिक होती है। फलतः दोनों में सांस्कृतिक अभियोजन असफल हो जाता है और यह असफलता ही विलम्बना को जन्म देती है।

सामाजिक परिवर्तन तकनीकी अनुसंधानों के साथ आरम्भ होती है, किन्तु व्यक्तियों के विचार अनुसंधानों के व्यावहारिक प्रयोग में विलम्ब करते हैं तथा

उसके समुचित प्रयोग में बाधा डालते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही सरदार-यादी है। उदाहरणतः स्वचालित गाड़ियों का अन्वेषण शीघ्र हो सका, किन्तु उनके प्रयोग में लोगों के मन में उनके प्रति विरोध भर दिया, चूंकि दीर्घकाल से ऊँटों, घोड़ों व बैलों का प्रयोग करनेवाले लोग एकबारगी ही यह कल्पना करने में असमर्थ थे कि उनका स्थान स्वचालित गाड़ियाँ ले सकती हैं, फलतः यह अनुसन्धान विलम्बना का शिकार हो गया। यही कारण है कि विश्व के कुछ देश अभी तक कोयले से धुँ धुँ करनेवाली गाड़ियों का प्रयोग भी प्राप्रान्त रहते हुए करते हैं।

जहाँ इस सिद्धान्त के समर्थक इस बात के पक्षपाती हैं कि यह विलम्बन सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) है। वहाँ इसके भालोचकों का मत है कि यद्यपि यह सिद्धान्त न्यूनाधिक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की ओर इंगित करता है। तथापि सामाजिक परिवर्तन इसका अनुकरण नहीं करता। उनका कहना है कि संस्कृति तकनीकी तत्वों व मूल्यों से निर्मित होने के कारण स्वयं (तकनीक) से किस प्रकार पीछे रह सकती है। हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों का मार्गदर्शन कभी भौतिक अनुसन्धान करते हैं तो कभी विचार।

शिक्षा संस्कृति और विलम्बना के मध्य की कड़ी है जो दोनों के पारस्परिक अन्तर को मिटाने या कम करने का प्रयास करती है। शिक्षा का कार्य जहाँ एक ओर संस्कृति-सरक्षण है वहाँ नवीन अनुसन्धानों द्वारा समाज का विकास भी। अतः शिक्षा-प्रक्रिया नवीन समाज की नवीन माँगों, भादशों की ओर उन्मुख होते हुए भी अपने भूत (संस्कृति) से विमुख नहीं होती वह संस्कृति और समाज में सामंजस्य स्थापित करती हुई सतुल्य बनाये रखने का कार्य करती है।

सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों की रीति भी अनूठी होती है। मानव-समाज संस्कृति में घानेवाले बहिरूप-परिवर्तन को जिस बुद्धलता और क्षिप्रता से स्वीकार करता है उसका अतरंग उतना ही अपरिवर्तनीय या कठोर है जो परिवर्तित नहीं होना चाहता। दैनिक जीवन के अनुभवों से स्पष्ट है कि रुढ़िवादी लोग भी वैशमूया के परिवर्तन को जिस सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, वैवाहिक सम्बन्धों के प्रति उनका दृष्टिकोण उतना विदाल नहीं होता और वे सकीर्णत के शिकार हो जाते हैं। माता-पिता भातिवाधों की शिक्षा की ओर मन्त्रण हैं उन्हें नौकरी करने की भी स्वतन्त्रता देना चाहते हैं, पर वधे हो विविध ढंग से वे चाहते हैं कि सड़कों की भाँति उनकी बग्याएँ भी प्राग्म-निर्भर होकर आशीविवा बमाएँ, किन्तु नहीं चाहते कि सड़कों की भाँति उन्हें

रात को देर तक बाहर रहना पड़े या अन्य जोखिम उठाने पड़े । इतना ही नहीं, बरन् अधिक पैसा और सुविधाएं देनेवाली नौकरियाँ—जैसे स्टेनो, टाइपिस्ट डाक्टर, पायलट आदि नहीं बनाना चाहते, मात्र शिक्षण-क्षेत्र में भेजकर अध्यापिका बनाना चाहते हैं, सिर्फ अध्यापिका चाहे वह स्वयं अर्जन द्वारा अपनी प्राजीविका चलाने में भी असमर्थ क्यों न हो, नौकरी के लिए मिनेजरो की ठोकरें क्यों न खानी पड़े, चूंकि शिक्षण को अपने स्तर व मर्यादा का कार्य समझते हैं । पर ऐसा क्यों ? सिर्फ इसलिए कि माता-पिता और अभिभावकों के सांस्कृतिक विचार समय और समाज की मांग के अनुसार परिवर्तित नहीं होना चाहते जिसके फलस्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षा-प्रक्रिया के विकास में स्पष्ट अन्तर दृष्टिगोचर होने लगता है और ज्यो-ज्यो यह अन्तर बढ़ता जाता है समाज में तनाव, अनुशासनहीनता, तोड़ फोड़ और असंतुलन परिलक्षित होने लगता है । यह कहना असंभव न होगा कि संस्कृति और शिक्षा-प्रक्रिया के विकास के मध्य आनेवाले पठारों को ही हम विलम्बन की सजा देते हैं ।

इस अन्तर को दूर करने और कम करने हेतु निदान-स्वरूप शिक्षा का माध्यम लेना पड़ता है, चूंकि शिक्षा-प्रक्रिया का कार्य है युवा पीढ़ी की भाँगों को पूर्ण करें, उन्हें भविष्य-निर्माण के लिए तैयार करें और दूसरी ओर प्रौढ़ समाज को उनकी मायताओं का भवमूल्यन बराबरे बिना सन्तुष्ट रखें । प्रत्येक दश का युवक वर्ग वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के साथ साथ भावी विकास के लिए योजनाएं बनाना चाहता है वहाँ प्रौढ़ समाज भूत के आदर्शों के सहारे वर्तमान को व्यतीत कर देना चाहता है । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शिक्षा और तकनीकी विकास हमें 'अपेक्षित १४' जैसे आकर्षक परीक्षणों को करने की चुनौती देता है, चन्द्रलोक में विचरण करने को आकृष्ट करता है, वहाँ संस्कृति का ध्यान आते ही हम सहम जाते हैं कि हम देवलोक की व्यवस्था को भंग करनेवाले अपराधी तो नहीं हो जायेंगे !

अमेरिका का शैक्षिक विकास का इतिहास बताता है कि वहाँ के तकनीकी विकास की क्षिप्रता ने युवा समाज में त्रान्ति ला दी । वे स्कूलों के पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन चाहते थे । फलतः जीवन को तकनीकी अनुसंधानों के साथ चलाने के लिए स्कूलों में साइकिल मोटर चलाने, टाइपिंग आदि की सिखा देने का आयोजन किया गया, जिन्हें हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं में स्थान देते हैं । प्रौढ़ समाज उस समय भी धर्म और साहित्य से परिपूर्ण पुरातन शिक्षा देना चाहते थे, किन्तु विजय युवा वर्ग आकाशा-पूति के फलस्वरूप तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करने के लिए तत्सम्बन्धी विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान मिला, किन्तु

इससे स्कूलों का कार्यभार अपेक्षा से अधिक बड़ गया दूसरी ओर विलम्बन भी कम होने लगा, अतः शिक्षा पुनः प्राचीन मूल्यों को लेकर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने लगी ।

आजकल भारत की अवस्था प्राचीन अमेरिका जैसी ही है जहाँ दो पीढ़ियों सस्कृति और शिक्षा का अन्तर बढ़ता जा रहा है, अतः आवश्यकता इस अन्तर को कालक्रमेण कम करने की है और यह कार्य है हमारे शिक्षापिदों का । विलम्बन को कम करने और रोकने के लिए उन्हें दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए और शिक्षा योजनाएँ अपने देश और समाज की दस वर्ष आगे की आवश्यकताओं और मान्यताओं को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए, विससे विलम्बन के लिए कोई स्थान न रह जाये । उक्त बातों को दृष्टिगत रखकर, इतिहास से सूझ बूझ लेकर शिक्षा नियोजित की जायेगी तो अवश्य ही भविष्य में हमारा समाज हेमे आज से अधिक सतुष्ट और उन्नतिशील दिखाई देगा ।

सहायक पुस्तकें

- १ आउन, एफ० जे०—एजुकेशनल सोसियोलोजी (द्वितीय संस्करण)
- २ मेरिल, फ्रान्सिस एफ०—सोसाइटी एण्ड कल्चर : एन इंट्रोडक्शन टु सोसियोलोजी (द्वितीय संस्करण)
- ३ फिचर, लुई एण्ड होनाल्ड गार०—सोशल फाउण्डेशन आफ टामस एजुकेशन डेसिजन्स ।
- ४ सैमरैन, के० जी०—एजुकेशन कल्चर एण्ड सोशल आईर (द्वितीय संस्करण, १९५८)
- ५ बार्कर, एच० जेम्स०—एजुकेशनल एग्स एण्ड सिविक नीड्स, १९१३ ।

कु० उमा वाष्ण्य, एम० ए०, एम० एड० शोध-छात्रा, शिक्षा-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५

हिन्दी पद्य-शिक्षण की परम्परागत प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक है

सोहनलाल पटनी

प्रशिक्षणकाल में एवं अध्यापनकाल में मैंने यह अनुभव किया कि हिन्दी पद्य शिक्षण की परम्परागत प्रणाली में कहीं दोष है क्योंकि परम्परानुसार हम प्रत्येक कविता को रसपाठ (Appreciation lesson) के रूप में पढ़ाते रहे हैं। हमने चन्द्रबरदाई के छप्पयों दूहो एवं पदद्वियों से लेकर पत एव निराला तक की कविताओं को सीधे रसपाठ के रूप में पढ़ाया है। हमने कभी विचार ही नहीं किया कि ये कविताएँ डिग्री की हैं अथवा अपभ्रंश की तत्सम शब्दप्रधान हैं अथवा भवधी एवं बुद्धेली के ठठ ठाट से युक्त हैं एवं बालक उन कविताओं में प्रयुक्त शब्द के अर्थ एवं रूपमान में अनभिन्न है। हम अकेले ही रसास्वादन करते रहे हैं और वेचारा निरीह बालक अनुमान के आधार पर ही रसमग्न माना गया है। यह सब परम्परागत पद्य शिक्षण की रूढ़ि का अनुसरण करने के कारण हुआ है। क्योंकि वहाँ हमने प्रत्येक कविता को रसपाठ के रूप में पढ़ाने की प्रतिज्ञा की है। पद्धति क्या है? एक अन्धसी बवायद। पहले प्रस्तावना में कविता वाचन (भावसाम्य की) प्रस्तुतीकरण में आदेश वाचन एवं अनुकरण वाचन शब्दाद्य सीधे बताकर काव्यमय वातावरण का सृजन करने हेतु वाचन भाव एवं सौन्दर्य विश्लेषक प्रश्नों के बाद वाचन पुनरावृत्ति के बाद वाचन और न मालूम कितनी बार पुन पुन वाचन करवाकर बिना शब्द के अर्थ एवं रूपबोध के हमने छात्र को अधिकारपूर्वक केवल अनुमान के आधार पर ही भावविभोर करने का प्रयत्न किया है और उसका परिणाम सौन्दर्यबोध के हासो-मुख स्तर के रूप में प्रसफुटित हुआ है। ऐसा प्रयास प्रशिक्षण विद्यालय में एवं उसके बाद मैंने भी किया था पर मेरी आत्मा जानती थी कि मैं अकेला ही रसास्वादन कर रहा हूँ एवं छात्रों को एक बहुत बड़े रसस्रोत से तो वंचित कर ही रहा हूँ पर ज्ञानाजन से भी दूर रख रहा हूँ।

एक दिन कक्षा ९ को मूर का निम्न पद्य पढ़ा रहा था —

कहाँ लौं बरनी सुन्दरताई

खेलत कुँवर कनक भाँगन में नैन निरखि छवि छाई

कुलहि लसत सिर स्वाम सुभग प्रति बहुविधि सुरग बनाई
 मानो नवपन ऊपर राजत मधवा घनुष पडाई
 प्रति सुदेश मृदु हरत चिकुरमन मोहन गुस बगराई
 मानो प्रगट कूज पर मजुल घलि भवलि धिर घाई

...

मूरदात बलि जाई ।

मैंने परम्परागत कविता पाठ यानी रसपाठ के रूप में इस पद को पढ़ाया
 एवं अपने प्रशिक्षणकाल के ४० पाठों में से १ पाठ पूरा कर लिया । पर मैं
 सोचता रहा कि क्या सब प्रकार की कविताओं अर्थात् ब्रज, अवधी, राजस्थानी
 एवं खड़ी बोली आदि भी सरल एवं क्लिष्ट तत्समप्रधान एवं गूढ़ कविताओं
 को सदैव सभी कक्षाओं को रसपाठ के रूप में ही पढ़ाया जाय ? क्या कविताओं
 को पहले बोधपाठ के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता है जिससे बालक
 को कवितागत शब्दों के अर्थ का बोध गद्यपाठ की तरह ही हो जाय ?
 क्या कवितागत शब्दों के रूपज्ञान की आवश्यकता बालक को नहीं रहती है कि
 यह शब्द तत्सम से तद्भव एवं देशज रूप में किस प्रकार परिवर्तित हुआ है ?
 क्या बालक को कवितागत वस्तु के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है ? इन
 सबके अभाव में बालक को रसमग्न कैसे किया जा सकता है ? परम्परागत
 प्रणाली में इसका उत्तर था कि कविता शिक्षण में तो हम केवल बालक को
 रसमग्न कर एवं उसकी सौन्दर्यबोधपरक भावनाओं का विकास कर सद्वृत्तियों
 का विकास करते हैं । रूपबोध अर्थबोध एवं वस्तुबोध तो हम गद्य एवं
 व्याकरण शिक्षण में करवाते हैं, यहाँ यह अभीष्ट नहीं । पर मेरे सामने यह
 प्रश्न ज्वलन्त खड़ा रहा । कविता पाठ रसमग्नता के लिए ही होता है पर
 बालक को कविता रसमग्नस्विकी के तट पर पहुँचाने के लिए कवितागत भाषा के
 रूप, अर्थ एवं मर्म से परिचित कराना होगा । क्लिष्ट एवं तत्सम शब्द अथवा
 देशज (ब्रज अवधी, बुंदेली अथवा राजस्थानी रूप) शब्दों से युक्त कविताओं
 को सीधे रसपाठ के रूप में पढ़ाकर बालक को रसमग्न करने की प्रतिज्ञा तो
 वैसी ही होगी कि बिना नारियल की जटा एवं कवच को फोड़े उसका मधुर
 जलपान कराया जाय । प्रशिक्षणकाल समाप्त होने पर मैंने इस प्रश्न पर
 विचार एवं कार्य प्रारम्भ किया ।

सबप्रथम मैंने पाठ्यपुस्तक के प्राचीन एवं अर्वाचीन कवियों के पद्यों का
 क्लिष्ट एवं सरल रूपों में वर्गीकरण किया कि अमुक पद सरल है एवं अमुक
 क्लिष्ट—क्लिष्ट से मेरा तात्पर्य था जिन पद्यों में तत्सम शब्दावली का बाहुल्य

हो एव भावगूढ़ता भी । सरल कोटि में उन कविताओं को लिया गया जो उनसे अपेक्षाकृत सरल एव गूढ़ व्यञ्जनाप्रधान नहीं थी । मैंने प्रयोग आरम्भ किया । कक्षा १० के दो विभाग 'अ' एव 'ब' मेरी शाला में थे ही । एक विभाग में मैंने क्लिष्ट कविताओं को भी अत्यन्त निष्ठापूर्वक रसपाठ के रूप में पढ़ाना आरम्भ किया एव दूसरे विभाग में क्लिष्ट कविताओं को पहले बोधपाठ के रूप में पढ़ाता रहा एव दूसरे दिन उन्हें रसपाठ के रूप में पढ़ाता रहा । परम्परागत कविता शिक्षण के अनुसार यहाँ कठिन शब्दाय देने की आवश्यकता नहीं रहती थी क्योंकि मैं उन्हें पहले ही बोधपाठ के रूप में वह पद पढ़ा चुका होता था एव बालक उस कविता के शब्द रूपों का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, अतः अनुकरण वाचन के पश्चात् मैं सीधे भाव एव सौन्दर्य विस्फेपक प्रश्न पूछता रहा । इससे एक तो समय की बचत रही और दूसरे अभ्यासक एव बालक समान स्तर पर रसास्वादन करते रहे । शब्दार्थ नहीं लिखाने से मुझे कक्षा में लिखित कार्य की जाँच की आवश्यकता नहीं रहती थी एव उससे उत्पन्न हुए रस गतिरोध में काव्यमय वातावरण के सृजन के लिए पुनः कविता-वाचन की आवश्यकता भी नहीं रहती थी । दोनों कक्षाओं में पहले क्लिष्ट पद्यों का ही शिक्षण चलता रहा । एक मास बाद दोनों कक्षाओं की जाँच आयोजित की जानेवाली थी, पर क्लिष्ट कविताओं को पहले बोधपाठ के रूप में पढ़नेवाली कक्षा तो केवल सूर एव तुलसी का आधा भाग ही पढ़ चुकी थी जबकि सीधे रसपाठ के रूप में कविता पढ़नेवाली कक्षा सूर, तुलसी का पूरा निर्धारित अंश पढ़ चुकी थी । पर, मुझे आत्मविश्वास था उस कक्षा पर । कारण स्पष्ट था, यह कक्षा सूर एव तुलसी की कविता को पढ़ते हुए शब्दों के अर्थ, मर्म एव रूप ज्ञान से परिचित हो चुकी थी । एक ही शब्द के तत्सम, तद्भव एव व्रज, अवधी के रूपों को भी बालकों ने समझ लिया था । अतः मैंने कह दिया कि जाँच सूर, तुलसी के पूरे पद्यों की होगी । साथ ही यह भी कह दिया कि बीरा के पद भी जाँच में पूछे जा सकेंगे । बोधपाठ एव फिर रसपाठ के रूप में पढ़नेवाली कक्षा को कह दिया कि वह तुलसी के शेषांश को पढ़ने के लिए पढ़े पदों के शब्द ज्ञान एव भाव ज्ञान का उपयोग (application) आगे के पदों के लिए भी करे । बिना किसी सूचना के उसी दिन जाँच का आयोजन किया गया, अथवा बालक शेष अंश के लिए घर पर किसीकी सहायता प्राप्त कर लेते ।

जाँच हुई एव परिणाम सामने आया । कविता को सीधे रसपाठ के रूप में पढ़नेवाली कक्षा शब्दों के मर्म को समझ ही नहीं सकी थी एवं उसका

प्रदान भी बोधपाठ एवं फिर रसपाठ के रूप में पढ़नेवाली कक्षा से फीका रहा। यह प्रयोग फिर कक्षा ९ में दुहराया गया और वहाँ भी यँसा ही परिणाम रहा। फिर यह देखने के लिए कि छोटी कक्षाओं में यह प्रयोग कैसा रहता है, मैंने कक्षा ६ में भी यही किया। एक कक्षा को सूर एवं मीरा के पद सीधे परम्परानुसार रस-पाठ के रूप में पढ़ाया एवं दूसरी को पहले बोधपाठ के रूप में एवं फिर रसपाठ के रूप में। यहाँ भी परिणाम वही था। बोधपाठ के रूप में पढ़नेवाले बालकों का ज्ञान एवं उपयोजन (application) अच्छा था जबकि सीधे रसपाठ के रूप में पढ़नेवाले छात्रों का उपयोजन कुछ भी नहीं था। इसके पश्चात् मैंने सभी कविताओं को केवल रसपाठ के रूप में पढ़ाने की परम्परागत प्रणाली का परित्याग कर दिया।

अब बारी थी प्राचीन कवियों के सरल पद्यों की। इनको पढ़ाने के लिए मैंने रूप तुलना प्रणाली का सहारा लिया। मुझे यह विश्वास था कि बालक इनके शब्द रूपों को समझते ही भाव अपने आप हृदयगम कर लेंगे। रूप तुलना प्रणाली में कवितागत शब्दों के रूपों की तुलना उनके उत्तम, तद्भव एवं देशज रूपों में की जाती है एवं फिर प्रयोग, पर्याय एवं विलोम आदि द्वारा उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है —

जैसे—बीव	पीउ	प्रिय	पति
पाँख	पख	पक्ष	पक्षी
रंज	रजनी	रात	रात्रि
खेवटिया	केवट	कैवर्त	
पुहुपन	पुहुप	पुष्प	फूल
गुराइसि	गुराइस	गुर-गुरु	भाइस भादेश
तरैयावि	तरैया	तारे	तारक
ऊबरे	उबरना	ऊपर आना	आदि आदि

आदि वाचन कर फिर रूप तुलना छात्रों द्वारा ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से कराता रहा एवं फिर अनुकरण वाचन करवा कर भाव विश्लेषण के प्रश्न पूछता रहा। रूप तुलना कराते समय सप्यापक का वर्तुष्य कम एवं छात्रों का वर्तुष्य अधिक रहता था, अतः बालक प्रतिस्पर्धावश भावी पाठ की तैयारी के लिए घर पर शब्दकोष का प्रयोग भी करते रहें।

इस प्रकार उह शब्दों के रूप ज्ञान के साथ उनके पर्याय एवं विलोम भी ज्ञात हो गये एवं उह कविता का सौन्दर्यबोध भी तीव्र हो जाता था क्योंकि वे शब्द के रूप अर्थ एवं मर्म को समझने लग थे।

इहीं कवियों के कुछ पदों को पढ़ाने के लिए एक दूसरी शैली भी अपनायी गयी जो उपयोजन-पाठ (Application Lesson) की प्रणाली थी। माध्यमिक स्तर तक इन कवियों के पद भक्ति, वास्तव्य एव नीति तक ही सीमित हैं, अतः उपयोजन पाठ के रूप में इनको सम्यक् रूपेण पढ़ाया जा सकता है। अतः इन कवियों में से किसी एक के ऐसे पदों को पहले दिन पढ़ाकर फिर दूसरे दिन वैसे ही भाववाले दूसरे कवि के पदों अथवा दोहों को पढ़ा दिया गया। जैसे मूर का पद—

तजौ रे मन हरि विमुखन को सग ।

जाकै सग बुबुधि उपजति है परत भजन मे भग

...

दूजौ रग ॥

को पढ़ाकर दूसरे दिन तुलसी के निम्न पद को समानभावी होने के कारण उपयोजन-पाठ के रूप में पढ़ा दिया गया—

जाकै प्रिय न राम वैदेही ।

तजिए ताहि कोटि वैरी सम जहूषि परम सनेही ॥

उपयोजन पाठ-प्रणाली में बालक अपने पूर्वपठित एव अज्ञित ज्ञान का उपयोग अपने पाठ में करता है, अतः यहाँ भी उसका कर्तव्य अधिक रहता है एव अध्यापक का कम। अतः मूर, तुलसी एव मीरा के पदों को तथा कबीर, बिहारी, रहीम, दादू एव वृन्द आदि के नीतिपरक दोहों को उनके परस्पर समानभावी पदों अथवा दोहों के माध्यम से पढ़ाया गया। इसके लिए विषयानुसृत कबीर के, बिहारी के, रहीम के एव वृन्द आदि के दोहों का चयन एक स्थान पर किया गया एव उनकी एक इकाई मानी गयी।

कबीर, रहीम, वृन्द, राजिया, दादू एव दीनदयाल गिरि के नीतिविषयक दोहों एव पदों को पढ़ाने समय एक और विचार सामने आया कि क्या इनका शिक्षण कविता शिक्षण की तरह ही होना चाहिए? मैंने उनके दोहों की कविता शिक्षण के अन्तर्गत नहीं माना क्योंकि इनमें तो नीति एव व्यवहार की गूढ़ बातें भरी हुई हैं भले ही यह रचना छन्दबद्ध होने के कारण कविता कहलाती हो। बिहारी के सौन्दर्य एव प्रेमपरक दोहों पढ़ाने समय भी यह महसूस किया गया कि ये दोहों तो 'नावक के तीर' हैं पर रसपाठ के रूप में पढ़ाने के कारण उनका अर्थ, रूप एव वस्तुबोध नहीं होता है एव वे 'धाव करे गम्भीर' वाली उक्ति को चरितार्थ नहीं करते हैं क्योंकि उनमें गूढतम भावों की व्यञ्जना अर्थबोध (क्योंकि वे खड़ी बोली में नहीं हैं) एव वस्तुबोध के बिना सम्भव नहीं। अतः इनके ऐसे दोहों को मैंने सदैव बोधपाठ के रूप में पढ़ाया है एव फिर रसपाठ के रूप में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी है।

मुझे कविता पाठन की परम्परागत विधि यानी सीधे इस पाठ की प्रणाली का परित्याग करने से लाभ प्राप्त हुआ है एव ऐसा कर मैंने कवितागत रस का आस्वादन छात्रों को भी करवाया है। अन्यथा परम्परागत प्रणाली के अनुसार मैं तो रसास्वादन कर लेता था पर छात्र रस-पयस्विनी के पट पर खड़े ताकते ही रह जाते थे, अतः मेरा हिन्दी शिक्षकों से निवेदन है कि वे कविता शिक्षण की परम्परा प्रणाली में परिवर्तन करें एव कविताओं का समयानुकूल, स्तरानुकूल एव भावानुकूल वर्गीकरण कर पहले यदि आवश्यक हो तो बोधपाठ के रूप में पढ़ाकर छात्रों को रूपज्ञान अर्थज्ञान एव वस्तुज्ञान करवा लें एव फिर रसपाठ के रूप में पढ़ायें। हमें कविता शिक्षण में उपयोजन (Application) प्रणाली एव रूप-सुचना प्रणाली (Forms Composition) का भी अनुसरण करना चाहिए तभी हम छात्रों का ज्ञानवर्द्धन कर उनकी रुचि का संस्कार कर सकेंगे एव तभी सौ-दर्यबोध भी जाग्रत होगा। ('जन शिक्षण' से साभार)

श्री सोहनलाल पटनी पाश्चिमाथ उम्मेद माध्यमिक विद्यालय, फासना
(राजस्थान)

शैक्षिक आयोजना का प्रमुख आधार :

विद्यालय-योजना

चन्द्रशेखर भट्ट

किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न करने का सकल्पपूर्वक उपक्रम ही योजना कहलाता है। 'योजना' शब्द संस्कृत की युज् समाधी या युज् सयमने धातु से निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार इस शब्द का अर्थ है—किसी कार्य का सम्यक् ध्यायान करना, कार्यप्रणाली की रूपरेखा को मन में भली प्रकार से बिठा लेना, भली प्रकार से कार्य में प्रवृत्त होना।

बिना योजना को किसी भी कार्य में प्रवृत्त होना संभव नहीं है। यह कहा गया है कि अधम कोटि के मनुष्य विघ्नों के भय से कार्यारम्भ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के मनुष्य कार्यारम्भ तो कर देते हैं, परन्तु विघ्नों से घबराकर कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया करते हैं। उत्तम मनुष्य वे होते हैं जो जिस कार्य का आरम्भ कर देते हैं, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। चाहे कितने ही विघ्न उपस्थित हो जायें वे उनसे नहीं डरते, साहसपूर्वक उनका सामना करते हैं और अन्त में उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति योजनापूर्वक कार्य करके ही अपनी अभीष्ट सिद्धि करते हैं।

जब भारत पराधीन था, हम अपनी कार्य करने के योग्यतापूर्वक करने में समर्थ नहीं थे। पराधीन अस्तित्व कभी स्वाधीन चिन्तन नहीं कर सकता। इसीलिये वह अपने कार्य को योजनापूर्वक सम्पन्न भी नहीं कर सकता। पराधीनता से मुक्ति पाने के लिये विगत सहस्राब्दि में संकड़ो यत्न किये गये, परन्तु सफलता न मिल सकी। इसका कारण सुयोजित ढंग से यत्न किया जाना ही माना जा सकता है। सुयोजित ढंग में योजनापूर्वक कार्य करने का एक लक्षण यह भी है कि उसमें सभी सहकर्मियों और सहधर्मियों का सहयोग रहता है। यह सभी सम्भव होता है जब योजनापूर्वक सभी साधनस्रोतों को सहयुक्त किया जाता है। वेदों में अम में प्रयुक्त होनेवाले व्यक्ति को कवि कहा गया है। जो धर्म काव्यसंज्ञना करनेवाले कवि का है वही योजना बनाकर अम में प्रवृत्त होनेवाले का माना जा सकता है।

हमारी शिक्षा और योजना

भारत के स्वाधीन होते ही हमने प्रगतिपथ पर चलने की योजनाएँ बनायीं।

यद्यपि इन योजनाओं का अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ सका, न इनके लक्ष्य ही सिद्ध हो पाये, परन्तु यह तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि भागे बढ़ने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं हो सकता था। इन योजनाओं का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा का प्रसार तीन पचवर्षीय योजनाओं में जितना हुआ है उतना शीघ्र सप्ताह के किसी अन्य राष्ट्र में इतने कम समय में नहीं हुआ होगा।

शिक्षा से सम्बन्धित त्रुटियाँ भी इन योजनाओं में अनेक हुई हैं। इन योजनाओं में शिक्षा के प्रसार पर जितना बल दिया गया है उतना शिक्षा के स्तर पर नहीं दिया गया। शिक्षा का स्वरूप भी अंग्रेजों के समय जैसा ही चलता रहा। इससे और कुछ भले ही हुआ हो, स्वाधीन चिन्तन की परम्परा लगभग रुक सी गयी। विद्यालय में ऊँची-से-ऊँची डिग्री लेकर निकला हुआ व्यक्ति अपना पेट भरने में भी अक्षम रहता है और इधर-उधर नौकरी के लिये भटकता रहता है। उसकी जानकारी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित होता है। विद्यालयीय शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में जन्मजात रूप से निहित, जीवन-यापन के लिये अपेक्षित, व्यावहारिक ज्ञान के विकास और प्रकाशन में योगदान करना होता है। इसके स्थान पर वर्तमान शिक्षा मनुष्य के व्यावहारिक ज्ञान को नष्ट समाप्त कर देती है। इसीलिये बहुधा यह कहा जाता है कि जो जितना पढ़ा-लिखा होता है, वह उतना ही व्यावहारिक जीवन से अपरिचित, मूढ़ होता है।

हमारी शिक्षा-योजना सम्पूर्ण देश के लिये एक नहीं है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार से प्रयोग चल रहे हैं। सर्वत्र ही शिक्षा का केन्द्र भौतज्ञान का विद्यार्थी है। न तो ऐसी शिक्षा से विशिष्ट प्रतिभाशाली छात्रों को भारमविनास में सहायता मिलती है और न प्रतिस्पर्धा छात्रों को बौद्धिक स्तर सुधारने के लिये ही प्रवृत्त मिलता है। विदेशी अनुकरण तो सर्वत्र है ही- जिसके कारण अपनी अल्पज्ञानों की ओर भी ध्यान नहीं जाता। इन परिस्थितियों में शिक्षा एक अति-महत्वाकांक्षा की मूषकारिणी मात्र बनकर रह जाती है। उसमें प्रतिभा का उचित मूल्यांकन होना संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी योजनाएँ कुछ मस्तिष्कों को कल्पना से अनित है और उनको कुछ लोगों द्वारा जनसाधारण पर मोप दिया जाता है। न तो यहाँ विद्यार्थी व उनके अभिभावक को यह सोचने का अधिकार है कि विद्यार्थी क्या व कैसे पढ़ना चाहता है और न उनको अनुचित कार्यों को रोकने का ही अधिकार है।

योजनाओं की त्रुटियों को दूर करने का दायित्व समाज के सभी घटकों का है। सांख्यिक जगत् की समस्याओं को इससे सम्बन्ध रखनेवाले शिक्षणालय ही दूर कर सकते हैं। इसीलिये विद्यालय-योजनाओं का महत्त्व बढ़ जाता है। विद्यालय-योजना का तात्पर्य है—वह योजना जिसे विद्यालय मंचालित करता है। एक निश्चित उद्देश्य की सिद्धि के लिये सुव्यवस्थित ढंग से भागे बढ़ना ही विद्यालय-योजना की कार्यप्रणाली है। कोठारी शिक्षा-भाषायोग ने राष्ट्रीय योजनाओं में विद्यालयों की व्यापक भूमि का आकलन किया है और यह दायित्व विद्यालयों पर डाला है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना की लक्ष्य-सिद्धि करें। इस दृष्टि से विद्यालय-योजना का महत्त्व भी बढ़ जाता है। अपना सकल्प, अपनी कार्यप्रणाली, अपना लक्ष्य-निर्धारण और स्वतः लक्ष्य-सिद्धि—यही विद्यालय-योजना का स्वरूप है। विद्यालय-योजना केवल सामने आयी हुई समस्या को सुलझाने के लिये ही नहीं होती, बल्कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में अपने ढंग से सुधार करने व अपने विकास का मार्ग स्वयं निर्धारित करने के लिये होती है। यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं पार करना होता है। कार्य को स्वयं करने की भावना ही विद्यालय योजना का मूलाधार है। अपने विकास की योजना स्वयं बनाकर विद्यालय अपना भविष्य निश्चित करता है, अपना वर्तमान बनाता है और अपने भूतकाल का भागे बढ़ने में अपने ढंग से उपयोग करता है।

प्रायः विद्यालयों की स्वतंत्रता की बात कही जाती है। स्वतंत्रता का तात्पर्य होता है—अपना लक्ष्य निर्धारण करने और लक्ष्य-सिद्धि के लिये साधनों को उपलब्ध करने और उनका प्रयोग करने की स्वतंत्रता। किसी विद्यालय की योजना कितनी मौलिक और प्रभावशाली है—यह बात इस पर निर्भर है कि वह विद्यालय-योजना बनाने और उसको क्रियान्वयन करने में कितना स्वतंत्र है। विद्यालय-योजनाएँ विद्यालयों की स्वतंत्रता की घोषणा करती हैं, अध्यापकों को मनोविकास के अवसर प्रदान करती हैं तथा उन्हें इस विकास को स्थायी बनाने की सुविधा देती हैं। इनसे अध्ययन-अध्यापन के स्तर में सुधार होता है। छात्रों में इनसे प्राप्त साधनों का समुचित उपयोग करने की भावना जागती है। उनमें आद्योपान्त समुन्नयन भावना का विकास होता है तथा निश्चय और क्रियान्विति में सामंजस्य स्थापित करने की भावना जागती है।

विद्यालय-योजनाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं—(१) विद्यालय के सुधार व विकास की योजना तथा (२) अपने क्षेत्र के विकास के लिये विद्यालय द्वारा निमित्त योजना। इनमें से कुछ योजनाएँ स्वल्पकालिक हो सकती हैं और कुछ दीर्घकालिक। अनेक स्वल्पकालिक योजनाएँ एक दीर्घकालिक योजना के भ्रग के रूप में चलती रह सकती हैं। इनके साधन दीर्घकालिक योजना की सिद्धि में सहायक हो सकते हैं। विद्यालय-योजनाएँ अपने जिले व राज्य की योजना का भ्रग बनकर अततो गत्वा सम्पूर्ण राष्ट्र की योजना का महत्त्वपूर्ण भ्रग बन सकती हैं। विद्यालय योजनाओं के असफल होने की अदूरदर्शिता और असमता होती है। विद्यालयों में योजनाओं की सफलता असदिग्ध होती है।

योजना का महत्त्व

इतना होने पर भी यह सुज्ञात तथ्य है विगत वर्षों में शिक्षा का स्तर बराबर गिरता चला गया है। इसका एक कारण यह भी है कि शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार के लक्ष्य को लेकर चलते समय उसका स्तर प्रायः गौण हो गया है। विद्यालय-योजनाएँ स्तर गिरने की समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। योजना साधन है और सुधार उसका लक्ष्य। सुधार छात्र, शिक्षक और शिक्षण-पद्धति का हो ही सकता है साथ ही उन परिस्थितियों का भी हो सकता है जिनमें कोई भी छात्र, शिक्षक या शिक्षण-पद्धति असफल हो जाती है। वस्तुतः सफलता का तात्पर्य है उस क्षण को खोज जहाँ मनुष्य की गति अपना औचित्य खोज लेती है। यह क्षण उपयुक्त परिस्थितियों की देन होता है।

विद्यालय दो प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करता है। प्रथम प्रकार की बाह्य भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। दूसरे प्रकार की परिस्थितियों का सम्बन्ध भावना-जगत् से होता है। कई विद्यालयों को स्थानीय राजनीतिक सींचतान का शिकार होना पड़ता है। विद्यालय योजना ऐसी सींचतान को समाप्त करने में सहायक हो सकती है। प्रकाश वहाँ से मिलता है अहाँ दीपक हो। विद्यालय अपने क्षेत्र में विवेक की ज्योति को विकीर्ण करनेवाला एकमात्र प्रकाश-स्तम्भ माना जा सकता है। प्रायुनिक काल में समाज का जितना अहित राजनीतिक पूर्वाग्रहों और अल्पविश्वासों से दूषित है उतना किसीसे नहीं। विद्यालय-योजना द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है जिसमें ऐसे पूर्वाग्रहों और अल्पविश्वासों को कोई स्थान न हो। यदि विद्यालय अपनी योजना द्वारा स्थानीय समाज के तात्कालिक हिताहितों के प्रति स्वल्प दृष्टि-

कोए प्रस्तुत करके अपनी उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने प्रकट करे तो कोई कारण नहीं है कि विद्यालय को अपने विकास में समाज का सहयोग न मिले। सब यह है कि हमारे किसी भी विद्यालय का समाज से सीधा सम्बन्ध नहीं है और इसीलिए साधारण जनता विद्यालय की अपनी तात्कालिक परिस्थिति में कोई उपयोगिता नहीं समझती। इसलिये न अध्यापक को समाज में समुचित धादर मिलता है और न शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही अन्य अधिकारियों के समान, प्रतिष्ठा का पात्र समझा जाता है। यह भले ही चौकानेवाला तथ्य हो, परन्तु है प्रत्यक्ष कि भारत में शैक्षणिक जगत् से सम्बद्ध ४३ करोड़ व्यक्तियों का श्रम राष्ट्रीय उत्पादन से असम्बद्ध हो। जिस राष्ट्र के सामने इतनी समस्याएँ हों, प्रतिवर्ष अकाल पडते हों और शत्रु निरन्तर हानि पहुँचाने की कटिबद्ध हों वहाँ इतने सारे लोग अनुत्पादक श्रम करते हो इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? जो श्रमपूर्वक राष्ट्रीय उत्पादन में भाग लेते हैं और कर देकर राज्य का कोष भरते हैं उनके सामने विद्यालयों की तात्कालिक कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए समाज का सहयोग विद्यालयों को नहीं मिलता। विवेकपूर्वक विद्यालय योजना का निर्माण करके यह स्थिति समाप्त की जा सकती है।

जो योजना विद्यालय का सम्बन्ध अपने परिवेश से जोड़ सकती है वही योजना जिला, राज्य और राष्ट्र की योजना से भी उसका सम्बन्ध जोड़ने में समर्थ हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी योजनाओं का अपना सम्बन्ध हो और व्यापक दृष्टिकोण हो। विद्यालय योजना के निर्माताओं को चाहिये कि वे अपने साधन-स्रोतों की दृष्टि में रखते हुए और अपनी आवश्यकताओं को समझकर छात्र शिक्षक, परीक्षक आदि की केंद्र मानकर उनकी कार्यप्रणाली में यथोचित सुधार करने के लिए योजना बनायें और सामाजिक सदस्यों में इनमें से प्रत्येक की उपयोगिता निश्चित करने का प्रयत्न करें।

राष्ट्रीय नीति सामने हो, शिक्षा के उद्देश्य सामने हो, व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष जानकारी हो, साधन स्रोतों की उपलब्धि का निश्चय हो— इसके उपरांत मानव श्रम शक्ति का उपयोग करनेवाली योजना बनायी जाय तो शैक्षणिक जगत् में अपूर्व क्रान्ति लायी जा सकती है। सुधार के लिये क्रमिक उपक्रम अपनाया जाना चाहिये। ऐसी योजना को दिखाने से बचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि साधनस्रोत उपलब्ध न हों तो साधनों को देखते हुए प्राथमिकता निश्चित कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। योजना में

विद्यालय-योजनाएँ दो प्रकार की हो सकती हैं—(१) विद्यालय के सुधार व विकास की योजना तथा (२) अपने क्षेत्र के विकास के लिये विद्यालय द्वारा निमित्त योजना। इनमें से कुछ योजनाएँ स्वरूपकालिक हो सकती हैं और कुछ दीर्घकालिक। अनेक स्वरूपकालिक योजनाएँ एक दीर्घकालिक योजना के अंग के रूप में चलती रह सकती हैं। इनके साधन दीर्घकालिक योजना की सिद्धि में सहायक हो सकते हैं। विद्यालय योजनाएँ अपने जिले व राज्य की योजना का अंग बनकर अतंतोगत्वा सम्पूर्ण राष्ट्र की योजना का महत्वपूर्ण अंग बन सकती हैं। विद्यालय योजनाओं के असफल होने की भ्रमरपश्चिमा और असमता होती है। विद्यालयों में योजनाओं की सफलता असदिग्ध होती है।

योजना का महत्व

इतना होने पर भी यह सुनात तथ्य है विगत वर्षों में शिक्षा का स्तर बराबर गिरता चला गया है। इसका एक कारण यह भी है कि शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार के लक्ष्य को लेकर चलते समय उसका स्तर प्रायः गीए हो गया है। विद्यालय-योजनाएँ स्तर गिरने की समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। योजना साधन है और सुधार उसका लक्ष्य। सुधार छात्र, शिक्षक और शिक्षण-पद्धति का ही हो ही सकता है साथ ही उन परिस्थितियों का भी हो सकता है जिनमें कोई भी छात्र, शिक्षक या शिक्षण पद्धति असफल हो जाती है। वस्तुतः सफलता का तात्पर्य है उस क्षण को खोज जहाँ मनुष्य की गति अपना अधिचर्य खोज लेती है। यह क्षण उपर्युक्त परिस्थितियों की वेन होता है।

विद्यालय दो प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करता है। प्रथम प्रकार की बाह्य भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। दूसरे प्रकार की परिस्थितियों का सम्बन्ध भाषना जगत से होता है। कई विद्यालयों को स्थानीय राजनीतिक खीचतान का शिकार होना पड़ता है। विद्यालय योजना ऐसी खीचतान को समाप्त करने में सहायक हो सकती है। प्रकाश वही से मिलता है जहाँ दीपक हो। विद्यालय अपने क्षेत्र में विवेक की ज्योति को विकीर्ण करनेवाला एकमात्र प्रकाश-स्तम्भ माना जा सकता है। आधुनिक काल में समाज का जितना ग्रहित राजनीतिक पूर्वाग्रहों और अन्धविश्वासों से हुआ है उतना किसी नहीं। विद्यालय-योजना द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है जहाँ ऐसे पूर्वाग्रहों और अन्धविश्वासों को कोई स्थान न हो। यदि विद्यालय द्वारा योजना द्वारा स्थानीय समाज के तात्कालिक हितहितों के प्रति स्वल्प रू-

आचार्यकुल-गतिविधि

[इस शक में गया (बिहार) और पड़रौना (देवरिया, उ० प्र०) के आचार्यकुल की गतिविधियों की आख्या दी जा रही है ।—सम्पादक]

(१)

उत्तर बिहार का नौगछिया नामक स्थान हिसारमक घटनाओं का केन्द्र स्थल बना हुआ है । यहीं पर आयोजित सन् '७० के अंतिम दिनों २४ से २९ दिसम्बर तक, बिहार तरुण शान्ति-सेना के वार्षिक शिविर और सम्मेलन में, गया के कुछ तरुणों को लेकर, सकरदास नवादा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री गिरिजानन्दन मिश्र गये थे ।

दादा धर्माधिकारी, प० रामनन्दन मिश्र और जयप्रकाश नारायण के विचारों को सुनने पर उभरते हुए युवा-विद्रोह को सामाजिक और धार्मिक शान्ति के संदर्भ में उसे विधायक दिशा कौन दे और कैसे दिया जाय, यह प्रश्न मिश्रजी के मन को कुरेद रहा था । डा० रामजी सिंह, बी० एन० कालेज पटना के अध्यापक श्री महेन्द्र नारायण कर्ण और लेखक के साथ परामर्श कर तरुण शान्ति-सेना और आचार्यकुल के कार्यक्रम से उन्हें समाधान मिला । पुन गया जिले के चुने हुए १५ शिक्षकों की प्रारम्भिक बैठक में १० जनवरी को विचार-विमर्श कर निर्णय हुआ कि ६ और ७ फरवरी को श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सर्वोदय आश्रम सोसोदेवरा में आचार्यकुल की स्थापना के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया जाय ।

उपर्युक्त निर्णयानुसार गोष्ठी में शरीक होने के लिए जिला ग्रामस्वराज्य समिति के सत्वावधान में गया जिले के चुने हुए गभीर-चिंतन के आदि, सरूप में दस प्रायः साठ शिक्षकों को आमंत्रित किया गया । केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के संयोजक श्री बघीघर श्रीवास्तव और प्रादेशिक संयोजक डा० रामजी सिंह भी गोष्ठी में सम्मिलित हुए थे ।

६ फरवरी की संध्या समय आश्रम के जवाहर पुस्तकालय-भवन में आश्रम के तरुण और उत्साही अध्यक्ष भाई त्रिपुरारिशरणजी ने भाग्यन्तुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए आश्रम की स्थापना से लेकर अब तक के प्रतिक विकास का इतिवृत्त प्रस्तुत किया । तदनन्तर गोष्ठी के संयोजक श्री केशव मिश्र ने गोष्ठी की प्रयोजनीयता पर प्रकाश डाला और श्री बघीघर से सभापतित्व करने का निवेदन किया ।

सधीलापन होना चाहिए ताकि पहली बात को सबसे पहला स्थान दिया जा सके ।

योजना बनाते समय अभावों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये और उन्हींकी पूर्ति के लिये प्रयत्न करते हुए अध्ययन-अध्यापन में सुधार किया जाना चाहिये । योजनाओं को अन्तिम रूप देने के पहले प्रशिक्षित व्यक्तियों, शिक्षाशास्त्रियों व प्रतिष्ठित नागरिकों की भी सम्मति प्राप्त कर लेनी चाहिये । सबके सहयोग से ही किसी व्यापक प्रभाववाली योजना में सफलता प्राप्त की जा सकती है । योजनाओं में छात्रों के मानसिक विकास में योगदान देनेवाले पुस्तकालय आदि साधनों के सुधार को प्राथमिकता व क्रीडागण, विद्यालय भवन आदि को गौण स्थान मिलना चाहिये ।

योजना में सबका यथोचित सहयोग प्राप्त करने के लिये अध्यापकों, छात्रों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की समन्वित समिति होनी चाहिये । छात्रों और अध्यापकों को अपने लिये पृथक् योजना बनाने व उसे क्रियान्वित करने की प्रेरणा मिलती रहनी चाहिये । व्यक्तिश बननेवाली ऐसी छोटी योजनाओं का सम्मिलित रूप ही विद्यालय योजना हो सकती है । प्रत्येक योजना के दीर्घकालीन प्रभावों का आकलन समय समय पर होते रहना चाहिये । इससे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है । अर्द्धशताब्दी स्वतः प्रकट होने लगती हैं और बुराईयों से बचकर आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है । विद्यालय-सुधार योजना का तात्पर्य है विद्यालय के सभी घटकों के सुधार की योजना । इनमें से किसी भी घटक का तिरस्कार नहीं होना चाहिये । योजना की व्यवस्थित ढंग से क्रियान्विति और समय समय पर क्रियान्वयन के परिणामों का मूल्यांकन ऐसी योजनाओं को सफल बनाने में सहायक होते हैं । निश्चय ही ऐसी योजनाओं का विद्यालयों के लिये अत्यधिक महत्त्व है ।

(‘नया शिक्षक’ से साभार)

आचार्यकुल-गतिविधि

[इस अंक में गया (बिहार) और पडरौना (बेरिया, उ० प्र०) के आचार्यकुल की गतिविधियों की छात्र्या दी जा रही है ।—सम्पादक]

(१)

उत्तर बिहार का नौगछिया नामक स्थान हिंसात्मक घटनाओं का केन्द्र स्थल बना हुआ है । यही पर आयोजित सन् '७० के अंतिम दिनों, २४ से २९ दिसम्बर तक, बिहार तृष्ण शांति-सेना के यापिक शिविर और सम्मेलन में, गया के कुछ तृष्णों को लेकर, सरदारदास नवादा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधाना-ध्यापक श्री गिरिजानन्दन मिश्र गये थे ।

दादा धर्माधिकारी, प० रामनन्दन मिश्र और जयप्रकाश नारायण के विचारों को सुनने पर उभरते हुए युवा विद्रोह को सामाजिक और यापिक शक्ति के संदर्भ में उसे विधायक दिशा कौन दे और कैसे दिया जाय, यह प्रश्न मिश्रजी के मन को कुरेद रहा था । डा० रामजी सिंह, बी० एन० कालेज पटना के अध्यापक श्री महेन्द्र नारायण कर्तुं और लेखक के साथ परामश कर तृष्ण शांति-सेना और आचार्यकुल के कार्यक्रम से उन्हें समाधान मिला । पुन गया जिले के चुने हुए १५ शिक्षकों की प्रारम्भिक बैठक में १० जनवरी को विचार-विमर्श कर निर्णय हुआ कि ६ और ७ फरवरी को श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सर्वोदय आश्रम सोसोदेवरा में आचार्यकुल की स्थापना के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया जाय ।

उपर्युक्त निर्णयानुसार गोष्ठी में शरीक होने के लिए जिला ग्रामस्वराज्य समिति के सत्वावधान में गया जिले के चुने हुए शरीर-चित्तन के भादि, सकल्प में हड़ प्राय साठ शिक्षकों को आमंत्रित किया गया । केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सयोजक श्री वसीधर श्रीवास्तव और प्रादेशिक सयोजक डा० रामजी सिंह भी गोष्ठी में सम्मिलित हुए थे ।

६ फरवरी की संध्या समय आश्रम के जवाहर पुस्तकालय-भवन में आश्रम के तृष्ण और उस्ताही अध्यक्ष भाई त्रिपुरारिचरणजी ने भागन्तुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए आश्रम की स्थापना से लेकर अब तक के क्रमिक विकास का इतिवृत्त प्रस्तुत किया । तदनन्तर गोष्ठी के सयोजक श्री केशव मिश्र ने गोष्ठी की प्रयोजनीयता पर प्रकाश डाला और श्री वसीधर से सभापतित्व करने का निवेदन किया ।

प्राग्भ मे ही तय हो चुका था कि गोष्ठी का स्वरूप भाषण का नहीं, बल्कि विमर्शात्मक होगा। गोष्ठी का समयक्रम और विचारों के बिंदु भी निर्धारित हुए।

श्री वशीधर श्रीवास्तव ने आचार्यकुल के सगठनात्मक पहलू पर प्रकाश डालते हुए उसकी स्थापना की और इंगित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद स्व० डा० जाकिर हुसेन साहब ने पूसा में सत विनोबाजी से मिलकर उनके समक्ष शिक्षा-क्षेत्र में व्याप्त असंतोष छान-विद्रोह और अभास्तविक शिक्षा पद्धति के बारे में अपनी परेशानी रखी थी। राष्ट्र के इन दोनों कणधारों ने, जिन्हें प्रायः ३५ वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता ने देश की भावी शिक्षण पद्धति निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा था पुनः पूसा रोड के ग्राम्य क्षेत्र के शांत कुटीर में एकत्रित होकर शिक्षा विषय पर गम्भीरतापूर्वक बातचीत की। एक तरफ डा० जाकिर हुसेन साहब राष्ट्र के सर्वोच्चतम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे तो दूसरी तरफ सत विनोबाजी, गांधी की राह पर सतत चलकर लोकशक्ति को जगाने का काम लोकनायक की भूमिका में कर रहे थे। दोनों ही मनीषियों ने शिक्षालयों में शासन, पुलिस और राजनीति के प्रवेश को घोर आपत्तिजनक मानते हुए यह अनुभव किया कि शिक्षा को शासन और राजनीति से मुक्त करने का अविलम्ब प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह दोनों मनीषियों ने शासन से पूरी आर्थिक मदद लेकर भी शिक्षा की स्वायत्तता को उपयुक्त माना। गांधी भाग के इन दोनों महान नेताओं ने शिक्षा की राष्ट्रीयकरण जैसी माँग पर भी चिंता व्यक्त की, क्योंकि इससे राष्ट्रीयकरण के नाम पर शिक्षा और शिक्षक का बर्दीकरण मात्र होगा। इसी प्रसंग में देश के प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों, शिक्षाविदों और शैक्षणिक अधिकारियों का सम्मेलन पूसा में सन १९६८ में विनोबाजी की उपस्थिति में हुआ, जिसमें बिहार विश्वविद्यालयों के सभी उपकुलपति और शिक्षाधिकारी और शिक्षाविद् शामिल थे। तत्काल केन्द्रीय शिक्षामंत्री श्री त्रिगुण सेन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसी सम्मेलन के विचार मण्डल से आचार्यकुल का विचार उत्पन्न हुआ जो भागे मुंगेर और पुनः भागलपुर में विनोबाजी की यात्रा से पुष्ट हुआ।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की माँग लोकतंत्र के लिए घातक है और आचार्यकुल को इस प्रकृति के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। रूत में सत्ता के लिए शिक्षा-नीति बनती बिगड़ती रहती है। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ तो भारत में भी ऐसा ही होगा। इस सगठन की पहली माँग यह हो कि न्याय विभाग की तरह शिक्षा विभाग भी स्वायत्त हो।

देश में बढ़ रहे छात्रों के असन्तोष और युवा विद्रोह के कारणों पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि वर्तमान भ्रष्टाचारिक शिक्षण के ये दुष्परिणाम मात्र हैं। भाज का कोई भी युवक यथास्थिति सहन करने को तैयार नहीं है। सबने परिवर्तन करने की उत्कण्ठता है। सवाल है कि परिवर्तन कैसे हो ? विनोबाजी भी भाज की परिस्थिति में परिवर्तन चाहते हैं। परन्तु वे चाहते हैं कि ये परिवर्तन अहिंसक ग से हो। इसलिए वे विचार-शक्ति और हृदय परिवर्तन में विश्वास रखनेवाले शिक्षकों का संगठन चाहते हैं। अल-भाचार्यकुल का तीसरा काम होना चाहिए छात्र विद्रोह को विधायक दिशा देना। भाज तो हमारे विद्यालय दोहरे प्रहार का शिकार हो रहा है। एक ओर विद्रोही छात्रों का प्रहार और दूसरी ओर पुलिस का प्रवेश। दोनों के हाथ में एक ही दाख है—बंदूक। बंदूक से, हिंसा से भाज के अणुबम के श्रुंग में ससार की किसी भी समस्या का हल नहीं होगा। छात्र-विद्रोह भाज जागतिक समस्या है। परन्तु यदि यह हिंसक हुंसा तो समस्या का हल नहीं होगा।

भाचार्यकुल के सदस्यों के लिए लोकशक्ति के निर्माण का कार्य उनका दूसरा काम होना चाहिए। इसके लिए उन्हें दलीय राजनीति से अलग रहना पड़ेगा। सभी वे स्वतंत्र लोकशक्ति बना सकेंगे। शिक्षक अपना सेवा शक्ति पहचान लें तो वे लोकनीति का निर्देशन कर सकते हैं।

ये तीन काम यदि भाचार्यकुल करे तो वह निश्चय ही देश की अहिंसक शक्ति का अणुमा बन सकता है।

श्रीवास्तवजी द्वारा उपर्युक्त मतव्य प्रकट करने के उपरान्त उपस्थित शिक्षक-अणुओं में प्रचलित दीर्घपूर्ण शिक्षण से त्राण पाने के लिए भाचार्यकुल के विचार और कार्यक्रम पर गभीर चिंतन शुरू हुआ।

दूसरे दिन, ७ फरवरी के प्रातः ७.३० से १ बजे तक गोष्ठी में पुनः भाचार्यकुल-संगठन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया और यह निश्चय किया गया कि गया जिले के ४६ प्रखण्डों में से कम से-कम २३ प्रखण्डों में मार्च मास के अंदर संगठन का ढाँचा खड़ा किया जाय। कार्यक्रम बनाते समय भाचार्यकुल के गठन के साथ ही तृण-शांतिसेना के गठन का भी न सिर्फ निश्चय किया गया, बल्कि अगले श्रीभावाकाश तक का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया और उपस्थित मित्रों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्तव्य-विभाजन कर लिया गया और गया जिले में शीघ्र ही भाचार्यकुल और तृण-शांतिसेना के मुख्य संगठन की नींव डालने का निश्चय किया गया।

गोष्ठी ने यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि हम अपने इस नये संगठन को अधिकाधिक युगसापेक्ष बनाने के लिए ग्राम स्वराज्य की स्थापना के लिए किये जानेवाले प्रयत्नों में न केवल योगदान करेंगे, बल्कि उचित और महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर ग्रहिसक समाज-परिवर्तन के चक्र को गतिशील बनायेंगे।

भाचार्यकुल के उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किये गये :—

१ शिक्षा द्वारा मृज्जनशील, उत्पादक और शोषणमुक्त व्यक्तित्व का निर्माण।

२. भाचार्यकुल द्वारा लोकशक्ति के निर्माण में करुणामूलक सहकार,

३ युवा शक्ति का विधायक शिक्षा निर्देश,

४ अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता, और

५ सामयिक समस्याओं पर निष्पक्ष तथा निर्भय विचार प्रकट करना।

इन उद्देश्यों को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय भाचार्यकुल समिति द्वारा निर्धारित फार्म पर कम से-कम वार्षिक शुल्क ₹ २०-६५ पैसे देकर हस्ताक्षर करनेवाले भाचार्यकुल के सदस्य माने जायेंगे।

संगठन

किसी एक विद्यालय या पढोसी के भाचार्यकुल के कम-से-कम दो सदस्यों का प्राथमिक संगठन होगा। एक प्रखण्ड के ऐसे बीस सदस्यों की प्रखण्ड समिति होगी और उसके एक समोजक होंगे। इसी तरह प्रखण्ड समोजकों के योग से भाचार्यकुल की जिला समिति बनेगी। प्रखण्ड-समोजकों के अतिरिक्त अन्य समाजसेवी पत्रकार या साहित्यकार, जो भाचार्यकुल के उद्देश्य को मानते हों, को जिला-समिति अपना सदस्य बना सकेगी।

सदस्यता-शुल्क की रकम में से ५ प्रतिशत केन्द्रीय समिति को, १० प्रतिशत प्रांतीय समिति को, १५ प्रतिशत जिला समिति को और ७० प्रतिशत अक्ष प्रखण्ड समिति को प्राप्त होगा।

श्री वशीधर श्रीवास्तव ने सूचित किया कि वार्षिक प्रखण्डों में भाचार्यकुल के कुछ सदस्य बन चुकने के बाद वे केन्द्रीय समिति की ओर से श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा की सेवा भाचार्यकुल-गोष्ठी के लिए वे उपलब्ध करा सकेंगे। इसी तरह तरुण-सान्त्वितेना के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करने के लिए भी वे केन्द्रीय समिति से श्री मुन्बाराव की सेवा का आवश्यक प्रबन्ध करा सकेंगे।

यह निर्णय किया गया कि भागामी माध्यमिक परीक्षा में शामिल होनेवाले छात्रों से भर्षील कर प्रीम्पावकाश के भवसर पर १००० छात्रों का समय मांगा

जाय। इस तरह जो छात्र समय दें, उनके २-२ दिनों के स्थानीय रूप से १००-१०० छात्रों के १० सिविल किये जायें और प्रत्येक सिविल से १०-१० छात्रों का चुनाव कर ऐसे १०० दिग्विष्ट छात्रों का तीन दिनों का विशेष सिविल किया जाय। इस प्रकार ११ सिविलों के उपरान्त प्राचार्यकुल के सहयोग में ग्रीष्मावकाश व अक्टूबर पर इन एक हजार छात्रों द्वारा ग्राम-स्वराज्य का कोई प्रत्यक्ष कार्यक्रम बनाकर उन्हें लगाया जाय।

प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न करने के लिए प्राचार्यकुल की जिला स्तर की एक उदर्य समिति इस प्रकार बनायी गयी —

१. श्री घलसदेव प्र० सिंह, मयोजर प्राचार्य, महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, गया नगर।
२. श्री भरत मिश्र, सदस्य, प्रधानाध्यापक, उच्च मा० वि०, रानीगज, गया
- ३ " राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सदस्य, " " " " वजीरगज, गया
- ४, " गिरिजानन्द मिश्र " " " " " सकरदास नवादा, गया
- ५ " कमलेश्वरी प्र० सिंह " " " " " पाण्डेयगौट, गया
- ६ " रामेश्वर प्र० शर्मा " " " " " श्रीकरी, गया
७. " तपस्वी सिंह " प्राचार्य, " " " " परैया, गया

उपस्थित मित्रों की राय से निम्नलिखित प्रखण्डों के उल्लिखित विद्यालयों में प्राचार्यकुल के सदस्य बनाने और उनके सहयोग से तृष्ण-शान्तिमैत्रिक भर्ती करने का निम्नांकित लक्ष्यक निर्धारित किया गया —

१. श्री भरत मिश्र, इमामगज, ग्रामस देव और दुमरिया प्रखण्ड के २०-२० विद्यालयों में
- २ श्री विष्णुदेव सिंह, प्राचार्य, भगुोक उच्च मा० वि० } कोच, परैया, टिकारी,
- ३ " तपस्वी सिंह, " " " " } परैया प्रखण्ड के २०-
- ४, " कमलेश्वरी प्र० सिंह " पाण्डेयगौट } २० विद्यालयों में
- ५ " रामेश्वर प्र० त्रियोगी, कौमाकौल } कौमाकौल, गोविन्दपुर,
- ६ " लूटन महतो, फुलडीह } पकरीबराबा प्रखण्ड के
- ७ " घलसदेव प्र० सिंह, गया, गया नगर के १० विद्यालयों में
- ८ " गिरिजानन्दन मिश्र, सकरदास नवादा, वजीरगज प्रखण्ड के १० विद्यालयों में
- ९ " राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, जिला माध्यमिक शिक्षक सभ ने अन्य मित्रों से सम्पर्क कर दोष प्रखण्डों में संगठन बनाये जाने के लिए प्रयत्न करने का दायित्व स्वीकार किया।

बिहार प्रांतीय आचार्यकुल समिति के सयोजक और भागलपुर विश्व विद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डा० रामजी सिंह दूसरे दिन गोष्ठी में शरीक हुए। उन्होंने आचार्यकुल गोष्ठी द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों पर सतोष व्यक्त करते हुए यह निवेदन किया कि लोकसभा के आगामी मध्यावधि चुनाव के अवसर पर निष्पक्ष चुनाव के लिए हम लोगों को मतदाता प्रशिक्षण के लिए भी यथासम्भव प्रयास करना चाहिए।

गोष्ठी के उत्तरार्ध में, ७ फरवरी के अपराह्न काल में सभी आगन्तुक मित्रों को आश्रम के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्ग में भूदान की भूमि वितरित किये जाने के बाद जो कृषि-विकास का काम हुआ है, उसका परिदशन गाधीघाम और पचम्मा गाँव जाकर कराये जाने के साथ ही आश्रम की कृष्ण सेवा शाखा का परिदर्शन भी कराया गया।

गोष्ठी की समापन बैठक आश्रम के 'जवाहर पुस्तकालय भवन' में ७ फरवरी की संध्या विनोद समारोह के साथ सम्पन्न हुई। समारोह में आश्रम की ओर से प्रति एकड़ २५ मन धान उत्पादन करनेवाले दो युवक ग्रामीण कृषि-कार्य-कत्ताओं को श्री वशीधर श्रीवास्तव द्वारा घड़ियों का पुरस्कार दिया गया। समापन समारोह का सभापतित्व किया प० भरत मिश्रजी और समापन भाषण डा० रामजी सिंह ने दिया।

गोष्ठी में आश्रम स्थित आस्ट्रेलिया के शिक्षाप्रेमी पत्रकार श्री स्टीवेन ने अपने देश की शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए बताया कि वहाँ की शिक्षा सैद्धांतिक और व्यावहारिक के अलावा मानव निष्ठ अधिक है। परन्तु आस्ट्रेलिया में शिक्षक दो प्रकार के हैं एक, पैसा कमानेवाले और दूसरे मानव केन्द्रित शिक्षा में विश्वास रखनेवाले। उन्होंने कहा कि प्रवेशिका की शिक्षा तक प्रायः ८० प्रतिशत छात्रों को जीने लायक कला का अभ्यास करा दिया जाता है। शेष २० प्रतिशत गेपाबों और चुने हुए छात्र ही विश्वविद्यालयों में जाते हैं। फिर भी हमारे यहाँ बहुत ही कमियाँ हैं, जो भारत से सीखा जा सकता है। इसी तरह भारत को भी पश्चिम की गलतियों से बचकर उसकी विरासतों का परीक्षण करना चाहिए। इस तरह एक मधुर वातावरण में दृढ़ संकल्प के साथ शिक्षकों ने धानार्थ कुल गठन की नींव डाली।

अन्त में गोष्ठी के आयोजक श्री केशव मिश्र ने आवाय वशीधर श्रीवास्तव और डा० रामजी सिंह आगन्तुक शिक्षक मित्रों के प्रति और गोष्ठी के लिए आश्रम ने जो आतिथ्य किया, एतदर्थ उससे प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया।

आश्रम के प्रधान मंत्री श्री बनराम दास ने भी सभी प्रतिधियों को धन्यवाद दिया। ईश्वर नन्दन के साथ गोष्ठी समाप्त हुई। —केशव मिश्र, मंत्री

पड़रौना, देवरिया के प्रायः सभी स्तर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राचार्यकुल की स्थापना हो गयी है। दो गाँव इस सन्त लिय गये थे जिनमें तरुण-शान्तिसेना की महायत्ना में सफाई-प्रभियान तथा 'निरक्षरता मिटाओ' अभियान चनाया गया। दोनों ही अभियान पूर्णतः सफल हुए। एक हरिजन बस्ती में प्रवेश के लिए कोई उपयुक्त मार्ग नहीं था। वहाँ सम्बन्धित लोगों से प्रार्थना करके थोड़ा-थोड़ा उनका सेत छोड़वाकर सड़क बनवाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। शाहवाणों के एक गाँव में पचासत की मभा करके उनकी कठिनाइयों और अन्य विवादप्रस्त प्रश्नों और समस्याओं का अध्ययन किया गया, तथा शान्तिमय और प्रेममय मार्ग से समस्या-बुझाकर उन प्रश्नों का समाधान निकाला गया। उ० ना० डिप्टी कालेज में लगभग १५० छात्र और छात्राएँ तरुण-शान्ति सैनिक बन चुकी हैं। २० जनवरी १९७१ को प्राचार्यकुल और तरुण-शान्तिसेना का पूर्णतया मौन जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न भागों में होता हुआ सभा के रूप में परिणत हो गया। अन्त में गांधीजी पर और शहीद दिवस पर चर्चाएँ हुईं। २२ फरवरी १९७१ को तरुण शान्तिसेना तथा प्राचार्यकुल का एक जुलूस कुछ अन्य विद्यालयों की सहायता से जिसमें लगभग ५०० शान्ति सैनिक थे निकाला गया। मौन जुलूस शहर की विभिन्न सड़कों पर घूमा। माइक बस्तुओं और लाटरी का निषेध उमका उद्देश्य था। पड़रौना में इससे एक सुन्दर वातावरण तैयार हो गया है। इसी हेतु २० छात्र-सैनिकों, ५ छात्राएँ-सैनिकों और प्राचार्यकुल के २ सदस्यों ने २४ घंटों का धनयन रखा। लगभग पाँच हजार लोगों के हस्ताक्षर कराकर मद्य-निषेध लागू करने के लिए एक पत्रक प्रधान मंत्री को २४-२-७१ को अपने विद्यालय के मैदान में दिया गया।

महाविद्यालय के प्राचार्यकुल के अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद सिंह ने अपना सम्पूर्ण 'ग्रान्दरेटियम' तथा साथ ही श्री परशुराम सिंह, सयोजक ने अपना अर्द्धवेतन हमेशा के लिए सार्वजनिक कार्य के लिए दे दिया है।

—जगदीश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष प्राचार्यकुल, उ० ना० डिप्टी कालेज, पड़रौना

१२वाँ अ० भा० तरुण-शांतिसेना शिविर, कलकत्ता

ग्रीष्मावकाश में रचनात्मक क्रान्तिकारियों का
कलकत्ता में एक अतोखा शिविर

[शिविर की सूचना 'नयी तालीम' में इस सक्षय के साथ दी जा रही है कि 'नयी तालीम' के पाठक शिविर में भाग लेने और अपने बौद्धिक सहयोग से देश की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेंगे ।—सम्पादक]

बंगाल में भारी उथल-पुथल है । एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान में दोष मुजीबुर्रहमान ने अहिंसक, असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया है और दूसरी ओर कलकत्ता में बम से खेलनेवाले युवक और बन्दूकधारी पुलिस हैं । किसी समय कहा जाता था कि आज जो बंगाल सोचता है, वह बल पूरा भारत सोचेगा । हम अपने देश में किस बंगाल को कार्यान्वित चाहेंगे ? पूर्व के उस अहिंसक क्रान्तिकारी बंगाल को या पश्चिम के इस हिंसक और निराश बंगाल को ? इस प्रश्न के उत्तर की खोज १२वें अखिल भारत तरुण-शांतिसेना शिविर में की जायगी, जो मई १९७१ में कलकत्ता में हो रहा है । देश की विकट समस्याओं का आज कोई बना-बनाया समाधान नहीं है परन्तु अगर देश के नवजवान अपना विभाग इन समस्याओं में लगायेंगे और इन समस्याओं के हल का कोई रचनात्मक मार्ग ढूँढ़ेंगे तो शायद कुछ आशा की जा सकती है । क्या आप भी अगले गर्मी में कलकत्ता में घटित होनेवाले इतिहास का एक हिस्सा बनना चाहेंगे ?

शीघ्रता करें । कहीं ऐसा न हो कि आवेदक ज्यादा हो और स्थान कम हो ।

शिविर की जानकारी

स्थान कलकत्ता या उसका उपनगर

अवधि १६ मई से ३० मई, १९७१

उद्देश्य (क) भारत के युवकों को समग्र अहिंसक क्रान्ति की आवश्यकता के प्रति जागृत करना । (ख) उन्हें ग्रीष्मावकाश में सार्थक समूह-जीवन बिताने का अवसर प्रदान करना । (ग) उन्हें पश्चिम बंगाल की विशेष परिस्थितियों के बारे में अवगत कराना ।

पाठ्यक्रम—राज्यक्रम निम्न प्रकार रहेगा (क) व्याख्यान और चर्चाएँ (ख) समूह जीवन और (ग) प्रत्यक्ष कार्य ।

(क) व्याख्यान और चर्चाएँ निम्न मुख्य छ विषयों पर व्याख्यान और

चर्चाएँ होंगी। प्रतिदिन एक अतिथि वक्ता व्याख्यान देगा तथा एक मुख्य विषय का विषय प्रवेश करेगा। चर्चा, गोष्ठियाँ और उसका निष्कर्ष प्रतिदिन के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा होगा। चर्चाएँ, चर्चा-पत्र और प्रश्न-पत्रों के आधार पर होंगी, जो शिविराध्यक्षों को शिविर के आरम्भ में दिये जायेंगे। शिविराध्यक्षों को उन चर्चा-पत्रों या प्रश्न-पत्रों में आवश्यक परिवर्तन या कुछ और आवश्यक मुद्दे काटने छाँटने की स्वतंत्रता होगी।

मुख्य विषय (१) शिक्षा, (२) रोजगार, (३) भूमि, (४) राजतंत्र, (५) शान्ति, (६) अहिंसा।

व्याख्यान के उप-विषय :

(१) शिक्षा (क) दुनिया के प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों के विचार, (ख) शिक्षा-क्षेत्र के कुछ प्रयोग

(२) रोजगार (क) शिक्षित बेकारों की समस्या और उसका निराकरण, (ख) अशिक्षित बेकारों की समस्या और उसका निराकरण

(३) भूमि : (क) भारत की भूमि-समस्या (ख) भारत के भूमि-गुधार कानून

(४) राजतंत्र (क) लोकतंत्र क्यों ? (ख) लोकतंत्र कैसे ?

(५) शान्ति (क) शान्ति की भूमिका वा विकास, (ख) आज भारत में कैसी शान्ति की आवश्यकता है ?

(६) अहिंसा (क) अहिंसा क्यों ? (ख) अहिंसा कैसे ?

चर्चा के विषय निम्न विषयों पर चर्चा-पत्र या प्रश्न-पत्र दिये जायेंगे :

(१) शिक्षा में शान्ति क्यों और कैसे ?

(२) बेरोजगारी के मूल कारण समस्या-निवारण के लिए तत्त्वों के लिए कार्यक्रम

(३) भूमि समस्या के निवारण के कार्यक्रम

(४) भारतीय राजतंत्र में शान्ति किस प्रकार ?

(५) शान्ति की व्यूह रचना

(६) अहिंसा की प्रभावशाली कैसे बनाया जाय ?

(ख) समूह-जीवन शिविर के समूह-जीवन में शिविराध्यक्षों का पूर्ण सहयोग रहेगा और समूह-जीवन के हर पहलू को शिक्षाप्रद बनाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। समूह जीवन की कुछ शक्तियाँ (१) सभा, (२) भ्रम-कार्य, (३) जन सपर्क, (४) खेलकूद, (५) व्याख्यान तथा चर्चाएँ, (६) रजन कार्यक्रम, (७) सार्वजनिक सभा तथा जुलूस

(ग) प्रत्यक्ष कार्य शिविर में भोजन बनाने के सिवाय सब कार्य शिवि-

सार्थी स्वयं करेंगे। हर कार्य समूह-जीवन को सार्थक बनाने की ओर ले जाने-वाला होगा। प्रत्यक्ष कार्य में निम्न काम होंगे (१) श्रम-कार्य की योजना, (२) भोजनालय में मदद, (३) सफाई, (४) धर्म व्यवस्था, (५) बीमार-सेवा, (६) अतिथियों की देखभाल, और (७) चौकी पहरा।

- विशेष आकर्षण** (क) कलकत्ता में पहली अहिंसक क्रांति के लिए शिविर।
 (ख) हिंसक घटनाओं के ग्रामों सामने आने की संभावनाएँ।
 (ग) भारत की प्रमुख घटनाओं को समझना, उन पर चर्चा करना, और अपने मत प्रकट करना।
 (घ) रचनात्मक क्रांति के चाहनेवाले देश के विभिन्न क्षेत्रों के तहलों के साथ रहना।

माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी। यदि आवश्यकता पड़े तो शिविरार्थी अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकते हैं।

कौम शामिल हो सकता है ?—कोई भी तहल भाई वहन शिविर में भाग ले सकता है, जो—

- (१) तहल शांतिसेना के मूल्य—लोकशाही, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक न्याय, सामाजिक समता और विश्वशांति में विश्वास रखता हो।
- (२) जिसकी आयु १६ से २४ वर्ष के बीच में हो।
- (३) जिसे शिविर का अनुशासन माय हो।

शिविर शुल्क शिविर में प्रवेश पानेवाले शिविरार्थियों को शिविर-स्थान पर ५ रु० शिविर शुल्क देना होगा।

सर्च शिविर के लिए रेलवे कन्सेशन प्राप्त करने की कोशिश चल रही है। शिविरार्थियों को शिविर में आने के लिए प्रवास-खर्च स्वयं वहन करना होगा।

भोजन-शिविर की तरफ से निःशुल्क दिया जायगा, किन्तु कोई शिविरार्थी यदि भोजन-खर्च स्वेच्छा से देना चाहेगा तो उसे सधन्यवाद स्वीकार किया जायेगा।

आवेदन-पत्र पहुँचाने की अंतिम तिथि २० अप्रैल, १९७१ है। आवेदन-पत्र हाथ से लिखकर भेज सकते हैं। आवेदन-पत्र १ रु० शुल्क (डाकटिकट या मनिग्राडर) के साथ निम्न पते पर भेजें —

संचालक . १२वाँ अखिल भारत तहल शांतिसेना शिविर,
 अखिल भारत शांतिसेना मण्डल, राजपाट, वाराणसी-१ (उ०प्र०)

१६वाँ सर्वोदय समाज-सम्मेलन

इस वर्ष सर्वोदय समाज का १६वाँ वार्षिक सम्मेलन ८ से १० मई '७१ तक नासिक (महाराष्ट्र) में होने जा रहा है। सम्मेलन के पूर्व वही पर ता० ५, ६ एवं ७ मई को सर्व-सेवा सघ का अधिवेशन भी होगा।

सम्मेलन की कायवाही में भाग लेने के इच्छुक भाई बहन २० अप्रैल '७१ तक सम्मेलन मंत्री, १६वाँ सर्वोदय समाज सम्मेलन बोधगया जिला गया (बिहार) के पते पर पांच रुपये मात्र प्रतिनिधि शुल्क भेजकर प्रतिनिधि बन सकते हैं। शुल्क मंत्री, सर्व सेवा सघ गोपुरी वर्धा के पते पर या सर्वोदय मंडली के पते पर भी भेजा जा सकता है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि बनना आवश्यक है। सम्मेलन में आनेवाले नाक सेवको, जिला मण्डल के सयों-सवों, प्रतिनिधियों के लिए भी प्रतिनिधि बनना आवश्यक है।

सम्मेलन के सिलसिले में नासिक रोड के लिए एक तरफा किराया देकर वापसी टिकट की सुविधा रेलवे बोर्ड की ओर से प्रदान की गयी है। तृतीय और द्वितीय श्रेणी में १६० किलोमीटर के ऊपर सफर करनेवालों को ही यह सुविधा प्राप्त हो सकेगी। समय से कन्सेशन सर्टिफिकेट की प्राप्ति के लिए प्रतिनिधि शुल्क के पांच रुपये २० अप्रैल १९७१ के पहले उक्त पते पर भेजना चाहिए। प्रतिनिधि शुल्क भेजते समय नाम और पता साफ साफ लिखें, ताकि आने की कारवाई में असुविधा न हो।

यदि उस समय गरमी रहेगी। लेकिन सरेरे कुछ ठंड हो सकती है। अतः हल्का गरम कपड़ा साथ लाना चाहिए। निवास का प्रबंध बस स्टैंड के पास भण्णसाहेब पटवर्धन नगर में किया गया है। नासिक रोड स्टेशन सेंट्रल रेलवे का स्टेशन है, और यह दिल्ली-बम्बई एव हावड़ा-बम्बई मन लाइन पर बम्बई से १८८ किलोमीटर दूर है। सब गाड़ियाँ यहाँ ठहरती हैं।

प्रतिनिधि भाई-बहनों के भोजनालय की व्यवस्था स्वागत-समिति की ओर से की गयी है। भोजन शुल्क नासिक पहुँचने पर जमा करके भोजन टिकट प्राप्त किये जा सकेंगे। भोजन शुल्क प्रतिदिन चार रुपया एवं तीन दिनों का दस रुपया रखा गया है। नासिक नहर के पंचवटी में राम बनवास के समय रहे थे। गोदावरी नदी नासिक नहर से होकर बहती है। थोड़ी सी दूरी पर श्याम्बकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है और गोदावरी का उद्गम भी वही से है।

—द्वारको सुन्दरानी सम्मेलन मंत्री, बोधगया जिला गया (बिहार)

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजुमदार प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर धीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १६

अंक . ६

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

आजादी — दूसरी मजिल	३८५ श्री राममूर्ति
शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य	३८८ श्री ईश्वरभार्द्रि पटेल
आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा २	३९४ डा० ज्यूलियस कै० न्येरेरे
भारतीय संस्कृति . विलम्बता	
और शिक्षा	४०४ कु० उमा घाण्येय
हिन्दों पद्य शिक्षण की परम्परागत	
प्रणाली में परिवर्तन आवश्यक है	४०६ श्री सोहनलाल पटनी
शैक्षिक आयोजना का प्रमुख आधार :	
विद्यालय-योजना	४१५ श्री चन्द्रशेखर भट्ट
आचार्यकुल-गतिविधि	४२१ —
१२वाँ अखिल भारतीय तरण	
शान्ति सेना शिविर	४२८ —

अप्रैल, '७१

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वाचिक अंक छ पर्ये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट, सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इन्डियन प्रिंट प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

सर्वोदय-साहित्य-सेट (१९७१—१९७२)

[अप्रैल १९७१ से चालू]

रु० ७) में १२०० पृष्ठ

१-प्रात्मवचा : १८६६-१९२० :	गांधीजी	१)
२-बापू-कथा : १९२०-१९४८ :	हरिभाऊजी	३)
३-तीसरी शक्ति : १९४८-१९६६ :	विनोबा	३)
४-गीता-प्रवचन	विनोबा	२)
५-मेरे सपनों का भारत	गांधीजी	२)
६-संघ-प्रकाशन की एक पुस्तक)५०
		<u>११)५०</u>

लगभग १२०० पृष्ठों का यह साहित्य-सेट रु० ७) में मिलेगा। २८ सेटों का पूरा बण्डल वाशी से भंगाने पर प्रति सेट ५० पैसे कमीशन।

रु० ५) में ८०० पृष्ठ

राज्य-सरकार, पंचायते, शिक्षण-संस्थाएँ आदि के लिए योक सरीदी की दृष्टि से छोटा सेट भी चालू रहेगा, जिसकी पृष्ठ-संख्या लगभग ८०० होगी। यह सेट रुपये ५) में दिया जायगा। इसमें निम्न पुस्तके रहेगी :

१ प्रात्मवचा	- गांधीजी	१)
२. बापूकथा या गांधी : जैसा देमा-रामभा	विनोबा ने	- हरिभाऊजी ३)
३ तीसरी शक्ति	- विनोबा	३)
४ गीता-बोध व मंगल प्रभात	- गांधीजी	१)

८)

पाँच रुपयेवाले ४० सेटों का पूरा बण्डल वाशी से भंगाने पर प्रति सेट ५० पैसा कमीशन और फ्री डिलीवरी।

केवल एक ही सेट भंगाने पर डाक-सर्च के लिए रु० २-०० अधिक भेजना चाहिए। यदि ५ रु० वाले सेट प्रथवा ७ रु० वाले ७ सेट एकसाथ भंगाने जायेंगे तो रेलवे पासंज से फ्री डिलीवरी भेजे जा सकेंगे।

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१

नयी तालीम

सर्व-सेवा-समूह की आसक्ति

वर्ष : १९

अंक : १०

- सृजनात्मक अध्यापन
- आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा
- पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का स्वरूप
- गांधी : सामाजिक विचार एवं बुनियादी शिक्षा

मई, १९७१

शिक्षा में क्रान्ति

जितनी निदित हमारी शिक्षा है उतनी शायद दूसरी कोई चीज नहीं है, फिर भी यह शिक्षा चलती चली जा रही है। राष्ट्रपति से लेकर रिबशा चलाने वाले तक, सभी इसमें परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन इसमें होता नहीं। क्यों? जो लोग सरकार और उसके विविध कामों को चलाते हैं वे कौन-सा तर्क समझते हैं, यह समझ में नहीं आता। क्या हार और प्रहार के सिवाय दूसरा भी कोई तर्क समझते हैं? अगर उन्हें मालूम हो जाय कि एक काम ऐसा है जिसे न करने से वे चुनाव में हार जायेंगे तो वे उसे करेंगे। हार का भय उनके लिए सबसे बड़ा भय है। दूसरा बड़ा भय है प्रहार का। कलकत्ता के युवकों ने जब प्रहार का रास्ता पकड़ा तो अनेक घटनाओं के बाद कुछ लोगों का ध्यान इस बात की ओर गया कि असली सुगम शिक्षा में है, और उसमें सुधार लाये बिना गुजर नहीं है।

वर्ष : १६

अंक : १०

दिल्ली की नयी सरकार ने योजना, प्रशासन और शिक्षा में परिवर्तन की बात कही है। अभी तक मालूम नहीं हुआ कि उसके सोचने की क्या दिशा है। बेरोजगारी दूर करनी है, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा के अधिक अवसर पैदा करने हैं, आदि ऐसी गोल-मटोल बातें हैं जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अदर डोल में पोल होती है।

पहला प्रश्न है। शिक्षा में पैबन्द लगाना है या परिवर्तन करना है ? अगर सिर्फ पैबन्द लगाना हो तो एक नहीं अनेक पैबन्द लगाये जा सकते हैं, लेकिन पैबन्द लगाने से कुरते का फटना नहीं रोका जा सकता। अगर सचमुच परिवर्तन करना हो तो जड़ से करना चाहिए, पैबन्द लगाने की बात मन से निकाल देनी चाहिए।

दूसरा प्रश्न है - क्या हम जड़ से परिवर्तन के लिए तैयार हैं ? दिखायी तो यह देता है कि शिक्षा में परिवर्तन के लिए शिक्षा-विभाग का प्रशासक तैयार है, न स्कूल का प्रबन्धक (मैनेजर), और न स्वयं शिक्षक। इन तीनों के लिए आज की शिक्षा निहित स्वार्थ बन गयी है। प्रशासक हुकूमत चलाना चाहता है, मैनेजर मनमाना करने का अधिकार बनाये रखना चाहता है, और शिक्षक ने तो जैसे सकल्प ही कर लिया है, कि उसे दुनिया की हर चीज में रुचि है, लेकिन शिक्षा में नहीं। वह अपनी जगह से जरा भी हिलना-डुलना नहीं चाहता। ऐसा कौनसा परिवर्तन होगा जिसमें अलग अलग लोगों के निहित स्वार्थ सुरक्षित रहेंगे ? आज के जमाने में वही परिवर्तन माना जायगा जो निहित स्वार्थों के स्थान पर लोक-हित को प्रतिष्ठित करे। लोक को प्रधानता और प्रतिष्ठा को अस्वीकार करने-वाला परिवर्तन घोखा है।

सर्वोदय में शिक्षित समुदाय की रुचि के कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सर्वोदय जितने बुनियादी परिवर्तन की माँग कर रहा है उतना बुनियादी परिवर्तन उसके गले उतरता नहीं। उसके मन में 'सर्व' का भय घुसा हुआ है। वह सोचता है कि सर्व के हित के मुकाबिले वह अपने सकुचित स्वार्थों की रक्षा नहीं कर सकेगा।

लेकिन अब स्थिति ऐसी होती जा रही है कि यह शिक्षा स्वयं शिक्षितों के लिए उपयोगी नहीं रह गयी है। नौकरी की शिक्षा नौकरी भी नहीं दिला पा रही है। जिस विकास की इतनी बात कही जाती है उसके लिए यह शिक्षा सर्वथा निरर्थक साबित हो रही है। जनता समझने लगी है कि इस शिक्षा में शासकों, प्रबन्धकों और शिक्षकों का स्वार्थ है, उसके हितों की चिंता बहुत कम है। फिर यह क्यों न माना जाय कि यह शिक्षा जनता को विकास के अवसरों से वंचित रखने

का एक पड्यत्र है। जनता की इस नयी चेतना का प्रतिनिधित्व हमारे कुछ तरुण कर रहे हैं जिन्होंने इस शिक्षा से बगावत की है, और जो शिक्षा में क्रांति का नारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन परिवर्तन के लिए सिर्फ बगावत काफी नहीं है, बगावत को योजनापूर्वक क्रांति में परिणत करने की जरूरत है। हर क्रांतिकारी बागी तो होता है, लेकिन हर बागी क्रांतिकारी हो, यह जरूरी नहीं है।

शिक्षा में क्रांति और स्वामित्व में क्रांति ये दोनों एक ही क्रांति के दो पहलू हैं, परिवर्तन के एकी ही प्रक्रिया के दो अंग हैं। ग्रामदान के स्वामित्व के विसर्जन में जिस क्रांति की कल्पना है वह तभी टिकेगी, और लोकहितकारी होगी जब शिक्षा उसके साथ साथ चलेगी। इसलिए ग्रामदान, आचार्यकुल और तरुण-शांतिसेना अलग-अलग दिखाई भले ही दें, किंतु हैं वे एक ही युद्ध के तीन मोर्चे। अभी हमारे आन्दोलन में इन तीन मोर्चों का यह अनुबन्ध प्रकट नहीं हुआ है। अब शीघ्र होना चाहिए।

हमारे शिक्षित युवक, कारण चाहे जो हो, समाज-परिवर्तन के सदर्भ में ग्रामदान का महत्व अभी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन शिक्षा में क्रांति का महत्व वे समझने लगे हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि वे यह भी जानते हैं कि शिक्षा में क्या क्रांति होनी चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए। उनकी विद्रोह भावना को अभी स्पष्ट दिशा नहीं मिली है। शिक्षा के प्रश्न पर देश में जो लोक-मत बनता जा रहा है उसे लोक-शिक्षण द्वारा सबल लोक-मत बनाना चाहिए ताकि वह प्रभावकारी बन सके। लोक-मत संगठित करने की दृष्टि से आवश्यक है कि एक 'शिक्षा का धोपणा-पत्र' तैयार किया जाय, और जनता को बताया जाय कि परिवर्तन के लिए किन सुधारों की तत्काल आवश्यकता है, तथा किन सुधारों की स्थायी स्तर पर। यह काम आचार्यकुल और तरुण-शांतिसेना का है।

परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा उतनी ही नहीं है जितनी हमारे स्कूल कालेजों में दी जाती है। वर्ग-शिक्षण की पद्धति शिक्षा के कई पहलुओं में से एक है। उसमें तो परिवर्तन होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी देखना चाहिए कि देश में जितना भी निर्माण का कार्य हो रहा है उसकी प्रक्रिया रीक्षणिक हो। लोकतंत्र की मुख्य शक्ति

लोकशिक्षण है। लोकशिक्षण से किस तरह लोकमत बनता है, और लोकमत किस तरह सगठित होकर समाज-परिवर्तन का माध्यम बनता है, यह समग्र प्रक्रिया अभी विकसित नहीं हुई है। सर्वोदय-आन्दोलन ने पिछले वर्षों में लोक-शिक्षण का बहुत बड़ा काम किया है। सघन-क्षेत्रों में वह काम अब भी हो रहा है, लेकिन उसकी गति और व्यापकता, दोनों में कमी है। विचार की शक्ति में भरोसा करनेवाले आन्दोलन के लिए यह शुभ स्थिति नहीं है।

समय की पुकार है कि शिक्षा में क्रांति की समग्र योजना बनायी जाय और लोकमत का तूफान खड़ा किया जाय। एक तूफान से स्वामित्व का पैर छूटने और दूसरे से शिक्षा का, तो दोनों को मिला कर एक नयी समाज व्यवस्था की भूमिका तैयार होगी।

—राममूर्ति

आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा : ३ :

डा० ज्यूलियस के० न्येरेरे

[डा० ज्यूलियस के० न्येरेरे के लेख की यह छान्तिम किस्त है। तजानिया की शिक्षा पद्धति में जो दोष हैं और जिस प्रकार के सुधारों की अपेक्षा है उनकी विशद ध्याख्या डा० न्येरेरे ने की है। भारतीय शिक्षा-पद्धति के भी वही दोष हैं और डा० न्येरेरे के सुझाये हुए सुधारों का हमारे लिए उतना ही मूल्य है जितना तजानिया के लिए। इसीलिए हमने उनके लेख को "नयी तालीम" में पूरा धाया है। भारतीय शिक्षा में जो क्रांति करना चाहते हैं वे इस लेख से बहुत कुछ सीख सकेंगे।—सम्पादक]

स्कूल-फार्म पर काम करके हमारे छात्र काम का धाराम के साथ सम्बन्ध जोड़ सकेंगे। वे सबकी भलाई के लिए साव रहने और साथ काम करने के साथ ही स्थानीय गैर स्कूली समुदाय के साथ काम करने का महत्व भी सीख सकेंगे। क्योंकि उन्हें तब मालूम होगा कि हमें केवल स्कूली प्रयत्नों से कहीं अधिक अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिंचाई केवल पड़ोसी किसानों के साथ काम करने से ही हो सकती है या विकास के लिए स्वयं अपने तथा अपने गाँव के वर्तमान तथा भावी सतियों में चुनाव करने की आवश्यकता है।

यह सम्भव है कि प्रारम्भ में काम में प्रत्येक गलतियाँ हों और पुरु से ही छात्रों को एक पूर्ण समाधान प्रदान करना निश्चय ही होगा। किन्तु यद्यपि स्कूल अधिकारी छात्रों का मार्गदर्शन करें और कुछ अनुशासन भी कायम रखना, फिर भी छात्रों में गलती करते हुए सीखने और निर्णयों में भागीदार बनने की योग्यता तो धानी चाहिए, उदाहरण के लिए वे स्कूल-फार्म का एक रजिस्टर रखना सीख सकते हैं, जिसमें वे किये गये काम का विवरण, उपयोग म लायी गयी रखने का या जानवरों को दिये गये चारे का हिसाब तथा फार्म के विभिन्न भागों के कार्यों के नतीजे दर्ज कर सकते हैं। तभी कहाँ और क्यों परिवर्तन करने चाहिए यह सीखने में उनकी मदद की जा सकती है। क्योंकि नियोजन के विचार को खेत से जोड़कर बसा में सिखाना महत्वपूर्ण और साल-भर के कार्यक्रम बनाने तथा त्रियान्वयन के उत्तरदायित्व घंटवारे में समस्त स्कूल को भाग लेना चाहिए। एक बार स्कूल के हर सहचर को न्यूनतम स्वास्थ्य-विकास की दृष्टि से आवश्यक चीजें मिल जाने पर किन्हीं छात्र समूहों को

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के सन्दर्भ में विरोध रियायती का देना भी सम्भव होगा। इस प्रकार का नियोजन समाजवाद के लिए शिक्षा का एक भ्रम बन सकता है।

जहाँ स्कूल देहाती क्षेत्रों में हैं या भविष्य में बननेवाले स्कूलों में फार्म स्कूल-क्षेत्र का ही एक भाग होंगे। किन्तु कस्बों या घनी आबादीवाले क्षेत्रों में शायद यह सम्भव न हो। इस हालत में स्कूलों को अन्य उत्पादक क्रियाकलापों पर जोर देना होगा या फिर साल का कुछ भाग कक्षाओं में और कुछ भाग दूर स्थित फार्म पर कैंपों में बिताना होगा। प्रत्येक स्कूल के लिए पृथक् कार्यक्रम बनाने होंगे और चाहे वे केवल दिन के ही स्कूल हों, फिर भी इस नयी योजना और दृष्टिकोण से शहरी स्कूलों को भ्रमण रखना गलत होगा।

स्कूलों में, खासकर सेकेण्डरी स्कूलों में, छात्रों के लिए जो कार्यक्रम लिये गये हैं उन्हें वास्तव में अब स्वयं छात्रों के द्वारा ही सम्पन्न किया जाना चाहिए। आखिरकार बालक जो ७ साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में भर्ती होता है, वह सेकेण्डरी तक पहुँचते समय १४ साल का होता है और उसे छोड़ते वक्त २० या २१ साल का हो जाता है। फिर भी हम अपने स्कूलों में सफाई करनेवालों और गालियों को इन कार्यों को सिलाने के लिए नहीं, इन्हें करने के लिए रखते हैं। इससे छात्रों में आदत पड़ जाती है कि नोकर ही उन्हें भोजन बनाकर दें, उनकी पालियाँ माँजें और कमरों को साफ करें और वे ही, स्कूल-बगीचों को भी आकर्षक बनायें। यदि उन्हें इन कामों में हाथ बँटाने को कहा जाता है तो उन्हें अपमान अनुभव होता है। और बिना अध्यापकों के निरीक्षण के तो वे इन्हें करने में टालमटोल ही करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें एक अच्छा निबन्ध या गणित के प्रश्न में प्राप्त गौरव की तरह ही अपने कमरों को या बगीचों को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए तथा अनुभव करना नहीं सिखाया गया है। किन्तु स्कूलों के सम्पूर्ण कार्यक्रमों में इन बातों को शामिल करना क्या सम्भव है? क्या स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और उनके सहायकों के लिए प्रोत्सावकाश के समय पानाओं पर उभय किये गये खर्चों के बिल बनाने पर ही सबसे लगाना आवश्यक है? क्या इन सब चीजों को कक्षा के शिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जिससे छात्र काम करते हुए ही इन्हें सीख सकें। दूसरे शब्दों में, क्या सेकेण्डरी स्कूलों के लिए, स्वावलम्बी समुदाय बनाना असम्भव है जहाँ शिक्षण और निरीक्षण तो बाहर के लोग करें परन्तु जहाँ काम समुदाय के द्वारा ही किया जाय या उसके उत्पादन से प्राप्त आमदनी से करायें जायें। यह सत्य है कि छात्रों के लिए आज स्कूल अस्थायी समुदाय है, किन्तु

७ साल की उम्र तक वे बालको के लिए तो यही एक ऐसा समुदाय है जिसमें वे रहते हैं।

स्पष्ट है कि हम एक ही रात में यह स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए संगठन तथा शिक्षण दोनों में ही बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे धीरे धीरे ही करना होगा, जैसे—अपने योग्य क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाये जायें। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए यह सब करना शायद सम्भव न होगा, यद्यपि इस वक्त तक बड़ी उम्र के बालक १३-१४ साल के हो जायेंगे, जिस उम्र में यूरोप के देशों के बच्चे खुद काम पर लग जाते हैं।

किन्तु यद्यपि प्राइमरी स्कूलों के लिए सेवेण्टरी स्कूलों की तरह अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ खुद उठा लेना सम्भव नहीं होगा प्रबन्ध ही उन्हें ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध करना चाहिए। छात्रों को अपने परिवार या समुदाय के आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। बालको को समुदाय की जिम्मेदारियाँ देकर समुदाय का भाग बनाया जाना चाहिए और समुदाय को स्कूल की कार्य-विधियों में हिस्सा बंटाना चाहिए। स्कूलों का समय चक्र और कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र परिवार या समुदाय के खेत पर काम कर सकें। आजकल जो बालक स्कूल नहीं जाते वे भी भ्रमण-खेतों पर काम करते हैं या पशुओं की देखभाल करते हैं। स्कूल जानेवाले बच्चों को मनोरंजन के लिए नहीं, वरन् जीवन की तैयारी के रूप में ही खेतों पर या परिवार के साथ काम करना चाहिए।

यह दृष्टिकोण कि समाज से भिन्न स्कूल की कोई स्थिति है या छात्रों को काम नहीं करना चाहिए, देना चाहिए। निस्सन्देह माता पिताओं की इस दृष्टि से बड़ी जिम्मेदारी है किन्तु ऐसा दृष्टिकोण बनाने में स्कूल बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।

इस तरह के समन्वय प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं। किन्तु यह समझ-बूझकर करना होगा और छात्रों में यह भाव भरना होगा कि समुदाय उन्हें इसलिए शिक्षित कर रहा है कि वे समुदाय के युद्धिमान और सक्रिय सदस्य बने रहें। इसे प्राप्त करने का एक सम्भव तरीका यह भी है कि सेवेण्टरी स्कूलों की भाँति काम करके सीखने के लाभों को प्राइमरी शिक्षा में दाखिल किया जाय। यदि प्राइमरी स्कूलों के बालक समुदाय के कुछ एकड़ खेत में एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं तो वे नयी-नयी विधियों के साथ-साथ स्कूल समुदाय की फलश्रुतियों में गौरव का अनुभव करना भी सीख सकेंगे। यदि कोई सामुदायिक कार्य उपलब्ध न हो तो स्कूल अपने लिए

फार्म बनाने और प्रार्थना करें कि वे फार्म के लिए भूमि को समतल करने और छाड़ियाँ आदि साफ करने का काम करें जिसके बदले स्कूल के बच्चे किसी चालू सामुदायिक योजना में काम कर देंगे ।

पुन यदि स्कूल में नयी इमारतों अथवा किसी दूसरे काम की आवश्यकता हो तो छात्र और स्थानीय ग्रामवासी इस काम को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वांटकर, मिलकर करें । बच्चों-लड़के लड़कियों-को अपने लिए सफाई का काम स्वयं करना चाहिए और भविष्य के लिए योजना बनाना तथा साथ काम करने का महत्व सीखना चाहिए । इस प्रकार, उदाहरण के लिए, बालको को, यदि उसकी अपनी 'शाम्बा' (Shamba) है, न केवल कार्य में वरन् भोजन-सामग्री या अन्य पदार्थों की व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए । उन्हें स्कूल या गाँव के लाभों और वर्तमान तथा भविष्य के लाभों के बीच चुनाव करने में हिस्सा लेना चाहिए । इस प्रकार के तथा अन्य दूसरे उपयुक्त माध्यमों से छात्रों को यह सीखना चाहिए कि शिक्षा उन्हें समाज से अलग रखने के लिए नहीं है वरन् उन्हें अपने निजी तथा उनके पड़ोसी देश के हित के लिए उन्हें समुदाय का प्रभावकारी सदस्य बनाने के लिए है ।

शिक्षा के इस प्रकार के पुनर्गठन के माग में वर्तमान परीक्षा पद्धति एक बहुत बड़ी बाधा है । यदि छात्रों को अपना अधिकतम समय व्यावहारिक कार्य में और अपने रख रखाव के लिए योगदान करने में लगाना है तो वे इसी तरह की समयावधि में, वर्तमान परीक्षा में सफल नहीं हो सकते । सगल में नही आता कि वर्तमान परीक्षा पद्धति को ही परिवर्तन नयी माना जाय । दूसरे देश चुनाव की इस प्रणाली से हट रहे हैं और या तो निम्न स्तर पर परीक्षाओं को एकदम त्याग रहे हैं या उन्हें दूसरी तरह के मूल्यांकन से जोड़ रहे हैं । अतः कोई कारण नहीं है कि हम तजानिया में भी केवल पढाई की जाँच के लिए नयी परीक्षा प्रणाली को छात्रों और शिक्षकों के द्वारा स्कूल समुदाय के लिए किये गये कार्य के आकलन से न जोड़ सकें । माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आज की केवल बौद्धिक जाँच की पद्धति से अधिक अच्छी होगी । एक बार सिद्धा में इस नये दृष्टिकोण को रूपरेखा बन जाने पर फिर चुनाव की प्रक्रिया पर भी पुन विचार किया जा सकेगा ।

हमारे स्कूलों में कार्य की इस नयी पद्धति के लिए शिक्षा में सगठनात्मक परिवर्तन आवश्यक है । यह भी सम्भव है कि लम्बी लम्बी छुट्टियों पर टिके इस शिक्षा तम पर भी हमें पुन विचार करना पड़े, क्योंकि न तो पद्यों को ही

साल के काफी भाग तक हम धकेले छोड़ सकते हैं और न स्कूल फार्म के लिए फसल काटने या गुड़ाई निराई करने या बुधाई करने के समय लम्बी छुट्टियों पर गये छात्रों को खिलाना ही सम्भव होगा। किन्तु भिन्न-भिन्न समूहों का भिन्न भिन्न समयों पर भ्रमकाश लेने या दो पारियों में सेकेण्डरी स्कूलों में दो पारियाँ बनाकर एक समय में एक पारी के लिए भ्रमकाश की व्यवस्था करना असम्भव नहीं होना चाहिए। इसके लिए काफी व्यवस्था तथा सगठन की आवश्यकता पड़ेगी, किन्तु एक बार निश्चय कर लेने पर यह करना हमारे लिए असम्भव नहीं होना चाहिए।

सम्भवतः यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार क्रिया के साथ सीखने से छात्रों का बौद्धिक ज्ञान कम होगा और इसका प्रभाव भ्रमवाले समयों में हमारे देश के प्रशासन या अध्यापन पर पड़ेगा। वास्तव में इसमें सन्देह है कि ऐसा होगा ही। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ५ या ६ साल की उम्र में भर्ती करने का निश्चित भ्रम यह हुआ कि इससे पहले बहुत कम या बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता। इसके विपरीत ७ या ८ साल में भर्ती करने से स्थिति में कुछ सुधार सम्भव है, क्योंकि बड़े बच्चे निश्चय ही कुछ जल्दी सीखेंगे। यदि उसकी शिक्षा उसके चारों तरफ के जीवन से जुड़ी होगी तो बच्चे के लिए कम सीखने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

परन्तु यदि यह बात स्वयंसिद्ध तथ्यों पर भी आधारित हो तो भी शिक्षा पद्धति के हमारे राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्ध की आवश्यकता हो, गजरभदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारी अधिकांश जनता के लिए केवल इसी बात का महत्व है कि वह पाराप्रवाह रूप से स्वाहिली भाषा पढ़ व लिख सके, गणित का व्यवहार करने व समझने की योग्यता प्राप्त कर सके और अपने देश व सरकार के त्रियाकलापो तथा इतिहास की जानकारी रख सके और अपनी जीविका कमाने में समर्थ बन सके। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि तजानिया में अधिकांश लोगों को अपने निजी या सामुदायिक क्षेत्र पर काम करके भी अपनी जीविका कमाना होगी और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद के लिए मजदूरी के काम करेंगे। स्वास्थ्य, विज्ञान, भूगोल या प्रारम्भ में कुछ भ्रमजी जैसी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिससे जो लोग चाहें, बाद के जीवन में, इन चीजों का अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इन सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि हमारे प्राइमरी स्कूल से निकले हुए छात्र जिस समाज में रहते हैं उसके अनुकूल बनकर उसकी सेवा करने के योग्य हों। उत्तर माध्यमिक स्तर

पर भी समुदाय के साथ शिक्षा के इस प्रकार के समन्वय के सिद्धान्तों का पालन होना चाहिए। नवजवानों से आशा भी की जाती है कि इस प्रकार की समन्वित ग्रामीण औपचारिक शिक्षा की समाप्ति के लम्बे समय के बाद भी समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भुलायेंगे। फिर भी विश्वविद्यालयों और चिकित्सा-विज्ञान के कालेजों में छात्रों के लिए कपड़े, बर्तन धोने तथा ऐसे ही अन्य काम दूसरे लोग करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की उच्च शिक्षण-संस्थानों के छात्रों के लिए अपनी छिद्रियों की प्राप्ति हेतु छुट्टियों का अधिकांश भाग समाज-सेवा के ऐसे काम में जो उनकी शिक्षा से सम्बन्धित है, लगाना अनिवार्य बंधो न बनाया जाय। धाजकल कुछ निम्न स्नातक छात्र अपनी छुट्टियाँ सरकारी कार्यालयों में काम करके कुछ उपार्जन करने में शिताते हैं। एक बार इस तरह का सक्षम संगठन बन जाने पर उन छात्रों के लिए भी यह अधिक उपचित होगा कि वे सवेतन काम करने के लिए घन की कमी होते हुए भी समुदाय के लिए कुछ उपयोगी 'प्रोजेक्ट्स' हाय में लें। उदाहरण के लिए स्थानीय इतिहास का सकलन, जनगणना का काम, प्रौढ शिक्षा के कार्य में योगदान और अस्पतालों में कुछ काम जैसी चीजें छात्रों को अपने-अपने क्षेत्र में कुछ अनुभव प्राप्त करने में सहायक होंगी। इसके लिए उन्हें कुछ न्यूनतम मजदूरी के बराबर पैसा दिया जा सकता है और अधिक ऊँची मजदूरी पर कराये जानेवाले कार्यों की बाकी रकम छात्रों के कल्याण या खेलकूद के सामानों के लिए कालेज या संस्था के फण्ड में दी जा सकती है। इस तरह के कार्यों का मूल्यांकन छात्र की परीक्षा से जोड़ दिया जाना चाहिए, एक छात्र को, जो काम करने से भी चुराता है या ठीक ढग से काम नहीं करता, दो बातों का सामना करना पड़ेगा। एक तो उसके सहपाठी उस प्रस्तावित कल्याण-कार्य या सुधार-कार्य के न करने का दोष उस पर डालेंगे और दूसरे उसकी धेणी घटा दी जायगी।

उपसंहार

तजानिया के छात्रों के लिए तजानिया द्वारा दी जानेवाली शिक्षण व्यवस्था को तजानिया के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए। इस शिक्षा को हमारे धार्मिक समाजवाद के मूल्यों को पनपाना और बढ़ाना चाहिए। इसको एक उत्तरदायी स्वतंत्र और ऐसा गौरवशाली नागरिक के विकास को प्रोत्साहन देना होगा जो अपने विकास के लिए आरम्भ निर्भर रहे और सहकारिता की समस्या और लाभ से परिचित हो। यह शिक्षा-पद्धति हर पढ़े-लिखे व्यक्ति में चेतना

उपन्न करे कि वह राष्ट्रीय जीवन का अनिवार्य अंग है और जितनी अधिक सुविधाएँ उसे मिली हैं, उससे अधिक सेवा करने के लिए वह तैयार है ।

यह केवल स्कूल संगठन का पाठ्यक्रम का ही प्रश्न नहीं है । सामाजिक मूल्या का निर्माण परिवार, स्कूल और समाज के सम्पूर्ण वातावरण से होता है । अब हमारी शिक्षा प्रणाली का अतीत या दूसरे देशों के नागरिकों के अनुरूप ज्ञान और मूल्या पर जोर देना आवश्यक है और यदि यह पद्धति विरासत में मिली हमारी सामाजिक असमानता तथा सुविधाओं को भी जारी रखती है तो और भी गलत है । हमारे छात्रों को राष्ट्र द्वारा वाञ्छित न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज के सदस्य और मेवक बनने के योग्य होना चाहिए ।

(अनुदित श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा)

पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का स्वरूप

प्रह्लादनारायण श्रमवाल

आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान चर्मोत्कर्ष पर पहुँचने के होसले भर रहा है वहाँ व्यक्तिगत रूप से समष्टि के प्रति भावपूर्ण पतन भी पतन का पाताल नापने लगा है, जिसके कारण भौतिक समृद्धि मानव का कठहार बनकर भी जीवनदायिनी बनने के स्थान में क्रमशः कुण्ठित, क्लृप्त, दुःखी एवं अभिशप्त बनती चली जा रही है। बलात्कार, हत्या व अपव्यवहार मानो इस भौतिक समृद्धि के नये उपहार हैं। जो इस समृद्धि के साथ मानवता का कृत्या भी नालि पीछा कर रहे हैं।

आधुनिक समाजशास्त्र का सबसे अधिक विवाद का शब्द है—नैतिकता, जिसका प्रयोग सबसे अधिक और पावरण सबसे कम किया जाता है। साथ ही परिभाषा भी प्रत्येक समुदाय की क्या व्यक्ति की भी अपनी-अपनी है। और ऊपर से ठाठ यह है कि सब एकमत होकर दुहाई देते हैं नैतिकता की और रोना रोते हैं नैतिकता का।

यह निर्विवाद सत्य है कि जहाँ भी सम्झम, दोष ग्रथवा त्रुटियाँ उत्पन्न होती हैं वहाँ सिद्धान्त पर दृष्टि रखकर लक्ष्य से हटकर बढ़ते रहने से होती है। अतः लक्ष्य-लक्ष्यनु सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर ही केन्द्रित रखते हैं। जहाँ से लक्ष्य प्राप्त होता स्पष्ट दिखाई देता हो उसी मार्ग का अवलम्बन और लक्ष्य दूर हटता दिखाई दे, तब तत् मार्ग से विरत हो, अर्थात् उन-उन सिद्धान्तों में फेर बदल कर लक्ष्याभिमुख बढ़ते रहते हैं। यही बात शिक्षण पर भी खरी उतरती है कि शिक्षा जीवन का लक्ष्य नहीं, मार्ग है, साध्य नहीं, साधन है। श्रुतिपाँ स्पष्ट घोषणा कर रही हैं कि “सा विद्या या विमुक्तये”। विमुक्ति किसकी? विमुक्ति किससे? और विमुक्ति का लक्ष्य? स्पष्ट है, विमुक्ति आत्मा की जो व्यक्तिगत दुराग्रह, स्वार्थ, वासना और ग्रहमन्यता के दुर्ग में बन्द छटपटा रही है, जिसका लक्ष्य अपने कोटि-कोटि सहोत्पन्न (एक ही परमविता परमात्मा में उत्पन्न) मानव ही नयो, प्राणिमात्र का जीवन पूर्ण प्रसन्न व प्रभविष्णु बनाकर सांस्कृतिक ग्रहणोदय का रामपंख का अर्ध देकर स्वागत कर, समस्त सृष्टि को कालुष्य, नैराश्य, वासना और ग्रह के पक से विमुक्त कर, सतुलित दृष्टि से धर्म, अर्थ और काम के उपभोग की शक्ति और सामर्थ्य उत्पन्न कर, उपभुक्त करते हुए उस अनन्त सत्ता में स्वयं को विलीन

करना है, जो परम पूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य स्पष्ट होते ही अनुभूति हुई है कि नैतिकता तो शिक्षा का प्राण है, नैतिकता के अभाव में शिक्षा म्रिय-माण है, क्योंकि जीवन का संतुलित विकास ही लक्ष्य तक पहुँचा सकेगा और संतुलित विकास नैतिकता का आत्मज है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा का लक्ष्य नैतिकता का संतुलित विकास और संतुलित विकास का लक्ष्य पुरुषार्थ-चतुष्टय को उपभुक्त करने की क्षमता कर पूर्णत्व प्राप्ति है।

हमारे शिक्षाविद् भाज भी पाश्चात्य भावधारा में निमग्न रहने के कारण नैतिकता की शिक्षा की स्वादिष्ट बनानेवाला ऊपर से ढाला जानेवाला मसाला मात्र मानते हैं। अतः जिस प्रकार मसाले के स्वरूप एवं मात्रा पर भाज तक सभी उपभोक्ता एकमत नहीं, वही बात नैतिकता पर घट रही है। और इसी दृष्टि ने मानवता को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है और घसीट रही है, सभी को भली प्रकार ज्ञात है। चूँकि जीवन का प्राण है नैतिकता, अतः लौट के मियाँ घर को घानेवाली बात। इसलिए नैतिकता का बोध बनाम शिक्षा की वकालत सभी शिक्षाविद् करते भी हैं, किन्तु दृष्टिकोण के प्रकारान्तर में मूल मूल ज्यों-की-र्यों है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 'मोरल एजुकेशन' पहले लिखवाया अंग्रेजी में और फिर उसका हिन्दी रूपान्तर आया। पहला सर्वसाधारण अध्यापक एवं छात्रों के लिए दुस्रह और अग्रग्न्य रहा तो दूसरा मक्खी पर मक्खी मारने के कारण उपहास का उपादान। इस प्रकार की सारी बात वहाँ की वहाँ, कि "लाल बुसकड़ कह गया, अर्थ न समझे कोय। अर्थ भी समझे क्या भया, लाभ कछू ना होय ॥"

वास्तव में नैतिक शिक्षा के स्वरूप का संकेत महाभारत में भली भाँति स्पष्ट है कि "महाजनो येन गतः स पत्याः"। हमे महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए, न कि चरित्र का और भाज तक नैतिक शिक्षा के दृष्टिकोण से जो भी पाठ्यपुस्तके आयी हैं उनमें मात्र चरित्र का ही अनुसरण करने का मन्तव्य दिखाई देता है। तभी तो हमारे भावी कर्णधार लाल बुसकड़ डान विवकजोट की भूमिका बड़ी सफलता से निभा रहे हैं। लगभग सभी पाठ्यपुस्तकों में महापुरुषों का जीवन से मरने तक एक जीवन इतिहास अथवा दार्शनिक उद्धरण मात्र है। जबकि होना चाहिए उनके जीवन के प्रेरणास्पद, चरित्र-निर्माणकारी और लक्ष्यबोधक पावन प्रसंगों का चयन, जैसे—भामाशाह का संस्कृति रक्षण हेतु सर्वस्व-समर्पण, भीहर्ष का निष्काम कर्मयोगत्व, श्री रघु का त्याग एवं वनव्रत, श्रीकृष्ण का लोकसेवक-स्वरूप, शिवाजी का प्रतिजापालन, गार्गी का न्यायभाव, भानुमती का समर्पण और प्रह्लाद का साहस

तथा श्रौयनिष्ठा से ग्रन्थाय का सतत विरोध की वृत्ति आदि । साथ ही हमारी सांस्कृतिक भावधारा के जीवन्त प्रवाह, त्योहार एवं विशेष तौर-तरीकों की भी रोचक ढंग से प्रस्तुति हो । यह भी स्मरण रहे कि महापुरुष देश-काल की सीमा से ऊपर उठकर समग्र मानवता के आश्वासन होते हैं । अतः सकलन करते समय विश्व के सभी वन्द्य महापुरुषों को स्थान मिले किन्तु प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति, परम्परा, भौगोलिक वातावरण एवं धारोत्तिक, मानसिक दक्षता विशेष स्तर की होती है । यह दृष्टिगत रखते हुए अपने ही परिप्रेक्ष्य में चिंतननिमग्न महापुरुषों को विशेष एव विस्तृत स्थान दिया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार के पावन प्रसंगों के चयन में, हम मूलमतांतर एव उपासना-पद्धतियों के पचड़े से भी बचेंगे, सब महापुरुषों को विशेषतः अपने के साथ समेट सकेंगे, साथ ही देश के विधि विधान, रीति-रिवाज, व्रत, त्योहार की भी उपादेय एवं लाभकारी जानकारी दे सकेंगे ।

यह काम कक्षाओं के स्तर के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है । साथ ही सामाजिक ज्ञान, जो कि आजकल छोटी कक्षाओं में इतिहास एव समाजशास्त्र का विस्तृत एव भौडा-सा स्वरूप है, उसे भी हम रोचक और उपादेय बना सकेंगे । नैतिक शिक्षण में यदि आप कहेंगे "सत्य बोलो", "मिलकर रहो" तो उन पर 'बन्दासजेसन' (मनोविज्ञान) का सिद्धान्त लागू होगा और होता देत रहे हैं । अतः आवश्यक है कि जो कुछ भी कहा जाय, साहित्यिक मन्तव्य "बान्तासम्मिमत उपदेशयुजे" अवश्य हो किन्तु शीघ्र अनुभव न कर सके कि मुझे उपदेश देने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही बेकार की विस्तार व्याख्याओं से बचे और इसका एक ही साधन है कि महापुरुषों के अपेक्षित दृष्टिकोण की दृष्टिगत रखते हुए पावन प्रसंगों का चयन कर बालकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । स्वभावतः बालक कहानी में रुचि लेते हैं अतः बच्चा सरस वातावरण में होगी, जो बालक पर सम्यक् प्रभाव भी डालेगी तथा बालक में उत्तरदायित्व-बोध और आत्मभवस-संस्कार सम्पुष्ट कर देश और समाज को उत्तरोत्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर कर सकेगी ।

('नव शिक्षण' से साभार)

सृजनात्मक अध्ययन

गुरवन्श लाल

मार्क ट्वेन ने एक बार ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी सुनायी थी, जो ससार के महानतम सेनापति की खोज में था। पर्याप्त खोज के उपरान्त उसे पता चला कि महानतम सेनापति का पहले ही देहान्त हो चुका है। गिर्जाघर के पादरी ने एक मोची की कब्र की ओर इशारा करते हुए उसे बताया—“यदि यह व्यक्ति सेनापति बन पाता तो ससार का श्रेष्ठतम एवं सफलतम सेनापति सिद्ध होता।” बहुत-से मोची तथा अन्य श्रमिक महान् व्यक्ति बनने की क्षमता तो रखते हैं परन्तु वे वह सब कुछ नहीं बन पाते जो बनने की योग्यता उनमें होती है। इस कारण उनकी व्यक्तिगत हानि तो होती ही है परन्तु इसके साथ ही समाज, राष्ट्र तथा समस्त मानवता की भी कभी न पूर्ण होनेवाली क्षति हो जाती है।

इस वास्तविकता से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि प्रत्येक युग तथा विभिन्न भू-भागों में कर्मरत कुछ सृजनशील व्यक्तियों के अनपेक्षित प्रयत्नों के फलस्वरूप ही हम सभ्यता तथा सस्कृति के वर्तमान स्तर तक पहुँच पाये हैं। इन कर्मयोगियों ने स्वयं अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके मानवता की प्रसन्नता, सुख सुविधा तथा शांति के लिए असह्य साधन जुटाये। परन्तु यह कठोर वास्तविकता है कि अनेक बच्चों की सृजनात्मकता पर बड़ी निर्दयता से कुठाराघात किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वे दबा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए बाधित हो जाते हैं। इस प्रकार वे समाज की प्रगति के लिए अपना योगदान भी नहीं दे पाते हैं। सृजनात्मकता की हत्या करनेवाले कारणों में से एक महत्त्वपूर्ण कारण है ‘दोषपूर्ण अध्यापन तथा अनुपयुक्त शिक्षानीति’।

पहले यह समझा जाता था कि केवल चित्रकार, कवि, संगीतकार आदि कलाकार ही सृजनशील व्यक्ति होते हैं परन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सृजनात्मकता जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना सुखद प्रभाव दिखा सकती है। कम खर्च करके घर को किसी नवीन ढंग से सजाने-वाली स्त्री, बच्चों का किसी नवीन ढंग से पालन करके उन्हें आदर्श मानव बनाने वाली माँ, अधिकाधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किसी नवीन व्यवस्था का आविष्कार करनेवाला दुकानदार, वर्तमान समस्याओं के प्रति सजग, नवीनता के प्रति मोह रखनेवाला तथा अपने सहयोगियों के मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करनेवाला अधिकारी, बच्चों की सृजनात्मकता को रखा गया उसे

विकसित करने का प्रयत्न करनेवाला अध्यापक—ये सभी सृजनशील व्यक्ति हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ उस क्षेत्र की भी पर्याप्त सीमा तक विकसित करने में अपना योगदान देते हैं।

हम पहले कह चुके हैं कि दोषपूर्ण अध्यापन के द्वारा हम बच्चों की सृजनात्मकता पर तुपारापात करते हैं। सृजनात्मक अध्यापन के द्वारा बच्चे की सृजनात्मकता की न केवल रक्षा ही होती है, वरन् उसका विकास भी होता है। परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किस अध्यापक का अध्यापन सृजनात्मक अध्यापन होगा? इस प्रश्न का स्वाभाविक उत्तर यही है कि एक सृजनशील अध्यापक का अध्यापन ही सृजनात्मक अध्यापन हो सकता है। सृजनशील अध्यापक वह होगा जिसके व्यक्तित्व में सृजनात्मकता के पर्याप्त तत्त्व विद्यमान होंगे और जो उनका उपयोग विभिन्न शैक्षिक स्थितियों में अर्थात् अपने शिक्षण-कार्य में करता है। सृजनशील व्यक्ति में भौलिकता, समस्याओं के प्रति सजगता, जिज्ञासा, विचारों की बहुलता कल्पनाशक्ति आदि गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं तथा वह अन्य लोगों में भी इन गुणों को पाकर अत्यन्त प्रसन्न होता है तथा उन्हें समुचित ढंग से विकसित करने का भरसक प्रयत्न करता है। एक सृजनशील अध्यापक विद्यालय तथा कक्षा में उत्पन्न होनेवाली अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं के प्रति सजग होता है तथा उसमें प्रत्येक समस्या के एक से अधिक समाधान मुझाने की योग्यता होती है। भ्रष्टाचार के अन्वेषण में प्रवेश करके अपने पापको ज्ञानरूपी सूर्य की सुनहरी रश्मियों से आलोकित करने की जिज्ञासा उसके मन में होती है। वह स्वतंत्र चिन्तन का श्रमपासी होता है तथा उसके हृदय में कल्पनारूपी सागर सदा ठाठें मारता रहता है। इसके प्रतिरिक्त बच्चों के सृजनात्मकरूपी पीपे को सींचकर पल्लवित तथा पुष्पित करने की उत्कट अभिलाषा उसके मन में होती है।

सृजनशील अध्यापक को अपने विषय पर पर्याप्त अधिकार प्राप्त होता है तथा और अधिक अधिकार प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में प्रबल होती है। वह वास्तव में सत्य का श्रवणी होता है। व्यावसायिक रूप से विकसित होने का भी वह सतत प्रयत्न करता है। वह समय समय पर अपना मूल्यांकन स्वयं क्रिया करता है। अपनी त्रुटियों का पूरी तरह से विश्लेषण करके उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न भी वह अवश्य करता है। वह अपने हृदय तथा महिम्न के द्वार सदा खुले रखता है अर्थात् नवीन अनुभवों के पल्लवरूप प्राप्त होनेवाले ज्ञान का स्वागत करने के लिए सदा सत्पर रहता है। वह किसी भी प्रकार के अनुभव से कुछ-न-कुछ सीखने का सपना प्रयास करता है।

सृजनशील अध्यापक सीखने के नियमों को भली भाँति जानता है तथा इनके अनुसार अपनी दोषपूर्ण शिक्षण विधियों में उपयुक्त तथा वाँछित सुधार भी कर लेता है। वह प्रत्येक विद्यार्थी को भी समझाने का प्रयास करता है तथा उसकी रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार ही अपने अध्यापन की योजना बनाता है। इसके अतिरिक्त वह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व सम्बन्धी विकारों का अध्ययन करता है तथा मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है।

सृजनात्मक अध्ययन में इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थी केवल अच्छी भादतें ही ढालें। हमारे जीवन में भादत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मानसिक तथा शारीरिक भादतें हमारे प्रतिदिन के कार्यों में या तो सहायता करती हैं या फिर हमारे मार्ग में बाधा डालती हैं। भूत सृजनशील अध्यापक का सदा यही प्रयत्न रहता है कि उसके विद्यार्थी कठोर तथा दुराग्रही न बनकर उदारहृदय वनें अर्थात् दूसरे लोगों की बात को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें। सभी तथ्यों की पूरी जानकारी प्राप्त होने तक अपने निर्णय को स्थगित रखने की भादत, किसी समस्या की गहराई में जाकर उसके कारणों का विलेपण करने की भादत, तथ्यों के आधार पर किसी घटना अथवा व्यवहार का मूल्यांकन करने की भादत तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य भादतें विद्यार्थियों में डालने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय की भादत डालने का प्रयास भी अवश्य किया जाता है, क्योंकि स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति ही सृजनात्मक चिन्तन कर सकता है।

सृजनात्मक अध्यापन में रटने तथा अनुकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा न देकर स्वतंत्र चिन्तन पर विशेष बल दिया जाता है। यह सत्य है कि हम अनुकरण द्वारा अनेक बातें आसानी से सीख लेते हैं परन्तु अनुकरण सृजनात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके कारण हम परम्परागत कार्यविधियों के दास बन जाते हैं। इनका अपना महत्व है परन्तु इनकी मौलिकता का स्थान ग्रहण नहीं करना है। यदि हम केवल अनुकरण ही करते रहे तो सभ्यता के विकास में एक भीषण गतिरोध पैदा हो जायेगा। अध्यापन करते समय सृजनशील अध्यापक यह ध्यान रखता है कि विद्यार्थी नवीन ज्ञान प्राप्त करते समय सीखने तथा स्मरण करने के दोष से निकलकर स्वतंत्र चिन्तन के क्षेत्र में प्रवेश कर जायें। भारतीय संविधान पढ़ाने के उपरान्त अध्यापक विद्यार्थियों को यह सोचने की प्रेरणा दे सकता है कि बदली हुई परिस्थितियों के परिवेश में संविधान में क्या क्या परिवर्तन करने आवश्यक हैं अथवा देश को समाजवाद के

निकट ले जाने के लिए सविधान में क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे ? इतिहास में १८५७ के स्वाधीनता के प्रथम सपना को पढाने के उपरान्त अध्यापक उन्हें यह सोचने भयवा कल्पना करने के लिए कह सकता है कि यदि हम १८५७ के सपना में ही विजयी हो गये होते तो पिछले सौ वर्षों में भारत का इतिहास किस प्रकार का होता भयवा आज भारत की क्या स्थिति होती ? ऐसा करने से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का उपयुक्त उपयोग भी होगा तथा समुचित विकास भी होगा ।

उच्च आदर्शों तथा सिद्धान्तोंवाले अध्यापक का ही अध्यापन सृजनात्मक अध्यापन हो सकता है । ऐसे अध्यापक के मन में अपने व्यवसाय के प्रति असीम श्रद्धा तथा विश्वास की भावना होती है उसके मन में अपने कार्य को उत्साह-पूर्वक करने की उत्कट अभिलाषा होती है, क्योंकि अध्यापन-कार्य में उसकी वास्तविक रुचि होती है । अपने विद्यार्थियों को विकसित होते देखकर उसे प्रसन्नता होती है । वह सन्तोषी स्वभाव का परिश्रमी आदर्शोंवाला तथा अपने कार्य को पूरी लगन से करनेवाला होता है ।

विद्यार्थी सीखते समय अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उन्हें स्वतन्त्र वातावरण में सीखने के अवसर प्रदान किये जायें भयान् उन्हें नवीन प्रयोग करने की स्वतन्त्रता हो और किसी पिटी प्रथाओं तथा परम्पराओं को उनके मार्ग में बाधा न बनने दिया जाय । परन्तु स्वतन्त्रता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कक्षा तथा स्कूल में जगल का ही कानून प्रचलित हो जाय । अनुशासन की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है परन्तु यह अनुशासन बाहरी न होकर आंतरिक तथा सृजनात्मक अनुशासन होता है । विद्यार्थियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे इस कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी की तरह अनुशासित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा अपने हृदय से ही प्राप्त करें ।

सृजनशील अध्यापक अध्यापन-कार्य को एक कला समझकर एक कलाकार की भावना से काम करता है । एक कलाकार की भाँति वह भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को महत्त्वपूर्ण समझता है तथा शिक्षार्थियों के मन में भी इसके प्रति मोह की भावना पैदा करने के लिए सृजनात्मक प्रयास करता है । यद्यपि ऐसा करने के लिए कोई एक नियम भयवा सर्वसम्मत प्रणाली नहीं है, परन्तु एक सृजनात्मक अध्यापक अपने अदम्य साहस, उत्साह तथा प्रबल इच्छा के कारण इस उद्देश्य में सफल हो जाता है ।

यह आवश्यक नहीं है कि सृजनात्मक कार्य पहले के कार्यों से नितान्त भिन्न हो । प्रति साधारण कार्यों भयवा क्रियाओं को भी सृजनात्मक भावना से किया

जा सकता है। सृजनात्मक अध्यापन में यही प्रयत्न किया जाता है कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रिया को सृजनात्मक भावना से करना सीखें। प्रत्येक अध्यापक से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह प्रचलित शिक्षण विधियों में सामूल परिवर्तन करके नितान्त नवीन विधियों का आविष्कार करेगा। ऐसा तो कुछ महान अध्यापक ही कर सकते हैं। परन्तु अन्य अध्यापक भी प्रत्येक पाठ को सृजनात्मक भावना से पढ़ाकर सृजनशील अध्यापक कहलाने के अधिकारी बन जाते हैं। वे किसी भाष्यक तथा लाभदायक सहायक उपकरण का निमाण कर सकते हैं। वे शिक्षार्थियों का लेख सुधारने के लिए अक्षर विद्यास की अनुसंधान दूर करने के लिए सगोधन काम को सरल बनाने के लिए तथा इसी प्रकार की अन्य असह्य समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय सोचने हैं तथा उन्हें कार्यान्वित भी करते हैं।

सृजनात्मक अध्यापन सदा रचनात्मक होते हैं। इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है कि विद्यार्थी केवल मूक श्रोता ही न बने रहें वरन् सत्रिय रूप में पान प्राप्त कर। विद्यार्थियों में आत्माकारिता, अनुसंधान भादि के स्थान पर आत्मविश्वास, मौलिकता आदि गुण उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें वर्तमान समस्याओं के प्रति सजगता की भावना पैदा की जाती है तथा उनका यथोचित समाधान ढूँढने के लिए उनमें प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयत्न भी किया जाता है।

प्रसन्न जीवन व्यतीत करने के लिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक है। सम्यता के मूर्खोदय से लेकर वर्तमानकाल तक मानव सृजनात्मक मूल्यों को भ्रष्टाकर प्रायः परम भ्रान्त का अनुभव करता आया है। अतः सृजनात्मक अध्यापन में सभी विद्यार्थियों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किये जाते हैं ताकि विद्यार्थी देश के सन्तुष्ट, सन्तुलित तथा प्रसन्न नागरिक बनें।

सारांश यह कि सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहन करना विद्यार्थियों को अपनी क्रियाओं को सृजनात्मक बनाने के योग्य बनाना उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा करना तथा उनमें बलवती हुई परिस्थितियों के अनुसंधान अपने आपको बदलने की योग्यता पैदा करना सृजनात्मक अध्यापन के उद्देश्य हैं। यदि हम इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो जाते हैं तो समाज, राष्ट्र तथा मानवता का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल होगा क्योंकि इस प्रकार सृजनात्मक व्यक्ति मानवता के लिए सुख सृष्टि की व्यवस्था करने हेतु अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का खुलकर प्रयोग कर सकेंगे। ('नया शिक्षक' से साभार)

गांधी : सामाजिक विचार एवं बुनियादी शिक्षा

दिनेश सिंह

महात्मा गांधी विश्वबन्धुत्व की भावना को साकार मूर्ति प्रदान करना चाहते थे। देश-विदेश में व्याप्त मानव विभेद, नीति एवं अमानवीय कृत्यों के दुष्परिणामों को उन्होंने स्वयं के जीवन में अनुभूत किया था। मनुष्य मनुष्य के भेद को मिटाने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। गांधीजी ने उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 'सत्य' और 'अहिंसा' को सैद्धांतिक साधन बनाया था। महात्मा गांधी के शब्दों में 'सत्य' शब्द 'सत्' से बना है। सत् का अर्थ है यथार्थ सत्ता। ससार अथवा यथार्थ सत्ता से भरा हुआ है, इसमें यथार्थ 'सत्ता' को ढूँढ निकालना, उसके लिये जीना मरना यही मनुष्य का ध्येय है। यह यथार्थ सत्ता ही सत्य है। हम प्रायः अथवा यथार्थ से पीछे भागते हैं, यथार्थ हमारी आँखों से भोजन रहता है। यह यथार्थ ही वास्तविक है, यथार्थ 'सत्य' है, 'सत्य' को ढूँढना सत्य के लिए अपने को न्योछावर कर देना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि 'सत्य ही ब्रह्म है। 'सत्य' की सत्ता से नास्तिक भी इकार नहीं कर सकता। आज के वर्तमान विश्व में भ्रूशिवरवादियों की कमी नहीं है इस लक्ष्य को महात्मा गांधी ने मली-नाति समझ लिया था। सत्य के सिद्धांत द्वारा इन दोनों समूहों के एकीकरण के प्रयास की झलक स्पष्ट दृष्टिगत होती है। वे अपने जीवन को ही सत्य के प्रयोग से सम्बोधित करते थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धान्त के दो रूप बतलाये थे। पहला स्थूल तथा सीमित रूप है। निम्न निम्न दोनों में डूबे से काम न लेना, दूसरे का खून न बहाना स्थूल अहिंसा है, यह अहिंसा का सीमित क्षेत्र है। दूसरा सूक्ष्म तथा व्यापक रूप है। उनका कहना था दूसरे को दुःख पहुँचाना, दूसरे से कटु बोलना, कठोर व्यवहार करना—यह सब हिंसा है और इसे नकारात्मक रूप बताया। उनके अनुसार सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ दूसरे के साथ प्रेम करना है। महात्मा गांधी ने 'सत्य' और 'अहिंसा' के सिद्धान्त को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन में समन्वय प्रदान करने का अध्ययन आत्यधिक निकट से किया था। महात्मा गांधी ने अपने स्वप्नों के भारत के लिए द्रव्य लिया था कि 'ऐसा भारत जिसमें लोगों के उच्च और निम्न वर्ग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जन-उत्पन्न पूर्ण शोहरापूर्वक रह सकेंगे। ऐसा भारत जिसमें कोई जाति

या सम्प्रदाय दूसरों से धेष्ठ नहीं माना जायगा और न जिसमें धनी और अधि-कारसम्पन्न लोगों का ही बोलबाला होगा। सच्चे अर्थों में यह समानता पर आधारित होगा और शान्ति में इसकी पूर्ण प्राप्ति होगी। पूरे समाज के जीवन में भी शान्ति होगी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी।” महात्मा गांधी ने भारत में विद्यमान जाति-भेद की विषम परिस्थितियों एवं धनी-निधन की विशाल खाई का भली भांति अध्ययन किया था। उन्होंने पूर्वाग्रहों को दूर करने और विशेषाधिकारों को छोड़ने का आन्दोलन चलाया था तथा समाज को बताया कि जातीय-पूर्वाग्रह और भेदभाव सामाजिक बुराईयें हैं। गांधीजी ने जातीय समस्याओं एवं जातीय पूर्वाग्रहों को मानव-निर्मित बताया। इस प्रकार इनसे सम्बन्धित जन्मजात एवं ईश्वरकृत भ्रमपूर्ण धारणा का निवारण किया। महात्मा गांधी सत्य के पुजारी थे। एक बार शान्तिनिकेतन जाने पर उन्होंने देखा कि भोजनगृह में ब्राह्मणों के बालकों के लिए बैठने की अलग विशेष व्यवस्था की गयी है। इसको देखकर गांधीजी अत्यधिक व्यथित हुए। गांधीजी ने इस कृत्य को अमानवीय बतलाया। जाति प्रथा को गांधीजी ने पाप तक कहकर सम्बोधित किया। अस्पृश्यों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि सामाजिक दृष्टि से वे कोढ़ी हैं, आर्थिक दृष्टि से उनकी स्थिति सबसे खराब है, धार्मिक दृष्टि से उनका उन स्वानों में प्रवेश निषिद्ध है, जिन्हें हम गलती से देवालय कहते हैं। यदि हम अस्पृश्यता को नहीं मिटाते तो हम स्वयं दुनिया के नशे से मिट जायेंगे। एक बार उन्होंने कहा था इस अस्पृश्यता के जीवित रहने की अपेक्षा मैं यह कहूँ अधिक पसन्द करूँगा कि हिन्दू धर्म को ही मौत हो जाय। इन्हीं विचारों को लेकर ३० सितम्बर १९३२ को महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-विरोधी सभ की स्थापना की, जो बाद में हरिजन सेवक सभ बना। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यताविरोधी अभियान को जीवन के अन्तिम दिनों तक जारी रखा। गांधीजी ने हरिजनों की शिक्षा के लिए प्रचलित विद्यालयों में प्रवेश-निषेध का बटु धनुभव भी प्राप्त किया था।

गांधीजी भारतीय जनता की भाग्यवादिता और निष्क्रियता से भी पूर्णतः परिचिन थे। इन वे समाज के व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना चाहते थे। गांधीजी विदेशी शासन को समाप्त कर देश को सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाना चाहते थे। उनकी दृष्टि में आर्थिक विषमता महाकलक थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत में ऐसा एक दिन भी नहीं चल सकता कि एक ओर नयी दिल्ली में बड़े-बड़े महल और भवन बनते रहें और दूसरी ओर शरीर मजदूर शोष शोषणियों और कुम्हियों में

नारकीय जीवन व्यतीत करते रहे। गांधीजी टाट्सटाय को अपना धादश मानते थे। महान रूसी लेखक टाट्सटाय और गांधीजी के विचारों में पर्याप्त साम्य था। आर्थिक समानता के साथ-साथ समान अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दिलाना उनकी हार्दिक अभिलाषा थी। उन्होंने कहा है: "लोकतंत्र के सम्बन्ध में मेरी यह धारणा है कि इसके अन्तर्गत दुर्बलतम लोगों को प्रबलतम लोगों के समान अधिकार मिलने चाहिये।"^१ गांधीजी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्य, मात्र पुरुष वर्ग के लिये ही सीमित नहीं थे। वे स्त्रियों को किसी भी दशा में कम महत्ता नहीं प्रदान करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिनों पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कोई हरिजन स्त्री बन। भारतीय समाज में स्त्रियों की जो दीन हीन अवस्था थी वह महात्मा गांधी की परिभाषा में हिंसा का ही एक रूप था। महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा की नयी योजना में बालकों के समान ही बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की।

गांधीजी देश में यथार्थ समाजवाद लाने के लिए आत्मनिर्भरता को महत्त्वपूर्ण समझते थे। इसीलिए उन्होंने खादी के प्रयोग, एक सूत कातने का व्यापक प्रचार किया था। गांधीजी धर्म एवं कार्य की महत्ता को ही सर्वदा बल प्रदान करते रहे। उड़ीसा में भूकाल पडने के समय गांधीजी ने धन, बस्त्र एवं भोजन एकत्रित कर भूखे तथा बस्त्रविहीन लोगों को वांटना प्रारम्भ किया। परन्तु जितना अधिक वे लोगों को देते उतना वे और मांगते। इस घटना से गांधीजी ने अनुभव किया था कि वे दान देकर उन लोगों को लाभ नहीं, बरन् हानि पहुँचा रहे हैं। उनको यह महसूस हुआ कि बस्त्र, भोजन एवं धन की अपेक्षा काम देना अधिक उपयुक्त है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में किसी शिल्प का माध्यम प्रदान किया जाना काम की महत्ता एवं धर्म की महत्ता का ही बोधक है।

महात्मा गांधी के तथाकथित सामाजिक विचार पुस्तकीय ज्ञान मात्र नहीं थे, बरन् उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभूत किया था। समाज में चारों ओर उन्हे धार्मिक कट्टरता अधविश्वास, जातीय श्रेष्ठता, अस्पृश्यता, शारीरिक धर्म की अपेक्षा एवं अबहेलना तथा निरक्षरता आदि सामाजिक व्याधियाँ स्पष्ट एवं बिनष्टकारी रूप धारण किये हुए दृष्टिगत हुईं। गांधीजी ने अपने जीवन की अनुभूतियों से यह निष्कर्ष निकाला कि इन सब व्याधियों के

१. जी० डी० टेण्डुलकर: "लाइफ आफ मोहनदास करमचन्द गांधी" भाग-५, पृष्ठ-१४३

निवारण का एकमात्र उपाय एक आधार शिक्षा है। गांधीजी ने तत्कालीन शिक्षा-पद्धति को सामाजिक व्याधियों से घिरा हुआ पाया था। सन् १९२१ ही में 'यंग इण्डिया' में उन्होंने लिखा था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति विदेशी संस्कृति पर आधारित है एक स्थानीय संस्कृति से पूर्णतः रहित है। यह मात्र मस्तिष्क-प्रधान है। शारीरिक श्रम और संवेदनशीलता की उपेक्षा करती है। सच्ची शिक्षा विदेशी माध्यम से कदापि सम्भव नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीजी दीर्घकाल तक समाज की विषम परिस्थितियों एवं शिक्षा की तत्कालीन पद्धति का अध्ययन एवं विवेचन करते रहे हैं। इससे यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि गांधीजी सदा शिक्षक ही रहे हैं। तत्कालीन शिक्षा पद्धति में उन्होंने यह देखा एवं प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ब्रिटिश अधिकारी सदैव से जनसाधारण की शिक्षा की अवहेलना करते चले आ रहे हैं। जनसाधारण की शिक्षा का व्यय भार बहन करने में वे असमर्थता प्रकट करते रह रहे हैं। मातृभाषा के स्थान पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ने ग्रहण कर लिया है।

गांधीजी ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति में ग्रामूल चूल परिवर्तन का निश्चय किया और अपने शिक्षा सम्बन्धी विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए अक्टूबर १९३७ में वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में एक समिति निर्मित की गयी। समिति के अध्यक्ष डा० जाकिर हुसेन थे। अन्य सदस्यों में सर्वश्री के० जी० संयदेन, के० वी० शाह, मधुवाला, विनोबा भावे एवं ई० डब्ल्यू० आर्यनाथकृष्ण थे। 'डा० जाकिर हुसेन समिति' ने २ दिसम्बर १९३७ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। १९३८ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा-अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया और इस शिक्षण प्रणाली को राजकीय शिक्षा पुनर्निर्माण की बुनियाद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पूर्व केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने १९४४ में भारत की शिक्षा पर सुधारों का सुझाव देने के लिए सर जान सारजेंट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। इसमें वर्धा योजना के स्वावलम्बनवाले पक्ष का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा की योजना ने अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में सात से चौदह वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए सामान्य शिक्षा अनिवार्य एवं शिक्षा का माध्यम मातृभाषा तथा शिक्षा का आधार कुछ चुने हुए हस्तशिल्प थे। गांधीजी ने सैद्धान्तिक शिक्षा और रचनात्मक कार्य में पारस्परिक घनिष्ठता का सम्बन्ध स्थापित किया। बालक बालिकाओं को सहकारी त्रियाकलापों और नैसर्गिक अनुशासन के द्वारा सामाजिक समुदाय के रूप में रहना सिखाया जाय तथा

सामाजिक सेवा के प्रवसर उपलब्ध कराये जाने की महत्ता स्पष्ट व्यक्त की। गांधीजी ने कहा था—“अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उपयोगी कामों में लगाने का सिद्धान्त ही अच्छे नागरिक की शिक्षा का आदर्श होना चाहिए, केवल पुस्तकों का ज्ञान अर्जित करना नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान निरचय ही जीवन के लिए श्रेयस्कर है, वह मानव की नैतिक, भौतिक और धारीरिक अभिवृद्धि के लिए अपरिहार्य नहीं है।”^१ महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम में धार्मिक शिक्षा को स्थान नहीं प्रदान किया। “भारत में ऐसे कई विभिन्न समूह एवं पद्धतियाँ हैं कि धर्मनिरपेक्ष एवं धार्मिक शिक्षा का मिश्रण करना बिलकुल असम्भव है। भारत में धर्म-धर्मनिष्ठता से मुक्त है। यह एक तरह की बारूद है। धर्म के नाम पर लोगों को धर्मनिष्ठता की ओर उत्तेजित किया जाता है।”^२ गांधीजी ने भारत की एकता में धर्म की बाधक समझा। अतः उन्होंने बुनियादी शिक्षा की योजना से धार्मिक शिक्षा को हटाने में तनिक भी सकोच नहीं किया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के लिए गांधीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित किया। खेद का विषय यह है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्तों की रूढ़िता पर बल देना ही श्रेयस्कर समझा गया। बुनियादी शिक्षा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाने के प्रयास नहीं किये गये। देश के नेता भी बुनियादी शिक्षा के सम्बन्ध में उच्च आदर्श उपस्थित करने में असमर्थ रहे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के २४वें वर्ष तक शिक्षा की समस्याएँ अत्यधिक विषम एवं जटिल हो गयी हैं। सभी शिक्षाशास्त्री यह प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं कि हमारी शिक्षा सिद्धान्तिक एवं पुस्तकीय अधिक है, व्यावहारिक कम। शिक्षा में सामाजिक सेवा का कोई स्थान नहीं है। वर्तमान शिक्षण प्रणाली ने बेरोजगारी बढ़ाने में पर्याप्त सहायता की है। बेरोजगारी भारत के लिए ही नहीं अपितु समुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे धनी एवं सम्पत्तिशाली देश के लिए गम्भीर समस्या बनती जा रही है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत अत्यधिक लचीले हैं। उन्हें देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप संचालित एवं विकसित किया जा सकता है। हमको बुनियादी शिक्षा की महत्ता एवं उपयोगिता को पुनः इष्टित

१. 'इंडिया थाफ माई ड्रीम्स,' पृष्ठ ७५

२ डा० के० एल० श्रीमाली - 'दी वर्धा स्कीम', पृष्ठ २२५

करना होगा। बुनियादी शिक्षा को रुढ़िप्रस्तुतता से निकालना होगा। दूरदर्शिता को आधार बनाना होगा। बुनियादी शिक्षा को समझने एवं त्रियान्वित करने के लिए महारना गांधी के सामाजिक विचारों में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शिक्षा का आधार स्तम्भ बनाना होगा।

श्री विनेश सिंह, शिक्षा सहाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५

‘गाँव की आवाज’

ग्रामस्वराज्य का सन्देशवाहक पत्रिका

सम्पादक आचार्य रामभूति

प्रकाशक सर्व सेवा सघ

गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य की स्थापना में प्रयत्नशील ‘गाँव की आवाज’ के ग्राहक बनिए तथा बनाइये। भाषा सरल तथा सुबोध और शैली रोचक होती है।

एक वर्ष का शुल्क ४ रुपये, एक प्रति . २० पैसे

ध्यवस्थापक

पत्रिका-विभाग

सर्व सेवा सघ, राजघाट, वाराणसी-१

साक्षरता क्या, किसके लिए ?

फर्नाण्डो बल्डरामा

साधारण बोलचाल में 'निरक्षर' शब्द 'अज्ञानी' शब्द का पर्याय बन गया है और कभी-कभी तो इसका अर्थ 'अपमानजनक' होता है। परन्तु बहुत-से निरक्षर व्यक्ति अपनी स्थिति के बारे में कभी भी सज्जित नहीं होते। निरक्षर होते हुए भी वे न तो इस तथ्य से अभिज्ञ हैं, और न ही वे यह जानते हैं कि साक्षर व्यक्ति के सामने निरक्षर व्यक्ति कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वे परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव भी नहीं करते।

कुछ पर्यवेक्षणों के अनुसार साठ तथा सत्तर प्रतिशत निरक्षर व्यक्ति पढ़ना-सीखना ही नहीं चाहते, यहाँ तक कि कुछ देशों में निरक्षर व्यक्ति पूरा नागरिक ही नहीं माना जाता और वह मताधिकार से वंचित भी रहता है, तथा यह समझा जाता है कि वह समाज के एक किनारे पर रहा रहा है।

निरक्षरता को अब एक रोग अथवा महामारी समझा जाने लगा है। और अब यह अवस्था घा गयी है, जहाँ निरक्षर व्यक्ति विद्रोही वर्ग से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं, तथा जिन्हें उखाड़ फेंकना ही चाहिए। निरक्षरता के सम्बन्ध में जो सैनिक शब्दावली प्रयुक्त होती है उससे इस बात का अनुमोदन होता है, जैसे, निरक्षरता के विरुद्ध हम 'सर्घ्य' तथा 'लड़ाई' शब्दों का प्रयोग करते हैं, 'युद्ध नीति' तथा 'सामूहिक आक्रमण', 'निरक्षरता', 'परिष्कारण' अथवा 'उन्मूलन तथा अन्तिम आक्रमण' करना आदि शब्दों से यही प्रकट होता है।

इस प्रकार से दिक्षाये जाने पर निरक्षर व्यक्ति आखेटी पशु के समान बनकर रह जाता है, एक मानव जैसा नहीं, जिसे सुधारकर समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके। यह बात अधिक बुद्धिमत्ता की होगी कि इन नियेष वाची अभिव्यक्तियों को हटा दिया जाय तथा इनके स्थान पर अधिक सकारात्मक तथा आशावादी शब्द रखे जायें।

निरक्षर अज्ञानी नहीं

"साक्षरता की परिधि के बाहर मानव समाज" या यह विचार धीरे-धीरे फैल रहा है। इस धारणा के अनुसार समाज के वर्ग जो अलग-अलग हैं, इस कारण से निरक्षर हैं कि वे "साक्षरता की परिधि" के बाहर रहते हैं, और इस कारण से नहीं कि वे अज्ञानी हैं।

निरक्षर, अज्ञानी नहीं होता। पहली बात तो यह है कि समस्त प्रौढ

व्यक्तियों को जीवन का कुछ-न-कुछ व्यावहारिक अनुभव तो होता ही है, विशेषतः वृद्ध भ्रातृमियों को जिन्हें कुछ-न-कुछ काम तलाश करना पडा है, जिन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करना पडा है तथा जिनके ऊपर कुछ-न-कुछ उत्तरदायित्व रहा है।

प्रौढ अपठित व्यक्ति की अकण्ठित-सम्बन्धी समझ एक अच्छा उदाहरण है। जब एक बच्चा अकण्ठित सीखना आरम्भ करता है तो वह बिना गलती किये दस तक कठिनता से ही गिन सकता है और अको का यह क्रम भी उसके लिए कुछ ठोस अथवा व्यावहारिक नहीं होता।

विद्यालय में बालक गिनती, अक लिखना तथा प्रश्न निकालना सीखता है और फिर वह अपने ज्ञान को इधर-उधर इस्तेमाल करता है। अन्य विषयों की भाँति अकण्ठित बच्चे को एक अद्भुत जगत् से परिचित कराता है, जिसकी जानकारी उसे अपनी कक्षा में पढ़ने के साथ-साथ अधिकाधिक होती जाती है।

अनपढ प्रौढ व्यक्ति की तो बात ही अलग है। उसकी कोई सामान्य शिक्षा नहीं होती तथा भूगोल, इतिहास और विज्ञान की तो बात ही दूसरी है। फिर भी वह बहुत-सी वस्तुएँ खरीदता है तथा बेचता है, उसे अपने काम का पारि-श्रमिक भी लेना होता है और उसे यह पडताल भी करनी पडती है कि उसका हिसाब सही है। परिणामतः ऐसे छोटे छोटे सवालो को निकालने के लिए वह प्राथमिक तरीकों का प्रयोग करता है। वह हिसाब लगाकर भुगतान भी करता है। अपने पास के अथवा अनेवाले रुपये के आधार पर वह कुछ योजनाएँ भी बनाता है, किसी भूखण्ड की नापजोख भी करता है। सक्षेप में अधिक समस्याएँ तो वह पहले से ही समझे हुए होता है और जब वह किसी पढाई की कला में बँटना है तो अकण्ठित उसके लिए कोई नया विषय नहीं होता। यह सच है कि उसे लिखित अकों की जानकारी नहीं होती, परन्तु ज्यों ही वह '८' का अक लिखना सीख लेता है तो वह इस अक को इकका ठीक व्यावहारिक मूल्य भी दे सकता है।

अनपढ होते हुए भी वह अ्यापारी हो सकता है, वह कृषि मजदूर, लोहार या बढई भी हो सकता है तथा अपने कार्य-क्षेत्र में वह उस शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक जानकारी रखता है, जिसके लिए वह काम बिलकुल ही नया हो।

दूसरी ओर जब उसके सामने नये विचार या नयी कारीगरी का कोई काम आता है तो उसका मन नवीनता के प्रति सामान्यतया सदिग्ध हो जाता है तथा उसकी प्रवृत्ति साक्षरता की ओर अग्रसर होती है। वह अपने पारम्परिक जीवन

से तो परिचित होता ही है, और वह भव तक अपने काम में किसी सीमा तक सफल भी रहा है।

उदाहरणार्थ, एक बार एक ग्रामीण वृद्धा स्त्री ने कहा था, "तुम यह सोचते हो कि तुम हमें हर बात सिखाओगे। यदि तुम्हारे कहने के अनुसार हमने भव तक अपौरुषिक भोजन खाया है, अपने खेतों को गलत ढंग से जोता तथा बोया है तथा अपने बच्चों का पालन-पोषण नियमानुसूल नहीं किया है, तो भव तक हम सब मर गये होते। परन्तु तुम देस रहे हो कि हम जीवित हैं।"

परम्परा को अधिक मान्यता देनेवाला एक ग्रामनिवासी, नगरनिवासी का विश्वास नहीं करता। उसके लिए धार्मिक आस्थाओं से युक्त अधविश्वास सामाजिक जीवन में ठोस आधार होते हैं और इन्हीं अधविश्वासों के कारण वही कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। यदि कोई विशेष बात नहीं हो (जैसे किसी खान का उद्घाटन, सड़क का निर्माण, किसी नये उद्योग का प्रारम्भ) तो उसका जीवन उसी ढर्रे पर चलता रहता है। परन्तु यदि कोई परिवर्तन हो और छोटे-से किसान को इसमें भयना तथा अपने परिवार का कोई लाभ दिखाई दे तो इससे उसके छोटे ग्रामीण समाज को महान प्रेरणा मिलती है।

यदि ग्रामनिवासी पढ़ना सीखे तो उसके पास ऐसी कोई लिखित सामग्री नहीं होती जिस पर वह अपने ज्ञान का प्रयोग करे। ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग गाँव होते हैं जहाँ गलियों के नाम तक नहीं होते, तथा गाँव के प्रवेश-द्वार पर कोई नागपट्ट नहीं होता। उनके पास कोई समाचारपत्र भी नहीं पहुँचता और ग्रामीणों का जीवन भाशा भयवा महत्वाकांक्षाओं से शून्य तथा उकताहट से भरा हुआ होता है।

यदि एक नगरनिवासी पढ़ना सीखे तो उसको सब जगह लिखित सामग्री मिल जायेगी, दुकान की खिचकियों में, दीवारों पर, तथा इस्तहारों में उसे कुछ-न-कुछ पढ़ने को मिल ही जायेगा। नगर स्वयं एक खुली हुई पुस्तक है, जहाँ नूतन पठित व्यक्ति अपनी शिक्षा जारी रख सकता है।

अपठित व्यक्ति के चार वर्ग

किसी भी देश में अपठित व्यक्ति चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं

एक तो वे जो नगरी या उपनगरी में रहते हैं जो आवश्यकतावश ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं जिनके लिए पढ़ना साधारण बात है (जैसे किसी फँवटरी में सहकामचारी अथवा एक ही रेजिमेंट के सैनिक इत्यादि)। वे अपठित व्यक्ति पढ़ने लिखने के लाभ को समझते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे

इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लें तो उनकी दशा सुधर जायेगी । और इसलिए, तदर्थ आवश्यक प्रयत्न करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती । इस वर्ग के अपठित व्यक्तियों को प्रोत्साहन की आवश्यकता भी नहीं होती । उनको पहले से ही इतमियान रहता है और वे किसी भवसर की प्रतीक्षा मात्र में रहते हैं ।

दूसरे वर्ग में वे अपठित व्यक्ति होते हैं जो किसी ऐसे नागरिक अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ कोई सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा हो अथवा जहाँ कोई कृषि अथवा औद्योगिक संस्थान अभी अभी स्थापित किया गया हो । यहाँ उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके लिए काम तथा पढ़ने लिखने के मूल्य के बीच कोई सम्बन्ध अभी स्थापित नहीं हुआ होता । इस प्रकार के निपट निरक्षर समुदाय में विकास-केन्द्र द्वारा एक नया वातावरण तैयार कर दिया जाता है जिसकी स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए या जिसका स्पष्ट मूल्यांकन किया जाना चाहिए । यह कर्तव्य नवीन उद्योग अथवा वाणिज्य संस्थान के नेताओं का है कि वे अपने संस्थानों में साक्षर कर्मचारियों को लें, जिनका उत्पादन निरक्षर कर्मचारियों के उत्पादन की अपेक्षा नहीं अधिक हो, तथा उनकी सहायता करने में सहयोग दें ।

यदि ये नेता सचार्ड से काम करें तो बहुत दिनों से चली आ रही इस जड़ता को बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सुनियोजित क्रियाविधि के द्वारा हटाना कठिन नहीं होगा, और कर्मचारी लिखने पढ़ने के लाभ को भी सरलता से समझ सकेंगे ।

तीसरे वर्ग में वे फार्म के अर्धतनिक कर्मचारी होते हैं जिनको माल के रूप में असावगी की जाती है । कुछ देशों में इस प्रकार के बेगारी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या है और उनके नियोक्तियों की रूचि उनके कल्याण की ओर बिलकुल नहीं दिखाई देती । पर्याप्त प्रशासनिक शक्ति के बिना प्राधिकारियों के लिए यह कठिन है कि वे नियोक्तियों को समझाएँ कि वे अपने कर्मचारियों की शिक्षा तथा विकास के लिए हितकर वातावरण तैयार करें । यदि सुविधा मिले तो यह वर्ग समाज में बहुत शीघ्र उन्नति कर सकता है, तथा फलस्वरूप उत्पादन की स्थिति को बढ़ा भी सकेगा ।

अपठित व्यक्तियों का अंतिम वर्ग बिलकुल ही अलग अलग रहता है । वे व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सचार्ड का कोई साधन नहीं है और जहाँ लिखित शब्द एकदम अज्ञात है । यहाँ सारसदृश कार्य के साथ-साथ उनके आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचे में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए । सदियों पुराने उनके प्रमाद को दूर करने के लिए और इन आदिमियों के सामने एक नये जीवन की

घाशा प्रस्तुत करने के लिए नयी रुचि, प्रेरणा तथा उत्साह की आवश्यकता होती है। और यह एक बहुत ही कठिन कार्य है।

यह वर्गीकरण सर्वांगपूर्ण न होते हुए भी साक्षरता का कार्यक्रम बनाने का आधार हो सकता है। इस कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग से सम्बन्धित निरक्षरों के बारे में पर्याप्त सूचना की आवश्यकता होगी, उनका ठिकाना, उनकी सख्या, उनके स्त्रीत्व अथवा पुरुषत्व की सूचना और उनकी निरक्षरता की सीमा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

प्रथम दो वर्गों को सर्व-प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन दो वर्गों में नगरीय तथा उपनगरीय के निवासी शामिल हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देना बहुत सरल है तथा उन्हें साक्षर बनाने का कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जा सकता है। उनको एक बार लिखना-पढ़ना मात्र आ जाय तो वे बहुत ही उत्तम करोगे क्योंकि नगरीय में पठन-शामग्री पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके अनतिरिक्त, उनके व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य तरीके अपनाने चाहिए ताकि वे सक्षम कर्मचारी बनकर अपने तथा अपने वर्ग के हितों की रक्षा कर सकें।

दूसरे वर्ग के अपठित व्यक्तियों ने अपने समाज के ढाँचे में भाये हुए परिवर्तन को देख लिया है। और इसी परिवर्तन से उनको साक्षरता के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

साक्षरता-कार्यक्रम को बुद्धिमानी से तैयार करके उनके अनुकूल इस प्रकार बनाना चाहिए कि उनके व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्देश्यों की मजबूती पूर्ति हो सके। यह काम बिलकुल सीधा है—काम उपलब्ध हो तथा नौकरियाँ प्राथमिकता के योग्यता के अनुसार दी जायें। परिणामतः जो लिख पढ़ सकते हैं उनको अवश्य ही अच्छी-से-अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी और तदनुसार उन्हें अच्छे-से-अच्छा वेतन भी मिलेगा।

अन्तिम दो वर्ग भौतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से समान हैं, परन्तु उनके बीच एक महत्वपूर्ण अन्तर है। एक वर्ग तो अपने नियोजकों पर आश्रित है जो लिखने-पढ़ने के मूल्य को पूरी तरह जानते हुए भी अपने कर्मचारियों को पढ़ने-लिखने योग्य बनाने में बिलकुल ही सहायता नहीं देते, तथा दूसरे वर्ग के सम्मुख न तो कोई सुधार का उदाहरण है और न ही उनका कोई पथ-प्रदर्शक है।

तथापि इन दोनों वर्गों में नये सामाजिक ढाँचे तैयार करने की स्पष्ट आवश्यकता है, ताकि उनमें प्राथमिक परिवर्तन लाया जा सके और एक

प्रेरणाहित भावशून्य समाज को पुनर्जीवित किया जा सके। इन तमाम बातों पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए।

साक्षरता कार्यक्रम को प्रभावशाली कैसे बनाया जाय ?

कोई भी साक्षरता-कार्यक्रम तभी प्रभावशाली हो सकेगा जबकि उसके उद्देश्य की स्पष्ट व्याख्या की जाय। इस बात का अनुशीलन न करने के कारण ही कुछ देशों में नगरीय तथा ग्रामीण विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम हैं, तथा प्रांतीय और क्षेत्रीय विशेषताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा गया है।

कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ परिपूर्ण नगरीय विद्यालय के निकट ही अपरिपूर्ण ग्रामीण विद्यालय है। एशिया तथा अफ्रीका के कुछ स्कूलों में देश के वातावरण के अनुकूल पाठ्य पुस्तकों की बहुत कमी है इसलिए यहाँ के अध्यापक यूरोपीय बालकों के लिए लिखी गयी पुस्तकों काम में लाते हैं। इन पुस्तकों में भाषे हुए नाम, निदर्शन चित्र तथा विषय यहाँ की क्षेत्रीय अवस्थाओं से तालमेल नहीं खाते। यहाँ तक कि प्रौढ़ शिक्षा-कार्यक्रम के अंतर्गत उन पुस्तकों को काम में लाया जाता है जो बच्चों के लिए लिखी गयी हैं और इसका कारण योजना अथवा द्रव्य की कमी है। और इसीसे प्रौढ़ विद्यार्थियों में उत्साह-हीनता फैली हुई है।

प्रलग प्रलग अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर विकास की तीन मुख्य समस्याएँ निरक्षरता, निर्धनता तथा दृग्णता की हैं। ये तीनों अयोग्य सम्बन्धित हैं, इसलिए योजनाकार के लिए यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इनमें से किस पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाय। उदाहरणार्थ, भ्रूक्षरण की समस्या का समाधान किये बिना स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना व्यर्थ है, क्योंकि भ्रूक्षरण से कुपोषण तथा निर्धनता की वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य का अभीष्ट स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार लोगों को लिखने पढ़ने की शिक्षा देना भी तब तक व्यर्थ ही है; जब तक उन्हें शिक्षा के लाभ न बता दिये जायें तथा उन्हें, प्राप्त किये गये अपने नवीन ज्ञान से अपनी जीवन-दशा को सुधारने का अवसर न दिया जाय।

इसी प्रकार यदि रोग तथा निरक्षरता के कारण कृषि कार्यकर्ता की मानसिक जड़ता बनी रहो, तो कृषि सम्बन्धी विकास-कार्य भी नहीं किया जा सकता।

परिणामतः यह आवश्यक है कि आर्थिक तथा सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से इन समस्याओं को एकसाथ हल करने के लिए विशेषज्ञ अनेक क्षेत्रों में समुचित कार्य करें, क्योंकि साक्षरता-कार्यक्रम की सफलता भ्रम कई कार्यों के

साथ जुड़ी हुई है, जैसे कृषि सुधार, सहकारी कार्यों का विकास तथा बहुत-से ग्रन्थ सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास-कार्य । इनके साथ कभी-कभी राजनीतिक कारण भी लगा दिये जाते हैं, जिसका कभी भी अर्थमूल्यन नहीं किया जा सकता ।

साक्षरता-प्रशिक्षण स्वतः एक उद्देश्य नहीं है बल्कि उद्देश्य का साधन मात्र है । अतः विकास की दिशा में इसे एक आवश्यक तत्त्व समझा जाना चाहिए । इसलिए इसकी व्यवस्था अभीष्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए तथा सुस्पष्ट व्याख्यात उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकता की भलीभाँति पूर्ति हो सके ।

प्रौढ शिक्षा का प्रतिलाभ

केवल साक्षरता के लिए साक्षरता की बात तो बहुत पीछे रह गयी, इस लिए साक्षरता कार्यक्रम को एक पृथक परियोजना के रूप में चलाना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि विस्तृत रूप में उपयुक्त योजना तथा दूरदर्शिता के अभाव के कारण असफलता अवश्यम्भावी है ।

जिस देश में सामाजिक ढाँचे तथा अपनी विकास-योजनाओं में रूपान्तरण करने का संकल्प नहीं है, वहाँ सामूहिक साक्षरता-कार्यक्रम को हाथ में लेना सर्वथा अनुपयुक्त होगा । इससे केवल नयी भाशाएँ उत्पन्न होंगी परन्तु उनकी पूर्ति के साधन नहीं होंगे । इस मामले में यह अच्छा होगा कि प्रयत्न कुछ सीमित तथा उन्हीं क्षेत्रों में किया जाय जहाँ विकास योजनाएँ पहले से ही चालू हैं अथवा चालू की जानेवाली हैं । सामान्यतया, साक्षरता कार्यक्रम को रागस्त सामुदायिक विकास-कार्यों (मौद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी, गृह निर्माण-सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी इत्यादि) में शामिल किया जाना चाहिए ।

साक्षरता प्रशिक्षण की यह चयन-पद्धति राजनीतिक दृष्टिकोण से प्राथमिक भले ही न हो, क्योंकि यह चमत्कारिक नहीं है, परन्तु यह वास्तविक रचनात्मक अवश्य है और इसके परिणाम भी अधिक प्रभावशाली तथा चिरस्थायी हैं ।

यह सुस्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में धन लगाने से प्रतिलाभ विलम्ब से मिलता है जबकि प्रौढों के लिए क्रियात्मक शिक्षा में धन लगाने से शीघ्रतर लाभ की प्राप्ति होती है । इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति इस कार्य के अन्तर्गत आते हैं वे बड़ी आयु के होते हैं, इसलिए मानव शक्ति की विशेषता जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है ।

साक्षरता-कार्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, तथा वातावरण को परिवर्तित करने में सहायक भूत हो सकता है ।

इससे शिक्षा का द्वार खुल जाता है तथा साक्षर प्रौढ इस प्रकार अधिक जानकारी नागरिक और उत्पादक हो सकते हैं ।

पाठ्य सामग्री का चुनाव

इसलिए पाठ्य सामग्री का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है । केवल विषय-वस्तु ही नवीन शिक्षितों के साधारण क्रियाकलापों से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए, बल्कि, इसकी शैली भी सरल तथा आकर्षक होनी चाहिए, ताकि पढ़ने की रुचि को बढ़ावा मिल सके ।

एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था कि साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढों को 'पढ़ने के लिए सीखने' से प्रारम्भ करना चाहिए और 'सीखने के लिए पढ़ने' पर समाप्ति करनी चाहिए । इसी समय प्रौढ व्यक्ति अपनी पठन सामग्री का चुनाव या तो ज्ञान-वृद्धि के लिए या मनोविनोद के लिए करता है ।

परन्तु केवल कोई पुस्तक या समाचारपत्र ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता, जिसने अभी पढ़ना ही सीखा है । उसके प्राथमिक ज्ञान तथा पढ़ने के लिए समुपलब्ध पुस्तकों या समाचारों के बीच एक अंतराल रहता है । इस अंतराल को ऐसे साहित्य से भरना चाहिए जो विशेष रूप से उसके स्तर के अनुकूल हो, ताकि वह अधिक उन्नत पाठ्य पुस्तकों की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो सके ।

किसी भी प्रौढ शिक्षा-कार्यक्रम का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है, और नवीन शिक्षित व्यक्ति का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार की पठन सामग्री समुपलब्ध करायी जाती है ।

यह बात सर्वविदित है कि साक्षर बनाने की समस्या बड़ी जटिल है । यह राष्ट्र से सम्बन्धित मामला है तथा देश को इस बात से परिचित होना ही चाहिए । तकनीकी तथा संगठन सम्बन्धी कुछ ऐसे विवरण होते हैं जिनकी जानकारी सामान्यतः जनता को नहीं होती और जिनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है । साक्षरता प्रशिक्षण के प्रयोजन, इसके द्वारा अधिकारी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा करते हैं उनकी तथा उनमें निहित सामान्य तथा विशिष्ट समस्याओं के बारे में जनता को जानकारी दी जानी चाहिए ।

'प्रमिदान चलाने' की तैयारी करते समय ऐसे इस्तहार निकालने का रिवाज सा चल गया है जिनमें अत्योक्तिपरक निदर्शन चित्रों के साथ-साथ नारे भी लिखे हुए होते हैं । परन्तु धूँकि इन इस्तहारों में वे अपठित व्यक्ति ही सम्बोधित किये जाते हैं जो इन्हें न पढ़ सकते हैं और न समझ ही सकते हैं, इसलिए इस्तहार निकालना बिल्कुल व्यर्थ है । तथापि, जनता का एक ऐसा भी भाग

है, जिसकी अधिकतर जानकारी मिलनी ही चाहिए। जनता के इस समुदाय में उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत के आदमी, नियोजता, निवेशक तथा वे सब व्यक्ति होते हैं, जिनका अपने देश में साथ सीधा सम्बन्ध होता है। घट. प्रेस तथा जनता को जानकारों देने के अन्य साधन अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं।

जिन देशों में एक से अधिक साधारण बोलचाल की भाषाएँ हैं वहाँ पर सरकार का यह कर्तव्य है कि साक्षरता प्रशिक्षण में काम में साथी जानेवाली भाषा का चयन करे। जब तक साक्षरता के लिए जितनी भी सभाएँ या सम्मेलन हुए हैं, उनमें एकमत से इस बात की सिफारिश की गयी है, कि साक्षरता-कार्यक्रम के प्रथम चरण में परस्पर व्यवहार, भ्रमबोध तथा भाषासी सम्बन्ध के लिए देशी भाषा का ही प्रयोग किया जाय।

प्रीटो को साक्षर बनाने के लिए एक विस्तृत अध्यापक निकाय की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ही, जो कार्यक्षम तथा सेवानिवृत्त हों, सुपठित अव्यावसायिक हों। विशिष्ट क्षेत्रों में (कृषि, हस्त-शिल्प इत्यादि) तकनीकी विशेषज्ञ, वर्ग-नेता तथा वाद विवाद निर्देशक, तथा दृश्य श्रव्य उपकरण आदि के संचालक भी इस निकाय में शामिल हैं, और ये सब पूर्ण-कालिक अथवा अर्धकालिक हों, वैतनिक हों या स्वयंसेवी हों।

बालको को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक अनुभवहीन अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि नये काम के लिए अपने भाषको उपयुक्त बनाने की दिशा में उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समस्त समाज का अनुशीलन किया जाना चाहिए ताकि प्रीटो के सम्मुख आनेवाली समस्याओं को समझा जा सके। साक्षरता की कक्षाओं को इस प्रकार चलाना चाहिए कि पढ़नेवालों को अपनी समस्याएँ जानने का अवसर मिले, तथा वे उनका समाधान कर सकें।

प्रीटो शिक्षा की चर्चा करते समय 'शिक्षा' शब्द को, मानव के पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए, बहुत व्यापक अर्थ दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं "साक्षरता विकास के साथ जुड़ी हुई है" यथाकि यदि इसे कारगर होना है और रचनात्मक परिणाम दिखाने हैं तो, इसकी कल्पना इसी अर्थ में करनी पड़ेगी। परन्तु यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि 'विकास' समाजिक भी है, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक भी।

प्रीटो शिक्षा के प्रसंग में साक्षरता की मानव उन्नति की श्रेष्ठ गतिमत्ता में एकीकरण का साधन बनाया जाना चाहिए। ['यूनेस्को कूरिअर' से उद्धृत]

आचार्यकुल गतिविधि

सहर्षा जिला आचार्यकुल शिविर तथा सम्मेलन, मधेपुरा

गत जनवरी माह में सारे जिले में आचार्यकुल का गठन हो जाने के बाद यह तय किया गया था कि सभी प्रखण्डस्तरीय आचार्यकुल समितियों के अध्यक्षों, मंत्रियों और सयोजकों का तीन दिन का एक शिविर और सम्मेलन किया जाय, जिसमें जिला इकाई के गठन के साथ-साथ आगे के कार्यक्रम पर भी विचार किया जाय। इस उद्देश्य से गत १७, १८ और १९ अप्रैल, १९७१ को मधेपुरा में यह शिविर किया गया।

शिविर-संचालन के लिए स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर श्री रतनचंद्रजी की अध्यक्षता में २० आचार्यों की एक स्वागत-समिति का गठन किया गया है और यह तय हुआ कि यह शिविर स्थानीय नगर स्वराज्य-समिति के सत्वावधान में हो। समिति की ओर से उसके सयोजक डा० श्री महावीरजी भगत ने सयोजन का जिम्मा लिया। स्थानीय धर प्रमदल शिक्षा-पदाधिकारी श्री वासुदेव प्रसाद सिंह ने भी स्वागत समिति को सहयोग देने का दायित्व लिया।

शिविर स्थानीय बहुदेशीय उच्च विद्यालय-भवन में १७ अप्रैल की दोपहर को आरम्भ हुआ। कुल मिलाकर पाँच सत्रों में शिविर का कार्य बाँटा गया और प्रत्येक सत्र की अध्यक्षता क्रमशः सुश्री गार्गी सिंहजी, प्राचार्या, महिला प्रशिक्षण विद्यालय, मधेपुरा, श्री लाला सुरेन्द्र प्रसादजी, आचार्य बहुदेशीय उच्च विद्यालय, मधेपुरा, श्रीमती कौशल्या सिन्हा सहायक जिला शिक्षा-निरीक्षिका, मधेपुरा और श्री भोलाप्रसाद सिंहजी, एम० एल० ए० ने की। शिविर में तीन मुख्य विषयों पर मुख्य वक्ताओं ने व्याख्यान दिये और उन पर चर्चाएँ की गयीं। दूसरे तथा चौथे सत्र में सर्व सेवा सघ के श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने क्रमशः सामाजिक कान्ति, आचार्यकुल का दृष्टिकोण और छात्र-सहयोग, युवकों का शैक्षणिक निर्देशन, समस्या तथा समाधान, इन विषयों पर और तृतीय सत्र में मधेपुरा के लक्ष्मप्रतिष्ठित विद्वान् श्री ललितेश्वरजी महलिक ने हमारी समस्याएँ और शिक्षा, समाधान और दिशाएँ, इन विषयों पर अपने-अपने व्याख्यान दिये।

शिविर का समापन प्रसिद्ध सर्वोदय कार्यकर्ता, केन्द्रीय आचार्यकुल

समिति के सदस्य और श्री विनोबाजी के निजी सचिव श्री कृष्णराजजी मेहता ने किया। समारम्भ सत्र में अपना समारम्भ-भाषण देते हुए श्री मेहताने कहा कि समाज को बनाने में प्राचार्यों की महती जिम्मेदारी है। प्राचार्यों को अपनी यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके लिए निरन्तर अध्ययनशीलता आवश्यक है। आजादी के पूर्व हमारे यहाँ लोगो में अध्ययन के प्रति काफी रुचि थी। किन्तु कुछ ऐसा दीखता है कि यह रुचि अनेक कारणों से कम होती जा रही है। किन्तु ज्ञान में यदि प्राचार्यों की घासघा नहीं होगी तो फिर हम कोई शान्ति नहीं कर सकते। दादराचाय इतनी बड़ी शान्ति केवल ज्ञान के आधार पर ही कर सके थे और आज विनोबा भी ज्ञान के बल पर इतना बड़ा काम देश भर में कर पाय हैं। गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से जो बात कही थी हमने तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किन्तु चीन ने 'हाफ हाफ स्कूल' चलाकर उसे अपने ढंग से लागू किया है। हम बिना शिक्षा में परिवर्तन किये समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। प्राचार्यकुल के माध्यम से ज्ञान व कर्म का समन्वय होगा तो फिर प्राचार्यों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

सत्र के आरम्भ में स्वागत समिति के अध्यक्ष की बीमारी के कारण उनकी ओर से श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए जिले में प्राचार्यकुल की प्रगति पर प्रकाश डाला और शिविर के सामने उसका उद्देश्य रखते हुए कहा कि शिविर को शिक्षा तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और किकर्तव्यविमूढता की स्थितियों का विश्लेषण करके समाज को कोई राह बतानी होगी। यह ऐसे शिविरों और सम्मेलनों का ही काम है कि वे छात्रों, शिक्षकों और अन्य बुद्धिजीवियों में व्याप्त कुठार और निराशा को समाप्त करें तथा उन्हें भविष्य के प्रति आस्थावान् बनायें।

द्वितीय सत्र में श्री बहुगुणा ने सामाजिक शान्ति पर प्राचार्यकुल के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कहा कि 'शान्ति' शब्द का भावकल हम बिना उसका सही अर्थ जाने ही उपयोग करते हैं। ऐसा भ्रष्ट शब्दों के साथ हो जाता है और इससे शब्द अपना अर्थ तथा प्रतिभा खो देते हैं। शान्ति, समाजवाद आदि शब्दों का आज यही हाल है। प्राचार्यकुल को इससे सावधान रहना होगा। शान्ति हमेशा मनुष्य को उसके पहले के स्तर से ऊँचा उठाती है, सभी को शान्ति, शान्ति कही जा सकती है। इस कसौटी पर केवल गांधीजी के द्वारा सम्पन्न शान्ति ही शान्ति कही जा सकती है।

बहुसंख्य भाग लेते हुए त्रिवेणीगज के श्री शोभाकान्त भट्ट ने कहा कि शान्ति के लिए कभी-कभी हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। प्राचार्यकुल यदि

हमें यह आत्मविश्वास दिला सके कि हम बिना हिंसा के भी क्रान्ति कर सकते हैं तो यह आचार्यकुल की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। श्री विद्यानन्द शर्मा ने कहा कि जब तक समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त है तब तक कोई मूल्यात्मक क्रान्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने लेनिन के एक कथन का हवाला देते हुए कहा था कि यदि तुम अपने दुश्मन की जीतना चाहते हो तो उससे घृणा करना सीखो। श्री लाला सुरेन्द्र प्रसादजी ने कहा कि यह व्यर्थ का सिद्धान्त है और परिवर्तन के लिए केवल आर्थिक समानता ही काफी नहीं है। आज अमेरिका तथा रूस सहित सारे यूरोप में आर्थिक दृष्टि से काफी समानता आ गयी है, किन्तु क्या वहाँ सर्वत्र क्रान्ति हो गयी? वहाँ तो आज सबसे अधिक उद्विग्नता है। वहाँ से जो भ्रम फैले हैं हम तो उनसे ही ग्रस्त हैं। श्री परमेश्वरी प्रसाद मंडल ने कहा कि अब भारत में डमरूवादी राजनीति का युग बीत गया है और जनसेवावादी राजनीति का युग आया है। आचार्यकुल का यह काम है कि वह हमें डमरूवादी राजनीति से मुक्त करे। यह काम केवल आचार्यकुल ही कर सकता है। सुखासन प्रशिक्षण विद्यालय के प्राध्यापक श्री सच्चिदानन्द सिंह ने कहा कि कोई भी क्रान्ति किसी देश की परम्परा के ही अनुरूप हो सकती है। क्रान्ति के लिए आर्थिक समानता से भी अधिक धारम सुधार की बड़ी आवश्यकता है। चर्चा में श्री लक्ष्मी भाई ने कहा कि आचार्यकुल का काम तेजी से फैलेगा तो ही देश में भ्रमली क्रान्ति हो सकेगी।

तृतीय सत्र में श्री ललितेश्वरजी मल्लिक ने अपना विषय प्रवेश करते हुए कहा कि सर्वोदय हमारे युग की सबसे बड़ी चुनौती है। हम इसका क्या जवाब देते हैं, इसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है और यह केवल उन्हींके द्वारा सम्भव होगा जो आचारवान और ज्ञानी होंगे। श्री मल्लिक ने कहा कि मैं नहीं मानता कि सर्वोदय का सर्वसम्मति का आदर्श व्यावहारिक है, किन्तु इसका कोई विकल्प भी हमारे पास नहीं है।

बहस में भाग लेते हुए श्री लाला सुरेन्द्र प्रसादजी ने कहा कि शिक्षा में आज एक तरह का हास आ गया है और जब तक यह दूर नहीं होगा तब तक इसके माध्यम से कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसमें शिक्षकों का बहुत योगदान है। वे आज केवल वेतन पर जीनेवाले मजदूर बन गये हैं और छात्र तथा समाज दोनों का विश्वास खो बैठे हैं। उन्हें छात्रों और समाज का विश्वास प्राप्त करना होगा। छात्रों में वीर-पूजा का भाव रहता है किन्तु आज उनके सामने कोई वीर ही नहीं है जिसकी वे पूजा करें। पहले कुछ ये

वीर होते थे और छात्र उनसे प्रेरणा लेते थे। सुधी गार्गी सिंहजी ने कहा कि शिक्षकों में मातृ भाव होना चाहिए। छात्रों को अपने बालक के समान देखें और अनुभव किये बिना शिक्षक उनका प्रेम और आदर प्राप्त नहीं कर सकते। आज हम शिक्षक इस दृष्टि से एकदम ही गैरजिम्मेदार हो गये हैं और शिक्षा का सारा काम केवल पैसे के लिए हो रहा है। श्रीमती कौशल्या सिन्हा ने कहा कि शिक्षा को समाज से जोड़ देना होगा तभी वह समाज की सेवा कर सकती है और उसे नेतृत्व दे सकती है। श्री घोभाकांत झा ने कहा कि हमें धार्मिक भ्रष्ट-मानता के साथ साथ अब उन सब नेताओं से भी मुक्ति प्राप्त करनी होगी जो चायदे तो बहुत करते हैं, किन्तु आचरण नहीं कर सकते। श्री परमेश्वरी प्रसाद मडल ने कहा कि शिक्षा में परिवर्तन लाना ही तो शिक्षक के जीवन में परिवर्तन पहले आना चाहिए। श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने कहा कि शिक्षक और छात्र के बीच अब नये सम्बन्धों का निर्माण होना चाहिए लोकतांत्रिक समाज में अब वे सम्बन्ध पिता-पुत्र के बजाय सखा सखा के होने चाहिए। पितृवादी मूल्यों पर से हम किसी लोकतांत्रिक समाज की रचना नहीं कर सकते। श्री फूलबीष नारायण सिंहजी ने कहा कि कितनी भी समाज की बुनियाद शिक्षक ही होता है। आज भी वही है। हमारी एकमात्र समस्या गरीबी की है। वह हल हो जाय तो शिक्षक अपना स्वाभाविक सम्मान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुशील राय ने कहा कि शिक्षक का आचरण सदैव से परे होना चाहिए। श्री रूपनारायण यादव ने कहा कि शिक्षकों को अब समाज के निर्माण का प्रत्यक्ष काम हाथ में लेना होगा।

चतुर्थ सत्र में श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने छात्र असतोष, युवकों का शैक्षणिक निर्देशन और समस्या तथा समाधान पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमें इस युवा असतोष को उसके ऐतिहासिक परिवेश में देखना होगा। इसके अनेक कारणों में से इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज का आदमी शिक्षाजन्य व्यक्तित्व विभाजन से ग्रस्त है। शिक्षा ने धारम्भ से ही एक बड़ी भूल की है कि उसने मनुष्य की आकांक्षाओं को तो खूब बढ़ाया है, किन्तु वह उसकी क्षमताओं में कोई वृद्धि नहीं कर सकी है। इससे व्यक्ति का विश्वजन हमारा है। आज विज्ञान भी वही गलती कर रहा है और इससे यह अतः विभाजन और भी घनीभूत हो गया है। भारतीय युवकों में, खासकर इस असतोष का कारण आर्थिक विपन्नता और भविष्य के प्रति निराशा है। किन्तु वास्तव में यह आज की विश्वव्यापी स्थिति है। पश्चिम में हमारे यहाँ से भी अधिक असतोष और आक्रोश व्याप्त है। वहाँ एक जमाना था जब 'कम

काम और अधिक धाराम' का नारा जाति का नारा या और मजदूर वर्ग ही जाति करता था। किन्तु अब स्थिति बदल गयी है और अब वहाँ के लोग जाति कर रहे हैं जो धारामभोगी हैं। अमेरिका का हिप्पी आन्दोलन, ब्रिटेन का बिटल आन्दोलन और रूस का बीची आन्दोलन इसके उदाहरण हैं।

बहुस में भाग लेते हुए श्री भोली सिंहजी यादव ने कहा कि युवक विद्रोह के रूप में हमारे सामने जो चुनौती खड़ी है उसका एक बड़ा कारण हमारे शिक्षकों का गलत आचरण है। उनकी कयनी और करनी में कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। राजनीति में जो लोग हैं वे तो पहले ही समाज की निगाह से गिर चुके हैं। अब शिक्षक बच्चे से तो वे भी राजनीतियों की राह लग गये और अप्रतिष्ठित हो गये हैं। आचार्यकुल के द्वारा श्री विनोबाजी ने हमारे सामने जो यह एक योजना रखी है हम सबकी भलाई इसीमें है कि हम इसे ईमानदारी से उठा लें। केवल यही देश को इस चारित्रिक हास से बचावेगा और शिक्षक को प्रतिष्ठा दिलावेगा। श्री अजनन्दनजी मल्लिक ने कहा कि आचार्यकुल के रूप में हमें पहली बार वाणी मिली है। आज तक हम गूँगे थे। अतः अब यदि शिक्षक अपने ही छात्रों के क्रोध से बचना चाहता हो तो उसे निर्भय होकर शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन के लिए आगे आना होगा। शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन किये बिना हम इस युवा आक्रोश का कोई हल नहीं निवाल सकते हैं। श्री परमेश्वरी मडल ने कहा कि युवकों की शक्त का स्वागत किया जाना चाहिए, किन्तु उसे रचनात्मक दिशा मिलनी चाहिए। यह दिशा केवल वे जानें और आचार्यान शिक्षक ही दे सकते हैं जो छात्र के साथ रहते हैं। आज की राजनीति से शिक्षकों को बचना होगा क्योंकि यह राजनीति स्वयं तो भ्रष्ट है ही, इसने देश को भी भ्रष्ट कर दिया है। श्री दयाकान्त भद्र ने कहा कि युवकों में हमेशा थड़ा भाव रहता है, किन्तु उस थड़ा का कोई स्थल ही नहीं तो वह आक्रोश में परिणत हो जाती है। सुधी गार्गी सिंह ने कहा कि युवकों को हम कोई दोष नहीं दे सकते। वे तो बही करते हैं जो वे अपने बड़ों, या तो शिक्षकों या अभिभावकों या प्रशासकों या राजनेताओं को करते देखते हैं। यदि बड़ों का खुद का आचरण सुद्ध नहीं होता तो युवक तो भ्रमित होंगे ही।

सत्र के अंत में सम्मेलन की ओर से प्रतिम प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति में सर्वश्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा (विशेष आमन्त्रित के रूप में), लाला सुरेन्द्र प्रसाद, मुशील राय, शोभाकान्त झा, ठाकुर प्रसाद सिंह, सुधी गार्गी सिंह और श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह रहे। सुधी गार्गी सिंह को समिति का संयोजक बनाया गया। समिति

के सदस्यी एक विशेष बैठक में एक प्रतिवेदन तैयार किया जो पाँचवें सत्र में सदन के विचारार्थ रखा गया और फिर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

पंचम सत्र में प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के प्रस्ताव त्रिला हार्द का भी गठन हुआ। नीचे लिखे सज्जनों की जिला समिति बनायी गयी है :

- १—श्री लाला गुरेन्द्र प्रसाद, सयोजक
- २—शुश्री गार्गी सिंह, सयोजक (महिला शाखा)
- ३—श्री सोभापात भा, मंत्री
- ४—श्रीमती महिल्या सिन्हा, मंत्री (महिला शाखा)
- ५—श्री ब्रजनन्दन मल्लिक, सदस्य । अध्यक्ष, बसन्तपुर प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, पो० बीरपुर
- ६—श्री दयाकांत झा, सदस्य । मंत्री, राधोपुर प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, राधोपुर
- ७—श्री बंछनाथ प्रसाद सिंह, सदस्य । अध्यक्ष, भालमनगर प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, भालमनगर
- ८—श्री मिश्रीलाल साह, सदस्य । मंत्री, त्रिवेणीगज प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, त्रिवेणीगज
- ९—श्री भुवनेश्वरी प्रसाद मठल, सदस्य । भाचार्य, रायबिहारी उच्च विद्यालय, मधेपुरा
- १०—श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, सदस्य । अध्यक्ष, सुपौल प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, सुपौल
- ११—नन्दकिशोर लाल नन्दन, सदस्य । राष्ट्रपति-पुरस्कारप्राप्त शिक्षक, मधेपुरा
- १२—श्री ल्वनारायण यादव, सदस्य । मंत्री, कुमारखण्ड प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, कुमारखण्ड
- १३—श्री सियाराम यादव, सदस्य । सयोजक, सहर्षा प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, सहर्षा
- १४—श्री नरतिहा प्रसाद यादव, सहमंत्री । सयोजक, मधेपुरा प्रखण्ड भाचार्यकुल समिति, मधेपुरा

समिति को यह भी अधिकार दिया गया कि वह प्राये जिला समिति में और भी सदस्यों को सामिल कर लें।

प्रखंड आचार्यकुलों के पायलेट प्रोजेक्ट्स

शिविर में चर्चाओं के बाद लोगो ने अनुभव किया कि आचार्यकुल को कोई प्रत्यक्ष कार्य हाथ में लेना चाहिए। श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा ने मार्च में सभी आचार्यकुलों के नाम एक अग्रीस भेजी थी कि वे गर्मी की छुट्टी का एक माह, जून का समय ग्रामस्वराज्य के काम के लिए दें। इस पर चर्चा हुई और सात प्रखंडों ने अपने अपने क्षेत्र में एक-एक 'पायलेट प्रोजेक्ट' लेने का निर्णय लिया। प्रत्येक प्रखंड में आचार्यकुल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस एक माह में अपने द्वारा चुने गये गाँवों या पंचायतों में ग्रामसभा बनाने, बीघा कट्ठा वितरण कराने, ग्रामकोष की स्थापना करने और ग्राम-घातिमेना का गठन करने का प्रयास करेंगे। इस एक माह के अनुभवों के प्रकाश में फिर आगे के काम के बारे में सोचा जायेगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि हर 'प्रोजेक्ट' का संचालन आचार्यकुल के कोई वरिष्ठ सदस्य करें और अपने साथ कम से कम पाँच स्थानीय हाईस्कूल तक के छात्रों को भी काम में लगायें। यदि यह सच सका तो इससे आगे की सभावनाएँ स्पष्ट हो जायेंगी। नीचे लिखे प्रखंडों में 'पायलेट प्रोजेक्ट्स' आरंभ करने का तय हुआ —

१—बसतपुर प्रखंड निर्देशक—श्री ब्रजनन्दन मल्लिक, कार्यक्षेत्र—बसतपुर गाँव, २—भालमनगर प्रखंड निर्देशक, श्री बंछनाथ प्रसाद सिंह, कार्यक्षेत्र—भौराय गाँव, ३—त्रिवेणीगज प्रखंड निर्देशक—श्री मिश्रीलाल साह और श्री शोभाकान्त झा, कार्यक्षेत्र—बरजोड़ा पंचायत, ४—राधोपुर प्रखंड निर्देशक—श्री दयाकांत झा, कार्यक्षेत्र—पिगलास पंचायत ५—मधेपुरा प्रखंड निर्देशक—श्री नरसिंह प्रसाद यादव और श्री सुशील राय कार्यक्षेत्र—पतराहा पंचायत, ६—मुषील प्रखंड निर्देशक—श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, कार्यक्षेत्र—बडगाँव, ७—कुमार खंड निर्देशक—श्री रूपनारायण यादव और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमारखंड, कार्यक्षेत्र—रहटा पंचायत।

सम्मेलन के अंत में प्रतिम सत्र के अध्यक्ष श्री भोली प्रसाद सिंहजी यादव ने अपने समापन भाषण में कहा कि मैं इस शिविर से बहुत कुछ सीखकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं आता तो सचमुच एक बड़ी बात से वंचित रह जाता। मुझे आज तक यह पता नहीं था कि देश में इतना बड़ा एक वैचारिक काम हो रहा है। यह सचमुच खेद की बात है कि हम लोग जो राजनीति के अक्षर में पढे हैं देश की बड़ी-से-बड़ी बुनियादी बातों से एकदम अनभिज्ञ रह जाते हैं। इस राजनीति ने हमें और कोई चीज देखने-समझने में एकदम असमर्थ ही बना दिया है। श्री विनोबाजी ने यह देश के सामने एक बहुत बड़ी चीज रखी

है और अब यह देश वा काम है कि वह उनकी इस रास्ताह पर ध्यान दे और उस पर चले। तभी इस देश का उद्धार होगा। शिविर के अंत में श्री बहुगुणा ने सभी प्रतिनिधियों का और खासकर ऐसे स्थानीय सज्जनों का आभार प्रकट किया जिनके सहयोग से शिविर सफल हो सका।

शिविर व्यवस्था •

शिविर की यह उत्साहप्रद बात रही कि उसकी सारी व्यवस्था स्थानीय लोगों ने ही उठा ली। श्री लाला सुरेन्द्रप्रसादजी, जो स्थानीय बहुद्देशीय उच्च विद्यालय के प्राचार्य हैं और जिनके भवन में ही शिविर हुआ, के प्रयासों के ही कारण यह संभव हो सका कि शिविर के प्रतिनिधियों का तीन दिन का पूरा भोजन स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों में करा दिया। नगर के श्री गौरी-शकरजी बाहेती, श्री मनेजर कचन स्टोसं, श्री डा० विभूतिचन्द्रजी और स्थानीय विद्यालयों के दो शिक्षक बहुगुणा ने धूलग-धूलग दिन शिविर के लोगों को भोजन दे दिया। श्री भोलीप्रसाद सिंह यादव, एम०एल०ए० और श्री बाहेती ने तो समय-समय पर शिविर कार्य के लिए अपनी अपनी गाड़ियों की सुविधा भी कर दी।

शिविर के ही समय में सयोग से शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल हो जाने और मौसम खराब हो जाने से यद्यपि लोग अधिक नहीं घाये, किन्तु कुल मिलाकर शिविर को हम सफल कह सकते हैं। इससे खासकर मधेपुरा नगर भर में प्राचार्यकुल की विचार-चर्चा होती रही, शिक्षकों को विचार स्पष्ट हुआ, वे अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ सक्रिय हुए और भागे के लिए एक सकल्प लेकर गये। यह सब शिविर की उपलब्धि कही जा सकती है। ग्राम-स्वराज्य आन्दोलन से प्राचार्यकुल का सम्बन्ध जुड़े यह हमारी आज की आवश्यकता है। इस शिविर से इस ओर हमारे कदम बढ़े हैं।

शिविर की उपस्थिति

- १—श्री कृष्णराज मेहता, विनोबा माधम सहर्षा
- २—श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा, सर्व सेवा सघ, राजघाट, वाराणसी
- ३—श्री वासुदेव प्रसाद सिंह, अवर प्रमडल शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा
- ४—श्री लक्ष्मी प्रसाद भोले, बबई
- ५—श्री लाला सुरेन्द्र प्रसाद, प्राचार्य, बहुद्देशीय उच्च विद्यालय, मधेपुरा
- ६—सुभी गार्गी सिंह, प्राचार्या, महिला प्रशिक्षण विद्यालय, मधेपुरा
- ७—श्रीमती कौसल्या सिन्हा, सहायक जिला शिक्षा निरीक्षिका, मधेपुरा
- ८—श्रीमती सुमित्रादेवी, मधेपुरा

- ९—श्रीमती शैल सिन्हा, प्राचार्या, कन्या उच्च विद्यालय, मधेपुरा
- १०—श्रीमती मनोरमा देवी, समोजिका (महिला दास्ता), प्रखण्ड प्राचार्य-
कुल समिति, सोरबाजार
- ११—श्री सुशील राय, अनुदेशक, महिला प्रशिक्षण विद्यालय, मधेपुरा
- १२—श्री सच्चिदानन्द सिंह, प्राध्यापक, प्रशिक्षण विद्यालय, सुखासन
- १३—श्री कमलेश्वरी प्रसाद मडल, प्र० अ०, दम्प्यास विद्यालय, मधेपुरा
- १४—श्री नन्द किशोर लाल मदन, शिक्षक, मधेपुरा
- १५—श्री नरसिंह प्रसाद यादव, सयोजक, मधेपुरा प्रखण्ड प्राचार्यकुल, मधेपुरा
- १६—श्री रूपनारायण यादव, मंत्री, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, कुमारखंड
- १७—श्री प्रखण्ड शिक्षा-प्रसार अधिकारी, कुमारखंड
- १८—श्री मिथीलाल दाह, मंत्री, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, त्रिवेणीगज
- १९—श्री शोभाकांत झा, स० शि० हाईस्कूल त्रिवेणीगज
- २०—श्री दयाकांत झा, मंत्री, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, राधोपुर
- २१—श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, भालमनगर
- २२—श्री ठाकुर प्रसाद सिंह अध्यक्ष, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, सुपौल
- २३—श्री ब्रजनन्दन मल्लिक, अध्यक्ष, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, बसतपुर
- २४—श्री भुवनेश्वरी प्रसाद मडल, प्राचार्य, रासबिहारी उच्च विद्यालय, मधेपुरा
- २५—श्री विद्यानन्द शर्मा, प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी, मधेपुरा
- २६—श्री ब्रजेन्द्र नारायण यादव, प्रखण्ड शिक्षा अधिकारी, मधेपुरा
- २७—श्री लक्ष्मी भाई, मधेपुरा
- २८—श्री डा० महावीर भगत, मधेपुरा
- २९—श्री ललितेश्वर मल्लिक, मधेपुरा
- ३०—श्री परमेश्वरी प्रसाद मडल, पुस्तकालयाध्यक्ष, मधेपुरा महाविद्यालय
- ३१—श्री भोली प्रसाद सिंह यादव, एम० एल० ए०, मधेपुरा
- ३२—श्री कुलदीप नारायण सिंह, स० शि०, रासबिहारी विद्यालय, मधेपुरा
- ३३—श्री जयदेव मराठत, मधेपुरा
- ३४—श्री सियाराम प्रसाद यादव, सयोजक, प्रखण्ड प्राचार्यकुल, सहर्षा
- ३५—श्री डा० विभूति चन्द्र, मधेपुरा
- ३६—श्री प्रमोद कुमार श्रेम, संपादक—'सहर्षा समाचार' विनोबा आश्रम, सहर्षा

इनके अलावा स्थानीय कन्या विद्यालय की छात्राओं ने भी भाग लिया ।०

शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो

(आचार्यकुल-सम्मेलन, मधेपुरा का प्रतिवेदन)

१. शिक्षा का उद्देश्य वैयक्तिक और सामाजिक मुक्ति ही हो सकता है। शिक्षा को प्रग्ने इस पुराने दोष का, कि वह मनुष्य की आकांक्षा बढ़ाने का काम तो करती रही है, किन्तु वह मनुष्य की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं कर सकी है, परिमार्जन करना होगा। क्षमता और आकांक्षा में यदि समन्वय नहीं होता है तो संप्रियत व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता है जो कि एव स्वस्थ, विवेकवान् और न्यायनिष्ठ समाज की रचना के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा उच्च सामाजिक तकनीकी की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम में मनुष्य अपने पशुत्व पर काबू पा सके और मनुष्यत्व की और निरन्तर प्रगति कर सके।

२. ऐसे संप्रियत व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयासों और पद्धतियों की आवश्यकता है जो मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर प्रयत्न होने में मदद कर सके। अभी तक का समाज जिस तरह से काम कर रहा है उससे वह व्यक्तित्व के इस विभाजन को रोकने में एकदम असफल है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मूल्यों का हास हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या है। मूल्य तो हमारे ध्याय, स्वातंत्र्य और समता के हैं किन्तु सामाजिक जीवन की संरचना में इनका कोई स्थान नहीं बन पाया है। समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विषमता व्याप्त है। अनुकरणीय आदर्शों उदाहरणों और व्यक्तियों को निरन्तर कभी अनुभव की जा रही है। जो लोग समाज का नेतृत्व करने का दम भरते हैं उनके आचरण के कारण वे अब आस्था के पात्र नहीं रह गये हैं। सत्कार प्रदान करने की पद्धति, साधन और संगठन अर्थात् शिक्षा का जीवन से कोई विधायक सम्बन्ध नहीं रह गया है, अभिभावकों या अध्यापकों या प्रशासकों और युवकों की नयी पीढ़ी में परस्पर द्वन्द्व की स्थिति खड़ी हो गयी है और इस सबका नतीजा यह हुआ है कि आज हम सब अनास्था के शिकार हो गये हैं। किन्तु जीवन का सम्बल केवल आस्था ही हो सकती है। इसलिए ऐसे संगठित प्रयासों की आवश्यकता है जो सटस्थ, असम्बद्ध रहकर विवेकपूर्ण दिशा प्रदान कर सकें। शिक्षक-समुदाय का निश्चय ही इसमें सर्वाधिक महत्त्व है। सम्मेलन की राय में शिक्षकों को आचार्यत्व प्रदान करने, समाज में उन्हें उच्चतम प्रतिष्ठा दिलाने और सबसे अधिक उनमें आगदर्शक का आत्म विश्वास पैदा करने की दृष्टि से आचार्यकुल सर्वोत्तम साधन

बन सकता है। सम्मेलन अपना यह संकल्प जाहिर करता है कि विनोबाजी के द्वारा प्राचार्यों का जो प्रावाहन किया गया है, सम्मेलन के सदस्य उनके इस विचार को समाज में और खासकर शिक्षक और छात्र-समुदाय में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते रहेंगे।

३. सम्मेलन की राय में सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में हमें नीचे लिखे कार्यक्रम पर तुरन्त प्रारम्भ करना चाहिए —

(क) शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए, उसे जीवन से समुक्त कर देना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि शिक्षकों और शिक्षालयों का आर्थिक दायित्व सरकार की जिम्मेदारी हो, किन्तु शिक्षा का निर्देशन प्राचार्यों का हो। हायर सेकेण्डरी स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था, नियंत्रण और निर्देशन शिक्षकों और अभिभावकों की समुक्त जिम्मेदारी रहे और उच्चतम शिक्षा के मामले में शिक्षक और अभिभावक के साथ ही छात्र को भी स्थान दिया जाय।

(ख) सम्मेलन यह भी अनुभव करता है कि सामाजिक और आर्थिक विषमता के जारी रहते हुए कोई विधायक (Positive) सामाजिक परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसलिए विषमता समाप्त करने का दायित्व सरकार और समाज को तत्काल उठाना चाहिए। गाँवों से अन्याय, लोभण और परावलम्बन समाप्त करने की दिशा में ग्रामीण समुदायों का संगठन करना होगा, गाँवों के बुनियादी मामलों में सरकार सहित सभी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को एकदम खत्म या न्यूनतम करने का दायित्व ग्रामीण समुदायों को लेना होगा और सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर से प्रायः तथा व्यय के वर्तमान अंतर को कम करके अधिक-से अधिक १ : ५ के अनुपात में लेना होगा। प्राचार्यकुल इस दिशा में दो काम तुरन्त कर सकता है। गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य के कार्यक्रम को उठाकर ग्रामीण समुदायों का संगठन कर सकता है और अपने संगठनात्मक स्तर पर लोकशिक्षण की प्रक्रियाओं के माध्यम से समाज और सरकार में व्याप्त असमानता को खत्म करने के लिए देश का प्रावाहन कर सकता है।

(ग) सम्मेलन अनुभव करता है कि समाज में निरन्तर बढ़ती हिंसा और भ्रष्टाचार भारी चिन्ता की बात है। खासतौर पर देश का युवक समुदाय उस ओर तेजी से जो प्रभावित हो रहा है यह देश के लिए खतरे की घटी है। सम्मेलन की मान्यता है कि इस हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए हमारी सामाजिक रचना के साथ-साथ देश की शासन और राजनीतिक प्रणाली भी जिम्मेदार है। भारत जैसे प्राचीन और सम्बन्ध परम्परा तथा विविधतायुक्त देश में कोई भी

बाहर से आयातित (Imported) राजनीतिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती। सम्मेलन की यह निश्चित राय है कि सस्य पर आधारित वर्तमान राजनीतिक प्रणाली भारत जैसे देश के लिए अनुपयुक्त ही नहीं, घातक भी है। हम मानते हैं कि हमारी राजनीतिक प्रणाली को सस्य के बजाय गुण पर आधारित होना चाहिये, क्योंकि समाज की दिशा सस्य से नहीं, उसके गुणो याने उसके सदस्यो के चरित्र से निर्देशित होती है। आवश्यकता इस बात की भी है कि हम व्यक्तिगत मतभेदो की विरोध समझने की गलती न करें। परस्पर मतभेदो मे समानताओ पर निगाह रखने और उस पर आधारित क्रिया पद्धति का निर्माण सम्भव है। इस दिशा मे आचार्यकुल का प्रयास यह हो कि वह निष्पक्ष और तटस्थ होकर राजनीतिक प्रणालियो का विवेचन करे और नागरिको का समय पर उचित मार्गदर्शन करे। ऐसा करते वक्त वह ध्यान मे रखे कि वह युवकों के मनोभावो और क्रियाशक्ति को उचित रचनात्मक दिशा दे रहा है। स्कूलो और कालेजो मे छात्र सघो और छात्र ससदो की कार्य प्रणाली मे से आपसी टकराव की वर्तमान पद्धति के स्थान पर परस्पर मनाव और समन्वय की पद्धतियो का विकास करना तथा छात्रो को उसका प्रशिक्षण देना इस दिशा मे आचार्यकुल का अत्यन्त महत्त्व का कार्य होगा।

४—सम्मेलन ने शिक्षको और उनको समस्याओ के सदर्भो पर भी विचार किया और इस सदर्भ मे शिक्षक सघो का आचार्यकुल से सम्बन्धो का भी विचार हुआ। सम्मेलन की राय मे इन शिक्षक सघो का और आचार्यकुल का सम्बन्ध परस्पर-पूरक का है। आचार्यकुल शिक्षको का कोई अतिरिक्त संगठन नहीं है वरन् वह सो शिक्षा और समाज की समस्याओ पर तटस्थ, निर्भीक और विवेकपूर्ण विचार और निर्णय तथा प्रमल करने का ऐसा मध्य मान है जिसमे प्राथमिक शाला से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी शिक्षक समान सदस्य की भूमिका से विचार कर सकते हैं। सम्मेलन की मान्यता है कि समाज से खेणी-वाद समाप्त होगा चाहिए, किन्तु कम से कम शिक्षक समुदाय मे तो यह पहले मिटे। ऐस और पद के कारण प्रतिष्ठा और सुविधा का वर्तमान रिवाज शिक्षा जगत् से पहले मिटना चाहिए। आचार्यकुल इसके लिए हमे अवसर प्रदान करता है।

५—सम्मेलन मे यह विचार भी सामने आया कि आजकल शिक्षक आम और पर समाज के प्रति उदासीन हो गये हैं। इससे उनको उचित प्रतिष्ठा मिलने मे बाधा होनी है। उदासीनता का कारण जहाँ एक तरफ गलत सामाजिक और धार्मिक संरचना है वहीं दूसरी तरफ स्वयं शिक्षको मे आत्म विद्वान

की कमी है। उन्हे यह विश्वास ही नहीं होता कि वे चाहें तो समाज को एक बुनियादी दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसका एक और कारण यह भी है कि शिक्षा के वर्तमान ढाँचे और व्यवस्था के कारण शिक्षकों का प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन से बहुत कम सम्बन्ध रह गया है। किन्तु बिना बर्म के आत्म विश्वास नहीं बन सकता है। भ्रत यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्यालयों में हम जिन मूल्या की शिक्षा देते हैं समाज में उनकी स्थापना का प्रत्यक्ष कार्य प्रख्यापक हाथ में लें। वे अब समाज में 'दर्शक' की भूमिका छोड़कर हिस्सेदार की भूमिका भदा करें। इसमें समाज की भी महती जिम्मेदारी है और वह यह स्वीकार करे कि समाज की प्रगति और सुरक्षा के लिए शिक्षकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी प्रथम शत है। •

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजुमदार प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष १६

अंक १०

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम .

शिक्षा मे ज्ञान्ति	४३३ श्री राममूर्ति
वास्तुनिर्भरता के लिए शिक्षा	३ : ४३७ डा० ज्यूलियस के० न्येरेरे
पाठ्यक्रम मे नैतिक शिक्षा का स्वरूप	४४४ श्री प्रह्लादन्नारायण अग्रवाल
सृजनात्मक अध्यापन	४४७ श्री गुणबचरा लाल
गांधी सामाजिक विचार एवं बुनियादी शिक्षा	४५२ श्री दिनेश सिंह
साक्षरता क्या, किसके लिए ?	४५८ श्री फर्नाण्डो बल्डरामा
आचार्यकुल गतिविधि	४६७ —

मई, '७१

निवेदन

- 'नयी छाती' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी छाती' का वार्षिक खन्दा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक बनने ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीहृण्णवत्त भद्र, सर्व सेवा साध की धोर से प्रकाशित;

इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : मई, '७१

पहले से बाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्वीकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ५४६

रजि० सं० एल० १७२३

१०

सर्वोदय-साहित्य-सेट (१९७१—१९७२)

[मई १९७१ से चालू]

रु० ७) में १२०० पृष्ठ

१-आत्मकथा • १८६६-१९२० :	गांधीजी	१)
२-बापू-कथा : १९२०-१९४८ :	हरिभाऊजी	२)५०
३-तीसरी शक्ति . १९४८-१९६६ :	विनोबा	२)
४-गीता प्रवचन	विनोबा	२)
५-गीताबोध-मंगलप्रभात	गांधीजी	१)
६-मेरे सपनों का भारत	गांधीजी	१)५०
७-मंघ-प्रकाशन की एक पुस्तक		१)
		<hr/>
		११)


वर्ष : १९

प्रक : ११

जून, १९७१

जय जालिम

सर्वोदय सम्मेलन नासिक



श्री जय प्रकाश जी
 श्री सिद्धराज बड्डा
 श्री० रामचन्द्र गौरा



श्रीठा

हमारे सर्वोदय सम्मेलन और शिक्षा

हमारे सर्वोदय सम्मेलनो और सर्व सेवा सघ के अधिवेशनों से शिकायतें उनको भी है जो अधिवेशन की 'मुख्य धारा' में हैं और जिनके कार्य और कार्य-पद्धति की ही चर्चाएं इनमें होती हैं। वे भी सोचने लगे हैं कि "इन अधि-वेशनों और सम्मेलनों का रूप जितनी जल्दी बदल जाय उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो डर है कि जो कुछ अच्छाइयाँ इनमें बची हैं, वे भी समाप्त हो जायेंगी।"

यह अपेक्षा की जाती है कि 'इन सम्मेलनों और अधिवेशनों में आन्दोलन (ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य आन्दोलन) के हर पहलू पर अखिल भारतीय भूमिका में चर्चा होगी और चर्चा के बाद आन्दोलन की एक सर्व-सम्मत दिशा और कार्य-पद्धति स्थिर होगी और आन्दोलन की मुख्य रीति-नीति के सम्बन्ध में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट मार्ग दर्शन प्राप्त होगा।' परन्तु होता ऐसा नहीं है। जिन पहलुओं पर चर्चाएं होती हैं उनके अधूरी और उलझी हुई होने की बातें छोड़ भी दी जायें तो आन्दोलन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो बिलकुल अच्छे रह जाते हैं। 'शिक्षा' उनमें से एक है। यह सब जानते हैं कि अगर ग्राम स्वराज्य को पुष्ट और प्रभावी होना है तो उसके लिए 'नयी शिक्षा' चाहिए। जिन मूल्यों

वर्ष : १६

अंक : ११

से 'ग्राम-राज्य' का पोषण होगा उन मूल्यों की 'नसरी' (पौध-घर) तो गाँव के रकूल ही होंगे। ग्रामदान की प्राप्ति का एक आयाम (प्रदेश-दान के बाद) खतम हुआ और पुष्टि का दूसरा आयाम शुरू हुआ तो 'आचार्यकुल' का आन्दोलन प्रारम्भ कर शायद विनोबा इसी पक्ष पर जोर देना चाहते थे। बात साफ है कि शिक्षा को छोड़कर समग्र क्रान्ति की कल्पना सम्भव ही नहीं है। परन्तु 'शिक्षा' पर चर्चा न १९६९ के राजगीर सम्मेलन में हुई और न इस बार के नासिक सम्मेलन में और इस बीच में सर्वं सेवा संघ के जो अधिवेशन हुए हैं, उनमें भी नहीं हुई। हुआ है तो इस इतना कि गतवर्ष 'एक नयी तालीम समिति' बना दी गयी। (सर्वं सेवा संघ अक्टूबर १९७० के वर्षा अधिवेशन में वाजापता इस समिति की स्थापना हुई और तब से इसकी दो बैठकें हुई हैं।) लेकिन 'शिक्षा का प्रश्न क्या इतना अदना प्रश्न है, उसे एक समिति, भले ही वह सक्षम समिति हो, के ऊपर छोड़ दिया और हमारे खुले अधिवेशनों में जिनमें देश के समस्त कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं, उस पर चर्चा ही न हो। लेकिन हो यही रहा है।

एक दिन विनोबा ने कहा था और मैं मानता हूँ कि भावुकता में नहीं कहा था कि भूदान और नयी तालीम में कोई अन्तर नहीं है। नयी तालीम की परिभाषा ही उन्होंने की थी 'भूदान-यज्ञ-मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति', और उन दिनों सर्वोदय सम्मेलनों का काफी अधिक समय नयी तालीम पर चर्चा करने में बीतता था। दोनों का लक्ष्य एक ही है—ऐसा बराबर कहा गया और १९५९ में जब यह अनुभव किया गया कि देश के रचनात्मक कार्यक्रमों के प्रति एक समन्वयात्मक दृष्टि-कोण अपनाने की जरूरत है, तो मात्र नयी तालीम के प्रचार और प्रसार के लिए एक अलग संगठन की आवश्यकता नहीं रही और हिन्दुस्तानी तालीम संघ का सर्वं सेवा संघ की मुख्य धारा के साथ विलयन कर दिया गया और आर्यनायकमजी नयी तालीम का काम बन्द कर विनोबा के साथ भूदान माँगने के लिए पदयात्रा करने लगे। अगर 'अभिघ्नता' का यह एहसास न होता तो आर्यनायकमजी ऐसा व्यक्ति, जो यह कहता था कि 'एक वार बापू चाहे नयी तालीम का काम छोड़ दे—वह नहीं छोड़ेगा', नयी तालीम का काम छोड़कर गाँव-गाँव नहीं घूमता। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि

एक दिन शिक्षा का हमारे आन्दोलन से अभिन्न सम्बन्ध माना गया था और सम्मेलनों और अधिवेशनों में काफी सजीदगी के साथ उस पर चर्चा होती थी ।

परन्तु १९५६ के बाद से ही सर्व सेवा सघ के अधिवेशनों, सर्वोदय सम्मेलनों में 'शिक्षा' की चर्चा बन्द हो गयी और आज जब सर्व सेवा सघ ने अनुभव किया है कि ग्रामस्वराज्य की स्थापना में शिक्षा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी और उसके लिए पुन एक स्वायत्त संगठन बनाना चाहिए (जिसके फलस्वरूप नयी तालीम समिति की स्थापना हुई है) तब भी इन अधिवेशनों में शिक्षा पर चर्चा नहीं हो रही है । और यही चिन्ता की बात है । क्या वास्तव में हमारा आन्दोलन 'विचार-निरपेक्ष' रहेगा ।

इस बार सघ अधिवेशन के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जयप्रकाशजी ने कहा था कि 'आज जो शिक्षा चल रही है, उसी प्रकार की शिक्षा, उसी प्रकार के स्कूल से, तो काम चलता नहीं । समाज बदलना है, तो जो प्रचलित विद्यालय है उनको बदलना होगा । (उनका पाठ्यक्रम और उनकी कार्य-पद्धति बदलनी होगी ।) हम चाहते हैं, कि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और ग्रामसभा को लेकर शिक्षा में किस प्रकार की क्रान्ति हो इस पर विचार हो, उसके अनुसार काम शुरू हो । वर्तमान शिक्षा को बदलकर ऐसी शिक्षा देनी है कि शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित लोग कुछ उत्पादन का काम करें, समाज के ऐसे अंग बनें कि भविष्य के निर्माण में, ग्रामसभा के चलाने में कारगर हो ।' परन्तु जयप्रकाशजी के इस स्पष्ट आह्वान के बावजूद नासिक अधिवेशन और सम्मेलन में शिक्षा पर चर्चा नहीं हुई ।

मह ठीक है कि जब एक स्वायत्त नयी तालीम समिति बन गयी है तो ग्रामदानों गाँवों की शिक्षा की समस्या पर वह चिन्तन करे । एक आचार्यकुल भी काम कर रहा है तो वह शिक्षा के विषय पर सोचे । ये समितियाँ ही शिक्षा के विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए अधिक सक्षम हैं और जो ये तय करेंगी और जिस नीति का निर्धारण करेंगी—वह सब सेवा सघ को मान्य होगी । लेकिन सम्मेलनों में इतना मौका तो मिलना ही चाहिए कि इन समितियों की ओर से निर्धारित 'शिक्षा नीति' की बातें विस्तार के

साथ प्रतिनिधियों को बताया जा सकें और अधिवेशन या सम्मेलन में आये हुए सर्वसाधारण का कर्ता इन बातों पर चर्चा करें। ऐसा होगा तभी सर्व सेवा सध की शिक्षा-नीति के विषय में कार्य-कर्ताओं को स्पष्ट दिशा मिलेगी।

एक बात और कहनी है। नयी तालीम और आचार्यकुल तो 'स्पेशलिस्ट' सस्थाएँ हैं—यह मान लेना चाहिए कि वे जो भी नीति निर्धारित करेंगी वह व्यावहारिक होगी और 'घरती से निकट सम्पर्क' रखने के बाव ही विकसित हुई होगी। फिर भी साधारण कार्यकर्ता जबतक ग्रामदान-पुष्टि और ग्राम स्वराज्य की स्थापना के रोजमर्रा के अपने काम की पृष्ठभूमि में उस नीति की आलोचना कर उसे परख नहीं लेता तब तक उस नीति को व्यावहारिक नहीं मानना चाहिए। अधिवेशन और सम्मेलन ही के मंच हैं जिनपर 'स्पेशलिस्ट समितियों' की नीतियों पर मुहर लगनी चाहिए। इसलिए समितियों के सयोजक और मंत्री चाहते हैं अधिवेशनो और सम्मेलनो में उनके काम की चर्चा हो, साधारण कार्यकर्ता यह जानें कि उनकी समितियाँ क्या काम कर रही हैं और उनकी कार्य पद्धति और कार्य नीति पर मुहर लगे। आज तो स्थिति यह है कि हमारे हजारो-हजार कार्यकर्ता यह नहीं जानते कि आचार्यकुल क्या काम कर रहा है और न यह ही जानते हैं कि नयी तालीम समिति पुन. एक स्वायत्त समिति के रूप में काम करने लगी है।

—धंशोधर श्रीवास्तव

नये समाज की नयी शिक्षा की दिशा

धीरेन्द्र मजूमदार

स्कूलों में जो नया प्रयोग किया जा रहा है—विद्यार्थी समूह में बैठें, विषयों पर आपस में चर्चा करें और फिर शिक्षकों के साथ भी चर्चा करें, यह अच्छी चीज है। इसका अपना स्थान तथा महत्त्व भी है। लेकिन यह शिक्षा की समस्या का हल नहीं है। इसके सिर्फ इतना होगा कि अब तक शिक्षण-संस्थाओं में केवल स्मरण शक्ति की कसरत करायी जाती थी, अब बुद्धि को भी थोड़ी कसरत होगी। मुख्य प्रश्न यह है कि शिक्षित मनुष्यों का समाज में क्या रोल (भूमिका) होगा? आज उसका केवल एक ही रोल है और वह है व्यवस्था का। इसलिए शिक्षा मैनेजरीयल रोल (व्यवस्था की भूमिका) बढ़ा करने लायक बनायी गयी है और यह पद्धति सार्वजनिक माँग और आकांक्षा के अनुरूप है। इस क्षेत्र में काम की प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए शिक्षा पाने का ध्येय व्यवस्थापक वर्ग में दाखिल होना ही है। कृषि कालेज का स्नातक भी खेती करना नहीं चाहता। वह फार्म-मैनेजर बनना चाहता है। वहाँ भी शिक्षा का प्रकार उसी ढंग का बनाया गया है कि अगर वह फार्म-मैनेजर नहीं बन सके, तो अपने से खेती करके गुजारा न कर सके।

लोकतंत्र की शिक्षा से न्यूनतम माँग

आज जमाना लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में हर बालिग स्त्री पुरुष को वोट का अधिकार है। अगर इस अधिकार को न्याय देना है, तो हर बालिग स्त्री पुरुष को इतनी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वह चुनाव पोषणा पत्र पढ़ सके और उसे समझ सके। शिक्षा से लोकतंत्र की यह न्यूनतम माँग है। यही कारण है कि आज कम से-कम मेट्रिक तक सबको शिक्षा मिले, यह आवाज उठ रही है। जब सबको इतनी तालीम दी जायेगी और वह तालीम व्यवस्थापकीय काम के लिए होगी, तो फिर यह समस्या उत्कट रूप से समाज के सामने पेश होगी कि ये शिक्षित लोग करेंगे क्या? आखिर सब तो मैनेजर नहीं बन सकते। आज देश के अधिकारी कह रहे हैं कि वे पाँच लाख को काम देंगे। वे कितना भी काम दें, वह व्यवस्थापक किस्म का होगा और उसकी एक सीमा है। उसमें जनता का बहुत कम प्रतिशत ही दाखिल होगा। इसका मतलब यह है कि शिक्षित लोगों में निराशा भायेगी और देशभर में निराशा जनित उपद्रव होंगे। यह हो भी रहा है। इसलिए आपको शिक्षा के

इस पहलू पर गभीरता से सोचना पड़ेगा कि व्यवस्थापकीय कार्य में कितने लोग लगेगे ? जब तक आप इस प्रश्न पर निर्णय नहीं कर लेंगे, तब तक शिक्षापद्धति में सुधार की बात चाहे जितनी सोचें, उसकी कोई निष्पत्ति नहीं होगी ।

आपका प्रश्न है कि इसके लिए कौन मार्गदर्शन करेगा ' समझना चाहिए कि वही मार्गदर्शन करेगा, जिसने वास्कोडिगामा का मार्गदर्शन किया था । उसे दिशा मालूम थी, मार्ग स्वयं खोजना पड़ा था । उसी तरह समस्या आपके सामने है । मार्ग आपको ही यानी शिक्षाविदों को ही खोजना होगा ।

शिक्षक मार्गदर्शक बनें

जब शिक्षा और शिक्षक की बात करते हैं तो आज की दुनिया की गभीर समस्या पर भी विचार करने की जरूरत है । आज देश में नेतृत्व नहीं है, क्योंकि नेता नहीं हैं । पहले जो नेता थे, वे सब स्वराज्य के बाद प्रतिनिधि बन गये । प्रतिनिधि नेता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे जनमत का अनुसरण करना पड़ता है । उसकी भूमिका बही है । नेता का काय दूसरा है । उसे परिस्थिति के अनुसार जनमत का निर्माण करना पड़ता है । जनमत मूलतः रुद्धिग्रस्त होता है और काल निरंतर प्रवाहित है । इसलिए परिस्थिति और समस्याएँ नित्य परिवर्तनशील होती हैं । नेता का काम यह होता है कि वह जनमत को काल की गति के साथ कदम मिताने में मार्गदर्शन करे अर्थात् जनमत के आगे चले । विनोबाजी, जयप्रकाशबाबू या चंद सर्वोदय कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, जो विचार दे सकते हैं । इतने बड़े देश में इतने छोटे लोगों से नेतृत्व उपलब्ध नहीं हो सकता है । इसलिए विनोबाजी आचार्यकुल की आवश्यकता पर इतना जोर देते हैं । इसीलिए वे चाहते हैं कि शिक्षा और शिक्षक राजनीति से ऊपर हो, ताकि वे प्रतिनिधियों के अधीन न रहें । आप पूछ सकते हैं कि आज शिक्षक सरकारी तंत्र के नीचे दबे हुए हैं, फिर वे आचार्यकुल बनाकर जनमत स्वतन्त्र रूप से कैसे निर्माण कर सकते हैं ? शिक्षक को इस स्थिति के लिए निश्चय ही सघर्ष करना होगा । आचार्यों का समाज में जो स्थान होना चाहिए, उस स्थान पर अगर वे नहीं पहुँच सकेंगे, तो नेतृत्व के अभाव में दिशाभ्रष्ट होकर समाज का नाश ही जायेगा और वह हो रहा है ।

वस्तुतः आज के जमाने में दो ही प्रतिष्ठानों की आवश्यकता है, समाज और शिक्षक । क्योंकि यह युग समाजवाद का है । समाजवाद कुछ "हजियों की बस्त्रना का उद्घोष मात्र नहीं है, बल्कि यह इन्मान की प्रगति का एक स्टेज

(अवस्था) है । पुराने जमाने में यानी अधकार युग में जब चेतन समाज बहुत थोड़ा था, तो समाज का कार्य कुछ व्यक्ति करते थे । एक राजा, एक गुरु, एक पुरोहित समाज को चलाता था, शिक्षित करता था कल्याण काम के लिए प्रेरित करता था या सहायता करता था । ज्ञान विज्ञान की तरफ की के माय यानी चेतना के विकास के साथ समाज का दायरा बढ़ने पर कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से समाज की भावश्यकता को पूरा नहीं कर सकता था और न उसे चला सकता था । तब समाज में फक्शनल एजेन्सी' (कार्य का माध्यम) व्यक्ति के स्थान पर सस्थाएँ बनी । सब काम सस्थागत बन गये । आज व्यक्तिवाद से घाग बढ़कर इंसान सस्थावाद पर पहुँचा है । आज का समाज राज्य सस्था शिक्षण सस्था तथा सेवा सस्था के सहारे चल रहा है । लेकिन पान विज्ञान के प्रति प्रसार के कारण तथा लोकतंत्र और समाजवाद के उद्घोष के कारण जन मानस में सावजनिक चेतना का संचार हो रहा है ऐसी स्थिति में राज्यसहित सभी सस्थाएँ पूरे चेतन समाज तक पहुँचने के लिए छोटी पड़ रही हैं । अतएव, आज वे मनुष्य को सस्थावाद से भी घागे बढ़कर समाजवाद पर पहुँचना होगा । अर्थात् समाज कैसे अपने आप फक्शन (काम) करे, इसका मार्ग खोजना पड़ेगा । आज जब जड यंत्र भी आटोमेशन (स्वयं संचालन) की ओर तेजी से बढ़ रहा है तब चेतन समाज तंत्र आटोमेशन से पीछे कैसे रह सकता है ? विनोबाजी तंत्र मुक्ति तथा सर्वसम्मति के विचार पेश करके इंसान को इस महत्त्वपूर्ण भावश्यकता के प्रति सकेत कर रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में इंसान के लिए नेतृत्व ही एकमात्र सहारा रह जाता है । अगर समाज को फक्शन करना है, तो सामाजिक शक्ति एकमात्र सबसम्मति ही हो सकती है । समाज से बाहर या समाज के ऊपर व्यक्ति या सस्था मने ही दबशक्ति से संचालन कर लें, लेकिन जब समाज को अपने आप फक्शन करना होगा तब वह काम दबशक्ति से नहीं हो सकता । उसके लिए तो सम्मति शक्ति का ही विकास करना होगा । दबशक्ति का साधन शस्त्र है और साधक सैनिक । लेकिन सम्मति शक्ति का साधन शिक्षण है और साधक शिक्षक ।

अतएव शिक्षक-समाज यह कहकर चुप नहीं बैठ सकता कि वह राज्यतंत्र के नीचे दबा हुआ है । उसे सक्षम करके शिक्षा के लिए जुटिशियरी स्टेटस ("यायपालिका की प्रतिष्ठा) हासिल करना होगा । आज जब शिक्षक रुध भविल भारत पैमाने पर तनख्वाह बढ़ाने जैसी छोटी बात के लिए हड़ताल आदि सातिमय प्रतिवाद का संगठन कर रहा है तो उसके लिए क्या शिक्षा का

स्वतंत्र स्टेटस हासिल करने के लिए संघर्ष करना मुश्किल है? इतने बड़े सिद्धांत के लिए अत्यन्त छोटी बात का त्याग करना क्या असंभव है? आवश्यकता है स्थिति को परखने की, परखने के प्रयास की और परिस्थिति के अनुसार नेतृत्व करने की आवश्यकता के एहसास की।

बदलती परिस्थिति में शिक्षा पद्धति

शिक्षण के सदर्भ में एक और बड़ी परिस्थिति का विचार करने की जरूरत है। पिछले दो हजार वर्षों में विज्ञान और टेकनालाजी (तकनीकी) का जितना विकास हुआ था, उससे कहीं अधिक विकास हाल के दो-तीन वर्षों में हुआ है और पिछले दो-तीन वर्षों में जितना विकास हुआ था, उससे कई गुना अधिक पिछले बीस सालों में हुआ है। उसी हिसाब से जमाना बदलना रहा है और आज जमाने की परिस्थिति और इन्सान की मन स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की खाई इतनी अधिक बड़ गयी है कि एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। पुराने जमाने में कई पीढ़ियों तक परिस्थिति करीब करीब समान रहती थी। इसलिए पिता के अपने जीवन के अनुभव का लाभ पुत्र के जीवन को मिलता था और गुरु के अनुभव से शिष्य का मार्गदर्शन होता था। तब शिक्षण की रूपरेखा उस समय के वर्तमान समाज के प्रकार के आधार पर बन सकती थी, लेकिन आज शिक्षक को द्रष्टा बनना पड़ेगा। आज उसके हाथ में जो बच्चा आता है, वह कम से कम सोलह वर्ष बाद प्रौढ़ होकर जीवन में प्रवेश करेगा। परिवर्तन की वर्तमान गति को देखते हुए सोलह वर्ष बहुत लम्बी अवधि है। अगर शिक्षा-पद्धति वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में बनायी गयी और उसी भूमिका में उसके शिक्षण का क्रम चला, तो सोलह वर्ष बाद वह बच्चा जीवन सघर्ष में पराजित होगा। क्योंकि तब तक समाज बहुत बदल चुका होगा। इसलिए शिक्षाविद् और शिक्षक को इस ढंग से शिक्षाक्रम को राजाना होगा, जिससे बच्चा भागे आनेवाले जमाने में सफल नागरिक बन सके। अर्थात् शिक्षा और शिक्षक को अत्यन्त दूरदृष्टि रखनी होगी। इसलिए आवश्यक है कि वे वर्तमान हलचल से ऊपर रहे।

विज्ञान का अभिशाप : शिक्षण का कर्तव्य

ऊपर जो कहा कि आज जो शिक्षण चल रहा है, वह मैनेजर बनाने के लिए है, उस तिलसिले में देश की एक अत्यन्त खतरनाक मन स्थिति की ओर भी ध्यान देना होगा। अति प्राचीन काल में जब उत्पादन के औजार बहुत निम्न स्तर के थे, तब मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति में ही अत्यन्त बठिन धम करना पड़ता था। धाराम के लिए उसके पास आवश्यक नहीं था।

स्वभावतः, उसको इस कठिन थम से मुक्ति की चाह बनी थी। इसी चाह ने उत्पादन के यंत्र में सुधार की दिशा में ज्ञान-विज्ञान का उपयोग किया। हस्त-उद्योग से गुरु होकर शक्ति-संचालित बड़े बड़े उद्योगों तक कल-कारखानों का प्रविष्टार हुआ। उससे आगे बढ़कर आज उद्योग अभिनवीकरण स्वयं-संचालन (माटोमेशन) साइबरनेटिक्स (विज्ञान-शाखा) तक पहुँच गये हैं। माटोमेशन में यंत्र बनानेवाले की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन बटन दबानेवाले तथा दूसरे दिमाग से काम करनेवाले की जरूरत तो रहती है। साइबरनेटिक्स (विज्ञान-शाखा) में उनकी भी जरूरत नहीं रहती, महिष्क का काम भी कम्प्यूटर से सँभ जाता है। इस तरह साइबरनेटिक्स के कारण उत्पादन के क्षेत्र में सब लोग खासी होते चले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का तो कहना है कि पूरे अमरीका के उद्योगों के लिए केवल तीन सौ व्यक्ति पर्याप्त हैं, तो हिन्दुस्तान के उद्योगों के लिए कितने मनुष्य चाहिए, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शायद पचास पर्याप्त हो। मनुष्य की काम से मुक्ति पाने की आकांक्षा ने केवल उत्पादन के क्षेत्र को ही प्रभावित किया है, ऐसी बात नहीं है। कम्प्यूटरों की प्रगति के कारण आज भारत में जो मैनेजर बनाने की शिक्षा दी जा रही है, वे मैनेजर भी अपने काम में मुक्त होंगे। थोड़ा और आगे बढ़कर विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि टेलिविजन के विकास से शिक्षकों की आवश्यकता भी खत्म होती जायेगी। एक शिक्षक एक भाषा के एक क्लास के तमाम विद्यालयों के लिए कामी होगा। विज्ञान जिस रफ्तार से प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए टेलिविजन के 'टू वे ट्रिफिक' (दोनों तरफ से व्यवहार) बनना कोई आश्चर्य की बात है क्या? तब विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तरों की भी व्यवस्था हो सकेगी। कहा जायेगा कि मनुष्य ने विज्ञान की आराधना कर तथा उसे सन्तुष्ट कर काम से मुक्ति का बरदान देने की प्रार्थना की, तो विज्ञान ने सहज भाव से कहा, 'तपास्तु'।

लेकिन इस बरदान का नतीजा क्या हुआ? एक ओर विज्ञान की प्रगति के य नतीजे हैं और लोकतंत्र और समाजवाद के विचार के प्रसार से समानता का मानस तीव्र से तीव्रतर होता चला जा रहा है। अर्थात् आज की आवश्यकता यह है कि काम न करनेवाले और करनेवाले के रूप में दो वर्ग न रहे, सब समान रहें, यानी समाज में आज ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि या तो कोई काम न करे, या सब काम करें। अगर कोई काम न करे वह, तो अवकाश की उत्कट समस्या पैदा होती है। ससार की सभी चीजों की तरह ही अवकाश भी 'सा प्राफ डीमिनिशींग रिटन' (हासानुक्रम के नियम) से मुक्त नहीं। अवकाश

के रचनात्मक इस्तेमाल की भी एक सीमा होगी, जिसके बाद इसका इस्तेमाल स्वसात्मक ही होगा। फिर दुनिया कहाँ रहेगी ?

इस तरह अगर 'कोई काम न करे' का सिद्धान्त असम्भव है, मानव समाज को ध्वंस करने का वह साधन है, तो किस प्रकार से सब काम कर सकें, यह उपाय खोजना होगा। अतएव उत्पादन के औजार और साधनों को ऐसा बनाना होगा, जिससे हर हाथ में काम रहे, लेकिन साथ साथ काम से शरीर को आराम और मन को आनन्द मिले। यह तभी हो सकता है जब उत्पादन की प्रक्रिया ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का माध्यम बने, जब उत्पादन सांस्कृतिक विकास के साधन के रूप में इस्तेमाल हो, क्योंकि जब सबको शिक्षित बनाना है और सब शिक्षितों को हाथ से काम करना है, तो कोई भी व्यक्ति आज का चरखा और चक्की नहीं चलायेगा। आज का चरखा चक्की चलाकर डूजरी (निरस धाम) में नहीं पड़ेगा। इसलिए शिक्षाविद् और शिक्षक शिक्षण पद्धति की बात सोचते हैं तो उन्हें इस बुनियादी तथ्य को ध्यान में रखना होगा और किसी न-किसी रूप में उत्पादन तथा वैज्ञानिक खोज को शिक्षा से समन्वित करना होगा। जब विज्ञान मनुष्य को चंद्रमा पर पहुँचा सकता है तो उसके लिए क्या यह असम्भव है कि चक्की चलाने की प्रक्रिया में बीणा को भ्रकार मुनायी दे ? आज चूँकि सभी लोगों की आकांक्षा काम से मुक्त होने की है, तो मनुष्य के लिए विज्ञान का उपहार 'साइबरनेटिक्स, कम्प्यूटर और टेलिविजन सेट्स' हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य की आकांक्षा यह हो जायेगी कि सबको काम करना है तो विज्ञान भी इसान ही उसी प्रकार के साधन मुहैया करेगा। अतएव शिक्षा के सामने यह एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वह समाज को काम न करनेवाली आकांक्षा को बदले।

इस तरह देश के शिक्षा जगत के सामने एक अत्यन्त बड़का जिम्मेदारी उपस्थित हो गयी है—वह है समाज को सर्वनाश से बचाने की जिम्मेदारी। आधुनिकता का सगठन और प्रगति ही आज की चुनौती का उत्तर है। शिक्षा-विदों और शिक्षकों को गम्भीरता से इस जिम्मेदारी की तरफ ध्यान देना होगा। (सहृदयता (बिहार) जिज्ञा शिक्षाधिकारियों के सामने किया प्रवचन)]

क्या आपका स्कूल वेसिक स्कूल है ?

वशीधर श्रीवास्तव

क्या स्कूल का काम प्रारम्भ होने के पहले आपके स्कूल के बच्चे नित्य नियम से अपनी कक्षा की सफाई का काम स्वयं करते हैं ? क्या कक्षा में बैठने के पहले, वे अपने बैठने के स्थान को भाड़ पोछकर अपने आसन को सुरक्षितपूर्ण ढंग से सजा लेते हैं ? अपनी कक्षा की सफाई के अतिरिक्त क्या वे नियम पूर्वक सप्ताह में एक बार स्कूल के दूसरे बच्चा के साथ मिलकर अपने स्कूल के अहाते की सफाई और महीने में एक बार अपने पास पड़ोस की सफाई कर लेते हैं ? क्या सफाई और सुरक्षितपूर्ण व्यवस्था का यह काम उनके विद्यार्थी जीवन का अन्तमत्त अंग बन गया है— ऐसा अंग जो उनके सारे जीवन को सुरक्षितपूर्ण और सफाई-मनन्द बना देगा और सफाई करनेवालों के प्रति अनुराग भर देगा ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल वेसिक स्कूल है ।

सफाई और व्यवस्था के इस काम को आपको बालकों से प्रजातांत्रिक ढंग से करवाना चाहिए । इस काम के लिए सफाई समिति बना लीजिए । इस समिति के मंत्री और उपमंत्री हों । नियमपूर्वक उनका चुनाव हो । प्रति मास इस समिति का पुनर्निर्वाचन हो जिससे अधिक से अधिक लड़कों को काम करने का अनुभव प्राप्त हो सके । आपको सफाई के इस काम को प्रोत्साहन देना चाहिए । एक सप्ताह तक जिस कक्षा का कमरा सबसे सुरक्षितपूर्ण ढंग से सजा हो उसे पारितोषिक दीजिए जिससे लड़कों में स्वयं स्पर्धा का भाव जग । यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका स्कूल वेसिक स्कूल है ।

स्कूल का काम प्रारम्भ होने के पहले क्या आपके स्कूल के लड़के नित्य नियम से श्रद्धा-पूर्वक प्रार्थना करते हैं ? ऐसी प्रार्थना जिसका सम्बन्ध किसी विशेष धर्म 'मजहब' से नहीं बरन जिसका सम्बन्ध शील और आचार से है, मानव जीवन को उच्च और पवित्र बनाने से है और जिससे बच्चों में दूसरों के लिए त्याग और बलिदान की भावना आती है, दूसरों से प्रेम करने और दूसरों को मुक्त बनाने के लिए हँसते हँसते मर जाने की भावना आती है । अपने देग के लिए और अस्तित्व विश्व के लिए आत्म बलिदान की भावना आती है । क्या आपके स्कूल की प्रार्थना का यह कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह की सीढ़ी बनकर विद्यार्थी के जीवन में रम गया है और उसके जीवन को प्रतिपग पर शील और सयम की ओर, सुन्दर आचार और विचार की ओर, प्रेम और

शांति की और प्रयत्न कर रहा है ? यदि हाँ तो आपका स्कूल सचमुच वैसिक स्कूल है। वैसिक स्कूल में जहाँ खेती और कारखाने का उत्पादन-सृजनमय वातावरण होना चाहिए वहाँ प्रेम, शांति श्रद्धा, शील और समय का भी वातावरण होना चाहिए। नित्य एक साथ बैठकर शांति मन से प्रार्थना करने में अपने मन और भावों को पवित्र बनाने की इच्छा व्यक्त करने में एकता भाईचारा और समय के लिए प्रतिबद्ध होने में, शांति और शांति का जो रहस्य छिपा है, आपका स्कूल जितना जल्द इस रहस्य को समझेगा उतना जल्द ही वह अच्छा वैसिक स्कूल बन सकेगा। प्रार्थना नए यह काम उपचारमात्र न होकर जीवन का प्रेम मात्र होना चाहिए।

क्या आपके स्कूल के सब बच्चे एक साथ बैठकर भोजन या दोपहर का नाश्ता करते हैं ? और इस सम्बन्ध में स्थान की सफाई, नाश्ता अथवा भोजन परोसना, बर्तन साफ कर यथास्थान रखना और पीने के लिए स्वच्छ पानी का प्रबंध करना आदि सब काम क्या वे स्वयं समितियाँ बनाकर वारी-वारी से करते हैं ? यदि हाँ तो आपका स्कूल वैसिक स्कूल है। इस प्रकार सबका साथ बैठकर नाश्ता या भोजन करना वैसिक स्कूल की अनिवार्य प्रवृत्ति होनी चाहिए। गांधीजी ने तालीम द्वारा जिस सामाजिक शांति की बात कही है इस तरह का खान पान उसकी और बढ़ने का एक मजबूत बंदन है।

क्या आपके स्कूल में बालकों के स्वास्थ्य निरीक्षण का प्रबंध है ? क्या आपके स्कूल में बालकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों से अवगत कराने और उनको स्वास्थ्य सम्बन्धी सलाह देने का नियम है ? क्या आपके स्कूल में लड़कों द्वारा खुद अपने गंदे कपड़े साफ करने और गंदे होने पर स्नान आदि करने का और इस सम्बन्ध में उचित सलाह और सहायता देने का प्रबंध है ? क्या इस प्रकार का कार्यक्रम आपके पाठशाला सभ्यता का अभिन्न अंग है ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल वैसिक स्कूल है।

वैसिक स्कूल के बच्चे आपके पास राष्ट्र की धरोहर हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारा देश गरीब है और हमारे अधिकांश बच्चों के अभिभावक स्वास्थ्य के नियमों में अपरिचित हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि नित्य अपने बच्चों को साफ कपड़े पहनाकर स्कूल भेज सकें। अतः वैसिक स्कूल में लड़कों के बाल साफ करने, नाखून काटने, स्नान करने और गंदे कपड़े साफ करने का प्रबंध होना चाहिए। बच्चे

नियम से अपने गन्दे कपड़ों में साबुन लगायें अथवा उन्हें सज्जी या रेह से साफ करें । उन्हें कपड़े धोने की शिक्षा दी जाय ।

क्या आपके स्कूल में बागवानी, खेती, कताई बुनाई गत्ते का काम, बर्तनगिरी आदि समाजीपयोगी, उत्पादक उद्योग धन्धों को सीखने सिखाने की मुविधा है ? क्या इन उद्योग धन्धों के वैज्ञानिक शिक्षण के लिए योग्य प्रशिक्षित अध्यापकों और पूर्ण सज्जा सामग्री और कच्चे माल का प्रबन्ध है ? क्या आपके विद्यार्थी उद्योग सम्बन्धी क्रिया कलापों का पूरा लेखा जोखा एव तन्मन्बन्धी ग्राफ और चार्ट रखते हैं ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल वैसिक स्कूल है ।

क्या आपके स्कूल में उद्योगों के वैज्ञानिक शिक्षण का प्रबन्ध है ? अर्थात् स्कूल में आप जो भी उद्योग सिखाते हैं क्या उसकी प्रत्येक क्रिया का 'क्यों और कैसे' बच्चों को समझाया जाता है ? अर्थात् क्या आपका विद्यार्थी उद्योग-सम्बन्धी प्रत्येक क्रिया के बौद्धिक पक्ष को समझता है ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल वैसिक स्कूल है ।

क्या आप जो भी क्रिया करते हैं अपने विद्यार्थियों की सहायता से उसकी योजना पहले बना लेते हैं और विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार कार्य वितरण करके काम प्रारम्भ करते हैं ? और काम करते समय क्या आपके बालकों के सामने पूरी योजना का सम्पूर्ण सदिष्ट चित्र उपस्थित रहता है और प्रत्येक बालक उक्त सदिष्ट चित्र में अपने स्थान और काम को जानता है ? योजना के कार्यान्वयन में जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी क्या आपके विद्यार्थियों ने पहले से ही उन्हें जुटा लिया है और किस क्रम से काम क्रिया जायगा, यह तय कर लिया है ? क्या योजना के कार्यान्वयन में आपके विद्यार्थियों को प्रयोग करने का और गलती करके सुधारने और सीखने का पूरा अवसर मिलता है ? और, क्या कार्यान्वयन के बाद आप उन्हें इस बात का अवसर देते हैं कि वे अपने काम को परखें और देखें कि उन्हें उसमें कितनी सफलता मिली है और कितनी कोर-कसर रह गयी है ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो आपका स्कूल वैसिक स्कूल है ।

क्या उत्पादक उद्योग-धन्धों के वैज्ञानिक शिक्षण के फलस्वरूप जो उत्पादन होता है उसकी न्यूनता का उचित प्रबन्ध है ? क्या आपके विद्यार्थी इस उत्पादन का नियमित लेखाजोखा रखते हैं ? और क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि स्कूल में जो उत्पादन होता है, उसके प्रथम उपभोक्ता वे और उनके साथ काम करनेवाले उनके अध्यापक हैं ? क्या वे जानते हैं कि जो कुछ वे पैदा

कर रहे हैं उनपर उनका और उनकी कक्षा का अधिकार है ? यदि उनमें ऐसी भावना आ गयी है तो आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ।

क्या आपके स्कूल के छात्र आपके स्कूल के रागठन के अन्तर्भूत भ्रम हैं ? अर्थात् आपकी पाठशाला का संचालन आपके बच्चों की अपनी सरकार के द्वारा होता है ? क्या आपके स्कूल में बच्चों की अपनी सरकार यानी 'बालसभा' है जिसकी नियमित रूप से निर्वाचित समितियाँ और मन्त्रीमंडल हैं जो स्कूल के सारे काम का संचालन प्रजातान्त्रिक ढंग से करते हैं ? और क्या आपके स्कूल में चुनाव का ऐसा प्रबन्ध है जिससे कक्षा के प्रत्येक बालक को समिति में अथवा मन्त्रीमंडल का सदस्य बनने का अवसर मिल जाता है, जिससे प्रत्येक बालक को उत्तरदायित्व निभाने का, अपने कर्तव्य को समझने का और प्रजातान्त्रिक ढंग से काम करने का अवसर मिले ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ।

क्या आपके स्कूल में बच्चों की ऐसी सहकारी दूकान है जहाँ उनकी जरूरत की सब चीजें उन्हें मिल जाती हैं ? क्या उनके स्कूल में सहकारी बैंक है ? और क्या वे इस दूकान और बैंक का सारा काम एक शैक्षिक योजना की तरह चलाते हैं और इसके लाभ हानि के उपभोक्ता हैं ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ।

क्या आपके स्कूल में विद्यार्थियों के लिए पर्यटन, गोष्ठी, स्काउटिंग, अभिगम, याद विवाद आदि सांस्कृतिक और रचनात्मक क्रिया-कलापों का प्रबन्ध है जिनमें बालक अपनी-अपनी रसि के अनुसार भाग लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं ? इस प्रकार के क्रिया-कलापों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की दृष्टि से बड़ा मूल्य है । अतः आपके स्कूल में इन कार्य-कलापों के लिए उचित प्रबन्ध है ? यदि हाँ, तो सच्चे अर्थ में आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ।

क्या आपके स्कूल में विद्यार्थी समाज सेवा सम्बन्धी प्रसार-कार्यों द्वारा अपने पास-पड़ोस के समुदाय के निकट-सम्पर्क में आते हैं । अर्थात् क्या आपका स्कूल गाँव समुदाय अथवा पास-पड़ोस के लोगों के लिए किये जानेवाले सारे विकास कार्यों का केन्द्र है ? क्या आपका स्कूल यह प्रयत्न करता है कि गाँव और मुहल्लेवाले आपके स्कूल में एकाग्र होकर, स्कूल के रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें ? संक्षेप में, क्या आपके स्कूल से समुदाय के लिए ज्ञान और प्रगति की किरणें सतत विकिरण होती रहती हैं । क्या इस

क्या इस प्रकार का प्रसार कार्य जिससे समुदाय का विकास हो आपके पाठ्यक्रम का अन्तर्ग है ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ?

क्या आपके स्कूल में इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक को जो बौद्धिक ज्ञान दिया जाय उसे बालक के जीवन और उनके क्रिया-कलापों से सम्बन्धित करके दिया जाय अर्थात् क्या आपका स्कूल यह चेष्टा करता है कि बालक जिताबो से रटकर सीखने के स्थान पर स्वयं अपने हाथ से काम करके और स्वयं अपने आप निरीक्षण और प्रयोग करके अपने अनुभवों से सीखे ? यदि बालक इस प्रकार सीखता है तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सहज-प्राप्त ठोस और टिकाऊ होगा और तब आप अपने स्कूल को बेसिक स्कूल कह सकते हैं ।

क्या आपका स्कूल यह प्रयास करता है कि स्कूल के विद्यार्थियों को उनके प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का सम्यक ज्ञान हो ? अर्थात् आपके स्कूल के विद्यार्थी प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के नियमों और तथ्यों को समझकर अपने और अपने समाज के जीवन को अधिक सम्पन्न बना सकें ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ।

क्या आपके स्कूल में विद्यार्थियों को समाजोपयोगी उत्पादक कामों की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनमें अपना काम अपने हाथ से कर लेने की और अपने पैरों पर खड़े हो सकने की क्षमता का विकास हो और वे अपने समाज के जिम्मेवार, उपयोगी सदस्य बनकर समाज की प्रगति में भाग ले सकें ? अर्थात् क्या आपका स्कूल अपनी व्यावहारिक शिक्षा द्वारा अपने विद्यार्थियों में स्वावलम्बन की मनोवृत्ति का सृजन कर आत्मनिर्भरता की भावना भरता है ? यदि हाँ, तो आपका स्कूल बेसिक स्कूल है ।

नयी तालीम समिति की गोष्ठी-रिपोर्ट

(१६-१७ जनवरी '७१ को राजभवन ग्रहमदाबाद में हुई)

नयी तालीम समिति की चर्चा का सारांश)

समिति के भविष्य के कार्यों पर बातचीत हुई और सभी उपस्थित सदस्यों ने बातचीत में भाग लिया।

अध्यक्ष ने बातचीत की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि नयी तालीम समिति पूर्ण रूप से देश में शिक्षा के पुनः संगठन के बारे में विचार करे जो नयी तालीम की दिशा में हो। देश के सभी देहाती एवं शहरी स्कूलों में शिक्षा को नया जीवन देने के लिए 'पायलट प्रोजेक्ट' के विशेष कार्यक्रम चलाये जायें। शिक्षा-पदाधिकारियों ने सदा आर्थिक कठिनाइयाँ पेश की हैं, परन्तु यह याद रखना चाहिए कि अगर सनी सरकारी और गैरसरकारी विकास करनेवाली शक्तियाँ देहाती और नगरों के सभी स्तर में स्कूलों के सहयोग के साथ काम करती तो बिना फिजूल आर्थिक खर्च के स्कूलों में बहुत सारे अच्छे काम हो सकते थे। बेकारी और घष बेकारी की समस्याएँ केवल नयी तालीम के ठोस कार्यक्रमों को अपनाएने से ही हल हो सकती हैं। नयी तालीम समिति को यह दिशा भी बतानी चाहिए जिसमें नगरों में नयी तालीम आसानी से चलायी जा सके।

भाजंत्री बहन ने जोर दिया कि नयी तालीम न तो कोई टेक्नीक थी, न पद्धति बल्कि एक रचनात्मक विचार भी। विभिन्न स्कूलों में स्वतंत्र तरीके पर शिक्षा की उन्नति की सम्भावना होनी चाहिए, बशर्ते कि उत्पादक श्रम के मूल्य पर जोर रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्कूलों में परीक्षा की प्रचलित पद्धति ही शिक्षा की सभी बुराइयों की जड़ है। लोग समझायी शिक्षा का बड़ा डोल पीटते हैं, मानो यह नयी तालीम की कोई खास देन हो, जबकि समझाव सभी अच्छी शिक्षा का एक ठोस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है।

श्री बनवारीलाल चौधरी ने बताया कि चूँकि भारतीय संविधान के ४३वें अनुच्छेद अन्वये ४ के अनुसार राज्य को १४ साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, राज्य का उत्तरदायित्व है कि माध्यमिक स्तर तक अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा लोगों को दी जाय। राज्य ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी मदद देकर संविधान के इस अनुच्छेद को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए नयी तालीम समिति

को लोकशिक्षण के द्वारा लोगों को शिक्षण देना चाहिए कि केन्द्र और राज्यों की सरकारों से वे निवेदन करें कि वे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर पूर्णतः ध्यान दें, जो ग्रन्थी नागरिकता की बुनियाद है ।

नयी तालीम समिति का जो उद्देश्य है कि जीवन के द्वारा जीवन के लिए शिक्षा दी जाय और शोषण रहित समाज का विकास हो, इस पर चर्चा की गयी। सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि नयी तालीम समिति देश में अच्छी शिक्षा की माँग के लिए प्रान्तिकारी वातावरण के निर्माण करने का एक कदम उठाये। ऐसा करने के लिए समय और परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हैं, क्योंकि विद्यार्थी मात्र की प्रचलित उच्च शिक्षा के विरुद्ध हैं जो उन्हें भ्रष्टकार की ओर ले जाती है। अगर उनके उग्रवादी दृष्टिकोण और रचनात्मक दिशा में परिवर्तन की आकांक्षा को हम केवल सही दिशा दे सकें तो इसकी बड़ी सम्भावना है कि हमारी बात सुनी जाय। इसलिए नयी तालीम समिति को शिक्षा-पद्धति में प्रान्तिकारी समग्र परिवर्तन पेश करना चाहिए, विशेष तौर से विश्वविद्यालय के स्तर पर, और वर्तमान पद्धति में थोड़ा बहुत सुधार या जोड़ से हम सन्तोष न मानें। कुछ सदस्यों ने तो यहाँ तक कहा कि बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए कालेज बन्द कर दिये जायें जब तक कि उच्च शिक्षा की कोई प्रान्तिकारी पद्धति नहीं निकलती है।

यह निश्चय किया गया कि इस विचार पर आधारित एक घोषणापत्र तैयार किया जाय और इसे विद्यार्थियों, अध्यापकों, विधायकों और दूसरे लोगों में बाँटा जाय। श्री नारायण देसाई से निवेदन किया गया कि वह श्री प्राचार्य और श्री मनुभाई पचौली के साथ मिलकर घोषणापत्र तैयार कर दें। यह घोषणापत्र नयी तालीम समिति के सदस्यों में तथा लोगों में बाँटा जायेगा, ताकि सम्मेलन में स्वीकृति से पहले वे अपनी राय दे सकें। यह राष्ट्रीय सरकार, विश्व-विद्यालयों और जनता की स्वीकृति के लिए पेश किया जायेगा ताकि वह देश की राष्ट्रीय नीति बन सके।

श्री मनुभाई पचौली ने सदस्यों को गुजरात राज्य में बुनियादी शिक्षा के विकास और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की हुई विशेष समिति के कार्यों के बारे में बताया। गुजरात में बहुत सारे बुनियादी शिक्षा के स्कूल थे जो स्वतंत्र और सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाये जाते थे और उनमें से बहुत सारे अच्छा काम कर रहे थे, परन्तु बहुत सारे स्कूलों के पास साधनों की कमी थी। बुनाई और कताई शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। बहुत सारे उत्तर बुनियादी स्कूल हैं। जिन्होंने ठोस सगठन बना लिया है, और समाज सेवा के काम उठाये

हैं। परन्तु गुजरात की बुनियादी शिक्षा में प्रचलित पद्धति से समझौता करना पडा ताकि विद्यार्थी यू० बी० और एस० एस० सी० परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। इसके बिना विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता है। प्रशंसा की बात यह है कि यू० बी० में विद्यार्थियों ने परीक्षा में बहुत धृच्छा किया। बहुत सारी अतिरिक्त कठिनाइयाँ थी परन्तु यह विकास के लिए सहयोग देनेवाली एजेन्सियों द्वारा हल हुईं।

शहरी क्षेत्रों में उन्तर बुनियादी स्कूलों पर परामर्श माँगे गये। काफी बातों के बाद ग्राम राम यह थी कि शहरी यू० बी० स्कूलों को 'कार्य शिक्षा' के केन्द्र इजीनियरिंग, दृषाई, बैंकिंग और सहयोगी संस्थाओं तथा लघु उद्योगों आदि, के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। विश्वविद्यालय के स्तर पर भी ऐसे तरीके निकाले जायें ताकि विद्यार्थी उपयोगी और उत्पादक कार्य में हिस्सा ले सकें जो कि उनकी शिक्षा में सम्बन्धित हो।

श्रीमती मदालसा नारायण ने बताया कि अगर समाज में भ्रातृकारियों परिवर्तन लाना है तो घरों और माता पिता के रोल के महत्त्व को समझना होगा। परन्तु हर चीज नयी तालीम के शिक्षकों की निष्ठा पर निर्भर करती है। चर्चा के दरम्यान कहा गया कि शिल्प की शिक्षा के लिए स्कूल में जो समय निर्धारित किया गया या वह कम था। इस पर मार्जरी बहन ने कहा कि स्कूलों में शिल्प के कितने वर्ग रखे जाते हैं इसमें मेरा विश्वास नहीं है बल्कि इसमें है कि शिल्प-कार्य का स्तर क्या है। अच्छे स्कूल में उद्देश्यपूर्ण, उत्पादक शैक्षणिक काम पर जोर देना चाहिए। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों, दोनों के लिए स्वतंत्र बातचीत की अपील की।

कुछ और परामर्श भी दिये गये :

- (क) पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ लोगों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
- (ख) सम्मेलन के लिए नयी तालीम की रिपोर्टें तैयार की जाय जिसमें इसका अर्थ और इतिहास भी हो।
- (ग) नयी तालीम और सर्वोदय (हिन्दी तथा अंग्रेजी पत्रिकाएँ) समिति के लिए धन जुटाना शुरू किया जाय, ताकि नयी तालीम समिति की कार्यवाही छप सके।

—के० ए० धाराम

छात्रों का शिक्षा का घोषणा-पत्र

[प्राज्ञ समाज में सामाजिक असमानता और अन्याय के प्रति जितनी चेतना है उतनी कमी नहीं रहो, और वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए बुद्ध करने की इच्छा भी इसी चेतना का भाग है। यह चेतना आज छात्र-वर्ग में स्पष्ट देखी जा सकती है। उनमें बुद्ध करने की उतावली है— उनमें तपस्या का उपाय ही नहीं शक्ति भी है। आदर्श के लिए मर मिटने की उनमें समझा भी है। परन्तु इस शक्ति का दुरुपयोग वे तोड़फोड़ में करते हैं। परन्तु जब तोड़फोड़ से कुछ सिद्ध नहीं होता तो उनमें एक हताशा की भावना का उदय होता है। इस हताशा का परिहार कैसे हो और युवा-विशेष और शक्ति का उपयोग समाज-परिवर्तन में कैसे किया जाय यह आज की बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या के हल के लिए कलकत्ता के गांधी शांति प्रतिष्ठान केन्द्र ने गत फरवरी में एक 'कन्वेंशन' किया था जिसमें अधिकांशतः विद्यार्थी ही थे। दो दिन की चर्चा के बाद इस कन्वेंशन ने शिक्षा पर एक छः सूत्री घोषणा-पत्र तैयार किया है जो 'नयी तालीम' के पाठको के लिए उद्धृत किया जा रहा है।—सम्पादक]

१. भारत की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली बौद्धिक घोषको के एक वर्ग का निर्माण करती है जो जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं के उत्पादन करने-वालों के अर्थ पर जीने की इच्छा रखते हैं और जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण और रुचियाँ सामान्य जनता से अलग होती हैं। अतः शिक्षा को सामान्य जन, किसान, मजदूर और कारीगर के नित्यप्रति के जीवन की उत्पादक प्रक्रियाओं में अभिन्न रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। अधिक 'स्पेसिफिक' शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षण-महत्वाओं को पाठ्यक्रम के विभिन्न भाग के रूप में छोटी छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन और मरम्मत की ऐसी प्रक्रियाओं को लेना चाहिए जिसे एक या एक से अधिक छात्र पूरा कर सकें। जहाँ सम्भव हो वहाँ लेनी भी की जाय।

२—वर्तमान शिक्षा-पद्धति को समाप्त कर देना चाहिए और उसके स्थान पर भूतपूर्व की ऐसी वैज्ञानिक और सार्थक प्रणाली प्रयोग में लानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के गुणों और क्षमताओं और समाज के आर्थिक और नैतिक गति में जो रोल वे भूदा करना चाहते हैं, उसकी जाँच हो सके।

३ शिक्षा का सम्पादन (करीबतुल्य) जीवन के सामाजिक आर्थिक

और भावनात्मक समस्याओं को महत्व देने पर बल दे और वर्तमान सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों को परिवर्तित करने की चेतना का निर्माण करने में सहायक हो जिससे वास्तविक गणतान्त्रिक, अशोषक, शांतिमय, धर्म निरपेक्ष, न्यायपूर्ण, समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। प्रारम्भ करने की दृष्टि से जिन विद्यार्थियों का ग्रामीण वातावरण से कोई परिचय नहीं है, वे पर्याप्त समय गाँवों में व्यतीत करें और गाँववालों के साथ काम करके गाँव के यथार्थ जीवन के सम्पर्क से अपने अनुभव को सम्पन्न करायें।

४. शैक्षिक प्रशासन में छात्रों का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व हो और नियम की प्रक्रिया में उनका हाथ हो।

५. उच्च शिक्षा की समस्याओं में प्रवेश का आधार मात्र प्रतिभा हो न कि अभ्यर्थियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति।

६. विद्यार्थी आधुनिक युग में समाज-परिवर्तन की संगठित एजेंसी के रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से आगे आयें और शक्तिपूर्ण ढंग से अपने को वर्तमान अन्यायों के प्रतिकार के लिए और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए तैयार करें।●

आचार्यकुल की गतिविधि

(राजगीर सम्मेलन, अक्टूबर १९६६ से नासिक अधिवेशन, मई १९७१ तक)

अक्टूबर, १९६९ के राजगीर सम्मेलन में सर्व सेवा सघ की प्रबन्ध समिति ने आचार्यकुल भान्दोलन की प्रगति और विधिवत संयोजन के लिए एक समिति नियुक्त की थी ।

इस समिति की पहली बैठक २६-१२-६९ को धीमती महादेवी बर्मा के निवासस्थान (घशीकनगर, इलाहाबाद) पर हुई, जिसमें निश्चय हुआ कि यद्यपि लक्ष्य पूरे देश में काम करने का रहे, परन्तु फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में सघन रूप से काम किया जाय । यह भी तय हुआ कि केन्द्रीय समिति के संयोजक श्री घशीधर इन प्रदेशों के शिक्षा-शास्त्रियों और उपकुलपतियों से संपर्क स्थापित कर इनसे प्रार्थना करें कि वे आचार्यकुल के संयोजक अथवा अध्यक्ष का पद स्वीकार करें और तदर्थ समितियाँ बनाकर आचार्यकुल का काम करें । यह भी निश्चय हुआ कि केन्द्रीय समिति का विस्तार किया जाय और उसमें राज्यों के संयोजकों और अध्यक्षों के अतिरिक्त देश के दूसरे शिक्षाशास्त्री और चिन्तक भी रखे जायें ।

कार्य-क्षेत्र

आचार्यकुल के कार्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में चर्चा के बाद तय हुआ कि फिलहाल प्रखण्ड, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निम्नांकित काम किया जाय :—

- १—सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं पर गोष्ठियाँ एवं परिषदों का आयोजन ।
- २—लोक-सेवा एवं लोक शिक्षण का काम ।
- ३—लोकनोति एवं लोकनाटिक के विकास के लिए रचनात्मक संस्थाओं के साथ सहयोग ।
- ४—शिक्षा की स्वायत्तता के लिए गोष्ठियाँ एवं सभाओं का आयोजन ।
- ५—मनवता-प्रशिक्षण-शिविरों का आयोजन ।
- ६—समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने के लिए सभी दलों के लिए एक समान भंड का आयोजन ।
- ७—दासों एवं शिशुओं के कल्याण के काम ।
- ८—आचार्यकुल के लक्ष्यों से संबंधित साहित्य का प्रचार और प्रकाशन ।

९—अपने लक्ष्यो की पूर्ति के लिए अन्य प्रयोग, प्रशिक्षण एवं काम ।

१०—शिक्षाशास्त्रियों के ऐसे गैर-सरकारी संगठन का निर्माण और संचालन जो प्राचार्यकुल की शिक्षा-नीति का निर्देशन करें और शिक्षा के सम्बन्ध में जिसकी सलाह लेना सरकार के लिए अनिवार्य हो ।

केन्द्रीय प्राचार्यकुल समिति की दूसरी बैठक

समिति की दूसरी बैठक २२-८-१९७० को आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (उ० प्र०) में हुई । बैठक में आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्व-विद्यालय के उपकुलपतियों ने भी भाग लिया । दोनों महानुभाव केन्द्रीय प्राचार्यकुल समिति के सदस्य हैं ।

सर्वप्रथम समिति ने तय किया कि श्री बशीर शहीद श्रीवास्तव केन्द्रीय प्राचार्यकुल के संयोजक का काम करते रहे ।

संगठन

इसके बाद प्राचार्यकुल के संगठन और प्राचार्यकुल का सर्व सेवा सभ के सम्बन्ध पर चर्चा हुई ।

जैनेन्द्रजी ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्राचार्य-कुल को एक स्वायत्त संस्था होना चाहिए । प्राचार्यकुल से सर्व सेवा सभ के साथ वैचारिक और आइडियोलॉजिकल सम्बन्ध हो, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, परन्तु किसी प्रकार के बन्धन का आभास न हो । डाक्टर रामजी सिंह (बिहार) ने जैनेन्द्रजी के विचार से सहमति प्रकट की ।

प्राचार्य राममूर्तिजी ने कहा कि यह ठीक है कि प्राचार्यकुल की स्वायत्तता में कहीं से किसी प्रकार का दखल न हो । परन्तु सर्व सेवा सभ एक समग्र क्रांति (टोटल रेवोल्यूशन) का एक्सप्रेशन है और प्राचार्यकुल को यह तय करना है कि बिनोबाजी ने जिस समग्र क्रांति की कल्पना की है, प्राचार्यकुल सर्व सेवा सभ के साथ उसे 'देयर' करता है या नहीं । वह इस बुनियादी क्रांति का शिक्षण करना चाहता है या केवल एक 'पायस ब्रदरहुड' (एक पवित्र विरादरी) बनना चाहता है । अपनी स्वायत्तता को कायम रखते हुए यदि उसे इस समग्र क्रांति का 'एक्सप्रेशन' बनना है तो सर्वोदय आन्दोलन से उसका एक निश्चित सम्बन्ध रहना चाहिए ।

श्री बशीर ने कहा कि दखल देने का सवाल तो नहीं उठता परन्तु प्राचार्य-कुल जिन लक्ष्यों को सामने रखकर स्थापित हुआ है, उन्हें अगर 'डाइल्यूट' होने से बचना है तो वैचारिक स्तर पर ही नहीं, संगठनात्मक स्तर पर भी दोनों का सम्बन्ध रहना चाहिए ।

श्री कृष्णराजजी ने कहा कि आचार्यकुल जिन सध्यों को सामने रखकर स्थापित किया गया है उह यदि सामने रखा जाय तो सब सेवा सघ स सम्बन्ध रखना सभी दृष्टियोंसे लाभप्रद होगा। मैंने इस सम्बन्ध में बिनोबाजी की राय पूछी थी। उन्होंने कहा कि सब सेवा सघ के साथ आचार्यकुल जैसा चाहे सम्बन्ध रहे। सब सेवा सघ साल भर म पैसा दे और काम में दखल न दे ऐसा चाहना है तो पैसा करे या आचार्यकुल चाहे तो सब सेवा सघ थोड़ी मन्द बरेगा।

निश्चय हुआ कि आचार्यकुल एक स्वायत्त सस्था है और वह सब सेवा सघ भयवा सर्वोच्च आन्दोलन से जैसा भी सम्बन्ध चाहे रख सकता है। अगर आचार्यकुल को आवश्यकता हो तो वह सब सेवा सघ से मदद ले सकता है। वह इस मदद का हकदार है। लेकिन सब सेवा सघ को इस बात का अधिकार नहीं है कि जबर्जस्ती उसे घसीट कर अपने साथ ले चले। आचार्यकुल सर्वोच्च आन्दोलन से जैसा भी सम्बन्ध रखना चाहे रख सकता है। उसकी पूरी स्वायत्तता कायम रहनी चाहिए।

आचार्यकुल का विधान

इसके बाद दूसरे प्रादेशिक आचार्यकुलों से केन्द्रीय आचार्यकुल का क्या सम्बन्ध हो इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद आचार्यकुल का विधान बनाने के लिए एक उप समिति बनायी गयी। इस समिति ने विधान का एक प्रारूप तैयार किया है।

उत्तर प्रदेश छात्र सघ अष्टादश गोष्ठी

आचार्यकुल का एक महत्वपूर्ण काम देश विदेश की सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक समस्याओं पर निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करना है। जिस समय बठक हो रही थी उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के छात्र सघ अध्यादेन के कारण उत्तर प्रदेश के शिक्षा जगत का वातावरण अप्रियत दुःख था। मत केनीय समिति ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश के छात्र सघ सम्बन्धी अध्यादेन पर विचार करने के लिए छात्रों अध्यापकों अभिभावकों, सस्था प्रबन्धकों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाय।

तदनुसार दिनांक १६ २० और २१ मितम्बर, १९७० को वाराणसी के गार्थी विद्या सस्थान के सभा कक्ष में कानपुर विश्वविद्यालय कान्ती विद्यापीठ और आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति-सबन्धी राधाकृष्णजी

शीतलप्रसादजी तथा श्री राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में एक गोष्ठी सम्पन्न हुई ।

गोष्ठी में अधिकांश वक्ताओं ने इस प्रकार से अभ्यादेश जारी करने के फलितार्थों पर विचार करते हुए यह अनुभव किया कि यह अभ्यादेश जनतंत्र के हितों के विरुद्ध है ।

किन्तु कुछ वक्ताओं ने यह भी अनुभव किया कि छात्रसंघों की सदस्यता अनिवार्य कर देने से छात्रों की स्वतंत्रता का हनन होता है । अतः सदस्यता ऐच्छिक रहनी चाहिए और छात्रों को संघों का सदस्य बनने या न बनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि वह प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है ।

बैठक के दूसरे निर्णय

बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि समय-समय पर प्राचार्यकुल द्वारा सहजीवन शिविरो का आयोजन किया जाय, जिससे प्राचार्यकुल के विचारों में निष्ठा रखनेवाले तीन-चार दिन तक साथ रह सकें । समान विचार रखनेवाले छात्रों को भी इस शिविर में शामिल किया जाय । इस प्रकार के सहजीवन शिविर महाराष्ट्र और बिहार में आयोजित हुए हैं ।

इसी कमेटी में यह भी तय हुआ कि श्री ईश्वर भाई पटेल, जो बल्लभ विश्वविद्यालय, गुजरात के भूतपूर्व उपकुलपति थे, से सम्पर्क स्थापित किया जाय और उनसे प्रार्थना की जाय कि वे केन्द्रीय प्राचार्यकुल समिति में किसी उत्तरदायित्व का काम सम्हालें । श्री ईश्वर भाई पटेल से सम्पर्क स्थापित किया गया है और प्रसन्नता का विषय है कि वे प्राचार्यकुल के काम में योगदान करने को तैयार हो गये हैं ।

प्रदेशों में प्राचार्यकुल की प्रगति

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक स्तर की एक तदर्थ समिति का निर्माण केन्द्रीय प्राचार्यकुल की पहली बैठक में हुआ था । डा० कानूलाल श्रीमाली, उपकुलपति काशी विश्वविद्यालय इस समिति के अध्यक्ष हैं । उत्तर प्रदेश में ५४ जिले हैं, इनमें से मार्च १९७१ तक ३० जिलों में प्राचार्यकुल के विचार-प्रचार का काम हुआ है । प्रदेश के सात पूर्वी जिलों में, बाराणसी, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और फैजाबाद में अधिक सघन काम हुआ है । इन जिलों के ४२ माध्यमिक विद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यकुल की संस्था-इकाइयाँ हैं । सदस्यों की कुल संख्या ४५३ है ।

प्रदेश में वाराणसी, कानपुर, आगरा और गोरखपुर के विश्वविद्यालयों और उनसे सलग्न डिग्री कालेजों में प्राचार्यकुल की सस्था इकाइयाँ हैं। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राचार्यकुल की स्थापना हुई। वहाँ सदस्यों की संख्या कुल ३५ है। यहाँ के प्राचार्यकुल ने बालक हॉस्टल के छात्रों के जीवन को अधिक सुखकर और सम्पन्न बनाने का काम किया है। ग्रामस्वराज्य कोष एकत्र करने में भी सौत्साह काम किया है। उत्तर प्रदेश प्राचार्यकुल के प्रथम सम्मेलन का पूर्ण भातिष्य भी इन्होंने सम्भाला।

आगरा विश्वविद्यालय से सलग्न लगभग ७० डिग्री कालेज हैं। उनके प्राचार्यों ने एक बैठक में प्रस्ताव पास किया है कि वे अपने कालेज में प्राचार्यकुल की स्थापना करेंगे और इस काम के लिए डॉक्टर हरिहरनाथ टंडन सेंट जास कालेज आगरा के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष (अवकाश प्राप्त) को संयोजक चुनाया।

आगरा से सलग्न डिग्री कालेजों में काम का विवरण निम्नांकित है—

१—सस्थाएँ जहाँ प्राचार्यकुल कार्य कर रहा है।

(१) सेंट जास कालेज, आगरा (२) दयालबाग इजीनियरिंग कालेज, आगरा (३) धर्म समाज कालेज, अलीगढ़ (४) के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद (५) हिन्दू कालेज, मुरादाबाद (६) गोकुलदास क या महाविद्यालय, मुरादाबाद (७) शुक्देवानन्द कालेज, दाहजहाँपुर (८) डिग्री कालेज, कासगज।

२—सदस्यों की संख्या

(१) में ८ (२) में २० (३) में ६० (४) (५) (६) में १२० (७) में ६ (८) में १०। कुल २२४।

३—अलीगढ़ और मुरादाबाद में हिन्दू मुस्लिम अशान्ति में शान्ति-स्थापन और सहायता एवं आगरा में चुनाव में प्रशिक्षण।

(४) तक्षु शांतिसेना की स्थापना—बरेली कालेज और सेंट जास कालेज आगरा में।

गोठियाँ और सम्मेलन

१—पूर्वी जिलों की क्षेत्रीय परिमोष्ठी

पूर्वी जिलों की क्षेत्रीय परिमोष्ठी ६ जून से ११ जून, १९७० को सर्व सेवा सच वाराणसी में आयोजित की गयी थी। मोष्ठी में गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया और वाराणसी के २३ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

शिक्षा की स्वायत्तता के मुद्दे पर चर्चा के बाद इस गोष्ठी ने निर्णय लिया कि शिक्षा अग्र शासन के अधीन हुई तो विचारो का रेजिमेन्टेशन होगा और परिणामस्वरूप अधिनायकवाद से बचा नहीं जा सकता। अतः पैदा और सहकार सरकार का, और स्वायत्तता शिक्षा संस्थाओं की, ऐसी नीति आचार्यकुल की होनी चाहिए।

आचार्यकुल और तरुण शान्तिसेना की अन्योन्याश्रयिता के विषय में गोष्ठी ने निर्णय किया कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अतः सक्रिय आचार्य-कुल का एक लक्षण यह होना चाहिए कि जहाँ आचार्यकुल हो, वहाँ तरुण शान्ति सेना भी हो।

२—कुशीनगर (देवरिया) की बैठक

१६-१७-१८ नवम्बर, १९७० को कुशीनगर में देवरिया जनपद के २० शिक्षा-संस्थाओं, डिग्री कालेजों और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के आचार्यकुल के सयोजकों की बैठक हुई। गोष्ठी का एक मात्र मुद्दा था— ग्रामदान की प्रक्रिया में आचार्यकुल का सक्रिय सहयोग। गोष्ठी ने निर्णय किया कि जिन गाँवों में ग्रामदान प्राप्ति की घोषणा हो चुकी है, उन गाँवों में आचार्यकुल के सदस्य ग्रामस्वराज्य का दर्शन समझाने, ग्रामदान में सकल्पित भूमि का वितरण, ग्राम-सभा के निर्माण का काम, अपनी संस्थाओं के ढाई मील की परिधि के भीतर करेंगे और इस प्रकार लोकशक्ति के संगठन का प्रयास करेंगे। तीन संस्थाएँ अपनी ढाई मील की परिधि में मानेवाले क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

३—धारादरी शिक्षक सम्मेलन

१५ जनवरी, १९७१ को बाबा रामवदास हीरकजयन्ती के अवसर पर थावस्ती में गोण्डा और बहराइच जिलों के शिक्षकों का सम्मेलन आचार्यकुल का विचार समझाने के लिए और इन शिक्षा-संस्थाओं में आचार्यकुल की इकाई स्थापित करने के लिए किया गया। सम्मेलन में दोनों जिलों के लगभग २०० शिक्षक, डिग्री कालेजों और माध्यमिक संस्थाओं के प्राचार्य, प्रवक्ता और अध्यापक सम्मिलित थे।

४—उत्तर प्रदेश आचार्यकुल सम्मेलन

आचार्यकुल का पहला प्रदेशीय सम्मेलन २९-३० नवम्बर को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणसी में आयोजित हुआ। इस में यह पहला प्रदेशीय स्तर का सम्मेलन था। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के बाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, बानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, देवरिया,

बलिया, भाजमगड, गाजीपुर, गोण्डा, ज्ञानपुर (वाराणसी) रायबरेली जिलो के १२१ प्रतिनिधियो ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती महादेवी वर्मा और समापन डाक्टर कालूलाल श्रीमाली ने किया। सम्मेलन तीन सत्रो मे सम्पन्न हुआ, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः श्री शीतल प्रसाद, डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं श्री राजाराम शास्त्री ने की। सम्मेलन मे मुख्यतः दो विषयो पर चर्चा हुई—(१) प्राचार्यकुल की संरचना और कार्य-क्षेत्र तथा (२) प्राचार्यकुल की शिक्षा-नीति।

(१) चर्चा के बाद प्राचार्यकुल की संरचना और कार्य-क्षेत्र पर जो निर्णय हुए, उसे प्राचार्यकुल के विधान मे शामिल कर लिया गया है।

(२) प्राचार्यकुल की शिक्षा-नीति पर घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए श्री दशरथ श्रीवास्तव के संयोजकत्व मे प्रदेश के शिक्षको की एक उप-समिति बना दी गयी है।

बिहार

यद्यपि बिहार के मुंगेर कालेज और भागलपुर विश्वविद्यालय मे प्राचार्यकुल की स्थापना विनोबाजी की उपस्थिति मे राजगीर सम्मेलन के पहले ही हो चुकी थी, फिर भी बिहार मे सघन रूप से काम पिछले चार-पांच महीनों से ही प्रारम्भ हुआ है। केन्द्रीय प्राचार्यकुल समिति की ओर से सहरसा म श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा काम कर रहे हैं और गया जिले मे श्री केराव प्रसाद मिश्र की पहल के कारण तदर्थ जिला स्तरीय समिति बनी है। महावीर विद्यालय गया के प्राचार्य श्री अलखदेव प्रसाद सिंह इस समिति के संयोजक हैं।

अब तक की रिपोर्ट के अनुसार सहरसा जिले के २३ प्रखण्डो मे से १३ प्रखण्डों मे प्रखण्ड स्तरीय इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। सदस्यो की कुल संख्या ६७६ है, जिनमे से १७२ प्रखण्ड की कार्यकारी समितियो के सदस्य हैं। लगभग ६० अध्यापकों ने अलग अलग प्रखण्डों मे अपने अपने गाँवो म जहाँ वे रहते हैं या जहाँ वे काम करते हैं, एक निश्चित अवधि मे ग्रामसभा बनाने, बीपा-कट्टा बँटवाने, ग्राम-प्रातिसेना का निर्माण करने और ग्राम कोष का प्रारम्भ करवाने का तथा खुद अपनी भूमि, यदि वे किसान हैं तो बँटवान की घोषणाएँ की हैं। ५-६ अध्यापको ने १५-१५ दिन का अवकाश लेकर ग्राम स्वराज्य के काम मे समय देने की तैयारी बतायी है। वहाँ प्राचार्यकुल के लगभग १५ सदस्य अध्यापकों ने अपनी अपनी पचायतो और गाँवो मे काम करने का भी वायिस्व लिया है।

भाचार्यकुल और तरुण द्वातिसेना का कार्य एक ही सिक्के के दो पहलू जैसा कार्य है, अतः जिन संस्थाओं में भाचार्यकुल स्थापित हुए हैं उन संस्थाओं में तरुण द्वातिसेना की स्थापना भी हुई है। ऐसे १३५ छात्रों ने तरुण द्वातिसेना के सदस्यता-पत्र भरे हैं और टोलियों और नायकों का चुनाव किया है। भाचार्यकुल के सदस्यों के साथ वे प्रत्यक्ष ग्राम स्वराज्य के काम में लगे हैं।

गया जिले में १९ शिक्षा संस्थाओं में भाचार्यकुल की इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, जिनमें भाचार्यकुल के सदस्यों की संख्या १२० और तरुण द्वातिसेना की संख्या ६५ है।

केन्द्रीय भाचार्यकुल समिति की ओर से पूणिया जिले में भी भाचार्यकुल का काम हो रहा है।

३० दिसम्बर, १९७० को अखिल भारतीय शिक्षक संघ के पैतालिसवें अधिवेशन के अवसर पर बिहार के शिक्षकों को भाचार्यकुल का विचार समझाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लगभग दस हजार शिक्षक उपस्थित थे। भाचार्यकुल का दृष्टिकोण समझाते हुए श्री जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, जेनेन्द्रजी, श्री पशीपर श्रीवास्तव ने शिक्षकों का उद्बोधन किया। भाषा की जाती है कि इससे भाचार्यकुल के काम में गति घायेली।

भाचार्यकुल के काम में गति लाने के विचार से जनवरी, १९७१ से बिहार भाचार्यकुल के संयोजन में कुछ परिवर्तन किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री महेन्द्र प्रताप सिंह बिहार प्रदेश भाचार्यकुल के अध्यक्ष और डा० रामजी सिंह (भागलपुर, बिहार) संयोजक मनोनीत हुए हैं। भाचार्य कपिनजी बिहार भाचार्यकुल के उपाध्यक्ष रहेंगे। धारा है कि नये पदाधिकारी एक तदर्थ समिति बनाकर काम शुरू करेंगे।

महाराष्ट्र

भाचार्यकुल का प्रचार अभी तक महाराष्ट्र के २६ जिलों में से २२ जिलों में हुआ है। जिन जिलों में अध्यापकों ने सकल्प-पत्र भर दिया है, और जहाँ भाचार्यकुल का कुछ काम हो रहा है, ऐसे जिले १८ हैं और वहाँ की सदस्य-संख्या कुल ५०१ है।

महाराष्ट्र के शिक्षण-तज्ञ श्री ल० नो० टापरकरजी और श्री हि० ह० महम्मदजी भाचार्यकुल के समर्थक और प्रभावी प्रचारक हैं। भाचार्य मिश्री का प्रत्येक महयोग प्राप्त होने से ठाने जिला के ग्रामदानी क्षेत्र में बहुत कुछ काम हो सकेगा, ऐसी धारणा है। विदर्भ के प्राचार्य राम देवाकर, ५०८]

छानदेश के प्राचार्य वि० वि० भागवत, नास्तिक के प्राध्यापक बेदरकर, मराठ-वाड़ा के प्राचार्य रामदास हागे, प्राचार्य म्हेसेकर, प्राचार्य वि० वि० चिपकूणकर, ऐसे कई सज्जनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

भाचार्यकुल द्वारा आयोजित गोष्ठियाँ और सहजीवन शिविर

१-पुणे	२७ २८ दिसम्बर, १९६६	चर्चा गोष्ठी
२-गोपुरी (बघा)	२४ जनवरी, १९७०	विषय—शिक्षा का लोकशाहीकरण पू० विनोबाजी की उपस्थिति में भाचार्यकुल क सदस्यों की बैठक
३-परभणी	२२ फरवरी १९७०	भाचार्यकुल परिसवाद अध्यक्ष, श्री वालासाहेब भारदे (विधान सभा के सभापति)
४-बसमतनगर	५-६ ७ मई, १९७०	६० अध्यापकों का शिविर
५-अचलपुर	२५ से २८ जुलाई, ७०	छात्र नायकों का शिविर (सात पाठशाला के १०० छात्र-नायक)
६-परभणी	६ सितम्बर, ७०	परिमोष्ठी, 'विद्या का व्यासपीठ'
७-चालिसगांव	२२ नवम्बर, ७०	४० अध्यापकों की गोष्ठी
८-बणी	१६ १७ १८ जनवरी, ७०	शिविर (५० उपस्थिति)

पू० विनोबाजी ने ममारोप करते हुए सदेश दिया 'खूब अध्ययन करो, सफाई करो, स्त्री शक्ति जागृत करो और ज्ञानशक्ति और धर्म-शक्ति का सयोग करो'।

९-मौरङ्गाबाद	३ ४ अप्रैल, १९७१	गोष्ठी
		विषय—व्यक्तिगत और संस्थागत कार्यक्रम, उपस्थिति ६०

भावी योजनाएँ

- १-भाचार्यकुल की सदस्य संख्या एक हजार तक बढ़ायी जाय।
- २-महाराष्ट्र की प्रतिनिधि 'भाचार्यकुल परिषद' पू० विनोबाजी की उपस्थिति में आयोजित की जाय।
- ३-महाराष्ट्र राज्य के स्तर पर भाचार्यकुल के कुछ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक 'विचार शासन मंडल' स्थापित किया जाय और उनके मागदर्शन में सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर विभिन्न स्थानों में गोष्ठियों का आयोजन करके उनके निष्कर्ष लोगों की जानकारी के लिए प्रसारित किये जायें।

५-प्रत्यक्ष केन्द्रों पर अध्यापक तथा छात्रों के कम-से कम ५ दिन के अम-सह्यार शिविर आयोजित किये जायें ।

५-भाचार्यकुल सम्बन्धी साहित्य निर्माण करना तथा मुखपत्र के तौर पर एक मासिक या त्रैमासिक प्रकाशित करना ।

राजस्थान

राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, धजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर में भाचार्यकुल के विचार का प्रचार हुआ है और साधियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है । जुलाई अगस्त में श्रीधामवास के बाद शिक्षा-संस्थाओं के खुलने पर अधिक लघु रूप से काम करना सम्भव होगा । बीकानेर में तो जिला स्तरीय भाचार्यकुल की स्थापना की तिथि निश्चित करके केन्द्रीय भाचार्यकुल को सूचना भी दी जा चुकी थी, परन्तु मध्याह्न चुनाव के कारण बैठक स्थगित कर दी गयी । गर्मी की छुट्टियों के बाद ही यह बैठक भी आयोजित की जायगी । माघी शान्ति प्रतिष्ठान में आने के बाद श्री शान्तिस्वरूप गुप्ता (जयपुर) इस काम को देख रहे हैं ।

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश में तदर्थ समिति ही काम कर रही है और वहाँ विधिवत् प्रादेशिक स्तरीय भाचार्यकुल की स्थापना नहीं हुई है । २८ से ३० जनवरी तक टीकमगढ़ जिले में जिला स्तरीय भाचार्यकुल की स्थापना के लिए एक शिक्षक सम्मेलन राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में बुलाया गया था, परन्तु मध्याह्न चुनाव के कारण उसे स्थगित कर दिया गया ।

दिल्ली

ता० ८ २७१ की सर्वोदय मण्डल की कार्यकारिणी सभा में निश्चय किया गया कि मण्डल की ओर से भाचार्यकुल का कार्यक्रम भी चलाया जाय ।

ता० ११ २७१ की दिल्ली के विभिन्न कालेजों के प्रतिनिधियों की एक बैठक सर्वोदय मण्डल ने बुलाई, जिसमें भाचार्यकुल के उद्देश्य और स्वरूप के बारे में विचार विमर्श हुआ और अंत में सबने मिलकर भाचार्यकुल की स्थापना का निर्णय लिया । साथ ही प्रति मास भाचार्यकुल की बैठक बुलाने का भी निश्चय हुआ ।

ता० १४ ३७१ को अपराह्न तीन बजे भाषाय काका साहेब कालेलकर के सान्निध्य में सत्रिधि में भाषायकुल की दूसरी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिल्ली की प्रमुख समाजसेवी श्रीमती सावित्री सचदेव ने की ।

विभिन्न कालेजों के प्राध्यापक भाई बहनो ने मिलकर आचार्यकुल की एक समिति बनायी, जिसका सयोजक डा० सीता को बनाया गया ।

बैठक के धन्त मे आचार्य काका साहेब कालेलकर ने उपस्थित प्राध्यापको और कार्यकर्ताओं को दिल्ली मे आचार्यकुल की स्थापना के लिए बधाई देते हुए आचार्यकुल की कल्पना को मूर्त स्वरुप देने के लिए तैयार होने के लिए प्रोत्साहित किया ।

श्री जैनेन्द्रजी ने आचार्यकुल के कार्य के लिए सहयोग और मार्गदर्शन करने का आश्वासन दिया है । दिल्ली सर्वोदय मण्डल के सयोजक श्री बसन्त व्यास ने भी आचार्यकुल के काम मे शक्ति लगाने का आश्वासन दिया है ।

आंध्र

आंध्र मे सर्वोदन कार्यकर्ता श्री च० जनादन स्वामी के प्रयास से गुटुर जिले मे छोटे पैमाने पर आचार्यकुल के विचार प्रचार का काम हुआ है । जनवरी, १९७१ के तीसरे सप्ताह मे तेनाली शहर मे आचार्यकुल का क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाने की उनकी योजना थी । उनकी माँग के अनुसार उनके पास आचार्यकुल का साहित्य भेज दिया गया है ।

मंसूर

मंसूर मे धारवाड में २ फरवरी, १९७१ को शिक्षकों की एक कांग्रेस मे नयी तालीम के मंत्री श्री के० एस० आचार्यजी ने आचार्यकुल का विचार समनाया । उनके आदेश के अनुसार धारवाड में गांधी शांति प्रतिष्ठान के सगठक श्रीमती शकुन्तला कुर्तकोटि और श्री के० बी० तेरेगावकर के पास आचार्यकुल का साहित्य भेज दिया गया है ।

केरल और तमिलनाडु

आचार्यकुल सम्बन्धी साहित्य गांधी शांति प्रतिष्ठान के मंत्री श्री राधाकृष्ण पे आदेशानुसार केरल के मित्रो के पास भी भेजा गया है । तमिलनाडु मे साहित्य भेजा गया है । इस प्रकार धीरे-धीरे दक्षिण में आचार्यकुल के विचार का प्रचार हो रहा है ।

— बशीर अलीवास्तव

सेवाग्राम-शिविर-योजना

भौगोलिक दृष्टि से व वैचारिक दृष्टि से सेवाग्राम भारत के हृदय-स्थल पर विराजमान है। भारतीय आजादी और एकता के प्रवाह इसी मगल भूमि से प्रतुस्यूत हुए और भागे चलकर जिस सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति का स्वप्न बापू ने संजोया था, और हमारे लिए उसे साकार करने का जो उत्तराधिकार वे छोड़ गये हैं, उसके निमित्त कारण रूप पू० विनोबा भी, इसी हृदयस्थली से संचरण करते हुए शासनमुक्त शोषणहीन अहिंसक समाज रचना की नवीनतम क्रान्ति में भारतवर्ष को दीक्षित करने हेतु बरसों तक पैदल घूमे। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि विनोबा ने, सबको सुलभता से मिल सके इस हेतु से, अपने भाषको, परधाम पवनार, ब्रह्मविद्यामंदिर में स्थानबद्ध कर लिया है।

बापूजी ने जीवनभर इस उपमहादेशानुमा विशाल देश के बितरे हुए मण्डलों की, वदसलता के अदृश्य धागे से जोड़ने का कार्य किया और इसके लिए अपनी आत्माहुति तक दे दी। सेवाग्राम आश्रम वा आखिरी निवास अपने हृदय में इसी भाव को सजोये आज भी खड़ा है। आज भी उस मानप-महान की लघु कृतिया, सत्य की-सी सादगी लिये, धरति की-सी नम्रता सजोये, सत्ता और संपत्ति के द्वारा ढाये जानेवाले अन्यायो के प्रतिकार की प्रतिभूति के रूप में मग्नद खड़ी है। देश के घोर विश्व के कोने-कोने से हजारों की ताबाद में लोग यहाँ आकर नयी दृष्टि, नयी प्रेरणा और नया उत्साह लेकर प्रतिवर्ष अपने-अपने स्थान को लौटते हैं।

उद्देश्य

उपरोक्त विचारों की पृष्ठभूमि में से ही सेवाग्राम-शिविर-योजना साकार हुई है। बापूजी के अंतिम वसियतनाम में, हिंसा शक्ति की विरोधी, दंडशक्ति से भिन्न ऐसी तीसरी लोकशक्ति के निर्माण हेतु लोक-सेवक सभ की स्थापना की अपेक्षा रखी थी। इनके सपनों का भारत, यानी साठे पाँच लाख, स्वयंभू, स्वायत्त, स्वावलम्बी, स्वयंपूर्ण गाँवों का स्वेच्छाधारित महासंघ ही था। उस ग्राम-स्वराज्य को साकार करने के लिए प्रत्येक गाँव में लोकनिष्ठ और लोपा-धारित एक-एक लोक-सेवक बैठकर, लोकजागृति और लोकशक्ति को प्रवृत्त करने के काम में जुटे यह जरूरी है। उसके लिए नयी पीढ़ी को प्रेरित और सक्रिय करने की प्रतिवार्य आवश्यकता है। उसका एक कारगर माध्यम शिविर-गोष्ठी-गणमेसन है। शिविर यानी पुराने अनुभवों को नयी पीढ़ी तक पहुँचाने

का एक सफल माध्यम, नये सदस्यों में नये आयामों को खोज निकालने का प्रयोग-स्थान ही माना जायगा। उसके द्वारा हजारों की तादाद में नये युवा शिक्षित और दीक्षित होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, यह अपेक्षा है। एक छम्बे घण्टों तक उसे चलाने हेतु सुनियोजित ढंग से हमें कार्य करना होगा।

योजना का सूत्रपात

इन विचारों और दशताब्दी वर्ष के अनुभव के आधार पर यह सोचा गया कि सेवाग्राम में इस प्रकार के शिविर-सम्मेलन के माध्यम से लोगों को शिक्षित और दीक्षित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाय। उसके जरिये, विभिन्न समाज-सेवी, शासकीय, अशासकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक सगठन और संस्थाओं को सेवाग्राम में विभिन्न स्तर के (राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय) और विभिन्न उद्देश्य के शिविर, परिसंवाद या सम्मेलन करने के लिए आवाहन किया जाय, और इस प्रकार इस ऐतिहासिक क्रान्ति-वाम सेवाग्राम को शक्ति का केन्द्र बिन्दु फिर से बनाया जाय।

योजना का स्वरूप

भारत में राष्ट्रीय स्तर की सभी रचनात्मक और समाजसेवी संस्थाएँ मसलन् सर्व सेवा सघ, अ० भा० शान्तिसेना मंडल, आचार्यकुल, राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि, गांधी शक्ति प्रतिष्ठान, अ० भा० हरिजन सेवक सघ, आदिवासी और गिरिजन सेवा सघ, ग्रामीण महिला मंडल, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, भारत स्काउट्स एण्ड गाईड्स, अखिल भारतीय स्तर के विभिन्न वरुण, विद्यार्थी, शिक्षक और मजदूर सगठन, स्वायत्त संस्थाओं के सगठन जैसे कि अ० भा० पचायत परिषद्, यग भेन विमेन क्रिश्चियन् एसोसियेशन, सांस्कृतिक मंडल—जैसे गुरुदेव सेवा मंडल, साधु समाज, अ० भा० गोसेवा सघ, प्राकृतिक चिकित्सा सघ, भारत सेवक समाज आदि सगठन और संस्थाएँ अपने-अपने राष्ट्रीय राज्य या क्षेत्रीय स्तर के विभिन्न समयावधि और उद्देश्य के शिविर गोष्ठी या सम्मेलन, प्रति वर्ष कम-से-कम एक बार सेवाग्राम के वातावरण में आयोजित करें और गांधी के सपनों के भारत के निर्माण-कार्य में लगे, यह आवश्यक है और अपेक्षित है।

व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक दृष्टि से भी सेवाग्राम आश्रम के वातावरण में समरस होकर जिज्ञानु भाई-बहन समाज बदलने की अहिंसक क्रान्ति के काम में सहभागी हों यह भी उम्मीद है। इस योजना के जरिये हम उनका भी आवाहन करते हैं।

शिविर के लिए सुविधाएँ

देश की सभी रचनात्मक समस्याओं से अपेक्षा की जाती है कि व सवाग्राम में स्थित सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रवासात्म्य भी किसी प्रकार के शिविर को आयोजित करेंगे उसके लिए निम्न सुविधाएँ इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त हैं —

वरधा में निम्न समस्याओं के भवलोकन तथा शिक्षण प्रवास का लाभ शिविरार्थियों को प्राप्य है । सेवाग्राम में—आश्रम, तालीमी संघ, कस्तूरबा मेडिकल कालेज, गांधी सेवा सघ, खादी उद्योग समिति, वरधा में मगनबाड़ी, जमनालाल बजाज खादी ग्रामोद्योग रिसर्च इंस्टिट्यूट, मगन रामहालय, सर्व सेवा सघ प्रयोग समिति, राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ प्रतिष्ठान, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, महिलाश्रम, मातृसेवा सघ, नालबाड़ी में—सर्व सेवा सघ केन्द्रीय कार्यालय, प्राकृतिक चिकित्सा-केन्द्र गोपुरी चर्मालय, सरजाम कार्यालय, गोशाला, दत्तपुर में—कुष्ठघाम, पिपरी में—रुल इंस्टिट्यूट, गोशाला, पवनार में—ब्रह्मविद्यामंदिर ग्रामसेवा मंडल सेषडोह में—कृषि कार्य । वरधा में स्थायी निवास करनेवाले जिन विचारकों तथा साधकों के विचारों का लाभ शिविर को मिल सकता है वे हैं—सर्वश्री घण्टा साहब सहस्रबुद्धे (धनुभवो सर्वोदय विचारक), चिमनलाल भाई (आश्रम के गुरुजन), के० भाचालू (नयी तालीम शिक्षाविद), श्री निमला गांधी (बापू की पुत्रवधू), सरयूताई घोत्रे (समाजसेवी), श्री ल०रा० पटिल (मेडिकल कालेज गृहपति) श्री मुक्तेश्वर (कृषि विशेषज्ञ), श्री घापटें गुरुजी, श्री नानाभाई (सामाजिक स्वास्थ्य), मेडिकल कालेज के प्रोफेसर, श्री हातेकर (पिसिपल रुल इंस्टिट्यूट), दतोबा दास्ताने (सर्वोदय विचारक), बायरेक्टर (ग्राम रिसर्च इंस्टिट्यूट), श्री ना० रा० सोवनी (प्रयोग समिति खादी विशेषज्ञ) कृष्णाभूति मिरमिरा (पोर्टरी विशेषज्ञ), रामभाऊ म्हसकर, साधक डा० रविशकर शर्मा (कुष्ठरोग चिकित्सक), डा० महोदय (समाजसेवी डाक्टर), मुन्नालालजी (आश्रम के अतेवासी), प्रो० जाजूजी, ठाकुरदास बग (मंत्री, सर्व सेवा सघ), सुमनताई (सर्वोदय विचारक), श्री बसंत बोबटकर (अध्यक्ष, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल), डा० मिलकण्ठराव (कुष्ठ प्रतिष्ठान), श्री महेंद्र शास्त्री (शांति प्रतिष्ठान), श्री सत्यनाथम् (नयी तालीम विशेषज्ञ), रसूल महमद अबोध (राष्ट्रीय एकताके पुरस्कर्ता), श्री वेग बकील, प्रो० खान, प्रिंसिपल शाह (सुप्रसिद्ध विद्वान), श्रीमती रमानहन रुइया (महिला आश्रम, सचालिका व विचारक), श्रीमती घातिशीला बहन (नयी तालीम विशेषज्ञ), श्रीमती कमलाताई लेले (समाज सेविका), श्री द्वारकानाथ लेले (खादी पाय के विशेषज्ञ) आदि ।

शिविर, सम्मेलन या व्यक्तिगत मुलाकात लेने जानेवाले सभी भाई-बहनों को सेवाग्राम जाने हेतु रियायती टिकट की व्यवस्था, आश्रम प्रतिष्ठान द्वारा दी जा सकेगी। आयोजक-रूपा को आवश्यक सहाय में रेलवे कसेसन सर्टिफिकेट्स सेवाग्राम शिविर योजना के मारफत भेजे जा सकेंगे।

सेवाग्राम, वधा और पवनार की रचनात्मक समस्याओं की मुलाकात अध्ययन के निमित्त से लेने का आयोजन यहाँ के कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना गया है। छोटी बड़ी सहाय की मुलाकातों को पू० बाबा विनोबाजी) से चर्चा-विचारणा करने का अवसर भी मिल सकेगा। सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना, सामूहिक श्रम और सफाई, सामूहिक भोजन तथा सामूहिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिये समूह जीवन बिताने का अवसर आश्रम का वातावरण प्रदान करता है।

आश्रम में स्वच्छता, पवित्रता और शक्ति एवं प्रेरणा का वातावरण बापू-कुटी के पास में सहज ही मिलता है।

शिविर की दृष्टि से ५० व्यक्ति आसानी से वहाँ रह सकत हैं। उनके निवास, भोजन, बिजली पानी तथा अन्य प्रकार की आवश्यकताओं का प्रबन्ध आरगीपूर्ण ढंग से यहाँ मिल सकेगा।

५० व्यक्ति १० दिन के लिए सेवाग्राम शिविर-योजना के अन्तर्गत रहेंगे। उमका न्यूनतम खर्च इस प्रकार अनुमानित किया गया है —

भोजन व्यय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन २.५० के हिसाब से—

नारना पेय समेत	४० पैसे
$५० \times १० \times २५०$	१,२५०.००
निवास, बिजली, पानी	
५०×२५०	१२५.००
स्थानीय प्रवास (वधा पवनार)	
$५० \times २५० =$	१२५.००
अन्य खर्च	५००.००
	<hr/>
	२,०००.००

यह अनुमानित न्यूनतम बजट है। जो प्रत्यक्ष व्यय आयेगा वही लिया जायगा।

सम्मेलन आदि में २०० व्यक्तियों के भोजन निवास आदि की व्यवस्था आश्रम में की जा सकेगी।

सेवाग्राम में उपलब्ध सुविधाएँ

डाकखाना, तारघर, टेलीफोन-व्यवस्था (सस्थागत व सार्वजनिक), सेन्ट्रल बैंक की शाखा, उपाहार के लिए कैंटीन, गांधी दर्शन-प्रदर्शन तथा राष्ट्रीय महत्व की डाक्युमेन्टरी फिल्मस के प्रदर्शन की व्यवस्था तथा पुस्तकालय ।

आवश्यक जानकारी

आयोजक सस्था को अपने शिविर-परिसराद गोण्ठियाँ, सम्मोहन आदि की सारीस और समयानधि, उद्देश्य आदि, काफी पहले से सगठक, सेवाग्राम-शिविर-योजना, पो० सेवाग्राम, वर्धा (महाराष्ट्र) के पते से पत्र व्यवहार द्वारा निश्चित कर लेना उचित होगा ।

सेवाग्राम आने हेतु वर्धा जक्शन उतरना ठीक होगा । वर्धा, बम्बई हावडा एव मद्रास-दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित मध्य रेलवे (से० रे०) का जक्शन है । वहाँ से सेवाग्राम आश्रम, करीब ९॥ किलोमीटर दूर है । स्टेट ट्रान्सपोर्ट की बस-सर्विस, सुबह, दोपहर, शाम, सत्रय-समय पर चलती रहती है । ३० पैसा आश्रम स्टैंड तक का किराया है । साइकिल रिक्शा और तागा सामान्य-तया २ रुपये से ३ रुपये तक का किराया लेते हैं ।

सेवाग्राम भी छोटा सा स्टेशन है जो भुसावल नागपुर लाइन पर स्थित है । यहाँ सभी पैसेन्जर गाडियाँ खडी होती है । स्टेशन से आश्रम करीब २ ५ कि०मी० (१॥ मिल) की दूरी पर है । वहाँ वाहन-व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है ।

सेवाग्राम का जलवायु सुष्क होता है । गरमी के मौसम मे ११५° फेरनहीट तापमान रहता है व ठडी के मौसम से ५०° तक नीचे गिरता है । रात्रि के उपयोग के लिए मसहरी और टार्च रखना आवश्यक है ।

शिविर के प्रकार

विभिन्न उद्देश्यो को नजर मे रखते हुए विभिन्न प्रकार के शिविर आयोजित किये जाते हैं, उसके कुछ प्रकार ये हैं । अपनी रुचि और विशेषता के अनुरूप उद्देश्य के अनुसार शिविर सपन्न किये जा सकेंगे ।

अ—पूर्व सचित ज्ञान मे नयी जानकारी जोडने हेतु प्रत्यास्मरण शिविर

आ—विषय विशेष को केन्द्र मे रखते हुए उसका गहरा अध्ययन करने की दृष्टि से अध्ययन-शिविर ।

इ—निर्माण कार्य को केन्द्र मे लेकर अम शिविर

ई—विचारों को फैलाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम को माध्यम बनाकर गीत संगीत-मजन, प्रशिक्षण शिविर ।

उ—सम्मिलित परिवारों को, दीक्षित, शिक्षित और सस्कारी बनाने हेतु पारिवारिक शिविर ।

ऊ—समाजसेवा के लक्ष्य की पूर्ति हेतु समाज सेवा शिविर ।

ए—उद्देश्य और आवश्यकतानुरूप विभिन्न प्रकार के कायवर्ती, संगठक, प्रशिक्षक, भादि को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण शिविर ।

इस प्रकार के विविध लक्ष्यों के अनुरूप विभिन्न समयावधि के शिविरों का आयोजन सेवाग्राम के वातावरण में किया जा सकता है ।

व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से शिविर में हाथ, हृदय और मस्तिष्क के विकास के अवसर पर्याप्त मिलें यह भी दृष्टि सामने है । तदनुसार ग्रन्थासत्रम की विविध रूपरेखा इस प्रकार की हो सकती है ।

अ--बौद्धिक चर्चा और वर्ग भादि के कुछ साकेतिक विषय—

(१) ग्रन्थात्म और विज्ञान (२) राजनीति बनाम लोकनीति (३) सर्वोदय-समाज क्या, क्यों और कैसे ? (४) रचनात्मक कार्यक्रम (रहस्य और पद्धति) (५) गांधी के बाद का सर्वोदय (६) गांधी विचार व हमारी मौजूदा समस्याएँ (७) सर्वधर्म समभाव (८) मानवीय एकात्मता (९) क्रान्ति का त्रिभुज और विविध कार्यक्रम स्वतंत्रता, समता बन्धुता, ग्रामदान, शान्तिसेना, ग्रामाभिमुख खादी) (१०) विश्व शान्ति के नये आयाम (११) स्त्री पुरुष सहजीवन (१२) मानवीय धर्मशास्त्र, (१३) ग्रन्थाय कारण और निवारण (१४) नव-समाज-निर्माण और हमारा दायित्व (१५) शिक्षा में क्रान्ति (१६) लोकतांत्रिक मूल्य (१७) प्रार्थना क्या, क्यों और कैसे ? (१८) शासन बनाम अनुशासन (१९) जीवन में व्रत का स्थान और व्रत विचार (२०) साम्यवाद और गांधी विचार ।

[टिप्पणी - उपरोक्त विषय-सूची साकेतिक है । शिविर के प्रकार व उद्देश्य के अनुरूप नये विषय जोड़े और इन विषयों में से घटाये जा सकते हैं ।]

आ—श्रियात्मक-वर्ग

व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, शिविर-जीवन का एक महत्वपूर्ण आवश्यक अनिवार्य अंग है । जैसे कि निवास सफाई, कपड़े धोना, अपने बर्तन

लोगों ने खुद होकर इस विचार को अपना लिया, या शांतिपूर्वक समझाकर उन्हें इस बात की स्वीकृति के लिए उद्यत किया गया तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती।' ('यंग इंडिया' १५-११ '२८)

इस विषय में सर्वोदय की दृष्टि यह है कि लोकदोषण के द्वारा समय साधनवानों को सार-सभाले (स्टूवर्डशिप) के सिद्धांत से और गरीबों को स्वयं-सहायता के सिद्धांत से दीनित करना चाहिए। ('हरिजन' ४८ ४६) सर्वोदय विचार को "यह विश्वास है कि मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति को इस प्रकार विकसित कर सकता है कि जिससे (दुनिया में) दोषण की मात्रा कम से-कम रहे। (गांधीजी का लेख 'माडन रिव्यू अक्टूबर १९३५) इसी विश्वास के कारण विश्वस्तवृत्ति (ट्रस्टीशिप) का निम्न कौष्ठक सर्वोदय विचारवालों ने दुनिया के मामले प्रस्तुत किया है। यह कौष्ठक स्व० किंगोरलालभाई तथा नरहरिभाई परीख ने तैयार किया था और बापू ने उसे स्वीकृति दी थी। कौष्ठक इस प्रकार है -

(१) ट्रस्टीशिप (विश्वस्तवृत्ति) वर्तमान पूँजीवादी समाज व्यवस्था को मानव ममानता पर आधारित समाज व्यवस्था में परिवर्तित करने का साधन पुटा देनी है। वह पूँजीवाद को किसी प्रकार का प्रथम नहीं देती परन्तु स्वामित्व रखनेवाले वर्ग को अपना सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। वह इस विश्वास पर काम करती है कि मानवी प्रकृति कभी भी पाप विमुक्ति के विमुख नहीं।

(२) संपत्ति के निजी स्वामित्व का कोई अधिकार वह स्वीकृति नहीं करती, सिवा इसके कि समाज अपनी भलाई के लिए कुछ रखने की अनुज्ञा दे।

(३) संपत्ति के स्वामित्व का एव उपयोग का कानून से नियमन करना वह अपनी कृपा के बाहर नहीं मानती।

(४) इस प्रकार राज्य की ओर से नियमित विश्वस्तवृत्ता के मातहत व्यक्ति अपने स्वार्थी सतृप्ति के लिए या समाज के हितों का ख्याल न करते हुए संपत्ति रखने या अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।

(५) जिस तरह यह प्रस्ताव है कि एक योग्य न्यूनतम (डिसेंट मिनिमम) जीवन वेतन निर्धारित किया जाय उसी तरह अधिकतम (मेक्सिमम) आय की सीमा निर्धारित की जाय, जो कि किसी व्यक्ति को समाज में अनुज्ञात हो। इस प्रकार के न्यूनतम और अधिकतम आयों में युक्तिसंगत और न्यायसंगत भेद हो इस अंतर को समाप्त करने की वृत्ति रहे और उस दिशा में ले जानेवाला परिवर्तन समय पर होता रहे।

“अपनी धन संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार करो कि उससे अपने पड़ोसी की हानि न हो। यह केवल वानूनी तत्त्व ही नहीं है, जीवन का एक महान सिद्धांत है। अहिंसा का सुयोग्य आचरण करने की यह कुजी है।” (‘गांधीजी के लेख’ ५-३-३६)

इसी दृष्टि से विनोबाजी कहते हैं कि संपत्ति समाज में विपुल हो और उसका एक स्वरूप हो। ‘धन वण धर-धर में’ यदि इकट्ठा करना ही हो, तो संपत्ति कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में रखने के बजाय समाज में सबके हाथ में रहेगी, इस प्रकार उसे रखा जाय। यह कैसे? देहात में अनुभवी लोग एक तालाब खोद रखते हैं। इस तालाब पर किसी एक का स्वामित्व नहीं होता, सिंचाई के लिए भी इस तालाब का उपयोग नहीं होता, लेकिन उसके होने के कारण ग्राम में सिंचाई के समस्त कुँग्रों में सालभर पर्याप्त पानी रहता है। सर्वोदय की आर्थिक रचना में इस प्रकार की सांपत्तिक आयोजना की आवश्यकता होगी। संपत्ति थोड़ी-थोड़ी सबके पास रहेगी और कुछ ऐसी होगी, जिसके विषय में हर किसीको अपनेपन का भान दिलाया गया हो।

सर्वो का उदय जहाँ अभिप्रेत है, वहाँ ‘उदय’ शब्द का अभिप्राय भी समझ लें। ‘उदय’ में बाधाओं का निरास, अवसरों की लब्धि, इस लब्धि का भान सार्वजनिक अभिक्रम और सभी की उन्नति की ओर आरोहण निहित है। किसी भी योजना में, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण प्रकटीकरण की स्वतंत्रता का अस्तित्व अतीव आवश्यक है, गांधीजी का यह आग्रह सत्य-आग्रह है।

‘सर्व’ का एक अर्थ समग्र भी है। मानव की आर्थिक उन्नति उसकी नैतिक उन्नति का खयाल छोड़कर हो नहीं सकती। यदि कही होती हुई दीलती हो, तो वह आर्थिक उन्नति नहीं, अनर्थ-परम्परा की पूर्वसूचना है, यह विचार सर्वोदय के अर्थशास्त्र में अंतर्भूत है। यह अर्थशास्त्र मानता है कि युक्ति के आधार से ही नीति का व्यवहार सभता है और नैतिक व्यवहार से आर्थिक सम्योजना हो सकती है, वरन् वह आर्थिक योजना सम्योजना नहीं, मृत्युयात्रा होगी।”

अर्थशास्त्र के विचार में कुछ बातों का विशेष विचार किया जाता है। इन बातों के विषय में सर्वोदय की क्या दृष्टि है, देखें।

निजी सम्पत्ति

निजी सम्पत्ति के विषय में गांधीजी कहते हैं : “निजी सम्पत्ति का, सत्या का खातमा असग्रह के नैतिक विचार वा आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग मात्र है। और यदि

लोगों ने खुद होकर इस विचार को अपना लिया, या शांतिपूर्वक समझाकर उन्हें इस बात की स्वीकृति के लिए उद्यत किया गया तो, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती।' ('यंग इंडिया' : १५-११-'२८)

इस विषय में सर्वोदय की दृष्टि यह है कि लोकशिक्षण के द्वारा 'समर्थ साधनवानों को सार-सभाले (स्टूवर्डशिप) के सिद्धांत से और गरीबों को स्वयं-हायता के सिद्धांत से दीक्षित करना चाहिए।' ('हरिजन' ४८-'४६) सर्वोदय विचार को "यह विश्वास है कि मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति को इस प्रकार विकसित कर सकता है कि जिससे (दुनिया में) शोषण की मात्रा कम से-कम रहे।" (गांधीजी का लेख 'मार्डन रिब्यू अक्टूबर १९३५) इसी विश्वास के कारण विश्वस्तवृत्ति (ट्रस्टीशिप) का निम्न कोष्ठक सर्वोदय-विचारवालों ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। यह कोष्ठक स्व० किशोरलालभाई तथा नरहरिभाई परीख ने तैयार किया था और बापू ने उसे स्वीकृति दी थी। कोष्ठक इस प्रकार है :

(१) ट्रस्टीशिप (विश्वस्तवृत्ति) वर्तमान पूंजीवादी समाज व्यवस्था को मानव-समानता पर आधारित समाज-व्यवस्था में परिवर्तित करने का साधन जुटा देती है। वह पूंजीवाद को किसी प्रकार का प्रथय नहीं देती, परन्तु स्वामित्व रखनेवाले वर्ग को अपना सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। वह इस विश्वास पर काम करती है कि मानवी प्रकृति कभी भी पाप विमुक्ति के विमुक्त नहीं।

(२) संपत्ति के निजी स्वामित्व का कोई अधिकार वह स्वीकृत नहीं करती, सिवा इसके कि समाज अपनी भलाई के लिए कुछ रखने की अनुज्ञा दे।

(३) संपत्ति के स्वामित्व का एव उपयोग का कानून से नियमन करना वह अपनी कक्षा के बाहर नहीं मानती।

(४) इस प्रकार राज्य की ओर से नियमित विश्वस्तता के मातहत व्यक्ति अपने स्वार्थी सतृप्ति के लिए या समाज के हितों का ख्याल न करते हुए संपत्ति रखने या अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।

(५) जिस तरह यह प्रस्ताव है कि एक योग्य न्यूनतम (डिसेंट मिनिमम) जीवन-वेतन निर्धारित किया जाय, उसी तरह अधिकतम (मेक्सिमम) आय की सीमा निर्धारित की जाय, जो कि किसी व्यक्ति को समाज में अनुज्ञात हो। इस प्रकार के न्यूनतम और अधिकतम आयों में सुक्तिसंगत और न्यायसंगत घतर हो, इस अन्तर को समान्य करने की वृत्ति रहे और उस दिशा में ले जानेवाला परिवर्तन समय पर होता रहे।

“अपनी धन संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार करो कि उससे अपने पड़ोसी की हानि न हो। यह केवल कानूनी तत्त्व ही नहीं है, जीवन का एक महान सिद्धांत है। अहिंसा का सुयोग्य आचरण करने की यह कुञ्जी है।” (‘गांधीजी के लेख’ ५-३ ‘३६’)

इसी दृष्टि से विनोबाजी कहते हैं कि संपत्ति समाज में विपुल हो और उसका एक स्वरूप हो। ‘धन कण पर-पर में’ यदि इकट्ठा करना ही हो, तो संपत्ति कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में रखने के बजाय समाज में सबके हाथ में रहेगी, इस प्रकार उरो रखा जाय। वह कैसे? देहात में अनुभवों लोग एक तालाब खोद रफते हैं। इस तालाब पर किसी एक का स्वामित्व नहीं होता, सिंचाई के लिए भी इस तालाब का उपयोग नहीं होता, लेकिन उराके होने के कारण ग्राम में सिंचाई के समस्त कुँमों में सालभर पर्याप्त पानी रहता है। सर्वोदय की आर्थिक रचना में इस प्रकार की सापत्तिक आयोजना की आवश्यकता होगी। संपत्ति थोड़ी-थोड़ी सबके पास रहेगी और कुछ ऐसी होगी, जिसके विषय में हर किसीको अपनेपन का भान दिलाया गया हो।

सबों का उदय जहाँ अभिप्रेत है वहाँ ‘उदय’ शब्द का अभिप्राय भी समझ लें। ‘उदय’ में बाधाओं का निरास, व्यवसरो की लब्धि, इस लब्धि का भान साविक अभिक्रम और सभी की उन्नति की ओर धारोहण निहित है। नितो भी योजना में, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के सपूर्ण प्रकटीकरण की स्वतंत्रता का अस्तित्व अतीव आवश्यक है गांधीजी का यह आग्रह सत्य आग्रह है।

‘सर्व’ का एक अर्थ समग्र भी है। मानव की आर्थिक उन्नति उसकी नैतिक उन्नति का खपाल छोडकर हो नहीं सकती। यदि कही होती हुई दीसती हो, तो वह आर्थिक उन्नति नहीं, अनर्थ परम्परा की पूर्वसूचना है, यह विचार सर्वोदय के अर्थशास्त्र में अतर्भूत है। यह अर्थशास्त्र मानता है कि युक्ति के आधार से ही नीति का व्यवहार सघता है और नैतिक व्यवहार से आर्थिक सयोजना हो सकती है, वरन् वह आर्थिक योजना सयोजना नहीं, मृत्युवाग होगी।”

अर्थशास्त्र के विचार में कुछ वातो का विशेष विचार किया जाता है। इन वातो के विषय में सर्वोदय की क्या दृष्टि है, देखें।

निजी सम्पत्ति

निजी सम्पत्ति के विषय में गांधीजी कहते हैं : “निजी सम्पत्ति का, सत्ता का सातमा अघसह के नैतिक विचार का आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग मान है। और यदि

“अपनी धन संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार करो कि उससे अपने पड़ोसी की हानि न हो। यह केवल कानूनी तत्त्व ही नहीं है, जीवन का एक महान सिद्धांत है। अहिंसा का सुयोग्य आचरण करने की यह कुञ्जी है।” (‘गांधीजी के लेख’ ५-३-३६)

इसी दृष्टि से विनोबाजी कहते हैं कि संपत्ति समाज में विपुल हो और उसका एक स्वरूप हो। ‘धन कण धर-धर में’ यदि इकठ्ठा करना ही हो, तो संपत्ति कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में रखने के बजाय समाज में सबके हाथ में रहेगी, इस प्रकार उसे रखा जाय। वह कैसे? देहात में अनुभवी लोग एक तालाब खोद रखते हैं। इस तालाब पर किसी एक का स्वामित्व नहीं होता, सिंचाई के लिए भी इस तालाब का उपयोग नहीं होता, लेकिन उसके होने के कारण ग्राम में सिंचाई के समस्त कुँधों में सालभर पर्याप्त पानी रहता है। सर्वोदय की आर्थिक रचना में इस प्रकार की सांपत्तिक आयोजना की आवश्यकता होगी। संपत्ति थोड़ी-थोड़ी सबके पास रहेगी और कुछ ऐसी होगी, जिसके विषय में हर किसीको अपनेपन का भान दिलाया गया हो।

सबों का उदय जहाँ अभिप्रेत है, वहाँ ‘उदय’ शब्द का अभिप्राय भी समझ लें। ‘उदय’ में बाधाओं का निरास, अवसरों की लब्धि, इस लब्धि का भान सार्वत्रिक अभिरुम और सभी की उन्नति की ओर आरोहण निहित है। किसी भी योजना में, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण प्रकटीकरण की स्वतंत्रता का अस्तित्व अतीव आवश्यक है गांधीजी का यह आग्रह सत्य-आग्रह है।

‘सर्व’ का एक अर्थ समग्र भी है। मानव की आर्थिक उन्नति उसकी नैतिक उन्नति का खयाल छोड़कर हो नहीं सकती। यदि कही होती हुई दीखती हो, तो वह आर्थिक उन्नति नहीं, अनर्थ-परम्परा की पूर्वसूचना है, यह विचार सर्वोदय के अर्थशास्त्र में अंतर्भूत है। यह अर्थशास्त्र मानता है कि युक्ति के आधार से ही नीति का व्यवहार सघता है और नैतिक व्यवहार से आर्थिक संयोजना हो सकती है, वरन् वह आर्थिक योजना संयोजना नहीं, मृत्युयात्रा होगी।”

अर्थशास्त्र के विचार में कुछ बातों का विशेष विचार किया जाता है। इन बातों के विषय में सर्वोदय की क्या दृष्टि है, देखें।

निजी सम्पत्ति

निजी सम्पत्ति के विषय में गांधीजी कहते हैं : “निजी सम्पत्ति का, सस्था का खातमा असंग्रह के नैतिक विचार या आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग मात्र है। और यदि

लोगों ने खुद होकर इस विचार को अपना लिया, या शांतिपूर्वक समझाकर उन्हें इस बात की स्वीकृति के लिए उद्यत किया गया तो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं सकती ।" ('यंग इंडिया' : १५-११ '२८)

इस विषय में सर्वोदय की दृष्टि यह है कि लोकशिक्षण के द्वारा "समर्थ साधनवानों को सार-सभाले (स्टूडेंटशिप) के सिद्धांत से, धीरे-धीरे को स्वयं-सहायता के सिद्धांत से दीक्षित करना चाहिए ।" ('हरिजन' ४८-४९) सर्वोदय-विचार को "यह विश्वास है कि मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति को इस प्रकार विकसित कर सकता है कि जिससे (दुनिया में) शोषण की मात्रा कम से-कम रहे ।" (गांधीजी का लेख 'माडर्न रिव्यू', अक्टूबर १९३५) इसी विश्वास के कारण विश्वस्तवृत्ति (ट्रस्टीशिप) का निम्न कोष्ठक सर्वोदय-विचारवालों ने दुनिया के मामले में प्रस्तुत किया है । यह कोष्ठक स्व० किन्नोरलालभाई तथा नरहरिभाई परीत ने तैयार किया था और बापू ने उसे स्वीकृति दी थी । कोष्ठक इस प्रकार है :

(१) ट्रस्टीशिप (विश्वस्तवृत्ति) वर्तमान पूँजीवादी समाज व्यवस्था को मानव-समानता पर आधारित समाज-व्यवस्था में परिवर्तित करने का साधन जुटा देती है । वह पूँजीवाद को किसी प्रकार का प्रथम नहीं देती, परन्तु स्वामित्व रखनेवाले वर्ग को अपना गुहार करने का धक्का प्रदान करती है । वह इस विश्वास पर काम करती है कि मानवी प्रकृति कभी भी पाप विमुक्ति के विमुख नहीं ।

(२) संपत्ति के निजी स्वामित्व का कोई अधिकार यह स्वीकृत नहीं करती, सिवा इसके कि समाज अपनी भलाई के लिए कुछ रखने की अनुज्ञा दे ।

(३) संपत्ति के स्वामित्व का एव उपयोग का कानून से नियमन करना वह अपनी कक्षा के बाहर नहीं मानती ।

(४) इस प्रकार राज्य को घोर से नियमित विश्वस्तता के मातहत व्यक्ति अपने स्वार्थी संचालित के लिए या समाज के हितों का स्थान न करते हुए संपत्ति रखने या अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा ।

(५) जिस तरह यह प्रस्ताव है कि एक योग्य न्यूनतम (डिसेंट मिनिमम) जीवन-स्तर निर्धारित किया जाय, उतनी तरह अधिकतम (मेन्सिमम) आय की सीमा निर्धारित की जाय, जो कि किसी व्यक्ति को समाज में धनुकात हो । इस प्रकार के न्यूनतम और अधिकतम मानों में युक्तिसंगत और न्यायसंगत भेद हो, इस अन्तर को समाप्त करने की वृत्ति रहे और उस दिशा में ले जानेवाला परिवर्तन समय पर होता रहे ।

(६) गांधी-विचार के अनुकूल आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप समाज की आवश्यकता निश्चित करेगी, न कि व्यक्तिगत लोभ या सनक।
('हरिजन' . २५-१०-'५२)

इसीसे सम्बन्धित एक प्रश्न उपस्थित है मनुष्य की प्रेरणा का। मनुष्य परिश्रम किसलिए करता है ? यह प्रश्न नित नयी चर्चा का है। अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए ही परिश्रम करता है। परन्तु यह अपूर्ण ज्ञान है, विपरीत ज्ञान भी है। मनुष्य स्वार्थ के लिए भी काम करता है, परार्थ के लिए भी करता है और परमार्थ के लिए भी करता है। सामाजिक प्रवाह जिस समय जैसा हो उस प्रकार साधारण मनुष्य बरतता है। पर मनुष्य की मूल प्रवृत्ति तथा समाज का स्थायी प्रवाह, 'मत्त' प्रवृत्तिर्भूतानाम्' एवं 'मा शुच-संपद दैवी' अभिजातोऽसि' के अनुसार परमार्थ-प्रवण होता है। सुज्ञो का यह अनुभव है। व्यक्ति के विषय में तो यह यथार्थ है ही, पर समूह के विषय में गांधीजी कहते हैं कि ग्रहिता—परमार्थ-प्रवणता वैयक्तिक ही नहीं, सामाजिक भी है। इसीको समझाने और सिद्ध करने में सर्वोदय-विचारक अपना जीवन सार्थक समझते हैं।

निजी संपत्ति और मानवी प्रेरणा के विषय में सोचने के बाद, ग्रंथशास्त्र के (१) उत्पादन, (२) सभुजन, (३) वितरण या विभाजन और (४) विनिमय (एक्स्चेंज), इन चार विभागों के विषय में सर्वोदय की विचार-दृष्टि साररूपेण देख लें।

उत्पादन

उत्पादन की दृष्टि क्या हो, इसका सकेत विश्वस्तवृत्ति के कोष्ठक में आ गया है। उत्पादन में धर्म एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित भाग है। विनोबाजी ने राष्ट्रीय योजना-आयोग को दो मूलभूत सूचनाएँ दी थीं—(१) देश अनाज में स्वावलम्बी हो, (२) काम चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्य को काम मिले।

इस दूसरी सूचना में परिश्रम की महत्ता की ओर निर्देश दिया गया है। सर्वोदय-विचार मानता है कि जिस प्रकार मानवी देह सुचारु रूप से काम कर सके इसलिए उसे भ्रम की आवश्यकता है, उसी तरह मनुष्य के गुण-विकास के लिए, उसकी मानवता का संरक्षण और सर्वर्धन होने के लिए उसे धर्म में जुटे रहने की निरन्तर आवश्यकता है। "धर्म मानव के भीतर छिपे हुए पशु को सुनिश्चित कर, उसके व्यक्तित्व को विकसित करता है तथा उसकी सर्वोत्तम शक्ति को प्रकट करने का उसे प्रवसर देता है।" (जे० सी० कुमारप्पा : 'इकॉनामी आफ परमेनेन्स') धर्म के कारण मनुष्य वस्तुओं का और सेवाओं

इस विभाग में ध्यान में रखने के आवश्यक सूत्र है स्वदेशी, क्षेत्रीय स्वयंपूर्णता स्वावलम्बन, वैश्विक सहयोग और भूतानुकूलता। आज विनिमय का साधन है पैसा। पैसे पर ही आधारित अर्थ-व्यवस्था ने आज दुनिया को बहुत मुत्तौबतो में फसाया है। पैसा शोषण का एक साधन बन गया है। पैसे के मूल्य में जीवन पद्धति के अनुसार फरक पड़ता है। एक ही समय में, एक रुपया किसी एक गरीब के पास एक समय के भोजन का पर्याय होता है, तो किसी श्रीमान् के पास दायद आधी सिगरेट का। फिर पैसा आज एक बात बोलेगा, तो कल दूसरी। उसमें कोई स्थिरता है नहीं। पैसे के द्वारा होनेवाला शोषण कम करने के कुछ इलाज इस प्रकार सुझाये जा सकते हैं

(१) सरकार अपना लगान अनाज में वसूल करे और अपने कर्मचारियों को वेतन में कुछ निश्चित अनाज और कुछ नकद रकम दे।

(२) व्यवस्था ऐसी खड़ी की जाय कि पैसे का विनियोग कम सक-कम हो।

(३) समय समय पर बड़ी रकम की नोटों का अवमूल्यन किया जाय।

(४) एक सीमा के बाहर सम्पत्ति रखने से कानूनन रोका जाय।

(५) जिस प्रकार अनाज आदि सम्पत्ति में छीजन होती है, उसी प्रकार नकदी रकम में भी छीजन हो, इसकी कुछ तदबीरें सोची जायें।

सर्वोदय-विचार के अनुसार अर्थशास्त्र की दृष्टि के विषय में कुछ बातें सूत्र-रूप में रखने की यहाँ कोशिश की गयी है। भाषा है विश्वस्तवृत्ति, सामूहिक उत्तरदायित्व, निजी सम्पत्ति का निरसन और दान वृत्ति—य चार ग्रामदान-विषयक सूत्र सर्वोदयी अर्थशास्त्र के चाररूपेण सूत्र हैं, यह बात भी यहाँ सहज ही पाठकों के ध्यान में आ जायगी।

(' भंगी ' से साभार)

श्री अच्युतनाई देशपांडे, गांधी भवन, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

ग्रामदान के सम्बन्ध में संघ द्वारा स्वीकृत नीति

[५. ६, ७ मई, १९७१ को नासिक में सर्वसेवा संघ का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में स्वीकृत हुई नीति प्रस्तुत है। स०]

(१) ग्रामदान सफल पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करने का कार्य आन्दोलन के लिए एक प्रारम्भिक, लेकिन आवश्यक कदम है। इसलिए पूर्ण स्वीकृत शर्तों के आधार पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराने का काम चलना चाहिए। किन्तु हस्ताक्षर प्राप्त करने में पूरी-पूरी सक्रियता और सावधानी बतानी चाहिए। इसके लिए हस्ताक्षर करने के पूर्व गांव की ग्रामसभा का आयोजन करना चाहिए और इसमें नारा विचार समझाना चाहिए, छोटे-छोटे समूहों में चर्चा-गोष्ठी द्वारा विचार समझाना चाहिए और गांव के सहयोगियों को साथ लेकर भी व्यक्तिगत हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहिए। हस्ताक्षर देनेवाले ग्रामवासियों की सभा करके सामूहिक सकल्प अवश्य दोहराया जाना चाहिए।

ग्रामदान के लिए सकल्प और पुष्टि एक ही प्रक्रिया के अंग हैं, इसलिए दोनों के बीच समय का अंतर नहीं रहना चाहिए। यह स्पष्ट है कि ग्रामसभा-गठन, भूमि वितरण, ग्राम-कोष निर्माण और मालिकियत के विधिवत् हस्तांतरण क बिना ग्रामदान सकल्प मान्य ही रहेगा और उसका समाज पर अपेक्षित परिणाम भी नहीं प्रायेगा। इसलिए सकल्पित ग्रामदानों में पुष्टि के लिए जोरदार प्रयत्न करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिन ग्रामों में पहले ग्रामदान का सकल्प हुआ है, वहाँ पुष्टि का अभियान चलाना तो आवश्यक है ही, साथ ही ऐसे नये क्षेत्रों में भी जहाँ अब 'सकल्पित-ग्रामदान' हो, वहाँ भी तुरन्त ही पुष्टि का कार्य उठा लेना चाहिए।

(२) सकल्प के पश्चात् अनौपचारिक पुष्टि (डीफेंक्टो) का कार्य करना प्रथम कदम है। इसमें तुरन्त ग्रामसभा का गठन और सर्वानुमति से ग्रामसभा की कार्य-समिति का गठन, ५ प्रतिशत भूमि निकालने और उसका भूमिहीनों में वितरण, ग्रामसभा सदस्यों द्वारा ग्राम कोष के लिए अपना भाग अर्पित करने, ग्राम शांति सेना की इकाई का गठन और कानूनी पुष्टि के लिए आवश्यक कामजात तैयार करना चाहिए। अनौपचारिक पुष्टि सफल होने पर ही इन्हें 'ग्रामदान' कहा जायगा।

(३) अनौपचारिक पुष्टि सम्पन्न करने के पश्चात् जिन प्रदेशों में ग्रामदान-विधान बन गये हैं, वहाँ कानूनी पुष्टि के लिए कोशिश करनी चाहिए।

सम्पादक मण्डल :

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १९
अंक ११
मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

हमारे सर्वोदय सम्मेलन और शिक्षा	४८१	श्री वशीधर श्रीवास्तव
नये समाज की नयी शिक्षा	४८५	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
क्या आपका स्कूल बेतकिक स्कूल है ?	४९१	श्री वशीधर श्रीवास्तव
नयी तालीम समिति की गोष्ठी-रिपोर्ट	४९६	श्री के० एस आचार्य
छात्रों का शिक्षा का घोषणा-पत्र	४९९	—
आचार्यकुल की गतिविधि	५०१	श्री वशीधर श्रीवास्तव
सेवाग्राम-शिविर-योजना	५१२	—
सर्वोदय का अर्धशाब्द	५२१	श्री अच्युत देशपाण्डे

जून, '७१

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्दा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदास भट्ट, सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित;

इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

मयी तालीम

सर्व-सेवा-संघ की मासिकी

वर्ष : १९

अंक : १२

जुलाई, १९७१

डिग्री की भिक्षा नहीं

• विश्व विद्यालय •

बेकारी का कारखाना



जीवन की शिक्षा



शिक्षा में क्रान्ति

नयी तालीम की स्थापना

अर्थात् शिक्षा में क्रान्ति

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका प्रयोजन दोहरा है—समाज को बदलना और समाज को बनाना। गांधीजी पूँजीवादी सामन्तवादी मूल्या पर आधारित पुराने समाज को बदल कर शोषणविहीन, वर्ग वर्ण-भेद-मुक्त लोकतन्त्र बनाना चाहते थे तो उन्होंने सामन्ती और परम्परागत सीमाओं से आबद्ध साम्राज्यवादी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित पुरानी तालीम के स्थान पर नयी तालीम की स्थापना की। अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए उन्होंने जिस ग्रहिसक प्रक्रिया को खोज की थी उन्होंने उसीका नाम रखा था 'नयी तालीम'— बुनियादी शिक्षा। जहाँ तनिक भी शोषण है, वहाँ हिंसा है, और जहाँ हिंसा है वहाँ लोकतन्त्र टिक नहीं सकता क्योंकि लोकतन्त्र तो अशोषण की विद्युत् प्रक्रिया है। शोषण की प्रवृत्ति जन्मी थी, स्वयं उत्पादन न करके दूसरो से उत्पादन कराकर उपभोग करने की प्रवृत्ति से। इसीलिए गांधीजी ने एक ऐसी शिक्षण-पद्धति की कल्पना की थी, जिसके केन्द्र-बिन्दु में समाजोपयोगी दस्तकारी थी। उन्होंने जोर दिया था कि बालक विद्यालय में प्रवेश के समय से निकलने समय तक एक समाजोपयोगी उत्पादक काम को वैज्ञानिक ढंग से सीखता रहे। उत्पादक उद्योग के सतत करते रहने से स्वावलम्बन की प्रवृत्ति का उदय होता है और जब स्वावलम्बन की प्रवृत्ति सस्कार बन जाती है तो शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है।

वर्ष : १६

अंक : १२

और चीन में जब अल्पक माओ ने देखा कि चीन का साम्यवादी आन्दोलन एक ऐसा मोड़ ले रहा है जिसमें पूंजीवादी और विशेषाधिकार प्राप्त नौकरशाही (व्यूरोक्रैसी) के पनपने की आशंका है तो उन्होंने देश में 'सात मई स्कूल' चलाये, जहाँ चीन के व्यूरोक्रैट्स टेक्निशियन्स और बुद्धिजीवियों का पुनर्शिक्षण होता है। इन स्कूलों में रहकर इन्हें महीनों और कभी-कभी वर्षों तक हाथ से उत्पादक काम करना पड़ता है, जिससे उनका वैचारिक परिष्करण और परिशोधन (इण्डाक्ट्रिनेशन) होता है। लीमूर-टॉपिंग जो अभी हाल में चीन अमेरिका के सुघरे हुए सम्बन्ध के कारण चीन घूमकर लौटे हैं—'दि न्यूयार्क टाइम्स' में लिखते हैं—“पीकिंग के पूर्वी देहाती क्षेत्र में इस प्रकार के 'सात मई स्कूल' में 'मिंग कुई शान' नाम के ३८ वर्ष के एक विद्यार्थी हैं, जो कभी पीकिंग के सांस्कृतिक व्यूरो के शिक्षा विभाग के उप मुख्याधिकारी थे, और जो अब धान के खेत में मजदूर का काम करते हैं। इसी स्कूल में २६ वर्षीय थोमती 'सू इंग' हैं जो पहले अख्यायिका थी। अब वह 'राजगीर' का काम करती है। यही 'तिन-चि-चेन' नामक व्यक्ति थे, जो कभी किसी ट्रेड यूनियन के उपाध्यक्ष थे, और अब जो स्कूल द्वारा चलाये जानेवाले कारखाने में पानी रखने का वर्तन बनाते हैं। यही चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति हैं, जिससे चीन में एक नये समाज और नये मानव का निर्माण हो रहा है और जिसकी बदौलत सामान्य चीनवासी को एक नयी प्रतिष्ठा का भान हुआ है। ग्राम जनता की भौतिक स्थिति में जो प्रगति हुई है, वह भी आश्चर्यजनक है। वे असह्य भूखे और बीमार भिक्षुक, जिनसे कभी चीन भरा था, अब कहीं दिखाई नहीं देते। चीन में एक नया समाज बन रहा है।”

अतः अगर समाजवादी समाज बनाना है और वह लोकतंत्रीय ढंग से, तो यह शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन से ही बनेगा और जिस एक परिवर्तन की सबसे अधिक आवश्यकता है वह यह कि देश का प्रत्येक छात्र हाथ से कोई न कोई समाजोपयोगी धन्धा निष्ठापूर्वक नित्य डेढ़ दो घंटे करे। शिक्षा में यही सबसे बड़ी क्रान्ति होगी। जिस दिन यह हो जायगा उसी दिन बुनियादी शिक्षा की स्थापना भी हो जायगी।

—बशीर धोवास्तव

विनोबा के विचार

मैं इस तालीम से बेहद प्रसुष्ट हूँ। असलियत से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आज के जमाने की माँग है कि आज जो तालीम चल रही है उसे बन्द-ने-जल्द बन्द कर दिया जाय। बन्द करना दो तरह से होता है। पिछा की लाय इज्जत के साथ बन्द नहीं जाती है। लेकिन हमारी यह तालीम इज्जत के साथ बन्द करने लायक है ही नहीं। यह बुरी चीज है, जो हिन्दुस्तान के ज़िगर को खा रही है। यह लोगों का पराक्रम खत्म कर रही है।

×

×

×

मैंने सरकार को कहा है कि 'राशि' को 'सि' 'मि' 'नी' 'नी' नहीं होंगे चाहिए। जो नौकरी दे वह वह परीक्षा ले ले। जो परीक्षा देना चाहे वह फीस देकर परीक्षा दे और पास हुआ तो उसे नौकरी मिलेगी।

×

×

×

सर्वोच्च विचार की यही माँग है कि तालीम सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अपनी सरकार को चाहिए कि वह देश के विद्वानों को छात्रादी दे दे और लोगों को प्रेरणा दे कि लोग जिस किस्म की तालीम चाहते हैं लोगों को दे सकें।

×

×

×

तालीम में बच्चों को कुछ-न-कुछ मुफ़ीद काम सिखाना चाहिए, आज ऐसी तालीम नहीं दी जाती, जिससे देश की दौलत बढ़े। तालीम का दूसरा नुस्ख यह है कि धरोजी लादी जाती है जिसकी वजह से लड़के अपनी मादरी जवान भी ठीक से नहीं सीख पाते। तीसरा नुस्ख यह है कि इस तालीम में धार्मिक चीज नहीं है। कहा जाता है कि बाइबिल, कुरान परोक, गीठा, जपुजी आज नहीं सिखा सकते। यानी जिन चीजों ने बर्षों से हम लोगों के दिल और दिमाग पर दसक डाला है और जिनसे लोगों का स्वभाव बनता है, वह सब स्कूलों में नहीं सिखा सकते। कहा जाता है कि स्कूलों में धर्म निरपेक्ष ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। लोग कहते हैं मजदूरबाली जो किताबें हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब प्रायः जरा सोचिए हिन्दी में तुलसी के रामायण से मन्थो कौन किताब होगी, जो साहित्य की दृष्टि से बहुत हो। संस्कृत में उपनिषद्, रामायण, महाभारत, तमिल में कुरल एव रामायण, वही के भक्तों

के भजन, इनसे बढकर कौन चीज है जो साहित्य के ख्याल से सीतने लायक है। हिन्दुस्तान का कुल साहित्य धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वह हिन्दी का हो, बंगाली का हो पंजाबी का हो या तमिल का हो। बंत्नय, कबीर, मीरा, नानक, तुलसी, इनको टालकर आप कौन सी चीज बच्चो को सिखाने-वाले हैं। ये सभी चीजें धर्म निरपेक्षता में नहीं आती, यो कहकर आप पढाना छोड देंगे तो फिर क्या पढायेंगे। जिस तालीम का रूहानियत से कोई वास्ता नहीं, जिसमे कोई चीज पंदा करने का इल्म नहीं, जिसमे मातृभाषा का ज्ञान नहीं, ऐसी तालीम से क्या फायदा होनेवाला है। ऐसी तालीम पाने से तो तालीम न पाना बेहतर है।

×

×

×

हमारे देश में यह बात चल पडी है कि जो हाथ से काम करेगा उसकी इज्जत कम होगी। शिक्षक, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील, ये लोग हाथों से काम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी इज्जत ज्यादा होगी। वे शरीरधर्म से नफरत करेंगे। भगत, बाबा, फकीर, साधु, सन्त, महात्मा, ये भी हाथ से काम नहीं करेंगे। उत्पादन के काम में बतई भाग नहीं लेंगे। यह पहले से चला आया है। अंग्रेजी सीखे लोग भी कभी उत्पादन का काम नहीं करेंगे। यानी एक मध्यम वर्ग खरफ हो रहा है इस तालीम से, जो खुद काम नहीं करेगा और दूसरो से काम कराता रहेगा। इस प्रकार यह शिक्षा वर्ग सपर्यं को जन्म दे रही है।

×

×

×

आज की शिक्षा में बहुत बडी सामी यह है कि इसमें उद्योग की शिक्षा नहीं दी जाती। इससे शिक्षा भी बढ रही है और बेकारी भी बढ रही है। यानी शिक्षा और बेकारी दोनों पर्यायवाची बन गये हैं।

×

×

×

आप लाख कोशिश करें आजाद हिन्दुस्तान का दिमाग परकीय भाषा को कबूल नहीं करेगा। वन्हे उसे कबूल नहीं कर रहे हैं इसी से जाहिर होता है कि उनका दिमाग आजाद है। अगर वे अंग्रेजी में दिलचस्पी लेते तो मैं हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में मायूस हो जाता। अगर बच्चों पर अंग्रेजी न लादी जाय और मातृभाषा के जरिए उन्हें सध विषयो का ज्ञान दिया जाय तो बहुत ही कम समय में वे ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे। प्रयोग करने से यह बात सिद्ध हो जायगी।

×

×

×

मरी निगाह में इन दिनों तालीम पर जो खर्च हो रहा है, वह लगभग

बेकार है। अगर मुझसे पूछा जाय कि क्या भाप इस तालीम के मुकाबिले यह पसंद करेगा कि लडकों को कतई तालीम न दी जाय तो मैं हाँ कहूँगा। मैं मानता हूँ कि भाज जो तालीम दी जा रही है, व न दी जाय और लडकों को ऐसा ही छोड़ दिया जाय, तो उससे देश का नुकसान नहीं होगा। भाज लडकों को ऐसे ही छोड़ दिया जाय और तालीम पर जो खर्च किया जा रहा है वह न किया जाय, तो मैं गुक्रिया धवा कहूँगा।

× × ×

तालीम की तीन कसोटियाँ हैं समय, निभयता और विचार-स्वातंत्र्य। अगर शिक्षा सरकार के हाथ न गयी तो इन तीन गुणों का विकास नहीं होगा। इसलिये शिक्षा शासन मुक्त रहे।

× × ×

ग्रामस्वराज्य की स्थापना के बाद गाँव का शिक्षण गाँव की पद्धति में चलेगा। प्रत्येक गाँव ही हमारा विद्यालय हो। मेरी कल्पना है कि हर गाँव में सम्पूर्ण तालीम होनी चाहिए। जिस ठम यूनिवर्सिटी कहते हैं वह हर गाँव में होनी चाहिए क्योंकि हर गाँव चाहे वह कितना ही छोटा हो सारी दुनिया का प्रतिनिधि है। कुल दुनिया छोटे में वहाँ मौजूद है मत थोड़े में वहाँ पूरी तालीम मिलनी चाहिए।

× × ×

भाज की समाज रचना कृत्रिम है। उसका आधार विषमता पर है। इस लिए नयी तालीम से जो लडका पैदा होगा वह समाज के खिलाफ बागी होगा। जैसा कि गांधीजी ने कहा था वह प्रतिकार करेगा। लेकिन उसका प्रतिकार स्वतन्त्र होगा इसमें कोई टक नहीं। नयी तालीम विद्रोह की बीजा है।

× × ×

प्राथमिक पाठशाला में पढ़ानेवाले शिक्षक को कम तनखाह देते हैं और कालेज में पढ़ानेवाले को अधिक देते हैं—इसलिए कि उनकी अधिक जिम्मेवारी मानी जाती है। पर मुझसे पूछा जाय तो मैं कहूँगा कि प्राथमिक शिक्षक की जवाबदेही अधिक है। इसलिये प्राथमिक शिक्षकों को कम तनखाह और प्रोफसरों को अधिक तनखाह की बात हम समय नहीं पाते। एक को पचास रुपये मिलते हैं और दूसरे को पाँच सौ रुपये। दोनों में इतना फरक क्यों? यह सारी योजना पूँजीवादी दृष्टिकोण के अनुसार बनी है। बतन का सम्बंध योग्यता से नहीं जरूरत से हो।

शिक्षा में क्रान्ति आचार्यकुल का लक्ष्य वने

धीरेन्द्र मजूमदार

आज देश भर में सभी स्तर के लोग शिक्षा में बदल करना चाहते हैं। शिक्षा में क्रान्ति शब्द का उच्चारण बहुत हो रहा है। वस्तुतः आचार्यकुल को इस समय इन्हीं प्रश्नों पर मुख्य ध्यान देने की जरूरत है। आखिर क्रान्ति का अर्थ क्या है। आज की शिक्षा-पद्धति का केवल विरोध करने से क्रान्ति होगी नहीं। नये मूल्य तथा नयी बुनियाद पर नयी परिकल्पना तथा पद्धति के प्रतिपादन के बिना तो क्रान्ति होगी नहीं। उसके बिना परिवर्तन की सार्वजनिक मांग के कारण जो मानसिक दून्यता का निर्माण होगा उससे कुछ निराशा ही हाथ लगेगी।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जितना भी सोचेंगे उतना ही स्पष्ट होगा कि गांधीजी द्वारा परिकल्पित बुनियादी शिक्षा ही, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाकर नयी तालीम की राज्ञा दी थी, एक-मात्र व्यावहारिक और समाधानकारी पद्धति है, क्योंकि वह पद्धति अब तक के मान्य मूल्य तथा बुनियाद छोड़कर नयी दिशा की यात्रा है इसलिए तत्काल यह कल्पना अभ्यावहारिक लगेगी, कठिन लगेगी और शायद आज की परम्परागत मनःस्थिति के कारण असमाधानकारी मान्य होगा। लेकिन अगर गहराई से तथा वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में विचार करेंगे तो स्पष्ट होगा कि शिक्षा में क्रान्ति के लिए उसी दिशा को पकड़ना होगा जिसके सकेत वे बार-बार १९३७ से १९४८ तक करते रहे हैं।

आज मानव-समाज को तीन महात्र देन प्राप्त है : विज्ञान, लोबतत्र तथा समाजवाद। अगर आपको शिक्षा की नयी बुनियाद ढालनी है तो इन तीनों उपसन्धियों की पृष्ठभूमि में मार्ग खोजने की आवश्यकता है। विज्ञान ने मनुष्य के अन्दर से अन्धकार दूर करके सार्वजनिक चेतना का विस्तार किया है। लोकतंत्र ने मंत्री तथा स्वतंत्रता की भावना के सिद्धाण द्वारा समाज पर से अधिकारवाद के निराकरण का प्रयास किया है। समाजवाद ने वैयक्तिक क्रियाशीलता के स्थान पर सामाजिक क्रियाशीलता की आवश्यकता का उद्घोष किया है। वर्तमान युग की उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षण को वैयक्तिक भूमिका में संयोजित नहीं किया जा सकता।

प्राचीन काल में जब चेतन समाज का दायरा छोटा था, समस्याएँ सरल तथा स्थानीय होती थीं तब व्यक्तिवादी क्रियाशीलता चले सकी थी। तब एक राजा, गुरु या पुरोहित सामाजिक समस्या का समाधान दे सके थे और उसी सम्बन्ध में यानी व्यक्तिवादी क्रियाशीलता के युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तित्व का विकास हो सका था, लेकिन धीरे-धीरे जब विज्ञान का प्रसार हुआ तथा लोकतंत्र का अविष्टान हुआ, समाज के चेतना का दायरा बढ़ा और साथ-ही साथ व्यक्तियों के चरित्र और शक्ति में बलब होने के कारण व्यक्तिवादी क्रियाशीलता समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकी। तब मनुष्य ने सस्थावादी क्रियाशीलता का आविष्कार किया। समाज ने राजा गुरु और पुरोहित के स्थान पर राज्य, शिक्षण-संस्था तथा कल्याण संस्थाएँ क्रियाशील बनीं। लेकिन अब विज्ञान के प्रति प्रगति तथा लोकतंत्र और समाजवाद की सार्वजनिक स्वीकृति के कारण मनुष्य की चेतना सार्वजनिक बन गयी है तथा हर समस्या जागतिक बन गयी है। साथ-साथ संस्थाएँ भ्रष्टाचारी बन गयी हैं। ऐसी परिस्थिति में आज की आवश्यकता सस्थावादी क्रियाशीलता को समाप्त कर सामाजिक क्रियाशीलता का माग होना है अर्थात् आज की आवश्यकता सस्थावाद से निकलकर समाजवाद की ओर बढ़ने लगी है।

जिस समय मनुष्य ने व्यक्तिवाद को छोड़कर सस्थावाद की ओर बढ़ने का निर्णय किया था, उस समय शिक्षा में भी उसके अनुस्यूत क्रान्ति की थी। आज जब सस्थावाद को छोड़कर समाजवाद की ओर बढ़ना है तो शिक्षा में भी तदनुस्यूत क्रान्ति करने की जरूरत है। अर्थात् आज शिक्षा के मूल उद्देश्य को ही बदलना होगा। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तित्व का विकास नहीं बल्कि सम्बन्धों का विकास होगा। क्योंकि सम्बन्धों के सम-वय के बिना सामाजिक क्रियाशीलता असम्भव है। साथ-साथ शिक्षा को सस्था के घेरे से निकालकर पूरे समाज में व्याप्त करना होगा। पूरा समाज किसी अकुश के बिना अपने-आप गतिशील तथा क्रियाशील हो, इसके लिए आवश्यक है कि पूरे समाज को समुचित तथा समन्वित शिक्षा मिले। इसी दृष्टि को सामने रखकर गांधीजी ने कहा था कि नयी तालीम की अवधि गर्भ से मृत्यु तक है, तथा इसका क्षेत्र पूरा समाज है। इसी दृष्टि को साकार करने के लिए १९५७ में हिन्दुस्तानी तालीमी सच ने सन्त विनोबा की प्रेरणा से यह निर्णय किया था कि पूरे गाँव को तालीम की इकाई मानकर उसे शिक्षणशाला के रूप में विकसित करना है।

इसके कई वर्षों से देश में ग्राम विनवविद्यालय की चर्चा चल रही है। लेकिन उसके लिए जो योजनाएँ बन रही हैं वे सब पुरानी मान्यता की भूमिका

मे ही बन रही हैं अर्थात् ग्राम विश्वविद्यालय से यही समझा जाता है कि गाँव में विश्वविद्यालय की स्थापना हो और वहाँ पुराने ढंग की पढ़ाई के साथ कुछ खेती बागवानी का कार्य जोड़ दिया जाय। वस्तुतः उस प्रक्रिया से आज की समस्या का समाधान नहीं होगा। ग्राम विश्वविद्यालय का अर्थ ग्राम को विश्व-विद्यालय बनाना है। इसी भूमिका में सोचने की जरूरत है।

लेकिन प्रश्न यह है कि आज का जो गाँव है और उसकी जीवन-पद्धति और कार्य क्रम जैसा है वैसा ही रहते हुए गाँव की शिक्षा के प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? वस्तुतः आज का गाँव कोई समाज का टुकड़ा नहीं है। वह तो जंगल का ही एक हिस्सा है। जंगल के जानवर ने अपने अस्तित्व के लिए व्यक्तिगत प्रयास और पुरुषार्थ को ही अपनाया है और उस प्रयास में अपने से कमजोर जानवर को मारकर खा जाता है। उसी तरह गाँव का प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए व्यक्तिगत प्रयास तक ही पुरुषार्थ को अपनाये हुए है और उस प्रयास में अपने से कमजोर को नोचता है। मैं अक्सर विनोद में कहता हूँ कि जंगल के दो टोले हैं—एक जानवर टोला और एक मनुष्य टोला।

अतएव यदि शिक्षा में क्रान्ति लानी है और अगर सामाजिक घुनियाद पर शिक्षा को इमारत खड़ी करनी है तो सबसे पहले शिक्षा की प्रक्रिया में आज के विकसित गाँवों को व्यवस्थित समाज के रूप में परिणित करने की कोशिश करनी होगी। सौभाग्य से पिछले २० साल से आचार्य विनोबाजी ग्रामदान तथा ग्रामस्वराज्य के आन्दोलन से इस दिशा में निश्चित तथा व्यवस्थित कदम उठाने का संकेत कर रहे हैं। यदि आचार्यकुल ग्रामविश्व-विद्यालय के स्थापन को अपना एकमात्र रचनात्मक कार्यक्रम मानता है तो उसके लिए विनोबाजी द्वारा प्रतिपादित इस आन्दोलन से एक सक्रिय तथा व्यवस्थित छोर मिल जायेगा। विनोबाजी कहते हैं कि इस आन्दोलन से ग्रामीणों की श्रमशक्ति बढ़ेगी। यह एक शक्ति है। दूसरी शक्ति ज्ञान शक्ति है जो आचार्यों की है। दोनों इकट्ठी हो जायें, दोनों का योग हो, तो भारत में ताकत बनेगी। शिक्षकों की ज्ञान शक्ति और गाँव की शुभ शक्ति, दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश है—‘आचार्यकुल’।

आचार्यकुल शब्द का अर्थ ही है कि उसके शिष्य हैं। अतएव आचार्यकुल के सदस्य के लिए यह प्रश्न है कि उसका शिष्य कौन है। स्पष्ट है कि आज के सरकारी तंत्र के विद्यार्थी आचार्यकुल के सदस्य का शिष्य नहीं हो सके हैं। आज जिस शिक्षा पद्धति को समूल बदलना चाहते हैं उसके शिष्यार्थी शिक्षा-

शान्ति के प्राचार्यों के शिष्य की पात्रता रखते हैं क्या? अतएव मैं अपने गिजो से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक या दो आचार्य मिलकर एक गाँव को अपना शिष्य मानें और उसे ग्राम विद्वद्विद्यालय में परिणित करने का प्रयास करें। यह काम धनघाटेंड मोसन की यात्रा है, जिसका कोई पिछला इतिहास और परम्परा नहीं है। आचार्यकुल के सदस्य इस काम में लगे और चिन्तन तथा अनुभव में आगे बढ़ते रहेंगे। जब वे इस कार्य में लगे तो उन्हें धीरे धीरे सीधी बिस्ताई देनी जिस पर से उच्च शिक्षा तक का मार्ग देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

बिना इन शिक्षा की शिक्षा पद्धति से सब जनता को राजपवाद, संनिधवाद और नौकरशाही से मुक्त नहीं कर सकते। आज जमाने की माँग उस मुक्ति की है, इसलिए आज की माँग ममस्त स्त्री पुरुष की समुचित शिक्षा की है। यदि शिक्षा को सावजनिक बनाना है तो सबजन के स्वाभाविक कार्यक्रम को शिक्षा का माध्यम बनाना ही होगा। इसलिए शिक्षकों को पूरे समाज में प्रवेश करना होगा। अगर विज्ञान सामान्य जन की सम्पत्ति नहीं हुई तो 'व्यूरोत्रेसी' से मुक्ति मिल भी जाय तो उसके स्थान पर लोकतन्त्र की रखापना नहीं होगी, टेकनोत्रेसी (प्रोग्रोगतत्र) या जायगी। व्यूरोत्रेसी (नौकरशाही) में मजबूत सामान्य चेतनानाक सामान्यजन का प्रवेश हो भी सका है लेकिन 'टेकनोत्रेसी' में सामान्यजन के लिए दरवाजा बन्द ही रहेगा।

अतएव मेरा निवेदन है कि आचार्यकुल के सदस्य उपरोक्त विचार पर गम्भीरता से ध्यान दें और हर सदस्य शिष्य के रूप में गाँव चुन ले।

२५-५ १९७१

श्री रामचन्द्रनाथ सिंह को लिखे गये पत्र से

शिक्षा में क्रान्ति क्यों ? कैसे ?

वशीधर श्रीवास्तव

हम शिक्षा में आमूल परिवर्तन चाहते हैं, मात्र सुधार नहीं। हम एक भिन्न प्रकार की शिक्षा-प्रणाली ही चाहते हैं। इसलिए हम (१) शिक्षा के लक्ष्य में, (२) शिक्षा के पाठ्यक्रम में, (३) शिक्षण-प्रणाली में, (४) परीक्षा-पद्धति में, (५) शैक्षिक प्रशासन में, (६) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यय और (७) शिक्षकों के चुनाव और उनकी व्यावसायिक तैयारी में क्रान्तिकारी परिवर्तन चाहते हैं।

हमारी प्रचलित शिक्षा औपनिवेशिक काल की 'साम्राज्यवादी-सामन्तवादी-पूंजीवादी' मान्यताओं पर आधारित है। वह सामन्ती और परम्परागत सीमाओं से मानद्व सााम्राज्यवादी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित की गयी थी। उसकी कल्पना ही कुछ सम्भ्रा-तों के लिए की गयी थी, जो राजकाज चलाने में अंग्रेज महाप्रभुओं की सहायता करें। फलतः उसने श्वेतांगों के शलगाव और देश के सर्व-साधारण को 'हीन' समझने के बौद्धिक दम्भ एवं शोषण की प्रवृत्तियों को ही पनपाया और आज भी पनपा रही है।

स्वतंत्र भारत एक दूसरे प्रकार का समाज बनाना चाहता है—एक ऐसा समाज जिसमें सभी मनुष्यों के लिए सम्मान और समानता होगी, किसी के द्वारा किसी का शोषण नहीं होगा और अपने से उत्पादित साधनों में सबका सहभाग होगा। पूंजीवाद-सामन्तवाद-मूलक औपनिवेशिक समाज से लोकतांत्रिक समाजवाद की यह कल्पना भिन्न है। इसीलिए हमको प्रचलित शिक्षा-प्रणाली से भिन्न एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली चाहिए, जो सबसे साथ रहने की और साथ-साथ समाजोपयोगी उत्पादक काम करने की भावना का पोषण करे, व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सर्व के कल्याण का भाव विकसित करे, बौद्धिक दम्भ के स्थान पर समाजवादी समाज के मूल्यों को स्वीकार करने की नम्रता उत्पन्न करे और व्यक्ति की उन्नति के स्थान पर सहयोगी प्रयासों को महत्त्व देना सिखाये। मक्षेप में शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के साथ-साथ सामुदायिक व्यक्तित्व को विकसित करना भी होना चाहिए।

व्यक्तित्व और व्यक्तिवाद में भ्रन्तर होता है। व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और भाष्यात्मिक गुणों का स्वतंत्र और मुक्त विकास शिक्षा का उत्तम लक्ष्य है, परन्तु इस विकास से यदि व्यक्ति में घपने लिए सत्ता और सम्पत्ति के सग्रह की इच्छा बडती है, और वह भी पडोसी के पोषण की कीमत पर तो वह समाभाजिक प्रवृत्ति है और त्याज्य होनी चाहिए। इन प्रवृत्ति के स्थान पर सामुदायिक प्रवृत्ति का विकास समाजवादी समाज की शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। सामुदायिक प्रवृत्ति का भर्ष होता है व्यक्ति में पाये जानेवाले उस नैतिक तत्व का पोषण जो समुदाय के लिए आत्मत्याग कर प्रसन्नता का अनुभव करता है।

शिक्षा के लक्ष्य

[१] मत: जहाँ तक लक्ष्य का सम्बन्ध है, हम चाहेंगे कि हमारी शिक्षा का सम्बन्ध समाजवादी लोकतांत्रिक राष्ट्र के जीवन, उसकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हम चाहेंगे कि व्यक्ति के स्वतंत्र और मुक्त विकास में किसी प्रकार की बाधा न पडे और कभी भी उसके स्वतंत्र भाव-प्रकाशन पर समाज या राज्य का अकुच न रहे। परन्तु हम यह भी चाहेंगे कि व्यक्ति का यह मुक्त विकास उसके सामुदायिक जीवन के हित में हो।

(२) शिक्षा का दूसरा लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा-सम्बन्धी धवसरो को सबके लिए समान बनाना। आज स्वतंत्रता के तेईस वर्ष बाद भी इस देश में गरीबों के बच्चों को शिक्षा की वह मुविषा प्राप्त नहीं है जो समीरो के बच्चों को प्राप्त है। हमारा सविधान सबके लिए शिक्षा के समान धवसर की बाठ करता है, परन्तु हमारी शिक्षण-प्रणाली ऐसी है, जो असमानता को प्रथय देती है। शिक्षण की यह प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और लोक-शिक्षा की एक समान स्कूल-प्रणाली का विकास होना चाहिए।

(३) सामुदायिक कार्य और समाज-सेवा।

शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा एवं सामुदायिक कार्य को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होना चाहिए। छात्र स्कूल और कालेजों में भी सामुदायिक जीवन व्यतीत करें। शिक्षा संस्थाओं और छात्रा-वासों में नौकर मिलकुल न रखे जायें और शिक्षक तथा विद्यार्थी सब काम घपने हाय से करें।

(४) सामाजिक, नैतिक एवं प्राध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा

हमारी शिक्षा प्रणाली को सामाजिक नैतिक और प्राध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर जोर देना चाहिए, जिससे विज्ञान और प्राध्यात्म में सम ब्य स्थापित किया जा सके जो आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

(५) विश्व व्युत्पत्त का विकास और मानवमात्र का एकीकरण

आज के विश्व में किसी भी अच्छी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य मानव मात्र का भाईचारा होना चाहिए। अगर विश्व को अणु युद्ध की विभीषिका से बचाना हो तो मानव मात्र को एक करने का प्रयास करना ही होगा।

शिक्षा का पाठ्यक्रम

व्यक्ति के मुक्त विकास के साथ उसके सामुदायिक व्यक्तित्व का विकास इस पाठ्यक्रम से नहीं होगा, जो आज चल रहा है। यह पाठ्यक्रम ग्राह्य और एकांगी है—केवल बुद्धि पक्ष पर जोर देता है और हाथ के सृजनात्मक पक्ष की व्यवहारा करता है। इसमें छात्रों को कोई समाजोपयोगी धंधा सिखा कर उत्पादक चेतन इकार्द बनाने की कल्पना ही नहीं है। नतीजा यह होता है कि इस शिक्षा को पानेवाले 'परमुखापेक्षी शोषक बन जाते हैं। अतः हमें शिक्षा का एक ऐसा पाठ्यक्रम चाहिए—

(१) जो छात्र को समाज का उत्पादक नागरिक बनने में सहायता दे। आज की शिक्षा का कोई सम्बन्ध उत्पादकता से नहीं है। शिक्षा उत्पादक तभी होगी जब वह कायपरक (वर्कओरियेटेड) हो और तभी उससे राष्ट्रीय सम्पदा की वृद्धि में सहायता मिलेगी। अतः समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग (जिसमें खेती बागवानी, अग्निवायत शामिल है) ऐसे पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी के अभाव में आज कोई भी उद्योग उत्पादक नहीं होगा खेती भी नहीं। अतः सम्बन्धित विज्ञान और तकनीकी का शिक्षण उद्योग शिक्षण का आवश्यक अंग होना चाहिए।

(२) जिसकी सामाज्य भूमिका उस क्षेत्रीय प्रयोगिक (एगो इण्डस्ट्रियल) एवं समता मूलक समाज की हो, जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं। देश की अस्सी प्रतिशत जनता बाँवों में रहती है। कृषि और ग्रामोद्योग उसके जीवन के आधार हैं। परंतु हमारी शिक्षा प्रणाली में कृषि और ग्रामोद्योग की यह सर्वाधिक महत्ता प्रतिबिम्बित नहीं होती। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कृषि ग्रामोद्योग मूलक होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में विविध दस्तकारियों में शिक्षण की गुंजाइश होनी चाहिए।

(३) जो नुल मिलाकर एक स्वावलम्बी घातम-निर्भर व्यक्तित्व का सृजन कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर—प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर पर भी—घपने में पूर्ण इकाई होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्नातक-स्तरीय शिक्षा के लिए तैयारी मात्र न होकर जीवन के लिए तैयारी होगा। इस दृष्टि से प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में उद्योग प्रयत्न कार्य-प्रनुभव के शिक्षण के लिए कम-से-कम प्राधा समय मिलना चाहिए।

(४) जो माध्यमिक शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण करने पर जोर दे, जिससे इस स्तर के बाद अधिकतर छात्र रोजी कमाने के योग्य हो सके। यह तभी सम्भव होगा जब सभी माध्यमिक स्कूलों के साथ फार्म और कारखाने चलाने हों, जिससे छात्र को काम करने का पूरा अवसर प्राप्त हो। जहाँ यह तत्काल सम्भव न हो, वहाँ पड़ोस के खेतों और कारखानों या दूकानों में काम करने की व्यवस्था हो। समुदाय से इस काम में सहयता ली जाय।

जहाँ पर स्कूलों के साथ फार्म या वर्कशाप की व्यवस्था हो, वहाँ यह स्पष्ट कर दिया जाय कि ये कारखाने और फार्म केवल शिक्षा के माध्यम ही नहीं हैं, बल्कि स्कूल की घातमनिर्भरता के साधन भी हैं। जैसे खेतों और कारखानों पर किसान और मजदूर का योगशेम निर्भर करता है, वैसे ही स्कूल के उत्पादन पर स्कूल का योगशेम निर्भर करेगा। इस प्रकार की घातम-निर्भरता स्वायत्त व्यक्तित्व के सृजन की पहली सीढ़ी है। उत्पादन के सम्बन्ध में इतना ध्यान रखना चाहिए कि यह उत्पादन स्कूल के हर्द-गिर्द के उत्पादन से कम न हो और इसके प्रथम उपभोक्ता विद्यार्थी हों। जो उत्पादन शेष बचे उसको खपत शिक्षकों और अभिभावकों में हो, नहीं तो सरकार उसे खय कर ले।

(५) इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण जिलामय-स्तर पर ही सम्भव है, क्योंकि स्कूल-स्कूल की परिस्थितियाँ भिन्न होंगी। आज पाठ्यक्रम का निर्माण राज्य-स्तर पर होता है और फिर उसे राज्य के सभी स्कूलों के लिए समान रूप से निर्धारित कर दिया जाता है। उद्योगपरक प्रयत्न कार्य-प्रनुभव-मूलक पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं हो सकता। अतः पाठ्यक्रम-निर्माण के लिए जिला-स्तर की एक समिति की स्थापना हो, जिसमें अध्यापकों के प्रतिनिधियों के प्रतिरिक्त शिक्षा-विशेषज्ञ भी हो। राज्य प्रयत्न राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनें, वे मात्र संकेत के लिए हों (केवल सजेस्टिव हों)।

हमारी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना होना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतंत्रीय समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं। परन्तु हमारी वर्तमान शिक्षण प्रणाली धनी और गरीबों के लिए अलग अलग शिक्षण व्यवस्था को प्रथम देती है। धनी लोगों के लड़के उच्च स्तर की शिक्षा देनेवाले उन पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ लम्बी-लम्बी फीसें ली जाती हैं और गरीब मजदूर होकर अपने बच्चों को घटिया स्तर के निशुल्क सरकारी अथवा स्थानीय बोर्ड के स्कूलों में भेजते हैं। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय एकीकरण को प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के स्थान पर अलगाव की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है।

शिक्षा प्रणाली के इस दोग का सम्बन्ध हमारे संविधान से है। संविधान के अनुच्छेद ३० के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संख्यक वर्गों को, अपनी रूचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद २८ (१) और २८ (२) के अनुसार सभी नागरिकों को अपनी रूचि की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए गैर-सरकारी शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद १९ के खंड (ग) और च के अनुसार तो सभी नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी उद्देश्य से गैर सरकारी स्कूल स्थापित कर सकते हैं। (कोठारी कमीशन १०, ७७)।

इसका परिणाम यह हुआ कि आज देश में पूर्व प्रारम्भिक शिक्षण के लिए पूर्ण वेसिक, बालवाडियाँ भी चल रही हैं और माण्टसरी और किंडर गार्टेन स्कूल भी चल रहे हैं, जहाँ प्रारम्भ से ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भी आम जनता जिन निशुल्क स्कूलों में अपने बच्चों को भेजती है, वे सरकार और स्थानीय बोर्डों द्वारा चलाये जाते हैं और उनका स्तर साधारणतः घटिया होता है। इसके विपरीत इसी स्तर की शिक्षा के लिए कुछ ऐसे स्कूल हैं जो गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं और जहाँ वे काफी फीस लेते हैं अतः मध्यम और उच्च-वर्ग के लड़के ही उनमें जा पाते हैं। पब्लिक स्कूल कहलानेवाली ये संस्थाएँ पूरे प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा देती हैं और इनमें माध्यम अंग्रेजी होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रकार के स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ी है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि सामान्य जनता और उच्च वर्गों की खाई पहले से भी अधिक चौड़ी हो गयी है और होती जा रही है।

इस प्रकार इस समय समाजवाद के प्रति एकलपित इस लोकतंत्र में दो प्रकार के स्कूल चल रहे हैं। एक जो काफी पैसा लेकर अच्छी शिक्षा देकर उच्च वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और दोप लोके निधि से चलनेवाले धटिया स्तर के स्कूल हैं, जिनमें ग्राम जनता के बच्चे जाते हैं। जब तक शिक्षा में यह असमानता बनी रहेगी, समाज में भी असमानता बनी रहेगी। शिक्षा सामाजिक झलगाव को बढाती रहेगी और फलत न वर्ग भेद का निराकरण होगा और न समाजवाद की स्थापना होगी।

यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बहुत बडी कमजोरी है। समाजवादी राष्ट्र में होना तो यह चाहिए कि समाज के हर स्तर के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा सुलभ हो। इसके स्थान पर मात्र अच्छी शिक्षा केवल उन मुद्धी भर लोगों को उपलब्ध है, जिनका प्रवेश प्रतिभा और योग्यता के माधार पर नहीं, अपितु पुस्क देने की क्षमता के माधार पर किया जाता है। सुविधा प्राप्त माता-पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा खरीद रहे हैं। गरीब इस शिक्षा को खरीद नहीं सकता। इस उसकी योग्य सन्तान भी अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाती है। यह स्थिति झलोकतात्रिक है और समतावादी समाज के आदर्श से मेल नहीं खाती। इस स्थिति को समाप्त करना है, न्योकि इसके तीन भयकर परिणाम हो रहे हैं :—

(१) समीर गरीब के झलगाव की खाई नोटी होती जा रही है, और सामाजिक संश्लेषण की क्रिया समाप्त होनी जा रही है, क्योंकि पब्लिक स्कूलों में पडे हुए समीरों के बच्चे राष्ट्र-जीवन की वास्तविकता के सम्पर्क में नहीं आते और इसलिए स्कूलों से निकलने पर वे अपने को सामान्य भारतीय जीवनधारा में निमज्जित नहीं कर पाते।

(२) राष्ट्र योग्य गरीब की प्रतिभा से वंचित होता जा रहा है। अवसर मिलता और उपयुक्त शिक्षा मिलती तो न जाने कितने ही गरीब बच्चे राष्ट्र की निधि होकर राष्ट्र की सम्पदा और वैभव में वृद्धि करते।

(३) इन पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थी ही झलिल भारतीय और प्रादेशिक सेवाओं में अधिक मकूत्र होते हैं। फलत धीरे धीरे देश का प्रशासन ऐसी नोकरशाही के हाथ में चला जा रहा है, जो देश के सध-साधारण के जीवन और उसकी समस्याओं को सद्धानुभूतिपूर्ण ढंग से समझ ही नहीं सकती। सभी इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज) में जो विद्यार्थी शकल हुए हैं, उनमें से ५२ प्रतिशत ऐसे हैं, जो पब्लिक या कान्वेन्ट स्कूलों में पडे हैं।

प्रत्येक भ्रमर हम लोकतंत्र और समाजवाद के प्रति सच्चे रहना चाहते हैं, तो हमें विभिन्न प्रयोगों की पूरी गुंजाइश रखते हुए भी, लोक-शिक्षा की समान स्कूल प्रणाली अपनानी होगी जो जाति, सम्प्रदाय, समाज और धर्म एवं धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का भेद किये बिना सभी बच्चों के लिए सुलभ हो। ऐसा होगा तभी धनी और गरीब सुविधा प्राप्त और सुविधाहीन, शहरी और ग्रामीण के बीच की खाई पटेगी और सामाजिक विघटन की खतरनाक प्रक्रिया रुकेगी। इस मार्ग में भ्रमर हमारा सविधान बाधक है तो हमको इसमें इस तरह संशोधन करना चाहिए, जिससे :—

(१) देश में लोकशिक्षा की सामान्य विद्यालय-प्रणाली (कामन स्कूल सिस्टम या पब्लिक एजुकेशन) चले।

(२) पढोती स्कूल की सकल्पना कार्यान्वित हो, अर्थात् एक स्तर की शिक्षा के लिए पढोस के सब बच्चे एक ही तरह के स्कूल में जायें।

परन्तु जब तक यह संशोधन न हो, राज्य सरकारों (राज्य सरकारों को इसलिए कि शिक्षा राज्य का ही विषय है) को निम्नांकित कदम उठाने चाहिए।—

(१) किसी भी स्कूल में पढाई की कोई भी फीस न ली जाय। यदि आवश्यक हो तो शिक्षा के खर्च की पूर्ति शिक्षा उपकर (एजुकेशन सेस) लगा कर की जाय।

(२) उच्च-से-उच्च प्रच्छेद शिक्षा प्राप्त करने का अवसर धन या वर्ग पर निर्भर न कर प्रतिभा पर निर्भर करे। इसके लिए गरीब और योग्य छात्रों के लिए पर्याप्त छात्र-वृत्ति की योजना चलायी जाय।

(३) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा या राज्य की भाषा हो और इसी भाषा में राज्य का प्रशासन भी चले।

शिक्षा में क्रांति करनी है तो देश की शिक्षण-प्रणाली में ये परिवर्तन करने होंगे।

परीक्षा-पद्धति

हमारा सारा शैक्षिक प्रयास परीक्षापरक हो गया है और परीक्षाफल ही उसके साफल्य का मापदण्ड हो गया है। इससे ज्ञान की खोज का पक्ष नितान्त गौण हो गया है और सारा शिक्षण परीक्षा में तिमट गया है। परीक्षा नीकरी का पाठपोट बन गयी है। छात्र विद्यालयों में पढने और सीखने नहीं परीक्षा

पास करने जाते हैं जिससे कहीं नौकरी मिल सके। मृत परीक्षा पास करना कराना चाह वह ऐसा पत्र से हो चाहे नकल करके हो प्रमुख हो गया है और प्रथम प्रथम पत्र ही हो गया है। इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए तीन बातें करनी होंगी —

(क) परीक्षा का नौकरी से सम्बन्ध विच्छेद करना होगा। नौकरी या रोजगार देनेवाला अपनी परीक्षा स्वयं ले और इस परीक्षा में बठने के लिए किसी दूसरी परीक्षा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता न हो। नौकरी का मिलना डिप्टी या डिप्टीमा पर निर्भर न करे।

(ख) आज की लिखित बाह्य परीक्षा से परीक्षार्थी के ख्याती प्रवृत्तियों और कौशल का मूल्यांकन नहीं हो सकता चरित्र का तो कतई नहीं हो सकता। मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास का हो। इस प्रकार का मूल्यांकन ही प्रथम कर सकता है जो विद्यार्थी के साथ रहता है। मृत मात्र मूल्यांकन को महत्त्व दिया जाय और विद्यार्थी का मूल्यांकन सतत एवं नियमित रूप से होना रहे। प्रत्येक छात्र को भावविक मूल्यांकन का प्रमाण पत्र दिया जाय।

(ग) अगर कुछ कारणों से बाह्य परीक्षा रखी भी जाय तो उन्नत ढंग की हो और प्रमाणपत्र में केवल अंक दिये जाय और उस पर उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण न लिखा जाय। यह प्रमाणपत्र अन्तर्गतक मान्य हो।

(घ) स्कूलों को अंतिम पत्रिक परीक्षा (जब तक माय हो) लेने का अधिकार हो और उनकी सन्तुष्टि पर राज्य परीक्षा बोर्ड उन्हें प्रमाणपत्र दे।

शक्षिक प्रशासन

शक्षिक प्रशासन का दक्षियानुसी टीचा शिक्षा के किसी भी प्रगतिशील प्रयास का गला पाट सकता है। मृत आज की शिक्षा में किसी भी परिवर्तन के पहले शक्षिक प्रशासन और विद्यालय प्रबंध में परिवर्तन करना आवश्यक है।

(१) उत्तर स्वातंत्र्य काल में शिक्षा के केन्द्रीकरण और राष्ट्रीयकरण की माँग बढ़ी है शिक्षा आज राज्य का विषय है उसे केन्द्र का विषय बनाया जाय ऐसी माँग बराबर होती रही है। केन्द्रीकरण की पद्धति का अहितक समाज रचना में भेल नहीं बढ़ता। अतः केन्द्र के लिए सत्ता और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण से भी अधिक आवश्यक शिक्षा के प्रशासन के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति है। क्योंकि यदि शिक्षा का केन्द्रीकरण और राष्ट्रीयकरण हुआ तो विचारों

के रेजिमेंटेशन से बचा नहीं जा सकता और विचारों का 'रेजिम-टेसन' अधि-नायकवाद को जन्म देगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोक निर्णय की पवित्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, जो शिक्षा के केन्द्रीयकरण से समाप्त हो जायगी।

अतः शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए शिक्षा के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इस विकेन्द्रीकरण का प्रायोगिक रूप निम्न प्रकार का होगा —

क-विद्यालय समिति —

राष्ट्रीयकरण के स्थान पर शिक्षा का विद्यालयीकरण हो और विद्यालयों की सारी प्रवृत्तियों का संचालन विद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा हो। प्रत्येक स्कूल या निश्चित क्षेत्र के कुछ समान स्तर के स्कूलों के लिए एक विद्यालय समिति हो, जिसमें विद्यालय के अध्यापकों के प्रतिनिधि, ग्रामसभा के प्रतिनिधि (अभिभावक) और जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा मनोनीत जिले के कुछ शिक्षा विशेषज्ञ रहें।

ख-प्रखण्डस्तरीय समिति —

प्रखण्डस्तरीय समिति में गांधे सदस्य प्रखण्ड के विद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे और गांधे में प्रखण्ड की ग्रामसभाओं और स्थानीय स्वायत्त निकायों के प्रतिनिधि और जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा नामजब शिक्षा विशेषज्ञ होंगे। यह समिति 'ब्लॉक (प्रखण्ड)' में स्थित समस्त शिक्षा का संचालन करेगी। अगर ब्लॉक में कोई डिग्री कालेज होगा तो वह भी समिति के अंतर्गत होगा। समिति के निम्न कार्यक्रम होंगे —

(१) अध्यापकों की नियुक्ति और प्रखण्ड के अंतर्गत स्थानान्तरण।

(२) वेतन वितरण और अन्य वित्तीय उत्तरदायित्व।

(३) पाठ्यक्रम निर्माण और पाठ्यक्रमीय और पाठ्यक्रमेतर प्रवृत्तियों का संचालन।

ग-जिला शिक्षा बोर्ड :—

प्रत्येक जिले में जिले की समस्त शिक्षा के संचालन के लिए एक जिला शिक्षा बोर्ड स्थापित होना चाहिए, जो जिले के सारे विद्यालयों (जिसमें डिग्री कालेज भी शामिल होंगे) का कार्यभार सभालेगा। इस बोर्ड के निम्न कार्यक्रम होंगे —

(१) जिला की सभी शिक्षा समस्याओं को अनुदान देना।

(२) प्रखण्ड समिति की सस्तुति पर जिले के भीतर अध्यापकों का स्थानान्तरण ।

(३) प्रखण्ड की दैक्षिक एवं पाठ्यक्रमेतरिय प्रवृत्तियों का संचालन ।

(४) शिक्षा उपकर (एजुकेशनल सेस) लगाने और उससे विनियोग का अधिकार ।

इस जिला शिक्षा-बोर्ड के निम्न सदस्य होंगे —

(१) जिला-स्थित सभी प्रखण्ड स्तरीय समितियों के प्रधान ।

(२) जिला के लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य ।

(३) उन सभी विभागों के प्रतिनिधि जिन पर शिक्षा का भार हो, जैसे उद्योग, कृषि आदि ।

(४) शिक्षा-विभाग और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और शिक्षा-विभाग द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री ।

(५) उच्च शिक्षा सस्थाओं के छात्र प्रतिनिधि ।

जिला शिक्षा बोर्ड का वेतन भोगी पूर्णकालिक अध्यक्ष और उसका कार्यालय होना चाहिए ।

नोट—प्रखण्ड स्तर एवं जिला-स्तर की समितियों में छात्र-प्रतिनिधियों को प्रवेश रखा जाय । विश्वविद्यालयों और हिंदी कॉलेजों में उन्हें कोर्ट में, विद्या परिषद में और कार्यकारी परिषद में भी स्थान दिया जाय, जिससे विद्यार्थी दैक्षिक प्रयास में केवल निष्क्रिय भागीदार नहीं रहें, बरन् दैक्षिक और प्रशासनिक दोनों मामलों में सक्रिय सम्बन्ध बन सकें ।

प्रशासन का विधेय पक्ष : सरकार शिक्षा-संस्थाओं को पूरा पैसा दे और किसी प्रकार का दखल न दे यही कान्ति का 'सप्रोच' है ।

(क) माज की वित्तीय स्थिति यह है कि सरकार स्वायत्त निकायों (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड) को लगभग ७५ प्रतिशत (७३ ७) और गैर सरकारी स्कूलों को लगभग ५० प्रतिशत (४८ ३) अनुदान के रूप में देती है और लगभग ३७ प्रतिशत (३६ ७) फीस से भ्रता है । (शिक्षा-मायोग १० ४) । अब सरकार यह पूरा अनुदान प्रस्तावित जिला शिक्षा बोर्डों को दे और जिला शिक्षा बोर्ड को शिक्षा उपकर लगाने का अधिकार दे दे तो वित्त का प्रश्न नहीं उठेगा ।

(ख) भूमि और वर्कशॉप के लिए छात्रों का प्रबंध गाँवसभाएँ करें । जहाँ सरकारी स्कूलों के साथ फार्मों और कारखानों को संलग्न करना सम्भव न हो

वहीं सामुदायिक ग्रथवा व्यक्तिगत फामों और कारखानों में शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यय

हमारे विधान में अनिवार्य और नि शुल्क प्रारम्भिक अर्थात् कक्षा १ से ७ । ८) तक की, ६ से १४ वर्ष तक की, शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व राष्ट्र का माना गया है । १९६५ तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, ऐसी आशा थी । परन्तु लक्ष्य पूरा न होता देख सरकार ने ५ साल की शिक्षा (६ से ११ वर्ष) को ही अनिवार्य करने का प्रयास किया, परन्तु वह भी नहीं हुआ और यह लक्ष्य सन् १९७५-७६ तक भी पूरा होगा, ऐसी आशा नहीं है और सात वर्ष तक की प्रारम्भिक शिक्षा सन् १९८६ तक भी शायद ही दी जा सके । प्रौढ शिक्षा पर तो बहुत ही कम ध्यान दिया गया है और आज भी निरक्षरों का प्रतिशत ७० से कम नहीं है । अर्थात् आज भी इस देश की दो तिहाई जनता पढ़-लिख नहीं सकती और जिस ढंग से हम चल रहे हैं, उस ढंग से चलते रहे तो सन् २००० तक भी हम पूरे देश को साक्षर नहीं बना सकते ।

इसका कारण है । हमने उच्च शिक्षा पर जरूरत से ज्यादा रूपये खर्च किये हैं । सन् १९६५-६६ तक प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के प्रत्येक शिक्षा स्तर की शिक्षा के लिए, शिक्षा पर व्यय होनेवाले कुल धन का, एक एक तिहाई दिया गया है (कोठारी कमीशन १९, १३) । ब्रिटेन, अमेरिका और रूस में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर व्यय का अनुपात क्रमशः ८५.९ और १४.१, ७२.४ और २७.६, तथा ८६.७ और १३.३ है । सर्वोच्च कमीशन ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-मुलम कराने के लिए स्कूली शिक्षा के लिए कुल शैक्षिक व्यय का २।३ हिस्सा निर्दिष्ट किया था और तब जब उसने प्रवर्ष १९८० तक रखी थी । परन्तु हमने उक्त शिक्षा पर, जिसमें पढ़ने पढ़ानेवालों की संख्या कम होती है, बहुत अधिक व्यय किया । स्तर के अनुसार हमारा प्रति छात्र व्यय निम्न प्रकार है :—

१—लोगर प्राइमरी (कक्षा १ से ४)	₹०	₹०-००
२—हायर प्राइमरी (कक्षा ५ से ७)	₹०	₹५.००
३—माध्यमिक शिक्षा	₹०	₹०७.००
४—उच्च शिक्षा (घाटं कोष)	₹०	₹२८-००
५—उच्च शिक्षा (साइंस कोर्स)	₹०	₹१६७-००

घट प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तर के लिए प्रगर प्रथमी शिक्षा

का प्रबन्ध करना है, तो सरकार को मजबूर किया जाय कि विश्वविद्यालयों शिक्षा पर अपना व्यय कम करे। विश्वविद्यालयों में प्रवेश उन्हीं छात्रों का हो जो प्रतिभा-सम्पन्न हों। विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों में प्रवेश लेनेवालों का प्रतिशत माध्यमिक स्तर से उत्तीर्ण प्रतिशत का किसी दशा में १५ से अधिक न हो। अगर हम प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा को धराने में पूर्ण इकाइयाँ बना देते हैं तो उन पर धोर भी अधिक खर्च करना होगा। इस खर्च के लिए उच्च शिक्षा पर किया जानेवाला व्यय कम करना होगा।

शिक्षक

स्वायत्त प्रासननिभर शिक्षक शिक्षा में कान्ति की सबसे पहली शर्त है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि शिक्षा के स्तर को धोर किसी भी शैक्षिक योजना के नियन्त्रण को, जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं उनमें शिक्षक का चरित्र और क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक शिक्षा-यंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अतः शिक्षा के मूल्यों में परिवर्तन करना है तो मेधावी अध्यापकों के अधन और नियुक्ति को वरीयता देनी होगी और अध्यापकों के उन्नित पारिभ्रमिक, प्रगति के अवसर और उनके कार्य एवं सेवा की उपयुक्त शर्तों की व्यवस्था करनी होगी। इस सम्बन्ध में निम्न कदम उठाने चाहिए —

(१) समान वेतन —

सबसे पहले यह दृष्टव्य है कि समान योग्यता और समान दायित्ववाले अध्यापकों का वेतन और उनके कार्य और सेवा की स्थितियाँ समान नहीं हैं। यह कथन स्कूल के अध्यापकों के विषय में भी सच है और उच्च शिक्षा के अध्यापकों के विषय में भी। स्कूल अध्यापकों में विभिन्न प्रबन्धों के अन्तर्गत काम करनेवाले अध्यापकों के वेतन में पर्याप्त अन्तर है। एक ही विश्वविद्यालय में एक सहायक का वेतन दूसरे सहायक के वेतन से कम या अधिक है। सम्बद्ध कालजों में वह वेतन नहीं मिलता जो विश्वविद्यालयों में मिलता है। दश के सात राज्यों में, आन्ध्र, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास, मैसूर पंजाब और राजस्थान में, स्कूली शिक्षा के सभी प्राचार्यों पर यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। मसन, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रारम्भिक स्कूलों के लिए यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है, परन्तु माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के लिए नहीं। परन्तु पाँच राज्यों में, बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश,

और पश्चिमी बंगाल में किसी स्तर पर भी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है। (कोठारी कमीशन ३, ९)। यह असमानता दूर होनी चाहिए और समान योग्यता और समान दायित्ववाले सभी अध्यापकों को एक समान अथवा एक जैसा वेतन मिलना चाहिए।

(२) वेतनक्रम की एकता —

एक दूसरा परिवर्तन जो वाछनीय है, वह है शैक्षिक सस्थाओं में इतने अधिक वेतनक्रम न रहे। स्कूल स्तर पर, यहाँ तक कि प्रारम्भिक स्कूलों में भी कई-कई वेतनक्रम हैं। एक सस्था में काम करनेवाले सभी अध्यापकों का वेतनक्रम एक हो। विशेष काम करने के लिए अलग से भत्ता दे दिया जाय।

(३) वेतनमान में न्यूनतम अन्तर —

चूँकि अध्यापन एक रचनात्मक कार्य है और उसमें सबके लिए निष्ठा और समर्पण की भावना समान है, अतः अध्यापक का वेतन उसकी योग्यता पर आधारित होना चाहिए, चाहे वह प्रारम्भिक स्कूल का अध्यापक हो, चाहे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर। अतः प्रारम्भिक स्कूल के अध्यापक और विश्वविद्यालय के अध्यापक के वेतनमान का अन्तर न्यूनतम होना चाहिए। आज औसत अन्तर एक और छ का है। (कोठारी आयोग सारिणी ३, १)। यह अन्तर १-३ से अधिक न हो।

(४) प्रधानाचार्य के पद का बदलते रहना —

देखा यह गया है कि शिक्षा सस्थाओं में प्रिंसिपल का पद निहित स्वार्थ का कारण बन जाता है। ऐसा न हो, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रधानाचार्य का पद अध्यापकों के बीच बदलता (रोटेट) रहे।

(५) सभी अध्यापकों के लिए निःशुल्क आवास की सुविधा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, अनुपूरित चिकित्सा व्यवस्था, प्राविडेंट फण्ड और पेंशन का समुचित प्रबन्ध किया जाय, जिसे अध्यापक निश्चित होकर अध्यापन का कार्य कर सकें।

शिक्षा में क्रान्ति : क्या, क्यों ?

(कुछ पहलू)

राममूर्ति

विकास शिक्षा का 'बाई प्रोडक्ट'—उत्पादक हुनर

यह प्रश्न उठाया गया है कि भाज देश का विकास केन्द्रित तकनीक (सेन्ट्रलाइज्ड टेकनालोजी) के आधार पर हो रहा है। बड़े बड़े कल-कार-खानों का विकास हो रहा है, और उसी की सरकार बढ़ावा दे रही है। लेकिन शिक्षा में जब हम छोटे छोटे हुनर सिखायेंगे तो इनको सीखकर विद्यार्थी कहाँ जायगा, और क्या करेगा ? यह प्रश्न महत्व का है। स्पष्ट है कि शिक्षा में मुधार की माँग हो और सारी पर्यनीति में मुधार नहीं हो तो फिर शिक्षा और पर्यनीति भलग-भलग किसी देश में नहीं चल सकतीं। भाज विकसित देशों में भी विकास और शिक्षा एक समन्वित प्रक्रिया बन गयी है। दोनों मिलकर देश के राष्ट्रीय जीवन का विकास करती हैं। हम अपने देश में विकास को शिक्षा से भलग मानते हैं। वे बी० डी० प्रो० और डी० पी० प्रो० है—विकास के अधिकारी हैं, तथा वाइसचांसलर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल—शिक्षण के अधिकारी हैं। दोनों के काम बिलकुल भलग हैं। यह बिलकुल गलत चीज है। बी० डी० प्रो० नहीं जानता कि प्रिंसिपल क्या कर रहा है, और प्रिंसिपल नहीं जानता कि बी० डी० प्रो० क्या कर रहा है। दोनों नहीं जानते कि कहाँ जा रहा है देश का विकास, और कहाँ जा रही है देश की शिक्षा। इस भूमिका में यह माँग जरूरी है कि विकास की दिशा और पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हर विद्यार्थी के उत्पादक हुनर का इस्तेमाल हो। गांधीजी हमीलिए कहते थे कि विकास शिक्षा का 'बाई प्रोडक्ट' है। मनुष्य को आर्थिक प्राणी नहीं बनाना है। भाज तक दुनिया चली है आर्थिक प्राणी (इकनामिक मैन) की धारणा के आधार पर। मार्क्सवाद और पूँजीवाद, दोनों मानते हैं कि मनुष्य आर्थिक प्राणी है। वह अपने 'अर्थ' को देखता है। उसी में से वह चीज निकल आती की वह स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं देखता। वह सप्रहशील (ऐन्विजिटिव) है। वह ज्यादा से-अध्यादा सप्रह करके अपने घर में रखना चाहता है। सप्रह उसकी प्रेरणा है। यह चीज पूँजीवाद और तन्म्यवाद के दर्शन में समान रूप में मिलेगी। एक नवी बात गांधीजी ने यह जोड़ी कि विकास को शिक्षा का 'बाई प्रोडक्ट' बनाओ। सम्य मनुष्य

जुलाई, '७१]

[५५१]

को सांस्कृतिक पहले होना है, आर्थिक वाद को। एक आदमी अगर सही ढंग में शिक्षित हुआ है तो उसके द्वारा विकास का काम बनायास होना चाहिए। वह उत्पादन तो करेगा ही, दूसरे तरह के काम भी करेगा। किस तरह के उत्पादन के लिए हम किस तरह के यंत्र इस्तेमाल करेंगे, यह सबाल भलग है। कुछ भी हो, विकास शिक्षण का 'वाई प्रोडक्ट' ही हो।

नौकरी डिग्री से अलग हो

इस भूमिका में श्री वशीधरजी के निबन्ध^७ में मांग की गयी है कि हर विद्यार्थी में उत्पादक हुनर होना चाहिए। इतना परिवर्तन हो जाय कि डिग्रियों को नौकरियों से भलग कर दिया जाय। जो नौकरी देनेवाला हो वह अपनी परीक्षा ले ले, या जो भी दूसरा तरीका निकाले। कल-कारखानेवाले लोग हैं, अन्य लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनको आदमी की जरूरत है, वे परीक्षा ले लेंगे, और चुनाव कर लेंगे। यह क्यों देखा जाय कि हमारे पास बी० ए० का सर्टिफिकेट है या नहीं? हमने नहीं पढ़ी है वह पढ़ाई जो विश्वविद्यालयों में होती है, लेकिन आप देखिए कि हमको हिन्दी आती है कि नहीं, इतिहास-भूगोल आता है कि नहीं। देखो, देखकर ठीक समझते हो तो हमको नौकरी दो, नहीं तो छोड़ो। एक मांग है उत्पादक हुनर की, दूसरी मांग है नौकरी को डिग्री से भलग करने की। ये दो मांगें मान्य हो जाती हैं तो फिर अभ्यासक्रम क्या होगा, परीक्षा कैसे होगी, यदि प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं।

विद्यालय एक स्वायत्त इकाई

एक दूसरी मांग जो की गयी है वह है विद्यालयों के प्रशासन के सम्बन्ध में। सर्वोदय की विचार-धारा हमेशा से राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध रही है जिसको आज का कोई शिक्षक मानता नहीं। न मानने का कारण है। प्राइवेट स्कूलों में वेतन आदि के बारे में कई प्रकार की शिकायतें होती हैं कि समय पर वेतन नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता जितना सरकार के विद्यालयों में मिलता है, या कहीं कहीं यह होता है कि दस्तखत कुछ वेतन पर करा लेते हैं और देते कुछ हैं। यह सब गोल-माल चलता है। इसलिए शिक्षकों की मांग है राष्ट्रीयकरण की। वे कहते हैं कि शिक्षक आज प्राइवेट विद्यालयों में भरक्षित हैं, सरकार की ही शरण में जाकर सुरक्षित होंगे, इसलिए राष्ट्रीयकरण का नारा वे कैसे छोड़ें। जिस लोकशक्ति पर सर्वोदय का नारा आन्ति दर्शन सजा हो

^७निबन्ध इसी शक के पृष्ठ ५३८ पर देखें

हा है, उसके सम्बन्ध में वे कहते हैं कि यह शक्ति हमारे काम की नहीं। जिला परिषदों के स्कूलों को देखिये, प्राइवेट स्कूलों को देखिये क्या हाल हो रहा है? वे मान लेते हैं कि यही लोकशक्ति है जिलापरिषद और नगरपालिका क्योंकि इनमें जनता के प्रतिनिधि लोग आते हैं। सरकार को वे ठीक समझते हैं। सरकार के खजाने में पैसा कम होगा तो वह नोट छपाकर दे सकती है। मैनेजर तो नहीं दे सकता। कोई गैर-सरकारी सस्था तो नहीं दे सकती। तो एक समझौता यह हो सकता है कि ठीक है, चान्सफोड और कंभ्रज में जो होता है उसको मान लिया जाय कि सरकार पैसा दे, लेकिन विद्यालय के भ्रम्यास क्रम और प्रशासन में हस्तक्षेप न करे। उतनी बात मान लीजिए जितनी बात न्याय विभाग में चलती है। सरकार जनों को तनख्वाह देती है लेकिन हर मौके पर सरकार यह नहीं कहती कि इस मुकदमे में यह फैसला देना। जो लामूत-लता है जिम्मेदारता जो जिला-परिषदों को देना है उसमें श्रमिता करने की छूट है। उतनी स्वतन्त्रता तो जज को है ही। आजकल कई तरह के राजनैतिक दबाव पड़ने लगे हैं और हाईकोर्ट भी अब शिकायत से बरी नहीं रह गया है, लेकिन वह आज की परिस्थिति का दोष है। व्यवस्था ऐसी ही है कि न्याय विभाग सरकार के नियंत्रण से मुक्त है। कम-से कम उतनी मुक्ति शिक्षा को भी मिलनी चाहिए।

भ्रम्यासक्रम विद्यालय स्वयं बना ले। परीक्षा जिस तरह की लय हो विद्यालय ले। शिक्षक में विद्यार्थी को क्या पढाया है, वह उसका सर्टिफिकेट दे दे। विद्यार्थी पास है या फेल है, इसका फैसला करने के लिए शिक्षक दूसरा भगवान बनकर न बँटे। हम शिक्षक का यह अधिकार नहीं मानते कि किसी विद्यार्थी को पास कराव दे या फल कराव दे। हम पास या फल अपनी जिदगी में होंगे, दुनिया में होंगे, आप क्यों अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेते हैं? हम ९९ बीजों में पास हैं, एक बँबजी में फेल हैं, तो आपने लिख दिया कि हम फल हैं। ९९ बीजों में पास क्यों नहीं लिख दिया? तो जो आपने पढ़ाया है—आप लिख दीजिए कि इस विद्यार्थी ने यहाँ इतने दिनों तक शिक्षा पायी है, इतना भ्रम्यासक्रम इसने पूरा किया है। जो नोकरी देनेवाला है वह देखेगा कि हमने किन्ता पढ़ा, नहीं पढ़ा। हम नोकरों नहीं करेंगे तो हम अपनी जिदगी में सफल होंगे या विफल होंगे। वह हमारी जिम्मेदारी है पढ़नेवाले की जिम्मेदारी है, पढ़ानेवाले की जिम्मेदारी क्यों हो? ता एक बात यह है कि शिक्षा में भाषिक सहानुभूति सरकार दे लेकिन विद्यालय के भीतरी जीवन में हस्तक्षेप न करे। क्या भ्रम्यासक्रम होगा, क्या

परीक्षा पद्धति होगी और विद्यालय की व्यवस्था किस प्रकार चलेगी ये प्रश्न भीतरी है। हर विद्यालय में उसके शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी की सम्मिलित व्यवस्था ही। स्वायत्त व्यवस्था हो। आज तो विद्यार्थी १८ साल की उम्र में वोट का अधिकार मांग रहा है। और कई पार्टियों ने कबूल भी कर लिया है कि १८ साल की उम्र ठीक है। अगर १८ साल के लड़के लड़की के वोट से सरकार बनने और बिगड़नेवाली हो तो हम किस मुँह से कह सकेंगे कि ये विद्यालय की व्यवस्था में दखल नहीं दे सकते। जो सरकार बना सकता है, वह विद्यालय चलाने में क्या नहीं शरीक हो सकता? वह आज की परिस्थिति में अनिवाय है। इनकार कैसे कीजिएगा? पुराने छात्रों ने तो लड़के को १६ साल में मिन माना था, आज तो वे बेचारे तिनझ हैं कि १८ साल में बराबरी का दावा करते हैं।

ये मुख्य बातें इस बक्तव्य* में लिखी हुई हैं। ये कोई नियथात्मक बातें नहीं हैं। आज तक ये बातें सरकार से कभी कही नहीं गयी। अगर सरकार इन मुद्दों को कबूल कर लेती है तो फिर यह बात उससे को जा सकती है कि आप अपने विरोधियों को सामने लाइए और हमसे से जो इस विषय के जानकार हैं तर्कशास्त्र सेना के लोग और आचार्यकुल के लोग, अभिभावकों में से जो रुचि रखते हैं, जानकारी रखते हैं व सब सरकारी लोगों के साथ बैठेंगे और सब मिलकर डिटेल्स तय कर लेंगे।

मानवीय शक्ति की शिक्षा

यह जो शिक्षा में शक्ति का काम शुरू किया गया है, वह इसलिए नहीं शुरू किया गया है कि सर्वोदय के लोग विद्यार्थियों के उपद्रवों से बहुत चिंतित थे या गिंसकों के मारे जाने से बहुत घबड़ाये हुए थे। जिसका चिराग है उसके घर में आग लग रही है। कोई हमने तो यह चिराग जलाया नहीं। तो हम जिम्मेदारी से बहुत आसानी से बरी हो सकते थे। लेकिन सर्वोदय आन्दोलन ने यह देखा कि जिस समग्र शक्ति की बात की जाती है वह बहुत प्रभूरी रहती है और शिक्षा की बात नहीं की जाती क्योंकि आखिर शक्ति की दिशा में ले जानेवाला एक दिमाग चाहिए। जय जगत का नारा आज सर्वोदय जगत को प्रेरित करता है। हम उम्मा दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। उस जगह तक हमारी कल्पना गयी है कि हम मनुष्य को मनुष्य के नाते देखना चाहते हैं। और इसीलिए किसी सघप आदि की बात न करते हुए हम सब

*श्री वशीधरजी का निबंध पृष्ठ ५३८ पर देखें

चीजों के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण प्रपना रखते हैं। हिन्दू और मुसलमान, पालिक और मजदूर, गरीब और समीर, सबके सब—ये सब जो चीजों हैं उनसे प्रलग हम पाँच भ पाँच मिलाकर मनुष्य को देखना चाहते हैं। चिकोस्लो-वाकिया का दूकचेक या। उसने कहा, समाजवाद हम भी चाहते हैं, लेकिन हम 'सोशलिज्म विद ए ह्यूमन फेस' चाहते हैं। मानवीय शकल का समाजवाद हमको चाहिए। रूस का समाजवाद उसको मानवीय नहीं दीखा। उसने मानवीय समाजवाद की बात कह दी तो उसको जेल का रास्ता दिखा दिया गया। यह कैसा समाजवाद है? हम भी समाजवाद चाहते हैं लेकिन मानवीय समाजवाद चाहते हैं। गांधीजी ने जब चरखे की बात कही, खादी की बात कही, तो उनके मन में भी यह चीज थी कि हमको यत्र चाहिए टेक्नालोजी चाहिए, लेकिन 'टेक्नालोजी विद ए ह्यूमन फेस' चाहिए। वह ऐसा यत्र चाहते थे जिसकी शकल मानवीय हो। वह मानव का शोषण करनेवाली न हो, मानव की हैसियत गिरानेवाली न हो, और मानव में जो श्रमशक्ति है उसको बेकार करनेवाली न हो।

जब गांधी ने गांधी के गणराज्य की कल्पना की थी तो यही बात कही थी कि हमको राजनैतिक व्यवस्था तो चाहिए, लेकिन पालिटिकल प्रोग्रेसाइजेशन विद ए ह्यूमन फेस चाहिए। जब हम राजनैतिक व्यवस्था की मानवीय शकल बनाने बैठते हैं तो दिल्ली से उतरकर गाँव में पहुँचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मानवों का सहज समुदाय रहता है। अपने गुण दोषों के साथ जो मनुष्य है, सहज रूप में जहाँ रहता है उस जगह व्यवस्था को ले जाना पड़ता है—जैसे शिक्षा को ले जाना पड़ता है। हर जगह आज 'मानवीय शकल' की तलाश है। आज के पूँजीवाद की शकल मानवीय नहीं है, इसलिए हम उसको अस्वीकार करते हैं। आज के राज्यवाद की शकल मानवीय नहीं है, इसलिए हम उसको अस्वीकार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी पूँजीपतियों से छड़ाई है। पूँजीपति की शक्त तो हमारी शक्त से अच्छी होगी, लेकिन पूँजीवाद की शकल मानवीय नहीं है। राभ्य चलानेवाले एक-से एक अच्छे हो सकते हैं लेकिन उस राज्यवाद की शकल मानवीय नहीं है। धीरे, संनिकवाद की शकल तो कतई मानवीय नहीं है। इसलिए हम उसको भी अस्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं कि सर्वोदय वगैरे समय की शान्ति से बबडाला है। हम इन्सान हैं तो बबडाते बहुत तो चीजों से हैं, सबसे ज्यादा हम जफर इस बात से बबडाते हैं कि शान्ति इन्सान की हैसियत को गिरानेवाला पड़यत्र न बन जाय। हम शान्ति के घोड़े में पड़यत्र को स्वीकार नहीं करना चाहते। शान्ति भी हम मानवीय

शकल की चाहते हैं, राजनीति भी मानवीय शकल की और धर्मनीति भी मानवीय शकल की चाहते हैं। इस देश ने हिम्मत करके हर मालिग को मत का अधिकार दिया है—घरपड़ को, गरीब से गरीब को अधिकार दिया है। ऐसे देश में कान्ति धर्म मानवीय नहीं हो सकती तो कहां होगी ?

भाज कान्ति का दिमाग केवल नेशनल नहीं रह गया है, बल्कि 'वर्ल्ड माइण्ड' बन गया है। जय-जगत का जमाना है। लेकिन हमारी शिक्षा युवक और युवतियों को कहां ले जा रही है ? विश्व-चित्त की बात छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय चित्त भी नहीं, बिल्कुल 'ट्राइबल माइण्ड' यह शिक्षा बना रही है। जैसे पुराने कबीलो का चित्त था, कि एक दूसरे से बात करते थे तो बन्दूक से बात करते थे, ऐसा 'ट्राइबल माइण्ड' यह शिक्षा देश में पैदा कर रही है—बिल्कुल आदिवासियों का दिमाग। आदिवासी तो बहुत चीजों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बावजूद अच्छाईयों के उनमें एक दोष यह होता है कि उनका दिमाग सीमित होता है। वह अपने घर, अपने पड़ोस, अपनी विरादरी से बाहर की बात नहीं सोच पाते। भाज जो विद्यार्थी डिग्री लेकर निकलता है उसका दिमाग भी 'ट्राइबल' है। वह यह भी नहीं जानता कि उसकी किताब में क्या लिखा है ? इतना सकुचित दिमाग 'ट्राइबल' नहीं होगा तो क्या होगा ? इसलिए तय किया गया कि एक मोर्चा 'शिक्षा में कान्ति' का बनना चाहिए।

कान्ति सबका काम—विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक

शिक्षा की समस्याओं को अभी कम विद्यार्थी और शिक्षक समझ रहे हैं। एक गोष्ठी में विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने तो यह बात कही कि भाज की शिक्षा में क्या खराबी है ? आखिर इसी शिक्षा में से गांधीजी पैदा हुए, नेहरूजी पैदा हुए, कितने बड़े आदमी पैदा हुए ? नये लोग डडा लेकर इस शिक्षा के पीछे पड़ गये हैं ? कौन समझाये ऐसे विद्वान को ? विद्वान का दिमाग भी इतना 'ट्राइबल' है कि उसको कोई समझा नहीं सकता। एक निरक्षर आदमी को समझा सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों को कैसे समझायें ? शिक्षा में कान्ति का मोर्चा शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक को अपने हाथ में लेना चाहिए। यह मोर्चा उन्हीं लोगों का है जो उसके शिकार हैं।

शिक्षा में कान्ति पर आयोजित बैठक में दिये गये भाषण से, 'नवम',

२४-६-'७२

आचार्यकुल की शिक्षा-नीति

—घोषणा-पत्र का प्रारूप

रोहित मेहता

भारत में शिक्षक प्रयास को नयी दिशा देने के लिए अनिवार्य है कि आचार्यकुल स्पष्ट शब्दों में शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण की व्याख्या करे। इस व्याख्या में व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में शिक्षा के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख होना चाहिए। इन निदेशक सिद्धान्तों में केवल शिक्षा के दर्शन का ही नहीं बल्कि उसके व्यावहारिक साधनों का भी जिक्र होना चाहिए। इसी दृष्टि से शिक्षा का एक व्यापक घोषणा-पत्र बनाने की लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं :

जिस मौलिक प्रश्न पर आचार्यकुल को ध्यान देना है वह यह है कि भारत में सभी स्तर पर, प्राथमिक से विश्वविद्यालय-स्तर तक, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मुक्त विकास का प्रोत्साहन होना चाहिए, परन्तु यह विकास समाज के हित में हो। यह आवश्यक है कि हम वैयक्तिकता (इन्डीविजुअलिटी) और व्यक्तिवाद (इन्डीविजुअलिज्म) का स्पष्ट भेद जान लें। आचार्यकुल पहले का समर्थक और दूसरे का प्रबल विरोधी है। दूसरे शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के एक ऐसे सामाजिक अस्तित्व का विकास है जिससे वह जिस समाज में रहता है उसके प्रति उत्तरदायित्व महसूस कर सके। शिक्षा को शिक्षा के विभिन्न स्तर पर, विद्यार्थी और शिक्षक में उत्तरोत्तर अधिकधिक सामाजिक चेतना पैदा करनी चाहिए। समाज में कार्यों में भाग लेना राजनीति और राज्य के कामों में भाग लेना नहीं समझना चाहिए। समाज राज्य से अधिक बड़ा है, और इसलिए अगर विद्यार्थी और शिक्षक समाज के प्रति अधिकधिक उत्तरदायित्व महसूस करेंगे तो सामाजिक कार्यक्रमों में उनका भाग लेना राज्य की प्रगतिशील नीति और कार्यक्रम उठाने के लिए बाध्य कर सकेगा। व्यक्तित्व के विकास के बारे में एक बात और स्पष्ट कर देने की है कि आचार्यकुल अपने बौद्धिक दम का प्रदर्शन करनेवाले किसी विभिन्न वर्ग का विकास नहीं चाहता और न तो वह समाज में अस्तमानता स्थापित करने के प्रयास को प्रोत्साहन देना चाहता है। वह मानता है कि असमानता समाप्त होनी तो चाहिए परन्तु परिणामस्वरूप

एकरूपता (यूनिकार्मिटी) भी नहीं स्थापित होनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में वैयक्तिकता के प्रश्न को समझना चाहिए और शैक्षणिक कार्यों का मुख्य आधार बनाना चाहिए।

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शैक्षणिक प्रयत्नों को एक ऐसा आधार देना चाहिए जहाँ स्वतंत्रता और अनुशासन के परस्पर विरोधी तत्वों का समन्वय किया जा सके। इस सिलसिले में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अनुशासन स्वतंत्रता को सीमित करता है वह भाव के समाज में स्वीकृत नहीं होगा, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि जिस स्वतंत्रता का परिणाम अनुशासनहीन आचरण होगा, वह समाज के स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक होगा। अतः इन प्रकट दो परस्पर विरोधी तत्वों के समन्वय के लिए शिक्षा को प्रयास करना चाहिए जिससे विद्यार्थी और शिक्षक को, जीवन के मौलिक मानव-मूल्यों के पता लगाने में सहायता मिले। यह सत्य है कि मूल्य स्थिर नहीं रह सकते, परन्तु अगर शैक्षणिक कार्य छात्र और अध्यापक में स्वस्थ जीवन का सही दृष्टिकोण निर्माण करता है तो व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में निश्चय कर सके—क्या सत्य है और क्या असत्य है। मूल्यों के सन्दर्भ में शिक्षा के दर्शन में सत्य और अहिंसा को, जो कि भारतीय समाज की अशुण्य चेतन-धारा रही है, शामिल कर लेना चाहिए। अनुशासन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट होना चाहिए कि दमन का सभी रूप सभी स्तरों पर समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के दमन से भय और विवशता पैदा होती है। प्राचार्यकुल को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि सभी स्तर पर शैक्षणिक कार्य हृदय-परिवर्तन (परसुएशन) द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हृदय परिवर्तन का परिणाम स्वस्थ ही नहीं बल्कि स्थायी भी होता है। स्वतंत्रता और अनुशासन की समस्या के सम्बन्ध में यह भी साफ समझ लेना चाहिए कि दंड और पुरस्कार की नीति शैक्षिक कार्यों के सभी स्तर से पूर्ण रूप से हटा देनी चाहिए, क्योंकि उससे एक अस्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है जो वैयक्तिकता को नहीं, बल्कि व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देता है।

इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि शिक्षा में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शिक्षण पर अत्यधिक बल देने की आधुनिक प्रवृत्ति व्यक्ति के विकास में एकांगिता को जन्म देगी। इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा में समन्वित विकास की समस्या से है। यह आवश्यक है कि विज्ञान और कला-विषयों का सफल ढंग से समन्वय किया जाय। लेकिन यह समन्वय छिटपुट ढंग से नहीं हो सकता। वास्तव में यह आवश्यक है कि विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक और विद्यार्थी कला-विषयों के

मूल्यों का पता लगा सकें और इसी तरह कला विषयो को पढ़ते समय उनमें वह क्षमता घानी चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मूल्यों को समझ सकें। इनके प्रतिरिक्त विषयों के मापसी सम्बन्ध शिक्षा के सभी स्तर पर सामने लाने जाये ज्यों क्योंकि इसके बिना उचित समन्वय सम्भव नहीं है।

आधुनिक शिक्षा में एक और ऐसी समस्या है जिसकी ओर से कोई धादमी उदासीन नहीं रह सकता, और वह है समय से पहले और अत्यधिक विशेषीकरण (स्पेशलाइजेशन) की समस्या। हमारा विश्वास है कि दसवें वर्ष तक प्रत्येक विद्यार्थी को सामान्य बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए और सभी विशेषीकरण (स्पेशलाइजेशन) उसके बाद हो। विशेषीकरण की आवश्यकता को हम पूर्णतः स्वीकार करते हैं, परन्तु हम यह भी महसूस करते हैं कि जिनके हाथों में शिक्षा है, वे विशेषीकरण के दोषों को भी समझें जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में अनावश्यक पूरक तत्वों का सम्मिश्रण किया जा सके और अत्यधिक विशेषीकरण के दोषों में बचा जा सके।

आधुनिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि विद्यार्थी और शिक्षक को जीवन के वास्तविक मूल्यों के शोध करने की दिशा में किस प्रकार प्रवृत्त किया जाय ? क्या केवल नैतिक शिक्षा के दाखिल करने से इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जायगी ? हम इस विचार के हैं कि जीवन-मूल्यों की खोज ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो पारस्परिक धर्म और नैतिकता की शिक्षा देने से हल हो जाय। हम प्रार्थना के मूल्य को मानते हैं, क्योंकि प्रार्थना से जो वातावरण बनता है, उसमें जीवन के उच्च मूल्यों की ओर उन्मुख होना मासान हो जाता है। सारे सस्य की शिक्षा के सामने यह प्रश्न है कि शिक्षा-पद्धति में विज्ञान और अध्यात्म को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाय। हमको यह लगता है कि विद्यार्थी और शिक्षक में मनुष्य और प्रकृति के प्रति बेहतर और जागृति पैदा करके इस दिशा में शुरुआत की जा सकती है। ऐसा मनुष्य जो अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील है, उसमें आध्यात्मिक चेतना का विकास होना अधिक मासान है। हम यहाँ यह कहना चाहेंगे कि अध्यात्म को धर्म का पर्याय नहीं समझना चाहिए। अध्यात्म की परिभाषा करनी ही हो तो यह हो सकती है कि जिस विश्व में मनुष्य रहता है, उसकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील विकास की एक प्रक्रिया और दूसरों की आवश्यकताओं की अनुभूति अध्यात्म है। जिन लोगों का शिक्षानैति से सम्बन्ध है, उन्हें इस समस्या का अध्ययन करना चाहिए और अन्त में यह होगा कि धार्मिक

एक उप समिति नियुक्त करे जो यह देखे कि इसे शिक्षा में व्यावहारिक रूप कैसे दिया जा सकता है।

भारतीय शिक्षा की एक बहुत कठिन समस्या विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का बढता हुआ भ्रूण है। आधुनिक लोकतन्त्रात्मक समाज में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक नया सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए। आज शिक्षा की प्रक्रिया में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को सक्रिय भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी अब इस प्रक्रिया में निष्क्रिय साक्षदार नहीं रह सकता है। उसे शिक्षा के ऐच्छिक एवं प्रशासकीय मामलों में सक्रिय साक्षदार बनना है। समस्या को केवल इसी दृष्टिकोण से देखने से हम विद्यार्थी—उपद्रव की समस्या का समाधान कर सकते हैं जो कि हमारे शिक्षा संसार की जागतिक विदग्धता हो गयी है।

हम यह कहना चाहेंगे कि प्रशासकीय सन्दर्भ में निहित स्वार्थ न काम करने लगें। चायब मह अन्धा होगा कि शैक्षणिक संस्था में प्रशिक्षण का काम एक दो आदमी का न होकर शिक्षकों को बारी बारी से दिया जाय जिससे प्राचार्य का पद रक्षित स्वार्थ न बन जाय।

हम इस बात की भी आवश्यकता महसूस करते हैं कि परीक्षा की सकल्पना और पद्धति पर नये ढंग से सोचने का समय आ गया है। आज हमारे सारे शैक्षिक प्रयास परीक्षापरक हो गये हैं और परीक्षा हमारी शैक्षिक सफलता की मापदण्ड हो गयी है। इससे ज्ञान की खोज का पक्ष नितान्त गौण हो गया है। हमारे विद्यार्थी परीक्षाएँ पास कर लेते हैं परन्तु उनकी विज्ञान की प्रवृत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। परीक्षा में विद्यार्थी की बुद्धि जाँचने का प्रयत्न करना चाहिए, स्मरणशक्ति जाँचने का नहीं। अगर यह दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाय तो परीक्षा भय और भ्रष्टाचार का वातावरण नहीं पैदा करेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा के कमरे में पुस्तक ले जाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। अगर परीक्षा बुद्धि की है, स्मरणशक्ति की नहीं, तो ऐसा करने में कोई क्षति नहीं है। हम यह सलाह देते हैं कि परीक्षा के सन्दर्भ में प्राचार्यकुल की शीघ्रगामी और दूरगामी नीति के विषय में सोचना चाहिए।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि आज हमारी शिक्षा उस सामाजिक वातावरण से, जिसमें विद्यार्थी रहता है, बिल्कुल पिच्छिन्न है। हमको शैक्षिक प्रक्रिया और समाज की (नागरिक और ग्रामीण) आवश्यकताओं में सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि या तो छात्र में विरोध की प्रवृत्ति बनपती है अथवा दुबल समज की (ऐडजस्टमन्ट की)। हम ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इन दोषों से बचें और विद्यार्थी में ऐसी क्षमता

उत्पन्न करें कि वह समाज में रचनात्मक भूमिका भरा कर सके। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो उत्पादक व्यक्तित्व का विकास करे। आज की शिक्षा अनुत्पादक व्यक्तित्व विकसित करती है। हमें इस सिलसिले में बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों को सामने रखना चाहिए और विभिन्न वस्तुकारियों की शैक्षिक प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए। हर हालत में शिक्षक और विद्यार्थी जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के हर पहलू को हमें अपने शैक्षिक प्रयासों में दखिल करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 'प्रोजेक्ट' पद्धति को व्यापक पैमाने पर प्रारम्भ करने की योजना बनायी जा सकती है।

एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या शिक्षा का सम्बन्ध केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों से है या अभिभावकों से भी। आज यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक का सम्मिलित उत्तरदायित्व हो। यद्यत् यह है कि अभिभावक को शिक्षा के कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाय। इस प्रश्न से अभिभावकों को शिक्षित करने का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है जिससे उनमें शिक्षा के नये दृष्टिकोण की चेतना जागे। शायद प्रौढ शिक्षा की उस तरह की योजनाओं को जैसी पश्चिमात्य देशों में प्रचलित है वहाँ भी लागू करना आवश्यक होगा। शिक्षा की ऐसी 'स्कीम' का सम्बन्ध केवल अक्षरज्ञान से नहीं, बल्कि शिक्षा के व्यापक पहलुओं से होगा। माता पिता के भागीदारी के सम्बन्ध में यह स्वीकार करना चाहिए कि पिता से अधिक माता का शिक्षा में सम्बन्ध होना चाहिए। विशेषतः स्कूल के स्तर पर यह अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रश्न ऐसा भी है जो महत्व का होते हुए भी आम चिन्तन पारस में अलग है और वह यह है कि क्या तृष्ण की विद्रोह-भावना समाज की प्रगति का एक स्वस्थ तत्व नहीं है। अगर ऐसा है तो शैक्षिक प्रक्रिया विद्रोह के इस तत्व को रचनात्मक विधा कैसे दे जिससे विद्यार्थी अपनी तात्कालिक शक्ति का अपव्यय व्यर्थ के आन्दोलनों में न करें।

यह सच है कि अगर तृष्ण अपनी विद्रोह शक्ति खो दें तो जिस समाज में वे रहते हैं, वह गतिशील नहीं हो सकेगा। आज का विद्यार्थी विद्रोह निष्प्रयोजन और निरपेक्ष होता है। परन्तु इन निष्प्रयोजन आन्दोलनों के पीछे विद्रोह की भाव देखी जा सकती है। विद्रोह की यह प्रवृत्ति जमी कैसे रहे और कैसे उसे व्यापक आधार दिया जाय? विद्रोह की यह शक्ति पूरी शैक्षिक प्रक्रिया का भाग कैसे बनेगी? विनोबाजी ने शिक्षा पर अपने विचार प्रकट करते हुए यह सलाह

वी है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इस विद्रोह-भावना का प्रशिक्षण, शैक्षणिक कार्य का एक अंग होना चाहिए।

शिक्षा के इस नये दृष्टिकोण (अप्रोच) के अनुरूप शिक्षा की प्रगतिशील प्रशासनिक संरचना कैसी होगी ?

हमको भूलना नहीं चाहिए कि शैक्षिक प्रशासन का दक्षिणानुमी (व्यूरोक्रेटिक) ढाँचा शिक्षा के किसी भी प्रगतिशील दृष्टिकोण को समाप्त कर सकता है, अतः इससे बचना चाहिए।

वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय-स्तर के नीचे की शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध तीन एजेंसियों द्वारा होता है—सरकार, स्थानीय स्वायत्त निकाय और स्वैच्छिक संगठन। जहाँ तक वित्त का सम्बन्ध है, राज्य न केवल अपनी संस्थाओं का खर्च पूरा करता है, जो कुल खर्च का केवल पाँचवाँ भाग है, बल्कि स्थानीय स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के स्कूलों का खर्च भी बहुत हद तक पूरा करता है। स्थानीय निकायों को लगभग ७५ फीसदी और स्वैच्छिक संगठनों को लगभग १५ फीसदी सहायता मिलती है। वास्तविकता यह है कि स्कूली शिक्षा पर खर्च होनेवाली अधिकांश राशि राजकीय और शिक्षा-शुल्क से प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि स्थानीय निकायों और स्वैच्छिक संगठनों का प्रबन्ध दोषपूर्ण है, अतः उत्तर-स्वातंत्र्य काल में स्वभावतः शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की माँग की जाती रही है। तर्क किया जाता है कि जब सरकार शिक्षा का लगभग पूरा खर्च देती ही है तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाय।

परन्तु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि जब विचारों के 'रेजिमेन्टेसन' से बचा नहीं जा सकेगा, जिससे किसी भी कीमत पर बचना है।

नये प्रशासकीय 'अप्रोच' का आधार विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के कुप्रबन्धों से ही नहीं, सरकार से भी मुक्ति होनी चाहिए। हम विनोबाजी के इस सुझाव को स्वीकार करना चाहिए कि न्याय-विभाग की भाँति शिक्षा को भी प्रत्येक स्तर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा को सभी प्रकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए, यह नियंत्रण चाहे राज्य का ही चाहे स्थानीय निकायों का हो।

यह भी जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकायों के हाथ में ही जाय। जब तक नगरसभा या ग्रामसभा न बन जाय, शैक्षणिक कार्यों की दत्तभाजक लिए शिक्षा सम्बन्धी समितियाँ नियुक्त की जायें। यह

दृष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि जितना शीघ्र हो शिक्षा जनता की स्वैच्छक सस्थाओं के हवाले की जायगी और सरकारी नियंत्रण से बाहर होगी, उतना ही अच्छा है। हम यह महसूस करते हैं कि शिक्षा के उच्च स्तर पर भी गवर्नरो की विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की परम्परा छोड़नी चाहिए। उपकुलपतियों की भी नियुक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें शिक्षक और विद्यार्थी का अधिक हाथ हो। पाठ्यपुस्तकों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शिक्षा के सभी स्वस्थ सिद्धांतों के विरुद्ध है। निम्न स्तर पर शिक्षाशास्त्रियों की परामर्श देनेवाली समितियाँ होनी चाहिए, जिनसे परामर्श लिये बिना शिक्षा से सम्बन्धित न कोई परिवर्तन किये जायें और न कानून बनाये जायें।

यह वक्तव्य एक प्राण्य मात्र है और हम धारा करत हैं कि व्याधायकुल के वे सदस्य जो बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं, साथ मिलकर सोचेंगे, ताकि इस प्राण्य से धागे बढकर शिक्षा के सिद्धांतों और उसके साधनों का एक घोषणापत्र तैयार हो सके और जनता के सामने रखा जा सके। ऐसा प्रयास शिक्षानीति में परिवर्तन लाने और कार्यप्रम बनाने में देश की सभी प्रगतिशील शक्तियों को, जो शिक्षा को व्यक्ति के लिए सृजनारमक और समाज के लिए उत्पादक बनाना चाहती हैं, एकत्र कर सकता है। *

शिक्षा में क्रान्ति के लिए आचार्यकुल क्या करे ?

कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा

समाज शिक्षा से ही बनता है। आजादी के बाद देश को जिस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए यी वह हम अब तक भी नहीं कर पाये हैं। किन्तु अब अधिक देर करना घातक होगा। शिक्षा में क्रान्ति की माँग को अब मनसुना नहीं किया जा सकता। आचार्यकुल इस माँग की पूर्ति का ही प्रयास है।

हम जिस शिक्षा में क्रान्ति की बात करते हैं उसमें आचार्यकुल समाज का मार्गदर्शक और प्रणाली होगी। इस प्रकार की शिक्षा के लिए शिक्षक के आचार्यत्व की और समाज की सम्मति तथा सहकार की आवश्यकता होगी। गांधीजी के द्वारा बताये मार्ग पर चलकर ही शिक्षक ऐसा वाञ्छित सहकार तथा आचार्यत्व प्राप्त कर सकता है। आज विनोबा ग्रामस्वराज्य का जो कार्यक्रम दे रहे हैं वह गांधीजी के द्वारा बताये मार्ग का सर्वोत्तम रूप है। आचार्यकुल इसे समझे और इसे प्रपना ले। समाज को इसे समझाये और सामाजिक क्रान्ति की दिशा में आगे बढ़े। समाज की सहमति और सहकार के बिना हम शिक्षा में क्या, कोई भी क्रान्ति नहीं कर सकेगे।

प्रथम आचार्यकुल इस दिशा में नीचे लिखे कदम उठाये

(१) लोक सम्पर्क .

आज शिक्षा और शिक्षक का समाज से सीधा और विधायक सम्बन्ध नहीं रह गया है। इससे वह समाज में उपेक्षित और भव प्रसुरक्षित भी होता जा रहा है। प्रथम शिक्षा व शिक्षक का समाज से सम्पर्क कराने में और दोनों को निकट लाने में आचार्यकुल माध्यम बने। आचार्यकुल शिक्षकों को वाणी और लोक-समर्थन दोनों देगा। शिक्षकों को आचार्यकुल के माध्यम से शिक्षा के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट और प्रसर बनाना चाहिए।

(२) लोक शिक्षण :

शिक्षा में कोई भी परिवर्तन करने से पहले समाज में उसके लिए बुनियाद बनानी होगी। आज ग्रामस्वराज्य के माध्यम से यह बुनियाद बनायी जा रही है। प्रथम आचार्यकुल ग्रामस्वराज्य के 'लोक क्रान्ति काय' प्रपना ले। हर शिक्षक और विद्यालय अपने पास पास एक या अधिक गाँवों को 'दत्तक' रूप में लेकर यह काम करे। उनका यह कार्य उनकी कार्य क्षमता का मापदण्ड माना जा सकता है।

(३) लोक सम्मति

ग्राम स्वराज्य का नाम सतत चलनेवाला और विकासमान है। गाँव-गाँव में ग्रामसभाएँ बन जायें, ग्रामकोष के माध्यम से ग्रामस्वावलम्बन का प्रारम्भ हो जाय, गाँव के सभी भूमिहीनों में गाँव की भूमि के बीतवें भाग का वितरण हो जाय और गाँव की सुरक्षा तथा शान्ति के लिए ग्राम शान्तिसेना का गठन हो जाय, यह पहला काम है। यह पहले पूरा करना होगा। तब यह देखना होगा कि ग्रामसभाएँ ठीक ढंग से काम करने लग जायें। उनकी नियमित बैठके होती रहें, कार्यवाही लिखना, सर्वसम्मति से निष्पत्ति और प्रमत्त करना, जैसे कामों में धानागकुल के सदस्य ग्रामसभाओं का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कर सकते हैं। समाज में आज गाँव की प्रतिष्ठा नहीं रह गयी है किन्तु हमारी परम्परा और संस्कृति के लिए यह गम्भीर खतरा है। ग्रामसभा की गाँव समाज में प्रतिष्ठा बने, धाचायकुल को इसका सतत प्रयास करना होगा।

(४) लोक सहकार :

ग्रामसभा के माध्यम से गाँव का सर्वे करना, ग्राम-निर्माण की योजना बनाना, विकास के साधनों का चयन, संगठन और नियमन करना, गाँव के आयात निर्यात पर गाँवसभा का नियंत्रण कायम हो जाय, वह उसकी समुचित व्यवस्था करने में सक्षम हो जाय, और ग्रामकोष गाँव की अर्थ-व्यवस्था का केन्द्रबिन्दु बन जाय, इन सबके लिए ग्रामसभा को प्रशिक्षित करना तथा इसमें उसका मार्गदर्शन करना धाचायकुल का काम है। हर विद्यालय यह काम आसानी से कर सकता है।

(५) लोक संगठन :

संगठन के लिए उद्देश्यों में सहमति आवश्यक होती है। यह शिक्षण की प्रक्रिया है। अतः इस काम के लिए गाँव की ही 'शिष्य' के रूप में मानकर चयन होगा। हमारा हर गाँव अग्रगण्यधुनिक विद्या का घर हो जाय, यानी हर गाँव विश्वविद्यालय का रूप ग्रहण कर ले, धाचायकुल ऐसे प्रयोग करे। गाँव में, व्यवस्था-मुक्ति-प्रदालय हो और सफाई का संस्कार बने, निर्माण-मुक्तिकाय में गाँव के शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों का सहकार बने, इस सबसे लोक-संगठन का काम हो सकता है।

(६) लोक मोति

देश में प्रचलित राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली की भी हमें उत्कल ही बदलना होगा। दलगत राजनीति हमारी प्रतिभा और स्वभाव के विपरीत है।

घट दलविहीन राजनीति या लोकनीति का चलन करना होगा। हम दलमुक्त सरकार और सरकार मुक्त गांव चाहते हैं। किन्तु यह तभी हो सकता है कि जब गांव में दलविहीन संगठन-प्रणाली का विकास हो, और विधान-सभा तथा सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति चालू होकर उनमें मतदाता परिपदों के माध्यम से दलों के बजाय ग्रामसभाओं का प्रतिनिधित्व हो तथा चुनाव 'लड़ने' की चीज न होकर 'करने' की चीज हो। साय-नाथ मतदाता को प्रतिनिधि वापस बुलाने का हक हो। प्राचार्यकुल इस सबके लिए जगता को प्रशिक्षित करे। कालेजों और विश्वविद्यालयों से छात्र-सघों और छात्र-संघों में तदर्थ कार्य-प्रणालियों को विकसित कर और प्रशिक्षण देकर तुरन्त ही यह काम प्रारम्भ किया जा सकता है।

(७) नया समाज

किसी भी देश को शिक्षा-पद्धति का लक्ष्य समाज का निर्माण करना ही है। हमारी शिक्षा का लक्ष्य भी यही है। हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं उसके लिए उचित शिक्षा-प्रणाली का विकास और प्रचलन करना प्राचार्यकुल का काम है। शिक्षा सरकारमुक्त हो और शिक्षा में धार्मिक परिवर्तन हो, प्राचार्यकुल यह मांग करे और खुद अपने गांव से यह कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दे।

यदि हमने ऊपर बताये कदमों के आधार पर अपने कार्य को सगठित किया तो हम उस समाज की रचना कर सकेंगे जिसे हम सर्वोदय-समाज कहते हैं। यह समाज मानव-स्वभाव के अनुकूल और 'सहज' होगा।

क्या शिक्षक और छात्र-समुदाय तथा शिक्षा-विभाग इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार है? क्या कोई ढोव लेकर हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं? कर सके तो बहुत अच्छा होगा। यदि शिक्षा-विभाग शिक्षकों को इसके लिए आवश्यक सुविधा दे सके तो अच्छा होगा। शिक्षा-विभाग तदर्थ सुविधा का प्राविधान तो पालानी से कर सकता है। प्राचार्यकुल इसके लिए मांग करे। यह शिक्षा-विभाग और सरकार का नैतिक तथा कानूनी दायित्व है कि शिक्षा को समाज-निर्माण का माध्यम बनाया जाय। शिक्षा में शान्ति का यह प्रतिफल होगा। शिक्षण-पद्धति और शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन एक दूसरा पहलू है और उतका प्रोत्साहन भी केवल इसी सन्दर्भ से सिद्ध हो सकेगा।

कैसे करें ?

(१) स्थापना

हर गांव में, जहाँ शाला है वहाँ शिक्षक को स्थायी रूप से रहना चाहिए।

वह अपने छात्रों और गाँव के अभिभावकों के साथ रोज घटा-घाघ घटा प्रात-या माय बैठकर कुछ स्वाध्याय करे। इसमें विभिन्न धर्मों के मूल ग्रंथों और महापुरुषों से सम्बन्धित साहित्य का प्रमुख रवान रहे। यह कार्य रोजाना की प्रातः साय की प्रार्थनाओं के माथ भी जोड़ा जा सकता है। यदि इन प्रार्थनाओं को इस तरह से आयोजित किया जाय कि उसमें सभी धर्मावलम्बी भाग ले सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। मौन प्रार्थनाएँ भी चल सकती हैं।

(२) धर्म

हर शिक्षक और छात्र रोजाना अभिभावकों को साथ लेकर या खुद घटा-घाघ घटा का धर्मदान करे। यह धर्मदान छात्रा के खेत पर, जो उसके पास होना ही चाहिए, या गाँव के किसानों के खेत पर कुछ पारिश्रमिक लेकर या बिना उसके भी किया जा सकता है। पारिश्रमिक केवल बड़े किसानों से ही लिया जाय और छोटे किसानों के खेत को केवल शिक्षण-प्रक्रिया मानकर किया जाय। इस धर्म का पारिश्रमिक ग्रामकोष में जमा हो और उसका हिसाब रखा जाय।

(३) सरकार

रोजाना या साप्ताहिक प्रभातफेरियाँ निकाली जायें, विशिष्ट अवसरों पर जुलूस घोर प्रदर्शन हो। ये विशिष्ट अवसर मासिक पर्व या राष्ट्रीय दिवस हो सकते हैं या स्थानीय पर्व प्रपवा (योहारो, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद मुहर्रम या ऐसे ही अन्य अवसर हो सकते हैं। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित पर्व सब धर्मों के लोग मिलकर मनायें यह प्रथा गाँव में कायम की जाय और पुष्ट की जाय। छात्रों से दीवाली पर सुवचन, नारे और उद्घोष लिखाये जायें और गाँव में फिजूलखर्ची रोकने के उपाय किये जायें तथा मेलों आदि के अवसर पर सेवा-सहायता कार्य भी सम्पन्न किये जायें।

(४) सपटन :

ग्रामस्वराज्य के कार्य के लिए हर रोज हर शिक्षक और छात्र कुछ नियमित समय दे। समर्पण पत्र भराना, बीघा-कट्टा पहले स्वयं जाटना और फिर दूसरों को लेकर बैठवाना, ग्रामकोष में पहले प्रपना नियमित अक्षदान करके बूझरों से दिलवाने का काम करना और उसकी बसूली में ग्रामसभा को मदद करना, यह सब काम शिक्षक अपने चुने हुए विद्यार्थियों के साथ कर सकता है।

(५) शिक्षण .

शाला के कार्यक्रम को लोक-निर्देशण का भाष्यम बना दिया जाय। गाँव के मनपड़ों के लिए 'रात्रि शालाएँ', चलायी जायें और इसमें स्वयं शिक्षक कम लगे,

छात्रों को ही अधिक लगायें। छात्रों की परीक्षा में उनका इस कार्य का भी विचार किया जाय। इन रात्रिशालाया के लिए सामन सामग्री जुटाने का काम ग्रामसभा या सरकार करे।

(६) साधना

चाहे कुछ ही जाय, किन्तु शाला से प्रयाचित और प्रनावश्यक अनुपस्थिति न हो, परीक्षा और पढ़ाई में प्रामाणिकता और निष्पक्षता हो तथा अधिकारियों को गुण करने की गरज से कोई काम न किया जाय, शिक्षक और शिक्षा विभाग ग्रामसभा से मिलकर इस तरह का एक सकल्प करे। साप्ताहिक गोष्ठियाँ कीतन और मिलन का रिवाज भी गाँव में चलाया जा सकता है।

प्राथमिक शाला से लेकर हाई स्कूल तक हर गाँव में इस तरह का कार्यक्रम उठाया जा सकता है। इसे शिक्षण का अनिवाय भाग माना जाना चाहिए और शिक्षा विभाग उसके लिए आवश्यक सुविधा तथा प्रदान करे तो अन्दा होगा। हाईस्कूलों और बड़े स्कूलों में तो इनके साथ साथ और भी अनक काम किये जा सकते हैं जैसे कि गाँव के कच्चे माल से कोई पक्का मान बनाने के प्रणालय की व्यवस्था हो सकती है। यानी उसे शिक्षण-कमशाला का रूप दिया जा सकता है। हर शाला ग्रामीण या सामाजिक जीवन के लिए प्रकाशस्तम्भ का काम करे यह इष्ट है।

ग्रामदानी गाँव की शिक्षण-योजना

राममूर्ति

गाँव ही विद्यालय

१ ग्रामदान का लक्ष्य ग्राम-स्वराज्य है। इसलिए ग्रामदानी गाँव का शिक्षण ऐसा होना चाहिए जो उसे ग्रामस्वराज्य की दिशा में ले जाय। ग्रामदान गाँव को एक इकाई मानता है। गाँव गाँव इकाई है नहीं, उसे इकाई बनना है। इकाई के रूप में उसे शिक्षित, संगठित और विकसित करना है। इसलिए ग्रामदानी गाँव की शिक्षण व्यवस्था गाँव के किसी निवासी को या गाँव के जीवन के किसी पहलू को, यहाँ तक की किसी भी क्रिया प्रक्रिया को, छोड़कर चल नहीं सकती। ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप से ग्रामदानी शिक्षण के लिए पूरा गाँव ही विद्यालय बन जाता है तथा उस गाँव के पुरुष, स्त्री, ब्रौड, युवक, बच्चे, सब उस विद्यालय के विद्यार्थी बन जाते हैं। ऐसे विद्यालय गाँव को खेती बारी, पशु, वृक्ष, उद्योग वन्ये, स्वास्थ्य-सफाई, पर्य, उत्सव, लडाई-झगडे शिक्षण के अभ्यासक्रम के अन्तर्गत आ जाते हैं। हर क्रिया शिक्षण का विषय बन जाती है। गाँव का शिक्षण ही जीवन बन जाता है। उत्पादन-क्रिया, प्रकृति और सामाजिक वातावरण, नयी तालीम में अनुबन्ध के ये जो तीन स्रोत हैं, ग्रामदानी गाँव में भरपूर मिल जाते हैं।

२ जिन ग्रामदानी क्षेत्रों में सघन रूप से काम चल रहा है उनमें कुछ चुने हुए गाँव, ऐसे गाँव जिनमें ग्रामदान की शर्तें पूरी हो गयी हो और वेतन नेतृत्व उभर रहा हो, इस प्रकार के समग्र प्रयोग के लिए लिये जा सकते हैं।

३. ग्रामस्वराज्य मूलक समग्र शिक्षण के अभ्यासक्रम के तीन मुख्य पहलू हो सकते हैं

- १ उत्पादन वृद्धि
- २ शोषण मुक्ति
- ३ सरकार-निर्माण

१ उत्पादन वृद्धि के अन्तर्गत गाँव का पूरा तापिक औद्योगिक (एग्रो-इण्ड-स्ट्रियल्स) विकास आ जाना है। इसमें विकास के नये साधन, नयी प्रक्रिया, क्रमिक योजना, तकनीकी प्रशिक्षण, हिसाब किताब, पूँजी का सग्रह, धन का संयोजन, प्राथम्य इंजीनियरिंग, संगठन, कला कौशल, भवन-निर्माण, स्वास्थ्य-सफाई तथा प्रकाशित साहित्य को पढ़ने समझने भर की साक्षरता आदि सभी शामिल हैं।

समग्र शिक्षण के क्रम में ऐसी स्थिति घानी चाहिए और या सकती है कि गाँव में श्रम का काम श्रम-महकार से चले और हर श्रमिक कारीगर बन जाय । तब यह कठिन नहीं होगा कि विकास का हर कार्य शिक्षा का एक 'प्रोजेक्ट' बन जाय और संक्षिप्त ढंग से उसे पूरा किया जाय । ऐसे 'प्रोजेक्ट' में श्रमिक मात्र श्रमिक न रहकर साभेदार बनाया जा सकता है । अगर यह दृष्टि मान लें तो विकास और शिक्षण को मिलाकर गाँव के लिए एक विस्तृत प्रम्यासक्रम बनाया जा सकता है । गाँव के जो प्रौढ काम करने में योग्य हों उन्हें उत्पादन की प्रियाओं और यंत्रों के शास्त्रीय पहलुओं का ज्ञान देकर शिक्षक बनाया जा सकता है और उन्हीं के द्वारा शिक्षण का क्रम जारी रखा जा सकता है । समग्र शिक्षण के लिए गाँव की प्रतिभा का इस्तेमाल करना ही होगा । स्त्रियों को भी उत्पादक हुनर सिखाना चाहिए । उनका उपयोग उत्पादक कार्य, गृहघाटिका, खेती और उद्योग, तीनों क्षेत्रों में हो सकता है । इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए गृह-व्यवस्था और शिशु-पालन का ज्ञान देने के लिए अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए ।

गाँव की उत्पादन-वृद्धि में गाँव के बच्चों का, चाहे वह स्कूल में पढ़ते हों या नहीं, उपयोगी रोल हो सकता है । वे बोझाई, कटाई, और सफाई आदि के अभियानों में शरीक हो सकते हैं । गाँव के अभियानों के प्रस्ताव स्कूल में उनका अलग प्रम्यासक्रम भी हो सकता है ।

शोषण-मुक्ति

शोषण मुक्ति के लिए कानून, लोक-निर्णय तथा अहिंसक प्रतिकार, तीनों से काम लेना पड़ेगा । कानून के लिए लोकमत तैयार करना, लोक शिक्षण का एक मुख्य काम है । लेकिन गाँव के भीतर ग्रामदानी, ग्रामस्वराज्य सभा तभी निर्णय ले और अपने निर्णयों में परिवार-हित, जनहित, वर्ग-हित के स्थान पर सर्व-हित को ध्यान में रखकर अन्तिम व्यक्ति को प्राथमिकता दे, इसके लिए अनुकूल मानस बनाना शिक्षण का ही काम है । ग्रामदान में भूमि-जंमे उत्पादन के मुख्य साधन पर ग्राम-स्वामित्व स्थापित हो जाने के कारण निजी स्वामित्व से पैदा होनेवाले झगड़ों और छीना-झपटी की सम्भावना बहुत कम हो जाती है । मानस-परिवर्तनों के सम्बन्ध में दो चीजों की आवश्यकता है—एक उचित बाह्य व्यवस्था और दो करुणचित्त-निर्माण, स्वायत्त ग्रामसभा (अटानोमस विलेज प्रसेम्बली) दलमुक्त ग्राम-प्रतिनिधित्व (पार्टीलेस विलेज रेप्रेजेन्टेशन) पुलिस-अदाकत-निरपेक्ष व्यवस्था तथा सम्मत प्रथवा सर्वानुमत्त निर्णय—के जो ग्राम-स्वराज्य के मूल तत्व हैं—द्वारा ऐसी ग्रामव्यवस्था की कल्पना की गयी है जो

दण्डशक्ति से अधिक ग्रामीणों की सहकार शक्ति से चलेगी और गाँव को ग्राम-स्वराज्य के सम्बन्ध में एक संगठित, स्वायत्त, समन्वित इकाई के रूप में विकसित कर सकेगी। इसके लिए ग्रामस्वराज्यमन्त्रालय के पदाधिकारियों तथा ग्राम-शान्ति मैनिकों के निरन्तर शिक्षण की आवश्यकता होगी। ऐसा शिक्षण सिविल पद्धति से होगा। लेकिन बाह्य व्यवस्था चाहे जितना विदोष बना ली जाय चित्त निर्माण के बिना वह टिकाऊ नहीं होगी। चित्त निर्माण का काम अधिक सूक्ष्म और कठिन है। उसके लिए शोषण मुक्त जीविका के साथ साथ जीवन मूल्य बदलने चाहिए तथा एक नया चरित्र विकसित होना चाहिए। इतना सूक्ष्म परिवर्तन शिक्षण के सिवाय अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा नहीं हो सकता।

प्रतिकार

शोषण मुक्ति के सम्बन्ध में प्रतिकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की ओर से या निहितस्वाधों की ओर से समाज में जिस तरह की भ्रष्टाचार और अत्याचार होता है उनका प्रतिकार करने की शक्ति और शक्ति समाज में पानी चाहिए, और प्रतिकार के सफल प्रयास का अभ्यास भी होना चाहिए। युवकों में विषादक विद्रोह वृत्ति हो, नागरिकों में अधिकारियों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग के मुकाबिले खड़ा होने की शक्ति हो यह स्थिति पानी चाहिए। कैसे आयेगी? अहिंसक प्रतिकार-शक्ति शिक्षण और संगठन से ही विकसित हो सकती है। गांधीजी ने कहा भी है कि संगठन अहिंसा की कसौटी है। ग्रामदानी शिक्षण को विरोध, विद्रोह और प्रतिकार को भी अपने अभ्यास-क्रम में रखना होगा। इन विषयों का अभ्यास शान्तिपूर्ण लोकतंत्र तथा शान्ति की शक्ति से समाज परिवर्तन के लिए आवश्यक है।

सहकार-निर्माण

हमारा चित्त सध का नहीं है। हमारा परस्पर से बना हुआ चित्त परिवार और जाति का चित्त है, ऊँच नीच और धनी-गरीब में भेद-भाव का चित्त है। खेती की व्यवस्था इस ढंग से विकसित हुई है कि उसमें स्वामियों की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता और भूमिकों का शोषण निहित है। स्वतंत्रता के बाद बढ़ती हुई सहरो अर्थनीति और दलों की राजनीति ने गाँवों के जीवन में पुरानी दरारों के साथ नयी दरारें जोड़ी हैं। इन दरारों की पृष्ठभूमि में लोकतंत्र, समाजवाद, या सर्वोदय की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इनकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि समाज इनके मूल्यों को स्वीकार करे, तथा व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन उन मूल्यों में अनुप्राणित हो।

व्यक्ति की महत्ता, विचार की शक्ति की स्वीकृति, सब के हित में अपना हित, परस्पर सहमति से निर्णय, अन्तिम व्यक्ति को विकास में प्राथमिकता, प्रादि ऐसे मूल्य हैं जिनकी स्वीकृति के बिना समाज-परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वास्तव में ग्रामदानी गाँव में ग्रामदान के बाद का सारा कार्य सांस्कृतिक क्रांति का कार्य है, धार्मिक विकास उसकी सहज निष्पत्ति है, और शिक्षण उसकी प्रक्रिया। नयी तालीम में कल्पना भी यह है कि विकास शिक्षण की निष्पत्ति हो यानी भौतिक जीवन सत्य-ग्रहिणा जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों से अनुप्राणित हो। ये मूल्य नागरिक के चित्त में सत्कार बनकर बैठ जाय। केवल सरकार के कानून में न लिखे रह जायें। ऐसे सत्कार विकसित करना, व्यक्ति और समाज को सतत ऊँचाई की ओर ले जाना, एक चुनौती है जिसे ग्रामदान की नयी तालीम को स्वीकार करना है।

गाँव में चल रहे विद्यालय

ग्रामदान के कारण नयी तालीम के दोनों पहलू समान और तात्कालिक महत्व के हो गये हैं। तालीम की सम्पूर्ण योजना में लोक-शिक्षण और बाल-शिक्षण में से किसी को गौण मानकर टाला नहीं जा सकता। लेकिन लोक शिक्षण के लिए नये साधन और माध्यम विकसित करने पड़ेंगे। बाल शिक्षण के लिए गाँवों में प्राइमरी से हायर सेकेडरी तक के विद्यालय गाँवों में मौजूद हैं; उन्हें समग्र शिक्षण योजना का अंग बनाना पड़ेगा। कैसे? इस दिशा में निम्नलिखित कुछ कदम सुझाये जा सकते हैं —

(१) ग्रामदानी गाँवों में नयी तालीम के प्रयोग की दृष्टि से सघन क्षेत्र लेने चाहिए। जिन ब्लाकों में पुष्टि-कार्य के क्रम में प्रखण्डस्वराज्य सभाएँ बन गयी हैं उनमें शिक्षण की सम्पूर्ण योजना लागू करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने के पहिले इस बात का ध्यान रखना होगा जो दो-चार गाँव समग्र विकास और शिक्षण के लिये जायें उनके विद्यालय में ऐसे शिक्षक चुनकर रसे जायें जो इस कार्यक्रम में सक्रिय रुचि रखते हों और अपना पूरा रोल अदा करने को तैयार हों। ऐसे अग्रणी गाँवों में जो काम हो उसके अलावा पूरे ब्लाक के विद्यालयों में ग्रामस्वराज्य की दिशा में अनुकूल वातावरण होना चाहिए। जिस विद्यालय में शिक्षक प्रधानाध्यापक, और मैनेजर प्रतिकूल हों उन्हें शिक्षण-योजना में तभी शरीक किया जाय जब वे अपनी इच्छा जाहिर करें। जहाँ तक सरकारी स्कूलों का सम्बन्ध है, उनके ब्लाक स्थित अधिकारी तो अनुकूल होने ही चाहिए और उन्हें सरकार की ओर से अधिकार मिला होना चाहिए कि निर्णय हो जाने पर दिनचर्या, अभ्यास-क्रम, परीक्षा-पद्धति प्रादि

में तत्काल परिवर्तन कर सके, और एक सीमा के अन्दर खर्च कर सकें । किसी हालत में इस कार्यक्रम को लाल फीतावाही का भिन्न नहीं होने देना चाहिए ।

(२) इतनी सतर्कता बरतने के बाद निम्नलिखित क्रम में कदम उठाये जा सकते हैं .—

(क) प्रखण्डस्वराज्यसभा के अन्तर्गत एक विकास समिति गठित की जाय, उसकी एक उपसमिति के रूप में "शिक्षण उपसमिति" बनायी जाय । शिक्षण-उपसमिति अपने क्षेत्र में ग्रामदान के सन्दर्भ में नयी तालीम को लागू करने के लिए जिम्मेदार हो ।

(ख) समग्र प्रयोग के लिए ऐसे गाँव, जिनकी पुष्टि में कोई कमी न हो, चुन लिये जायें, उनमें बैठने के लिए शिक्षक का आवाहन किया जाय । यदि कोई सरकारी शिक्षक तैयार हो तो उसे सरकार से प्राप्त किया जाय । यह शिक्षक गाँव की प्रतिभा (बिनेज टेलेन्ट) विकसित करेगा, और नये साथी शिक्षक तैयार करेगा । शिक्षण के साधन जुटाने और आवश्यक व्यवस्था करने में ग्रामस्वराज्य-सभा से और प्रखण्डस्वराज्य सभा से हर सम्भव सहायता की अपेक्षा रहेगी । प्रारम्भिक कदम के तौर पर वह जानकारों के लिए घंटे भर का *विद्यालय चलायेगा* (इसका प्रस्तावक बनाया जा सकता है) ।

(ग) विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, मैनेजरों आदि की गोष्ठियाँ हों, और प्रयोग का लक्ष्य तथा पद्धति अच्छी तरह समझायी जाय । उनका पूर्ण समर्थन ही नहीं, सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय ।

(घ) अनुकूल विद्यालयों में *तदणु-शान्तिसेना* (तथा किशोर-शान्तिसेना) और आचार्यकुल की इकाइयाँ गठित की जायें । ऐसी इकाइयाँ अपने लगभग एक मिल की परिधि में स्थित ग्राम-स्वराज्यसभाओं के कार्य में सक्रिय दिखचस्ती लें ।

(च) ऐसे सभी विद्यालयों में विद्यालय-समितियाँ गठित की जायें जिनमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों का प्रतिनिधित्व हो । इन विद्यालय-समितियों की सलाह से विद्यालयों की भीतरी व्यवस्था का नियमन-संचालन हो—तत्काल कम-से-कम उन क्षेत्रों में जिनका सीधा सम्बन्ध विद्यार्थियों से आता है ।

(छ) इतनी भूमिका बन जाने पर जो विद्यालय-समिति चाहे वह अपने विद्यालय में परिवर्तन ला सकती है । परिवर्तन की विधायें ये हो सकती हैं :

- (१) विद्यालय समय से खुले और कायदे से पढाई हो ।
- (२) विद्यार्थी और शिक्षक अपनी सम्मिलित बैठक में तय करें कि वे विद्यालय में दलगत राजनीति, जातिवाद या सम्प्रदायवाद नहीं घुसने देंगे ।
- (३) विद्यालय और शिक्षक अपने-अपने लिए आचार-संहिता (कोड ऑफ काण्डिडट) बनायें और उसका पालन करें । आचार-संहिता की अवज्ञा के मामले विद्यालय-समिति के सामने लाये जायें । विद्यालय-समिति के निर्णय सर्व-सम्मति से हो ।
- (४) लोकतंत्र के सन्दर्भ में शान्तिपूर्ण विरोध तथा अवज्ञा के शिक्षण की व्यवस्था की जाय ताकि तरुणों की विद्रोह-शक्ति विधायक समाज-निर्माण के काम आय ।
- (५) उत्पादक श्रम की व्यवस्था की जाय । जमीन हो तो खेती के लिए तरुण शान्तिसेना, किशोर-शान्तिसेना और आचार्यकुल की टोलियाँ बनायी जायें । उत्पादन में खेती का खर्च काटकर ५० प्रतिशत श्रमिकों को तथा २५ प्रतिशत खेती के विकास-कोष में डाला जाय । इसी तरह एक विद्यालय 'वर्कशाप' कायम की जाय जो पास-पड़ोस के क्षेत्र के लिए खेती-सिखाई में 'सर्विसिंग सेन्टर' का काम करे तथा सामान्य इस्तेमाल की चीजों की मरम्मत करे और उत्पादन करे ।
- (६) इस प्रकार के उत्पादक श्रम के प्राणिक अभ्यास और अनुभव के आधार पर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति लायी जाय कि हर कक्षा शुरू में एक घंटा बढ़ने बढ़ते आधा समय उत्पादन कार्य करे और बाकी समय पढ़ाई करे ।
- (७) जब ग्रामदान ग्रामस्वराज्य की दिशा में इतना बढ़ चुकेगा कि स्वायत्त ग्रामसभाएं सक्रिय हो जायेंगी, दलमुक्त ग्राम प्रतिनिधित्व की भूमिका बन जायगी, क्षेत्र पुलिस प्रदालत की जरूरत छोड़ने में प्रगति कर चुकेगा और शिक्षण को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की माँग होने लगेगी तब समय आयेगा कि विद्यालयों में स्वावलम्बन और समन्वय (सेल्फ सफिशियेंसी और कारिलेशन) के आधार पर नयी तालीम का पुनारम्भ हो सके । तब उस धोरण में जानेवाली प्रवृत्तियों और मुद्दों से भूमिका बनानी होगी ।

(३) ग्रामदान-प्राप्ति के बाद पहला काम है पुष्टि । जबतक नये मूल्या से प्रेरित और अनुप्राणित नयी लोकशक्ति का उदय नहीं होगा तब तक शिक्षण का काम यही होना चाहिए कि वह लोकशक्ति संगठित करने में सहायक हो । ग्रामस्वराज्य सभाओं तथा प्रखण्डस्वराज्यसभाओं के रूप में लोकशक्ति के संगठित हो जाने पर ही लोक-शिक्षण के साथ प्रत्यक्ष बाल-शिक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सकता है ।•

९ अगस्त का कार्यक्रम

तृण शान्ति सेना ने 'शिक्षा में क्रान्ति' को अपने कार्यक्रमों में विशेष स्थान दिया है । इस क्रान्ति-अभियान का शीर्षक ९ अगस्त, '७१ से किया जा रहा है । आप सभी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षाशास्त्रियों, तथा नागरिकों से राबर अनुरोध है कि ९ अगस्त के निम्न कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान प्रदान करने की कृपा करें :—

- वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन के लिए देश के छात्र, शिक्षक, अभिभावकों के हस्ताक्षर लिये जायें ।
- शिक्षा में क्रान्ति के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, उत्तरप्रदेश की राजधानियों में मांग-जुलूस निकाले जायें तथा आमसभा की जाय ।
- शिक्षा में क्रान्ति का घोषणा-पत्र वितरित किया जाय ।
- शिक्षामन्त्री को हस्ताक्षर-फार्म तथा घोषणा-पत्र दिया जाय ।
- 'शिक्षा में क्रान्ति' के पदक (बैज) बिक्री किये जायें ।
- गोष्ठियों तथा आमसभाओं के माध्यम से शिक्षा में क्रान्ति के लिए जनमत तैयार करने की दिशा में प्रयास किया जाय ।
- शिक्षा में क्रान्ति-अभियान के लिए भावी कार्यक्रम तथा उसके लिए आवश्यक संगठन गठित किये जायें ।

विशेष जानकारी के लिए निम्नलिखित पते से पत्र-व्यवहार किया जाय ।

तृण शान्तिसेना
राजघाट, बाराणसी-१

सम्पादक मण्डल ।

श्री धीरेन्द्र मजूमदार प्रधान सम्पादक
श्री बंशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १६
अंक : १२
मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

नयी तालीम की स्थापना अर्थात्.....	५२९	श्री बंशीधर श्रीवास्तव
विनोबा के विचार	५३१	—
शिक्षा में क्रान्ति आचार्यकुल का लक्ष्य बने	५३४	श्री धीरेन्द्र मजूमदार
शिक्षा में क्रान्ति क्यों ? कैसे ?	५३८	श्री बंशीधर श्रीवास्तव
शिक्षा में क्रान्ति । क्या, क्यों ?	५५१	आचार्य राममूर्ति
आचार्यकुल की शिक्षा-नीति		
पोपणा पत्र का प्रारूप	५५७	श्री रोहित मेहता
शिक्षा में क्रान्ति के लिए आचार्यकुल क्या करे ?	५६४	श्री कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा
ग्रामदानो गाँव की शिक्षण-योजना	५६९	आचार्य राममूर्ति

जुलाई '७१

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष बरगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खन्दा छ. रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहक अगले प्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णबल भट्ट, सर्व सेवा धर्म की प्रेरण से प्रकाशित;

इम्प्रिण्ट प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : जुलाई, '७१

बहुते से डाक-व्यय दिये बिना भेजने की स्विकृति प्राप्त

लाइसेंस नं० ४६

रजि० सं० एल० १७२३

खादी भण्डारों पर १ अगस्त से

रियायती दर पर सर्वोदय साहित्य की विक्री.

सर्व सेवा संघ, खादी ग्रामोद्योग कमीशन, खादी ग्रामोद्योग प्रमाण पत्र समिति, गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के मिले-जुले प्रयास से एक करोड़ की साहित्य-प्रसार-योजना बनी है।

खादी भण्डारों पर १ अगस्त १९७१ यानी तिलक पुण्य तिथि के दिन से इस योजना के अन्तर्गत रियायती दर से साहित्य प्राप्त किया जा सकता है।

विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क कीजिए :

सर्व-सेवा संघ प्रकाशन • राजघाट, वाराणसी-१